१९६१ मे सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनाती से लेकर १९९३ मे पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त तक लगभग ३४ वर्षो की इंडियन पुलिस सर्विसेज की गौरवपूर्ण सेवा के दौरान श्री योगेन्द्र नारायण सक्सेना ने भारतीय समाज और उसके विभिन्न वर्गों को जितनी नजदीकी से देखा, उनके अवमूल्यनों और ऊंचाइयों को परखा और अपने परिवेश की स्वस्थ [illegible] के लिए निष्ठापूर्वक सक्रिय रहे, उसे उतनी ही स्पष्टता, [illegible]लता और स्वाभाविकता के साथ इस संस्मरण पुस्तक मे अभिव्यक्ति देने मे वह सफल रहे हैं। '[illegible] घाटी से [illegible]गालैण्ड तक' के संस्मरणों से गुजरते हुए [illegible] के बाद के करवट लेते भारतीय समाज की [illegible] इकाई --व्यक्ति-- के विविध रूपो को देखा जा सकता है और [illegible] राजनीति और प्रशासन के काले-गोरे चेहरों के [illegible] भी आप स्वयं को पाते हैं । इन [illegible] संस्मरणों [illegible] दस्यु गिरोहों के साथ मुठभेड़, [illegible] घाटी के [illegible] विरोधी अभियान, नृशंस हत्याओं और उनके [illegible], दंगों के दौरान शांति-व्यवस्था की वापसी, राजनेताओं व विभूतियों के साथ अंतरंग संस्मरण, पुलिस विद्रोह, नक्सली और आतंकी गतिविधियों आदि से जूझने के अनेक महत्वपूर्ण और विशिष्ट अवसरो को देखना कठिन नहीं है । उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग व सहारा इंडिया परिवार के संस्मरण इसे और धनी वनाते हैं । श्री योगेन्द्र नारायण सक्सेना ने जिस तरह से लम्वी पुलिस सेवा के दौरान उन्हें जिया-देखा, उसे उतनी ही निश्छलता के साथ इस संस्मरण पुस्तक मे शव्द दिये हैं । सरल वोल-चाल की भाषा-शैली और लगातार जोड़े रखने मे कथानक पाठक को हर पल अपने साथ वांधे रहते है । कहीं कटुता नहीं, कहीं भेदभाव नही । पुलिस सेवा के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति के दौरान सतही राजनीति तक का विवरण भी उनके निकट इस तरह अभिव्यक्ति पाता है मानो वह हर ईमानदार आदमी की संघर्ष गाथा को स्वर दे रहा हो । देश के गिने-चुने अत्यंत अनुभव सम्पन्न पुलिस अधिकारियों में से एक श्री योगेन्द्र नारायण सक्सेना की यह संस्मरण-पुस्तक सरल-सहज भाषा मे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार जीवन यात्रा का जीवंत दस्तावेज है ।

हथियार और कलम

चम्बल घाटी से नागालैंड तक

पुलिस की अंदरूनी बातें

हथियार और कलम

चम्बल घाटी से नागालैंड तक

पुलिस की अंदरूनी बातें

वाई. एन. सक्सेना
पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त)
उत्तर प्रदेश

क्रैस्ट पब्लिशिंग हाऊस
(जैयको एन्टरप्राइज़)
G-2, 16, अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली-110002

हथियार और कलम : चम्बल घाटी से नागालैंड तक
ISBN 81-242-0178-1

प्रथम संस्करण : 2000

क्रैस्ट पब्लिशिंग हाऊस
(जैयको एन्टरप्राइज़)
G-2, 16, अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली-110002
द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
सौरभ प्रिन्ट-ओ-पैक, नोएडा (उ०प्र०)

समर्पित

स्वर्गीया सरला सक्सेना 'शैल'
(07.10.1934 - 16.05.1996)

--जिनकी निश्छल प्रेरणा से यह संस्मरण-पुस्तक अस्तित्व में आयी !

शुभकामना

श्री वाई०एन० सक्सेना (भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश) सुयोग्य एवं कुशल आई०पी०एस० अधिकारी के रूप में बहुचर्चित रहे । वर्तमान में वह सहारा अण्डिया परिवार के कर्तव्य काउंसिल के डायरेक्टर हैं । इस काउंसिल में देश की जानी-मानी १५ हस्तियां शामिल हैं ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पद से जनवरी १९९३ में सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद उनकी प्रतिभा एवं अनुभव का लाभ सहारा इण्डिया परिवार द्वारा उठाया जाय, इसके लिए मैंने पहले ही मन बना लिया था, परन्तु प्रदेश शासन द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सदस्य नियुक्त कर देने के कारण वह सहारा इण्डिया परिवार से अगले चार वर्षो तक नहीं जुड़ सके। आयोग से सेवानिवृत्त होकर वह ८ अप्रैल १९९७ को हमारे परिवार में सहर्ष शामिल हुये । अपने ३४ वर्ष के लम्बे पुलिस सेवाकाल में सक्सेना जी राजनैतिक हस्तक्षेप के बावजूद पुलिस और जनता के बीच मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में सफल हुये तथा उच्चकोटि की सेवा, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शी प्रशासन और सराहनीय सेवाओं के लिए इण्डियन पुलिस मैडल तथा राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किये गये ।

अपनी इस पुस्तक में उन्होंने चम्बल घाटी के वीरता एवं साहस भरे दस्यु विरोधी अभियान, सुदूर पूर्वोत्तर के नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम एवं आसाम के रोमांचकारी अनुभव तथा साम्प्रदायिक दंगों व न्यायिक जांच के अनुभवों की विस्तृत जानकारी बहुत सरलता के साथ दी है । पेरिस (फ्रांस) में आयोजित विश्व पुलिस कांफ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी उनका योगदान अद्वितीय रहा । मेरा अनुमान है कि 'चम्बल घाटी से नागालैण्ड तक' पढ़ने के बाद नवयुवकों में पुलिस सेवा में जाने की अभिलाषा अवश्य जागृत होगी ।

अन्त में मै यही कहूँगा कि उनकी पुस्तक पढ़ कर मुझे उनके अन्दर छिपी अच्छे लेखक की प्रतिभा भी नजर आयी। यह पुस्तक न केवल पाठकों को मनोरंजन एवं रोचकता प्रदान करेगी बल्कि अपराधशास्त्रियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा आम लोगों के लिए भी बहुमूल्य अनुभवों के आधार पर उपयोगी सिद्ध होगी।

सक्सेना जी अपने निजी जीवन में सत्य के हस्ताक्षर हैं तथा निर्भीक व्यक्तित्व एवं शालीनता के धनी है। इसके चलते उन्होंने देश के शीर्षस्थ राजनेताओं, जिनमें कई मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री शामिल है, के साथ भी अपने कड़ुवे-मीठे अनुभवों को बहुत सहजता के साथ इस पुस्तक में वर्णित किया है।

इतने कम समय में वे सहारा इण्डिया परिवार के छः लाख से अधिक कर्मयोगी साथियों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जायेंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी । वह सहारा इण्डिया परिवार के पास एक धरोहर के रूप में हैं। मेरी शुभकामनाएं एवं स्नेह सदैव उनके साथ है।

जय हिन्द! जय सहारा!

सुब्रत राय सहारा
मैनेजिंग वर्कर एवं चेयरमैन
सहारा इण्डिया परिवार

विशेष आभार

मैं माननीय सुब्रत राय 'सहाराश्री' का ह्दय से आभारी हूं क्योंकि उन्होंने ही उस समय मुझे जीने की नई राह दिखायी, जब मैं पत्नी-विछोह के अन्धकार में दिशाहीन भटक रहा था। किस प्रेरणावश उन्होंने ऐसा किया, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि उनका गरिमामय व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टिकोण से परिपूर्ण एवं अत्यंत ही प्रभावशाली है। सहारा इण्डिया परिवार, जिसकी १३०६ शाखाएं भारतवर्ष में फैली हुई है और जिनमें छः लाख से अधिक अनुशासित कर्मयोगी पूर्ण तन्मयता से कार्यरत हैं, उनके वे अभिभावक् है। उनकी इस अदम्य संगठन क्षमता और क्रियाशीलता को और अधिक नजदीक से देखने और प्रेरणा लेने की उत्सुकता ने मुझे और अधिक दृढ़ता के साथ उनके साथ जोड़ दिया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी सहाराश्री का स्नेह मुझे सदैव मिलता रहेगा।

मैं समस्त सहारा इण्डिया परिवार के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों के प्यार एवं सहयोग के लिए भी आभारी हूं। मैं अपनी चारों बेटियों रश्मि, छवि, माधवी एवं अनुपम तथा उनके पारिवारिक सदस्यों का भी सदैव आभारी रहूँगा, जिनकी सेवा भावना और आत्मीयता की अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे है।

वाई. एन. सक्सेना

भूमिका

मैने बचपन में एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना संजोया था, पर भाग्य के उलट-फेर ने मुझे आई०पी०एस० अधिकारी बना कर पुलिस के माध्यम से जनसेवा का अवसर दिया। २० जनवरी १९३५ को घाटकोपर, मुम्बई में मेरा जन्म हुआ था। प्रारम्भ का बचपन भी वहीं बीता। समुद्री तरंगों के साथ झूमते हुये नारियल के हरे वृक्षों ने मुझे बचपन से ही प्रकृति प्रेमी बना दिया था।

पिता श्री नारायण दयाल जी छः फुट से भी ज्यादा लम्बे लहीम-शहीम आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। बचपन में ही मेरे बाबा जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण पिता जी को हाईस्कूल के बाद नौकरी तलाशनी पड़ी थी। उनकी शारीरिक क्षमता को देख कर ब्रिटिश शासकों ने उन्हें फौज में डॉक्टर तथा जेलर दोनों ही पदों हेतु चुना था परन्तु उनके चाचा जी का आदेश था कि वे झांसी छोड़कर कहीं अन्यत्र नौकरी के लिये नहीं जायेंगे। अतः वे सेण्ट्रल रेलवे झांसी में नियुक्त हो गये। मेरी माताजी श्रीमती गिरजा देवी गोरी, दुवली एवं छोटे कद की थीं। पूजा-अर्चना के अतिरिक्त साफ-सुथरे आचरण एवं व्यवहार पर उनका विशेष आग्रह रहता था।

आई०पी०एस० सेवा के लिए ५ फीट ६ इंच की ऊँचाई अनिवार्य है। स्वास्थ्य परीक्षण के समय मेरी ऊँचाई ठीक ५ फीट ६ इंच पायी गयी थी। यदि थोड़ी भी कमीबेशी होती, तो मुझे अनुत्तीर्ण कर दिया जाता और मै कभी आई०पी०एस० न बन पाता। वैसे इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वर्ष १९५८ की परीक्षा में मेरा आई०पी०एस० में द्वितीय स्थान था। उसमें भी एक अजीब संयोग था कि लिखित परीक्षा में तो मुझे बहुत कम अंक प्राप्त हुये, पर साक्षात्कार में ९० प्रतिशत अंक प्राप्त हुये थे। बाद में भी कई वर्षों तक आई०पी०एस० में ९० प्रतिशत इण्टरव्यू के मेरे अंक रिकार्ड बने हुये थे। मेरा आई०पी०एस० बनना बचपन की कुछ घटनाओं से जुड़ा प्रतीत होता है। शायद नियति ने पुलिस सेवा मेरे भाग्य में पहले से ही लिख दी थी।

वर्ष १९४६ में मेरे गवर्नमेन्ट कालेज, झांसी के पास ब्रिटिश सैनिकों का एक नया कैम्प लगा था। एक दिन मुझे कालेज जाने में देरी हो गयी थी इसलिए मैने सोचा कि थोड़ी

देर कैम्प के पास रुक कर देखें कि गोरे सैनिक क्या करते है । मुझे वहां खड़ा देख एक अंग्रेज सार्जेन्ट मोटर साइकिल पर आया और मुझे डांट कर कहने लगा - 'यू ब्लाडी इण्डियन ब्वाय, वाट आर यू डूइंग हियर'? 'भारत छोड़ो' के प्रबल समर्थक का पुत्र होने के नाते तथा स्वयं वर्ष उन्नीस सौ पैंतालीस में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में छोटी उम्र में शामिल होकर जगह-जगह जुलूसों, प्रभातफेरियों एवं नुक्कड़ सभाओं में भड़कीले भाषण देने की आदत ने मुझे मजबूर कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाय पर सार्जेन्ट को जवाब देना होगा । अतः मैंने पूरे साहस के साथ उत्तर दिया कि ''माइण्ड योर लैंग्युवेज, सारजेन्ट''! सारजेन्ट तिलमिला गया और मेरे ऊपर ३.५ हार्सपावर वाली भारी फौजी वी०एस०ए० मोटर साइकिल गुस्से में आगे बढ़ाता हुआ कुचल देने का संकेत देने लगा था । तभी मै कालेज के लिए चल पड़ा था । मेरी माँ ने जब यह बात सुनी तो वे डर गयी थीं पर पिताश्री ने कोई अचरज जाहिर नहीं किया था ।

इसी प्रकार, वर्ष १९४७ में जब मै गवर्नमेन्ट इण्टरमीडिएट कालेज, झांसी का कक्षा ७ का छात्र था, अपने वड़े भाई कैलाश जी के साथ रेलवे के स्काउटिंग कैम्प में जनपद सागर, मध्य प्रदेश गया था । देर रात्रि जब कैम्प फायर समाप्त हुआ तो मै शौच के लिए सामने के मैदान की ओर दौड़ पड़ा । जमीन की सतह पर एक कुआं बना था, जिसका तीन चौथाई भाग लकड़ी के पटरों से ढका था । अन्धेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, अतः मै सीधे कुएं के अन्दर जा गिरा । कुआं गहरा था, पर पानी की सतह के पास एक सूखा टीला सा था । पानी में गिरने से वचने के लिए मै उससे चिपट गया था । मै जोर-जोर से चिल्लाया भी, लेकिन मैदान खाली होने के कारण किसी ने मेरी आवाज सुनी ही नहीं । मुझे कमरे में न पाकर मेरे वड़े भाई मुझे ढूंढने निकले । कुछ लोगों ने मुझे मैदान पर अंधेरे की तरफ भागते देखा था । अतः मेरे बड़े भाई अपने साथियों को लेकर मुझे कुएं की ओर ढूंढने गये । मेरी चीख सुनकर वे सब वहां जमा हो गये । उसी समय स्काउट मास्टर वर्मा जी व बाबू लाल जी टार्च, पेट्रोमैक्स, जाल व रस्से आदि के साथ वहां पहुंच गये थे । मुझे कुएं के अन्दर से वाहर निकाला गया पर मै शान्त था ।

धीरे-धीरे कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुलूसों एवं सभाओं में माइक पर बोलने के लिए मुझे ले जाने लगे । मैं जाता भी था । उस वक्त मुझे ''इज्म'' का कोई फर्क महसूस नहीं होता था । झांसी में बचपन बीतने के कारण मुझ पर उस समय रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्सों का, चन्द्रशेखर आजाद की वीरतापूर्ण कहानियों का, अपने पड़ोसी व रिश्तेदार बाबू वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों का, सुभद्रा कुमारी चौहान के ''खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी'' गीत का तथा अपनी बड़ी बहन स्वर्गीय डा० प्रभा सक्सेना जो एक ओजपूर्ण कवियत्री थी, का पूरा प्रभाव था ।

उत्तर प्रदेश के आई०जी० शान्ति प्रसाद जी वर्ष १९६६ में जब चम्बल वैली ऑपरेशन से सम्बन्धित १५ बटालियन पी०ए०सी० का मुआयना करने आगरा आये तो उन्हें मैने अपने बंगले पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था । इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, डी०आई०जी० के अतिरिक्त आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री रंजन, आगरा मेडिकल कालेज के सर्जरी एवं मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजदान एवं प्रोफेसर दुबे भी उपस्थित थे । व्हिस्की के दौर के बीच मैने कुएं तथा सारजेन्ट वाले वाक्‌यात सुनाये थे । आई०जी० साहब के शब्द आज भी मुझे याद हैं कि "वाई०एन०, तुझे तो पुलिस अधिकारी बनना ही था" । शायद उनके शब्द भविष्य सूचक थे क्योंकि अपने पूरे सेवाकाल में मैने सिद्धान्तों के विरुद्ध अत्यंत बड़े से बड़ा दबाव भी नहीं माना । आई०जी० इस्लाम साहब, चीफ सेक्रेटरी राज भार्गव एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री टी०एन० सिंह एवं श्री कल्याण सिंह जी की नाराजगी का खामियाजा भी इसी के चलते मुझे समय-समय पर भुगतना पड़ा । एक आई०जी० ने तो मुझे एक झूठे मामले में सी०आई०डी० द्वारा गिरफ्तार कराये जाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया पर जांच आयोग के जस्टिस ने मुझे बचा लिया । मुख्यमंत्री टी०एन० सिंह ने अलीगढ़ दंगे के सम्बन्ध में दिये गये गलत आदेशों को न मानने के कारण मुझे तथा डी०एम० को सेवा से निलम्बित तक कर दिया था, पर मुझे देवरहा बाबा एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने बचाया था । राज भार्गव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश बाद में गृह सचिव, भारत सरकार ने मेरे डी०जी० बनने में बहुत बाधाएं डाली थीं क्योंकि आई०पी०एस० संवर्ग की प्रोन्नति की उनकी पालिसी का मै विरोधी था । पर मुझे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बचाया और डी०जी० बनाया था । आई०पी०एस० एसोसिएशन की मीटिंग में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू न करने के लिए खुले शब्दों में उन्हीं के मुंह पर विरोध करने पर उन्होंने मुझे प्रदेश के डी०जी० का पदभार नहीं मिलने दिया, पर बाद में सम्भवतः आत्मग्लानि स्वरूप सेवानिवृत्त होने के बाद चार वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग, लखनऊ का माननीय सदस्य बनाया था ।

अपने कार्यकाल के कुछ पुलिस संस्मरणों को "चम्बल घाटी से नागालैण्ड तक" शीर्षक नामक पुस्तक रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ । वैसे शायद मैं यह प्रयास न करता क्योंकि अपने व्यक्तित्व को मैने कभी लेखक के रूप में देखने का प्रयास नहीं किया । यह अलग बात है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा पुलिस पत्रिकाओं में मेरे प्रकाशित लेख हमेशा पसन्द किये गये, पर १६ मई, १९९६ को मेरी प्रिय पत्नी सरला जी की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मै जीवित रहते हुये भी मृतप्राय हूँ । यद्यपि उस समय मै पुलिस महानिदेशक के पद से सेवा निवृत्त होकर यू०पी० अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ में

सदस्य पद पर कार्यरत भी था, पर पत्नी विछोह से मै अत्यंत ही व्यथित एवं घायल हुआ और आज भी हूॅं ।

यद्यपि मेरी चारों पुत्रियां, दामाद, रिश्तेदार एवं मित्र मेरे प्रति अति उदार है और मुझे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने और देखरेख में पीछे नहीं रहते, फिर भी, मेरा एकाकी जीवन बराबर निराशमय वना रहा । जीवन को इस अन्धकार से उबारने में माननीय सुब्रत राय "सहारा श्री" का मै विशेष आभारी हूॅं । उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन देकर सहारा इण्डिया परिवार से जोड़ा । मैने यहां पर प्रिन्सिपल एडवाइजर, लीगल सेल से अपना कार्य प्रारंभ किया, पर सहाराश्री ने जब अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र को, जो सम्पूर्ण भारत में फैला है और पैराबैकिंग, पत्रकारिता, एयरलाइन्स, हाउसिंग आदि कई भागों में विभक्त है, एक सूत्र में बांधा तो उन्होंने भारत की १५ जानी मानी हस्तियों को "कर्तव्य काउंसिल" का डायरेक्टर नियुक्त किया । इसमें उन्होंने अपने आप ही मुझे भी डायरेक्टर कर्तव्य काउंसिल वना दिया । अतः इस लेखन सम्बन्धी ऊर्जा संचार को मैं सरला जी तथा "सहारा श्री" की देन मानता हूॅं ।

जो कुछ मैने इस पुस्तक में लिखा है, वह सच्चाई के साथ लिखा है । मेरी स्वर्गीय पत्नी सदैव ही मुझे यह प्रेरणा देती थी कि मुझे पुलिस सेवा में रहते हमेशा सच्चाई व ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए । मेरी सबसे छोटी पुत्री अनुपम तथा उसके पति अजय सिंह, जो दोनों ही बिहार प्रदेश के आई०पी०एस० अधिकारी हैं, ने भी मुझे इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा दी, पर सर्वाधिक प्रेरणा मुझे अपनी सबसे बड़ी पुत्री रश्मि से मिली जो वर्तमान में आई०आर०एस० की एक वरिष्ठ अधिकारी है तथा लेखन में बहुत दक्ष हैं । सहारा इण्डिया के लीगल सेल में मेरे अधीनस्थ मणि वहादुर सिंह जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के वहुत ख्यातिप्राप्त अधिकारी रहे हैं, मुझे इस पुस्तक के लेखन में हर प्रकार की सहायता देकर मेरा मनोवल वढ़ाया । मै उनका अनुग्रहीत हूॅ । मै अपने ही कार्यालय के श्री पालीवाल जी का भी वहुत अनुगृहीत हूॅं, जिन्होंने अपने अतिरिक्त समय में मेरी कटी-फटी पांडुलिपि को टाइप किया और सहेजा-संवारा । राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार अशोक रजनीकर जी, मदन जोशी जी व साहित्यकार/पत्रकार योगीन्द्र द्विवेदी का भी मैं अत्यंत आभारी हूॅं, जिन्होंने मेरी पुस्तक की पाण्डुलिपि को सराहा तथा इसे सम्पादित किया ।

लिखते समय ही मैने मन वना लिया था कि पहले मैं संस्मरण लिख डालूॅंगा और पुस्तक का नामकरण वाद में करूंगा ताकि संस्मरण पुस्तक के नाम के इर्द-गिर्द न घूमने लगें । संस्मरणों के चयन में मैने इस बात पर अत्यधिक वल दिया कि पुलिस से सम्बन्धित सामग्री इसमें अधिक से अधिक शामिल हो जाय ताकि पुलिस और पाठकों के लिए यह पुस्तक अधिक व्यावहारिक ज्ञान देने वाली सिद्ध हो सके । साधारण पाठकों की रुचि वनाये रखे के लिए नियम-कानूनों की ठोस जंजीरों से भी मैने इसे नहीं बांधा ।

मैने इसमें अपने ३४ वर्षीय पुलिस सेवाकाल के चुनिन्दा मामलों जैसे कुछ कुख्यात दस्यु गिरोहों के साथ मुठभेड़ों, चम्बल घाटी के डाकू विरोधी अभियान व भिड़न्त, नृसंशतापूर्ण हत्याओं का आनन-फानन रहस्योद्घाटन, सनसनीखेज चोरी, लूट व रोड-होल्ड-अप की घटनाओं में त्वरित कार्यवाही, श्वेत वस्त्रधारी अपराधियों से संघर्ष, निर्वाचन के व्यापक प्रवन्ध तथा वी०आई०पी० व्यक्तियों के तीव्र तेवरों का सामना करने का वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस की परेशानियों, न्यायिक आयोग द्वारा की गयी जांच की उलझनों, पुलिस विद्रोहों के खतरनाक अनुभवों के साथ-साथ देश की पूर्वोत्तर सीमा नागालैण्ड, मणिपुर तथा मिजोरम के आतंकवाद विरोधी अभियान, असम के छात्र आन्दोलन, नक्सलवादियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या से उपजे जन-आक्रोश तथा इण्टरपोल द्वारा पेरिस (फ्रांस) में आयोजित पुलिस कांफ्रेंस में देश का प्रतिनिधित्व करने जैसे विषयों का भी मैंने इसमें सहज चित्रण किया है ।

आम बोलचाल की भाषा को श्रेयष्कर मानकर मैंने इस पुस्तक को लिपिबद्ध किया है । प्रेम प्रसंगों, राजनैतिक राग-द्वेष व सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को बोझिल होने से बचाने के लिए उबाऊ प्रशासनिक प्रक्रिया तथा तथ्यों को काट दिया है । पुलिस विभाग तथा प्रशासन के अन्दर व्याप्त वरिष्ठों एवं कनिष्ठों के भेदभावपूर्ण आचरण पर थोड़ी बहुत ही टिप्पणियां की है । जनता के मन में पुलिस के प्रति रहने वाली भ्रान्तियों को दूर करने का भी मैंने इसमें प्रयास किया है । जनता को सुरक्षा प्रदान करने और शान्ति का वातावरण बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को अक्सर परेशानियों एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ता है, उसका भी अनुमान कराने का भरसक प्रयास मैंने इस पुस्तक में किया है ।

मुझे न केवल आशा बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि इन संस्मरणों को पढ़ने के बाद जनता को कदाचित यह विश्वास हो सकेगा कि पुलिस की छवि धूमिल करने वाले केवल कुछ गिने-चुने अधिकारियों/कर्मचारियों के क्रिया-कलाप से जनता को पुलिस सेवा का आंकलन नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छे पुलिस अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाते रहने में उन्हें अपना पूर्ण योगदान भी देना चाहिए । बिना जन सहयोग के अच्छे एवं कर्मठ पुलिस अधिकारी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते । इस दिशा में मेरी यह संस्मरण-पुस्तक थोड़ा भी सहयोग दे सकी तो मैं अपना प्रयास सार्थक मानूँगा ।

७ अक्तूबर १९९९
लखनऊ

योगेन्द्र नारायण सक्सेना
(से नि.) पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

विषय-अनुक्रम

१

डाकुओं का गढ़ शाहजहांपुर

वर्ष १९६१ ।

मैं भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनिंग समाप्त कर चुका था । मेरी पहली पोस्टिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर शाहजहांपुर में हुई । शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही पिछड़ा जिला माना जाता था । वह एक बहुत पुराना शहर था जहां का बाजार छोटा और बहुत साधारण ढंग का था । सड़कें टूटी-फूटी और कच्ची थीं । नदी-नाले बहुत थे लकिन उन पर पुल नहीं थे । हमें न केवल पुलिस थानों में पहुंचने में बहुत समय लगता था बल्कि वारदात के मौके पर भी कभी-कभी पूरा दिन लग जाता था । कई बार ऐसा होता कि हम जीप से नदी-नाले पार नहीं कर पाते थे और हमें हाथियों पर बैठर उन्हें पार करना पड़ता था । उस समय शाहजहांपुर जिला डकैती-हत्या और लूट-मार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मशहूर था । अपराधी इतने दुर्दांत थे कि पुलिस के लिए भयमुक्त होकर काम करना बहुत ही मुश्किल था ।

उन दिनों शाहजहांपुर जनपद में डाकू बशीरा और गिरन्द सिंह के कुख्यात गिरोह भी आम जनता के बीच आतंक का पर्याय बने हुए थे । इसके अलावा वर्तमान में निकटवर्ती जिलों पीलीभीत, खीरी, हरदोई, फरूखाबाद आदि में जदुवीर सिंह, श्याम सिंह, सूबे सिंह और शेर सिंह के खूंखार गिरोह भीषण आतंक फैलाये हुए थे । डाकुओं के इन सभी गिरोहों का वारदात करने का तरीका अलग-अलग था । डाकू श्याम सिंह डकैती के समय हाथी पर सवार होकर अपने गिरोह का नेतृत्व स्वयं करता था । सूबे सिंह का गिरोह जल्लादों को भी मात देता था और शेर सिंह का गिरोह घटना स्थन पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग कर लोंगों को भयभीत कर देता था ।

शाहजहांपुर में मेरे पहले पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गोयल थे । अनुभवी, शालीन, जनप्रिय एवं कार्यदक्ष अधिकारी होने के साथ-साथ श्री गोयल बहुत ही विनोदी स्वभाव के भी थे। मुझे मात्र तीन महीने उनके साथ रहने का मौका मिला । लेकिन उस दौरान मैंने उनसे धारा-७ पुलिस एक्ट पर कार्यवाही करने का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था । उनके स्थानान्तरण के बाद श्री मणिक लाल खरे पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुये । स्वभाव से कठोर, अनुशासित एवं नियंत्रण रखने के लिए पुलिस फोर्स में मशहूर थे । पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी प्राय: उनके पास जाने में कतराते और घबराते थे । परन्तु वह एक सच्चरित्र अधिकारी थे । थानों के निरीक्षण पर वह बहुत कम जाते थे । परन्तु जब जाते थे तो एक भूचाल सा खड़ा कर देते थे । इन गिरोहों के आतंक की जानकारी जब प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक शान्ति प्रसाद जी को हुई, तो उन्होने पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे को बहुत ही रुष्ट होकर एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि वह तुरन्त ए०एस०पी० वाई०एन० सक्सेना अर्थात मेरे नेतृत्व में डाकू गिरोहों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर डकैती की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करें ।

तदनुसार मुझे डाकू विरोधी अभियान की बागडोर थमा दी गयी । अपने सर्किल मे तो इस कार्य को करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई । परन्तु अन्य सर्किलों में डकैती विरोधी अभियान चलाना कुछ कठिन सा लगा, वहां पर तैनात सर्वश्री मेहरबान सिंह, एस. वी.एस. राठी, जे०पी० वर्मा तथा वाई० एन० वर्मा जैसे पुराने कार्य कुशल अनुभवी पुलिस उपाधीक्षकों की तुलना में मै एकदम नौसिखिया था । परन्तु डकैती विरोधी अभियान चलाने का प्रदेश के आई०जी० का आदेश मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था । अतः मैंने मन बना लिया कि मै पूरी निष्ठा, लगन तथा निर्भीकता से उसका पालन करूंगा । मेरे सर्किल इन्सपेक्टर एस०पी० चन्दोला थे । वह एक बहुत अच्छे, कार्यकुशल एवं साहसी पुलिस अधिकारी थे । उनकी राय पर सबसे पहले मैने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई । पीलीभीत से श्री आई०पी० भटनागर, डी०एस०पी० तथा खीरी से श्री नाथूलाल, ए०एस०पी० उसमें शामिल हुये । मीटिंग में हमने गिरोहों की गतिविधियो, उनके अस्त्र-शस्त्रों तथा यातायात के साधनों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की । इन गिरोहों द्वारा डाली गयी डकैतियों का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात गैग चार्ट बनाये गये, जिनमें गिरोहों के सदस्यों के नाम, पते, रिश्तेदारियां, पनाह देने वालों के नाम-पते, अपराध की कार्यशैली, गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी, न्यायालय से जमानत पर छूटना, जमानतदारों के नाम-पतों, गिरोह के सदस्यों की फरारी, न्यायालय से सजा पाना या मुक्त हो जाना आदि सूचनाएं अंकित थीं ।

मैं जानता था कि इस अभियान की सारी कार्यवाही मुझे अपने उत्तरदायित्व पर ही

करनी होगी । पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे से इस विषय में कुछ पूछने या राय लेने का अर्थ था उन्हें अकारण उत्तेजित कर देना । पुलिस उपाधीक्षक राठी चूंकि मेरी नव-नियुक्ति एवं कठनाईयों से परिचित थे, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वह हमेशा मेरी सहायता के लिए तैयार रहते थे । श्री जे०पी० शर्मा पूर्व में प्रॉजिक्यूटिंग ऑफिसर एवं वाईस प्रिन्सिपल, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद रहे होने के कारण लिखा-पढ़ी एवं कानूनी मामलों में बड़े सहायक थे ।

ईश्वर की कृपा तथा मेरे दृढ़ प्रयासों से डाकू विरोधी अभियान में तत्काल सफलता मिलनी शुरू हो गयी । मै चन्दोला जी के साथ प्रायः अपने सर्किल के घटना स्थलों पर निकल जाया करता था । इस तरह धीरे-धीरे मुझे लगभग सभी घटनास्थलों का परिचय मिल गया । डाकुओं के आंतक से वहां के निवासियों की नींद हराम हो चुकी थी । १९६२ में थाना बण्डा क्षेत्र में सूबे सिंह गिरोह द्वारा डाली गयी एक डकैती ने तो मुझे दुःख व ग्लानि से भर दिया । इस मामले को धारा-३९५/३९६ आई०पी०सी० के तहत दर्ज किया गया था तथा इसकी स्पेशल रिपोर्ट एक लाल लिफाफे में बन्द करके तुरन्त मेरे पास भेज दी गयी थी । इस रिपोर्ट में भीषण डकैती के साथ-साथ दुराचार किये जाने तथा एक बूढ़ी स्त्री को जला कर मार डालने की क्रूर घटना का विवरण था । मेरे लिए यह बड़ी गम्भीर घटना थी । मैं इन्सपेक्टर चन्दोला व दो बन्दूकधारी सिपाहियों को साथ लेकर तुरन्त घटनास्थल की ओर रवाना हो गया । उस समय मेरे पास लैण्डरोवर जीप थी । सड़कें कच्ची थीं और गन्ने से लदी बैलगाड़ियों की आवाजाही के कारण उस पर गहरी लकीरें बन गयी थीं । ऐसे में ड्राइवर को जीप चलाने में मुश्किल हो रही थी । हर समय भय लगा रहता था कि कहीं जीप उलट न जाय । रास्ते में जब जीप फंस जाती थी तो हम लोगों को धक्का देकर उसे निकालना पड़ता था ।

हम लोग जब घटना स्थल पर पहुंचे तो थानाध्यक्ष बण्डा श्री त्यागी अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे । घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात जब हमने वादी, उसके परिवार तथा गांव के निवासियों से बातचीत की तो पता चला कि जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था डाकू सूबे सिंह के गिरोह ने उसे घेर लिया और लूटने की नियत से एक धनाढ्य बनिये के घर पर आक्रमण कर दिया । बन्दूक की नोंक पर परिवार वालों को छिपे हुये धन का स्थान बताने के लिए बाध्य किया । गोली से उड़ा देने की गर्जना सुन घर के लोग बेहोश होकर गिर पड़े । निर्दयी सूबे सिंह की क्रूरता का जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसने एक व्यक्ति को गोली से भून डाला और चिल्लाकर साथियों को आदेश दिया कि घर की उस बूढ़ी स्त्री को आग पर झुलसा दो तभी तिजोरी की चाबी प्राप्त हो सकेगी । उसके आदेश पर उसके साथियों ने आंगन में रखी लकड़ियों पर लालटेन से

मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और बूढ़ी स्त्री के हाथ-पैर पकड़ झुला-झुलाकर उसकी पीठ को जलती आग पर जला डाला। जब हम वहां पहुंचे तो वह एक कमरे में खाट पर बेहोश पड़ी थी और उसका शरीर चादर से ढका हुआ था। जलने के कारण उसके शरीर की खाल कई स्थानों पर छिल गयी थी और उस पर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। मैंने सबसे पहले उसे तुरन्त एक बैलगाड़ी से उपचार के लिए भिजवाया। घटनास्थल पर हम लोग एक घण्टा रुके। इस दौरान डाकुओं के सफाये के लिए विचार-विमर्श करने के साथ-साथ थानाध्यक्ष बण्डा को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के लिए समझाते भी रहे। थानाध्यक्ष त्यागी जी ने मुझसे अनुरोध किया कि त्वरित कार्यवाही हेतु उन्हें अविलम्ब एक टुकड़ी पी.ए.सी. उपलब्ध करा दी जाय। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी कर दी जायेगी। इस बीच गांव के लोग कण्डे की आंच पर हांडी में पका हुआ मटमैले रंग का मलाईदार दूध हम लोगों के पीने के लिए ले आये थे। यद्यपि उस समय हम सभी लोग भूखे थे परन्तु घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन गांव वालों के लगातार आग्रह पर हम लोगों को उनका लाया हुआ दूध पीना पड़ा।

मुझे जली हुई बुढ़िया की चिन्ता लगी थी। अतः घटनास्थल की कार्यवाही समाप्त कर हम लोग उसे देखने सीधे अस्पताल पहुंचे। बुढ़िया को गांव वाले बिना इलाज वापस ले जा रहे थे। कारण पूछने पर उन्होने बताया कि अस्पताल के डाक्टर साहब इलाज के लिए १०० रुपया मांग रहे है, जिसे देने मे वे असमर्थ थे। मैंने उन्हें वहीं रुकने को कहा और चन्दोला जी के साथ अस्पताल के अन्दर गया। अस्पताल के अहाते में पूरी बांह का रंगीन स्वेटर पहने एक नौजवान खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वही इस अस्पताल का डाक्टर है? जब उसने 'हां' कहा तो मैंने अपना नाम व पद बताकर पूछा कि डकैती की घटना में पूरी तरह घायल और जली बुढ़िया का इलाज क्यों नहीं किया गया। डाक्टर ने बड़े उपेक्षित भाव से उत्तर दिया कि उसे लाने वाले लोग ही उसका इलाज नहीं करवाना चाहते है, तो मै क्या कर सकता हूँ? मैंने डाक्टर से पुनः प्रश्न किया कि यदि गांव वालों को बुढ़िया का इलाज न कराना होता तो वह उसे ऐसी दशा में बैलगाड़ी पर क्यों लाते ? परन्तु डाक्टर ने मेरी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, यह सब उसे बताने की जरूरत नही है। उसका उत्तर सुनकर मै आपे से बाहर हो गया। मैंने उससे पूछा यदि वह बुढ़िया उसकी माँ होती, तब भी क्या उससे ऐसा ही व्यवहार करते। फिर डाक्टर को डांटते हुये कहा कि जब हथकड़ी लगा थाने तक घसीट कर ले जाया जायेगा, तब उसे पता चलेगा कि गरीबों और पीड़ितों से पैसा मांगना और उन्हें सताना क्या होता है। इतना सुनते ही वह डर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। इस पर हालांकि मैंने उसे छोड़ तो दिया

पर मन में विचार आ रहा था कि गांव वालों से उक्त तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना-पत्र लेकर अपनी आख्या सहित उत्तर प्रदेश शासन को भेज दूं कि डाक्टर को निलम्बित कर उसकी जांच सी.आई.डी. अथवा सतर्कता विभाग से कराई जाय। खैर फिर अपने सामने बुढ़िया की ड्रेसिंग करवाने, उसके शरीर पर दवा लगवाने तथा पूर्ण उपचार के पश्चात उसे गांव वापस भिजवाकर ही हम लोग अस्पताल से हटे।

करीब ११ बजे रात्रि में हम लोग थाना बण्डा पहुंचे। थानाध्यक्ष त्यागी जी ने हम लोगों को एक-एक कप गर्म चाय पिलायी। थाना जंगल में होने के कारण उस थाने का कोई कर्मचारी अपना परिवार अपने साथ नहीं रखता था। उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कुछ देर थाने पर रुकने के पश्चात हम लोग मुख्यालय के लिए प्रस्थान कर गये। लगभग ११.३० बजे रात्रि का समय था। रात अन्धेरी थी। सड़क कच्ची होने के कारण हम लोगों को जीप खेतों से होकर निकालनी पड़ रही थी। रास्ते में एक स्थान पर पानी भरा हुआ था। अन्धेरे में ड्राइवर अन्दाज नहीं लगा सका कि पानी कितना गहरा था। अतः उसने उसी पानी से होकर जीप आगे निकालने का प्रयास किया। परन्तु पानी गहरा होने के कारण जीप का इन्जन बीच ही में बन्द हो गया और जीप फंस गयी। हम लोगों के अनेक प्रयासों के बावजूद जीप बाहर नहीं निकल रही थी। कड़ाके की सर्दी थी और हमारे कपड़े भी भीग गये थे। भूख के कारण पेट में चूहे दौड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। पास ही गन्ने के खेत थे। हमें धीरज बंधाते इन्सपेक्टर चन्दोला खेतों से गन्ने तोड़कर जीप के पहियों के नीचे डालते गये ताकि जीप बाहर निकल सके। लेकिन उनकी भरपूर कोशिशों के बाद भी जीप टस से मस नहीं हो रही थी। रात के तीन बज चुके थे। हम लोग बेबस होकर परेशान थे। तभी एक ट्रक रास्ते पर आता हुआ दिखाई पड़ा। चन्दोला जी ने हाथ देकर ट्रक को रोका और उसके ड्राइवर से जीप बाहर निकालने के लिए सहायता मांगी। ट्रक के ड्राइवर सरदार जी थे। उन्हें हमारी समस्या ज्ञात हुई तो बोले "क्यों नहीं बादशाहों, हुणे गड्डी बाहर आ जान्दी है।" वह जाकर जीप के स्टीयरिंग पर बैठ गए और नारा लगाया "वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दा फतेह"। फिर स्पेशल गेयर लगाकर पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। जीप एक झटके से पानी से बाहर आ गयी। जीप से निकलकर उन्होंने कहा "लो बादशाहों, ऐश करो"। हम लोग सरदार जी को धन्यवाद देते हुये आगे बढ़े और लगभग ५ बजे सुबह मुख्यालय स्थित अपने निवास पर पंहुचे। पत्नी सरला मेरी प्रतीक्षा में रात भर खाना लिये बैठी रही थीं। खुद भी भोजन नहीं किया था। क्योंकि वह प्रायः मेरे साथ ही भोजन किया करती थीं। प्रतीक्षा के कारण उन्हें नींद [illegible] थी और सारी रात जागती ही रही थीं।

माउण्ट आबू [illegible] के पश्चात वह पहला अवसर था, जब [illegible]

मेरे साथ रहने के लिए आ पायी थीं । अकेला होने के कारण उन्हें बहुत डर लग रहा था। साथ ही साथ मेरे लिए बहुत चिंतित थी । उनके लिए पहली घटना होने के कारण उन्हें यह भी ध्यान नहीं आया कि मेरे किसी साथी अधिकारी को फोन कर मेरे विषय में जानकारी प्राप्त कर लेती । मै अपने निवास पर पहुंचा तो जीप की आवाज सुनकर बहुत घबराई हुई सी मेरे पास पहुंची । मुझे सकुशल देख उनकी जान में जान आयी । गरम पानी से मुंह-हाथ धोकर बैठा ही था कि अपनी मधुर एवं संकोच भरी मृदु मुस्कान से उन्होंने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया । यद्यपि वह भोजन करने का समय नहीं था, लेकिन मै उनके प्यार भरे आग्रह को टाल नहीं सका ।

सूबे सिंह के गिरोह से मुठभेड़ का प्रयास मै लगातार करता रहा, परन्तु गैग से आमने-सामने की मुठभेड़ नहीं हो सकी । लगातार दबिश के कारण गिरोह के अधिकतर सदस्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके थे । गैग लीडर सूबे सिंह भी एक मुठभेड़ में पुलिस की गोलियां से घायल हो चुका था । इसके बाद वह शाहजहांपुर से एकदम अदृश्य हो गया था । इस प्रकार अपने अथक प्रयासों से सूबे सिंह के खूंखार गिरोह का सफाया करने में मुझे सफलता मिली और शाहजहांपुर तथा उसके आस-पास के जनपदों में उसका आतंक समाप्त हो सका । प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक शान्ति प्रसाद जी को सूबे सिंह गिरोह की समाप्ति पर बहुत प्रसन्नता हुई ।

सड़कों पर अपराध एवं वाहन तेज चलाने से होने वाली मृत्यु की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं । इस समस्या की रोक-थाम पर विचार-विमर्श के लिए आई. जी. की अध्यक्षता मे उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग आहूत की गई थी । इसमें सभी रेंज के डी. आई. जी. के साथ-साथ प्रत्येक रेंज के दो पुलिस अधीक्षकों को भी बुलाया गया था । सभी अधिकारियों ने अपने-अपने अनुभवों के साथ-साथ तथ्य और आंकड़े मीटिंग में रखे । मै भी उस मीटिंग में उपस्थित था । बातचीत का निष्कर्ष यह निकला कि चूंकि अधिकतर ड्राईवर सरदार होते है और लम्बी यात्रा करने के लिए वह शराब पीकर अन्धाधुंध गाड़ी चलाते है, जिसके कारण अधिकांश हिट एण्ड मिस दुर्घटनाएं होती हैं। अतः 'रैश ड्राइविंग'' के विरुद्ध अभियान चलाया जाए और सरदार ड्राइवरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय । जब यह निर्णय लिया जा रहा था तो मैंने अपनी जीप पानी में फंस जाने वाली घटना का वर्णन करते हुए कहा कि उस वक्त एक सरदार ड्राईवर ने ही हमें मुश्किल से उबारा था इसलिए उनके प्रति कठोर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मौके पर वही पुलिस के काम आते है । मेरी बात सुनकर मीटिंग में उपस्थित सभी अधिकारीगण ठहाका लगाकर हंस पड़े । शान्ति प्रसाद जी लहीम-सहीम होने के साथ-साथ ठहाके लगाने के आदी थे । सो मेरी बात पर उनके ठहाकों से हाल गूँज उठा । हंसी थम जाने के बाद वह रस लेकर

बोले "भाई, सक्सेना की बात को भी ध्यान में जरूर रखा जाय, हम उनसे सहमत हैं" ।

आई०जी० साहब के जोर से बोलने और हंसने का मैं एक और प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ । यह प्रसंग श्री वी०के० जैन, डी०जी०पी० (सेवानिवृत्त) प्रायः सुनाया करते थे । श्री जैन का कहना था कि उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी ए०टू० आई०जी० के पद पर आई०जी० ऑफिस में हुई थी । वह अक्सर श्री शान्ति प्रसाद जी के रौबीले व्यक्तित्व, दबंग आवाज तथा जोरदार ठहाकों से सहम जाते थे । एक बार किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने श्री जैन से पूछा कि उक्त पद पर नियुक्ति से उन्हें क्या अनुभव हुआ है? आई०जी० साहव तो प्रकाण्ड विद्वान एवं तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी है । तो श्री जैन ने उत्तर दिया था-"सर, यहां काम करने और सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, मजा भी आता है । परन्तु दो शेरों के वीच में हूँ इसलिए प्रायः परेशानी रहती है" । तब वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि भाई ये दो शेर कौन हैं? श्री जैन का उत्तर था आई०जी० ऑफिस लखनऊ चिड़ियाघर के ठीक पीछे वना है, पहला शेर तो वहां है जिसकी दहाड़ दिन भर कानों में आती रहती है । दूसरा है आई०जी० शान्ति प्रसाद जी की डांट जव वह किसी को डांटते है, तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है । इस पर वरिष्ठ अधिकारी हँस-हँसकर लोट-पोट हो गए थे और भविष्य के लिए यह अनायास ही एक मजाक का मुद्दा बन गया था ।

उस समय शाहजहांपुर में दूसरा खूखांर गैग डाकू शेरसिंह का था । वह युवा डाकू हाईस्कूल परीक्षा में फेल हो जाने के बाद तत्कालीन कुख्यात डाकू सरदार गिरन्द सिंह का साथी बन गया था । रिश्ते में वह गिरन्द सिंह का भांजा था और बचपन में ही बन्दूक का अचूक निशाना लगाने में पारंगत हो गया था । गिरन्द सिंह का भांजा होने के कारण गिरोह में उसका प्रभुत्व था । पेरशानी केवल इतनी थी कि वह गांव की ही एक ब्राह्मण कन्या ओमवती के प्रेम जाल में फंसा हुआ था । गिरोह के अन्य सदस्यों को डर था कि यह प्रेम प्रसंग जी का जंजाल न वन जाए । उन्हें लगता था कि शेरसिंह की प्रेमिका कहीं गैग की स्थिति की जानकारी किसी और को न दे दे । ऐसा हो गया तो गैग के सारे सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे जाएंगे । इसलिए वह शेरसिंह का विरोध करते थे । हालांकि वे यह भी जानते थे कि शेरसिंह की बहादुरी एवं अचूक निशानेवाजी ने गिरोह की ताकत में चार चांद लगा दिये थे । अपनी अचूक निशानेबाजी एवं क्रूरता के कारण वह साधारण जनता एवं पुलिस के बीच आतंक बन चुका था ।

कुछ दिनों के वाद डाकू शेरसिंह गिरोह का विधिवत लीडर बन गया । लीडर वनते ही उसने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी और सिर्फ एक माह की अवधि में शाहजहांपुर, खीरी एवं पीलीभीत में दर्जनों डकैतियां डालीं । अधिकतर डकैतियों में सम्पत्ति

लूटने के साथ-साथ किसी न किसी व्यक्ति को अपनी गोली का निशाना बना देना उसका जैसे स्वभाव वन गया था । धारा-३९६ अर्न्तगत भा.द.वि. के विभिन्न थाने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते-लिखते परेशान हो गये थे । परन्तु घटनाओं की विवेचनाओं का परिणाम शून्य ही रहा । इस गैग को सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए मै सर्किल इन्सपेक्टर एस०पी० चन्दोला के साथ प्रयत्नशील था । लेकिन मुश्किल यह थी कि गिरोह घरों में न रहकर गन्ने के खेतों मे रहा करता था । जनपद शाहजहापुर मीलों तक गन्ने की सघन फसल के लिए प्रसिद्ध है । अतः सिर्फ मुखविरी करवाकर लक्ष्य तक पहुंचना मुझे बहुत कठिन लगता था । मुखविरों से ज्ञात हुआ कि अपने गिरोह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेने के बाद शेरसिंह ने मनमाने ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया था। गिरोह के कुछ सदस्य उसके इन क्रिया-कलापों का विरोध करते थे । इसके बावजूद एक दिन शेरसिंह अपनी प्रेमिका ओमवती को गांव से बन्दूक की नोंक पर उठा लाया । उसके आदेश पर गन्ने के खेत के अन्दर १० फीट X १० फीट क्षेत्र का एक स्थान साफ-सफाई और समतल कर उस पर दरियां-कालीन बिछाकर तकिये लगा दिये गये ताकि अपनी प्रेमिका के साथ वहां रह सके । सुरक्षा के लिए उसने गिरोह के दो बन्दूकधारियों को वदल-वदलकर २४ घटे की ड्यूटी पर लगा दिया था । उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि वे केवल पुलिस आने पर ही उसे सूचना देंगें अन्यथा उसकी शान्ति में कोई बाधक नहीं होगा ।

एक दिन दोपहर का खाना खाने के पश्चात मै विश्राम कर रहा था कि अर्दली ने आकर सूचना दी, इन्सपेक्टर चन्दोला कुछ आदमियो के साथ मुझसे मिलने आये है । मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में वैठाने के लिए कह दिया । चन्दोला जी ने मुझे बताया कि शेरसिंह गैग के दो सदस्य टूट गये है । उन्हे मुखबिर बनाकर गैग का शीघ्र सफाया किया जा सकता है । मैने पूछा गैग के सदस्य मुखबिर बनने के लिए कैसे तैयार हुए? तो चन्दोला जी ने बताया कि शेरसिंह व ओमवती के प्रेम प्रसंग तथा उसकी मनमानी से आजिज आ कर वे मुखविर वनने को वाध्य हुए है । दोनों शेरसिंह की आज्ञा से शहर में शराब, १२ वोर बन्दूक तथा रिवाल्वर के कारतूस इस समय खरीदते हैं । चन्दोला जी का प्रस्ताव था कि उन्हें चार वोतल रम दे दी जाय और उसमें नींद लाने वाली गोलियां मिला दी जाये । नींद की गोली वाली शराब पीने से गैग लीडर शेरसिंह तथा उसके अन्य सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह मुठभेड़ में पुलिस के अनुकूल सिद्ध होगा । वह १२ वोर वन्दूक की कुछ गोलियां भी उन्हें दे देंगें । चन्दोला जी के प्रस्ताव पर सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर मैंने गैंग के दोनों सदस्यों से कुछ औपचारिक बातें भी कीं । मैने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने यदि शेरसिंह के गैग को सदैव के लिए समाप्त करवा देने में हमारी सहायता की तो भविष्य में उन्हें जो भी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति करायी जायेगी । दोनों ही व्यक्ति

देखने से डरावने प्रतीत होते थे । उनकी बड़ी-बड़ी मूछें और दाढ़ियां भयानक लग रही थीं । मेरी पत्नी सरला ने भी उन्हें कमरे के शीशे से झांककर देखा था । जब मै कमरे के अन्दर गया तो उन्हें बेचैन पाया । मैंने उन्हें सान्त्वना दी कि अपराध निराकरण हेतु मुझे प्रत्येक स्तर के आदमियों से मिलना पड़ता है । वह कुछ बोली नहीं लेकिन मै उनके मन के भाव को अच्छी तरह समझ गया था । उनका विचार था कि अपराधियों को निवास पर न आने दिया जाय । अतः मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा तब जाकर वह आश्वस्त हुई । क्योंकि वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता की बेटी थी, इसलिए उन्हें अपराध जगत के बारे में बहुत कुछ मालूम था । मैंने भी उन्हें अपराध-जगत और उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के विषय में समझा-बुझाकर निर्भय करने का प्रयास किया ।

अगले दिन सुबह इन्सपेक्टर चन्दोला मुझसे मिलने आये । वह उदास दिखायी दे रहे थे । कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि गैग के दोनों सदस्य जब शराब की बोतलें और कारतूस लेकर शेरसिंह के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बाहर ही खड़े रहने का आदेश दिया । उस समय वह अपनी प्रेयसी ओमवती के बाहुपाश में था । कुछ क्षणों पश्चात बाहर आकर उसने अपने दोनों साथियों का साष्टांग दण्डवत स्वीकार किया । उन्होंने शेरसिंह को बताया कि वे चार बोतल अंग्रेजी शराब और २० कारतूस लाये हैं । शेरसिंह ने डांटकर पूछा अपनी-अपनी माँ की सौगन्ध खाकर बताओ क्या पुलिस के कुत्तों के पास गये थे? अपने लीडर की इच्छा अनुसार उन दोनों ने माँ की सौगन्ध खाई और विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे इतना घटिया कार्य नहीं कर सकते और थैले से शराब की चार बोतलें निकालकर उसके सामने रख दी । शेरसिंह ने आदेश दिया एक बोतल खोलकर पहले वे शराब पियें । तुरन्त एक बोतल खोली गयी । परन्तु उन्होंने पी नहीं । बाद में सुनने में आया कि शेरसिंह ने अपनी बन्दूक से दोनों पर फायरिंग की और वे दोनों हमेशा के लिए बेकार हो गये । देखते-देखते पुलिस के दो मुखबिर बर्बाद हो गये । सूचना मिलने पर पुलिस ने गन्ने के खेत पर रेड डाला, पर तब तक गैग वहां से हट चुका था ।

मैंने थाना खुटार तथा पुवायां के गन्ने के खेतों में १० दिनों तक लगातार खोज करवायी परन्तु डाकुओं के गैंग का कोई निशान नहीं मिला । शेरसिंह के विपय में सुना गया कि गैंग के सदस्यों ने उसे जान से मार कर उसकी लाश गायब कर दी, गैंग द्वारा बेइज्जत किए जाने पर उसकी प्रेयसी [illegible] ली मारकर आत्महत्या कर ली । लगातार प्रयास और अथक परिश्रम के [illegible] शेरसिंह तो खत्म हो गया, पर उसका गैग बच गया था । शेरसिंह [illegible] । के साथ बाद में मुझे दो बार मुठभेड़ पड़ी ।

३० मार्च, १९६२ की बात है। मै भोजनोपरान्त विश्राम कर रहा था। मेरी पत्नी सरला अपने मायके कानपुर से काफी समय बाद लौटी थी। अतः मैं आनन्द विभोर होकर कब सो गया पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मेरे अर्दली गर्जन सिंह ने मुझे जगाकर बताया कि इन्सपेक्टर चन्दोला जी किसी जरूरी काम से मिलना चाहते है। इन्सपेक्टर एस०पी० चन्दोला के साथ थानाध्यक्ष सिंधौली प्रेमशंकर सक्सेना भी आये थे। ड्राइंग रूम में आते ही उन दोनों ने तुरन्त उठकर मेरा अभिवादन किया और बेवक्त आने के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि वे शेरसिंह के पुराने साथियों को लाये हैं, जो मुखबिर बनकर गिरोह के शेष डाकुओं की पुलिस से मुठभेड़ कराकर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करवा देना चाहते है। शेरसिंह की मृत्यु के पश्चात चेतराम प्रधान और उसका साथी नाथू गिरोह के लीडर बन गये थे। उनके साथ २२ अन्य सदस्य थे जो हमेशा बन्दूक और कारतूसों से लैस रहते थे। गैंग के पास एक माऊजर रायफल भी थी। गैंग पहली अप्रैल की अर्ध रात्रि में ग्राम सिंथौरा स्थित थाना सिंधौली के प्रधान के घर डकैती डालने की योजना बना चुका था। दोनों मुखबिरों से मिलकर मैंने पूछा कि अपने ही गैंग के खिलाफ वह मुखबिरी क्यों कर रहे है। उनका उत्तर था कि वर्तमान गैग लीडर चेतराम प्रधान व नाथू ने उनके लीडर शेरसिंह को मारकर गैग पर अपना अधिकार तो जमा लिया पर वे उन्हें अपना लीडर मानने को तैयार नहीं हैं। अतः वे पुलिस की मदद से उक्त गैग को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते है। साथ ही साथ पुरस्कार स्वरूप कत्ल के मुकदमों में अपने को बरी करवाने के लिए पुलिस की सहायता चाहते है। उन दोनों मुखबिर डाकुओं के विरुद्ध पुलिस एक कत्ल के केस के तहत न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी थी। वे इस केस से छुटकारा पाना चाहते थे। उनकी बातों से मुझे विश्वास हो गया कि वे शेरसिह के शेष गैग से मुठभेड़ करा सकते है। मैंने सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला जी से पूरी योजना बनाने तथा मुठभेड़ के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने को कहा।

अगले दिन सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला जी एवं थानाध्यक्ष सिंधौली प्रेमशंकर सक्सेना मुखबिरों के साथ सादे कपड़ों में ग्राम सिंथौरा जाकर ग्राम प्रधान का घर देख आये। सिंथौरा के ग्राम प्रधान के घर पहुंचने के लिए डाकुओं को नहर पार करना आवश्यक था। नहर को जगह-जगह मजबूत पिलर खड़े कर ऊँचा उठा दिया गया था ताकि नहर में कभी बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाने के कारण यदि नहर टूटने का भय हो, तो पिलर के नीचे पुलिया के पास बने स्लूस गेट खोलकर पानी बाहर बहाया जा सके। डाकुओं के गैग को जिस पुलिया के नीचे से होकर प्रधान के घर जाना था, उसमें घुटने-घुटने तक पानी भरा था और गांव के लोग आवागमन के लिए उसी स्थान से नहर पार करते थे। चन्दोला जी ने उसी पुलिया

के पास मुठभेड़ का स्थान चुना । अपनी योजना के अनुसार उन्होंने पुलिस फोर्स को दो पार्टियों में बांटा । आधी फोर्स पुलिया के इस ओर तथा आधी नहर के पार पुलिया के दूसरी ओर लगाना तय किया । पुलिया के दूसरी ओर लगायी जाने वाली फोर्स का नेतृत्व मुझे और पुलिया की ओर जाने वाली फोर्स का नेतृत्व श्री चन्दोला जी को करना था ।

मैंने मुठभेड़ करने की सूचना उसी दिन शाम को अपने पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे को दे दी और उनकी मौखिक आज्ञा पर कोतवाली एवं सदर थानों से ४० सिपाही तथा थाना सदर के थानाध्यक्ष श्री सईदउद्दीन को मुठभेड़ में अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया । सर्किल इन्सपेक्टर श्री चन्दोला पुलिस फोर्स को ट्रक में नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि गांव के लोगों द्वारा उन्हें पहचान लिए जाने की स्थिति में तरह-तरह की अफवाहें फैल सकती थीं । वह अपने एक शिकारी मित्र अहमद साहब को जिनके पास बन्दूक, ट्रक एवं सर्चलाइट थी मुठभेड़ में अपने साथ ले जाना चाहते थे और पुलिस कर्मचारियों को ले जाने के लिए उनका ट्रक प्रयोग करना चाहते थे । शहर के रईस शिकारी अहमद साहब को मैं जानता था । मैं उनके साथ खीरी के जंगलों में कई बार शिकार खेल चुका था । चन्दोला जी के प्रस्ताव पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । अहमद साहब शिकारी वेश-भूषा में निश्चित समय पर अपनी बन्दूक, सर्चलाइट तथा ट्रक के साथ थाना सदर पहुंच गये और चन्दोला जी के साथ मेरे बंगले पर आये । चूंकि यह कोई नहीं बता सकता था कि अगली प्याली कब नसीब होगी इसलिए । मेरे अर्दली फेंकू राम ने रवाना होने से पहले सबको चाय पिलाई । रवाना होते समय पत्नी सरला का हंसता हुआ चेहरा तथा बेटे रंजन की तोतली बातें अनायास ही मेरी आखों के सामने घूम गयीं ।

हम लोग पुलिस फोर्स के साथ पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचे । थानाध्यक्ष सिंधौली श्री प्रेमशंकर अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे । करीब ९ बजे रात का समय होगा । हमने अपनी गाड़ियों को एक मील पहले ही छोड़ दिया था और सिंथौरा गांव के पास नहर की पुलिया तक खामोशी से पैदल ही पहुंचे थे । गाड़ियों के ड्राइवरों को निर्देश दे दिया गया था कि फायरिंग की आवाज सुनते ही वे शीघ्रातिशीघ्र नहर की पुलिया के पास पहुंच कर अपनी-अपनी गाड़ियों की लाइटों को जलाकर तेज रोशनी फेकेंगे तथा सर्चलाइट का भी उपयोग करेंगे । रात्रि के घोर अन्धेरे और सन्नाटे में पुलिया के दोनों तरफ पुलिस फोर्स लगा दी गयी ।

नहर की पुलिया ८० फीट चौड़ी थी । उसकी पट्टी के आस-पास कोई पेड़-पौधे भी नहीं थे । इसलिए हम लोगों को केवल लाईग पोजिशन में ही अन्धेरे की आड़ मिल रही थी । पोजीशन लेने और अपने को छिपाये रखने के लिए तब हमने नहर के किनारे बने गड्ढों का सहारा लिया । पुलिस फोर्स को पहले ही हिदायत दे दी गयी थी कि कोई

भी आवाज नही करेगा, बीड़ी-सिगरेट नहीं पियेगा और अपने तथा अपने हथियारों को पूर्णरूप से छिपाकर सतर्क रहेगा । जैसे ही डाकुओं का गिरोह पुलिया के नीचे से पानी में होता हुआ गांव की ओर निकलेगा, सर्किल इन्सपेक्टर चंदोला फायरिंग करेंगे । उसके बाद अन्य पुलिसकर्मी भी डाकुओं के ऊपर फायरिंग प्रारम्भ कर देंगे । पुलिया के दोनों सिरों पर नियुक्त आर्म्ड पुलिस के हवलदार वेरी लाइट पिस्टलों से फायर कर चारों तरफ रोशनी फैलायेंगे । इस पर यदि गैंग पुलिया के अन्दर से भागकर वापस लौटने की कोशिश करे तो चन्दोला जी अपनी रिवाल्वर से फायर कर मुझे सिग्नल देंगे और मैं अपनी रिवाल्वर से फायर करूँगा । उसके बाद मेरे साथ के अन्य पुलिसकर्मी डाकुओं पर फायरिग शुरू कर देंगे ।

योजना के अनुसार हम लोग नहर की पुलिया के मुंहाने के आस-पास पोजीशन ले चुके थे । डाकुओं के गैंग के आने की प्रतीक्षा हो रही थी । रात ११ बजे के लगभग दूर पर कुछ आदमियो की धीमे-धीमे बात करने की आवाजें सुनाई पड़ी । धीरे-धीरे उनके पैरों की आहट के साथ-साथ और बीड़ी पीने की चमक भी दिखाई देने लगी । गैंग हमारे समीप आ चुका था । एकाएक गैंग रुक गया और उसमें से एक आदमी गांव के लोगों की आहट लेने के लिए नहर के ऊपरी भाग पर आया । उसके पास एक टार्च और बन्दूक थी । उसका सिग्नल पाते ही डाकुओं ने नहर की पुलिया के नीचे पानी में घुसकर दूसरी ओर जाना प्रारम्भ किया । पानी में उनके पैरों की छपछपाहट सुनाई दे रही थी । हमारी योजना का प्रथम चरण बिना किसी विघ्न बाधा के सम्पन्न हो रहा था । गैंग ने जैसे ही पुलिया के दूसरे छोर से बाहर निकलना शुरू किया, सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला ने अपने रिवाल्वर से फायर कर दिया । फायर की आवाज सुनते ही डाकू तुरन्त पुलिया के अन्दरूनी हिस्से की ओर भागे और जमीन पर चिपक कर लेट गये । पुलिया के अन्दर से उन्होंने पुलिस फोर्स पर तावड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी । जबाब में पुलिस ने भी नहर की पुलिया के मुहाने पर फायरिंग करना प्रारम्भ कर दिया । मेरी ओर से भी गोलियों की बौछार शुरू कर दी गयी थी । वेरीलाइट पिस्टलों तथा सर्चलाइटों की रोशनी से नहर का पूरा क्षेत्र जगमगा उठा था । बड़ी ही रोमांचकारी स्थिति थी । पुलिया के अन्दर से डाकू बार-बार हम लोगों को ललकार रहे थे और भद्दी-भद्दी गालियां देकर गोलियों से खाक कर देने की धमकी दे रहे थे । उत्तर में पुलिस फोर्स के लोग भी उतनी ही उत्तेजना से ललकारते हुये गालियां दे रहे थे । मुझे लगा कि ऐसी स्थिति में पुलिस फोर्स द्वारा गालियां देना अनिवार्य था, ताकि वह जोश में रहें और अपना काम न भूलें, मृत्यु की आशंका से भयभीत न हों । मैं अपना भरा हुआ रिवाल्वर हाथ में लिये पुलिया के मुहाने से पुलिस की सारी कार्रवाई लक्षित करते हुए जरूरी निर्देश दे रहा था ।

करीब १५ मिनट के पश्चात दोनों ओर से शोर तथा फायरिंग बन्द हो गयी। पुलिस दल ने नहर की पुलिया के अन्दर एक हैण्ड ग्रेनेड फेंका। गोला फटते ही पुलिया के अन्दर से पुनः गोलियों की बौछार शुरू हो गयी। पुलिस ने भी फायरिंग जारी रखी। अचानक मुझे लगा कि दोनों ओर से चलाई जाने वाली गोलियां कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। मैंने लक्ष्य किया कि डाकुओं का गिरोह नहर की पुलिया के अन्दर था और बिना निशाना लिये हुये फायरिंग कर रहा था। इसी तरह पुलिस फोर्स द्वारा चलाई गयी गोलियां भी पुलिया के अन्दर नहीं जा पा रही थीं। मैंने एक और हैण्ड ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। हैण्ड ग्रेनेड फटते ही डाकुओं का गिरोह चिल्लाता हुआ बाहर निकलने के लिए मेरी ओर से भागा। मैं तो प्रतीक्षा में ही था कि वे पुलिया से बाहर निकलें तो मैं तथा मेरे साथ लगी पुलिस फोर्स उन्हें गोलियों से भून दें। पुलिया के बाहर निकलते समय उन्हें बन्दूक का निशाना बनाना आसान था। दोनों ओर कुहराम मचा था और रुक-रुक कर फायरिंग चल रही थी। मानव के लिए मृत्यु स्वभावतः सबसे भयंकर खतरा होती है। उससे मुक्ति पाने के लिए वह कठिन से कठिन संघर्ष करने को तैयार रहता है और अपने प्राण बचाने की कोशिशों में वह भाव शून्य हो जाता है। उस समय घटनास्थल पर यही दृश्य था।

अचानक डाकुओं का गिरोह पुलिया के अन्दर से मेरे छोर की ओर भागा। उनमें से कुछ दूसरे छोर की ओर भी भागे। हमारी लगातार फायरिंग के फलस्वरूप दो डाकू पुलिया से निकलते ही ढेर हो गये। मैंने तथा सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला जी ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते तो उन्हें गोलियों से भून दिया जायेगा। भलाई इसीमें है कि वे फायरिंग बंद कर दें और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा कर आत्मसमर्पण कर दें। हमारी ललकार एवं गर्जना का उन पर सटीक प्रभाव पड़ा। वे गिड़गिड़ाते हुये हम लोगों के समक्ष अपनी-अपनी बन्दूकों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों सहित आत्मसमर्पण करने लगे। अन्य अस्त्र-शस्त्रों के साथ एक माऊजर रायफल भी उनके कब्जे से बरामद हुई। मारे गये डाकुओं की पहचान करने पर पता चला कि वे गिरोह के लीडर चेतराम व नाथू थे। आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं की संख्या १९ थी। पुलिस फोर्स उन्हें भी गोलियों से भूनकर समाप्त कर देने के पक्ष में थी। परन्तु मैंने उन्हें ऐसा करने से मंना कर दिया। आत्मसमर्पण कर देने वाले डाकुओं को जान से मार डालना वीरता नहीं थी। सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला ने गिरफ्तार किये गये १९ डाकुओं और उनके कब्जे से बरामद असलहों के सम्बन्ध में थाना सिंधौली में बाजब्ता लिखा-पढ़ी करा दी। गिरफ्तार किये गये डाकुओं से पूछताछ करने पर शाहजहांपुर, खीरी व हरदोई आदि जनपदों में डाली गयी बहुत सी डकैतियों का पर्दाफाश हुआ। मृतक डाकुओं की लाशों का पंचायतनामा करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

मै घटनास्थल से थाना सिंधौली होता हुआ मुख्यालय लौटा और अपने पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे को मुठभेड़ की पूरी दास्तान सुनायी। दास्तान सुनते हुए वह प्रसन्न होकर बीच-बीच में शाबासी भी देते जा रहे थे। पूरी दास्तान कर देने के बाद मैने उसने अनुरोध किया कि मुठभेड़ की सूचना वह अविलम्ब बरेली रेंज के डी०आई०जी० कमरूल हसन तथा प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक शान्ति प्रसाद जी को भेज दें। परन्तु ऐसा करने में वह कुछ हिचकते से लगे। थाने पर लिखी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट को उन्होने बड़े ध्यान से पढ़ा और आश्वासन दिया कि अगले दिन घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात वह डी०आई०जी० को सूचना भेज देंगे। मै उनकी भावनाओं को समझ रहा था।

अगले दिन सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला जी तथा थानाध्यक्ष सिंधौली व थानाध्यक्ष पुवायां आदि के साथ मै सुबह १० बजे से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस अधीक्षक ठीक १० बजे वहां पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा गांव के निवासियों से लम्बी बातचीत की। वे पूरे दिन मौके पर रहे। वह चूँकि अपना खाना, पानी तथा पान का डब्बा साथ लेकर चलते थे इसलिए उन्हें भोजन करने की कोई परेशानी नहीं होती थी। गांव के लोग शिष्टाचार के नाते पूड़ी-सब्जी आदि बनवाकर लाये थे। परन्तु उन्होंने गांव वालों के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। घटनास्थल से लौटकर उन्होंने इस भीषण एवं खतरनाक मुठभेड़ की सूचना वायरलैस मेसेज से डी०आई०जी० तथा आई०जी० को भेज दी और उसमें पुलिस फोर्स की वीरता का सम्पूर्ण साहसिक विवरण लिखा। लेकिन मुझे तथा श्री चन्दोला को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदन किये जाने हेतु उन्होंने संस्तुति बाद में भेजने का उल्लेख किया। उनके वायरलैस मेसेज के उत्तर में ए०टू०आई०जी० पी०एस० रतूड़ी ने डी०आई०जी० कमरूल हसन तथा आई०जी० शान्ति प्रसाद जी की ओर से मुठभेड़ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पदक दिलवाने हेतु शीघ्र संस्तुति भेजने का निर्देश दिया। इस मेसेज की प्रतियां पुलिस अधीक्षक ने मेरे पास भेजकर सम्पूर्ण आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा।

यह दौर चल ही रहा था कि ४ अप्रैल, १९६२ को मेरी पत्नी सरला व पुत्र रंजन कानपुर में कुछ दिन रहने के बाद शाहजहांपुर आ गये। इस बीच अकेला रहने, पहली मुठभेड़ की भाग-दौड़ तथा पुलिस अधीक्षक के अति शुष्क व्यवहार से मै थक सा गया था। पत्नी व पुत्र को समीप पाकर मै सारी बातें भूल गया। डकैतों से मुठभेड़ का विवरण सुनकर सरला बहुत घबरा गयी थी और रोने-रोने को हो आयी थी। अगले दिन परिवार के साथ प्रसन्नचित होकर नाश्ता करने के बाद मै इन्सपेक्टर चन्दोला जी के साथ मुठभेड़ की रिपोर्ट तैयार करने में लग गया। अपनी रिपोर्ट में मैंने इन्सपेक्टर चन्दोला जी, थानाध्यक्ष सर्वश्री

प्रेमशंकर सक्सेना तथा सईदउद्दीन को वीरता के पदक से-अलंकृत करने की संस्तुति की। अपने बारे में निर्णय पुलिस अधीक्षक के विचारार्थ छोड़ दिया। रिपोर्ट को सरला ने भी पढ़ा। उनकी टिप्पणी आज मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, मुठभेड़ का चित्रण इतने सुन्दर ढंग से किया गया है कि पढ़ते-पढ़ते दृश्य साकार हो उठते हैं।

परिवार के साथ शान्ति से तीन चार दिन का ही समय व्यतीत हुआ था कि डाकुओं से मुठभेड़ करने का दूसरा न्यौता मिल गया। छुट्टी का दिन था। हम लोग दिन का भोजन कर चुके थे। अचानक इन्सपेक्टर चन्दोला जी आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें थानाध्यक्ष पुवायां प्रेम शंकर सक्सेना की एक रिपोर्ट मिली है। ग्राम गोधानी में डाकुओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है। डाकू एक घर के अन्दर से पुलिस पर फायर कर रहे है। पुलिस फोर्स कम होने के कारण थानाध्यक्ष डाकुओं को मुठभेड़ में मार नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हम दोनों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने का निवेदन किया है। इस पर मैने इन्सपेक्टर चन्दोला जी को निर्देश दिया कि वह थाना कोतवाली तथा थाना सदर में जितनी भी फोर्स उपलब्ध हो, लेकर तुरन्त मेरे निवास पर आ जायें। साथ ही साथ रिजर्व इन्सपेक्टर पुलिस लाइन श्री तनखा को भी फोन पर आदेश दिया कि वह एक गाड़ी में दो सशस्त्र गार्ड लेकर मेरे निवास पर पहुंचे। मैं भी वर्दी पहनकर तैयार हो गया। मेरी पत्नी को जब मेरे मुठभेड़ में जाने की जानकारी हुई तो वह दुःखी एवं विचलित हो उठीं। परन्तु तुरन्त ही अपने को सम्भालते हुये कहा मेरी चिन्ता छोड़कर आप तुरंत पुलिस फोर्स के साथ अपने आदमियों की सहायतार्थ घटनास्थल पर प्रस्थान करें। सरला का प्रेम, धैर्य एवं शुभकामनाएं सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करती थीं और मुझे सफलता की चोटी पर पहुंचाने में सहायक होती थीं। उनका पूरा ध्यान मेरे उज्जवल भविष्य पर केन्द्रित रहता था। पत्नी के स्नेहिल शब्दों से मुझे बड़ी सांत्वना मिलती थी और मैं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता था। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि यश-अपयश भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। मनुष्य की अपने कर्म में निष्ठा जरूरी है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कर्म को ही प्रधान बताया है।

थोड़ी ही देर में चन्दोला जी, श्री तनखा और कोतवाल दिग्विजय सिंह फोर्स के साथ मेरे निवास पर आ गये और हम सब लोग ग्राम गोधानी के लिए चल पड़े। करीब ४ बजे शाम को हम लोग घटनास्थल ग्राम गोधानी पहुंचे। वहां पर बड़ी विचित्र स्थिति थी। डाकू एक घर के अन्दर से बाहर लगी पुलिस फोर्स पर रुक-रुककर फायर कर रहे थे। उत्तर में पुलिस फोर्स भी घर के खुले दरवाजे से उन पर फायर कर रही थी। परन्तु डाकुओं के घर के अन्दर छिपे होने के कारण पुलिस द्वारा की जाने वाली फायरिंग कारगर नहीं हो रही थी। थानाध्यक्ष पुवायां ने बताया कि अपनी योजना के अनुसार उन्होंने मकान का छप्पर उठाकर

एक हैण्ड ग्रेनेड मकान के अन्दर फेंक डाकुओं को मारने का प्रयास किया था, परन्तु दीवाल पर चढ़कर मकान का छप्पर उठाने का प्रयास जैसे ही उन्होंने किया डाकुओं ने उन पर फायर कर दिया । वह बाल-बाल बचे । सम्पूर्ण स्थिति से अवगत होने के पश्चात मैंने साथ में लायी फोर्स को मौके पर लगा दिया । चन्दोला जी निडर होकर अपनी दोनाली बन्दूक से डाकुओं के छिपने वाले घर पर खुले दरवाजे से फायरिंग करने लगे । डाकुओं का ध्यान एक ही स्थान पर केन्द्रित न हो, इसके लिए मैंने कोतवाली प्रमुख दिग्विजय सिंह को निर्देश दिया कि वह छप्पर उठाकर घर के अन्दर फायर करने का प्रयास करें, ताकि डाकू बचाव के लिए घर से बाहर निकल भागने पर मजबूर हों । योजना थी कि डाकू यदि घर से बाहर निकलकर भागने का प्रयास करते है तो मैं तथा मेरे साथ की फोर्स फायरिंग कर उन्हें निशाना बना लेगी । दिग्विजय सिंह ने मेरे आदेश का पालन किया जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव डाकुओं पर पड़ा । रिजर्व इन्सपेक्टर तनखा इसके पहले कभी इस तरह की मुठभेड़ में नहीं गये थे । घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर वह बहुत घबरा गये थे ।

शाम होती जा रही थी । अन्धेरे का फायदा उठाकर डाकुओं के भाग जाने की आशंका थी । यह पुलिस फोर्स के लिए बदनामी की बात होती । अतः मैंने डाकुओं को घर से बाहर निकालने की एक दूसरी योजना बनाई । इसके अनुसार जिस घर में डाकू छिपे थे, उस घर में आग लगानी थी । साथी पुलिस अधिकारी तथा गांव के निवासी मेरी योजना से सहमत थे । दिग्विजय सिंह ने दियासलाई लेकर मकान के छप्पर में आग लगा दी और देखते-देखते ही मकान जलकर स्वाहा हो गया । परन्तु आश्चर्य था कि न तो डाकू बाहर निकले और न ही जलकर भस्म हुए । थोड़ी देर बाद पता चला कि आग लगने पर वे पीछे की ओर से कूदकर तेजी से दूसरे घर में घुस गये थे । मैंने फोर्स को सभी घरों को घेर लेने का ओदेश दिया और डाकुओं को ललकारा कि अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते है, तो घरों के अन्दर ही उन्हें जलाकर राख कर दिया जायेगा । चारों ओर से पुलिस से घिर जाने और आग लगा दिये जाने पर झुलस जाने के डर से वे पहले की ही तरह पिछली दीवार से भाग जाने के लिए दीवार से कूदे, लेकिन इस बार हम सावधान थे । हम लोगों ने उन्हें गोलियों से भून दिया ।

तब तक आस-पास के गांवों के कई हजार लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे । दोनों मृतक डाकुओं की पहचान कर लोगों ने बताया कि वे क्रमशः रामेश्वर उर्फ वांट तथा श्रीराम उर्फ भूरा थे । यह दोनों दस्यु सरगना अपहरण तथा बलात्कार की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थे । इनका आतंक दूर-दूर तक फैला हुआ था । उन दोनों के पास से दुनाली १२ बोर की बन्दूकें बरामद हुई । इन मृतक डाकुओं की लाशों का पंचायतनामा तथा अन्य कानूनी कार्यवाहियों के पश्चात सब-इन्सपेक्टर श्री राम कृपाल सिंह ने लाशों को पोस्टमार्टम

के लिए शाहजहांपुर भेज दिया । बरामद हुई बन्दूकों के बारे में उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को वायरलैस से सूचना दे दी गयी कि यदि दोनों बन्दूकें कहीं वांछित हों, तो संपर्क किया जाय । घटनास्थल पर एकत्रित हजारों व्यक्तियों ने इसके बाद मेरा तथा मेरी पुलिस फोर्स का अभिनन्दन किया और जघन्य अपराधियों के मारे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की । इन डाकुओं के कारण बहुत दिनों से उनका उठना-बैठना और बहू-बेटियों का स्वच्छन्दता से घूमना-फिरना मुश्किल हो गया था । जिन लोगों के मकान मुठभेड़ में जला दिये गये थे, उन्हें आस-पास के गांव से एकत्रित हुई जनता ने मेरे कहने पर पुनः अच्छे ढंग से बनवा देने का वचन दिया और शीघ्र ही उसे पूर्ण भी कर दिया ।

मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ रात में ही मुख्यालय वापस आ गया और पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे को उक्त मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी । उन्होंने डी०आई०जी०, बरेली रेंज तथा आई०जी०, उत्तर प्रदेश को इस सफल मुठभेड़ की सूचना वायरलैस द्वारा दी । इससे सभी वरिष्ठ अधिकारी बहुत सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हुये और मुझे तथा मेरे साथी पुलिस कर्मियों को बधाई एवं प्रसंशा से भरा पत्र भेजा । सारा काम समाप्त करने के पश्चात जब मैं अपने निवास पर पहुंचा, तो अपनी पत्नी सरला को बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा करते पाया । मेरी सफलता की सूचना मेरे पहुंचने से पूर्व ही उन्हें मिल चुकी थी । मुझे देखते ही अपनी बांहों में लेकर उन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत किया और भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश "कर्मण्ये वाधिकारस्ते, माँ फलेशु कदाचनः" की याद दिलाकर मुझे बधाई दी ।

जनपद शाहजहांपुर में डाकुओं के दो गिरोहों का पूर्णरूपेण सफाया करने तथा अतुलनीय शौर्य प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप मुझे तथा मेरे साथियों को वीरता के लिए इण्डियन पुलिस मैडल से अलंकृत किये जाने की संस्तुति प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी (आई०जी०) द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गयी थी, परन्तु कुछ सम्बन्धित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की अक्षमता, शिथिलता, त्रुटिपूर्ण आख्या एवं व्यक्तिगत द्वेश के कारण वे संस्तुतियां शासन की पत्रावलियों में दम तोड़ कर सदैव के लिए विलीन हो गई । ऐसा क्यों हुआ, उन कारणों को मैं यहां संक्षिप्त में लिख रहा हूँ । ९ अप्रैल, १९६२ की दूसरी सफल मुठभेड़ की सूचना पर बरेली परिक्षेत्र के डी०आई०जी० कमरूल हसन शाहजहांपुर आकर पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे के साथ १४ अप्रैल, १९६२ को गोधानी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे । मै भी उनके साथ था । मेरे साथ जिन पुलिस कर्मियों ने मुठभेड़ में भाग लिया था वे पहले से ही घटनास्थल पर उपस्थित थे । डी०आई०जी० ने घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण करने के पश्चात अपनी प्रसन्नता और पूर्ण संतोष व्यक्त करते हुये पुलिस के बहादुर, निर्भीक और कर्मठ अधिकारियों को उच्चकोटि की वीरता प्रदर्शन के लिये मुक्तकंठ से शाबासी दी और उनका उत्साहवर्धन

किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला और सब-इन्सपेक्टर सक्सेना को वीरता का इण्डियन पुलिस मेडल प्रदान करने हेतु संस्तुति प्रेषित करें। अन्य पुलिस कर्मचारियों को धनराशियों से पुरस्कृत करें। हम लोग डी०आई०जी० से शाबासी, शौर्य पदक तथा पारितोषिक का आदेश सुनकर अपार हर्षित हुए। इसी खुशी में शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और नेता गफ्फन मियां ने डी०आई०जी०, एस०पी०, डी०एम०, मुझे तथा बहुत से अन्य लोगों को रात के भोजन पर आमंत्रित कर लिया। इस सराहनीय कार्य के लिए डी०आई०जी० कमरुल हसन व आई० जी० शांति प्रसाद जी ने मुझे व्यक्तिगत प्रसंशा पत्र ७ मई, १९६२ को भेजा। इसके कुछ समय उपरांत जब मैं लखनऊ आई०जी० साहब से जाकर मिला तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर हार्दिक शुभकामनाएं और शाबासी देते हुये मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही वीरता के लिए मुझे शौर्य पदक दिलवाने का आश्वासन भी दिया।

मैं शाहजहांपुर से स्थानान्तरित होकर लखनऊ आ चुका था। वीरता के पुलिस पदकों का आश्वासन प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों अर्थात आई०जी० और डी०आई०जी० रेंज से मिल ही चुका था। अतः मैं जानने को उत्सुक था कि पुलिस अधीक्षक, शाहजहापुर, मणिकलाल खरे ने शौर्य पदकों की संस्तुति डी०आई०जी०, बरेली रेंज को प्रेषित कर दी है अथवा नहीं। लगातार पत्राचार करने पर मुझे जानकारी मिली कि ग्राम सिंथौरा, थाना सिंधौली में हुई प्रथम भंयकर मुठभेड़ और डाकू सरदार चेतराम व उसके साथी नाथूराम को मार गिराने तथा १९ डाकुओं को अस्त्र-शस्त्रों के साथ गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने डी०आई०जी०, बरेली रेंज को लिखे अपने अर्ध शासकीय पत्र (सं०-एस.टी/सी-१६/६२, १९ अप्रैल, १९६२) द्वारा मेरे नेतृत्व में किये गये पुलिस कर्मियों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन की प्रबल सराहना की थी और उसी में वीरता के लिए पुलिस मेडल की संस्तुति बाद में प्रेषित करने के लिए लिखा था। उसी सन्दर्भ में डी०आई०जी० ने अपने अर्ध शासकीय पत्र (सं०-एस.आर/६१/६२, २७ अप्रैल, १९६२) द्वारा मुझे और मेरे साथियों को बधाई देते हुये शौर्य के लिए इण्डियन मेडल की संस्तुति शीघ्र प्रेषित करने के लिए निर्देष दिया था। जहां तक मेरी जानकारी थी वह बार-बार टेलीफोन पर अधीक्षक को भी इसकी याद दिलाते रहते थे। प्रदेश के आई०जी० शान्ति प्रसाद जी के ए०टू०आई०जी०पी०एस० रतूड़ी भी डी०आई०जी० बरेली रेंज से पत्राचार करते रहते थे कि मेडलों की सस्तुति में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। इतना सब होते हुये भी पुलिस अधीक्षक मणिक लाल खरे ने संस्तुतियां नहीं भेजीं। इसका कारण शायद यह था कि नियमतः तब तक पुलिस मेडल की संस्तुति राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती जब तक न्यायालय में लंबित वाद का निर्णय न हो

जाए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने दूसरी मुठभेड़ के लिए भी अपने अर्ध शासकीय पत्र (सं०-एस०टी/सी० १७/६२) द्वारा डी०आई०जी० बरेली रेंज को ग्राम गोधानी, थाना पुवायां, शाहजहांपुर में दो डाकुओं क्रमशः रामेश्वर व श्रीराम भूरा को हमारे द्वारा मारे जाने की विस्तृत सूचना भेजी थी। इसमें भी मेरे नेतृत्व और शौर्य प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी। पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश के आई०जी० को भी पृष्ठांकित थी। परन्तु इन दोनों पत्रों के पश्चात भी एस०पी० शाहजहांपुर के स्तर से शौर्य पदकों के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसी मध्य, श्री मणिक लाल खरे का स्थानान्तरण पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से सी०आई०डी० लखनऊ में एस०पी० एडमिनेस्ट्रेशन के पद पर हो गया।

इसके बाद उनके स्थान पर श्री ओंकार सिंह एस०पी० शाहजहांपुर नियुक्त हुये। मैं उनसे भी इस विषय पर लगातार पत्र लिखकर अनुरोध करता रहा। इस ओर भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि समय वीत जाने पर शौर्य पदकों की संस्तुतियां कालबाधित हो जायेंगी, अतः जरूरी संस्तुति डी०आई०जी० बरेली रेंज को शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दी जाय। क्योंकि मैं इन पत्रों की प्रतिलिपियां डी०आई०जी० तथा ए०टू०आई०जी० को भी सूचनार्थ पृष्ठाकिंत कर देता था, अतः इन स्तरों से भी इस विषय में पूछतांछ होती रहती थी। इसी परिप्रेक्ष्य में डी०आई०जी० बरेली रेंज ने अपने अर्ध शासकीय पत्र (संख्या एस०आर० ६१/डी-३१/६२, १७ अगस्त, १९६३) द्वारा ओंकार सिंह, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को शौर्य पदकों की संस्तुतियां शीघ्र भेजने के लिए लिखा। इसके परिपालन में ओंकार सिंह ने वह पत्र अपने पत्र के साथ श्री मणिक लाल खरे, एस०पी० एडमिनिस्ट्रेशन, सी०आई०डी० को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया और उसकी प्रतिलिपि डी०आई०जी० व मुझे सूचनार्थ भेज दी। इस पत्र के उत्तर में श्री मणिक लाल खरे, एस०पी० एडमिनिस्ट्रेशन सी०आई०डी० लखनऊ ने अपने अर्ध शासकीय पत्र (संख्या-२७३-सी०ओ० एडमिनिस्ट्रेटिव/६३, २८ अगस्त, १९६३) द्वारा एस०पी० शाहजहांपुर को लिखा कि उन्होंने मुझे, सर्किल इन्सपेक्टर चन्दोला तथा सब-इन्सपेक्टर सर्वश्री प्रेमशंकर सक्सेना व सईदउद्दीन को इण्डियन पुलिस मैडल दिये जाने की संस्तुति डी०आई०जी० बरेली रेंज को भेज दी है। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने मुझे भी सूचनार्थ प्रेषित की थी। यह पत्र पाने पर एस०पी० शाहजहांपुर ने पब्लिक प्राजीक्यूटर से वीरता के मैडल का 'साइटेशन' तैयार करने के लिए गिरफ्तार १९ डाकुओं से संबंधित सत्र न्यायालय शाहजहांपुर में विचाराधीन मुकदमों का विवरण व परिणाम मांगा। पब्लिक प्राजीक्यूटर ने अपनी आख्या में लिखा कि उक्त केस में डाकुओं को हालांकि सत्र न्यायालय से लम्बे एवं कठोर कारावास की सजाएं मिल चुकी है, परन्तु वे सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर

कर चुके है । उनकी यह अपील उच्च न्यायालय में लम्बित है । पब्लिक प्रोजीक्यूटर की इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ओंकार सिंह शौर्य पदक की संस्तुति भेजने में असमर्थ हो गये । क्योंकि शौर्य पदक के लिए संस्तुति नियमानुसार तभी भेजी जा सकती थी जब उच्च न्यायालय में दायर अपील के बारे में अपना निर्णय दे दे ।

इसी दौरान श्री ओंकार सिंह, एस०पी०, शाहजहांपुर का भी स्थानान्तरण हो गया। उनके स्थान पर श्री जी०के० बाजपेयी पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुये । डाकू विरोधी अभियान के लिए वह अति सक्षम पुलिस अधिकारी माने जाते थे । इसी कारण पुलिस के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी उनको बहुत सम्मान देते थे । उधर डी०आई०जी०, बरेली रेंज, कमरूल हसन का भी स्थानान्तरण हो गया था और उनके स्थान पर श्री बी०एस० चतुर्वेदी नियुक्त हुये । श्री कमरूल हसन को हमेशा यह खेद रहा कि वह मुझे और मेरे साथियों को शौर्य पदक दिलवाने के लिए दिया गया अपना आश्वासन अपने नियुक्तिकाल में पूरा नहीं करा सके । फिर भी स्थानान्तरण पर जाते-जाते उन्होंने एस०पी० शाहजहांपुर को पत्र लिखा कि यदि डकैतों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील का निर्णय हो चुका हो तो शौर्य पदक की संस्तुति अविलम्ब भेज दी जाय । उनके इस पत्र पर एस०पी० वाजपेयी ने शौर्य पदकों से सम्बन्धित पत्रावलियों का अध्ययन किये बगैर ही गलत आख्या कर दी कि अपील उच्च न्यायालय में लम्बित है, जबकि अपील उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुकी थी । इस प्रकार शौर्य पदक की संस्तुति का मामला पुनः लटका रह गया । उसी समय एक दुखद घटना भी हो गयी । जंगल में शिकार के दौरान शेर द्वारा हमला कर देने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक बाजपेयी मृत्यु की गोद में सो गये ।

बरेली रेंज के नये डी०आई०जी० वी०एस० चतुर्वेदी यद्यपि बहुत पुराने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, परन्तु श्री कमरूल हसन जितना सक्रिय नहीं थे । पुलिस विभाग के कार्यो से अधिक वह अपना समय उपन्यास लेखन, पेन्टिंग एवं ललित कलाओ पर लगाया करते थे । उन्हें शौर्य पदकों की पत्रावलियों को पढ़ने और उनसे सम्बन्धित घटनाओं को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी । अतः उन्होंने हमारे शौर्य पदकों के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की । श्री जी०के० बाजपेयी की अचानक मृत्यु के पश्चात श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल को शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक का भार सौपा गया । वह एक कार्यकुशल एवं विशिष्ट क्षमता वाले ख्याति प्राप्त पुलिस अधिकारी थे । उन्हें दो बार शौर्य पदक से अलंकृत किया जा चुका था । कहा जाता था कि श्री सिंघल वीरता के लिए शौर्य पदक प्रदान कराने में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बड़ी सहायता करते हैं । अतः डाकुओं से दो बार की गयी मुठभेड़ का सन्दर्भ देते हुये मैने उन्हें एक पत्र लिखा और अनुरोध किया कि यदि उच्च न्यायालय में डाकुओं द्वारा दायर अपील का निर्णय हो चुका

हो, तो हमारे शौर्य पदक की संस्तुति डी०आई०जी० बरेली रेंज को भेज दी जाय। मेरा पत्र पढ़ते ही उन्होंने सम्बन्धित पत्रावलियां मंगाकर उनका अध्ययन किया। उच्च न्यायालय ने डाकुओं द्वारा दायर अपील बहुत पहले खारिज कर दी थी और सेषन जज, शाहजहांपुर की सजा को बहाल रखा था। यद्यपि श्री सिंघल को सम्बंधित जानकारी से बड़ी प्रसन्नता हुई, परन्तु उनके समक्ष दो समस्याएं आ गयीं। प्रथम तो यह कि डाकुओं द्वारा दायर अपील जिसे लम्बित दिखाया जा रहा था, पहले निरस्त हो चुकी थी, दूसरी यह कि स्वर्गीय जी०के०वाजपेयी, डी०आई०जी० बरेली रेंज को लिखित सूचना दे चुके थे कि डाकुओं द्वारा दायर की गयी अपील न्यायालय में लम्बित है। लेकिन श्री सिंघल ने अपने विवेक और विद्वता का परिचय देते हुये हमारे शौर्य पदकों की संस्तुति डी०आई०जी०, बरेली रेंज को प्रस्तुत कर दी। ऐसी घटनाओं में पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्शायी गयी बहादुरी को किसी भी अन्य मापदण्ड द्वारा दबा दिये जाने के वह सख्त विरोधी थे।

श्री बी०एस० चतुर्वेदी, डी०आई०जी०, बरेली रेंज के समक्ष जब हमारे शौर्य पदकों की संस्तुति की पत्रावली पहुंची, तो उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और उसे एक साधारण घटना मानते हुए श्री सिंघल, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से संस्तुति विलम्ब से भेजने का कारण पूछा। श्री सिंघल डी०आई०जी० के प्रश्न से बहुत खिन्न हुये। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में संस्तुति विलम्ब से भेजने का कारण उच्च न्यायालय के निर्णय एवं श्री जी०के० वाजपेयी की अचानक मृत्यु आदि लिखा और एक बार फिर डी०आई०जी० से निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रेषित शौर्य पदकों की संस्तुति अग्रिम कार्यवाही हेतु आई०जी० के पास अग्रसारित कर दी जाय। उन्होंने लिखा क्योंकि सम्बंधित मुठभेड़ और उनमें हमारी वीरता की बात पूरी तरह सही है, इसलिए सिर्फ विलम्ब के कारण उसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे शौर्य पदकों पर डी०आई०जी० द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाये जाने के कारण वह बहुत उद्वेलित थे। उन्होंने मेरे द्वारा मुठभेड़ों में मारे गये डाकू रामेश्वर उर्फ बांट तथा श्रीराम उर्फ भूरा की पत्रावली का भी अध्ययन किया और डी०आई०जी० बरेली रेंज को उस पर शौर्य पदक दिये जाने की संस्तुति कर दी। दुर्भाग्य से उस पत्रावली पर भी डी०आई०जी० ने नोट लगा दिया कि चूंकि उन्हें स्थानान्तरण आदेश प्राप्त हो चुका है, अतः इस विषय को उनके उत्तराधिकारी के समक्ष रखा जाय।

श्री चतुर्वेदी के स्थान पर श्री ए०के० दास, डी०आई०जी०, बरेली रेंज नियुक्त हुये। वह एक ख्याति प्राप्त, नम्र एवं दयालु पुलिस अधिकारी थे। मेरे शौर्य पदकों की पत्रावलियों का अध्ययन कर वह बहुत प्रभावित हुये और दोनों पत्रावलियों को अपनी सारगर्भित टिप्पणियों के साथ आई०जी० कार्यालय, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित कर दिया। उस समय श्री जियाराम (आई०पी०) उत्तर प्रदेश पुलिस के आई०जी० थे। वह दोनों

पत्रावलियों में अंकित मेरे शौर्य कार्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अतः उन्होंने भी शौर्य पदकों की संस्तुतियां विलम्ब से भेजे जाने का कारण डी०आई०जी० बरेली रेंज से पूछा। श्री ए०के० दास स्वयं एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने इस पूछताछ को गम्भीरता से लिया और श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंघल, पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर की संस्तुति का पूर्ण समर्थन करते हुये अपना उत्तर आई०जी० को भेज दिया। आई०जी० जियाराम ने दैनिक कार्यों की परिपाटी के अनुसार शौर्य पदकों की दोनों पत्रावलियों को उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग को प्रस्तुत कर दिया, जहां से शासन की संस्तुतियों के साथ उन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय से होते हुये देश के राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु पहुंचना था। परन्तु प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव अशोक कुमार मुस्तफी ने शौर्य पदकों की संस्तुतियों को काल बाधित बताकर उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही दफना दिया। दरअसल, श्री मुस्तफी आगरा में मेरी नियुक्ति के समय से ही मुझे अपने विरोधी श्री श्रीपत जी, कमिश्नर आगरा मण्डल का कृपा पात्र समझते थे। दो उच्च अधिकारियों के आपसी वैमनस्य ने मेरा अहित कर दिया था। यद्यपि इन स्थितियों ने मुझे दुःखी कर दिया था, परन्तु पत्नी सरला ने मुझे धीरज रखकर विवेक से कार्य करते रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि सत्य अपने स्थान पर सदैव सत्य होता है और लाख चाहने पर भी उसे कोई झुठला नहीं सकता। मनुष्य को सिर्फ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते रहना चाहिए। परमात्मा के यहां अन्याय नहीं होता।

२

जब लखनऊ अपराधों की चपेट में कराह उठा

सातवें दशक के शुरुआती दिनों में पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे शान्तिप्रिय जनपद लखनऊ था। ज्यादातर थाने सड़कों से सीधे जुड़े हुये थे और एक दूसरे की दूरी १५-२० मील से अधिक नहीं थी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में डकैती व राहजनी की छिटपुट घटनाएं ही हुआ करती थीं। जनपद में डाकुओं का कोई बड़ा गिरोह नहीं था। शिया-सुन्नियों के बीच कभी-कभी दंगा फसादों के लिए यह नवाबी शहर जरूर बदनामी और अशान्ति के घेरे में आ जाता था। मैं उस समय सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर लखनऊ में नियुक्त था और यह शहर अपनी नवाबी शान-शौकत के कारण मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यहां के निवासियों की गर्मजोशी और शिष्टाचार से बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय लखनऊ में मेरी तैनाती बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हुई थी।

शाहजहांपुर में मेरा बेटा रंजन अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गया था। मुझे प्रायः गम्भीर अपराधों की तहकीकात के लिए मौकों पर जाना पड़ता था, जिसके कारण मेरी पत्नी सरला को अकेले ही उसकी देख-रेख व डाक्टरों से सम्पर्क करना पड़ता था। दस दिनों से उसका बुखार कम नहीं हुआ था। शहर के एक बड़े डाक्टर सक्सेना जी उसे पैराटाइफाइड से पीड़ित बता रहे थे। अतः अधिक परेशानी देखकर मैंने उसे डाक्टर बहल को दिखाया, तब उन्होंने राय दी कि बच्चे को तुरन्त लखनऊ ले जाया जाय अन्यथा बीमारी और गम्भीर हो जाने का डर है। अतः मैं तथा सरला जी रंजन को तुरन्त बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ लाये और चिईल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर प्रेमनाथ को दिखाया। उन्होंने पूरी जांच के बाद बताया कि आपका बच्चा सेरेबल मैनिनजाइटिस रोग से पीड़ित है। उन्होंने पूरी तन्मयता एवं विश्वास के साथ उसका इलाज शुरू किया और बेटे के ब्रेन के फ्लूड-टेन्सन को कम करने

का लगातार प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने अच्छी से अच्छी दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनके अथक प्रयास व सरला के ममता भरे त्याग व सेवा से रंजन की जान तो बच गयी, परन्तु दुर्भाग्यवश मैनिनजाइटिस जैसे गम्भीर रोग ने उसके बोलने, सुनने तथा अन्य शारीरिक शक्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसका महीनों उपचार होने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी मानसिक तथा आर्थिक स्थिति बुरी तरह दबाव में आ गयी थी। अस्पताल का खर्चा बहुत लम्बा था। साथ ही साथ उसे देखने के लिए हमारे दोस्तों और मेहमानों का लखनऊ में व लखनऊ के बाहर से आना-जाना भी हमारे ऊपर आर्थिक भार बना हुआ था। उस समय सरला भी एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेन्सी में थीं। यह भय लगातार बना रहता था कि अचानक कहीं एक झटके में ही हम दोनों की लहलहाती और सुंगन्धित नयी बगिया एकदम वीरान न हो जाय। रंजन की गम्भीर बीमारी से मैं तथा मेरी पत्नी सरला पथरा से गये थे। परन्तु एक समझदार, गम्भीर, विदुषी और विवेकशील महिला होने के नाते सरला कभी मेरे सामने अश्रु नहीं बहाती थी और कभी-कभी जब घबराहट से मेरे हाथ-पांव जवाब देने लगते तो वह बड़े प्यार से मुझे समझाती और धीरज बंधाकर उत्साहित करने की चेष्टा करती थीं। उनका कहना था कि मैं बलरामपुर अस्पताल में ज्यादा न रहा करूँ बल्कि अपना सरकारी कार्य लगन व धैर्य से करता रहूँ। रंजन की देख-भाल वह अकेले ही कर लेंगी। डाक्टर प्रेमनाथ भी पूर्णरूपेण समर्पित होकर हमारे बेटे का इलाज कर रहे थे।

रंजन की बीमारी के कारण आई०जी०, उत्तर प्रदेश शान्ती प्रसाद जी ने मुझ पर विशेष कृपा करके मेरा स्थानान्तरण शाहजहांपुर से लखनऊ कर दिया था और श्री डी०पी० वर्मा, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे रखा था कि वह बलरामपुर अस्पताल में सदैव एक जीप तथा दो सिपाही तैनात रखेंगें ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इससे साफ है कि उस समय प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सुविधा हेतु सारी व्यवस्था करने के लिए किस कदर तत्पर रहा करते थे।

मैने बलरामपुर अस्पताल से एस०एस०पी०, लखनऊ, श्री डी०पी० वर्मा के निवास पर जाकर अपने स्थानान्तरण पर आने की रिपोर्ट दी। श्री शान्ती प्रसाद जी, आई०जी० पुलिस ने पहले ही मेरे पुत्र रंजन की बीमारी तथा मेरी पत्नी सरला की अस्वस्थता के बारे में उन्हें बता दिया था। रंजन की बीमारी के दो महीने पहले मैंने शाहजहांपुर के दो कुख्यात दस्यु गिरोहों को अलग-अलग मुठभेड़ों में बरबाद कर दिया था। इसकी जानकारी मेरे डी०आई०जी०, बरेली रेन्ज, श्री कमरूल हसन तथा आई०जी०, श्री शांति प्रसाद जी को थी। (उन दोनों

मुठभेड़ों का उल्लेख भी इस पुस्तक में किया गया है ।) एस०एस०पी०,लखनऊ को आई०जी० साहब ने मेरे इन सराहनीय कार्यों से अवगत करा दिया था । वह बड़े स्नेह से मुझसे मिले । बलरामपुर अस्पताल में मेरी आवश्यकताओं के बारे में पूछा और हर किस्म की सुविधा देने का आश्वासन दिया । उन्होंने मुझे राय दी कि रंजन के उपचार हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाय । वार्तालाप के मध्य वह कुछ परेशान से दिखायी पड़ रहे थे ।

उनसे मिलने के बाद मैं राजनाथ गुप्ता, आई०पी०एस०, एडिशनल एस०पी०, लखनऊ से मिलने गया, जिनके अधीन मुझे लखनऊ में अपना कार्य सम्पादित करना था । मैंने उन्हें एक अति सूझबूझ, सरल, मृदुभाषी एवं स्नेही अधिकारी के रूप में पाया । औपचारिक वार्ता के पश्चात मैंने उनसे पूछा था कि एस०एस०पी०,लखनऊ कुछ परेशान से लग रहे थे, इसका क्या कारण हो सकता है? उनके विषय में कहा जाता था कि वह एक्स आर्मी अधिकारी होने के कारण बड़े निडर, मेहनती और हंसमुख व्यक्तित्व के पुलिस अधिकारी है । गुप्ता जी का उत्तर था कि उनकी परेशानी का मुख्य कारण है कि वह तब तक पुलिस की कार्यप्रणाली में दक्षता नहीं प्राप्त कर सके थे । इससे पहले वह पी०ए०सी०/एस०पी०एफ० बटालियन के सेनानायक के पदों पर कार्यरत थे और पहली बार उन्हें जिला पुलिस का कार्य सौपा गया था और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण जिले का एस०एस०पी० नियुक्त किया गया था । जब से वह लखनऊ आये दुर्भाग्यवश जनपद में डकैती की घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी । हर घटना में प्रायः एक-दो आदमी मारे जाते थे । इस बात को लेकर लखनऊ से प्रकाशित होने वाले सारे अखबारों पायनियर, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, स्वतंत्र भारत, नवजीवन आदि में आये दिन पुलिस अकर्मण्यता के समाचार प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियों में प्रकाशित होते रहते थे । उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी भी लखनऊ आने वाले थे । अतः वर्मा जी को डर था कि कहीं डकैतियों की बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें असफल पुलिस अधिकारी मानकर लखनऊ से स्थानान्तरित न कर दिया जाय ।

मुझे लखनऊ के ए०एस०पी० शशांक शेखर मिश्र के साथ कार्य करना था । मैं उनसे सर्विस में दो वर्ष जूनियर था । मैंने मिश्रा जी से लखनऊ जिले की डकैतियों की स्पेशल रिपोर्ट-फाइलें मांगकर उनको वर्कआउट करने तथा उनकी बाढ़ रोकने में उनका सहायक बनने का आश्वासन दिया । रात्रि के समय जब रंजन तथा सरला सो रहे होते थे, मैं बलरामपुर अस्पताल के १४ नम्बर स्पेशल वार्ड के बरामदे में बैठकर लखनऊ जिले की डकैतियों की स्पेशल फाइलों का अध्ययन करता रहता था । साथ ही अन्य सरकारी कार्य भी पूरा करता

था । एक रात करीब दो वजे मैंने सरला को जगाकर बताया कि मै पेट्रोलिंग पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वह परेशान न हो । वह प्रसन्न दिखाई दे रही थी क्योंकि मैंने डेढ़ महीने बाद वर्दी पहन कर शाहजहांपुर की तरह लखनऊ में पेट्रोलिंग पर जाने का मन बनाया था। उन्होंने मुझे विदा किया और तब तक बाहर खड़ी होकर मेरी जीप देखती रही थीं, जब तक कि वह ओझल नहीं हो गयी। मैंने अपने ड्राइवर को थाना मोहनलालगंज चलने का आदेश दिया । करीब ३.१५ बजे रात में अचानक थाने पहुंचा, तो थानाध्यक्ष मोहनलालगंज उपस्थित थे । मैंने थाने के आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात उनसे पूछा कि पिछले पखवारे में उनके थाना क्षेत्र में दो डकैतियां धारा-३९५/३९६ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अंकित की गयी थीं, उनको वर्कआउट करने के लिए अभी तक कोई सुराग मिला अथवा नहीं । दरोगा जी का उत्तर नकारात्मक था । वह हैरान थे कि दोनों डकैतियों की घटनाओं में केवल दो-दो सौ रुपयों के सामान लूटे गये थे परन्तु घटनास्थलों पर दो-दो व्यक्तियों को डाकुओं ने जान से मार डाला था । मै दरोगा जी को साथ ले उन्हीं की क्षेत्र की नाईट पेट्रोलिंग में निकल गया । रास्ते मे मैंने उनसे कहा कि उनके क्षेत्र में जितने रेलवे स्टेशन हैं पहले वहीं पहुंचकर चेक किया जाय और पता लगाया जाय कि वहां कोई खानाबदोश या क्रिमिनल टाईप के लोग डेरा तो नही डाले है । इस प्रकार के लोग प्रायः अपराधी प्रवृत्ति के होते है ।28|5-92

हम लोगों ने अपनी गश्त के दौरान कई रेलवे स्टेशनों को देख डाला, परन्तु उक्त किस्म के लोग या कोई शक वाली चीज वहां नहीं मिली । अन्त में करीब पांच बजे सुवह हम लोग उतरठिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे । वहां सहायक स्टेशन मास्टर से बात करने पर ज्ञात हुआ कि पिछले महीने में वहां पर कुछ बदमाश किस्म के आदमी तथा औरतें आदि रुके हुये थे । स्टेशन के कर्मचारी उन्हें वहां से नहीं हटा सके । लेकिन कुछ दिन के बाद वे स्वयं ही वहां से कहीं और चले गये । हम लोगों ने सहायक स्टेशन मास्टर को साथ ले उस स्थान को देखा, जहां उनका डेरा पड़ा होना बताया गया था । वहां से कुछ आगे रेलवे की एक गुमटी थी । हम लोग रेल की पटरी के किनारे-किनारे गुमटी पर गये । आवाज देने पर उसमें से एक प्वाइन्ट्मैन ऑखें मलता हुआ बाहर निकला । हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टेशन के पास ठहरने वाले आदमियों के बारे में उससे पूछना शुरू किया । उनकी हुलिया, भाषा, रहन-सहन आदि की भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, परन्तु उसने उनके विषय में कुछ जानकारी होने से साफ इन्कार कर दिया । उसकी बातचीत के ढंग से मुझे शक होने लगा । मै दरोगा जी के साथ उसकी गुमटी के अन्दर गया और उसकी तलाशी ली । तलाशी में एक बल्लम मिला था । जिसकी लाठी का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और उसपर भूरे रंग

को दें । मेरे प्रयोग के लिए बलरामपुर अस्पताल में एक एक्स्ट्रा वायरलेस सैट लगा दिया गया था । मेरी इस सफलता और मेहनत से सरला बड़ी प्रसन्न हुई । हमारे बेटे रंजन की तबियत पहले से कुछ अच्छी थी । परन्तु अभी वह खतरे से बाहर नहीं हुआ था । इन सारी परेशानियों को झेलते हुये मै दिन या रात में एक बार जरूर उन डाकुओं के गिरोह का पत्ता लगाने के लिए गश्त पर निकलता था । पुलिस ऑफिस में श्री राजनाथ गुप्ता जी के साथ बैठकर प्रशासकीय कार्य भी करता था । कभी-कभी एस०एस०पी० आफिस में बैठकर एस०एस०पी० के आदेशानुसार उनके स्टाफ ऑफिसर का काम भी करता था । बढ़ते हुये संगीन अपराधों के लिए एस०एस०पी० प्रायः अपने अधीनस्थ अधिकारियों व थानाध्यक्षों को बुलाकर बुरी तरह डांटते थे । राजनाथ गुप्ता जी अपने हीं अधीनिस्थों के बचाव में प्रायः उनसे कह देते थे कि उनके आदेशों का पूरा पालन हो रहा है । अपराध नियंत्रण में आ जायेगा, परन्तु कुछ समय अवश्य लगेगा । एस०एस०पी० राजनाथ गुप्ता जी को कुछ कहते तो नहीं थे, पर उनकी डकैती अभियान की सचालन-प्रणाली से खुश नहीं थे ।

एक दिन शाम चार बजे मैंने अचानक थाना मलिहाबाद की तरफ पेट्रोलिंग का प्रोग्राम बनाया और दो सिपाहियों तथा अपने पेशकार को साथ लेकर जीप से निकल पड़ा । हमारी जीप जब थाना काकोरी के इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक मेरी नजर बांये तरफ एक दशहरी आम की नर्सरी से सटे खेत में गड़े टैन्ट पर पड़ीं । वहां कुछ औरतें दिखाई पड़ी । मैंने ड्राइवर से गाड़ी रुकवायी । तभी उस टैन्ट से चेक की रंगीन बनियान पहने एक हट्टा-कट्टा आदमी निकला । उसके पीछे एक सुन्दर व गठे हुये बदन की एक बालिका अपने बाल बिखेरे हुये निकली । टैन्ट के पीछे जाकर उसने क्रमशः लाल तथा काले रंगों के दो कुत्तों को निकाला । चेक बनियान पहना । आदमी टैन्ट के बाहर पड़ी चारपाई पर लेट गया । लड़की से उसने सिगरेट मांगी, जिसे उसने जला कर दे दिया और हंसती हुई कुत्तों को लेकर चल पड़ी । चैक की बनियान, दो कुत्ते, साथ में औरतें, टैन्ट आदि देखकर मुझे उतरठिया रेलवे की गुमटी के प्वाइन्ट्समैन द्वारा बतायी गयी बातें याद आ गयी । मुझे लगा कि हो न हो वही व्यक्ति है जो उतरठिया रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल कर डकैती डालता था । अतः मैंने तथा मेरे साथ की पुलिस ने जीप से उतरकर उस आदमी को वहीं दबोच लिया और एलान कर दिया कि अगर उसके अन्य साथियों ने भागने या मुजाहमत करने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिया जायेगा । सभी आदमियों और औरतों को घेर कर वहीं बैठा दिया गया और दोनों कुत्तों को भी पकड़ लिया । आस-पास आम के बाग में काम करने वाले आदमी भी शोर सुनकर वहां जमा हो गये । जब उन्हें मालूम हुआ कि मै ए०एस०पी० हूँ

और पकड़े गये आदमी और औरतें डकैत है, तो वे तुरन्त हमारी मदद में लग गये । डाकुओं की साथिन एक औरत ने क्रोधित होकर हमारे एक सिपाही के हाथ में जोर से काट लिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा । हमारे पेशकार ने उस औरत को धक्का देकर दूर कर दिया और बाग वालों की मदद से पुलिस के घेरे में ले लिया । तत्पश्चात मैंने अपने ड्राइवर को थाना काकोरी भेजकर वहां से थानाध्यक्ष को मैंने पुलिस फोर्स के साथ बुलवा लिया । बाग वालों के समक्ष टैन्ट तथा उसमें रखे हुये सामानों की बाजाप्ता तलाशी ली । तलाशी में कपड़े की पोटली में बंधे बहुत से चांदी के जेवर, खडुयें, लच्छे, हाथों के कड़े, चूड़ियां व गले के हार आदि बरामद हुये, हमने उन्हें कब्जे में लेकर मौके पर साक्षियों के सामने सील कर दिया । गिरफ्तार किये गये गैग और उसके साथियों व लीडर से पूछ-ताछ की । शुरू में तो उन्होंने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया, परन्तु जब सख्ती की गयी तो उन्होंने डाली गयी डकैतियां इकबाल करते हुए अपने गिरोह में ३-४ आदमी और औरतें, तथा दो कुत्तों का होना बताया । वे खानाबदोशी का जीवन बिताकर इसी तरह के अपराधों से जीवनयापन करते थे । उन्होंने स्वीकार किया कि पोटली में बंधे चांदी के जेवर उन्होंने लखनऊ में डाली आठ डकैतियों में लूटे थे । डकैतियों की घटनाओं में घरों के आदमियां को जान से मार डालने, उतरठिया रेलवे स्टेशन पर डेरा डालने, गुमटी के चौकीदार से बल्लम लेने, डकैती की घटना में उसका इस्तेमाल करने, लाठी का आधा भाग मौके पर छूट जाने तथा टूटा बल्लम चौकीदार का वापस कर देना भी स्वीकार किया । गैग के चारों आदमियों तथा तीनों औरतों को गिरफ्तार कर बरामद माल के साथ हम थाना काकोरी ले गये । थाने में लिखा-पढ़ी के बाद उन्हें अलग-अलग हवालातों में वन्द कर दिया गया । वायरलेस पर सूचना प्राप्त कर एस०एस०पी०। डी०पी० वर्मा तथा एडिशनल एस०पी०, राजनाथ गुप्ता भी काकोरी थाने पर पहुंच गये । उन्हें मैंने अभियुक्तों के बारे में सम्पूर्ण विवरण दिया । एस०एस०पी० वर्मा जी गैंग के पकड़े जाने से इतने उत्तेजित हो उठे थे कि वहीं पर उन्होंने गैग लीडर तथा उसके साथियों की पिटाई शुरू कर दी । बड़ी मुश्किल से मैंने तथा राजनाथ गुप्ता जी ने मिलकर उन्हें रोका । गैग के सभी सदस्यों को न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड पर लेकर पूर्ण छानबीन तथा अन्य सम्बन्धित थानों के क्षेत्र में उनके द्वारा डाली गयी डकैतियों की जांच के लिए संतुलित कार्यक्रम बनाया गया । जनपद के सभी थानाध्यक्षों को वायरलेस भेजकर एस०एस०पी० कार्यालय में बुला लिया गया और मेरी निगरानी में विवेचनाओं से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसकी भाग-दौड़ में काफी मेहनत करनी पड़ी थी ।

पुत्र रंजन के साथ बलरामपुर अस्पताल में रहते तीन महीने बीत चुके थे । अब डाक्टरों

ने रंजन को घर ले जाने की इजाजत दे दी थी और बीच-बीच में अस्पताल लाकर चेक-अप कराने को कहा था। उसका इलाज लम्बे समय तक चलते रहना था। इसी बीच डफरिन अस्पताल, लखनऊ में बेटी रश्मि का जन्म १३ जुलाई १९६२ को हुआ। सरला और बेटी दोनों स्वस्थ थीं। एस०एस०पी० वर्मा जी ने लखनऊ पुलिस लाइन में निर्मित पुलिस-वीक की काटेज में मुझे रहने की अनुमति दे दी थी। पुलिस लाइन की काटेज में आ जाने पर हम लोगों ने बड़ी शान्ति का अनुभव किया। वहां रहने और भोजन बनाने आदि की व्यवस्था ठीक से हो गयी थी। सगे-सम्बन्धियों तथा मित्रों के स्वागत आदि का पूर्ण प्रबन्ध कर लिया गया था। प्रिय बेटी रश्मि की देखभाल भी ठीक ढंग से होने लगी थी।

समय के जैसे पंख लगे होते हैं, प्रिय पत्नी सरला १६ मई, १९९६ को संजय गांधी अस्पताल, लखनऊ में एक्यूटपैक्रियटाईटिस की उपचारहीन बीमारी के कारण इस संसार से विदा हो गयीं। अपने प्रिय बेटे रंजन की उन्होंने पूरे साढ़े चार साल सेवा सुश्रुषा की थी, परन्तु सन् १९६५ में जब मै सेनानायक १५वीं वाहिनी पी०ए०सी०, आगरा में नियुक्त था, वह हम लोगों को दुःखी छोड़कर इस संसार से सदैव के लिए चला गया था। सरला ने एक सुयोग्य एवं विदुषी माँ के रूप में अपनी प्रिय बेटी रश्मि को सम्पूर्ण लाड़-प्यार से पाल-पोसकर उसकी शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। उसके फलस्वरूप आज हमारी बेटी रश्मि दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर, इनकमटैक्स के पद पर कार्यरत है और वर्ष १९८४ बैच की आई०आर०एस० की सबसे कम आयु की अधिकारी है।

मेरी गैग के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलता पर एस०एस०पी० वर्मा जी बहुत प्रसन्न हुये थे और उन्होंने स्वयं मुझे ले जाकर प्रदेश के आई०जी० शान्ती प्रसाद जी से मिलाया था। उन्होंने मेरी पीठ ठोंककर शाबासी देते हुये कहा था कि परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा का फल जीवन में सदैव हितकारी होता है। इस गैग की गिरफ्तारी के पश्चात लखनऊ जिले में डकैतियों की आयी बाढ़ बहुत कम हो गयी। गिरफ्तार डाकुओं के गैग को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर मैने डकैतियों की विस्तृत विवेचना करायी। डाकुओं के कब्जे से बरामद हुआ माल कार्यवाही शिनाख्त में उनके मालिकों द्वारा सही-सही शिनाख्त किया गया था। विवेचना के मध्य मैंने सम्बन्धित केसों को कानूनी ढंग से सुदृढ़ बनाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किये। सबसे मूल्यवान साक्ष्य रेलवे स्टेशन उतरठिया की गुमटी का प्वाइन्ट्समैन और टूटी बल्लम की लाठी का भाग सिद्ध हुये। विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट से भी यही सिद्ध हुआ था कि बल्लम की टूटी लाठी और डकैती के मौके पर डाकुओं द्वारा छोड़ा गया लाठी का टुकड़ा एक ही लाठी के दो भाग थे, और जिन पर एक ही प्रकार का

३

चम्बल घाटी के गिरोह

चम्बल घाटी का 'राजा' कहा जाने वाला डाकू मानसिंह पांचवे दशक के अन्त में पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में मारा जा चुका था। परन्तु उसका आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित गैंग चम्बल घाटी में अभी भी सक्रिय था। चम्बल घाटी में माधव सिंह, मोहर सिंह, जौहर सिंह, मल्लाह सरदार तथा जंगाफूला-राइटर व अन्य २-३ गैंग अत्यंत, खूंखार तथा शक्तिशाली थे। वे उत्तर प्रदेण के आगरा एवं इटावा, मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं ग्वालियर तथा राजस्थान के धौलपुर एवं भरतपुर जनपदों में अपहरण और डकैतियां डालकर जनता एवं पुलिस को त्रस्त किये हुए थे। उनकी तेज कार्य प्रणाली, अस्त्र-शस्त्र चलाने की क्षमता तथा आतंक के कारण पुलिस तथा अर्धसैनिक वलों को उनका सामना करने में बहुत कम सफलता मिल पाती थी। उन्हें स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था, इसलिए समय से सूचना न मिल पाने के कारण पुलिस तथा अर्धसैनिक वल उनसे मुठभेड़ नहीं कर पाते थे।

इस तथ्य के मद्देनजर में तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश श्री शान्ति प्रसाद के नेतृत्व में एक "ज्वाईन्ट ऑपरेशनल" फोर्स का गठन पुलिस विभाग में किया गया और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की पुलिस के लिए उन्हें "ज्वाइन्ट कमाण्डर" बनाया गया। यद्यपि यह पुलिस बल उस समय लाभदायक सिद्ध हुआ था, परन्तु वाद में "ज्वाइन्ट कमाण्डर" का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसे बनाये रखने में प्रादेशिक स्तर पर बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। वर्ष १९६८ में उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर पुलिस उप महानिरीक्षक श्री घमण्डी सिंह आर्य के नेतृत्व में सिर्फ अपने प्रदेश के लिए "एन्टीडक्वायटी फोर्स" का गठन किया। इससे पहले कि डाकू

उन्मूलन कार्यक्रम अपने चरण में पहुंचता सातवें दशक में चम्बल घाटी के कई कुख्यात डाकुओं ने श्री जयप्रकाण नारायण जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, इसके फलस्वरूप यह फोर्स समाप्त कर दी गयी थी ।

चम्बल घटी के डाकुओं के कारण १५वीं बटालियन पी०ए०सी०, आगरा के सेनानायक की नियुक्ति वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारियों में से ही की जाती थी, क्योंकि पी०ए०सी० की इस बटालियन को लगातार डाकुओं से मुकाबला और मुठभेड़ करनी पड़ती थी । शासन तथा प्रदेश के आई०जी० की धारणा बन चुकी थी कि क्येंकि आई०पी०एस० कैडर के कनिष्ठ पुलिस अधिकारी चम्बल घाटी के इन डाकू गैगों से मुठभेड़ की रणनीति बनाने में प्रायः सफल नहीं हो पाते, अतः उक्त वटालियन में सेनानायक के पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए । यह मेरा सौभाग्य ही था कि जब मै अपने सेवाकाल का ६वां वर्ष पूरा कर रहा था, मुझे १५वीं वटालियन आगरा का सेनानायक नियुक्त कर दिया गया । मेरे पूर्व श्री बी०सी० मिश्रा एवं श्री अगामुईद्दीन शाह जैसे वरिष्ठ अधिकारी इस सेनानायक के पद पर नियुक्त रह चुके थे । मै उनकी तुलना में वहुत कनिष्ठ था । यद्यपि श्री मिराजउद्दीन अहमद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, और राधेश्याम शर्मा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा ने अनुभव का प्रश्न उठाकर मेरी नियुक्ति का विरोध किया, परन्तु पुलिस महानिरीक्षक, शान्ति प्रसाद जी ने उनकी दलीलों को अस्वीकृत कर दिया । वह जनपद शाहजहांपुर व लखनऊ में मेरे द्वारा किये गये डकैती अभियानों से भली-भांति परिचित थे । साथ ही साथ, चीन-भारत युद्ध के समय गठित १०वीं बटालियन पी०ए०सी०, जहांगीराबाद, में बतौर सेनानायक मेरे द्वारा किये गये कार्यो से भी वे पूर्ण संतुष्ट थे ।

१५वीं बटालियन पी०ए०सी० में सेनानायक के रूप में मेरी नियुक्ति हो जाने पर शुरू शुरू में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा तथा उप पुलिस महानिरीक्षक ने मुझसे दूरी वनायें रखी । परन्तु थोड़े समय के बाद ही स्थिति में बदलाव आ गया । मै चम्वल घाटी के ऑपरेशन में उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करने लगा । मेरे पुराने सर्किल इन्सपेक्टर एस०पी० चन्दोला प्रोन्नति पाकर पुलिस उपाधीक्षक हो गये थे और उस समय सी०ओ० बाह, आगरा तथा चम्वल घाटी में डकैती ऑपरेशन के इंचार्ज थे । वह मेरे तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के साथ बैठकर प्रायः डकैती ऑपरेशन के सम्वन्ध में डाकुओं से मुठभेड़ की योजनाएं वनाया करते थे ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक राधेश्याम शर्मा और मैं प्रत्येक शनिवार को अपरान्ह में थाना वाह जाते थे और सी०ओ० चन्दोला जी, थानाध्यक्ष वाह तथा मुखविरों से मिलकर वे गैग की गतिविधियों, अपहरण एवं डकैती की घटनाओं के सम्वन्ध में गोपनीय जानकारी प्राप्त

करते थे और उसके आधर पर चम्वल घाटी में डाकुओं के विरुद्ध ऑपरेशनों के संचालन हेतु उचित दिशा-निर्देश दिया करते थे ।

डाकुओं की रणनीति यह थी कि उनके द्वारा अपहरण काण्ड करके अथवा डाका डालने की पूर्व जानकारी किसी भी तरह पुलिस को नहीं होनी चाहिए और अपराध करने के बाद घटना स्थल पर पुलिस के आने से पहले ही वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल हो जायें । इस कार्य हेतु वे अपने शत्रुओं व मुखविरों पर पूरी निगाह रखते थे, यदि कोई व्यक्ति पुलिस का मुखविर बनकर उनकी गतिविधियों का राज पुलिस को देता तो वह उसे जिन्दा नहीं छोड़ते थे । इस सम्बन्ध में एक दस्युराज सरदार द्वारा किया गया एक काण्ड बहुचर्चित हुआ था । एक बार उस सरदार को ज्ञात हो गया कि एक गांव के कुछ लोग पुलिस से मिलकर और उसके गैग की गतिविधियों की सूचना पुलिस को देकर मुठभेड़ कराना चाहते है । अतः एक दिन शाम को वह गैग के साथ गांव में गया और अपने को पुलिस अधिकारी बताकर गांव के लोगों को एक जगह जमा करके कहा कि डाकुओं के गैंग की सूचना समय-समय पर देने के लिए उसे एस०पी० आगरा ने ईनाम देने के लिए भेजा है । गांव के कुछ लोगों ने उस पर विश्वास कर रुपया ले लिया । तभी सरदार ने गरज कर कहा, वह पुलिस नहीं स्वयं दस्यु सरदार है और गांव के ७-८ आदमियों को एक लाइन में खड़ा करके बन्दूक की गोलियों से भून दिया फिर चेतावनी देते हुए कहा कि वागियों के साथ जो भी कोई दगा करेगा उसका यही अन्जाम होगा । चम्बल घाटी के डाकू अपने को डाकू नहीं मानते थे, बल्कि शान से अपने को "वागी" कहते थे । और स्वयं को समाज के क्रान्तिकारी वीरों की श्रेणी में रखते थे । समाज की महाजनी व्यवस्था को निर्मूल करने, पुलिस एवं पैसे वालों के जुल्मों से गरीबों तथा स्त्रियों की सुरक्षा करने के लिए वे अपने को "वागी" की संज्ञा देते थे। उनके निशाने प्रायः धनाढ्य, पैसे की ताकत पर वहू-वेटियों की इज्जत लूटने वाले, गरीबों को सताने वाले प्रभावशाली व्यक्ति तथा पुलिस वाले होते थे ।

एक बार चम्बल घाटी क्षेत्र के थाना फतेहाबाद और पिनहट में दो-तीन सनसनीखेज डकैतियां एवं छः व्यक्तियों के अपहरण ने राधेश्याम शर्मा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को बहुत परेशानी में डाल दिया था । एक शाम वह अचानक मेरे निवास स्थान पर विना पूर्व सूचना दिये आ गये मुझसे अकेले में आवश्यक एवं गोपनीय वार्ता के मध्य उन्होंने मुझे बताया कि डाकुओं के विरुद्ध उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना तैयार की है, और उसके कार्यान्वियन में वह मेरी सहायता चाहते हैं । उनका कहना था कि एडवोकेट श्री शुक्ला उनकी जाति के हैं और उन्हें बहुत मानते हैं । वह चम्बल घाटी के एक बड़े गैग के वकील भी है। उनके माध्यम से वह उस दस्युराज से मिलकर योजना को पूरा करना चाहते हैं । लेकिन

योजना "लीक आउट" हो गयी तो परिणाम स्वरूप बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। अतः उसे अति गोपनीय रखना आवश्यक है। उस समय चम्बल क्षेत्र में मल्लाह सरदार, मौहर सिंह व जंगाफूला-राइटर व २-३ अन्य गैग बहुत सक्रिय थे तथा लगातार वारदातें कर रहे थे। शर्मा जी योजना अनुसार राजस्थान के जंगाफूलाराइटर गैग को एक दूसरे दस्यु गैग द्वारा चम्बल घाटी में आमंत्रित करवाकर पी०ए०सी० मुठभेड़ में सदा के लिए समाप्त करा देना था। इस योजना की सफलता के लिए एडवोकेट श्री शुक्ला सहायक बनने को तैयार हो गये थे और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, शर्मा जी को उस दस्युराज से मिलाने के लिए समय व स्थान निश्चित करने में लगे हुये थे। शर्मा जी चाहते थे कि मैं भी उनके साथ उस डाकू सरदार से मिलूँ। इसके लिए मैने उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी और विश्वास दिलाया कि उनकी इस योजना को सफल बनाने में सदैव उनके साथ रहूंगा।

एक सप्ताह बाद शर्मा जी ने रात के ९.३० बजे टेलीफोन कर मुझसे अपने निवास स्थान पर आने का अनुरोध किया। मै समझ गया कि इस योजना के सम्बन्ध में ही उन्होंने मुझे याद किया होगा। मैं तत्काल उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। वार्ता के मध्य शर्मा जी ने मुझे बताया कि एडवोकेट श्री शुक्ला डाकू सरदार से मिल कर उसे योजना से अवगत करा चुके हैं। डाकू सरदार एक निश्चित समय और तारीख पर पिनहट के किले के पास चम्बल घाटी में केवल चार निहत्थे और सादे कपड़े पहने पुलिस वालों के साथ उनसे मिलना चाहता है। अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने मेरा, सी०ओ०, वाह और अपने ड्राइवर का चयन किया था।

निश्चित तिथि पर हमने सादे कपड़ों में ८ बजे प्रातः पिनहट किले पर पहुंचने के लिए आगरा से प्रस्थान किया। जीप का ड्राइवर एस०एस०पी० शर्मा जी का अतिविश्वासी ड्राइवर था। पिनहट का किला टूटा-फूटा जरूर था, पर दूर से ही चमक रहा था। उसके करीब पहुंचने पर सड़क पर एक हट्टा-कट्टा सा आदमी दिखाई पड़ा। उसके इशारे पर ड्राइवर ने जीप रोक दी। वह तेजी से जीप के पास आया और पूछा "आप एस०एस०पी०, आगरा शर्मा जी हैं? शर्मा जी के 'हाँ' कहने पर उसने पुनः पूछा ड्राइवर के अतिरिक्त शेष दो व्यक्ति कौन हैं? शर्मा जी ने उत्तर दिया "एक सेनानायक पी०ए०सी०, सक्सेना साहब तथा दूसरे सी०ओ० वाह हैं"। उसके आग्रह पर हम तीनों जीप से उतरकर उसके साथ पिनहट किले की ओर से मीलों फैली चम्बल घाटियों में उतर गये। हमें वहां मीलों तक केवल घाटियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी मानसिक स्थिति बड़ी उलझन भरी हो चुकी थी, फिर भी हम लोग जान की वाजी लगाकर साहस, बहादुरी और उत्साह से भरे तथा निहत्थे "क" गैंग के लीडर डाकू सरदार से मिलने जा रहे थे। घाटियों के अन्दर

लगभग एक मील चलने के बाद हमें चारों ओर से ऊँची-ऊँची घाटियां व टीलों से ढके ए समतल मैदान में, हम लोगों को रोक लिया गया। वहां चारों तरफ के लिए रास्ते जा रहे थे। हम कुछ सोच पायें इससे पहले ही करीब ४० बन्दूकधारी व्यक्तियों ने हमें घेर लिया। स्थिति बड़ी भयानक थी। परन्तु हम लोग साहस के साथ सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार थे।

तभी सामने छः फुट लम्बा, इकहरे बदन का, अपनी कमर में रिवाल्वर लटकाये हुये एक रोबदार व्यक्ति हमारे पास अकर खड़ा हो गया। हम लोग समझ गये थे कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चम्बल के कुख्यात "क" गिरोह का दस्युराज है। हम लोग मूर्तिवत खड़े थे। तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थिति हो गया। दस्यु सरदार ने तेजी से बढ़कर शर्मा जी के पैर छुए। तभी शर्मा जी ने कड़क कहा - "हम तो समझते थे कि तुम बहुत बहादुर हो। परन्तु यह सब क्या है? तुमने केवल चार निहत्थे साथियों के साथ मिलने के लिए कहा था पर यहां ४० शस्त्रधारी आदमियों से घिरवा दिया"। इस पर दस्यु सरदार ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला - "शर्मा जी आप निहत्थे नहीं हैं? अपनी पेंट की जेब में छोटी पिस्टल रखकर आये है"। शर्मा जी निरुत्तर हो गए।

दस्युराज ने पूछा कि आप लोग मिलने क्यों आये हैं? तो शर्मा जी ने उसे अपनी पूरी योजना बता दी। प्रत्उत्तर में उसने कहा कि वह जंगाफूला-राइटर गैग को राजस्थान से बुला लेगा। वह ४-५ दिन तक चम्बल घाटी में डेरा डाले रहेगा। इसकी सूचना समय से आपको दे दी जायेगी और आप मुठभेड़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखियेगा, यदि पुलिस मुठभेड़ में फेल हो गयी, तो राइटर गैग उसका दुश्मन बन जायेगा फिर उसे स्वयं गैग को समाप्त करना होगा। यदि ऐसा हुआ तो वह शर्मा जी को भी एस०एस०पी०, आगरा के पद पर नहीं रहने देगा और न उन्हें चैन से सांस लेने देगा। शर्मा जी ने उसकी बातें स्वीकार कर ली। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने अपने ४० बन्दूकधारियों से हम लोगों को क्यों घिरवा लिया था। उसने अपने काले चमड़े की जर्किन की जिप खोलकर उसने जेब से एक नोटबुक निकाली और नाटकीय अंदाज में पन्ने पलट कर कहा याद कीजिए अमुक दिन आप और सेनानायक साहब थाना पिनहट का निरीक्षण कर रहे थे। सी०ओ० तथा थानाध्यक्ष बावर्दी आपके सामने खड़े थे। उस समय मै गैग समेत सामने के बीहड़ो में था और एक टीले पर से टेलीस्कोपिक राइफल द्वारा सब कुछ साफ-साफ देख रहा था। यदि मै चाहता तो उसी समय आप सबको मार कर ढेर कर सकता था। कुछ रुककर उसने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे और बोला जिस दिन शाम को छः बजे थाना वाह के एक मुखबिर के घर जाकर आप उसे पैसे दे रहे थे और उससे हमारे गैग की सही सूचना मांग रहे

थे, उस समय मैं तथा मेरा गैंग गांव से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर चम्बल नदी के तट पर था। मेरे आदमी आप लोगों की गतिविधियों की पूरी जानकारी ले रहे थे और प्रत्येक क्षण उसकी सूचना दे रहे थे। यदि मै चाहता तो आप लोगों को अपने मुखबिरों से गुमराह करवाकर चम्बल नदी के तट पर बुलवा लेता और घेरकर राइफलों/बन्दूकों से भून देता। लेकिन मैं जानबूझकर पुलिस अधीक्षक को नहीं मारना चाहता। एक एस०एस०पी० या एक पी०ए०सी० के सेनानायक को मारता हूं तो सरकार चम्बल के बीहड़ों में १६ कम्पनी के स्थान २५-३० कम्पनी पी०ए०सी० नियुक्त कर देगी। ३० के स्थान पर ४० पोस्ट बनाकर पी०ए०सी० के प्लाटून नियुक्त कर दिये जायेगें। इससे हमें परेशानी होगी। गैग जब कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें पोस्टों और चौकियों से निकलने के लिए १०-१२ मील तक भागना पड़ता है। अधिक फोर्स बढ़ जाने से उन्हें १५-२० मील तक अतिरिक्त भागना पड़ेगा। अपने को वह पुलिस अधिकारियों से बड़ा इसलिए कहता था कि यदि वह स्वयं मार डाला गया तो उसके गैंग के लिए उस जैसा दूसरा दस्यु सरदार पैदा नहीं हो सकेगा। परिणाम-स्वरूप गैग टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जायेगा या कमजोर होकर सदैव के लिए नष्ट हो जायेगा।

हम लोग दस्यु सरदार की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि उसके अन्दर नेतृत्त्व की पूर्ण क्षमता है। वह एक चरित्रवान व्यक्ति था। दोप साबित होने पर अपने गैंग के सदस्यों को कठोर दण्ड देता था। उसने पुलिस/पी०ए०सी० के मुखबिरों के विरुद्ध जासूसी का पूरा जाल बिछा रखा था और अपने विरुद्ध मुखबिरी करने वालों की हत्या कर देता था। उसने पुलिस/पी०ए०सी० को मुखबिर मिलने के सभी मार्ग बन्द कर दिये थे। अपने गैंग के सभी सदस्यों को वह १०-१५ मील तक दौड़ने तथा दौड़ते-दौड़ते अचूक निशाना लगाने की पूर्ण ट्रेनिंग देता था। हमें विदा करते समय दस्युराज ने मुझसे हाथ मिलाया और शर्मा जी के फिर पैर छुये। मैंने उससे णर्मा जी के पैर छूने का कारण पूछा तो उसका सीधा उत्तर था - "शर्मा जी जाति के व्राह्मण और एक बहादुर अधिकारी हैं। उन्होंने भी पास आकर मुझसे मिलने की हिम्मत की है, इसलिए उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया है"।

दस्युराज "क" से विदा लेकर हम लोग आगरा लौटे। अगले दिन डी०आई०जी० के पास चलने के लिए शर्मा जी ने मुझे फिर बुला लिया। यद्यपि दस्युराज से मिलने की बात को अति गोपनीय रखा गया था परन्तु गुप्त से गुप्त योजना भी वरिष्ठ अधिकारियों को बता देना उचित होता है। डी०आई०जी० से मिलकर शर्मा जी ने उन्हें अपनी योजना बता दी और यह भी बताया कि सेनानायक पी०ए०सी० ने दो कम्पनी "क्रेक फोर्स" मुठभेड़ के लिए तैयार कर लीं हैं। अब सिर्फ दस्यु सरदार "क" से सूचना मिलने की प्रतीक्षा है।

डी०आई०जी० पुराने अनुभवी पुलिस अधिकारी थे । अपनी प्रोन्नति से पूर्व वह तीन साल तक आगरा के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य चुके थे । चम्बल घाटी के गिरोहों की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था, उन्होंने हमें राय दी कि हम लोग लखनऊ जाकर आई०जी० शान्ति प्रसाद जी को भी इस योजना की जानकारी दे दें । चम्बल घाटी की आपराधिक घटनाओं का प्रभाव प्रदेश के सम्पूर्ण प्रशासन पर पड़ता है ।

इससे पहले कि हम लोग लखनऊ जाते आई०जी० का आगरा पधारने के प्रोग्राम आ गया । वह चम्बल घाटी की डकैतियों की समीक्षा करना चाहते थे । वहां बढ़ते हुये अपराधों के कारण वह एस०एस०पी०, आगरा की क्षमता के प्रति कुछ सशंकित हो गए थे। शान्ति प्रसाद जी पूर्व में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित पूरे चम्बल क्षेत्र के ज्वाइन्ट कमाण्डर रह चुके थे । उन्हें वहां के गैंगों की क्षमता, कार्यप्रणाली तथा क्षेत्ररक्षण के तरीकों की पूर्ण जानकारी थी । उनके आगमन के लिए एस०एस०पी०, आगरा और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी । इस दौरान चम्बल घाटी की गम्भीर अपराध स्थिति, उसकी रोकथाम के लिए नियुक्त पी०ए०सी० के दस्ते, स्थानीय जनता एवं मुखबिरों का सहयोग एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस का सहयोग, डाकुओं के गिरोहों की गतिविधियों आदि पर विचार-विमर्श के लिए एक मीटिंग बुलाई गई । राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को भी मीटिंग में बुलाया गया । मीटिंग में चम्बल घाटी के गिरोहों को समाप्त करने और उनसे सम्बन्धित अपराधों के प्रत्येक बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श तथा तथ्यों का आदान-प्रदान हुआ । मीटिंग के उपरान्त भोजन करने के बाद जब आई०जी० विश्राम के लिए सर्किट हाउस चले गये तो एस०एस०पी०, आगरा शर्मा जी मुझे साथ लेकर उनके विश्राम कक्ष में पहुंच गये और डाकू सरदार से हुई वार्ता के बारे में उन्हें विस्तारपूर्वक बताया और उक्त डाकू सरदार की मदद से जंगाफूला-राइटर गैंग को समाप्त करने की अपनी गुप्त योजना से उन्हें अवगत कराया । शर्मा जी की पूरी बातों को सुनने के पश्चात आई०जी०, उत्तर प्रदेश ने केवल एक लाइन की टिप्पणी की "शर्मा जी, थोड़ा होशियार रहना । ये गैंग कभी-कभी डबल गेम भी खेलते है"।

अगले दिन आई० जी० लखनऊ लौट गये । उन्हें विदा करने के लिए हम लोग टूण्डला रेलवे स्टेशन तक गये क्योंकि उन्हें ट्रेन वहीं से पकड़नी थी । लौटते समय रास्ते में शर्मा जी ने मुझसे कहा आई० जी० की बहुत छोटी सी टिप्पणी बहुत तजुर्बे की थी । यदि दस्युराज "क" "डबल गेम" खेल गया, तो बड़ी बदनामी होगी और उन्हें तुरन्त आगरा से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । मैंने उन्हें एक बहादुर पुलिस अधिकारी की संज्ञा देते हुये भरपूर सान्त्वना दी । वह मुझे अपना सगा भाई सरीखा मानते थे । उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा

था कि इस खतरनाक खेल में उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिये मै जान की बाजी लगा सकता हूँ।

शर्मा जी बड़ी व्यग्रता से दस्युराज ''क'' की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे और आई० जी० की टिप्पणी पर गम्भीरता से मुझसे विचार-विमर्ण करते रहते थे। लेकिन दस्युराज ''क'' से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। एक शाम एस० एस० पी० ने टेलीफोन से सूचना भेजकर तुरन्त मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया। मै उस समय बैटमिन्टन खेल कर वापस आया ही था और स्नान करने जा रहा था। स्नान के उपरान्त मै तुरन्त एस० एस० पी० के निवास स्थान पर पहुंच गया। एस० एस० पी० ने मुझे बताया कि हमारी गुप्त योजना विफल हो गयी है। सी० ओ० बाह ने वायरलैस से सूचित किया है कि ११ बजे दिन में थाना डोकी के क्षेत्र में चम्बल घाटी के गैंग ने एक बारात को लूटकर १० बारातियों को जान से मार दिया था। वहां हा-हा-कार मचा हुआ है। शर्मा जी के कथनानुसार कदाचित आई० जी० की टिप्पणी चरितार्थ हो गई थी। हम लोग तुरन्त थाना डोकी के घटना स्थल को प्रस्थान कर गये और अपने एडज्यूटेन्ट श्री रसेल को आदेश दे गये थे कि एक कम्पनी पी०ए०सी० क्रैक फोर्स लेकर वह तुरन्त थाना डोकी पहुंचें।

शर्मा जी स्वयं पिक-अप चला रहे थे और मैं उनकी बगल की सीट पर बैठा था। रास्ते में हम लोग यही वार्ता करते रहे कि इस घटना का कारण क्या हो सकता था। डाकू सरदार ''क'' को इस प्रकार हमें धोखा नहीं देना चाहिये था। हम घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां की स्थिति बड़ी वीभत्स थी। स्त्रियां चीत्कार कर रो रही थीं, बच्चे भूख से विलख रहे थे। पुरुष भय के कारण गांव छोड़कर भाग गये थे। जो गांव कल विवाह की खुशियां मना रहा था, वह आज शमशान बन गया था। पुलिस द्वारा मृतकों का पंचायतनामा तैयार करने के बाद दसों लाशों को कपड़ों में सील करके पी०ए०सी० के ट्रक द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां उपस्थित लोगों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि रात को बहू की विदाई कराकर जब बारात वापस जाने के लिये तैयार थी तभी २५-३० डाकुओं ने गांव को चारों ओर से घेर कर अन्धाधुन्ध फायरिंग करके लूटना शुरू कर दिया। आधे घण्टे के अन्दर ही वह अपना काम समाप्त कर सड़क की तरफ निकल गये थे। स्पष्ट था कि इतना गम्भीर और भीषण काण्ड चम्बल घाटी के डाकुओं के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता था। हम लोगों ने थाने, चौकियों तथा पी०ए०सी० पोस्टों को सिगनल भेजकर सावधान कर दिया और क्षेत्र की गस्त बढ़ा दी। हमने यह निर्देश दिया कि यदि डाकुओं के गिरोह से कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो उन पर पूरी शक्ति से कारगर प्रहार किया जाय।

हम लोग थाना फतेहाबाद होते हुये रात आगरा लौटे। लौटकर मैंने सबसे पहले

एस०एस०पी० के साथ बाह एन्टीडक्वायटी ऑपरेशन क्षेत्र के नक्शे का गहराई से अध्ययन किया ताकि स्पष्ट हो सके कि थाना डोकी क्षेत्र की घटना के बाद गैंग किस दिशा से आगरा से बाहर जाने की कोशिश करेगा और किस मार्ग से चम्बल अथवा जमुना नदी को पार करेगा। इसी बीच, सी० ओ० चन्दोला का टेलीफोन आया और उन्होंने यह दर्दनाक खबर दी कि थाना जैतपुर के गांव में डाकुओं ने हमला कर १३ अन्य आदमियों को गोलियों से भून दिया है। सी० ओ० बाह ने बताया कि जिस समय डाकुओं का गैंग चम्बल नदी की ओर से डोकी क्षेत्र में जा रहा था, पी०ए०सी० का एक सेक्शन गस्त में था। परन्तु डर के मारे पी०ए०सी० वालों ने उस पर फायर नहीं किया। जांच करने पर उक्त तथ्य सत्य पाया गया, और मैंने उस पूरे पी०ए०सी० पर कायरता का चार्ज लगाकर उसे सस्पेन्ड कर दिया तथा विभागीय कार्यवाही करायी, ताकि जिससे भविष्य में इस प्रकार की शिथिलता की पुनरावृत्ति न हो।

इन घटनाओं से घबराकर एस०एस०पी० ने एडवोकेट शुक्ला को गैंग के पास हाल जानने के लिये पुनः भेजा कि किस नाराजगी के कारण दस्युराज "क" ने हम लोगों को निराश किया और संकट में भी डाल दिया। एडवोकेट शुक्ला, डाकू सरदार "क" से मिलकर शर्मा जी के पास आये और बताया कि हम लोगों ने उसे धोखा दिया है और वह शर्मा जी से नाराज है। उसने अपने वादानुसार जंगाफूला राईटर गैंग को आमंत्रित करके बीहड़ क्षेत्र में बुला लिया था। उसका स्वयं का गिरोह भी वहीं पड़ा था। परन्तु पुलिस व पी०ए०सी० ने धोखा देकर अचानक उनके गैंग पर फायरिंग शुरू कर दी। फलस्वरूप दोनों ही गिरोहों को अपना खाने-पीने का सामान, अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर भागना पड़ा। इस तरह एस० एस० पी० ने दोनों गैंगों में लड़ाई भी करा दी। यही वजह थी कि उसने दो स्थानों पर डकैती और नरसंहार किया और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक एस० एस० पी० शर्मा जी हटा नहीं दिये जाते।

एडवोकेट शुक्ला से यह जानकारी प्राप्त कर हम भौचक्के रह गए। लेकिन जब वास्तविकता का पता चला तो हम माथा पीटकर रह गए। दरअसल हुआ यह था कि टूण्डला के थानाध्यक्ष को जब जंगाफूला राइटर गैंग के थाना पिनहट के बीहड़ में आने की जानकारी हुई, तो उसने भागकर यह सूचना अपने डी०एस०पी० को दी। जिन्हें एस० एस० पी० तथा मेरी गुप्त योजना की कोई जानकारी नहीं थी। एस० एस० पी० शर्मा जी चूँकि उन्हें एक सुयोग्य तथा भरोसेमन्द पुलिस अधिकारी की श्रेणी में नहीं मानते थे और गलत कार्यों के लिये प्रायः डांटते रहते थे, इस योजना की जानकारी उन्हें नही दी गई थी। थानाध्यक्ष टूण्डला को जब गैंग के पड़ाव की सूचना मिली तो उनहोंने इसे एक अच्छा मौका समझा और

डी०एस०पी०, आगरा को विश्वास में लेकर सुझाव दिया था कि वह हिम्मत कर बिना किसी को बताये पी०ए०सी० लेकर अचानक डाकुओं के गैग पर धावा बोल दें। एक भी मुठभेड़ में डाकू के मारे जाने पर उन्हें वीरता के लिये पुलिस पदक अवश्य मिल जायेगा। यद्यपि डी०एस०पी०, आगरा तथा थानाध्यक्ष टूण्डला को बीहड़ क्षेत्र के डाकुओं के गिरोह से निपटने की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी, परन्तु वीरता पदक पाने के लालच और थानाध्यक्ष टूण्डला के सुझाव पर बिना सोचे-समझे वह तुरन्त डाकुओं पर हमला करने के लिये तैयार हो गये। लगभग २.३० बजे वह पन्द्रहवीं बटालियन पी०ए०सी० आगरा पहुंचे और बिना किसी अधिकारी से सम्पर्क किये अपने साथ बीहड़ में ले जाने के लिये दो प्लाटून पी०ए०सी० मांगी। मेरे आदेशानुसार पी०ए०सी० रिजर्व का क्रैक फोर्स हमेशा एलर्ट रहता था। दोनों प्लाटून कमाण्डरों ने यह समझकर कि एस०एस०पी०, आगरा ने अपने डी०एस०पी० को आदेश देकर भेजा होगा इसलिये बिना ज्यादा छानबीन के उन्होंने दोनों प्लाटूनों को ट्रकों में बैठाकर डी०एस०पी० के जीप के पीछे-पीछे बीहड़ में जाने के लिए पिनहट भेज दिया। पिनहट पहुंचकर डी०एस०पी० ने एक मील दूर से ही गैग के ठिकानों पर फायरिंग कर दी। परिणाम शून्य रहा। गैग का तो कुछ नहीं बिगड़ा परन्तु हम लोगों की गुप्त योजना चौपट हो गई। गैग द्वारा डोकी व जैतपुर में की गयी भयंकर वारदातें डी०एस०पी० की नासमझी का ही दुष्परिणाम थीं।

हमारी योजना चौपट तो हो ही चुकी थी। शर्मा जी ने एक बार फिर कोशिश करने की सोची और उन्होंने एडवोकेट शुक्ला जी से निवेदन किया कि वह पुनः डाकू सरदार 'क' के पास जायें और डी०एस०पी० की नादानी तथा अन्य तथ्यों से अवगत करा उससे क्षमा मांगें। एडवोकेट शुक्ला से पुनः डाकू सरदार "क" के पास जाने की वात बड़ी मुश्किल से मानी और दस्युराज के पास जाने के लिए तैयार हुये। हम बड़ी आतुरता से शुक्ला जी के लौटने का इंतजार करने लगे। लौटने पर उन्होंने बताया कि दस्यु सरदार को यद्यपि हमारे स्पष्टीकरण पर विश्वास अवश्य हुआ है परन्तु शर्माजी से मिलने से उसने एकदम मना कर दिया। लेकिन शर्मा जी निरंतर प्रयास करते रहे और अंततः सरदार "क" को विश्वास हो ही गया कि उसके गिरोह पर शर्माजी ने नहीं बल्कि एक कनिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गलती से फायरिंग करवा दी। इसके वाद उसने एस०एस०पी० शर्माजी को जलील कर हटवाने के अपने निश्चय को विराम लगा दिया। डोकी क्षेत्र की घटनाएं बन्द हो गयीं।

इन दोनों घटनाओं से पूरा प्रदेश भय एवं आतंक से कांप गया था। आई०जी०शान्ति प्रसाद जी व डी०आई०जी० (पी०ए०सी०) श्री आर०सी० गोपाल दोनों ने इन घटनास्थलों के तहत निरीक्षण का प्रोग्राम बना लिया। हमें ऐसा लगा जैसे आगरा पुलिस व पी०ए०सी०

में भयंकर भूचाल आने वाला हो। इन अधिकारियों के आने में २४ घंटे का समय बाकी था। अतः एस०एस०पी०, आगरा ने इन दोनों घटनाओं को छोड़कर अन्य अपराधों में कमी दर्शाते हुये चम्वल घाटी के अपराधों पर क्राइम नोट तैयार कर लिया। मैंने भी पी०ए०सी० से सम्बन्धित ऑपरेशनल नोट तैयार करा लिये। इसके बाद हम लोग इस प्रयास में लग गये कि उस बीच चम्बल घाटी के किसी गैंग से मुठभेड़ हो जाय और हम अपनी स्थिति में सुधार कर लें। इसलिए हमने अधिक से अधिक पी०ए०सी० ऑपरेशनल एरिया व चम्बल तथा यमुना नदियों के उन किनारों तथा घाटों पर लगा दी, जहां से गैंग के पार होने की सम्भावनाएं थी।

अगले दिन एस०एस०पी० शर्मा जी, डी०आई०जी०, आगरा रैंज तथा मुझे आई०जी० तथा डी०आई०जी० (पी०ए०सी०) को रिसीव करने टूण्डला रेलवे स्टेशन जाना था। उनका आगरा में दो दिन रुकने का प्रोग्राम था। प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का जिस प्रसंग में आगरा आगमन हो रहा था, वह हम लोगों के लिए शर्म एवं घुटन का प्रर्याप्त कारण था। टूण्डला रेलवे स्टेशन जाते समय शर्माजी ने डी०आई०जी० को डी०एस०पी० की करतूत तथा एडवोकेट श्री शुक्ला व दस्युराज "क" के मध्य हुई बातें बताई, परन्तु डी०आई०जी० ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में आई०जी० शान्ति प्रसाद जी को लेकर हम सर्किट हाउस आये तो शर्माजी ने उन्हें भी उस पूरी स्थिति से अवगत कराया। खुलकर आई०जी० ने कहा गैग को समाप्त करने के लिए जब इतनी बड़ी योजना बनायी गयी थी, तो सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हर प्रकार सतर्क रहना चाहिए था। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि डी०एस०पी० बिना एस०एस०पी० को बताये पिनहट क्षेत्र में क्यों गये और बिना पी०ए०सी० कमान्डेन्ट के आदेशों के अपने साथ दो प्लाटून कैसे ले गये? हम दोनों के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, अतः हमने चुप रहना ही उचित समझा। इसके बाद आई०जी० शान्ति प्रसाद जी ने डाकुओं के गिरोहों द्वारा धोखा दिये जाने के कई किस्से सुनाये। स्पष्ट था कि शांति प्रसाद जी उस समय भी चम्बल घाटी के गिरोहों से निपटने की पूरी क्षमता रखते थे।

अगले दिन प्रातः ही हम लोग, आई०जी० को अपराधों के दोनों घटना स्थलों डोकी तथा जैतपुर ले गये। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों के प्रति सहानुभूति दर्शायी और शासन से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। आगरा के जिलाधिकारी भी हम लोगों के साथ थे। आई०जी० ने पुलिस तथा पी०ए०सी० के कर्मचारियों से भी पूछताछ की और उन्हें पूर्ण दिलेरी से काम करने को प्रेरित किया, उन्होंने बताया कि किन नीतियों का पालन करने पर एक महीने में ही मुठभेड़ों द्वारा डाकुओं को ध्वस्त किया जा सकता है। उनकी इन बातों

से पी०ए०सी० कर्मचारियों का काफी मनोबल बढ़ा।

वार्ता समाप्त हो जाने के बाद आई०जी० ने एस०एस०पी०, आगरा से गम्भीरतापूर्वक पूछा कि उन्हें घटना स्थलों पर लम्बे रास्तों से क्यों ले जाया गया ? नक्शे पर अपना पैन रखते हुये उन्होंने कहा कि इन नजदीक वाले रास्तों से भी ले जाया जा सकता था। इससे यह स्पष्ट था कि बीहड़ के बारे में उनकी जानकरी हम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। शान्ति प्रसादजी वास्तव में एक विरल पुलिस अधिकारी थे। अगले दिन आई०जी० के आदेश पर १५वीं बटालियन पी०ए०सी० के आफिसर्स मैस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डी०आई०जी०, आगरा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक एवं पी०ए०सी० बटालियनों के सेनानायक सम्मिलित हुये। आई०जी० के आगमन पर उन्हें क्वाटर गार्ड पर पी०ए०सी० के एक प्लाटून द्वारा कड़क सलामी दी गयी। सलामी के समय "बिगुल काल" के नोट बहुत स्पष्ट बज रहे थे। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बिगुलर को खूब शावाणी दी। उन्होंने कमाण्डर महावीर सिंह को भी बधाई दी। उस मीटिंग में चम्बल घाटी पर एस०एस०पी० आगरा तथा मेरे द्वारा तैयार किये गये नोट को भी उन्होंने पढ़ा और बहुत से प्रश्न किये। हमें लगा कि वह हम लोगों के कार्यो से संतुष्ट थे।

उस दिन भोजन की व्यवस्था मेरे निवास पर थी भोज में आई०जी० शान्ति प्रसाद जी के अतिरिक्त डी०आई०जी०, आर०सी० गोपाल, आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० रंजन, आगरा मेडिकल कालेज के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर, डा० राजदान, डा० दयाल, डा० दीक्षित, डा० रमेश, कमिश्नर श्रीपत जी, व जिलाधिकारी श्री रवि शंकर जौहरी आदि जैसे विशिष्टगण सम्मिलित हुये। भोजन के मध्य जब आई०जी० को ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी सरला जी अस्पताल में है और नन्हीं बालिका ने जन्म लिया है, तो उन्होंने तुरन्त पूछा कि वाई०एन० तुमने मुझे पहले क्यों नही बताया कि मिसेज सक्सेना घर पर नहीं है? मैं चुप रहा। अगले दिन शांति प्रसाद जी डी०आई०जी० (पी०ए०सी०) को लेकर सरला जी को देखने मेडिकल कालेज पहुंच गये। सरला तथा बेटी छवि को अपना हार्दिक प्यार और आशीर्वाद दिया। यह शायद उनका हार्दिक आशीर्वाद ही था जिसकी बदौलत मेरी बेटी छवि ने लेडी-हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली से तीन गोल्ड मैडिल लेकर १९९० में एम०बी०बी०एस० पास किया। वह जब तीसरी बार मैडिल लेने स्टेज पर आयी, तो पूरा कन्वोकेशन हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिल्ली के लैप्टिनेन्ट गर्वनर रोमेश भण्डारी उससे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने गद्‌गद होकर छवि से पूछा "छवि तुम्हें और कितने मैडिल मिलने है? बधाई देते हुये उन्होंने कहा कि "गुड, तुम एक ब्यूरोक्रेट की बेटी हो, गॉड ब्लेश यू"। छवि इस समय मलेशिया में एक प्रख्यात डाक्टर है।

आगरा की बी.ए.सी. बटालियन कमाण्ड करते हुए मुझे चम्बल घाटी के दस्यु गिरोहों की गतिविधियों की बहुत अच्छी जानकारी हो गयी थी। अतः मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक की अपनी अगली पोस्टिंग में मैने जंगा फूला के गैंग को बीहड़ों में ध्वस्त करा दिया। उस जमाने के चम्बल घाटी के अति क्रूर एवं सशक्त गैंगों से सामना करना पुलिस के लिए आजकल के आतंकवादियों से सामना करने से कहीं दुरुह कार्य होता था, क्योंकि वे अधिक गिरोहबन्द, अनुशासित एवं चतुराई में अधिक सक्षम होते थे। पुलिस का दायित्व केवल इतना ही नहीं होता कि वह प्रशासन को प्रसन्न रखे, स्वयं की ख्याति फैलाये अथवा वीरता के पुरस्कारों को प्राप्त करे। उसे जन-आकांक्षाओं पूरा करना, शन्ति व्यवस्था बनाये रखना, सुरक्षा एवं प्रत्येक सम्भावित खतरों का गम्भीरता से सामना करने और उस पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए सदैव तत्पर रहना होता है। यह सत्य है कि प्रायः यह सारी परिस्थितियां दुख और तनाव भरी होती है, परन्तु एक संवेदनशील एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के अन्दर, जो साधारण जनता के दुःखों को देखकर दुःखी होता है, अपने आप कठिन से कठिन चुनौती स्वीकार करने की इच्छा जागृत हो जाती है। अपने इन प्रयासों में सफल होने पर उसका शौर्य, कार्य क्षमता, योग्यता एवं कर्मठता स्वयं उसे उच्च ख्याति प्राप्त करा देती है। एक प्रेरक नायक के रूप में विख्यात कर देती है। डाकुओं से मुठभेड़ के लिए जाते समय मेरी पत्नी सरला ने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि राजनीतिशास्त्र की विदुषी एवं एक वकील पिता की पुत्री होने के नाते उन्हें यह ज्ञान था कि आई०पी०एस० अधिकारियों का कार्य भयानक परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही होता है। ऐसे अवसरों पर वह मुझे न केवल हंसते-हंसते विदा करती थी, बल्कि पूर्ण विवेकशीलता, कार्यकुशलता, व्यावहारिकता एवं विधि की परिधि में रहकर सही कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देती थी। आज वह इस दुनिया में नहीं है, परन्तु उनके ही प्रोत्साहन से आज हमारी सबसे छोटी बेटी अनुपम आई०पी०एस० कैडर बिहार में है। वर्ष १९९८ में गया जनपद में बिहार मिलिट्री पुलिस के विद्रोह के दौरान अनुपम द्वारा निर्भीकता का परिचय देते हुये अकेले दम पर विद्रोहियों का सामना करने के लिए वहां के डी०आई०जी० श्री वर्मा तथा डी०जी० पुलिस, बिहार श्री एस०के० सक्सेना ने उसकी कर्तव्य परायणता की मुझसे भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। यह मेरे लिये खुशी की बात थी। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र समझकर बिना भयभीत हुये उचित कार्यवाही करना एक सुयोग्य पुलिस अधिकारी का गुण होता है, जो मेरी बेटी में है।

राधेश्याम शर्मा व मेरे प्रयासों के कारण चम्बल के बीहड़ों में गैंगों के आवागमन का आतंक उन दिनों में बहुत कम हो गया था। भरतपुर-आगरा चम्बल क्षेत्र में एक मुठभेड़ में

महावीरा गैंग का कहर और उसका अन्त

१५वीं बटालियन पी.ए.सी. आगरा से सम्बन्धित एक अनुभव बाद में मेरे बहुत काम आया, जिससे मुझे चम्बल के एक बड़े गैंग को (बाद में जब मै मैनपुरी में एस.पी. था) जड़ से उखाड़ने में बड़ी सफलता मिली थी। क्षेत्र के डाकू विरोधी अभियान की सारी जानकारी मुझे पी ए.सी. आगरा में रहते हो चुकी थी। डकैती विरोधी अभियान से सम्बन्धित कार्य बारीक व जोखिम भरा होता है। एटा की घटना की चर्चा मै इसलिए और भी करना चाहता हूँ ताकि पुलिस-परिवारों विशेषत· महिलाओं एवं बच्चों को कुछ प्रेरणा मिल सके कि तड़क-भड़क से भरी पुलिस सेवा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कितने संकट और तनाव भरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है।

आगरा परिक्षेत्र के तत्कालीन डी.आई.जी. श्री गोविन्द चन्द्र को जब यह सूचना मिली कि एटा में "महावीरा गैंग" ने १७ आदमियों की हत्या करके गांव को जलाकर राख कर दिया है, उस समय संयोग से मै उनके पास कार्यालय में ही बैठा था। किसी सन्दर्भ में उन्होंने मुझे बातचीत के लिए बुलाया था। खबर सुनकर वह विचलित हो उठे थे। उन्होंने मुझे सारी बातें बताकर तुरन्त अपने साथ एटा चलने को कहा। उच्च अधिकारी के आदेश को टालने का सवाल ही नहीं था। मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मै अपना सामान भिजवा पाता। मैं जो वर्दी पहने था, वहीं पहने चल पड़ा। प्रस्थान करते समय डी.आई.जी. अपने गोपनीय सहायक को आदेश दे गये थे कि वह श्री सोम प्रकाश पुलिस अधीक्षक (एटा) को यह सूचित कर दें कि वह घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गये है और उनके साथ कमाण्डेन्ट, १५वीं वाहिनी पी.ए.सी. भी है।

वायरलेस पर डी.आई.जी. एटा प्रस्थान की सूचना मिलने पर मार्ग में सिपाहियों की

उसका ध्येय था कि लौटते समय गैग जब उस रास्ते से जायेगा, तो वह अन्धेरे में उन पर गोली चलाकर कुछ डाकुओं को मार गिराने का प्रयास करेगा। उधर महावीरा ने पूरा गांव घिरवा लिया था और चेतावनी दी थी कि यदि दुश्मन को उसके सामने नहीं लाया गया, तो वह गांव के किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेगा। गैग़ की अन्धाधुंध फायरिंग से गांव लाशों से पट गया। ७-८ आदमी, औरतें व बच्चे मौत के घाट उतारे जा चुके थे। इस विनाश लीला के बाद भी जब दुश्मन सामने नहीं लाया गया, तो महावीरा ने घरों पर बम बरसा कर उन्हें राख कर डाला। महावीरा द्वारा किये गये इस विनाश-ताडंव में दस और लोग मृत्यु की गोद में समा गये। उत्तर प्रदेश में १७ हत्याओं का यह दुखभरा हत्याकाण्ड, मेरी जानकारी में पहली बार हुआ था। चम्बल के डाकू राजा मान सिंह ने भी इतनी निदर्यतापूर्वक हत्याएं कभी नहीं की थीं। इस भीषण हत्याकाण्ड के पश्चात हत्यारा महावीरा प्रत्येक लाश के पास जाकर उसे अपने जूतों से ठोकर लगा कर अपने दुश्मन को पहचानने का प्रयास करता रहा। परन्तु इसमें उसे निराशा ही हाथ लगी थी। तब घटना स्थल पर उसने ललकारते हुए कहा " कुत्तो, आज मेरा दुश्मन बच निकला है, पर मै उसे जिन्दा नहीं छोडूँगा। अभी इस गांव को फिर बरबाद करूंगा।

डाकुओं का गैग घटना स्थल से नाले के रास्ते निकलकर जंगल की राह लौट रहा था। गैग का दुश्मन अपनी सोची समझी युक्ति के अनुसार उसी रास्ते में छिपा बैठा था। उसने अचानक लौटते हुए गैग पर फायरिंग कर दी। पहले ही फायरिंग पर एक चीख आयी-"सरदार, गोली लग गयी है"। गैग के एक सदस्य ने अपने मृत साथी की राइफल लेकर उसे उठाना चाहा, परन्तु लगातार फायरिंग होने के कारण गैग को लगा कि कई लोग फायरिंग कर रहे है। अतः वह अपने मरे हुये साथी को वहीं छोड़कर भाग निकले। रात अंधेरी थी। आसपास कुछ सूझता नहीं था। फिर भी, गैग का दुश्मन समझ चुका था कि महावीरा गैग भाग गया है। भागने की पदचाप उसने साफ-साफ सुने थे। वह स्वयं भी कभी इसी गैंग का सदस्य रह चुका था और गैग की पूरी गतिविधियों से अवगत था। साल भर पहले उसे गैग से निकाल दिया गया था। गैंग लीडर के मना करने पर भी वह अपनी प्रेमिका से मिलने छिपकर जाता रहता था। जब भी वह उससे मिलने जाता था, महावीरा द्वारा दी गयी चेतावनी मौत के वांरट की तरह उसके साथ रहती थी। गैग लीडर की चेतावनी और गोली का डर भी इस प्रेम-दीवाने को अपनी युवा प्रेमिका पर निछावर होने से न रोक सका। गैग से निकाल देने तथा मार डालने की चेतावनी पर भी यह प्रेम का पुजारी अपनी गर्भवती प्रेमिका के मोह-पाश से अपने को मुक्त नहीं करा सका। उसकी इच्छा अपनी प्रेमिका की घनेरी जुल्फों के साये में अन्तिम क्षण तक जीने की थी। उसने स्वयं को प्रेम की बलिवेदी

पर निछावर कर दिया था। हालांकि इसके फलस्वरूप उसे अपने भाई, भावज और एक भतीजे के साथ-साथ गांव के अन्य १४ निर्दोश पड़ोसियों व रिश्तेदारों को खोना पड़ा था। फायरिंग वन्द होने के वाद वह पागलों की तरह गॉव की ओर वढ़ा। उसे विश्वास था कि महावीरा गैग ने उसके परिवार व गांव वालों को नस्तनावूद कर दिया होगा। नाले में उसे गैग के एक सदस्य की लाश व राईफल मिली थी, जिस पर उसने थूक दिया। अपनी वन्दूक से उसके मुंह को कुचल कर वह थका, लुटा-पिटा एवं निराश अपने गांव आया और युद्ध वीभत्स नरसंहार को देखकर रोने लगा। अपने भाई, भावज व भतीजों की लाशों से लिपट-लिपट कर वह खूब रोया। हमारे पूछने पर उसने पूरे वीभत्स काण्ड की कहानी दोहराई। यद्यपि हम लोगों ने उसकी वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, परन्तु उसने उसे वीरता नहीं वल्कि अपने प्रेम के पागलपन से उत्पन्न मौत का ताण्डव माना था जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार एवं गांव के निर्दोश व्यक्तियों को जीवन से हाथ धोना पड़ा था। हम लोगों ने गैग के एक दुश्मन के अदम्य साहस, चुस्ती-फुर्ती व युक्तिसंगत योजना की यह पहली घटना देखी थी। भीषण हत्याकांड और आगजनी की घटना के पश्चात वह गैग को खदेड़ने, उसके एक सदस्य को मार गिराने तथा स्वयं को वचाने में सफल होकर लौटा था। इस प्रकार के शौर्य की कहानी वर्षो वाद मैंने सुदूर उत्तरी-पूर्वी राज्य मणिपुर में सी.आर.पी. एफ. के जवान वदरूद्दीन द्वारा वहां के कुख्यात (इन्सरजेन्ट) भूमिगत विद्रोहियों के खिलाफ दोहराते हुये पायी थी। वदरूद्दीन की वीरता एवं कौशल प्रेरणा इसी पुस्तक में अन्यत्र सविस्तार उपलब्ध है।

रात को हम लोग डाक वंगला पहुंचे। डी.आई.जी. ने रात्रि के भोजन हेतु मुझे वुलाया था। मेरे पास वदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अतः मै केवल मुंह-हाथ धोकर वही वर्दी पहने उनके साथ भोजन पर वैठ गया। डी.आई.जी. ने भोजन के समय मुझसे कपड़े न वदलने के वारे में पूछा मैने उन्हें वताया कि उनके आदेश पर अपने निवास स्थान न जाकर उनके साथ तुरन्त एटा के लिए प्रस्थान कर गया था। भोजन के पश्चात रात में ११ वजे महावीरा गैग के समाप्त करने की योजना तैयार करने हेतु अधिकारियों की एक मीटिंग वुलायी गयी थी। मीटिंग में डी.आई.जी. ने एस.पी. व सभी सी.ओ. से महावीरा गैग द्वारा डाली गयी डकैतियों, गैग के सदस्यों की संख्या व असलहों की सूची मांगी थी। सोमप्रकाश जी वार-वार यही कर रहे थे कि इस गैग के विरुद्ध कार्यवाही करने के वहुत प्रयास किये जा चुके है परन्तु सफलता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने इसके दो कारण वताये। प्रथम, उसे अपनी जाति-विशेष के लोगों की पूरी सहायता व समर्थन प्राप्त था। द्वितीय, पुलिस से भी उसे उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की सूचना मिल जाती थी। अतः उनका सुझाव था कि जव

तक पुलिस फोर्स से व्यापक-स्थानान्तरण नहीं कर दिये जाते, तब तक इस गैग के विरुद्ध सफलता मिल पाना सम्भव नहीं है । डी.आई.जी. ने उनकी बातों को समझकर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि एक जाति विशेष के पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने से समस्या का समाधान नहीं होना था बल्कि ऐसा करने से पुलिस फोर्स का मनोबल गिरता और फोर्स में अकारण पार्टीबन्दी हो जाने की सम्भावना अधिक थी । डी.आई.जी. ने लक्ष्मीराज सिंह, इन्सपेक्टर कोतवाली एटा को इस गैग को समाप्त करने की योजना का भार सौपा क्योंकि वह कई अच्छे गैंगों से मुठभेड़ कर चुके थे । १५ दिन की अवधि में इस गैग से मुठभेड़ निर्धारित की गयी । लक्ष्मीराज सिंह इसके पूर्व भी डी.आई.जी. के साथ नियुक्त रह चुके थे, इसलिए उनकी क्षमता पर उन्हें विश्वास था । लक्ष्मीराज सिंह लगातार वहीं कारण दोहराते रहे जो उनके एस.पी. बता चुके थे । उनका यह भी कहना था कि आपरेशन इन्चार्ज होने से काम तब तक नहीं बनेगा, जव तक थाने के स्टाफ पर उनका पूर्ण अधिकार न हो । सुवह ४ बजे तक मीटिंग चलती रही ।

मुझे लगा था कि पुलिस कार्यवाई का यह सिलसिला लम्बा चलेगा, अतः मै प्रातः ही आगरा चला जाना चाहता था । एक दिन बाद फिर पूरी तैयारी से एटा लौट आने का कार्यक्रम था । परन्तु जब मैने डी.आई.जी. को अपना मन्तव्य बताया, तब उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुये उत्तर दिया कि जब तक वह वहां ठहरेगें, तब तक मुझे भी उनके साथ ठहरना होगा । मैने कहा कि मेरी पत्नी को भी ज्ञात नहीं होगा कि मै एटा चला आया हूँ । मेरे पास पहनी हुई वर्दी के अतिरिक्त बदलने को कपड़े भी नहीं है । पिछले तीस घंटे से यही पहने हूँ । फिर भी उन्होंने मुझे आगरा लौटने की स्वीकृति नहीं दी । उन्होंने कहा कि मिसेज डी.आई.जी. उनका सब सामान लेकर एटा आ रही है, अतः मै भी अपने निवास पर फोन करके उन्हीं के साथ अपने कपड़े मंगवा लूँ । अपने घर फोन करके मैने पत्नी से कहा कि लगता है कि अभी डी.आई.जी. मुझे २-३ दिन और रोकेगें, अतः वह मेरी दो वर्दी व कपड़े श्रीमती डी. आई.जी. के साथ भेज दें । सरला जी कुछ रुष्ट हुई, क्योंकि मैं उन्हें बिना बताये ही एटा चला आया था और रात भर भी कोई सूचना उन्हें नहीं दी थी । जब उन्हें पता लगा कि मै डी.आई.जी. के साथ एटा गया हूँ तब उन्होंने फोन करके मिसेज गोविन्द चन्द्रा से मेरे विपय में पता लगाया और जाना कि हम लोग एक बड़े गैग की खोज में एटा गये हुये हैं । जब मैने एटा की घटना के कुछ अंश व स्थिति के बारे में बताया, तब उन्होंने सहज भाव से कहा था कि अपना भी ख्याल रखियेगा । सरला ने जब मिसेज डी.आई.जी. को दुबारा फोन किया तो पता चला कि वह तो एटा जा चुकी है । दिन के खाने के समय हम लोगों के साथ मिसेज गोविन्द चन्द्रा भी थी । उन्होंने ही डी.आई.जी. व मेरे लिए भोजन तैयार कराया था । मिसेज

डी.आई.जी. ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी ने सुबह फोन करके मेरा समाचार पूछा था। उस समय भी मै वही वर्दी पहने हुये था, जो पिछले दिन आगरा से पहन कर आया था। गर्मी भी बहुत थी। पसीना निकल रहा था। मुझे ऐसी दशा में डी.आई.जी. व उनकी पत्नी के साथ भोजन करते बहुत बुरा लग रहा था। सम्भव था कि मेरे कपड़ों से दुर्गन्ध आ रही हो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। भोजन के पण्चात मै एस.पी. के बंगले पर गया और वहां से फोन पर सरला से वार्ता करके अपने कपड़े आदि एक सिपाही के साथ तुरन्त एटा भेजने को कहा। मुझे रात का भोजन भी उसी गंदी वर्दी मे रहकर डी.आई.जी. व उनकी पत्नी के साथ करना पड़ा था।

यहां इस बात का उल्लेख विशेषतः मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को विशेषकर नये पुलिस अधिकारियों को ज्ञात हो सके कि उस समय पुलिस में कितना अधिक अनुशासन तथा वरिण्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करने का प्रचलन था। वर्तमान में कुछ नये पुलिस अधिकारी अन्य विभाग के अधिकारियों की भांति हर आधा घंटे बाद "फ्रेशनर" से सुगंधित होते रहते है। सम्भवतः उन्हें यह आभास नहीं है कि पुलिस की नौकरी मौजमस्ती की नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व की है। जब तक पुलिस अधिकारी का शरीर फौलादी नहीं होता, उसका आकलन उच्चकोटि के अधिकारियों में नहीं होता। नेतृत्व के एक अन्य बहुत सुन्दर उदाहरण का उल्लेख करना मै यहां उचित समझता हूँ। अपने प्रारम्भिक सेवाकाल में जब मै लखनऊ में एडीशनल एस.पी. था तो अपनी पत्नी के साथ एक दिन शाम को पहले से निर्धारित समय पर मै शान्ति प्रसाद जी, आई.जी. के निवास पर शिष्टाचार के नाते मिलने गया। हम दोनों वहां निर्धारित समय पर पहुंच गये थे। श्रीमती शांति प्रसाद ने हम दोनों को बड़े प्यार से अन्दर बुला लिया और हमें बैठाकर औपचारिक बातें करने लगीं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस कल्याण समिति का प्रतिनिधित्व भी करती थीं। अतः कभी-कभी मैं दिन में भी समय लेकर उनके पास इस सम्बन्ध में विचार करने जाया करता था और निर्णय के अनुसार पुलिस लाइन, लखनऊ में वेलफेयर सम्बन्धी कार्य कराता था। मुझे व सरला जी को वह बहुत अच्छी तरह जान गयी थी। हमारे कार्यो को वह पसन्द भी करती थीं। शान्ति प्रसाद जी तो मेरे कामों से हमेशा आश्वस्त रहते थे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी सराहना प्रायः करते रहते थे। उनमें से प्रमुख थे श्री सी.पी. जोशी, डायरेक्टर यू.पी. पुलिस वायरलैस तथा पी.एस. रतूड़ी, आई.जी. के सहायक। उस दिन श्री शान्ति प्रसाद किसी विषय पर अपने सहायक पी.एस.रतूड़ी से आवश्यक चर्चा कर रहे थे। उनके अंग्रेजी डिक्टेशन के ढंग का सभी लोहा मानते थे। वे बिल्कुल सही व सुन्दर अंग्रेजी लिखाते थे। अपनी भर्राई हुई प्रभावशाली आवाज से तेज डिक्टेशन देते थे बीच-बीच में

जोर की आवाज सिगरेट के कस के साथ खींचते जाते थे। सिगरेट पर जमी राख को झाड़ने का उनका ढंग भी निराला था। उसे देखकर लोग बड़े प्रभावित होते थे। पहले उंगली में फंसी हुई सिगरेट वाले दाहिने हाथ को वह बांये हाथ की तरफ तेजी से खींचकर लाते फिर हल्के से बांये हाथ को टेबिल से थोड़ा ऊपर उठा लेते। जब वह हवा में होता तो दाहिना हाथ उस पर कसके चटाक की आवाज करते हुये ठोंक देते थे। फिर कसा और आगे का डिक्टेशन। उनके एक और तरीके का जिक्र कर रहा हूँ जो अन्य सभी पुलिस अधिकारियों से भिन्न था। वे जब किसी पी.ए.सी. बटालियन का निरीक्षण करते थे, तो अपने सी.ए. को साथ में नहीं बैठाते थे, बल्कि अपने किसी नये आई.पी.एस. अधिकारी (डिप्टी ए. टू.आई.जी.) को बगल में बैठाते थे और सामने जिस अधिकारी की बटालियन का निरीक्षण करते थे उसे खड़ा कर लेते थे। सारे स्टेटमेंट तेजी से पढ़ते थे और फिर उस पर दो-चार सवाल पूछते। कुछ शब्द अपने डिप्टी ए.टू.डी.जी. को नोट भी कराते थे। सुबह परेड का निरीक्षण अवश्य करते थे और निरीक्षण दिन के खाने के पूर्व तक समाप्त कर लेते थे। इसके पश्चात इन्सपेक्शन हाउस में भोजनोपरान्त थोड़ा विश्राम करते और लगभग तीन बजे दिन में अपने सी.ए. व डिप्टी ए.टू.डी.जी. को बुलाते थे। बटालियन के इन्सपेक्शन पर डिप्टी ए.टू.आई.जी.पी. द्वारा लिये गये नोट्स की मदद से निरीक्षण के बारे में डिक्टेशन देकर पूरा विवरण लिखा देते थे। मेरी १०ए बटालियन, जहांगीराबाद का निरीक्षण भी उन्होंने इसी प्रकार किया था। उस समय उन्होंने मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे थे और सुझाव भी दिये थे। त्रुटियां बतायी थीं परन्तु डिप्टी ए.टू.आई.जी. को केवल कुछ शब्द ही नोट कराये थे। अतः मैं समझता था कि निरीक्षण के सम्बंध में लिखाते समय वह त्रुटियों, कमियों एवं सुझावों आदि को भूल जायेंगें। लेकिन पांच दिनों बाद जब आई.जी. का निरीक्षण नोट आया, मैं भौचक्का रह गया। उसमें सारी बातें विस्तारपूर्वक लिखी गयी थीं। इतना ही नहीं बल्कि स्टेटमेंट में अंकित सारी "फिगर" उन्हें याद थीं। निश्चित रूप से उनका निरीक्षण का ढंग बहुत विचित्र था जो उनकी अच्छी स्मरणशक्ति, बुद्धिमत्ता एवं प्रभावशाली नेतृत्व का परिचायक था।

महावीरा गैंग वाली घटना के दो दिन बाद आई.जी.पी. शान्ति प्रसाद एटा आये थे। उनके साथ इस्लाम अहमद, डी.आई.जी. लखनऊ रेंज भी थे। उस समय वह सबसे वरिष्ठ डी.आई.जी. थे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायी, जिसमें एटा, मैनपुरी फर्रूखाबाद तथा शाहजहांपुर के एस.पी. आदि भी थे। इस मीटिंग में सोम प्रकाश एस.पी. एटा और डी.आई.जी आगरा के साथ मैं भी सम्मिलित हुआ था। सोम प्रकाश व गोविन्द चन्द्र जी ने इस घटना के पूरे प्रकरण की जानकारी शान्ति प्रसाद जी को करायी थी। महावीरा गैग का पूरा इतिहास समझने के बाद शांती प्रसाद जी ने श्री इस्लाम अहमद, डी.आई.जी.

लखनऊ तथा मैने जी.के.बाजपेयी की राय लेकर तुरन्त निर्णय लिया कि महावीरा की तलाश के लिए नियमानुसार एस.पी., एटा द्वारा एक अभियान चलाया जायेगा। उक्त अभियान का इंचार्ज श्री इस्लाम अहमद डी.आई.जी. लखनऊ को बनाया गया। श्री इस्लाम अहमद ने अभियान की कमान सम्भालते हुये आई.जी. साहब से कहा कि श्री इनाम अली इन्सपेक्टर को सोम प्रकाश जी की मदद के लिए गैग की तलाश और अन्य कार्यवाही हेतु तीन महीने के लिए नियुक्त कर दिया जाय। इस तरह श्री इनाम अली एटा आ गये। मै लगातार वहां आता-जाता रहता था। मै कभी अकेला पी.ए.सी. चैक करने और कभी महावीरा गैंग के विरुद्ध डकैती अभियान में आवश्यकता पड़ने पर जाता था। डकैती अभियान की प्रगति की सूचना भी मै आगरा रेंज के डी.आई.जी. गोविन्द चन्द्र जी को देता रहता था। इसी बीच, मैने श्री इनाम अली से ऐसे खूंखार गैग के विरुद्ध गोपनीय सूचना एकत्र कर विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करने तथा गैंग पर दबाव डालने व डलवाने के ढंग सीखे। श्री इनाम अली गैग के लोगों को कैसे अपने पक्ष में तोड़ते थे, गैग के प्रमुख व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा गैंग पर कैसे दबाव डलवाते थे तथा गैग से सम्बन्धित अपराधियों से जेल में मिलकर कैसे प्रलोभन देते थे आदि भी मैने देखा था। मैं श्री इनाम अली की विना थके मीलों पैदल चलने तथा सिर्फ एक-दो सिपाहियों के साथ ही किसी भी खतरनाक इलाके में जाकर गैग के विरुद्ध कार्यवाही करने की क्षमता को देखकर बड़ा प्रभावित था।

अभियान में कार्य करते उन्हें २९ दिन ही हुये थे कि उन्होंने एक घर में महावीरा के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त कर ली। फिर उस घर को चारों ओर से घेर लिया। श्री सोम प्रकाश जी को भी वहां बुलवा लिया गया था। मेरठ की पी.ए.सी. उनके साथ थी। श्री इनाम अली ने महावीरा को घर के वाहर आने तथा आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। महावीरा ने बड़े खूंखार लहजे में कहा तुम सब मरने के लिए यहां आये हो। फिर घर का दरवाजा थोड़ा खोलकर अपनी कारबाईन से एक बर्स्ट फायर श्री इनाम अली पर कर दी श्री इनाम अभी सतर्क थे अपने बचाव वह में तुरन्त पत्थर की एक टेकरी के पीछे झुककर बैठ गये। पुलिस व पी.ए.सी. ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दीं। महावीरा बराबर किवाड़ बंद किये था। उसे जब पुलिस पर गोली चलानी होती, तो कार्बाइन की नाल को बाहर करने के लिए दरवाजे में थोड़ी सी जगह बनाकर फायर कर देता था। श्री इनाम अली ने आगे बढ़कर पी.ए.सी. के एक प्लाटून कमाण्डर और कुछ सिपाहियों को घर की छत पर चढ़ कर कोने से छत को काटकर अन्दर हैन्ड ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। दस मिनट बाद हैण्ड ग्रेनेड अन्दर फेंका गया। वहां चारों तरफ धुंवा व आग निकलने लगी। ग्रेनेड की चोटों से बुरी तरह घायल महावीरा अपनी कारबाईन लेकर बगल के कमरे में भाग गया। वह दरवाजा खोलकर

कारबाईन से सिंगल शाट फायर भी कर रहा था। इसी के दौरान एक राउंड श्री सोम प्रकाश जी के कान के पास से निकल गया। महावीरा रुक-रुक कर फायरिंग कर रहा था। उसके घर के अन्दर होने के कारण पुलिस की फायरिंग प्रभावशाली नहीं हो रही थी। इसी मध्य, मेरठ पी.ए.सी. के एक हवलदार ने अपनी टी.एम.सी. से एक बर्स्ट फायर दरवाजे की दरार से घर के अन्दर कर दी। श्री इनाम अली व श्री सोम प्रकाश जी लगातार फायरिंग कर रहे थे। घर के अन्दर से जब देर तक फायरिंग की आवाज नहीं आयी तो श्री इनाम अली दरवाजे को धक्का देकर अन्दर घुंस गये। उनके साथ पुलिस बल के और लोग भी घर के अन्दर घुसे। वहां महावीरा जमीन पर चित पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर घावों से लहूलुहान हो चुका था। टी.एम.सी. की गोलियां व ग्रेनेड की किर्चो से उसका शरीर छलनी -छलनी हो चुका था। इस प्रकार शान्ति प्रसाद जी ने अपने नेतृत्व व क्षमता के आधार पर डकैती उन्मूलन अभियान चलाकर और श्री इनाम अली की नियुक्ति द्वारा एक ऐसे खूंखार गैंग का पटाक्षेप किया, जिसके अत्याचारों और वीभत्स काण्डों से स्थानीय जनता का जीना दूभर हो गया था। मैने उक्त मुठभेड़ के घटनास्थल का निरीक्षण डी.आई.जी. गोविन्द चन्द्र जी के साथ किया था। इस मुठमेड़ में श्री सोम प्रकाश एवं श्री इनाम अली को वीरता एवं अदम्य साहस के लिए इण्डियन पुलिस पदक से विभूषित किया गया था।

इन घटनाओं की प्रस्तुति का एक लक्ष्य यह भी है कि पुराने क्षमतावान और साहसी पुलिस अधिकारियों के अच्छे कार्यो से वर्तमान अधिकारियों को टीम वर्क व अच्छे नेतृत्व की ट्रेनिंग मिल सके। व्यक्तिगत रूप से मुझे शान्ति प्रसाद जी व श्री इनाम अली द्वारा बताये गये तरीकों से बहुत सीख मिलीं। पर बाद में इन्ही सीखों के आधार पर मैं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी की नियुक्ति के समय चम्बल के कुख्यात जंगा गैंग को समाप्त करा देने में सफल रहा।

मक्खनपुर अपहरण काण्ड चम्बल गिरोह ध्वस्त

वर्ष १९६७ में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन समाप्त होकर संविद सरकार के नाम से कई मिली-जुली राजनैतिक पार्टियों का शासन प्रारम्भ हुआ। श्री चन्द्रभान गुप्त के स्थान पर श्री चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्री शान्ति प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (आई०जी०पी०) पद से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली थी क्योंकि चरण सिंह जी से उनके सम्बंध बहुत अच्छे नहीं थे। शान्ति प्रसाद जी के आदेश से मै १५ बटालियन, पी०ए०सी०, आगरा से स्थानान्तरित होकर मैनपुरी का पुलिस अधीक्षक बना दिया गया था। यह उनके प्रशासन काल का अन्तिम स्थानांतर आदेश था। मुख्यमंत्री ने शान्ति प्रसाद जी के स्थान पर श्री जियाराम आई०पी०एस० को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिरीक्षक (आई०जी०पी०) बनाया।

मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक का पद भार ग्रहण करते ही सर्वप्रथम मैने यह पता लगाया कि चम्वल घाटी के किस डाकू गैग ने इस जनपद में अन्तिम बार डकैती डाली थी। मै जानता था कि जब कभी भी प्रदेश-प्रशासन में चम्बल के डाकू गिरोहों की बातें उठती थीं, तो सर्वप्रथम आगरा, दूसरे नम्बर पर इटावा और अन्त में मैनपुरी का नाम लिया जाता था। मैनपुरी के थाना शिकोहाबाद के अन्तर्गत रपड़ी नामक एक पुलिस चौकी है, जिसका क्षेत्र यमुना के बीहड़ों तक था। इस पुलिस चौकी से लगा यमुना के बीहड़ों के दूसरे किनारे का क्षेत्र आगरा में आता था। इसी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध पंचमुखी भगवान शिव का मन्दिर है जो "बटेश्वर" के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यमुना नदी के किनारे अपने-अपने क्षेत्रों की शान्ति व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आगरा और मैनपुरी के पुलिस अधीक्षकों पर रहती है। इस

मेले में सदैव चम्बल घाटी के डाकू गिरोहों की वारदातों का भय बना रहता है। इसलिए आगरा और मैनपुरी पुलिस को बहुत सतर्क रहना पड़ता है।

श्री गया प्रसाद जी, जो उस समय जिला परिषद आगरा के चैयरमैन थे, टूंडला के रहने वाले थे। वह मेले के अध्यक्ष भी थे। जब मैं पी०ए०सी० आगरा में कमान्डेन्ट के पद पर नियुक्त था तो एक बार बटेश्वर मेले में अपनी पत्नी के साथ गया था। आगरा के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक राधेश्याम शर्मा भी हमारे साथ सपत्नीक मेले में गये थे। हम लोग रात में यमुना किनारे लगे कैम्पों में ठहरे थे । सुबह बटेश्वर जी के दर्शनार्थ मन्दिर में जाते थे। एक दिन राधेश्याम शर्मा जी ने शाम को चाय पीते समय सरला जी से हंसी-हंसी में कहा कि क्या आप चम्बल की घाटियां देखना चाहेंगी। उन्होंनें तुरन्त हॉ कर दीं। अतः हम लोग ३-४ जीपों में बैठकर घाटियां देखने निकल गये। मीलों तक फैली भयानक घाटियों को देखकर पत्नी सरला व श्रीमती शर्मा भयभीत अवश्य हुई, परन्तु चलती रहीं। यात्रा के मध्य में ही वायरलैस सैट पर चन्दोला जी (सी० ओ०, डकैती आपरेशन) ने एस०एस०पी०, आगरा को सूचना दी कि हम लोग वापस लौट आयें। उन्हें डाकुओं के गैग की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस सूचना पर हम सब आश्चर्यचकित रह गये। मैं तथा शर्मा जी, कुछ अन्य अधिकारियों के साथ पी०ए०सी० की गाड़ी में बीहड़ों की ओर चल पड़े तथा सरला जी व श्रीमती शर्मा को थानाध्यक्ष व कुछ पुलिस फोर्स के साथ कैम्प में वापस भेज दिया । रात १०.३० बजे तक हम लोग भी लौटकर अपने कैम्पों में आ गये । सरला जी घबराई हुई थीं। मुझे देखकर मुस्कराकर बोली "यहां के बीहड़ बड़े डरावने है"। मैने उनसे कहा कि मै उन्हें वाह-पिनहट, धौलपुर, मुरैना तथा ग्वालियर की इससे भी भयानक बीहड़ें दिखाऊँगा। बाद में चम्बल घाटी के डकैतों से सम्बन्धित ग्वालियर में एक अन्तर-प्रदेशीय मीटिग में वह मेरे साथ ग्वालियर व मुरैना की घाटियां देखने गयी थीं। एक विदुषी महिला होने के नाते उन्होंने ऐसे भयानक स्थानों पर डाकुओं से मुठभेड़ करने और उनकी आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने हेतु पुलिस को कैसी-कैसी कठोर स्थितियों का सहारा लेना पड़ता है, यह अध्ययन भी किया था। इसीलिए जब मै ऐसी स्थितियों से निपटने बाहर जाया करता थां, तो वह अर्धांगिनी होने के कारण उस समय तक चिन्तित रहती थीं, जब तक मै सकुशल वापस नहीं लौट आता था।

मैनपुरी में चम्बल गिरोह की अन्तिम डकैती तत्कालीन डाकू राजा मानसिंह द्वारा सन् १९५० के दशक में रपड़ी के ठाकुर साहब के घर डाली गयी थी। यद्यपि उन्होंने वीरतापूर्वक गैग का सामना किया था, परन्तु डाकू मानसिंह से वे परास्त हो गये और घर से

भाग कर अपनी जान बचायी थी । वह ठाकुर साहब अभी जीवित थ . मै जब भी रपड़ी जाता उनसे अवश्य मिलता । वहां वे एक चक्की लगाये हुये थे और बाजार भी लगवाते थे । उनका व्यक्तित्व रोबीला था । अपने मकान की ऊपरी मन्जिल से चम्बलघाटी के गिरोहों के आवागमन पर वह बराबर दृष्टि लगाये रहते थे, और सुरक्षा हेतु हमेशा एक-दो बन्दूकधारियों को अपने साथ रखते थे । मुझे पता लगा कि थाना जसराना मैनपुरी में जंगा डाकू की ससुराल है, पर वर्षो से वहां उसके आने की सूचना नहीं थी । यद्यपि मैनपुरी में चम्बल के गिरोहों द्वारा आपराधिक घटना की गयी थी, फिर भी चौकी रपड़ी क्षेत्र को हमेशा "आपरेशनल एरिया" माना जाता था । श्री अबरार हुसैन सी०ओ०, शिकोहाबाद को अपने दायित्व के अतिरिक्त 'सी०ओ० आपरेशन' का भी काम देखना पड़ता था ।

पी०ए०सी०, आगरा में सूबेदारों की प्रोन्नति से सम्बन्धित परीक्षा के सिलसिले में मुझे दो दिन बाद आगरा जाना था । मै अपना कार्यक्रम श्री आर०सी० गोपाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को भेज चुका था और पी०ए०सी० गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कमरा भी रिजर्व करा लिया था । आगरा प्रस्थान करने से एक दिन पूर्व शाम को मुझे सूचना मिली कि चम्बल घाटी के जंगा-फूला गिरोह के मैनपुरी आने की सम्भावना है । मैने तुरन्त एक सी०ओ० (डिप्टी एस०पी०) को बुलाकर उन्हें पूरी सूचना से अवगत करा आदेश दिया कि वह फोर्स लेकर जीप से जसराना की तरफ निकल जायें और उक्त सूचना का सत्यापन करें । इसी सूचना के साथ मैने श्री अबरार अहमद, सी०ओ० आपरेशन को भी रपड़ी भेजा । दोनों अधिकारियों को सुबह आठ बजे तक वापस आकर पूरी स्थिति से मुझे अवगत कराना था ताकि मै आगरा जाने का कार्यक्रम उसी के अनुसार बनाता । दोनों अधिकारियों ने मुझे समय पर वापस आकर आश्वस्त कर दिया था कि उक्त सूचना सही नहीं थीं । अतः मैं पूर्ववत् कार्यक्रम के अनुसार आगरा के लिये सुबह १० बजे प्रस्थान कर गया । परन्तु पता नहीं क्यों मेरे मन में डाकुओं के गैंग के प्रति कुछ संदेह था । अतः मैंने पत्नी सरला को अपने साथ आगरा ले जाना उचित नहीं समझा । आगरा पहुंच कर मैंने सूबेदारों की प्रोन्नति से सम्बन्धित परीक्षा प्रारम्भ करा दी । रात ११ बजे पी०ए०सी० सेनानायक के बंगले पर जब मैं भोजन के उपरान्त सो रहा था कि रात १२.३० बजे अर्दली ने अचानक मुझे जगाया और कहा कि श्री अबरार अहमद, सी०ओ० आपरेशन, मैनपुरी टेलीफोन पर हैं मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं । श्री अबरार अहमद ने टेलीफोन पर बुरी तरह हांफते हुये बताया कि शिकोहाबाद तथा फिरोजाबाद के बीच मुख्य मार्ग पर मक्खनपुर बाजार में, जो थाना शिकोहाबाद में पड़ता है, एक बहुत बड़ा काण्ड हो गया है । डाकुओं ने शाम को

अचानक वहां पहुंचकर थ्री-नॉट-थ्री राईफलों से अन्धाधुन्ध फायरिंग की, वहां की दुकानों की दीवारों पर सैकड़ों छेद दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर राईफल के सैकड़ों खोखे बिखरे पड़े है। गैंग सात व्यापारियों के लड़कों का अपहरण कर आगरा की ओर भागा है। यह घटना निश्चय ही किसी चम्बल गिरोह द्वारा की गयी लगती है अन्य किसी गैग के पास इतनी 'फायरिंग-पावर' नहीं है। उन्होंने मुझसे तुरन्त पी०ए०सी० भेजने का अनुरोध किया था।

इस सूचना पर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गयी। लेकिन मैने निश्चय किया कि उसी क्षण और रात ही में उचित और आवश्यक कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिये। अपहरण किये गये सात लड़कों को यदि तत्काल मुक्त नहीं कराया गया तो पुलिस के विरुद्ध जनआक्रोश उमड़ पड़ेगा। प्रत्येक दशा में यह घटना पुलिस वालों को कलंकित करेगी। मेरे कुशल प्रशासन और कार्यक्षमता पर हमेशा के लिए काला धब्बा लग जायेगा। यह अच्छा हुआ था कि मैं सरला को अपने साथ आगरा नहीं लाया था। मैने तुरन्त एस०के० शुंगलू, एस०एस०पी०, आगरा से टेलीफोन पर संपर्क किया और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया और कहा कि मै तुरन्त डी० आई०जी० रिजर्व की एक कम्पनी पी०ए०सी० लेकर शिकोहाबाद आपरेशन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। वह उचित समझें तो मेरे साथ चल सकते है। शुंगलू साहब पुलिस-सेवा में मुझसे वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि वह बाद में आयेंगें। लेकिन डी०जी०पी० रिजर्व पी०ए०सी० कम्पनी ले जाने की बात वह सुबह डी०आई०जी० को बता देगें।

मै पी०ए०सी० की एक कम्पनी लेकर सीधा मक्खनपुर चला गया। वहां की घटना बड़ी भयानक थी। दुकानों की दीवारें गोलियों की बौछारों से छलनी हो चुकी थीं, सड़क कारतूस के खोखों से पटी पड़ी थी। चारों तरफ रुदन और कोलाहल मचा हुआ था। जिस घर के लोग अपहृत कर लिये गये थे वे उनकी मौत के अलावा और कोई कल्पना नहीं कर पा रहे थे। श्री अबरार अहमद सी०ओ० असहाय से खड़े थे। श्री सिरोही, इन्सपेक्टर शिकोहाबाद वहां के लोगों को सान्त्वना दे रहे थे। सड़क पर पड़े राईफल के खोखों को पुलिस द्वारा नियमानुसार कब्जे में लेने तथा दीवारों के फोटोग्राफ लेने आदि का आदेश देकर मै तुरन्त श्री अबरार अहमद सी०ओ० को साथ लेकर थाना शिकोहाबाद चला गया। इन्सपेक्टर, शिकोहाबाद घटना स्थल पर ही विवेचना के लिए रुक गये। शिकोहाबाद थाने में मैने "आपरेशन एरिया" का नक्शा देखा और शिकोहाबाद, टूंडला या फिरोजाबाद से यमुना नदी पार करके गैंग के आगरा के बीहड़ों में जाने का अनुमान लगाया। तत्पश्चात एस०एस०पी०, आगरा से फोन पर निवेदन किया कि वे कृपया अपने क्षेत्र के बाहर एवं

फतेहाबाद जैसे थानों की तरफ यमुना नदी के सभी रास्तों पर पिकेटिंग कराकर अपने सी०ओ० को नियुक्त कर दें । एस०एस०पी०, आगरा ने मेरे अनुरोध के अनुसार सारी व्यवस्था करके अपने सी०ओ० सर्वश्री रिजवी और मौर्या को यथास्थानों पर नियुक्त कर दिया । सी०ओ० अबरार अहमद से मैंने चौकी रपड़ी की ओर से बीहड़ों पर नजर रखने को कहा । मैं प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी ले रहा था कि अचानक मुझे एटा के महावीरा काण्ड एवं श्री इनाम अली, डी०एस०पी० की याद आयी । महावीरा को एटा में मारने के पहले श्री इनाम अली आगरा के चम्बल बीहड़ क्षेत्र के अधिकतर थानों पर इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त रह चुके थे और उनकी गणना सबसे अधिक सफल अधिकारियों में होती थी । उन्हें उस क्षेत्र के डाकुओं के गिरोहों और वहां की परिस्थितियों की पूरी जानकारी थी । इनाम अली उस समय डी०एस०पी० पद पर इटावा में नियुक्त थे । मैंने तुरन्त श्री वेद प्रकाश कपूर (आई०पी०एस०), पुलिस अधीक्षक, इटावा से फोन पर सम्पर्क किया और उन्हें मक्खनपुर बाजार की पूरी घटना बताकर श्री इनाम अली को अविलम्ब भेजने का अनुरोध किया । वह मेरे अच्छे मित्र थे और मुझसे कनिष्ठ अधिकारी थे । उन्होंने तुरन्त मेरे अनुरोध पर श्री इनाम अली को मक्खनपुर भेज दिया ।

इनाम अली को आने में लगभग एक घंटे का समय लगा । इस बीच मै थाना फिरोजाबाद व थाना टूंडला, जाकर वहां के इन्सपैक्टरों को इस सम्बन्ध में गश्त और निगरानी करने का आदेश देकर मक्खनपुर वापस आ चुका था । इनाम अली को जब इस घटना की जानकारी दी गयी तो उन्होने बड़ी दृढ़ता से कहा कि घटना के बाद गैंग टूंडला या फिरोजाबाद से रात को ही यमुना पार कर आगरा पहुंच गया होगा । उसे वहां पूरा एक दिन रुकना पड़ेगा, और अगले दिन ट्रक में सवार होकर आगरा से बाहर निकलेगा । वह फिरौती की बड़ी रकम लेकर ही अपहृत किये गये लोगों को छोड़ेगा ।

गैंग से मुठभेड़ के लिए पूरा दिन शेष था । श्री इनाम अली ने बताया कि गैग को मक्खनपुर से पैदल भागकर ही यमुना नदी पार करनी होगी । डाकू गिरोह १५-२० मील तक पैदल भागने के आदी होते हैं । लेकिन अपहृत लोग उनके साथ नहीं भाग पायेंगें । तब गैंग को उन्हें और अपने असलहों को पीठ पर लादकर भागना होगा तथा जल्दी से जल्दी यमुना नदी पार कर किसी सुरक्षित गांव में जाकर डेरा डालना होगा । अतः शिकोहाबाद, फिरोजाबाद व टूंडला की ओर से कल तक लगातार निगरानी गश्त जारी रखी जाय । साथ ही साथ थाना बाह व फतेहाबाद की ओर से भी बड़े फोर्स के साथ यही सिलसिला जारी रहना चाहिए । मैं श्री इनाम अली की उक्त योजना से सहमत था । उन्हें साथ लेकर मैं पुनः थाना

फिरोजाबाद गया । वहीं से थाना टूंडला भी गया, ताकि उनकी योजना पूर्णतः कार्यान्वित हो सके । टूंडला से लौटते समय श्री आर०सी० गोपाल, डी०आई०जी०, आगरा तथा श्री एस० के शुंगलू, एस०एस०पी०, आगरा भी मक्खनपुर जाते हुये रास्ते में मिल गये ।

श्री इनाम अली की बनायी योजना पर कार्य करने पर सब सहमत हो गये । मैंने शिकोहाबाद की ओर से तथा श्री इनाम अली ने फिरोजाबाद एवं टूंडला की ओर से निगरानी की कमान संभाली । श्री आर०सी० गोपाल, डी०आई०जी० ने मेरे अनुरोध के अनुसार आगरा लौटकर एक-एक प्लाटून पी०एस०सी० सर्वश्री रिजवी व मौर्या पुलिस उपाधीक्षकों के साथ भेजकर निर्देश दे दिये कि दोनों अधिकारी सतर्क रहकर इस योजना को सफल करें । इससे पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा जुड़ी है ।

आपरेशन की योजना के अनुसार सतर्कता से चारों ओर से निगरानी जारी थी । अपराह्न ढाई बजे सर्वश्री रिजवी और मौर्या, डी०एस०पी०,फतेहाबाद, आगरा की ओर से यमुना के किनारे-किनारे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक विचित्र घटना ने हमारे अभियान में नई उत्तेजना पैदा कर दी । एक गांव के पास जब पी०ए०सी० आगे बढ़ रही थी, एक लड़का एक ऊँचे पेड़ पर से कूदकर गांव की ओर भागा । थोड़ी ही देर में करीब २५ डाकुओं का पूरा गैंग अपने-अपने अस्त्र-शस्त्रों के साथ कुछ लोगों को अपनी-अपनी गोद में उठाये हुये तेजी से सामने से भागने लगा । सतर्क डी०एस०पी० मौर्या ने तुरन्त पुलिस व पी०ए०सी० को उन पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया । स्वयं अपनी रिवाल्वर से फायरिंग करने लगे । डी०एस०पी० रिजवी ने भी कुछ देर बाद अपनी फोर्स को फायरिंग का आदेश दे दिया । परिणामस्वरूप गैंग के दो डाकू मौके पर ही मारे गये । गैंग सदस्यों ने कोशिश की कि वह अपने मृत साथियों को उनके असलहों के साथ उठाकर ले जाए । परन्तु पुलिस की धुआंधार फायरिंग के कारण सफल नहीं हो सके, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए अपहृत सातों लोगों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए ।

मेरी सक्रियता के कारण कुख्यात डाकुओं को अपने जीवन में सबसे भीणण हार का सामना करना पड़ा । मैंने बिना एक मिनट का समय नष्ट कर लगातार डाकुओं का पीछा कराकर तथा आगरा, मैनपुरी व इटावा जनपदों की पुलिस फोर्स व अधिकारियों को इकट्ठा करके एक वृहद योजना के तहत दो डाकुओं को जान से मरवाकर और कुछ को घायल करवाकर न केवल पुलिस की प्रतिष्ठा बचायी बल्कि सात अपहरण किये गये निर्दोश व्यक्तियों की जान बचाने और उनके दुखी परिवार वालों को फिरौती की लम्बी-लम्बी धनराशियों के भुगतान से बचाने में भी सफलता पायी । यदि मै घटना की रात सी०ओ०,

शिकोहाबाद की सूचना पर इतनी तीव्रता से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा एवं उनके अधीनस्थ पुलिस उपाधीक्षकों, पुलिस अधीक्षक इटावा एवं उनके अधीनस्थ डकैती आपरेशन विशेषज्ञ कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुलिस उपाधीक्षक श्री इनाम अली एवं पी०ए०सी० आगरा के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके योजनाबद्ध ढंग से अभियान शुरू न कराता तो डाकुओं द्वारा सातों अपहृत निर्दोश व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ता और पुलिस के मस्तक पर कलंक का टीका लगने से कोई नहीं बचा सकता था। मेरे प्रयासों से सातों अपहृत लोग बच गये थे। उन्हें पुलिस की अधाधुंध फायरिंग के मध्य किसी प्रकार की चोट नहीं आयी थी क्योंकि वे शुरू से ही जमीन पर निर्जीव से लुढ़के पड़े रहे थे। उनके शरीर की शक्ति और मस्तिष्क का संतुलन डाकुओं के डर के कारण क्षीण हो चुका था। मक्खनपुर की इस भीषण घटना की सफलता ने मैनपुरी और आस-पास के जनपदों में मेरे नाम की धूम मचा दी।

पत्रकार, अधिकारी एवं कर्मचारीगण मुझसे मिलकर तथा साधारण जनता पत्र/टेलीफोन द्वारा मेरी प्रशंसा के पुल बांध रही थी। मक्खनपुर में घर-घर मंगल मनाया गया। आतिशबाजियां छोड़ी गयीं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक तथा उप महानिरीक्षकों ने मुझे बधाइयां एवं प्रशंसा-पत्र भेजे। मैं गर्व अनुभव कर रहा था। पत्नी सरला भी अति प्रसन्न थीं। उनकी इच्छा थी कि वह स्वयं मक्खनपुर जाकर डाकुओं के चंगुल से छूट कर आये अपहृत व्यक्तियों से मिलें और घटनास्थल पर गैंग द्वारा चलाई गयी गोलियों के निशान देखें। एक विदुषी महिला होने के कारण वह अपने ज्ञानवर्धन हेतु वहां जाने का मन बना चुकी थीं। अपने पति को एक कठिन कार्य में सफल होने की बधाई देने के उनके इस ढंग को समझकर मै उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गया। हालांकि हमारी बेटी सोनी (माधवी) अभी केवल दो महीने की ही थी।

मैं, सरला तथा मैनपुरी के डी०एम० दूबे जी मक्खनपुर पहुंचे तो वहां श्री अबरार हुसैन, सी०ओ० व इन्सपेक्टर सिरोही पहले से उपस्थित थे। वहां पहुँचने पर हजारों लोगों ने हमें घेर लिया और तुमुलध्वनि से हमारी जय-जयकार करने लगे। स्त्रियों ने प्यार से सरला को गोद में उठा लिया। सातों अपहृत लोगों ने हम लोगों से बातें कीं। वे लगातार यही कहते रहे- "पुलिस ने भगवान बनकर हम लोगों की रक्षा की है वरना हम लोग तो मर ही चुके थे"। सरला जी वहां के वातावरण को देखकर गद्‌गद् थीं। उनकी आँखों में मेरे कार्य के प्रति सन्तोष के आंसू छलक आये। मैनपुरी का पुलिस अधीक्षक होने के नाते मै अपने कर्तव्य पालन, लगन और निष्ठापूर्वक कार्य करने से पूर्ण सन्तुष्ट था और अन्य पुलिस अधिकारियों

के लिए उदाहरण बन चुका था। इसके पहले भी मुझे दो भंयकर डकैत गैगों से मुठभेड़ में सफलता मिल चुकी थी। इस अभियान के सफल होने और मुठभेड़ में दो डाकुओं को मार गिराने के उपलक्ष्य में सर्वश्री मौर्या एवं रिजवी पुलिस उपाधीक्षकों को वीरता के लिए 'इण्डियन पुलिस पदक' से अलंकृत किया गया। यह पुलिस विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण था।

६

नये ढंग की लूट से सनसनी

स्वतंत्र भारत में पहली बार में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में १९६७ में सत्ताच्युत हुई। फलस्वरूप प्रदेश में संविद शासन का सूत्रपात हुआ। संविद सरकार कई राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से गठित हुई थी। श्री चरण सिंह, जो कांग्रेस छोड़कर अलग हुये थे, संविद-सरकार के मुख्यमंत्री चुने गये। वाराणसी के कम्युनिस्ट विधायक रुस्तम सैटिन को उन्होंने अपनी सरकार में उप गृह मंत्री नियुक्त किया। केन्द्र में कांग्रेस का शासन था और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर आसीन थीं। तुलनात्मक रूप से संविद शासन हर तरह से बेहतर था। राजनीतिक पार्टियों के सदस्य अपनी-अपनी आलोचनाओं के समय एक-दूसरे पर कटाक्ष जरूर करते थे, परन्तु सब कुछ मर्यादित एवं शालीनता की परिधि में रहता था। सदन में राजनीतिक पार्टियों के विधायकगण अपने भाशणों में योग्यता एवं वाकपटुता का प्रदर्णन मर्यादित ढंग से करने में अपना गौरव समझते थे। कई पार्टियों की साझा सरकार और उनके अलग-अलग विचारों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के प्रशासन में वर्षो पुराने कांग्रेस शासन की कार्यप्रणाली की तुलना में कुछ न कुछ अन्तर स्वाभाविक था। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वह दृष्टिगोचर भी होना था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को आज की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र भाव से कार्य करने की छूट थी। राजनीतिज्ञ प्रायः शिक्षित एवं विवेकशील होते थे। सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक शासन में भागीदार होते या न होते हुये भी निष्पक्षता से जुड़े थे। उनके विवेकशून्य होकर कार्य करने की घटनाएं कदाचित ही प्रकाश में आती थीं। साधारण जनता के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर निष्पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का वे भी साथ देते थे।

मै १९६७ में मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त था। एक दिन लगभग ११

बजे थे । कम्युनिस्ट नेता लल्लू सिंह चौहान, एम.एल.सी. अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर मुझसे मिलने आये । श्री चौहान तेजतर्रार विधायक थे, अतः उनसे वार्तालाप के समय मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते मुझे अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती थी और उन्हें सही स्थिति बताकर चुप कराना मेरा लक्ष्य रहता था । लेकिन उस दिन उनकी बातें आक्रामक शैली में नहीं थीं । उन्होने मुझे बताया कि वे कानपुर से मैनपुरी पहुंचने के लिए बस से यात्रा कर रहे थे कि थाना बेवर (मैनपुरी) के पास सड़क पर एक स्त्री और एक लड़का रोते हुये उन्हें दिखाई पड़े । जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने बस को वहीं पर रुकवाया और बस से उतर कर उनके पास जाकर उनका नाम, पता और रोने का कारण पूछा । लड़के ने अपना नाम अशोक तथा स्त्री ने गंगादेई बताया । अशोक की आयु लगभग १६ वर्ष तथा गंगादेई लगभग ३५ वर्ष की एक सुन्दर और स्वस्थ महिला थी । गंगादेई रिश्ते में अशोक की सगी बुआ थी । वे मैनपुरी शहर के पास के एक गांव के निवासी थे । अशोक ने बताया कि वह अपनी बुआ के साथ बेवर के पास एक रिश्तेदार के घर विवाह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था और बस की प्रतीक्षा में मैनपुरी बस स्टेशन पर बैठा था । तभी एक काले रंग की अम्बेसडर कार बस अड्डे पर आयी । कार के ड्राइवर ने अशोक से पूछा कि उन्हें कहां जाना है । अशोक ने उत्तर दिया कि वे बेवर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कार के ड्राइवर ने अशोक से कहा कि अम्बेसडर कार उसके सेठ की है । केवल तीन आदमी उसमें बैठे है । अगर तुम लोग चाहो तो बेवर तक तुम्हें भी कार से लेते चलेंगें । बेवर तक बस का जो भी किराया लगता हो, दे देना । वह उन्हें शीघ्र और आराम से बेवर पहुंचा देगा।

ड्राइवर की बातों में आकर और शीघ्र गन्तव्य स्थान पर पहुंचने की आशा में अशोक अपनी बुआ गंगादेई के साथ अपना लोहे का बक्सा लेकर कार की आगे की सीट पर बैठ गया । उनके बैठते ही कार चल पड़ी । जब कार थाना भोगांव पार कर बेवर की ओर जा रही थी, तभी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुये आदमियों में से एक ने डांटकर कहा - " लड़के, तुम लोगों के पास जो भी हो, उसको हमारे हवाले कर दो नहीं तो मारपीटकर कार से उतार देंगें और लोहे का बाक्स अपने साथ लेते जायेंगे । अशोक ने उत्तर में कहा कि वे लोग बहुत गरीब है । वह १०वीं कक्षा का छात्र है और उनके पास कुछ भी नहीं है । यदि वह चाहें तो उन्हें कार से वहीं उतार दें, वे पैदल चले जायेंगे । उसी समय कार के ड्राइवर ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर गंगादेई की छाती पर लगा दिया । वह जोर-जोर से रोने लगी । यद्यपि गंगादेई के रोने पर ड्राइवर ने उसकी छाती से रिवाल्वर हटा दिया, परन्तु उसकी लज्जा भंग करने पर उतारू हो गया । गंगादेई ने अपने सत्रीत्व की रक्षा के लिए ड्राइवर को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर बांध

लिया। अशोक चलती कार के दरवाजे में धक्का मारकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था किन्तु सीट पर बैठे आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उनमें से एक व्यक्ति ने गंगादेई के कानों से सोने की बालियां खींचकर निकाल लीं। उसके दोनों कान फट गये और खून बहने लगा। तभी ड्राइवर ने कार रोककर अशोक की जेब से ११ रुपये और बाक्स खोलकर उसमें रखे ३० रुपये भी निकाल लिये और बाक्स वहीं फैंककर कार मैनपुरी की तरफ भगा ले गया।

इस हादसे की रिपोर्ट पुलिस में कराने के लिए उन्होंने अशोक और उसकी बुआ को अपने साथ बस में बैठा लिया। जैसे ही बस बेवर बस अड्डे पर पहुंची, अशोक एकाएक चिल्लाया कि जो काली अम्बेसडर कार बस स्टेशन के अहाते में खड़ी है, यह वही कार है, जिस पर उसे तथा उसकी बुआ को लूटकर सड़क पर ढकेल दिया गया था। बस स्टेशन बेवर के अन्दर जाने का एक ही गेट था। रोडवेज बस के ड्राइवर गोविन्द ने अशोक की चिल्लाहट सुनकर बड़ी सूझबूझ से अपनी बस गेट पर इस प्रकार खड़ी कर दी, कि बस स्टेशन के अन्दर से कोई मोटरकार बाहर न निकल सके। अम्बेसडर कार के ड्राइवर और उसके साथी वहीं थे। उन्हें देखकर अशोक और उसकी बुआ गंगादेई ने पहचान लिया। वे चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे कि इन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा देकर अपनी कार में बैठाकर रास्ते में लूटा था। कार के ड्राइवर ने अशोक और उसकी बुआ को चिल्लाते देख कार को तुरन्त स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया। उसका एक साथी कार के अन्दर आ गया, परन्तु दो साथी भीड़ में घुसकर निकल जाने में सफल हो गये। गेट पर बस खड़ी होने के कारण ड्राइवर अपनी कार स्टेशन के अहाते से बाहर निकालने में असमर्थ था। अतः वह अपनी कार तेज गति से अहाते के अन्दर ही चलाने लगा। बस स्टेशन पर खड़ी भीड़ मूक-होकर तमाशा देख रही थी। अशोक व उसकी बुआ अपराधियों को पकड़ने के लिए गुहार लगा रहे थे। इस बीच लल्लू सिंह चौहान जी ने थाना बेवर को सूचना देने और पुलिस को बस स्टेशन पर बुला लाने के लिए अपने आदमी को भेज दिया था। फलस्वरूप सब- इन्सपेक्टर किशोरी लाल अपने दो सिपाहियों को लेकर बस स्टेशन पर आ गये। लगातार चक्कर लगाते और बढ़ती भीड़ एवं पुलिस के आ जाने से कार का ड्राइवर सन्तुलन खो बैठा। उसकी कार बिजली के पोल से टकरा कर अपने आप रुक गयी। ड्राइवर व उसके साथी ने कार से निकलकर भागने का प्रयास किया, परन्तु वहां उपस्थित पुलिस एवं भीड़ ने इन दो बदमाशों को पकड़ लिया। लूट का शिकार एवं उत्तेजित अशोक कार के ड्राइवर को पकड़े जाने के पश्चात मारने पीटने लगा।

सब-इन्सपेक्टर किशोरी लाल ने दोनों को गिरफ्तार कर साक्षियों के समक्ष उनके नाम-पते पूछे और उनकी जामा-तलाशी ली। ड्राइवर ने अपना नाम अली और साथी का नाम मदन लाल निवासी दिल्ली बताया। थाना बेवर में इस धोखाधड़ी एवं लूट की घटना की रिपोर्ट अंकित कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। अशोक व गंगादेई के बयान लिखकर विवेचनाधिकारी सब- इन्सपेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उसका नक्शा बनाया और गिरफ्तार किये गये अपराधियों से पूछताछ प्रारम्भ कर दी। उन दोनों ने अपने पर लगाये गये अपराधों को अस्वीकार कर दिया और बताया कि वे दिल्ली के बड़े व्यापारी है। अशोक एवं गंगादेई उन्हें गलत फंसा रहे है। ३०-४० रुपये के लिए वह ऐसा गलत काम कदापि नहीं कर सकते। अशोक व गंगादेई अपने वयानों पर दृढ़ थे। इसी बीच कार के ड्राइवर अली ने क्रोध में आकर अशोक और उसकी बुआ गंगादेई को भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं। विवेचनाधिकारी को उसे डांटना-फटकारना पड़ा। इस सवाल-जवाब से विवेचनाधिकारी को विवेचना के दृष्टिकोण से कोई विशेष सफलता नहीं मिली। दोपहर हो चुकी थी, अतः विवेचनाधिकारी भोजन करने के लिए चले गये। जाने के पूर्व उन्होंने थाने के हैड मोहर्रि को आदेश दिया कि हवालात में बन्द दोनों अपराधियों को खाना खिलाने का प्रबन्ध कर दें। साथ ही साथ उन्होंने अशोक तथा उसकी बुआ गंगादेई को भी दुकान से मंगाकर खाना खिला दिया था। वह उन्हें सान्त्वना दे गये थे कि भोजनोपरान्त वापस विवेचना से सम्बन्धित अन्य कार्यवाहियां प्रारम्भ करेंगे।

लल्लू सिंह चौहान जी से सारी जानकारी पाकर मैने उन्हें इस अपराध के सम्बन्ध में प्रभावकारी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर विदा किया। उनके चले जाने के पश्चात मैंने थाना बेवर के एस०ओ० को फोन कर इस अपराध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु फोन खराब होने के कारण बातचीत नहीं हो सकी। मैंने तुरन्त अपने स्टैनोग्राफर को आदेश दिया कि वह अविलम्ब सर्किल ऑफिसर वीरेन्द्र कुमार को बुलाकर मुझसे बात करायें। सूचना पाकर वीरेन्द्र कुमार तुरन्त मेरे कार्यालय आ गये। उन्हें घटना की पूरी जानकारी देकर मैने निर्देश दिया कि वह अविलम्ब तैयार होकर आ जायें और केस की विस्तृत जानकारी और उचित कार्यवाही के लिए मेरे साथ थाना बेवर चलें। समय कम था, परन्तु मै तुरन्त भोजन करके तैयार हो गया। भोजन करते समय मुझे याद आया कि दो माह पूर्व पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश ने वायरलेस से प्रदेश के पश्चिमी जनपदों मेरठ, बुलन्दशहर, देहरादून, अलीगढ़ व कानपुर में ऐसे ही अनोखे ढंग की लूट की घटनाओं की सूचना दी थी। वायरलेस में लिखा था - "एक गैग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपरेट कर रहा है, जिसका क्राइम करने का तरीका नया है। इस गैंग के पास एक

काली अम्बेसडर कार है । वह रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टेशन आदि से सवारियों का इन्तजार कर रहे लोगों को कार में बस के किराये में ले जाने का आश्वासन देता है और रास्ते में एकान्त स्थान में पहुंचकर सवारियों को असलहे दिखाकर लूट लेता है और सवारियां वहीं छोड़कर निकल जाता है'' । मैने अपने स्टैनोग्राफर से उस वायरलेस की प्रतिलिपियां अपने जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों को भिजवाकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था । मैने स्टैनोग्राफर को वह वायरलेस संदेश तुरंत खोजने का भी आदेश दिया । क्षेत्राधिकारी वीरेन्द्र कुमार से भी वायरलेस के विषय में पूछा, जिसके मिलने का उन्होंने समर्थन किया ।

लगभग ढाई बजे हम लोग बेवर के लिए रवाना हो गये । ड्राइवर हाकिम सिंह ने तीव्र गति से जीप चलाकर जल्द ही हम लोगों को थाना बेवर पहुंचा दिया । थाना बेवर के गेट के बाहर काली अम्बेसडर कार पड़ी थी, परन्तु थाने के अन्दर सन्नाटा था । सन्तरी ड्यूटी पर नियुक्त कान्सटेबिल ने पूछने पर बताया कि दो अभियुक्तों को दरोगाजी बेवर बस स्टेण्ड से पकड़कर लाये थे । वह हवालात में बन्द है । दरोगा जी थाने के प्रांगण में बने अपने क्वार्टर में थे । हेड मोहर्रिर ने दौड़कर उन्हें हम लोगों के आने की सूचना दी । दरोगा जी तुरन्त बावर्दी आ गये । उनका दिया हुआ सम्मान स्वीकार करते हुये मैने उनसे जानना चाहा कि लल्लू सिंह चौहान, एम०एल०सी० ने जिस घटना की सूचना दी थी, उसमें क्या कानूनी कार्यवाही हो रही है? दरोगा जी ने उसे एक विचित्र मामला बताते हुये अशोक तथा उसकी बुआ गंगादेई को बुलाकर हमारे सामने पेश कर दिया । दरोगाजी का कहना था कि अशोक तथा उसकी बुआ पकड़े गये जिन अभियुक्तों पर धोखाधड़ी, लूटपाट, मारपीट और इज्जत लूटने का आरोप लगा रहे है, वे देखने से बड़े आदमी प्रतीत होते है । वे अच्छे व कीमती कपड़े पहने हुये है तथा उनके पास नई अम्बेसेडर कार है । साथ ही वह अपने को दिल्ली का व्यापारी बताते हैं । समझ में नहीं आ रहा कि वे ३०-४० रुपये और लगभग १०० रुपये की एक जोड़ी बाली के लिए ऐसा छोटा अपराध क्यों करेंगें? यद्यपि उन दोनों को हवालात में बन्द कर दिया गया था, परन्तु दरोगाजी को यह था कि वे सही अभियुक्त हैं भी या नहीं । यदि सचमुच वह दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं और इस घटना से सम्बन्धित नहीं है, तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो जायेगा । इन्हीं सब कारणों से दरोगाजी उस समय तक किसी निष्कर्ण पर नहीं पहुंच थे और इस घटना की सूचना भी उन्होंने मुझे नहीं दी थी ।

मैने तथा क्षेत्राधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने अशोक तथा उसकी बुआ गंगादेई से उनके साथ घटित घटना के विशय में पूछताछ प्रारम्भ कर दी । दोनों ने ही हम लोगों के समक्ष अपने-अपने स्वाभाविक बयान दिये । गंगादेई सांवले रंग की सुडौल ३५-४० वर्ष की औरत

थी। स्वभाव से नेकचलन एवं स्वाभिमानी लगती थी। उसका बयान बिल्कुल सत्य मालूम हो रहा था। लेकिन अशोक अपनी आयु से अधिक परिपक्व लग रहा था। वह बार-बार कह रहा था कि पकड़े गये बदमाश और उनके साथी रुपये ले लेते परन्तु उन्होंने उसकी बुआ का अपमान करके कानों की बालियां छीनकर उसके कान क्यों फाड़ डाले। वह उन्हें कच्चा खा जायेगा। मैने दोनों अभियुक्तों को हवालात से थाने के अन्दर के खुले मैदान में बुलवा लिया। मै तथा वीरेन्द्र कुमार भी वहीं कुर्सियां मंगाकर बैठ गये। अशोक व गंगादेई को भी वहीं बुला लिया गया। अम्बेसडर कार का ड्राइवर मुनव्वर अली गहरे नीले रंग का नया सूट पहने था। टाई भी लगा रखी थी। उसका साथी मदन लाल कोट तथा पैन्ट में था। दोनों ने ही नये किस्म के फैंसी जूते पहने हुए थे। जब हम लोगों ने उनके विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने हमें भी वहीं बातें बतायी जो पूर्व में दरोगा जी को बता चुके थे। हम लोग उलझन में पड़ गये। अच्छी वेशभूषा,पहनावा व कार आदि देखने और बात करने के पश्चात उनके द्वारा लगभग २०० रुपये की लूट एक विचित्र घटना लग रही थी लेकिन अशोक व उसकी बुआ गंगादेई बराबर यही कह रह थे कि इन्हीं बदमाशों ने सामने खड़ी काली कार के माध्यम से लूटपाट की है।

बातचीत के दौरान कार का ड्राइवर क्रोध से आग बबूला हो उठा और गंगादेई को बुरी-बुरी गालियां देने लगा। गंगादेई ने भी गुस्से में हम लोगों की ओर हाथ उठाते हुये कहा- "थाने में तेरे बाप बैठे है। अब दिखा पिस्तौल और कर मेरी बेइज्जती"! ड्राइवर की गन्दी-गन्दी गालियों से मेरा माथा एकदम ठनका। मैने सोचा यदि यह दिल्ली का एक सुशिक्षित व्यक्ति है तो वह इतनी गन्दी-गन्दी गालियों का प्रयोग क्यों कर रहा है। दूसरा तथ्य यह था कि एक घण्टे से उन लोगों से पूछताछ हो रही थी, परन्तु उन्होंने शिक्षित होते हुये भी अग्रेंजी का एक भी वाक्य बातचीत के मध्य नहीं बोला था। इससे मुझे शक हुआ कि सम्भवतः वे ऊपर से कीमती कपड़े पहने, कार रखने का ढोंग कर उसकी आड़ में अपराध करते है। मैने दरोगा किशन लाल से कहा कि हम लोगों को जल्दी ही मैनपुरी लौट जाना है, इसलिए वह इन दोनों अभियुक्तों को हवालात में ले जाकर अच्छी पिटाई करें तभी वे घटना के विषय में सच-सच बतायेंगे। दरोगाजी ने मेरे आदेश का पालन किया और दोनों अभियुक्तों को हवालात में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाये और अपने हैड मुहर्रिर से एक मोटा डंडा मांगा। जैसे ही दोनों ने अपने-अपने कपड़े उतारे और अण्डरवियर व बनियान में हो गये तो उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वे दोनों ऊपर से ही सूटबूट पहने हुये हैं, परन्तु अन्दर से उनकी पुराने किस्म का धारीदार जांघिया व गन्दी बनियान गवाही दे रहा था कि वे न तो दिल्ली के हैं और न सम्भ्रांत परिवार के। मैने वीरेन्द्र कुमार के साथ हवालात

के दरवाजे पर जाकर उन लोगों से कहा कि अब वे सारी बातें सच-सच बता दें। हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा।

ड्राइवर अली ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आप मैनपुरी के एस०पी० है, तब मैंने उसे 'हां' में उत्तर दिया। इसी बीच दरोगाजी ने उन दोनों की पीठ पर दो-चार डंडे जड़ दिये। मार के डर से ड्राइवर मुझसे निवेदन करने लगा कि वह सारी बातें मुझे अकेले में बता देगा। मै उससे अलग बात करने को तैयार हो गया। ड्राइवर ने बताया कि वह निजामुद्दीन औलिया का मुरीद है। मै उसके शरीर के यदि ३६५ टुकड़े भी करवा दूँगा, तब भी वह नहीं बतायेगा कि वह कौन है। इसलिए उससे सही जानकारी चाहिए, तो पहले उसकी इच्छायें पूरी करवा दी जायें। मैंने उसकी इच्छाएं जाननी चाहीं। उसकी पहली इच्छा एक कैवेन्डर्स सिगरेट तथा दूसरी एक बोतल रम की थी। वह इन दोनों का आदी था और उसे दिन भर से सिगरेट व शराब नहीं मिली थी। वह बहुत परेशान था।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज माउण्ट आबू में आई०पी०एस० की ट्रेनिंग के समय मैंने इन्ट्रोगेशन तकनीक के सम्बन्ध में पढ़ा था कि अभियुक्त से उसके अपराध को स्वीकार करवाने के लिए "फ्रेंड एण्ड फो मैथेड ऑफ इन्ट्रोगेशन" अपनाना चाहिए। थाना बेवर में अभियुक्त ड्राइवर अली व उसके साथी के साथ यही तकनीक चल रही थी। दरोगाजी उन्हें डंडे से पीटने के पूरे मूड में थे। परन्तु मैं सहजभाव से कुछ नर्म होकर प्रश्न पर प्रश्न किये चला जा रहा था। इस जगह पर मुझे पुलिस कालेज माउण्ट आबू की पढ़ाई याद आ गयी। विशेषतः प्रोफेसर श्री देव की पुस्तक "इन्वेस्टिगेशन" जिसका एक पूरा अध्याय ही इन्टरोगेशन पर आधारित है, अनुसार छोटे-मोटे प्रलोभनों से प्रायः अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। अतः मैंने दरोगाजी को निर्देश दिया कि वह अविलम्ब ड्राइवर की इच्छानुसार दोनों चीजों का प्रबन्ध कर दें। उसी समय उसने पुनःकहा कि दरोगाजी केवल एक सिगरेट मंगा दे। शराब की बोतलें उसकी कार की डिग्गी में रखी है उन्हीं में से एक मंगाकर उसे दे दी जाय। मैंने वैसा ही करा दिया। इसके बाद मै और श्री वीरेन्द्र कुमार पूर्ववत बाहर आकर कुर्सियों पर बैठ गये। दरोगाजी को निर्देश दिया कि वह कागज-कलम ले आयें, ताकि ड्राइवर और उसके साथी मदन लाल के बयान कानूनी कार्यवाही हेतु लिखे जा सकें। कुछ देर बाद दोनों अभियुक्तों को उनके कपड़े पहनवा दिये गये और उन्हें हवालात से बाहर हमारे पास लाया गया। ड्राइवर ने आते ही जमीन पर बैठकर मुझसे आज्ञा लेकर सिगरेट जलायी और गहरा कस खींचते हुये शांतिपूर्वक सिगरेट पीने लगा। शराब की बोतल के ढक्कन को अपने दांतों से दबाकर एक ही झटके में उसने खोल दिया और पूरी बोतल एक ही बार में पी गया। देखते-देखते उसकी दोनों आंखे लाल हो गयीं। उसने अपनी गर्दन को

झटका देकर हिलायी और कहा - "कप्तान साहब, अब मै आपको सारी बातें सही-सही बता दूँगा"। ड्राइवर तंदरुस्त होने के साथ-साथ मजाकिया भी था। उसने मुझसे कहा कि उसकी बताई हुई सब बातें नोट कर ली जांय। वह बार-बार कहता था "मै निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ और मेरी बातें सत्य होगीं। कप्तान साहब, आपका प्रमोशन डी०आई०जी० पद पर हो जायेगा"। उसकी बातें सुनकर हम लोगों को आशा हो गयी कि वह घटना के विषय में सारी बातें सच-सच बता देगा।

उसने अपने बयान में बताया कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पढ़ाई-लिखाई अधिक न होने के कारण आढ़तियों के साथ काम करने लगा था। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। धीरे-धीरे वह जुआ, शराब और सिगरेट की लत में पड़ गया। उसकी प्रेमिका का नाम फरजन्द था जिसे वह बहुत प्यार करता था। बदले में वह भी उसे जी-जान से प्यार करती थी। परन्तु हाल ही में अपने पड़ोस के अयूब नामक व्यक्ति के हंसने-बोलने की अदा के कारण वह उसे अपना बैठी थी। जब वह दिन में अपने काम पर चला जाता था, तब उसकी प्रेमिका फरजन्द अपने पड़ोसी अयूब के साथ अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहती। इस घटना की जानकारी जब उसे हुई तो उसने अपने पड़ोसी अयूब को चेतावनी देकर फरजन्द के चक्कर में आने से मना किया। यही बात उसने अपनी प्रेमिका फरजन्द से भी कही। बार-बार समझाने और चेतावनी देने का फरजन्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह लगातार अयूब से मिलती रही। इसी बात को लेकर उसका अपनी प्रेमिका फरजन्द के बीच एक रात झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपनी प्रेमिका फरजन्द को मार-पीट दिया। जब फरजन्द लहूलुहान पंलग पर पड़ी थी, तब वह उसे वहीं चादर से ढककर, रोता हुआ बाहर निकल गया। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी तलाश की थी। इसके बाद वह दिल्ली चला आया और वहां उसने एक आढ़ती के यहां नौकरी कर ली। अच्छा पैसा मिलने के कारण वह एक तवायफ के कोठे पर जाने लगा। धीरे-धीरे उस तवायफ से उसका प्यार हो गया।

पुलिस बहुत तलाशने के पश्चात भी उसे पकड़ नहीं पायी थी। एक दिन उसने अपनी प्रियतमा तवायफ से कहा कि वह अपना पेशा छोड़ दे और सदैव के लिए उसकी पत्नी बन जाय। परन्तु उसका प्रयास असफल रहा। हताश होकर उसने एक दिन अपनी प्रियतमा का गला उसकी ही ओढ़नी से बांध कर बुरी तरह पीटा था। इस अपराध के पश्चात वह वहां से फरार हो गया। पुलिस के डर से कुछ दिनों वह दिल्ली में ही छिपकर इधर-उधर भागता रहा। उसने हंसकर बताया कि इस केस में भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में असफल रही।

इस घटना के छः माह पश्चात जब उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने मवेशियों की चोरी करने का सिलसिला प्रारम्भ किया। वह बार-बार सिगरेट का कश लेकर कहता जा रहा था कि वह छोटा-मोटा मवेशी चोर नहीं था। वह एक बार में वह कम से कम ८-१० भैसें, गायें चुराता और उन्हें ट्रक में लाद कर दिल्ली से बाहर यू०पी० तथा पंजाब में बेच आता था। उसने पुनः हंसते हुये बताया "मैने दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी की भैस चुरायी थी, परन्तु पुलिस मुझे उस अपराध के लिए आज तक पकड़ नहीं सकी"। कुछ समय पश्चात उसने मवेशी-चोरी छोड़कर एक नया धंधा प्रारम्भ किया, उसी धंधे में मै आज गिरफ्तार होकर आपके सामने बैठा हूँ"।

उसने तथा उसके साथी मदन लाल ने अपने लिए भोजन और एक पैकेट कवैण्डर्स सिगरेट मांगी। उनके लिए नियमानुसार सरकारी पैसे से भोजन का प्रबन्ध किया गया था, परन्तु उसे बहुत ही कम बताते हुये उन्होंने कहा इससे उनका पेट नहीं भरता। मैने वीरेन्द्र कुमार से वेवर थाने के दरोगाजी से पुलिस के "सीक्रट-सर्विस फण्ड से २०० रुपये उनके भोजन आदि के लिए दिलवा दिये। उनकी इच्छानुसार मांसाहारी भोजन और कवैण्डर्स सिगरेट के कई पैंकेट भी दे दिये गये। हम लोग मुनव्वर अली तथा उसके साथी मदनलाल से आगे की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। वह वास्तव में एक वहुत चरित्रहीन एवं जघन्य अपराधी था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा मेरे सरल स्वभाव को देखकर वह मेरे बस में होता जा रहा था। मैने उसकी पिटाई नहीं होने दी थी, इसका भी उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा था।

उसने आगे बताया कि वह पिछले २-३ सालों से कार पर सवारियों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का लालच देता और उन्हें रास्ते में लूट लेता था। यह उसके लिए एक वहुत आसान काम वन गया था। वह शुरू से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन था और कार चलाना जानता था। लोग समझते थे कि वह एक पढ़ा-लिखा अच्छा आदमी है। किसी एक शहर से नयी कार चुरा कर वह, उसे दूसरे शहर ले जाता तथा वहां रेलवे स्टेशनों तथा वस अड्डों से सवारियों को बस किराये में ही गन्तव्य स्थान तक पहुंचा देने का लालच देकर ले जाता, फिर रास्ते में निर्जन स्थान पर सवारियों को डरा-धमका एवं मारपीट कर उनका सामान लूट कर उन्हें वहीं छोड़ देता। वह उन्हीं २-३ सवारियों को तलाश करता जो बड़ी उत्सुकता से रेलगाड़ी या बस की प्रतीक्षा कर रहे होते थे। उनसे कहता- "भाई हमारे सेठ जी ने नयी कार ली है जो खाली जा रही है। यदि आप अपनी यात्रा जल्दी पूरी करना चाहते है तो मेरे साथ कार में चलें और मुझे रेलगाड़ी/वस के किराये के बराबर पैसा दे दें।

मै अपना चाय-नाश्ता कर लूँगा और पेट्रोल की कीमत निकल आयेगी। आप रेलगाड़ी और बस की भीड़भाड़ से बच जायेगें और गन्तव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जायेंगे''। सीधी-साधी सवारियां उसके झांसे में आकर उसकी कार में बैठ जातीं। इस अपराध में उसे किसी को जान से नहीं मारना पड़ता था। अधिक पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में उसको मनोविज्ञान की जानकारी अधिक थी। मैंने अशोक व गंगादेई की तरफ संकेत कर उससे पूछा कि इन लोगों से सम्बन्धित घटना में कितनी सत्यता है, तो उसने बताया कि उनका कथन अक्षरशः सत्य है।

इसी प्रकार की एक और आपराधिक घटना उसने बुलन्दशहर में भी की थी। उसने एक फौजी हवलदार को मिलेट्री कैन्टीन से बहुत सा सामान उसके गन्तव्य पर पहुंचाने के लिए अपनी कार में बैठा लिया था और रास्ते में एक सुनसान स्थान पर रिवाल्वर की नोक पर सामान छीनकर चम्पत हो गया था। उसने मजाक के लहजे में कहा - ''फौज और पुलिस इस मामले में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसने दूसरी घटना एक मौलाना से सम्बन्धित बतायी। मौलाना लखनऊ के किसी व्यापारी के चिकन के कुर्तो की गांठ उन्नाव ले जा रहे थे। उन्हें भी उसने धोखे से कार में बिठाकर उनके सारे कुर्ते छीन लिये थे। उसने यह भी बताया कि उसने दिल्ली में भी बहुत से विदेशी पर्यटकों को कार में बैठाकर उनके कीमती सामान तथा कैमरे आदि छीनें हैं। चोरी की कार वह टैक्सी के रूप में प्रयोग करता था। वह विदेशी पर्यटकों को अपना परिचय गाइड के रूप में देता था। पर्यटन स्थलों पर जाते-जाते गाइडों से उसने बहुत सी बातें देख सुनकर सीख ली थीं। उसके काम करने का तरीका यह था कि जब विदेशी पर्यटक एतिहासिक भवनों को देख रहे होते तो वह चुपचाप उनका सामान गायब कर देता और उस स्थान से भाग जाता था।

कुछ वर्ष पहले बस स्टैण्डों आदि से पढ़ने वाली लड़कियां गायब हो गयी थीं। इसकी खबरें अखबारों में भी छपी थीं। यह अपराध भी उसने किये थे। सुनसान स्थानों पर अकेली लड़कियां जब सवारी की प्रतीक्षा में होतीं थी, तो वह अपनी कार उन लड़कियों से सटाकर दरवाजा खोलता और उन्हें अन्दर घसीट कर चम्पत हो जाता था। इनमें सम्भ्रान्त परिवारों की लड़कियों भी होती थीं। अखबारों में छपे समाचारों के आधार पर पुलिस ने जब टैक्सियों पर छापा मारना शुरू किया, तब उसने गिरफ्तारी के डर से यह धन्धा बन्द कर दिया। उसने पूछने पर बताया था कि उसने लोगों से लूटा और छीना सामान देहरादून में एक किराये के मकान में रख छोड़ा है। उसमें घड़ियां, ट्रांजिस्टर, पंखे व कैमरे आदि जैसे कीमती सामान है। वह धीरे-धीरे उन्हें बेचता रहता है। देहरादून पुलिस को उसकी आपराधिक गतिविधियों

के विषय में कोई जानकारी कभी नहीं हुई । उसने थाना-डालनवाला के एक पुलिस मुंशी को भी उन्नाव से लूटे हुये दो चिकन के कुर्ते तथा हैड को उसकी लड़की की शादी के समय एक रोलेक्स घड़ी सस्ते मूल्य पर बेची थी ।

अपने बयान के पश्चात वह मुझसे अकेले में बात करने का इच्छुक था । मैं क्षेत्राधिकारी वीरेन्द्र कुमार व थानेदार किशन लाल को वहां से हटा कर उससे अकेले में बातचीत करने पर राजी हो गया । इसी बीच वीरेन्द्र कुमार को धीरे से निर्देश भी दे दिया कि वह थाने के गेट के बाहर संतरी को सतर्क रहने का आदेश दे दें और थाने के आस-पास कुछ थानेदारों और सिपाहियों की असलहों के साथ ड्यूटी लगा दें । सम्भव था कि अली के साथी असलहों के साथ कहीं आस-पास छिपे हों और पुलिस पर अचानक हमला कर अपने गिरफ्तार किये हुये साथी को ले जाने का प्रयास करें । वीरेन्द्र कुमार ने मेरे आदेशों के अनुसार पुलिस फोर्स तैनात कर दी । उसने मुझसे अकेले में बात की । उसने बताया कि उसे एक बार दिल्ली-पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, परन्तु वह कभी भी एक महीने से अधिक जेल में नहीं रहा । इस सम्बन्ध में पुलिस के पास उसका रिकार्ड होना चाहिए । वह मुझसे मनचाहा रुपये लेने और थाना बेवर से सम्बन्धित लूटमार की इस घटना से सम्बन्धित केस को हल्का करवाने का प्रयास कर रहा था । उसका कहना था कि वह इस घटना को न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर लेगा और वहां भी रुपये खर्च करके अपनी सजा केवल एक माह के लिए करवा लेगा । मैं उसकी छलकपट भरी बातें सुनकर हंसा था और उत्तर दिया था कि आज वह जिस जिले में पकड़ा गया है, शायद इसके पहले वहां उसने कोई अपराध नहीं किया है । उसने मेरी बातें स्वीकार करते हुये कहा था कि उसका अपराध क्षेत्र प्रायः आगरा, मेरठ एवं दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित था । मैंने उसे बताया कि मैनपुरी में एक गांव भोगांव है जो अपनी मूर्खता के लिए चर्चित है । वह भोगांव के पास ही पकड़ा गया है । मै या कोई भी पुलिस अधिकारी उसकी इच्छा अनुसार ऐसे जघन्य अपराध के मामले में उसे कोई छूट नहीं दे सकेगा । मैंने थानाध्यक्ष किशन लाल को आदेश दिया कि वह उसे और उसके साथी मदनलाल को न्यायालय से १४ दिन के पुलिस रिमाण्ड पर तो लें जिससे अन्य स्थानों के पुलिस अधिकारी आकर अपने-अपने थानों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में दोनों अभियुक्तों के बयान लेकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकें ।

मैं क्षेत्राधिकारी वीरेन्द्र कुमार के साथ बेवर से मैनपुरी वापस गया और तुरन्त ही सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, दिल्ली एवं पंजाब पुलिस के अधिकारियों को वायरलैस से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने और उनके द्वारा किये गये अपराधों की

विस्तृत सूचना देकर कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी जीप से तुरन्त देहरादून के लिए प्रस्थान कर गया। ड्राइवर के बताये अनुसार देहरादून के कथित मकान में विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित सम्पत्ति बरामद हो जाने की आशा थी। देहरादून पहुंचकर ड्राइवर द्वारा लूटा गया सामान भारी मात्रा में प्राप्त हुआ और स्थानीय पुलिस द्वारा भी उसे कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी।

वायरलैस पर दी गयी सूचना के आधार पर सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष सम्बन्धित अपराधों के भुक्तभोगी व्यक्तियों को लेकर थाना बेवर पहुंचने लगे। जिला उन्नाव के चिकन के कुर्ते के व्यापारी मौलाना साहब उस ड्राइवर को देखकर तुरन्त पहचान गये और कहा - "आप तो बड़े बेगैरत निकले लाहौल विला कूवत"। और क्रोध में आकर पान की पीक ड्राइवर पर थूक दी। इसी प्रकार बुलन्दशहर का फौजी हवलदार ड्राइवर को देखकर अपना धैर्य छोड़ बैठा और लात घूंसों से उसको मारना शुरू कर दिया। पुलिस मुश्किल से उसे ऐसा करने से बचा पायी। ड्राइवर व उसके साथी मदनलाल ने इन अपराधों के साथ-साथ कई अन्य जिलों में किये गये अपराध भी स्वीकार कर लिये। कार्यवाही-शिनाख्त तथा चोरी गये या लूटे गये सामानों के आधार पर उनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में दर्जनों आरोप पत्र दायर किये गये, जिनके आधार पर सुनवाइयां हुई और उन दोनों को बहुत दिनों तक मैनपुरी जेल के अन्दर रहना पड़ा।

प्रदेश शासन के तत्कालीन उप गृहमंत्री रुस्तम सैटीन कुछ दिनों बाद मैनपुरी आये। उन्होंने जनपद के सम्भ्रान्त नागरिकों के अतिरिक्त मैनपुरी जेल का भी निरीक्षण किया और कैदियों की सभा को सम्बोधित किया। कैदियों की भीड़ में मैने उस ड्राइवर व मदन लाल को भी उपस्थित पाया। ड्राइवर सभा में कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ, परन्तु जेलर ने उसे बैठा दिया था। यह पता नहीं चल सका कि वह मंत्री जी से क्या कहना चाहता था। आज ३० वर्ष के अन्तराल के पश्चात यह कहना और भी कठिन है। उसके अपराधों का संक्षिप्त विवरण अब भी सम्बन्धित थानों में अंकित होगा। जघन्य अपराधों की रोकथाम में सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्री जी ने नागरिकों की सभा में मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये मेरी पीठ ठोंककर मुझे शाबासी दी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक एवं अपराध अनुसंधान विभाग के (सी०आई०डी०) अधिकारी अपराधी ड्राइवर व उसके साथी की गिरफ्तारी के मुझे लिए लगातार प्रशंसा पत्र भेजते रहे। एक जघन्य अपराधी, समाज तथा मानवता के शत्रु के पकड़े जाने और न्यायालय से लम्बी अवधि का दण्ड मिलने पर स्वयं मेरी पत्नी स्व० सरला जी तथा बच्चियां बहुत प्रसन्न हुई थी। इस विचित्र घटना की गूँज मेरे अपने घर के साथ ही साथ मैनपुरी और उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत दिनों तक गूंजती रही थी।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पुलिस और जनता के सहयोग से इस प्रकार के जघन्य अपराधों का भण्डाफोड़ हो जाना सम्भव है। कम्युनिस्ट नेता लल्लू सिंह चौहान ने दो दुखियारे गरीब व्यक्तियों की सहायतार्थ अपनी चलती बस रुकवा कर जिस तरह उनकी दुखभरी कहानी से प्रभावित हो पुलिस की सहायता से जघन्य अपराधियों को पकड़वाकर जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, उसकी जितनी भी सराहना की जाय, वह कम होगी।

७

राजनैतिक स्थानान्तरण और मुख्यमंत्री की महानता

उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी हत्या तथा डकैती जैसे अपराधों के लिये कुख्यात है। मै वहां लगभग दो वर्ष तक पुलिस अधीक्षक नियुक्त रहा था। जनता मेरे कार्यो से बहुत प्रसन्न थी। विशेषकर मक्खनपुर के अपहरण काण्ड में जंगा-फूला गैग को ध्वस्त करने तथा प्रदेश के एक बड़े "रोड होल्डअप" गैग को समाप्त करने के कारण वहां की जनता मेरा स्थानान्तरण नहीं चाहती थी। परन्तु मै वहां से अपना स्थानान्तरण चाहता था। वहां की जलवायु हम लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी। परिणामस्वरूप मुझे एक फोड़े का आपरेशन आगरा जाकर प्रसिद्ध सर्जन डा० राजदान से कराना पड़ा था। बाद में बेटी सोनी के जन्म के समय मेरी पत्नी भी कुलाईटिस से भयंकर रूप से पीड़ित हो गयी थी। आगरा मेडिकल कालेज के मेडीसिन विभाग के प्रोफेसर डा० मल्होत्रा, डा० दुबे तथा डा० एलहन्स उनका निदान नहीं कर सके थे और जवाब दे चुके थे। किसी ने मुझे सूचना दी कि जिला एटा में एक बी०डी०ओ० टंडन साहब होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज करते है। मै पत्नी सरला को उन्हें अवश्य दिखाऊॅ। मरता क्या न करता। मै सरला को लेकर बी०डी०ओ० साहब के पास एटा पहुंचा। बी०डी०ओ० साहब किराये के मकान में अकेले रहते थे और नीचे के कमरे में एक मेज डालकर सरकारी काम करते थे। वहीं अपने मरीजों को भी देखते थे। उक्त मकान में ऊपर एक कमरा था, जिसमें वह सोते तथा दवाईयां आदि रखते थे। बी०डी०ओ० टंडन साहब ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया और पत्नी सरला जी को वही रखी एक बैच पर लिटा दिया था। मैने अपना परिचय देकर उन्हें बताया कि मै पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी हूॅ और सरला जी मेरी पत्नी है और कुलाईटिस से पीड़ित है। मेडिकल कालेज, आगरा के बड़े डाक्टरों के इलाज से भी इनको कोई फायदा नहीं हो सका है। यह सुनकर

डाक्टर साहब अपने ऊपर के कमरे में भागे । एक शीशी में दवा की कुछ गोलियां लाये और उसमें से पांच गोलियां सरला जी को खिला दी । मैंने डाक्टर साहब से अनुरोध किया कि पहले पूरा केस समझ लें, किन्तु वह मुझे जोरों से घूर कर देखने लगे । मैंने डाक्टर साहब को सरला जी की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया, तो वह फिर भागकर ऊपर के कमरे में गये और वहां से कुछ गोलियां ले आये तथा उन्हें भी सरला जी को खिला देने को कहा । डाक्टर साहब तीसरी बार फिर भागकर ऊपर के कमरे में गए और एक नई दवा ले आये । इस प्रकार वह १०-१५ मिनट में करीब पांच बार भाग कर ऊपर के कमरे में गए और हर बार दवा लाकर सरला जी को खिलवाते रहे ।

यद्यपि मै डाक्टर साहब के निर्देश पर बार-बार सरला जी को गोलियां खिला रहा था, पर समझ कुछ नहीं पा रहा था । मै डर रहा था कि डाक्टर साहब कोई तांत्रिक किस्म का इलाज तो नहीं कर रहे हैं । पर मै उनकी दवा खिलाने के लिए विवश था । डाक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मै उनके द्वारा दी गयी दवाएं रोज सुबह, दोपहर व शाम बारी-बारी से सरला जी को खिलाता रहूँ और एक हफ्ते बाद पुनः उनको दिखाऊँ । हम लोग मैनपुरी लौट आये । डाक्टर साहब द्वारा दी गयी दवाएं सरला जी को डर-डर के खिलाता रहा । सरला जी भी अनिच्छा से दवाएं खाती रहीं । वह यही सोच कर दवाएं खाती कि जब किसी दवा से लाभ नहीं हो रहा तब यही सही । पर डाक्टर साहब की दवाओं का असर राम बाण सा हुआ । वह पहली बार रात में बहुत अच्छी तरह सोंई और अगले दिन फलों का थोड़ा रस भी पिया । सबसे बड़ी प्रसन्नता तीसरे दिन हुई, जब उन्होंने थोड़ी खिचड़ी खायी और आसानी से पच भी गयी । इन दवाओं के प्रभाव से एक हफ्ते में ही सरला जी के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया ।

मेरे जीवन का यह एक वास्तविक आश्चर्य था । सरला जी स्वस्थ होने लगी थीं और उनके गर्भधारण की स्थिति भी स्वाभाविक हो चली थी । सिविल अस्पताल मैनपुरी की लेडी डाक्टर श्रीमती गुप्ता तथा सिविल सर्जन डा० एम.पी. माथुर मेरे निवास पर आकर उन्हें देखने और सम्बन्धित उपचार करने लगे । उन लोगों से सरला जी खूब हंसने-बोलने लगी थी । सिविल सर्जन साहब अपने डाक्टरी पेशे के अलावा इन्जीनियरिंग के काम में भी निपुण थे । वह नये प्रकार का बिजली का टोस्टर व वोट डालने के लिए नई मशीन आदि बना रहे थे । मैनपुरी के सत्र न्यायाधीश ओ०बी० लाल की सिविल सर्जन डाक्टर माथुर से बिल्कुल नहीं बनती थी । क्योंकि सत्र न्यायाधीश ने एक कत्ल के केस के निर्णय में अभियुक्तों को अपराध से बरी करते हुये डाक्टर साहब के विरुद्ध टिप्पणी कर दी थी । इस हत्या से

सम्बन्धित वाद में १५ कदम की दूरी से मृतक को बन्दूक से गोली मारी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार डाक्टर माथुर ने मृतक के शरीर पर आयी चोटों को "गनशाट" का बताया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि घाव की सतह पर कालेपन के निशान पाये गये हैं जो आमतौर पर नजदीक से गोली मारने पर ही बनते हैं। सत्र न्यायाधीश ने उनसे पूछा था कि १५ कदम की दूरी से फायर होने पर ये निशान कैसे बन सकते हैं। तब डाक्टर माथुर ने उत्तर दिया था कि उन्होंने स्वयं पोस्टमार्टम करते समय घाव के निकट कालापन देखा था। सत्र न्यायाधीश ने हथियार विशेषज्ञ और डाक्टर साहब की राय में भिन्नता पायी थी। मुझे दुःख था कि जज व डाक्टर में सामंजस्य न होने के कारण वास्तविक हत्या के अभियुक्त छूट गये थे। डा० माथुर ने फैसले में अपने विरुद्ध की गयी टिप्पणी को बेइज्जती माना और मेडिकल विभाग के माध्यम से उक्त 'टिप्पणी' के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे अपील दायर करने हेतु भागदौड़ शुरू कर दी । मैंने भी उस समय डाक्टर साहब का साथ दिया । मुझे आशा थी कि डाक्टर साहब होईकोर्ट में यदि अपने "प्रयास" में सफल हो गये, तो हत्या का जो केस न्यायालय से छूट गया था, उसमें पुनः गति आ जायेगी।

एक दिन शाम रोजाना की भांति डाक्टर माथुर सपत्नीक मेरे बंगले पर सरला जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आये। सरला जी के प्रसव के दिन नजदीक थे। उपचार सम्बंधी बातों के पश्चात हम लोगों ने चाय पी। चाय पीते हुए डाक्टर माथुर ने मुझसे कहा कि उन्हें उच्च श्रेणी के अनुसंधानों का भी अनुभव है। उन्होंने मेडिकल मैगजीन में छपने हेतु एक लेख लिखा है और मै उसे पढ़कर अपना विचार प्रकट करूँ। मैंने लेख रात में पढ़कर अगले दिन अपने विचार बताने का आश्वासन दे दिया। मैंने उनका लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने नायलॉन, सूती एवं रेशमी कपड़ों को लटकाकर उन पर १५ गज की दूरी से रिवाल्वर से फायर कर उसमें लगे गोलियों के निशानों का "डायमेंशन" नोट कर अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश की थी। वह सिद्ध करना चाहते थे कि १५ गज की दूरी से फायर करने पर भी कालापन हो सकता है।

अगले दिन मैंने उनसे कहा कि उनका अनुसंधान अनुकूल नहीं है। क्योंकि आदमी के शरीर पर आने वाली चोटों और कपड़े आदि जड़ पदार्थ पर किये गये फायर से बने चिन्हों की तुलना नहीं की जा सकती। उनसे कोई परिणाम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह मनुष्य से मिलते-जुलते मांसपेशियों वाले शरीर पर अनुसंधान करें। मैंने हंसी-हंसी में उन्हें राय दी कि वह चूहे के शरीर के बालों को कटवा करके उस पर अनुसंधान करें ।

अगले दिन सुबह सरला जी को ''लेबर पेन'' शुरू हो गया । मै उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी में था । मैने सरला जी को कार में बैठा दिया तभी ख्याल आया कि डाक्टर माथुर को भी फोन पर बता दूं ताकि वह सुगम डिलीवरी के सारे प्रबन्ध पहले से ही करा कर रख दें । डाक्टर माथुर का बंगला मेरे बंगले के बिल्कुल समीप था । बस बीच में एक छोटा खेत था तभी मैने देखा कि एक बड़ी भीड़ उनके बंगले के पास जमा होकर जोर-जोर से तालियां पीट कर हंस रही हैं । साथ में लम्बे पतले डाक्टर माथुर ड्रेसिंग गाउन पहले आगे-आगे चले जा रहे हैं । वह कभी झुकते हैं और कभी खड़े हो जाते हैं । वह एक विचित्र दृश्य था । मैने सोचा कहीं डाक्टर साहब के बंगले में कोई चोर तो नहीं घुस गया । अतः मैं तेजी से उनके बंगले की ओर गया । वहां पहुंचकर देखा तो जमीन पर ''शेव'' किया हुआ एक चूहा भागा जा रहा है और डाक्टर माथुर उस पर अपनी पिस्तौल से लगातार फायरिंग करते जा रहे थे । उनकी एक भी गोली चूहे को नहीं लग रहा थी और जमा भीड़ तालियां बजाकर हंस रही थी । मैने डाक्टर माथुर से कहा कि वह उस चूहे को नहीं मार पायेंगे । आप उसे छोड़ दें । मैं पुलिस लाईन में प्रबन्ध करा दूँगा । पुलिस के अच्छे निशानेबाज उनकी ही पिस्तौल से उनके अनुसंधान हेतु चूहा मार कर दे देंगे । मेरे सुझाव से वह खुश हो गये थे सरला जी के ''लेबर पेन'' और अस्पताल में डिलीवरी के प्रबन्ध के लिए कहने पर उन्होंने लेडी डाक्टर श्रीमती गुप्ता को तुरन्त सम्बन्धित सामान व नर्स के साथ मेरे बंगले पर पहुंचने का आदेश दे दिया । उसी दिन शाम मेरी प्रिय बेटी माधवी (सोनी) का जन्म हुआ ।

अगले इतवार मेरे बंगले पर जिलाधिकारी, जिला जज और डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर बधाई देने के लिए आये । हम लोग बातें कर ही रहे थे, कि किसी का फोन गया । फोन करने वाला अपना नाम बताये बिना मुझसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था । टेलीफोन-ड्यूटी पर नियुक्त सिपाही ने यह बातें बताते हुये फोन मुझे पकड़ा दिया । अज्ञात व्यक्ति ने मुझे फोन पर सूचना दी कि थाना कोतवाली के सामने गली से आगे जाने पर एक ट्रान्सपोर्ट के दफ्तर में इस समय बड़े जोरों से जुआं हो रहा है । हजारों की हार-जीत के साथ वेईमानी भी हो रही है । मैं जुवारियों को पकड़वा दूँ । मुझे लगा कि फोन करने वाला व्यक्ति शायद कोई हारा हुआ जुआरी है । मैने इन्सपेक्टर कोतवाली श्री नारायण सिंह को फोन पर आदेश दिया कि वह तुरन्त मेरे बंगले आकर प्राप्त सूचना के आधार पर मुझसे वारंट लेकर जुए के अड्डे पर धारा-३/४ ''गैम्बलिंग एक्ट'' के अन्तर्गत प्रभावी छापा मारकर जुआरियों को गिरफ्तार करें । थोड़ी ही देर में इन्सपेक्टर कोतवाली ने मुझे सूचित किया कि दी गई सूचना सही थी । जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया । जुए के अड्डे पर फड़ से १३ हजार रुपये तथा

'नाल' के ९०० रुपये और ताश के पत्ते बरामद हुये। मैने इन्सपेक्टर कोतवाली को शाबासी देकर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

इस घटना के बाद शाम को चैयरमैन जिला परिषद, एम.एल.सी. श्री लल्लू सिंह चौहान व म्युनिस्पिल बोर्ड के चेयरमैन व कुछ वकील जुए के केस के सम्बन्ध में मुझसे मिलने मेरे बंगले पर आये । उनका कहना था कि जुए में पकड़े गये लोगों में से कुछ लोग बहुत अच्छे घरों के है, अतः मै कोतवाली में ही उनकी जमानत करवा दूँ। मैंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये उन महानुभावों को स्पष्ट बता दिया कि अभियुक्त क्योंकि मेरे द्वारा जारी किये वांरट पर गिरफ्तार हुए है, अतः मेरे द्वारा उनकी जमानत करा देना वैधानिक ढंग से उचित नहीं होगा। मेरे ऊपर लांछन लगाया जा सकता है कि मैने घूस लेकर या दवाव में आकर ऐसा किया होगा। यदि वे उचित समझें तो अभियुक्त की जमानत के लिए ड्रिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर लें। वे सब मुझसे रुष्ट होकर चले गये। वे सब उसी रात एस. डी.एम. सदर श्री निम के बंगले पर भी गये और उन पर गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की जमानत करने के लिए पुरजोर दवाव डाला। इस पर श्री निम ने जिलाधिकारी श्री दुबे से फोन पर जमानत देने हेतु आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। इस मामले में मेरे विचारों के विपरीत जिलाधिकारी भी कुछ नहीं करना चाहते थे। अगले दिन प्रातः इन्सपेक्टर कोतवाली ने सभी १४ अपराधियों को जेल भेज दिया। मुझे पता चला था कि उन १४ अपराधियों में ठाकुर साहब के छोटे भाई भी थे जो इस जुए के अड्डे के संचालक थे।

उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। मुझसे अप्रसन्न होकर उक्त नेतागण लखनऊ गये और तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री रेड्डी तथा श्री जियाराम, पुलिस महानिरीक्षक (आई.पी.) से मिलकर मेरे तुरन्त स्थानान्तरण की मांग की। महामहिम राज्यपाल ने पुलिस महानिरीक्षक से बात करने के बाद निर्णय लिया कि प्राप्त हुये प्रतिवेदन पर पुलिस उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी) से जांच करा ली जाय। जांच श्री अली कदीर, डी.आई. जी., आगरा रेंज को दी गयी। वह मुझे बहुत योग्य अधिकारी मानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मै इस सम्पूर्ण काण्ड की एक सही रिपोर्ट उन्हें दे दूँ ताकि उसके आधार पर वह आई. जी.पी. को अपनी रिपोर्ट भेज दें। आई.जी.पी. को जब पता चला कि डी.आई.जी. स्वयं जांच न कर मुझसे ही रिपोर्ट मांग रहे है, तो उन्होंने डी.आई.जी को फोन पर आदेश दिया कि वह स्वयं मैनपुरी जाकर व्यापक जांच करें और अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें।

श्री अली कदीर, डी.आई.जी., मैनपुरी जांच करने आये। उन्होंने मेरा बयान लिया। प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया था कि जुएं की फड़ से १४ हजार से अधिक रुपया मिला था। पुलिस ने केवल १४ हजार रुपये की बरामदगी दिखाकर शेष रुपये अपने पास रख

लिये हैं। अतः इसकी जांच की जाय और सबका स्थानान्तरण करके सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को दण्ड दिया जाय। मेरे लिए केवल इतना ही बयान देना पर्याप्त था कि मैं स्वयं 'रेड'' पर नहीं गया था। मेरे आदेश व वारंट पर इन्सपेक्टर कोतवाली ने ''रेड'' की थी। यदि १४ हजार से अधिक रुपये उसे जुए में बरामद हुये थे और इन्सपैक्टर ने बरामदगी कम दिखायी है, तो इसके लिए वह जिम्मेदार है। डी.आई.जी. ने जांच में आरोप सत्य नहीं पाये। उन्होंने अपनी वही आख्या उन्होंने आई.जी.पी. को प्रेषित कर दी और त्वरित की गयी कार्यवाही की प्रशंसा करते हुये लिखा कि पुलिस अधीक्षक ने जुए के एक बहुत बड़े अड्डे को साफ किया है और वह किसी भी दबाव में गलत कार्य करने को तैयार नहीं हुये थे। वह प्रशंसा के पात्र हैं।

जियाराम जी वैसे तो माने हुए आई.पी. अधिकारियों में थे, परन्तु कभी-कभी हर चीज को विचित्र ढंग से देखते-परखते थे। डी.आई.जी. की रिपोर्ट पर उन्होंने लिखा कि पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी जब वहां कई महीने से नियुक्त हैं तो इस जुएं के अड्डे को उन्होंने पहले क्यों नहीं तोड़ा। इस विषय में मुझसे स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी थी। मैंने अपने स्पष्टीकरण में लिखा कि उस जुए के अड्डे की मुझे इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन मुझे फोन पर सूचना प्राप्त नहीं होती, तो यह अड्डा शायद और आगे भी चलता रहता। प्रत्येक अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक के पास नहीं रहती। यदि सूचना मिल जाने पर वह कार्यवाही न करे तो उसे दोणी माना जा सकता था, अन्यथा नहीं। श्री अली कदीर, डी.आई.जी. ने मेरे स्पष्टीकरण को आई.जी. को भेजते हुये अपने पत्र में यह भी लिख दिया कि श्री वाई.एन. सक्सेना के इस अच्छे कार्य को देखते हुये उन्हें मथुरा में तैनात करने की कृपा की जाय, क्योंकि वहां पर सोरन-बलवीर सिंह गैंग ने तवाही मचा रखी है।

इसी बीच, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया और कांग्रेस के श्री सी०बी०गुप्ता जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सरकार गठन के लिए उनकी पार्टी को जरूरी बहुमत प्राप्त नहीं था पर अन्य पार्टियों की तुलना में उनकी पार्टी के विधायक अधिक थे। आई.जी. ने उक्त प्रसंग की पूरी चर्चा मुख्यमंत्री जी से कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर ली कि मुझे पुलिस अधीक्षक, मथुरा बना दिया जाय। श्री सी०बी० गुप्ता पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मुझे अच्छी तरह से जानते थे। वह मेरे कार्य से प्रसन्न भी थे। मुझे एक सज्जन ने बताया था कि मेरा शीघ्र स्थानान्तरण होने वाला है क्योंकि चैयरमैन जिला परिषद एवं एम.एल.सी. साहब बहुत अप्रसन्न हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आपका स्थानान्तरण करवा दिया है। मैंने भी बड़ी शान से उन सज्जन से कहा कि इससे मुझे फायदा ही होगा मैं मैनपुरी से एक अच्छे जिले का पुलिस अधीक्षक होकर जा रहा हूँ। जब यह बात मेरा विरोध करने वालों

तक पहुंची, तो ये सब फिर मुख्यमंत्री जी के पास गये और उन पर दबाव डाला कि पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को जिला मथुरा न भेजकर पी.ए.सी में, स्थानान्तरित किया जाय। परन्तु मेरी अच्छी छवि के कारण गुप्ता जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तव मेरे विरोधियों ने मुख्यमंत्री को दो स्वतंत्र विधायकों को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित कराकर उनकी सरकार को सुदृढ़ता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री इस बड़े प्रलोभन से नहीं वच सके और अगले दिन आई.जी., उत्तर प्रदेश को आदेश देकर मुझे २३ बटालियन पी.ए.सी. मुरादाबाद स्थानान्तरित करवा दिया। मेरे स्थानान्तरण के इस निर्णय से सभी आश्चर्यचकित हो गये। विशेषकर श्री अली कादीर, डी.आई.जी. को काफी आघात लगा। उन्हें श्री जियाराम, आई. जी.पी. ने स्वयं फोन पर बताया था कि वह मुझे मैनपुरी से मथुरा स्थानान्तरित कर रहे है।

मैंने अपने स्थानान्तरण का कारण जानने का प्रयास नहीं किया। आदेश प्राप्त होने के पश्चात मुरादाबाद प्रस्थान करने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही श्री जैनुउद्दीन अहमद, नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मैनपुरी पहुंचे, मै उन्हें चार्ज सौप कर अगले दिन ही पत्नी सरला व बच्चों के साथ मुरादाबाद प्रस्थान कर गया। पत्नी सरला को सारी वातें मालूम थी। उन्होंने कहा -" पार्टनर, कोई चिन्ता मत करो। तुमने अपना फर्ज सही तरह से पूरा किया है।" फिर पी.ए.सी. कौन सी खराब जगह है। न हमें यहां मैनपुरी में पैसा बनाना था और न मथुरा या पी.ए.सी में बनाना। जहां भी रहेंगे, खुश रहेंगे। आज वह इस लोक में नहीं है। परन्तु उनकी वह सुलझी हुई मधुर वाणी आज भी मेरी प्रेरणास्रोत हैं।

२३वीं बटालियन पी.ए.सी. में मुझे बहुत काम था। उस बटालियन के दो वार्डर-पोस्ट तिब्वत-चीन सीमा के निकट स्थित थे। एक वद्रीनाथ के आगे माणा के पास और दूसरी सुराई टोटा की सुदूर हिमालय की चोटियों के पास। बहुत दिनों से किसी सेनानायक ने इन पोस्टों का निरीक्षण नहीं किया था। अतः कुछ दिन बटालियन के मुख्यालय पर रहकर वहां की परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी कर लेने के पश्चात मैं उन पोस्टों पर निकल गया। इस यात्रा में मेरे साथ पत्नी सरला, प्यारी बेटियां रश्मि, छवि व छः महीने की सोनी, मेरी ६५ वर्षीया वृद्ध माँ पूजनीय गिरजादेवी तथा मेरी सास पूजनीय चन्द्रकान्ता जी भी थीं। हम लोगों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किये और अपने भाग्य को सराहा कि अगर २३ बटालियन पी. ए.सी. में नियुक्ति नहीं होती तो सुदूर हिमाच्छादित हिमालय पर स्थित मन्दिर बद्री वावा के दर्शन हम लोगों को कैसे होते। उस यात्रा से लौटकर मै मुरादाबाद पहुंचा, तो मुझे पुनः अपने स्थानान्तरण का आदेश मिला कि मै तुरन्त जिला मथुरा जाकर वहां के पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लूं। मैने व सरला जी ने यहीं समझा कि भगवान बद्रीनाथ जी ने हम लोगों पर अपनी दया की है।

मथुरा पहुंचने पर वहां की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने तुरन्त सोरन-बलवीर सिंह गैंग को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक टास्क फोर्स गठित कर प्रभावी अभियान प्रारम्भ कर दिया। एक रात लगभग ११ बजे अचानक मुझे थाने से सूचना मिली कि दाऊजी के जंगल में पुलिस तथा गैग के बीच गोलीबारी हो रही है। मैं तुरन्त वर्दी पहन कर अपनी रिवाल्वर सहित गार्ड के साथ दाऊजी के जंगल में पहुंचने के लिए प्रस्थान कर गया। प्रस्थान के समय सरला जी मुझे जीप तक छोड़ने आयी। उन्होंने कहा - "जाओ और दो की खबर लेकर सफलता के साथ लौटना"। हम लोग मुठभेड़ के स्थल के निकट जीप छोड़कर खेतों की आड़ में लगभग रेंगते हुए अपनी फोर्स के पास पहुंचे। दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। डाकू भी खड़ी फसल में हम लोगों की तरह छिपे थे और बीच-बीच में हमारी ओर फायरिंग कर रहे थे। करीब ४ बजे सुबह हम लोगों को लगा कि अब शायद डाकुओं का गिरोह भाग गया है। अतः हम लोगों ने फायरिंग बन्द कर दी। क्रास फायरिंग होने के कारण हम लोगों की ही गोली पुलिस वालों को लग जाने का अन्देशा था। करीब ५ बजे सुबह हम लोगों ने खेतों में सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये एक जगह दो डाकुओं को मरा पाया। मृतकों का पंचायतनामा तैयार कर मैं पोस्टमार्टम तथा अन्य विधिक कार्यवाही के आदेश देकर लौट आया।

यद्यपि दोनों मृतक डाकू बलवीर सिंह गैंग के थे, परन्तु साधारण श्रेणी के थे। अतः श्री घमण्डी सिंह आर्य, डी.आई.जी. एन्टी डकैती ऑपरेशन, आगरा ने वीरता पदक के लिए शासन को संस्तुति भेजना उचित नहीं समझा। मुठभेड़ में शामिल पुलिस फोर्स को मैंने अच्छी धनराशि पुरस्कार के रूप में डी.आई.जी. से दिलवा दी। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन मैंने सरला जी से पूछा कि मैं इन्काउण्टर में शमिल होने जा रहा था, तब वह बिल्कुल नहीं घबराई न मुझे ही सतर्कता बरतने के लिए कहा। परन्तु "दो की खबर लेकर सफलता के साथ लौटने" को कह दिया था जो पूरी तरह सही साबित हुई। इसके पीछे क्या राज था? तब उन्होंने बताया कि वह बात उन्होंने देवरहवा बाबा का ध्यान करके कही थी कि बस दो ही डाकुओं को मारना। मैं उनके उत्तर से आश्चर्यचकित हो गया। देवरहवा बाबा में उनकी कितनी अधिक आस्था थी, इस मुठभेड़ के एक दिन पूर्व ही हम दोनों श्री देवरहवा बाबा के दर्शनार्थ मथुरा में यमुना के किनारे उनके आश्रम पर गये थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था।

मुख्यमंत्री सी०बी० गुप्ता जी मथुरा-भ्रमण पर आने वाले थे। मुझे चार्ज लिए सिर्फ दो महीने हुए थे। मुख्यमंत्री जी के आगमन से सम्बन्धित तैयारियां जोरों पर थीं। उनकी एक जनसभा छाता तहसील में होनी थी। मथुरा में बहुत से मण्डलों में जाने तथा पार्टी नेताओं

से मिलने का भी उनका कार्यक्रम था। उनके पूर्वनिर्धारित सभी कार्यक्रम सुचारु रूप से सम्पन्न हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी मथुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में रात १० बजे तक सबसे मिलते रहे थे। अन्त में उन्होंने मुझे बुलवाया। वह मुझसे अकेले ही में मिले। उनका अभिवादन कर मै उनके संकेत पर उनकी मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मै कुछ चिन्तित था कि किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी है, और पुनः मेरे स्थानान्तरण की बात उठी हो। मुख्यमंत्री जी ने तभी मुझसे पूछा- "कहिये, अब तो आप खुश है"? मैने कहा -"सर, मै कुछ समझा नहीं"। मुख्यमंत्री जी ने कहा -"आप बैठिये, आपको सब बताता हूँ"। उनका कहना था कि वह मेरे मैनपुरी से मुरादाबाद पी.ए.सी. में ट्रान्सफर के पक्ष में नहीं थे। वहा के नेताओं द्वारा बहुत अनुनय-विनय करने पर भी उन्होंने ट्रांसफर के लिए मना कर दिया था। तभी उन्होंने दो स्वतंत्र विधायकों को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करा देने का आश्वासन दिया। इससे कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के परिणामस्वरूप विवश होकर उन्हें मेरा स्थानान्तरण मैनपुरी से मथुरा के लिए न करके पी.ए. सी. मुरादाबाद करना पड़ा था। लेकिन बाद में अवसर मिलते ही मेरा स्थानान्तरण पी.ए.सी. मुरादाबाद से मथुरा कर दिया गया। मै स्तब्ध होकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते हुये कहा-"सर, यह आपकी महानता है कि आप सदैव मेरे हित के विषय में सोचते है।

स्वर्गीय गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के ऐसे शानदार व दरियादिल मुख्यमंत्रियों में से थे, जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के नाम और काम दोनों से पूर्ण परिचित रहते थे। उनके साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक अन्याय नहीं होने देते थे। छाता तहसील की जनसभा में उन्होंने कहा था कि अपने पचास वर्षो के राजनैतिक जीवन में वह पहली बार मथुरा आये है। मथुरा आने की उनकी चिर इच्छा अब पूर्ण हो सकी है। जब मैंने पत्नी सरला को सारी बातें बतायीं तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सम्भवतः मुख्यमंत्री जी मुझसे मिलकर मेरे राज़नैतिक स्थानान्तरण की परिस्थितियों और उसमें अचानक हुये परिवर्तन तथा पुनः उसी स्थान पर नियुक्ति का रहस्य बताकर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहते हों। इसीलिए शायद वह मथुरा पधारे अन्यथा उनके मथुरा पधारने का अन्य अभिप्राय उनके कार्यक्रम से दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इन दृष्टान्तों को देखकर कहना होगा कि स्वर्गीय चन्द्रभान गुप्त का हृदय विशाल एवं गंगा-जमुना के जल की तरह पवित्र था। वह अत्यंत मानवतावादी दृष्टिकोण के नेताओं में से थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अथक परिश्रम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह विभाजन का विरोध करने वाले

गिने-चुने कांग्रेसियों में थे जिन्होंने गांधी जी के विरुद्ध सुभाण चन्द्र बोस का साथ दिया था। एक उच्चकोटि के स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक, स्पष्ट वक्ता एवं सर्वगुण सम्पन्न होने के कारण स्वर्गीय चन्द्रभान गुप्त का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा।

हंगामा एक प्रतिष्ठित नेता की गिरफ्तारी का

मै जव पुलिस अधीक्षक, मथुरा था उन दिनों एक एडवोकेट, जिन्हें प्रायः लोग 'चेयरमैन साहब' कहकर सम्बोधित करते थे, वे नगरपालिका के अध्यक्ष थे। वह मथुरा के सवसे सशक्त लोगों में थे और प्रदेश वित्त मंत्री जी के दाहिने हाथ माने जाते थे। वह स्थानीय प्रशासन पर सदैव भारी पड़ने के प्रयास में रहते थे।

एक दिन फारेंसिक विशेषज्ञ सिया राम गुप्ता का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे फोन पर सूचना दी कि उनकी ८० वर्षीय विधवा बड़ी वहन वृन्दावन में ही अपने घर के मन्दिर में ठाकुरजी की पूजा कर अपने दिन व्यतीत कर रही है। रात में उनके घर में चोरी हो गयी और चोर भगवान की सोने की मूर्तियां भी ले गये, इस कारण वह बहुत दुःखी थी। मैने गुप्ता जी को आश्वासन दिया कि वह धैर्य रखें। मै इस घटना को "वर्क आउट" कराने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मैने तुरन्त टेलीफोन से इन्सपेक्टर थाना वण्दावन विद्यार्थी जी को गुप्ता जी की बातें बतायी। इन्सपेक्टर, थाना वृन्दावन ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में है और वह घटना स्थल का निरीक्षण कर चुके है, परन्तु चोरी का कोई सुराग अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है। उनका प्रयास जारी है। उन्होंने मुखविरों का जाल फैला दिया है। मैने इन्सपेक्टर साहब को सतर्क किया कि कहीं ऐसा न हो जब तक आपके मुखबिर अपराध से सम्बन्धित कोई सूचना दें, तब तक चोरी गयी सोने की मूर्तियां सुनारों की भट्टियों में गला दी जायं और फिर न रहे बांस और न बजे बांसुरी।

साधारण जनता को जानकारी न होने के कारण शायद यह बात विचित्र लगे, पर बात सच है कि चोरी की घटनाओं में प्रायः सोने-चॉदी के आभूषण व अन्य चीजें तुरन्त गला दी जाती हैं ताकि पुलिस द्वारा अभियुक्तों के पास से बरामद किये जाने तक उनकी पहचान

समाप्त हो जाय । इसी कारण अभियुक्तों को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण न्यायालय से दण्डित कराना सम्भव नहीं हो पाता है । कानून के अनुसार चोरी किये गये सामान के पहचान चिन्हों व स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए । इसीलिए मैंने इन्सपेक्टर, थाना वृन्दावन को कानूनी दृष्टिकोण से पहले ही सतर्क कर दिया था । और तेज गति से विवेचना के साथ सर्राफा बाजार में सुनारों, विशेषकर अवैध ढंग से चोरी का माल लेने और रखने वालों के यहां भी सुरागरसी करने और छापा मारने के निर्देश दे दिये थे । विवेचना के दौरान कार्यवाहियों की प्रगति देते रहने की अपेक्षा भी सम्बधित इन्सपेक्टर से की थी ।

मैंने इस चोरी के विषय में पत्नी सरला को भी बताया और कहा चोर भगवान की मूर्तियों को चुराने से भी नहीं डरते । धार्मिक प्रवृति की विदुषी महिला होने के कारण सरला उक्त घटना को सुनकर दुखी हुई । भगवान की मूर्तियों की चोरी को वे दार्शनिक भाव से देख रही थीं । उन्हें लग रहा था कदाचित भगवान को उस वृद्धा महिला की सेवा या प्रेम-भाव पसन्द न आ रहा हो । वह ईश्वर एवं व्यक्ति के निश्छल सम्बन्धों की महान कवियत्री महादेवी वर्मा की दृष्टि से देख रही थी कि विरह ही प्रेम को परखने की कसौटी है । उन्होंने महादेवी जी की एक पंक्ति बड़े संयमित भाव से सुनायी "विरह प्रेम की जागृति गति है और सुशप्ति मिलन है" । उन्होंने कहा- "मानव के लिए कर्तव्य परायणता का गुण आवश्यक है क्योंकि भावना से कर्तव्य ऊँचा होता है" । भगवतगीता का दृष्टांत देते हुये उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में कर्म की प्रधानता होनी चाहिये । वह मेरे प्रयासों के सफल होने की कामना कर रही थी । उन्हें आश्वस्त किया कि मैं चोरी की घटना को प्राथमिकता के स्तर पर "वर्क आउट" करके ही रहूँगा । मुझे मालूम था कि सियाराम गुप्ता जी सज्जन अधिकारी हैं और वह दुबारा मुझे इस विषय में फोन भी नहीं करेंगे । ऐसा ही हुआ न उन्होंने फोन पर फिर याद दिलाया और न ही उनकी बहन मेरे पास कभी आयीं ।

मैं बड़ी उत्सुकता से इन्सपेक्टर थाना वृन्दावन की सूचना की राह देख रहा था । मै स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण करके गुप्ता जी की बड़ी बहन को सांत्वना भी देना चाहता था । रात ८.३० बजे इन्सपेक्टर, थाना-वृन्दावन मेरे बंगले पर आये । मैंने उन्हें तुरन्त अपने गोपनीय कार्यालय में बैठाकर बात की । उनकी हालत देखकर मेरे मन में भी निराशा के भाव उठने लगे । वह अपना चेहरा लटकाये हुये थे और उनकी वर्दी भी बड़ी अस्त-व्यस्त दशा में थी । उन्होंने बड़े हताश मन से धीरे-धीरे बताया कि मेरे निर्देशानुसार वह उक्त चोरी का पता लगाने सर्राफा बाजार पहुंच गये । संदिग्ध सुनारों के ठिकानों पर छापा मारने पर एक जगह उन्हें चोरी गयी सोने की मूर्तियां मिल गयी । उनकी तौल कर सोनार रुपयों का भुगतान

भी दो लोगों को कर चुका था। वह मूर्तियों को भट्टी में डालकर गलाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने उस सुनार को नियम एवं विधि के अन्तर्गत कार्यवाही करके गिरफ्तार कर लिया और चोरी की गयी मूर्तियों को बरामद कर गवाहों के समक्ष बरामदगी के अभिलेख तैयार करके मूर्तियों को कब्जे में ले लिया। सुनार के साथ दोनों चोरों को गिरफ्तार करने के बाद सिपाही उन्हें थाने में ले जा रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक 'चेयरमैन' कुछ लोगों को लेकर *आ गये। उन्होंने अपने साथियों की मदद से चोरी की बरामदगी का सारा माल छीन लिया।* अभियुक्त सुनार व दोनों चोरों को भी जबरदस्ती छुड़ा ले गये। सिपाहियों की संख्या कम थी, अतः वे कुछ नहीं कर पाये। बाद में इंस्पेक्टर चेयरमैन के घर गये और उन्हें बताया कि जो सामान वह अपने साथियों के साथ पुलिस से छीनकर ले गये हैं, वह चोरी का माल था। पुलिस से छीनाझपटी तथा सिपाहियों को मारपीट कर अपराधियों को जबरन छुड़ा लेना बड़ा संगीन अपराध माना जाता है, जो धारा-३५६ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आता है। वह स्वयं वकील है और यह सब अवैधानिक कार्य उनको परेशानी में डाल देगा। चेयरमैन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उनसे अभद्रता कर वापस थाना जाने के लिए धमकाने लगे उनकी वर्दी तक फाड़ दी। इन्सपेक्टर साहब क्रोधित तो बहुत हुये। अपनी सरकारी रिवाल्वर का प्रयोग करने की सोची परन्तु स्थिति बिगड़ जाने के डर से वैसा करना उचित नहीं समझा और घबराये हुए सीधे मेरे पास चले आये लेकिन इन्सपेक्टर वृन्दावन को डर था कि मैं उसे कायर कहकर लज्जित करूंगा और दण्ड दूँगा। उनके द्वारा बतायी गयी बातें मुझे बहुत सही एवं स्वाभाविक लगीं। मैंने धीरज बंधाते हुये उन्हें आश्वासन दिया कि जो कुछ भी उन्होंने किया, सही किया। वह मुझे बहुत परेशान, डरे तथा भूखे-प्यासे लग रहे थे। मैंने उन्हें चाय-नाश्ता कराया। उनके सामान्य हो जाने के पश्चात मैंने उन्हें निर्देश दिया कि जो कुछ उन्होनें बताया है,उसे वह थाने की जनरल डायरी में सही-सही अंकित कर दें और सिपाहियों की तरफ से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाकर अपराध का पंजीकरण करा दें। इसके बाद चेयरमैन के विरुद्ध अविलम्ब विधिक कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। इस कार्य में उन्हें मेरा पूरा समर्थन रहेगा। इन्सपेक्टर साहब अपने को संभालते हुये और मुझे धन्यवाद देते हुये चले गये। पुलिस की भाषा में उन्होंने कहा "हूजुर का इकबाल बुलन्द रहेगा"।

थाना-वृन्दावन वापस जाकर उन्होंने चेयरमैन आदि के विरुद्ध लिखा-पढ़ी की और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार हो गये। मैंने सरला से कहा कि अब मुझे चिन्ता नहीं है। केस "वर्क आउट" हो गया है। आगे की कार्यवाही यद्यपि कठिन नहीं थीं, परन्तु

वह कुछ विपरीत दिशा में सोचने लगीं, आगे की सारी कार्यवाही एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध की जानी थी। वह अपनी सोच में सही थी क्योंकि आगे जो बवंडर आया, उसकी कल्पना भी नहीं की गयी थी।

अगले दिन सुबह ८.३० बजे इन्सपेक्टर थाना-वृन्दावन मथुरा रोड पर धर्मशाला के पास फोर्स लेकर पहुंच गये और पेड़ों के पीछे सड़क पर सतर्क थे। चेयरमैन करीब ९ बजे अपने स्कूटर से सिगरेट का कश लेते काला कोट पहने निश्चिन्त होकर कचहरी जा रहे थे। तभी इन्सपेक्टर ने अचानक उन्हें घेर लिया और स्कूटर से उतार कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हाथों में हथकड़ी लगाकर पैदल ही उनके घर तलाशी लेने हेतु गये। यह सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि चेयरमैन हतप्रभ रह गये। कुछ राहगीर भी इस प्रसंग को जानने के लिए पीछे लग गये। चोरी गयी सोने की वे मूर्तियां, जिन्हें पुलिस से छीना गया था, बरामद कर लीं गयी थी। पूरे क्षेत्र में हड़कम्प मच गया। थाना ज्यादा दूर नहीं था, अतः पुलिस ने चैयरमैन को जल्दी ही बंदीगृह में बन्द कर लिखा-पढ़ी पूरी कर ली।

घटना की सूचना मथुरा कचहरी में अतिशीघ्र पहुंच गयी। वकीलों में भगदड़ मच गयी और उन्होंने पुलिस की कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। मथुरा के सभी न्यायालय बन्द हो गये। जिलाधिकारी आर०के० गोयल ने मुझे तुरन्त फोन किया और घटना की सत्यता जाननी चाही। मैंने स्वयं उनके निवास पर जाकर उन्हें घटनाक्रम तथा पुलिस की कार्यवाही की पूरी जानकारी दी। यद्यपि उन्होंने पुलिस कार्यवाही को गलत नहीं कहा, परन्तु चिन्ता अवश्य व्यक्त की। चैयरमैन को अगले दिन न्यायालय से जमानत मिल गयी, परन्तु वकीलों ने न्यायालय का वहिष्कार कई दिनों तक जारी रखा।

जमानत पर छूटने के वाद चैयरमैन ने किशोरी रमण कालेज के छात्रों का आक्रोश उभाड़ कर तथा छात्रों को साथ लेकर पुलिस इन्सपेक्टर की गिरफ्तारी के नारे लगाते हुये थाने का घेराव करने हेतु आगे वढ़ने लगे। मुझे इसकी सूचना थाने से प्राप्त हो गयी थी। अतः मैंने जिलाधिकारी से सिटी मैजिस्ट्रेट तथा सर्किल ऑफिसर सिटी (डी०वाई०एस०पी०) को वहां अविलम्ब भेजने का अनुरोध किया। सिटी मैजिस्ट्रेट तथा सर्किल ऑफिसर थाने पर तत्काल पहुंच गये। पी०ए०सी० की एक कम्पनी भी वहां भेज दी गयी। मैंने जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि यदि सिटी मैजिस्ट्रेट एवं सी०ओ० सिटी चैयरमैन को समझा बुझाकर थाने के घेराव की योजना समाप्त नहीं करा सके, तो इसकी सूचना मुझे तत्काल दे दी जाये। तब परिस्थितियों को सुलझाने तथा शान्ति-व्यवस्था के प्रबन्ध हेतु मुझे खुद ही वहां पहुंचना होगा। जिलाधिकारी बड़ी सूझबूझ वाले और मंझे हुये वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने

मेरे अनुरोध सहर्ण स्वीकार कर लिया, पर कोई आपत्ति न करके चैयरमैन के नेतृत्व में किशोरी रमण कालेज के छात्र किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुये । सिटी मैजिस्ट्रेट तथा सी०ओ० सिटी की सूचना पाकर मैं तथा जिलाधिकारी वृन्दावन के लिए तुरन्त प्रस्थान कर गये । चैयरमैन ने छात्रों को उकसाकर पत्थर चलवाना शुरू कर दिया था जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गये थे । पथराव पुलिस कर्मचारियों के निवास स्थानों पर भी होने लगा था । थाने की छत पर सुरक्षा हेतु नियुक्त एक सिपाही ने अपनी बन्दूक से एक फायरिंग अपने तथा अपने साथियों के बचाव के लिए कर दिया था, जिससे एक छात्र घायल हो गया। छात्रों में प्रतिहिंसा भड़क उठी । फलस्वरूप उन्होंने पथराव और तेज कर दिया और सिटी मैजिस्ट्रेट को पी०ए०सी० को लाठीचार्ज करने के आदेश देने पड़े । पी०ए०सी० ने लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से खदेड़ दिया । जिलाधिकारी व मेरी उपस्थिति में भी वहां जनाक्रोश था । मैने वहां मौजूद लोगों को राय दी कि वे पुलिस को घायल छात्रों को उपचार हेतु अस्पताल ले जानें दें । फायरिंग करने वाले सिपाही के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । मैने वहां एकत्र भीड़ को चेतावनी दी कि यदि हमें अपनी डयूटी करने से रोका गया तो विवश होकर उनको तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज व टियर गैस फायर कराना पड़ेगा । इसके लिए पुलिस तथा पी०ए०सी० को तैयार रहने के आदेश दे दिये गये । हमारी इस चेतावनी से अवैध कार्य करने का लोगों का साहस ध्वस्त हो गया और वह धीरे-धीरे वहां से खिसकने लगे । हम लोगों ने तुरन्त घायल छात्र को मथुरा सिविल अस्पताल ले जाकर सिविल सर्जन को उपचार हतु सौप दिया और उन्होंने उसे मृत्यु से बचा लिया । भाग्य ने भी उसका साथ दिया था । हम लोगों के अविलम्ब प्रयास से उसे नया जीवन मिला अन्यथा वह भीड़ की चपेट, लापरवाही तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु की गोद में चला जाता ।

दूसरे दिन सुबह वित्तमंत्री लखनऊ से मथुरा आ गये । उन्होंने चैयरमैन से सारी कहानी सुनकर मुख्यमंत्री से तुरन्त मेरे निलम्बन तथा इन्सपेक्टर थाना वृन्दावन को गिरफ्तार करने की कार्यवाही हेतु पुरजोर मांग की । सौभाग्य से मुख्यमंत्री जनपद मैनपुरी में मेरी नियुक्ति काल से ही मेरी कर्तव्यनिष्ठा एवं बेहतर कार्यो से सन्तुष्ट थे । उन्होंने वित्त मंत्री जी से कहा कि वह पहले जिलाधिकारी मथुरा व मुझसे बात करके तथ्यों की सही जानकारी कर लें, तत्पश्चात लखनऊ वापस पहुंचकर उन्हें अवगत करायें । तभी कोई कार्यवाही करना उचित होगा । इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने सूझबूझ और विवेक का परिचय देकर वित्त मंत्री द्वारा भावावेश में दी गयी सलाह को टाल गये जो उनके राजनैतिक कौशल का एक नमूना भी था ।

वित्त मंत्री जी मेरे तथा मेरी पुलिस पर बरर्वता करने का बहुत ढिंढोरा पीटा पर मुख्यमंत्री चन्द्रभान गुप्ता को हिला नहीं सके थे। वित्त मंत्री ने तुरन्त जिलाधिकारी तथा मुझे मथुरा डाक बंगले में बुलाकर उक्त काण्ड की सारी बातें पूछी और ध्यान से सुना परन्तु सब कुछ जानते हुये भी वह पुलिस को सरासर दोषी मानते रहे। उनका कहना था कि पुलिस अधीक्षक अर्थात मुझे निलम्बित और इन्सपेक्टर, थाना वृन्दावन को इस काण्ड में गिरफ्तार करना होगा क्योंकि पुलिस के मन में प्रदेश के वित्त मंत्री और नगरपालिका के चैयरमैन के लिए कोई आदर भाव नहीं है।

वित्त मंत्री, मथुरा के चैयरमैन, कुछ नेताओं, तथा वहां के एक बुजुर्ग कन्हैया लाल जी (भूतपूर्व एम०एल०सी० जो मुख्यमंत्री जी के सम्बन्धी लगते थे) को लेकर दूसरे दिन लखनऊ चले गये और कड़े से कड़े शब्दों में मेरी भर्त्सना मुख्यमंत्री जी से की। उन्होंने सम्पूर्ण प्रकरण को मेरे द्वारा एक सोची-समझी रणनीति बताया। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें उत्तर दिया कि वह इस मामले में कोई कार्यवाही तभी करेंगे, जब वह स्वयं इस घटना की जांच कर लेगें। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आश्चर्यजनक था कि वह स्वयं उक्त प्रकरण की जांच करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के लिए यह एक अद्वितीय उदाहरण था। वह न केवल प्रतिभा के धनी थे वरन् इतने अधिक अनुभवी थे कि किसी भी स्थिति का शान्ति भाव से सामना करने को हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें जांच के लिए जल्दी ही आना पड़ा क्योंकि मथुरा में भीषण रोष था कि इतना बड़ा काण्ड हो जाने के बाद भी पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं भी गम्भीर था कि मेरे विरुद्ध मुख्यमंत्री जी को स्वयं जांच करनी पड़ रही थी।

मुख्यमंत्री जी ने अपनी जांच का स्थान मथुरा की जगह आगरा चुना और तदनुसार अपना कार्यक्रम भेज दिया था कि पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी मथुरा, उपमहानिरीक्षक, आगरा रेन्ज एवं डिवीजनल कमिश्नर, आगरा मण्डल वहां उपस्थित रहेगें। पुलिस अधीक्षक, मथुरा पूरा घटना प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। सरकारी पक्ष को सुनने के पश्चात वह चैयरमैन नगरपालिका मथुरा, उनके साथियों तथा स्थानीय नेताओं के साथ-साथ मथुरा के वकीलों से भी बातचीत करेंगे।

अगले दिन वह आगरा आकर सर्किट हाउस में आ गए। मै तथा जिलाधिकारी भी मथुरा से आगरा आ गये थे। अख़्तर अब्बास डी०आई०जी०, आगरा रेन्ज तथा के०के० शर्मा, कमिश्नर आगरा मण्डल ने उन्हें पहले ही संक्षेप में पूरा प्रकरण बता दिया था। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कमिश्नर तथा डी०आई०जी० से प्रकरण की सत्यता के विषय में पूछा था। दोनों उच्च अधिकारियों ने मेरी कार्यवाही को नियमानुसार सही बताकर मेरा

समर्थन किया । तत्पश्चात मुझे तथा जिलाधिकारी को बुलाकर बात की । जिलाधिकारी ने भी यही बताया कि मेरे द्वारा की गयी कार्यवाही में कोई दोष नहीं था । उन्होंने भी मेरा समर्थन किया और चेयरमैन द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों तथा सम्बन्धित बरामद माल को पुलिस के कब्जे से छीन लेने को एक गम्भीर आपराधिक घटना बताया था । वह प्रशासन को कर्तव्य-विमूढ़, भयभीत तथा परेशान करने की नियत से की गयी थी ।

मैंने मुख्यमंत्री जी को इस काण्ड की सत्यता के सम्बंध में श्री सियाराम गुप्त, पुलिस अधीक्षक, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के फोन से लेकर अन्त तक विस्तार से बताया । एडवोकेट चैयरमैन से सम्बन्धित आपराधिक मामलों पर मैंने एक नोट भी तैयार किया था, जिसे मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया । उनके खिलाफ कुल सात मामलों में कत्ल, कत्ल के प्रयास, मारपीट एवं धोखाधड़ी की घटनाएं थीं । उनके विरुद्ध यह भी आरोप था कि वह वृन्दावन में अवैध पदार्थो की बिक्री को भी प्रोत्साहन देते रहते है जबकि उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन पवित्र एवं अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होने के कारण एक महान तीर्थस्थान माना जाता है । मुझे सुनने के बाद मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस के लान में आ गये तथा वहां उपस्थित वित्त मंत्री, कन्हैया लाल, भूतपूर्व एम. एल.सी., पत्रकारों व वकील आदि अनेक लोगों से मिले । वहां एकत्र भीड़ लगातार मेरे स्थानान्तरण तथा इन्सपेक्टर थाना वृन्दावन के निलम्बन की मांग के नारे लगा रही थी । उक्त नारों के साथ मुख्यमंत्री जी जिन्दाबाद के नारों से सर्किट हाउस गूँज रहा था । एम.पी. मुख्यमंत्री जी ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनीं । वहां पर उस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित नहीं था । उन्होंने वित्त मंत्री एवं अन्य उपस्थित लोगों से कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध सात बड़े आपराधिक मामलों में अभियोग चलाने हेतु चार्जशीट न्यायालय भेजी गयी है, जिसमें यह स्पष्ट है कि वह अपराध करने के आदी है । इस पर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सब मामले झूठे है और पुलिस द्वारा बनाये गये हैं । अभी तक किसी भी अपराध में न्यायालय से कोई निर्णय या सजा नहीं हुई है । तब मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया लेकिन न्यायालय ने सारे मामलों में अभी तक चैयरमैन को निर्दोष भी नहीं घोषित किया है । उन्होंने अपना निर्णय उसी क्षण सुना दिया । उनका मत था कि पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही कहीं से भी गलत नहीं थी । इस निर्णय से वहां उपस्थित लोगो, विशेषकर वित्त मंत्री जी, आश्चर्य में पड़ गये । कुछ क्षणों की स्तब्धता एवं मौन के बाद कमिश्नर, आगरा मण्डल ने मुख्यमंत्री जी को सर्किट हाउस में अन्दर चलने एवं जलपान के लिए आमंत्रित किया । मुख्यमंत्री गुप्ता जी तुरन्त वहां से चल पड़े और वित्तमंत्री जी को भी साथ आने के लिए कहा ।

मंत्री जी बहुत ही दुखी दिखायी दे रहे थे, परन्तु मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनके साथ हो लिये। वित्त मंत्री जी जलपान के पश्चात भी मुख्यमंत्री जी को समझाने तथा मेरा स्थानान्तरण कर देने पर जोर दे रहे थे। परन्तु मुख्यमंत्री ने साफ "नहीं" कर दिया। मंत्री ने अपने तरकश का अन्तिम तीर चलाकर मुख्यमंत्री जी से कहा, ऐसी परिस्थितियों में उनकी स्थिति एवं व्यक्तित्व जनता के बीच बहुत निम्न स्तर पर आंका जाने लगेगा। यदि पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण नहीं किया गया तो वह चुनाव भी नहीं जीत सकेगें। मुख्यमंत्री जी अपने निर्णय पर दृढ़ता तथा आत्मविश्वास के साथ अडिग रहे और वित्त मंत्री से कहा कि अभी तुरन्त पुलिस अधीक्षक, मथुरा का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। भविष्य में जब किसी बड़े जिले का चार्ज खाली होगा, तभी वहां उनकी नियुक्ति करेंगें। वित्त मंत्री जी के लिए अपने साथियों को समझाने का एक रास्ता खुल गया। उन्होंने तुरन्त साथियों के पास जाकर कहा कि अब आप लोग वापस लौट जायें। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही एस०पी० का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। इस प्रकार वहां उपस्थित भीड़ 'वित्त मंत्री जी जिन्दाबाद', 'वित्त मंत्री जी जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुये लौट गयी।

लोगों के चले जाने के पश्चात मुख्यमंत्री गुप्ताजी ने मुझसे एक प्रश्न किया। अपराधी को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाने के लिए क्या नियम हैं। मैने स्थिति स्पष्ट करते हुये उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के नियम के अनुसार यह विषय पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह किसे हथकड़ी लगाये और किसे न लगाये। प्रायः हिंसा के मामलों में लिप्त अपराधियों को हथकड़ी लगाई जाती है, जिससे कि वह पुलिस हिरासत से भाग न सकें और कोई उपद्रव न खड़ा कर सकें। महिलाओं, बच्चों, राजनैतिक वंदियों एवं समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी नहीं लगायी जाती है। उच्च न्यायालयों ने भी ऐसे ही निर्णय दिये है। साथ-साथ शासन ने भी इस प्रकार के आदेश समय-समय पर पारित किये है। मेरे उत्तर पर मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा था, क्यों पुलिस इन्सपेक्टर, थाना वृन्दावन ने एक एडवोकेट को हथकड़ी लगायी? इस प्रश्न पर मै निरूत्तर था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं अविलम्ब पुलिस इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण किसी अन्य थाने पर कर दूँ। मैने उनके आदेश का पालन किया और उसी दिन शाम को इन्सपेक्टर विद्यार्थी को थाना वृन्दावन से हटाकर उसी थाने के समकक्ष थाना गोवर्धन का इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिया।

मथुरा से मेरा स्थानान्तरण न होने के कारण वित्त मंत्री जी अप्रसन्न थे। वह लखनऊ में मुख्यमंत्री पर मेरे स्थानान्तरण हेतु लगातार दबाव डालते रहते थे। उस समय राम किशोर

मिश्रा अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक थे । अलीगढ़ प्रदेश का एक अति संवेदनशील तथा साम्प्रदायिक दंगों के लिए सम्पूर्ण भारत में चर्चित स्थान माना जाता है । प्रदेश शासन भी इसी कारण अपने सबसे अनुभवी एवं कुशल प्रशासक को बतौर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक वहां नियुक्ति करता है । मिश्रा जी अपने कार्य में दक्ष होने के साथ-साथ अति अनुभवी अधिकारी थे । उनके अधीन डी०एस०पी०, डी०के० तिवारी नियुक्त थे, जो किन्हीं कारणों से प्रोविंशियल सर्विस से आई०पी०एस० संवर्ग में प्रोन्नति नहीं पा सके थे । वह अपने पुलिस अधीक्षक के विचारों से प्रायः सहमत नहीं होते थे । अतः दोनों में टकराव व अनुशासनहीनता की स्थिति बनी रहती थी । उक्त विकट परिस्थिति को डी०आई०जी० तथा कमिश्नर भी नहीं सुलझा पा रहे थे । प्रदेश शासन का गृह विभाग भी दोनों अधिकारियों के बीच मतभेदों से पूर्णतया अवगत था । नये मुख्यमंत्री चरण सिंह जी भी इस खिच-खिच की परिस्थिति से अवगत थे । आई.जी. यू०पी० ने अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण अति अनिवार्य मामला बनाकर मुख्यमंत्री जी पर दबाव डाला तो उन्होंने मेरा अलीगढ़ स्थानान्तरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया । उन्होंने मुख्य सचिव तथा गृहसचिव अशोक कुमार मुस्तफी को आदेश दिया कि वे मुझे मथुरा से स्थानान्तरित कर पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नियुक्त कर दें । गृह सचिव अशोक कुमार मुस्तफी अपनी इस नियुक्ति से पूर्व आगरा डेवलपमेन्ट अथारटी के चैयरमैन थे । उस समय मै सेनानायक पी०ए०सी० एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के दोनों पदों पर नियुक्त था । कुशल और स्पष्ट कार्य प्रणाली के कारण श्रीपत जी (आयुक्त, आगरा मण्डल) मुझसे बहुत प्रभावित थे और प्रायः प्रशासनिक मामलों में मेरी राय को प्राथमिकता देते थे । मुस्तफी साहब आगरा मण्डल के कमिश्नर नियुक्त होना चाहते थे, इसलिए वह श्रीपत जी का विरोध करते रहते थे । उसी परिप्रेक्ष्य में वह मेरा भी विरोध करते थे । वह नहीं चाहते थे कि मै मथुरा से एक महत्वपूर्ण जनपद अलीगढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया जाऊँ ।

उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मेरी सिर्फ ११ साल की ज्येष्ठता बताकर मेरे स्थानान्तरण का विरोध किया । अलीगढ़ जनपद पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हेतु कम से कम १४ साल की ज्येष्ठता पर बल दिया जाता था । परन्तु नये मुख्यमंत्री जी ने उनके सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया और मेरे स्थानान्तरण का आदेश पारित करने के लिए कहा । इस प्रकार मथुरा से मै थोड़े ही समय बाद एक अति महत्वपूर्ण जनपद अलीगढ़ का पुलिस अधीक्षक बन गया । जो मेरे भविष्य के लिए एक उपलब्धि थी । यहां मै यह बताना उचित और आवश्यक समझता हूं कि जिन-जिन जनपदों में मैं पुलिस अधीक्षक/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त रहा,

वहां के जिलाधिकारियों से मेरे बहुत मधुर सम्बन्ध रहे। जिलो में शान्ति-व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण रखने तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में मेरी राय प्रायः स्पष्ट, संतुलित एवं विवेकपूर्ण होती थी, जिसके कारण मेरे साथी जिलाधिकारी मेरी राय का स्वागत करते हुए उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लेते थे और प्रत्येक स्थान पर कठिन से कठिन प्रशासनिक परिस्थितियों में मेरा समर्थन करते थे। मैनपुरी में गणेश सिंह सेठ एवं दिनेश दुबे, मथुरा में श्री गोयल, अलीगढ़ में श्री उमापति भट्ट तथा कानपुर में श्री एस०पी० वातल तथा श्री के०के० बक्शी जैसे जिलाधिकारी मेरे साथ नियुक्त रहे। इन सबका मुझसे व्यक्तिगत लगाव और प्रशासनिक कार्यों का एकमत होकर निस्तारण करने की यादें मेरी उपलब्धियां हैं।

१

चरण सिंह की जान को खतरा

राजा भरतपुर किशन सिंह मथुरा से कई बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। अचानक एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी, उनकी खाली सीट पर लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा था। उस समय चरण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस उपचुनाव में अपनी संविद पार्टी से दिगम्बर सिंह को प्रत्याशी खड़ा किया था, जो मथुरा के एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली जाट नेता थे। राजघराने के एक राजा साहब ने भी अपना नामांकन स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में भरा था। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी थीं। जनसभाओं और जुलूसों का दौर चलने लगा था। राजा साहब जोरशोर से अपनी सभाएं कर रहे थे। वह चरण सिंह जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनको चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया था। राजा साहब दुबले पतले व्यक्ति थे और प्रायः सफेद कमीज व सफेद पैन्ट पहनते थे। उनकी बोलचाल का तरीका एक शासक की तरह था। वह प्रायः मुझसे व जिलाधिकारी आर०के० गोयल से मिलने आते थे और अपने चुनाव से सम्बन्धित मुद्दों पर बात करते थे। बीच-बीच में मुख्यमंत्री चरण सिंह के प्रति अनादर एवं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी करते थे। अतः मैं व जिलाधिकारी दोनों ही उन्हें टालने की गरज से उनकी हां में हां मिलाकर जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा लेने की ताक में रहते थे।

जैसे-जैसे चुनाव की तारीख निकट आती जा रही थी, राजा साहब के तेवर मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के प्रति तीखे होते जा रहे थे। एक दिन मैने व डी०एम० ने उस विषय पर गहन विचार-विमर्ण किया। हम लोगों की राय थी कि राजा साहब बड़े गैरजिम्मेदार किस्म तथा गलत कार्यों के आदी हैं। अतः उनसे फालतू टकराव से बचना चाहिए। किन्तु एक दिन राजा साहब ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। चुनावों में प्रायः पार्टियां और उनके प्रत्याशी

अपनी-अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ न कुछ धांधली करते रहते हैं । वही राजा साहब ने भी किया । मथुरा के डेमपियर नगर का मैदान प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता सालिगराम जायसवाल ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में मीटिंग के लिए आठ बजे शाम सिटी मजिस्ट्रेट तोताराम जी से रिजर्व करा लिया था । उस दिन शाम करीब ३ बजे, बिना पूर्व कार्यक्रम निश्चित कराये, राजा साहब एक जलूस लेकर डेमपियर पार्क पहुंच गये और अपनी चुनावी सभा करने लगे । ८ बज जाने के बाद भी उन्होंने जब मैदान खाली नहीं किया, तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सिटी मैजिस्ट्रेट से अपनी जनसभा हेतु मैदान खाली कराने के लिए आग्रह किया । सिटी मैजिस्ट्रेट ने राजा सहाब से मैदान खाली करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होने साफ इन्कार कर दिया । सिटी मैजिस्ट्रेट ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दे दी । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता जिलाधिकारी पर हावी होने लगे । वह यह जानने के लिए उतावले थे कि प्रशासनिक आदेश के अनुसार मैदान उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है । जिलाधिकारी ने मुझे फोन पर बताया कि राजा साहब ने बड़ा परेशान कर दिया है । बिना इजाजत के डेमपियर नगर का सभा स्थल घेरे हुये हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जनसभा नहीं करने दे रहे हैं । यदि मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता बवाल मचा देंगें । मैंने जिलाधिकारी से फोन पर कहा कि मैं सी०ओ. (सिटी) पी०एन० द्विवेदी को आदेश दे रहा हूँ कि वह सिटी मैजिस्ट्रेट के साथ सभास्थल पर पहुंचें और राजा साहब को समझा-बुझा कर मैदान खाली करा दें ।

थे। हम लोगों को देखकर वह जोर-जोर से चीख कर माईक पर बोलने लगे कि 'भाईयों, हमें यहां से कोई नहीं हटा सकता। आप लोग एस०पी० व डी०एम० के आने से कतई डरें नहीं'। भीड़ ने तुरंत नारे लगाने शुरू कर दिये थे 'राजा साहब जिन्दाबाद', 'जीतेगा भई जीतेगा, राजा साहब जीतेगा' आदि।

हम दोनों स्टेज पर चढ़ गये, परन्तु राजा ने माईक से बोलना बंद नहीं किया। जिलाधिकारी ने धीरे से कहा- "राजा साहब, जरा सुनिये तो"——। इस पर राजा साहब माईक समेत दाहिने घूमकर डी०एम० के सामने पहुंच गये। डी०एम० ने बड़ी सज्जनता परन्तु दृढ़ता के साथ कहा "राजा साहब, यह आपके लिये उचित नहीं है। मीटिंग के लिए पहले से यह स्थान रिजर्व कराये बिना आप यहां जनसभा कर रहे है। यह मैदान पहले से जिनको आवंटित किया गया है, उन्हें आप "मीटिंग ही नहीं करने दे रहे हैं"। डी०एम० ने अपना वाक्य पूरा किया ही था कि राजा ने कहा "हम डी०एम० को कुछ नहीं समझते। मै मीटिंग समाप्त नहीं करूंगा और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो गोली चला दूँगा"। जिलाधिकारी गोयल साहब बड़े सीनियर एवं अनुभवी अधिकारी थे और कुछ दिनों में ही कमिश्नर के पद पर प्रोन्नत होने वाले थे। वह राजा की इस चेतावनी से एकदम घबड़ा गये। सन्न तो मै भी हो गया था। मैने तुरन्त मीटिंग की भीड़ का जायजा लिया। भीड़ में मुझे मथुरा के तमाम जाने-पहचाने गुण्डे व कातिल मौजूद दिखाई पड़े। पुलिस बल वहां पर बहुत कम संख्या में था। मै दुविधाग्रस्त था क्योंकि राजा बड़े अभिमानी और अविवेकी लगे यदि मै उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेता तो भीड़ के भड़क उठने की सम्भावना थी। साथ ही साथ गोली पत्थर चलने का भी डर था, जिससे स्थिति काबू के बाहर भी हो सकती थी। मुझे लगा कि जब तक मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल न बुला लिया जाय, वहां की बिगड़ती स्थिति को रोक पाना सम्भव नहीं हो सकेगा। उसी क्षण अचानक एक प्रेरणा सी मेरे मन में आयी। मैने पढ़ा था कि कभी-कभी कठिन परिस्थितियों में हल्की-फुल्की बातचीत भी समस्याओं के समाधान में, विशेषकर जहां उपद्रव की स्थिति हो, बड़ा काम करती है। अतः मैंने तुरन्त राजा साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा "अरे राजा साहब, क्या आप जीता जिताया इलैक्शन हारना चाहते है"। राजा ने उत्तर दिया, "वाट डू यू से"। मैने उन्हें बताया कि "राजा साहब मेरी खबर के मुताबिक आप निश्चित इलैक्शन जीत रहे हैं। पर एक भी गलत स्टैप लेने से आपका नुकसान हो सकता है। जैसे आपने इतने भले डी०एम० से बेजा बात की है, उसका पब्लिक रियेक्शन आपको मंहगा पड़ सकता है। आप क्यों अपना नुकसान कर रहे है"?

राजा वास्तव में बहुत ही अजीब किस्म के व्यक्ति थे। उसने तुरन्त मेरी बात का

विश्वास कर लिया और अपने को विजयी प्रत्याशी समझकर तुरन्त मुझसे बोला "थैंक यू एस०पी० साहब"। उसने आगे बढ़कर डी०एम० साहब से कहा, "आई ऐम सॉरी मिस्टर गोयल। मैंने गलती की है और मै अब तुरन्त अपने आदमियों से मैदान खाली करने को कहता हूँ।" राजा ने माईक पर तुरन्त एनाउन्स किया कि अब मीटिंग समाप्त होती है। 'राजा साहब जिन्दाबाद' के नारे बुलन्द करते हुए जनसभा की भीड़ अपने-अपने घर चली गयी। ५-७ मिनट में ही मैदान खाली हो गया और सालिगराम जायसवाल जी ने अपनी जनसभा शुरू कर दी। घबराये हुये डी०एम० को मैं तुरन्त उनके निवास स्थान पर ले गया और चाय पिलवाकर शान्त किया। रात्रि खाने के बाद जब मैंने पत्नी सरला को राजा के बारे में सारी बात बताई तो वह हंसने लगी "एक ब्लफ से आपने" इतनी बड़ी समस्या हल कर ली।

इलैक्शन का माहौल दिन प्रतिदिन गरमाने लगा था। मै अपने अन्य प्रशासनिक कार्यो की तुलना में उसको प्राथमिकता दे रहा था। इसी समय मुख्यमंत्री चरण सिंह जी का मथुरा शहर एवं भरतपुर-मथुरा बार्डर पर जनसभाओं को सम्बोधित करने का प्रोग्राम आया। भारतीय किसान दल के नेतागण व प्रत्याणी चौधरी दिगम्बर सिंह हम लोगों के पास चक्कर मारने लगे। जिस दिन चरण सिंह जी को जनसभाओं को सम्बोधित करना था, उसी दिन सुबह वह सर्किट हाउस आगरा से मथुरा के लिए रवाना हुये। मुझे इसकी सूचना थी। कमिश्नर आगरा मण्डल ने जिलाधिकारी मथुरा को भी पूर्व रात में सूचना दे दी थी कि मुख्यमंत्री मथुरा पहंचने के पूर्व फरहा (जनपद मथुरा) के पी०डब्ल्यू०डी० इन्सपैक्शन हाउस में डी०एम० व एस०पी० से मिलना चाहेंगे। अतः उसी रात उक्त इन्सपैक्शन हाउस में सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था कर दी गयी। मैंने व डी०एम० ने सुबह ही वहां जाकर डेरा डाल दिया। मुख्यमंत्री जी के खाने का प्रबन्ध मथुरा में चौधरी दिगम्बर सिंह ने किया हुआ। फरहा इन्सपैक्शन हाउस में मैंने व डी०एम० ने मुख्यमंत्री को रिसीव किया और उनसे चाय पीने का निवेदन किया। चरण सिंह जी बहुत सख्त स्वभाव के मुख्यमंत्री थे और ज्यादातर चाय आदि पीने से इन्कार कर देते थे, परन्तु उस दिन उन्होंने हमारी एक कप चाय पीना स्वीकार कर लिया। चाय पीते समय उन्होंने अपने पी०ए० से एक फाईल मंगाई और उसे खोल कर हम लोगों को बताया कि लखनऊ में उन्हें बहुत से गुमनाम पत्र प्राप्त हुये है, जिनमें उन्हें मथुरा में जन सभाओं को सम्बोधित करने से मना किया गया है और न मानने पर जान से मार डालने की धमकी दी गयी है। अभी हम लोग उन पत्रों को पढ़ भी नहीं पाये थे कि उन्होंने बीच में ही कहा कि वैसे वह इन सब पत्रों की परवाह नहीं करते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में हम लोगों की राय जरूर जानना चाहेंगे। गोयल साहब ने मुझे सम्बोधित करते हुये कहा "कप्तान साहब, इस विषय में आप ही बतायें। मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है"। चरण सिंह जी से सभी अधिकारी

थर्राते थे और उनका किसी से नाराज हो जाने का मतलब होता था परेशानी को आमंत्रित करना। मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में कहा "आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं उसकी पूरी गारन्टी लेता हूँ। धमकी भरे पत्रों के पीछे कोई असंतुलित आदमी है। निश्चिन्त होकर आप जनसभाओं को सम्बोधित करें"। राजा के पीछे दो-तीन पुलिस दस्ते छोड़ दिये थे और उन्हें आदेश था कि आवश्यकता पड़ने पर वे राजा को दबोच लें। मेरी बात सुनकर मुख्यमंत्री जी पूर्ण आश्वस्त हो गये और उन्हें विश्वास हो गया कि हो सकता है कि धमकी भरे पत्र राजा द्वारा भेजे और भिजवाये गये है।

भोजन एवं थोड़े आराम के पश्चात मैं तथा ड्रिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुख्यमंत्री जी को सभास्थल पर ले गये। चरण सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही एन०एस० सक्सेना जी को प्रदेश का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया था। वह एन०एस० सक्सेना जी पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वह उच्च कोटि के ईमानदार एवं निडर प्रशासनिक पुलिस अधिकारी थे। मुख्यमंत्री चरण सिंह जी ने अपने भाषण में प्रदेश को बहुत अधिक चुस्त-दुरुस्त एवं निर्भीक प्रशासन देने की बात की। इसी सन्दर्भ में उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक एन०एस० सक्सेना की खुलकर प्रशंसा करते हुये कहा, "मैंने आपके प्रदेश को सबसे अधिक योग्य एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी को प्रदेश का आई०जी० बनाया है" (उस समय पूरे प्रदेश में एक ही आई० जी० होता था और वहीं पुलिस का सर्वोच्च पद था)। उन्हें मैंने एक माह का समय दिया है कि वह इस दौरान पूरे पुलिस ढांचे को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ बना दें। मुझे पूरी आशा है कि वह कामयाब होंगे, यदि वह कामयाव नहीं होते हैं तो वह समझ लेंगे कि यहां की पुलिस फोर्स को निगमेन्द सैन सक्सेना ठीक नहीं कर पायेगें तो भगवान भी अगर उतर कर पृथ्वी पर आ जायें तो वह भी इस फोर्स को ठीक नहीं कर पायेंगे"। किसी मुख्यमंत्री और वह भी श्री चरण सिंह जैसे व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के प्रति इतनी निष्ठा, विश्वास एवं आदर सूचक बातें कहना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। यद्यपि श्री एन०एस० सक्सेना जी की ख्याति पुलिस विभाग में बहुत ऊँचे दर्जे की थी, पर जिस भाषा का प्रयोग श्री चरण सिंह जी ने किया था, वह तो वास्तव में किसी भी अधिकारी के लिये बहुत गर्व की बात थी।

मथुरा शहर की जनसभा समाप्त हो जाने के पश्चात मै व डी०एम० मुख्यमंत्री जी को देहात की दूसरी जनसभा के लिए ले जा रहे थे। हमारे आगे पायलेट करती हुई और पीछे एस्कार्ट करती हुई गाड़िया थीं। अतिविशिष्ट कार में मुख्यमंत्री जी के साथ गोयल साहब तथा मै बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी मुझसे व डी०एम० से धीरे-धीरे पूंछ रहे थे कि चुनाव में उनके प्रत्याशी की क्या स्थिति है। हम लोगों ने उन्हें बताया था कि दिगम्बर सिंह जी बहुत सशक्त

प्रत्याशी तो नहीं है परन्तु उनके द्वारा चुने गये है, इस कारण वह जीत जायेगें । हमने बताया राजा झूठी बातें बहुत करते हैं और विख्यात नहीं है । वह मतदाताओं को खिलाने-पिलाने पर काफी खर्च कर रहे हैं, इसी कारण उसकी जमानत तो बच ही जायेगी । अभी यह बात चल ही रही थी कि राजा साहब आगे सड़क पर अपनी जोंगा जीप में लाउडस्पीकर लगाये खड़े दिखाई पड़े । हम लोगों के काफिले को देख कर वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हम लोगों के आगे जोर-जोर से हार्न बजाते चल दिये । रोड सिंगल व कंकड़ीली थी । राजा की गाड़ी के कारण हमारे काफिले के आगे चारों तरफ धूल उड़ने लगी । मैने पायलट करती पुलिस गाड़ी को वायरलेस से आदेश दिया कि तेज हार्न बजाकर आगे की गाड़ी से पास लेकर उसके आगे निकलें, ताकि मुख्यमंत्री जी को सभास्थल पर समय से पहुंचाया जा सके और धूल खाने से बचाया जा सके । मुख्यमंत्री जी वायरलैस सेट पर पास किया जा रहा आदेश सुन रहे थे । पुलिस पायलट की गाड़ी ने तेज हार्न बजाकर पास मांगना शुरू कर दिया । परन्तु राजा ने पास नहीं दिया । स्वयं स्टीयरिंग बैठे वह गाड़ी को कभी दाहिने कभी बायें ले जाकर पूरी सड़क घेर कर धूल का गुब्बार उड़ाते हुये चले जा रहे थे । मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी सोच रहे होंगे कि पुलिस कप्तान एवं डी०एम० के साथ होते हुये भी रोड पर उनकी गाड़ी को पास नहीं मिल पा रहा है । तब मैने वायरलैस सैट से पायलेट गाड़ी को दूसरा मैसेज पास किया कि वह अपनी गाड़ी की चाल धीमी कर ले ताकि मेरी गाड़ी उसे ओवरटेक कर आगे निकल जाये । मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि मै जानबूझकर क्यों वी०आई०पी० कार एवं फ्लीट के नियमों को तोड़ रहा हूँ । वह कुछ बोले नहीं, परन्तु देख सब रहे थे । मैने वी०आई०पी० कार को पायलैट गाड़ी से आगे निकालकर ड्राइवर से तेज हार्न बजाकर राजा की गाड़ी से पास लेना चाहा । परन्तु राजा कहां मानने वाले थे । उन्होंने पास नहीं दिया बल्कि अपनी गाड़ी और तेज चलाकर आगे बढ़ते जा रहा थे? उसकी गाड़ी से पास न पाने पर मैने अपनी सर्विस रिवाल्वर निकाल गाड़ी की खिड़की खोल कर राजा की गाड़ी के टायर पर फायर करना चाहा, लेकिन गोयल साहब ने मुझे रोक दिया कहा - "कप्तान साहब,यह आप क्या कर रहे है" । मैने उन्हें उत्तर दिया कि "मै राजा की गाड़ी के एक टायर को वर्स्ट करके उसकी गाड़ी रोकना चाहता हूँ । वह अपनी गुस्ताखी से बाज नहीं आ रहा है और जानबूझकर रोड पर चलने के नियमों का उल्लघंन कर रहा है" । मेरा उत्तर सुनकर चरण सिंह जी ने धीरे से कहा- "आप रहने दें । राजा जो भी कर रहा है, उसे करने दें । मैं सन्तुष्ट हूँ कि आप हिम्मती पुलिस अधिकारी है" । तत्पश्चात मुझे अपनी रिवाल्वर वापस अन्दर होल्सटर में रख देनी पड़ी ।

थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जी को लेकर हम सभा स्थल पर पहुंच गये । एक बड़े

शामियाने के अन्दर बहुत से आदमी तथा औरतों की भीड़ व्यग्रता से बैठी मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रही थी। हमने अपनी गाड़ी ठीक स्टेज के पास रोकी और मुख्यमंत्री जी को स्टेज पर ले गये। मुख्यमंत्री जिन्दाबाद के नारों से सभा स्थल गूँज उठा। मै आश्वस्त हो गया कि जनसभा में वी०के०डी० पार्टी के ही लोगों की भीड़ ज्यादा है। राजा के आदमी नहीं है। राजा ने अपनी जोगा गाड़ी सभास्थल के पीछे बांयी तरफ खड़ी कर ली और स्वयं बोनट पर आकर बैठ गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने भाषण देना शुरू किया, राजा ने जोर-जोर से हार्न बजाना तथा लाउडस्पीकर पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सभास्थल पर हंगामा होने लगा। तब मैं स्टेज से उतरकर पीछे गया और राजा को बोनट से उतार कर उनसे कहा कि वह काफी तमाशा कर चुके है। अब भी अगर वह बाज नहीं आये तो मै उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दूंगा। मेरे तेवर देख राजा कुछ सहम गया। मैने पुलिस को आदेश देकर उनकी गाड़ी के हार्न का बिजली कनेक्शन तुड़वा दिया और गाड़ी के एक चक्के के निकलवा दिया। राजा के आसपास १५-२० पुलिस के तन्दूरस्त जवान खड़े कर दिये तथा उन्हें आदेश दे दिया कि जब तक मुख्यमंत्री जी वापस मथुरा नहीं लौटते, तक तक उस गाड़ी को स्टार्ट न होने दें। राजा साहब यह सब देख कर चुप हो गये। तभी मैंने उनसे तपाक से हैंडशेक कर कहा "थैंक यू राजा साहब" और फिर तेजी से स्टेज की तरफ चला गया।

मुख्यमंत्री जी डाक बंगले पर चाय पीकर आगरा के लिए रवाना हो गये थे। मै तथा डी०एम०उनके साथ मथुरा बार्डर तक गये थे। वहां आगरा के पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री जी को एस्कार्ट कार से आगरा ले जाने हेतु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेकर मै तथा डी०एम० उनकी गाड़ी से उतर गये। मुख्यमंत्री चरण सिंह जी ने हम लोगों से हाथ मिलाकर मुस्कराते हुये हमें विदा किया और चलते समय मुझसे कहा - "राजा बड़ा ही नासमझ है। अतः जब तक इलैक्शन समाप्त नहीं हो जाता, उसे गिरफ्तार न किया जाय। वह हार रहा है इसलिए बहुत खिसियाया हुआ है"।

मुख्यमंत्री जी को सुरक्षित अपने जिले से विदा कर देने के पश्चात मै डी०एम० की गाड़ी में बैठकर उनके निवास स्थान पर पहुंचा। गोयल साहब उस समय तक अविवाहित थे। अतः वह मुझे अपने बंगले पर बैठाकर गप-शप करना चाहते थे, पर मैं उनसे यह कहकर वहां से चल दिया कि मुझे जल्दी से जाकर सम्पूर्ण सूचना आई०जी० निगमेन्द्र सेन सक्सेना को देनी है। वह सूचना का बेसब्री से इन्तजार कर रहे होगें। मुझे लगा कि सरला को भी बंगले पर कार्यरत अर्दलियों से जानकारी मिल गयी थी कि चुनाव के अभ्यर्थी राजा साहब बात-बात पर रिवाल्वर से मारने की धमकी देते रहते है और उखड़े से है। जैसे ही मै घर पहुंचा, सरला मुझे बड़े अचरज से देख रही थी। मै उनकी गतिविधियों से समझ गया था

कि वह घबरायी हुई थी । अतः मैने तुरन्त उनसे कहा कि भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है । यह सब समस्याएं तो चलती ही रहती हैं । अब जिन्दगी भर इसी तरह की घटनाओं से निपटना है । उनकी आंखों में स्नेहवश ऑसू आ गये ।

बाकी बचे दिनों का चुनाव प्रचार भी जल्दी ही समाप्त हो गया । राजा साहब की छोटी-छोटी/ऊल-जलूल हरकतें होती रहती थीं और हम लोगों के मनोरंजन में उस समय सहायक होती थीं जब सारे अधिकारी मेरी तथा डी०एम० की मीटिंग में प्रतिदिन सन्ध्या के समय चुनाव की समस्याओं एवं बन्दोवस्त का आंकलन करने के लिए एकत्रित होते थे । ऐसा लगने लगा था कि राजा साहब द्वारा मुख्यमंत्री जी की देहात की चुनावी सभा में वांधा पहुंचाने एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जान से मार देने की धमकी की खबरों ने उनके चुनाव अभियान पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था । चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशनों के पास लगे राजा साहब के शामियानों में भीड़ नजर नहीं आती थी, जबकि बी०के०डी० के दिगम्बर सिंह का खेमा करीब-करीब भरा दिखता था । चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया और मत पेटिकाएं कचहरी में सुरक्षित रख दी गयीं । एक दिन के विश्राम के बाद जब वोटों की गिनती शुरू की गयी तो कलक्ट्रेट में बाहर बहुत भीड़ जमा हो गयी थी । शान्ति व्यवस्था हेतु मैंने पहले से ही भीड़ के नियंत्रण हेतु वांस बल्लियों की मजबूत वैरीकेडिंग करा दी थी । पुलिस अधिकारी ज्यादातर समय वहां मौजूद रहकर शान्ति व्यवस्था बनाये हुए थे । मैं भी बीच-बीच में अपने कार्यालय जाकर वायरलैस आदि से आई०जी० लखनऊ को मतगणना की स्थिति बताता रहता था । शुरू से ही चौधरी दिगम्बर सिंह जी बढ़त बनाये हुये थे और राजा साहब लगातार पीछे चल रहे थे । करीब ४ बजे सायं जब मैं मतगणना पंडाल पर गया, तो राजा साहब सफेद पतलून व सफेद कमीज पहने किसी से कुछ बात कर रहे थे । शायद वह उनका इलैक्शन एजेन्ट था । जैसे ही राजा साहब मुझे दिखाई पड़े, मैंने दूर से ही उन्हें नमस्कार कर उनसे उनकी चुनावी स्थिति जाननी चाही । राजा ने कहा "कप्तान साहब, दि लक इज आन दि अदर साइड" । मैने उत्तर दिया 'नेवर माईण्ड राजा साहब, अभी आपको मेकअप करने का काफी समय पड़ा है" । राजा साहब कुछ बोले नहीं, पर झेंप अवश्य गये । रात्रि में मतगणना समाप्त हुई । चौधरी दिगम्बर सिंह को एम०पी० चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था । राजा साहब अपने आदमियों को लेकर चुप-चाप वहां से चले गये । मैंने जुलूस के साथ लगी फोर्स व अधिकारियों तथा संवेदनशील चौराहों पर लगी आर्म्ड गार्ड को वायरलैस सेट पर स्पष्ट आदेश दे दिये थे कि जब तक विजय-जुलूस विसर्जित न हो जाय, वे ड्यूटी पर सतर्कता से लगे रहेंगे और राजा साहब पर लगातार दृष्टि रखेगें, जिससे वह कोई ऐसी हरकत अचानक न कर दें कि चुनाव के पश्चात की स्थिति बिगड़ जाय । रात्रि तीन

बजे घर पहुंचकर मैंने अपने जूते उतारे, सरला ने वर्दी उतारने में मेरी मदद की और भोजन के पश्चात मैं तत्काल सो गया। सुबह चाय पीने के लिए सरला जी ने मुझे जगाया तो मुझे मथुरा की वह सुबह इतनी सुहावनी लगी, मानों कंस का बध करके कृष्ण को अपार शान्ति प्राप्त हो रही हो।

वर्ष १९८१-८२ में जब मै सी०आर०पी०एफ० में प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) था, तब एक दिन अखबार में पढ़ने को मिला था कि डीग (राजस्थान) में एक राजा साहब डी०आई०एस०पी० की गोली से चुनाव के दौरान मारे गये, जिसमें वह स्वयं प्रत्याशी थे। इस समाचार से मुझे व सरला को बहुत दुःख हुआ। चुनाव का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है और अच्छे से अच्छे प्रबन्ध धरे के धरे रह जाते हैं।

१०

अलीगढ़ की विचित्र शान्ति

सन् १९७० के मध्य में जब मुझे अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सम्भालने को कहा गया तो मुझे ताज्जुव हुआ। मैं आश्चर्य चकित इसलिए था क्योंकि उस समय मेरा आई.पी.एस. का सेवाकाल केवल १०-११ साल का था, जिसमें मेरी प्रशिक्षण अवधि भी शामिल थी। अति साम्प्रदायिक एवं संवेदनशील होने के कारण अलीगढ़ को उन दिनों उत्तर प्रदेश का महत्त्वपूर्ण प्रभार माना जाता था। इसलिए वहां बहुत होशियार एवं अनुभवी पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी ही नियुक्त किये जाते थे। पुलिस अधीक्षक राम किशोर मिश्रा को वहां से अचानक स्थानान्तरित करके उनके स्थान पर मुझे भेजा गया था।

एन.एस. सक्सेना उस समय प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक थे। वह वहुत दृढ़ स्वभाव के पुलिस अधिकारी थे और विशेपकर भ्रष्टाचार मिटाने के संदर्भ में "मसीहा" माने जाते थे। जब वह १९६३ में डी.आइं.जी. पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद (प्रधानाचार्य पी.टी. सी.) थे, मै उस समय लखनऊ में ए.एस.पी. और पुलिस लाईन व आर.टी.सी. का प्रभारी सर्किल ऑफिसर था। सक्सेना जी उसी मध्य रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेन्टर (आर.टी.सी.) लखनऊ का निरीक्षण करने आये थे। उन्होंने एस.एस.पी. लखनऊ को अपना कार्यक्रम पहले ही भेज दिया था और कहा था कि सी.ओ. पुलिस लाइन्स, आर.टी.सी. के लखनऊ निरीक्षण सम्बन्धी विषयों पर एक नोट तैयार कर लें और लखनऊ-आगमन के समय वह नोट उन्हें दें। अपने अनुभव के अनुसार मैंने एक विस्तृत नोट तैयार कर लिया, जिसमें रिक्रूट्स ट्रेनिंग के विषय में कुछ तथ्यपरक बातें लिखी थीं और कुछ कमियों का भी उल्लेख था। उस समय सक्सेना जी से पुलिस अधिकारी स्वंतंत्र होकर वार्तालाप करने या लिखा-पढ़ी करने का साहस नहीं करते थे। सबको डर रहता था कि वह किसी बात से नाराज होकर उस अधिकारी के

विरुद्ध कोई जांच न शुरू करा दें। पर मैने बिना किसी डर के उनके निरीक्षण से सम्बन्धित नोट विस्तारपूर्वक बना दिया था।

जब निरीक्षण हेतु वह पुलिस लाईन में आये, तब मै तथा रिजर्व इन्सपेक्टर राम कुमार सिंह वहां पहले से उपस्थित थे। हम लोगों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने क्वार्टर गार्ड पर सशस्त्र गार्ड का सम्मान स्वीकार किया। उसके बाद मैने उन्हें वह नोट दे दिया, जिसे तैयार करने का उन्होंने पहले से आदेश दे रखा था। उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा। सक्सेना जी पुलिस की तड़क-भड़क में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने मुझसे सीधे रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेन्टर पर चलने को कहा, जहां रिक्रूट्स को वह अध्यापकों द्वारा पढ़ाते देखना चाहते थे। उन्होंने वहां तक पैदल जाने पर जोर दिया। रास्ते में उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा नोट लिखा है, परन्तु उसमें एक कमी है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कोई बड़ी गलती पकड़ ली है और अब वह मेरी खिंचाई करेंगें। उन्होंने कहा कि वह नोट 'एडीटोरियल' की तरह लिखा गया है। यह सुनकर मुझे धीरज बंधा कि मेरे नोट में कोई विशेष त्रुटि नहीं थी। आर.टी.सी. का निरीक्षण किस तरह करना चाहिये, वह बराबर मुझे समझाते रहे। मैने उनसे चाय पीने के लिए निवेदन किया, परन्तु उन्होंने मना करके केवल एक गिलास पानी ही पिया। ऐसे अवसरों पर वह चाय नहीं पीते थे। निरीक्षण नोट जब एस.एस.पी. लखनऊ के पास आया, तब ज्ञात हुआ कि उन्होंने मेरे द्वारा तैयार किये गये नोट की काफी प्रशंसा की थी।

१९६९-७० में एन.एस. सक्सेना प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त हुये। उस समय पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल पुलिस) का पद सृजित नहीं हुआ था। पूरे प्रदेश के लिए एक ही आई.जी. हुआ करता था। वह भ्रष्टाचार निवारण एवं अपराध को कम करके दिखाने (मिनीमाईजेशन एण्ड कन्सीलमेन्ट ऑफ क्राइम्स) के सख्त विरोधी थे। पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने लखनऊ में एक कान्फ्रेंस बुलायी। पुलिस विभाग के उच्च आफिसरों सहित उसमें समस्त जनपदों के पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हुये थे। वहां दो विषयों पर विशेष चर्चा होनी थी-अपराध के अल्पीकरण को समाप्त करना तथा असिस्टेन्ट सब-इन्सपैक्टर ऑफ पुलिस के नये रैंक को स्वीकृत किया जाना। उस कान्फ्रेंस में मै भी सम्मिलित हुआ था। पुलिस अधिकारियों में उस समय सबसे अच्छे वक्ता डी.आई.जी. घमन्डी सिंह थे। मेरा अनुमान था कि प्रायः सभी वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी विशेष कर घमन्डी सिंह जी उक्त विषयों पर अपने विचार स्पष्ट और विस्तृत रूप से रखेंगे। परन्तु मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सभी अधिकारी कम से कम बोल कर बैठ गये। यहां तक श्री आर्य भी केवल औपचारिक रूप से अपने विचार व्यक्त करके बैठ गये। सक्सेना जी के समक्ष अधिक बोलने का साहस किसी

में नहीं था । उनका अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व एक उदाहरण था । जब अधिकारीगण अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके और शान्तिपूर्ण वातावरण बन गया तब सक्सेना जी ने कहा कि किसी अन्य अधिकारी को कुछ कहना हो, तो वह भी कह लें । मैंने भी अपने विचार व्यक्त करना चाहा तो उन्होंने सहर्ष मुझे बोलने की अनुमति दे दी । एन. एस. सक्सेना साहब अपराध के अल्पीकरण के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे । उनका विचार था कि अपराधों का अन्वेषण शीघ्रता से किया जाना चाहिए । इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में ए.एस.आई. का एक नया पद शासन से स्वीकृत करा लिया था, जिसमें केवल ५० वर्ष से अधिक आयु वाले हेड मोहर्रिर को ही प्रोन्नति देकर सहायक सब-इन्सपेक्टर बनाया जाना था । इस पर अधिक वित्तीय भार भी नहीं पड़ना था । साथ ही साथ अनुसन्धान कार्य में तेजी आ जानी थी । हेड मोहर्रिर को अपराधो की घटनाओं की विवेचना करने का अधिकार नहीं था जबकि सहायक इन्सपेक्टर (ए.एस.आई.) को पुलिस रेग्युलेशन में अपराधों की विवेचना करने का अधिकार था । अतः हेड मोहर्रिर को यह पद देकर अपराधों की त्वरित विवेचना करना उसका लक्ष्य था ।

मैंने सक्सेना जी के इन विचारों एवं कार्यो के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किये । मैंने कहा कि यह तो ठीक है कि एक हजार ए.एस.आई. नियुक्त करने से विवेचना में तेजी आ जायेगी और अपराध के अल्पीकरण सम्बन्धी कुरीति को भी रोका जा सकेगा । परन्तु ऐसा करके भ्रष्टोचारियों की एक भीड़ (फारेस्ट ऑफ करप्ट हैन्डस) खड़ा कर देना है । मेरे विचारों को सुनकर अधिकारी घबड़ा गये । सक्सेना जी भी अचम्भित रह गये । श्री अख्तर अब्बास जो आगरा परिक्षेत्र के मेरे डी.आई.जी. थे आगे की कुर्सी पर मेरे सामने बैठे थे, वह भी चौक गये । मैंने उन्हें अपने साथियों से कहते सुना, यह क्या बोल दिया? इसे सक्सेना साहब माफ करने वाले नहीं हैं । अब यह जिले की पोस्टिंग से हटेगा । डर तो मुझे भी लगने लगा । मैंने कहा मेरा तात्पर्य यह था कि हम अपराध के अल्पीकरण को सबसे बड़ा पुलिस का दोष मानते हैं और उसके लिए थाने के हैड मुहर्रिर को ही सबसे बड़ा दोषी ठहराते है । साथ ही साथ थाने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये भी उसे ही जिम्मेदार मानते हैं । अब हम उन्हीं हैड मुहर्रिरों को अपराधों की विवेचना का अधिकार देने जा रहे है । इस तरह हम क्या भ्रष्टाचार को और नहीं बढ़ा देंगे?

यद्यपि कान्फ्रेंस में मेरे व्यक्तव्य पर सन्नाटा छा गया था, परन्तु सक्सेना जी ने मुझे सम्बोधित करके कहा कि तुम अपने विचारों के अनुसार बिल्कुल ठीक कह रहे हो । ऐसा नहीं था कि मेरी बातें उनकी कल्पना से परे थीं । पर उन्हें उक्त योजना शासन से इसलिये स्वीकृत करानी पड़ी थी, ताकि नये पदों के सृजन से शासन पर कोई वित्तीय भार न पड़े । साथ ही

साथ यह भी कि ये ए.एस.आई. तीन चार साल की सेवा के पश्चात सेवा निवृत्त हो जायेंगे। तत्पश्चात अच्छे और सुयोग्य ए.एस.आई. पुलिस को उपलब्ध हो जायेंगें। सक्सेना जी का कथन अक्षरतः सत्य था, परंतु मुझे कोई ज्ञान नहीं था। कान्फ्रेंस की समाप्ति तक सभाकक्ष में यही चर्चा का विषय बना रहा कि मैने मूखर्ता की है।

लोगों का अनुमान था कि चूंकि मै सक्सेना जी के विचारों के प्रतिकूल बोल गया था, इसलिए मुझे उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा। फलस्वरूप मैं पुलिस अधीक्षक मथुरा के पद से हटा कर पी.ए.सी. में सेनानायक बना दिया जाऊंगा। पर लोगों का अनुमान सही नहीं निकला, मुझे मथुरा से स्थानान्तरित कर उससे अधिक महत्वपूर्ण पद अर्थात अलीगढ़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया।

जुलाई, १९७० को मैने जनपद अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक का चार्ज सम्भाल लिया। मेरी पत्नी सरला मे राजनीति शास्त्र की अच्छी ज्ञाता थीं। उन्हें अलीगढ़ की साम्प्रदायिक-संवेदनशीलता का अच्छा ज्ञान था। उनका प्रयास रहता था कि मै ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी कार्यो में ही व्यस्त रहूँ। घर की किसी भी समस्या को वह मेरे सामने नहीं आने देती थीं। अलीगढ़ में प्रारम्भ से ही मै अपराधिक घटनाओं से कहीं ज्यादा महत्व वहां की शान्ति-व्यवस्था की समस्याओं पर देता था। साम्प्रदायिकता के कारण वह जनपद अति संवेदनशील था। छोटी सी घटना भी वहॉ दंगे का उग्र रूप धारण कर लेने की आशंका बनी रहती थी। वहां की एक-दो घटनाओ का वर्णन मै यहां अवष्य करना चाहूँगा। पहली घटना नवम्बर, १९७० की थी। एक दिन शाम को इन्सपेक्टर, कोतवाली अलीगढ़ अचानक मेरे बंगले पर आकर मिले। उनके चेहरे पर पसीने की बूँदें थी, जो उनकी परेशानियों को स्पष्ट दर्णा रही थीं। मैने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में एक विचित्र काण्ड हो गया है। दिल्ली निवासो एम.ए. हिन्दी की एक छात्रा का अवैध सम्बन्ध अलीगढ़ के एक पचास वर्षीय मुस्लिम रीडर से हो गया जो सफेद लहराती दाढ़ी रखे हुये थे। लड़की गर्भवती हो गयी। गर्भ निरोध के प्रारम्भिक प्रयास जब सफल नहीं हुये, तब कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उन्होंने अलीगढ़ के एक प्राईवेट अस्पताल में गर्भ नष्ट कराना चाहा। गर्भ कई माह का हो गया था, अतः डाक्टर नाराज हुआ, पर छात्रा को अपने अस्पताल में दाखिल कर लिया। डाक्टर द्वारा सभी सम्भव उपचार के पश्चात भी गर्भपात सम्भव नहीं हुआ। अन्ततः एक बच्ची का जन्म हुआ, परन्तु जच्चा की दशा बिगड़ गयी। बाद में सही उपचार के बाद उसकी स्थिति खतरे के बाहर हो गयी। इन्सपैक्टर कोतवाली का कहना था कि जैसे ही इस घटना की सूचना बाहर के लोगों को लगेगी, शहर में भंयकर दंगा भड़क सकता है। यह सूचना मिलने पर मुझे परेशानी अवश्य हुई, परन्तु उसी

क्षण मैं एक ऐसी योजना बनाने में जुट गया जिसमें मुझे सफलता दृष्टिगोचर हो रही थी । मैंने तुरन्त वायरलेस सेट से पुलिस कन्ट्रोल रूम को निर्देश दिया कि शहर के सभी पुलिस थानों को रात्रि एवं अगले दिन शाम तक के लिए सतर्क रहने की सूचना दे दी जाय । शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की कड़ी व्यवस्था की जाय तथा अति संवेदनशील स्थानों पर स्थाई गार्ड तैनात कर दिये जायें । साथ ही साथ साम्प्रदायिक स्थिति पर भी पूरी-पूरी निगाह रखी जाए । मैंने पुलिस लाईन में भी रिजर्व फोर्स तैयार रखने के आदेश दे दिये । जनपद के सभी सर्किल ऑफिसर्स तथा सरदार बुलाका सिंह, सी.ओ. सिटी को कार्यालय बुलाकर अपने - अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करने और पूर्ण शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतर्क कर दिया । मैंने बुलाका सिंह और इन्सपेक्टर कोतवाली से कहा कि वे तुरन्त उस लड़की तथा उसके नवजात शिशु को एक टैक्सी में उसके माता-पिता के पास दिल्ली पहुंचवा दें । उनके साथ एक समझदार पुलिस अधिकारी, एक सिपाही तथा डाक्टर को भी साथ भेज दिया जाय ।

मेरे निर्देशानुसार सारा प्रबन्ध करके जच्चा-बच्चा को दिल्ली भेज दिया गया । उस समय तक अलीगढ़ में इस घटना की जानकारी किसी को नहीं थी । दूसरे दिन सुबह कुछ लोगों तथा पत्रकारों ने मुझसे इसकी जानकारी चाही । मैंने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित दिल्ली भेज दिये जाने की बात बता दी परन्तु शिशु के पिता यानी कालेज के रीडर के विषय में कुछ नहीं बताया । मेरी तत्परता के कारण घटना ने साम्प्रदायिक मोड़ नहीं लिया और एक भयंकर साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावना टल गयी । बुलाका सिंह ने बाद में मुझे बताया था कि जब वह जच्चा-बच्चा को दिल्ली भेज रहे थे, उस समय रीडर साहब ने बड़ी आपत्ति जताई थी । यहां तक कि वह अपनी प्रेयसी के ऊपर लेटकर कहने लगे थे कि जब तक उन्हें जान से मार नहीं दिया जाता तब तक उनकी महबूबा को कोई उनसे अलग नहीं कर सकता । बुलाका सिंह ने रीडर साहब (मौलाना जी) को समझाते हुये कहा था कि सब कुछ पुलिस अधीक्षक के आदेश से किया जा रहा है । अन्यथा सुबह तक उनके अवैध सम्बन्धों की बात को लेकर अलीगढ़ में भयानक दंगा भड़क जायेगा । उनकी जान बचाना भी मुश्किल होगा । अतः सारा कार्य उनकी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है । साथ ही साथ अवैध सम्बन्ध के लिये उन्हें कालेज की नौकरी से भी निकाला जा सकता है । बुलाका सिंह की बात सुनकर मौलाना बहुत घबड़ा गये । झपट कर उन्होंने अपनी प्रेमिका तथा बच्ची का चुम्बन लेकर प्यार किया और पुलिस को उन्हें दिल्ली ले जाते समय रोकर विदा किया । इस तरह एक भंयकर साम्प्रदायिक घटना की आशंका से पुलिस विभाग को मुक्ति मिल सकी ।

दूसरी घटना अलीगढ़ के एक चुनाव से सम्बन्धित है । बड़े कांटे की राजनीतिक

टक्कर थी । चुनावी सभाओं का अन्तिम दौर चल रहा था । मै तथा मेरे अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी चारों तरफ ड्यूटियों में भागते-भागते थक गये थे । सभाओं का अन्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की नुमाइश मैदान में आयोजित सभा से होना था । इन्दिरा जी की सभा में अपार भीड़ के एकत्र होने की सम्भावना थी । प्रधानमंत्री जैसे वी.वी.आई.पी. की सभाओं आदि का प्रबन्ध एक अलग और अनूठी पूर्व लिखित योजना के अन्तर्गत किया जाता है, जो केन्द्र के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनायी जाती है। पूरे देश से गुप्तचर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। सबके आने-जाने, ठहरने आदि की व्यवस्था का भार जनपद के पुलिस अधीक्षक पर ही होता है । ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री की राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण (यदि प्रधानमंत्री की पार्टी का शासन प्रदेश में हो) आदि को उपस्थित रहना अनिवार्य होता है । चप्पे-चप्पे पर वी.वी.आई.पी. की सुरक्षा व्यवस्था व्यापक ढंग से की जाती है । मैने अपने अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के आगमन एवं सभा से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबन्ध कर लिये थे । पुलिस और मजिस्ट्रेट आदि की जहां-तहां वर्दी और सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगायी गयी थीं । दो दिन पूर्व उनका "रिहर्सल" करा लिया गया था, जिसका आगरा परिक्षेत्र के आयुक्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा जिलाधिकारी के साथ मैं भी निरीक्षण कर चुका था । उस व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध से सभी उच्च अधिकारी सन्तुष्ट थे ।

मै प्रधानमंत्री के आगमन एवं उनकी सभा के प्रबन्ध में इतना व्यस्त था कि रात में एक बजे के बाद सोने गया । अचानक ढाई बजे मेरे अर्दली ने जगाकर मुझे बताया कि लखनऊ से एक पुलिस अधीक्षक, प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक का एक अति गोपनीय आवश्यक पत्र लेकर आये हैं और इसी समय मुझसे मिलकर उसे देना चाहते है । मैने दरवाजा खोला, लाईट जलायी और बाहर आकर उनसे मिला । परिचय एवं शिष्टाचार के पश्चात पुलिस महानिरीक्षक का पत्र प्राप्त किया । इन्टेलीजेन्स के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ में नियुक्त थे । वह सिक्ख थे और बहुत थके हुये दिखायी दे रहे थे । लखनऊ से अलीगढ़ तक की लम्बी यात्रा वह कार से करके आये थे । मैने अपनी पत्नी को सोते से जगाकर सरदारजी के लिए चाय बनाने और उसके साथ कुछ खाने के लिए भेजने का अनुरोध किया और उनकी सहायता के लिए अर्दली को भी अन्दर भेज दिया, क्योंकि अन्य घरेलू कर्मचारी रात में अपने-अपने क्वार्टरों में विश्राम के लिए चले गये थे । सरदारजी को चाय पिलाकर उन्हें सार्वजनिक कार्य विभाग के डाक बंगले में विश्राम करने हेतु इन्सपेक्टर कोतवाली, अलीगढ़ के माध्यम से भिजवा दिया । पुलिस महानिरीक्षक का गोपनीय पत्र खोलकर पढ़ा ।

पुलिस महानिरीक्षक के पत्र के साथ इन्टेलीजेन्स का एक गोपनीय पत्र भी संलग्न था, जिसमें अलीगढ़ के चार व्यक्तियों के नाम अंकित थे। लिखा था कि ये व्यक्ति अलीगढ़ में होने वाली सभा में श्रीमती इन्द्रिरा गांधी के लिए खतरा है। इस सूचना से मैं काफी परेशान हुआ परन्तु परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूर्ण साहस के साथ तैयार था। मैंने पुनः अपने कमरे में जाकर सोने का प्रयास किया, परन्तु नींद नहीं आयी। अचानक उत्पन्न हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं मस्तिष्क में आ रही थीं। सरला जी भी जानना चाहती थीं कि रात में ढाई वजे पुलिस अधीक्षक लखनऊ से क्या सूचना लेकर आये थे। मैंने उन्हें केवल इतना ही बताकर सन्तुष्ट करने का प्रयास किया कि वह वी.वी. आई.पी. ड्यूटी के सम्बन्ध में एक पत्र लेकर आये है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कुछ विशेष प्रवन्ध के लिए आदेश है। इस प्रकार का गोपनीय और संवेदनशील आदेश उन्हें वताना मैंने उचित नहीं समझा। अति गोपनीय मामले अपनी पत्नी या प्रेमिका को भी न बताने की ट्रेनिंग पुलिस में दी जाती है। शायद इसलिए कि सूचना कहीं लीक न हो जाय।

प्रातः जल्दी तैयार होकर मैंने अपनी पत्नी के साथ चाय पी और अपने "कान्फीडेन्शियल" कार्यालय में आकर वैठ गया। अपने अधीनस्थ सभी पुलिस अधिकारियों को नौ बजे पर आ जाने की सूचना देकर बंगले पर ही वुला लिया। उन लोगों के आ जाने पर उन्हें पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त सूचना के बारे में बताया। इस प्रकार की सूचना को गम्भीरता से लिया जाना अति आवश्यक था। अपनी योजनानुसार मैंने पुलिस कीं चार टीमें गठित की और चारों को यह कार्य सौपा कि वे आई.वी. रिपोर्ट में दिये गये चारों व्यक्तियों को उसी समय जा कर पहचान लें। वे चारों ही अलग-अलग स्कूलों में अध्यापक थे। स्कूलों के साथ-साथ घरों पर भी जाकर उन्हें देख लें। उनके ऊपर पूरी निगरानी रखें तथा उनकी गतिविधियों पर बराबर निगाह रखें। लेकिन इसकी भनक उन तक कदापि न पहुंचे, अन्यथा उनके छिप जाने की सम्भावना बढ़ सकती है। चारों टीमों ने अपना-अपना कार्य पूर्ण करने के वाद दोपहर को मुझे सूचना दी कि वे लगातार उन चारों को सूक्ष्म रूप से देख रहे है, लेकिन उनकी गतिविधियों से कोई विशेष वात सामने नहीं आ रही।

उसी समय पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा, नागेन्द्र कृष्ण गुप्त के अलीगढ़ पहुंचने की सूचना मुझे कन्ट्रोल रूम ने दी। आई.जी. उत्तर प्रदेश एन.एस. सक्सेना ने उन्हें भी अलीगढ़ पहुंच कर सुरक्षा के प्रवन्ध देखने को कहा था। उनको मैंने अपनी योजनानुसार किये गये सारे नये प्रवन्धों से अवगत करा दिया। तत्पश्चात उन्होंने वी.वी.आई.पी. की सभा हेतु किये गये प्रबन्धों का सूक्ष्म अध्ययन किया। मैंने आई.जी. की सूचना पाने पर वी.वी.आई. पी. की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में स्पेशल एंटी रायट पुलिस में वढ़ोत्तरी कर दी थी और

उन्हें आदेश दे दिये थे कि कहीं से भी यदि वी.वी.आई.पी. पर हमला होने की स्थिति आ जाय तो उसे तीव्र गति से असफल कर देने के लिए प्रभावी बल का प्रयोग करेंगे। मैंने सुरक्षा प्रबन्धों के दृष्टिकोण से पहले ही पी.ए.सी. की दो अतिरिक्त कम्पनियां लखनऊ से अलीगढ़ बुलवा ली थीं। डी.आई.जी. साहब के आदेशानुसार मैंने अतिरिक्त पुलिस बल का प्रबन्ध कर दिया। उसी समय मुझे पता चला कि श्री सक्सेना जी ने क्राईम ब्रान्च की भी एक टीम श्री शिवस्वरूप डी.आई.जी. के नेतृत्व में अलीगढ़ भेजी है, जिसमें प्रख्यात विद्वान पारसनाथ मिश्र जैसे अधिकारी है। सी.आई.डी. अधिकारियों की टीम आई.बी. की सूचना का विधिवत पता लगाने के लिए गुप्त रूप से लखनऊ से अलीगढ़ आयी थी। टीम के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री के आगमन व सभा के लिए किये गये सुरक्षा प्रबन्ध के विषय में जानकारी प्राप्त की उन्होने चारों संदिग्ध अध्यापकों की गतिविधियों की निगरानी का प्रबन्ध अपनी तरफ से भी किया था।

प्रधानमंत्री जी के आगमन के दिन मैं प्रातः जल्दी उठकर तैयार हो गया। पत्नी सरला ने इसी बीच स्नान-ध्यान एवं पूजा पाठ से निवृत्त होकर पहले प्रसाद खिलाया फिर नाश्ता कराकर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए विदा किया। मैंने जिलाधिकारी उपापति भट्ट के साथ सभास्थल नुमाइश मैदान पहुंचकर ड्यूटी पर लगाये गये सिविल पुलिस, पुलिस अभिसूचना विभाग, सी.आई.डी., पी.ए.सी. के अधिकारियों एवं मैजिस्ट्रेट आदि से वार्तालाप कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिये तथा प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु "हैलीपैड" पर निर्धारित समय पर पहुंच गया। हैलीपैड, तथा वहां से नुमाइश मैदान तक का मार्ग जनमानस से भरा हुआ था। "हैलीपैड" तथा सभा तक पहुंचने के मार्ग पर सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध था। प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी-अपनी ड्यूटी पर पूर्ण सतर्क थे। प्रधानमंत्री के हैलीकाप्टर से उतरते ही वहां का वातावरण नारों तथा जय-जयकार से गूँज उठा। उनके साथ निदेशक इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, जॉनलोवो तथा श्री दत्त, इन्स्पैक्टर जनरल पुलिस सुरक्षा, भारत सरकार भी आये थे। पी.ए.सी. की एक कम्पनी साज-सज्जा से परिपूर्ण बैंड के साथ प्रधानमंत्री के सम्मान और अभिवादन के लिए तैयार खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के नेताओं/कार्यकर्ताओं, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों तथा हैलीपेड पर उपस्थित जनता के निकट जाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर सभास्थल के लिए कार से चल पड़ीं। हम लोग वी.वी.आई.पी. फ्लीट लेकर सभा-स्थल पर पहुंच गये थे। उस वी.वी.आई.पी. फ्लीट के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी. शिवस्वरूप, श्री नागेन्द्र कृष्ण गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना, आयुक्त आगरा मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने-अपने विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के

साथ थे । मंत्रीगण एवं गणमान्य अतिथि व नागरिक अपनी-अपनी कारों में थे । सभा स्थल पंहुचने पर अपार संख्या में एकत्र भीड़ ने जय-जयकार कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया ।

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ तथा समाप्त होने के मध्य प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी सुरक्षा में आये हुये पुलिस के वरिष्ठतम् अधिकारियों जॉनलोवो व श्रीदत्त आदि ने किये गये सुरक्षा प्रबन्धों का वड़ी तेजी और सूक्ष्मता से अवलोकन किया और तरह-तरह के प्रश्नों की झड़ी लगा दी । मै धैर्यपूर्वक प्रश्नों का उत्तर देता रहा था । सब कुछ हो रहा था परन्तु मेरा दिमाग भीड़ और उस पर नियंत्रण रखने तथा प्रधानमंत्री जी की सभा में शान्ति व्यवस्था पर लगा हुआ था, क्योंकि ऐसी सभा में छोटी से छोटी घटना भी वृहद रूप ले सकती थी और प्रशासन द्वारा की गयी सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत अशान्ति का रूप लेकर समस्त क्रियाकलापों को मटियामेट कर सकती थी । वह क्षण मेरी तथा मेरे सहयोगी जिलाधिकारी अलीगढ़ की अग्नि परीक्षा का क्षण था । इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, भारत सरकार एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने चार संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री जी की खतरे सूचना और उनकी सुरक्षा का सारा भार मुझ पर डाल दिया था । सभास्थल की कार्यवाही का एक-एक क्षण मुझे अपनी परीक्षा का क्षण दिखाई पड़ रहा था । जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी जी अपना भाषण देती रहीं, मैं परमात्मा और अपनी पत्नी सरला जी द्वारा पूजा के पश्चात दिये गये प्रसाद तथा उनके स्नेह भरे आश्वासन ''सव ठीक रहेगा'' का सहारा लेकर सभी विषम परिस्थितियों का साहसपूर्ण सामना करने के लिए तैयार खड़ा था । मेरा धैर्य, मेरी मेहनत एवं साहसपूर्ण कर्तव्य परायणता मेरे साथ थी । मै पूर्ण विश्वास और लगन से अपना योजनावद्ध कार्य कर रहा था । मेरे सामने केवल एक ही उद्देश्य था कि कोई अशुभ घटना न घटने पाये ।

मैं सुरक्षा प्रबन्ध-संचालन में इतना व्यस्त था कि मैने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का भाषण सुना ही नहीं । परन्तु जव वह जोर-जोर से 'जयहिन्द' का नारा लगा रही थीं और श्रोतागण उसे दुहरा रहे थे तव मुझे पता चला कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है । मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को मंच के पीछे से उतारकर उन्हें उनकी वी.वी.आई.पी. कार में वैठा कर हैलीपैड के लिए प्रस्थान करा दिया और फिर वी.वी.आई.पी. फ्लीट में सम्मिलित हो गया । फ्लीट सकुशल हैलीपैड पर पहुंच गया । इन्दिरा जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुयी हैलीकाप्टर में वैठ गयी थीं । जॉनलोवो साहव व दत्ता साहब उनके साथ ही थे । हैलीकाप्टर के हवा में उड़ते ही मैंने ईश्वर तथा अपनी पत्नी सरला जी को धन्यवाद दिया । नागेन्द्रकृष्ण गुप्ता डी.आई.जी. आगरा रेंज और शिव स्वरूप डी.आई.जी., सी.आई.डी. आदि ने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे वधाई दी । मै सभी अधिकारियों को लेकर ब्रेकफास्ट

कम लंच के लिए अपने निवास पर आया । मैने तुरन्त ही टेलीफोन से एन.एस.सक्सेना, आई.जी. को प्रधानमंत्री जी की सभा कुशलतापूर्वक समाप्त हो जाने तथा उनके सुरक्षित दिल्ली प्रस्थान कर जाने की सूचना दी । उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुये मुझे धन्यवाद देकर उत्साहित किया ।

सरला जी ने खाने की मेज को खूब सजा दिया था । खाने में छोले-भटूरे, गर्म आलू की टिक्की, नमकीन, काजू व बंगाली रसगुल्लों के साथ-साथ पाईन एपेल पेस्ट्री एवं खीरे-टमाटर के सैन्डविच थे । सभी ने जमकर उनका रसास्वादन किया । शिवस्वरूप जी व पारसनाथ जी चुटकुले पर चुटकुले सुना रहे थे । तभी नागेन्द्रकृष्ण गुप्ता जी के हाथ से वह टोंग, जिससे वह अपनी चाय में शुगर क्यूब डाल रहे थे, छूटकर फर्श पर गिर गया । आवाज सुनकर मै एकदम चौंक गया क्योंकि पिछले ४८ घंटे से मेरे कान बराबर सुरक्षा की ओर लगे हुये थे । तभी शिवस्वरूप जी ने कहा कि सक्सेना साहब, घबराईये नहीं, आवाज गोली की नहीं चम्मच की है । इस पर सब लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े । सरला जी भी मुस्कुरा उठीं । उसके बाद सभी अधिकारी विदा हो गए ।

अलीगढ़ में नियुक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निरन्तर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए जागरूक रहना पड़ता है । कब स्थिति बिगड़ जाय, कहा नहीं जा सकता ।

११

न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट दफन

३ मार्च, १९७१ में अलीगढ़ में भयानक साम्प्रदायिक दंगा हुआ था । उस समय वहां पर मैं पुलिस अधीक्षक तथा श्री उपापति भट्ट (आई०ए०ऍस०) जिलाधिकारी नियुक्त थे । यद्यपि केवल ८ महीने की अवधि में ही दंगो का रूप लेने वाली कई विस्फोटक परिस्थितियां मेरे सामने अलीगढ़ में आ चुकी थीं परन्तु मैंने उन्हें धैर्य के साथ कड़े प्रशासनिक कदम उठाकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया था पर इस वार खून-खराबे के लिये लालायित हिन्दू-मुसलमानों के बीच नफरत की मानसिकता पैदा करने वालों के विरुद्ध सार्थक कदम उठाकर उसे रोकने का पूरा प्रयास किया था परन्तु इस दंगे की स्थिति प्रदेश एवं केन्द्र के जबर्दस्त राजनैतिक मतभेदों और अन्तर्विरोधों के कारणों से इतनी जटिल थी कि उसे रोक पाने में हमारे सारे प्रयास विफल हो गये थे । यह दंगा शुद्ध राजनैतिक था और उसमें बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं के साथ-साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस (आई) सरकार तथा उत्तर प्रदेश में श्री टी०एन० सिंह, मुख्य मंत्री की कांग्रेस (ओ) की सरकारें आमने सामने थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थीं, अतः साम्प्रदायिक दंगा हो जाना असंभव नहीं था । वे दोनों ओर से गैर जिम्मेदारीपूर्ण आचरण अख्तियार किये हुये थे । पूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रभान गुप्ता जी एवं चरण सिंह कांग्रेस (ओ) के समर्थक थे । परिणाम यह हुआ कि उक्त दंगे के संवंध में गलत राजनैतिक प्रभाव से काम न करने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एवं जिलाधिकारी को निलम्बित करके हमारे विरुद्ध जांच करने हेतु एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था । आयोग का अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश माननीय श्री धात्री शरण माथुर (आई.सी.एस.) को बनाया गया था जो एक वहुत सुयोग्य एवं दृढ़ न्यायाधीश होने के लिये विख्यात थे और वाद के अपने सेवाकाल में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुये थे। जांच के मध्य उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरे व डी०एम० के विरुद्ध विषवमन करते हुये प्रस्तुत गलत तथ्यों को एकदम नकार दिया था। यह हमारा भाग्य था कि जज साहब इतने सख्त व निष्पक्ष थे कि उन्होंने हम दोनों को बिल्कुल निर्दोष घोषित किया।

उस साम्प्रदायिक दंगे के प्रारम्भ से अंत तक का विवरण, प्रशासनिक एवं गोपनीय कुछ तथ्यों को छोड़कर, मै इस लेख में कर रहा हूं। घटनायें बड़ी गूढ़ और उलझी हुई थीं। मुझे और मेरी स्व० पत्नी प्रिय सरला जी को जिन-जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उन्हें पुलिस अधिकारियों को जान लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि सम्भव है कि उनकी सेवाकाल में मेरा यह अनुभव उनकी आवश्यकता पर प्रेरणा का श्रोत्र बन सके। दंगे की नींव लोकसभा के चुनाव से बहुत पहले पड़ चुकी थी जब जनपद गोरखपुर में मानीराम विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह भी एक प्रत्याशी थे और एक स्थिति में टी०एन०सिंह तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच काफी कहा-सुनी हो गयी थी और फिर भी उस समय प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार की बातों को मानना पड़ता था। अलीगढ़ की लोकसभा का चुनाव स्पष्ट रूप से केन्द्र और प्रदेश की सरकारों के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ से श्री यूनिस सलीम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था जो वहां के निवासी नहीं थे। साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए विशेषज्ञ के रूप में उनका नाम लिया जाता था। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक सशक्त जाट प्रत्याशी को खड़ा किया था जिससे चारों तरफ शुरू से ही नफरत की मानसिकता को उभारा जाने लगा था। अलीगढ़ के मुस्लिम साम्प्रदाय के लोगों के मन में यह हीन भावना जागृत हो गयी थी कि यूनिस सलीम जो वहां के निवासी नही है, को प्रत्याशी बनाकर इन्दिरा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि अलीगढ़ का मुसलमान लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। इस तरह वहां के मुसलमानों में असंतोष था।

युनिस सलीम अपने चुनाव प्रचार के लिए अलीगढ़ आ गये थे और केन्द्र सरकार की मदद से अलीगढ़ रेलवे विश्रामालय में ठहर गये थे। उन्होंने मुझे तथा जिलाधिकारी को वहां रेलवे गेस्ट हाउस में बुलाकर साम्प्रदायिक खुड़पेच की बातें करना प्रारम्भ कर दिया था। वह चुनाव की ड्यूटी में यू०पी०, पी०ए०सी० की फोर्स लगाने के विरुद्ध थे। पी.ए.सी. को वह श्री चरण सिंह की फोर्स मानते थे। इस प्रकार उन्होंने वहां के धर्मनिरपेक्ष वातावरण को शुरू से ही बिगाड़ना शुरू कर दिया था तथा मेरे द्वारा किये गये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी प्रवन्धों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था? मैने उन्हें सुझाव दिया था कि मै उनकी सारी बातों को ऊपर डी०आई०जी० और आई०जी० तक पहुंचा दूंगा क्योंकि चुनाव के लिए फोर्स अलीगढ़ में

उन्हीं के आदेश से भेजी गयी है। यह कार्य मेरा नहीं है। मुझे तो यदि पी.ए.सी. के स्थान पर सी.आर.पी.एफ. या बी.एस.एफ. मिल जायेगी तो मै उससे भी चुनाव का प्रवंध कर दूँगा। जिलाधिकारी मेरे तर्कों से सहमत थे पर युनिस सलीम का कहना था कि पी.ए.सी. उनके चुनाव में लगायी ही नहीं जा सकती है। उन्होंने मुझे उन स्थानों की एक सूची दी जहाँ उन्हें हिन्दुओं से बूथ कैपचरिंग और शान्ति भंग का अंदेशा था। मैने उन्हें तुरन्त आश्वासन दे दिया था कि मै ऐसे स्थानों पर स्टैटिक आर्म गार्ड लगा दूँगा और कोई झगड़ा नहीं हो सकेगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि वह मुझ पर व जिलाधिकारी पर शुरू से ही विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे थे। उनके चुनाव प्रचार का ढंग भी विशुद्ध साम्प्रदायिक और असहयोगपूर्ण था जिसकी सूचना मै प्रशासन तथा अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को समय-समय पर दे रहा था।

दंगे के बुनियाद की एक कड़ी मेरे पुलिस विभाग से भी जुड़ गयी थी। दंगे को सम्भावना रहित बनाने के लिए जो उपाय मैने सोचे थे उसे हमारे तथा प्रदेश के आई०जी० निगमेन्द्र सक्सेना ने दुर्भाग्यवश नहीं माना था। चुनाव के एक माह पूर्व इन्सपेक्टर कोतवाली अलीगढ़ शान्डिल्य की प्रोन्नति हो गयी और उनको पुलिस उपाधीक्षक बनाकर अलीगढ़ से स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसी समय अलीगढ़ के सी.ओ. सिटी सरदार बुलाका सिंह भी सेवा निवृत्त हो गये थे। दोनों अधिकारी अतिकुशल, अनुभवी, मेहनती और अच्छी सूझबूझ के थे और अलीगढ़ जैसे साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील शहर को अपनी दृढ़ कार्यवाही से व्यवस्थित, शांत एवं पूर्ण नियंत्रण में किये हुये थे। अतः मैने उन दोनों अधिकारियों को लोकसभा के चुनाव तक अलीगढ़ में रोकने के लिए प्रदेश के आई०जी० को एक गोपनीय पत्र लिखा था और सुझाव दिया था कि सरदार बुलाका सिंह सी.ओ. सिटी को शासन से आग्रह करके तीन माह के लिए उनका सेवाकाल बढ़वा दिया जाय अथवा सान्डिल्य को प्रोन्नत हो जाने के कारण अलीगढ़ जनपद में सी.ओ. सिटी के पद पर नियुक्त कर दिया जाय ताकि शहर की स्थिति नियंत्रण में रहे परन्तु आई०जी० ने मेरे दोनों प्रस्तावों को नहीं माना। मेरा दुर्भाग्य था कि आई०जी० भ्रष्टाचार उन्मूलन को प्राथमिकता देते थे और शान्ति व्यवस्था आदि को दूसरे स्थान पर रखते थे। अतः अपनी संकीर्ण नीतियों के अनुसार उन्होंने अपने ए०टू० आई०जी० आर०पी० जोशी से तद्नुसार मुझे नहीं का उत्तर भिजवा दिया था।

श्री०एन०एस० सक्सेना आई०जी० उत्तर प्रदेश अपनी उच्च कोटि की ईमानदारी और स्पष्टवादिता के कारण मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह के अति प्रिय पात्र थे। इसलिए अपने शासन काल में उन्होंने एस०एस० सक्सेना जी को प्रदेश का आई०जी० नियुक्त कर दिया

था। अब श्री टी०एन० सिंह मुख्यमंत्री अवश्य थे पर वे चरण सिंह एवं सी.वी.गुप्ता के कठपुतली थे। उस समय के मंत्रिमण्डल में दूसरे सशक्त मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा थे जिनके पास गृह विभाग का महत्वपूर्ण प्रभार था। उन्होंने सरदार बुलाका सिंह के सेवा निवृत्त होते ही उनके स्थान पर अपने एक संबंधी डी०एस०पी० हरपाल सिंह को सी०ओ०सिटी अलीगढ़ नियुक्त कर दिया था। हरपाल सिंह शौकीन मिजाज के ढीले-ढाले अधिकारी थे और अपने इन्सपेक्टर काल में वे हजरतगज कोतवाली लखनऊ के प्रभारी नियुक्त रहे थे जिन्हें आपराधिक घटनाओं के भीषण बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण वहां के प्रभार से हटा दिया गया था, मै उन दिनों लखनऊ जनपद में एडीशनल एस०पी० के पद पर तैनात था। अतः हरपाल सिह से पूरी तरह वाकिफ था, पर चूंकि उनकी नियुक्ति प्रदेश के गृहमंत्री और आई०जी० द्वारा कर दी गयी थी इसलिए मै उस पर किसी प्रकार की आपत्ति करने की परिस्थिति में नहीं था।

डी०आई०जी० आगरा ने चुनाव शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पी०ए०सी० फोर्स के वितरण हेतु अपने रेंज के पुलिस अधीक्षकों की एक मीटिंग अपने हेड क्वार्टर आगरा में बुलायी थी। मै अन्य पुलिस अधीक्षकें से कुछ पहले उनके पास पहुंच गया था क्योंकि मुझे अलीगढ़ में अशान्ति की हमेशा संभावना वनी रहने के कारण अधिक पी०ए०सी० मांगना था। साथ ही साथ कोतवाली में एक सुयोग्य एवं मेहनती इन्सपेक्टर की नियुक्ति के लिये अनुरोध करना था। जब मै उनके पास पहुंचा तव वहां एक सरदार जी इन्सपेक्टर की वर्दी में खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे। डी०आई०जी० ने तुरन्त इन्सपेक्टर को कमरे से बाहर करके मुझे बैठने को कहा और अनायास अपने अर्दली से मेरे लिए एक गिलास मठ्ठा मंगाया। उनका वह व्यवहार मुझे विचित्र लगा। अतः मै सशंकित हो गया था। साधारणतया वह पुलिस अधीक्षकों को चाय आदि के लिए कभी भी नहीं पूछते थे। मैंने मठ्ठे के लिए मना कर दिया था परन्तु वह नहीं माने थे। उस दिन उनका व्यवहार मुझे कुछ और ही प्रकार का दिखाई दे रहा था। मै समझ नहीं पा रहा था। मैंने मठ्ठा पीना शुरू कर दिया तव डी०आई०जी० ने वताया कि नये इन्सपेक्टर सरदार जगजीत सिंह मेरठ रेंज से स्थानान्तरित होकर आये है और उन्हें अलीगढ़ का इन्सपेक्टर कोतवाली नियुक्त कर दिया गया है। मै सरदार जी से न तो परिचित था और न उनके वारे में पहले से कुछ जानता था। अतः मैंने विचार किया कि उनका रिकार्ड अच्छा ही होगा तभी डी०आई०जी० ने उन्हें अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण कोतवाली का इंचार्ज वनाया होगा और विशेपकर ऐसे समय जव वहां शहर में लोकसभा का महत्वपूर्ण तथा काटे का संघर्षपूर्ण चुनाव हो रहा था। उसी रात जब मै अलीगढ़ वापस पहुंचा तव वहां के पुलिस अधिकारियों ने वताया कि नये इन्सपेक्टर कोतवाली तो वड़े ढीले किस्म के व्यक्ति है। लालची होने के साथ-साथ सरकारी काम में भी वहुत कमजोर है।

इसीलिए उनको मेरठ रेंज से हटाया गया है। उनके विषय में यह सब जानकर मुझे परेशानी हुई थी। अतः मैंने अपने डी०आई०जी० को फोन करके नये इन्सपेक्टर की ख्याति के बारे में बताया और अनुरोध किया कि अच्छा होगा यदि उन्हें थाना हाथरस का चार्ज दे दिया जाय और हाथरस के इन्सपेक्टर प्रधान को, अलीगढ़ शहर का चुनाव अति संवेदनशील होने के कारण, इन्सपेक्टर कोतवाली अलीगढ़ नियुक्ति कर दिया जाय। डी०आई०जी० मेरे सुझाव पर कतई तैयार नहीं हुये। उस वक्त मुझे डी०आई०जी० द्वारा जबरदस्ती मट्ठा पिलाने की बात रह-रह कर याद आ रही थी और कुछ ऐसा आभास होने लगा था कि सरदार जी के प्रभाव से अपनी पोस्टिंग कोतवाली के महत्वपूर्ण पद पर कराई है। चुनाव के लिए पी०ए०सी० फोर्स के वितरण में भी डी०आई०जी० ने अलीगढ़ जैसे जनपद की उपेक्षा करके मुझे केवल २ प्लाटून अतिरिक्त पी०ए०सी० फोर्स दी थी जबकि मैंने ८ कम्पनी पी०ए०सी० की मांग की थी। मीटिंग में जनपद आगरा के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजनाथ गुप्त भी उपस्थित थे, उन्होंने भी मेरी तरफ से डी०आई०जी० साहब से अलीगढ़ को और अधिक फोर्स देने को कहा था। डी०आई०जी० का कहना था कि अलीगढ़ में तो पहले से ही ज्यादा पी०ए०सी० फोर्स लगी हुयी है। साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के कारण उनका यह तर्क अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं था पर मै क्या कर सकता था जब उन्होंने किसी अन्य कारणों से ऐसी धारणा बना ली हो। किसी पूर्व धारणा या द्वेष के कारण डी०आई०जी० मन ही मन मुझसे कुछ रुष्ट रहते थे। शायद उनके विचार से एन०एस० सक्सेना आई०जी० को मेरे जाति का होने के कारण, मै डी०आई०जी० की शिकायतें वहां पहुंचाता था जो वास्तविकता से एकदम परे था। जब कभी उन्हें आई०जी० का कोई नाराजगी भरा पत्र प्राप्त होता था तो वे पता लगाते थे कि कहीं मैंने तो कोई शिकायत आई०जी० से नहीं कर दी थी। उनकी उक्त सोच बिल्कुल गलत थी फिर भी मेरे पास उनकी गलतफहमी दूर करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे तो मै भाग्य का चक्र ही कहूँगा। हाय रे मनुष्य के मनोरथ तेरी सफलता कितने कच्चे धागों से बंधी होती है। सफल हो जाओ तो वाह! वाह! नहीं तो गई भैंस पानी में।

इस तरह गलत पुलिस अधिकारी मेरे मत्थे मढ़ दिये गये थे और चुनाव के लिए न के बराबर पी०ए०सी० फोर्स दी गयी थी। मै इसके लिए आई०जी० के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि एन०एस० सक्सेना साहब कभी भी ज्यादा फोर्स देने के पक्ष में नहीं रहते थे। उनका मत था कि शान्ति व्यवस्था के मामले में स्ट्रांग ऐक्शन आवश्यक है न कि फोर्स की भरमार। अतः उनसे सीधे चुनाव के लिए अतिरिक्त पी०ए०सी० फोर्स मांगना सम्भव नहीं था। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की अलीगढ़ की चुनावी सभाओं के प्रबन्धन हेतु जो

पी०ए०सी० की फोर्स अलीगढ़ आयी थी उसमें से दो कम्पनी मैने बमुश्किल तमाम रोक ली थी और एडीशनल आई०जी० श्री कमरूल हसन से उसके लिए आज्ञा ले ली थी। वह एक भले एवं हंसमुख स्वभाव के पुलिस अधिकारी थे। माउण्ट आबू की ट्रेनिंग के बाद मेरी पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद के समय वह मेरे प्रिन्सिपल रह चुके थे। यद्यपि अलीगढ़ चुनाव के लिए वह फोर्स भी काफी नहीं थी फिर भी कुछ तो था ही। उक्त पी०ए०सी० फोर्स में से एक कम्पनी को मैने अपातकालीन स्थिति के लिए रिजर्व में रख लिया था और दूसरी कम्पनी को चुनाव ड्यूटी में पहले से लगायी गयी सिविल पुलिस, आर्मड पुलिस एवं पी०ए०सी० फोर्स की सहायता को अतिरिक्त रिजर्व बनाकर लगा दिया था।

जनपद के इलेक्शन का इचार्ज वरिष्ठ डी०एस०पी० हरी सिंह को बनाना पड़ा था क्योंकि केवल वही एक डायरेक्ट पुलिस उपाधीक्षक वहां थे। वह एक साधारण योग्यता के अधिकारी थे। अतः मुझे सदैव खतरा लगता था कि मेरे द्वारा चुनाव से सम्बन्धित जो निर्देश दिये जाते है वह उनका वही ढंग से पालन कर भी रहे है अथवा नहीं। इसलिए उनके द्वारा की गयी व्यवस्थाओं में मुझे काफी परिवर्तन भी करने पड़े थे। हरी सिंह द्वारा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था सही न करने की जानकारी होने पर, मुझे भागकर पुलिस लाईन पहुंचकर, उनकी मदद करनी पड़ी थी। पुलिस फोर्स को चुनाव ड्यूटी के लिए यथास्थान प्रस्थान कराने में भी मुझे उन्हें सहायता देनी पड़ी थी। हरी सिंह को विवेकपूर्ण ढंग से कार्य सम्पादन न करने के लिए बार-बार डांटना भी पड़ता था।

जिलाधिकारी के ऑफिस में हुई इलेक्शन मीटिंग में मेरा सुझाव था कि पहले दिन का चुनाव केवल शहर के निर्वाचन क्षेत्रों में ही कराया जाय क्योंकि श्री यूनिस सलीम के उम्मीदवार होने के कारण शहर का चुनावी माहौल बहुत गर्म था। अतः पहले दिन ही ज्यादा से ज्यादा फोर्स शहर में लगायी जा सकती थी जो प्रारम्भिक दशा में ताजा व पूर्ण चुस्त दुरुस्त रह पायेगी। यूनिस सलीम साहब के चुनाव क्षेत्र का आधा भाग देहात में पड़ता था। अतः उस भाग का चुनाव दूसरे दिन गैप के बाद रखा जाय। मेरा सीधा गणित था कि शहर के थानों से चूँकि नब्बे प्रतिशत फोर्स शहर के इलेक्शन के लिये पहले दिन ले ली गयी थी इसलिए उसका एक चौथाई फोर्स शहर के थानों के क्षेत्रों की शान्ति व्यवस्था के लिए पहले दिन के इलेक्शन के तुरन्त बाद वापस कर दी जायेगी, जो वहां की शन्ति व्यवस्था के लिये आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने मेरे प्रस्ताव का पूर्ण अनुमोदन किया था। अतः चुनाव की पुलिस व्यवस्था उसी ढंग से की गयी थी और बाकायदा एक पुस्तक के रूप में प्रिन्ट करके सजिल्द वितरण भी की गयी थी।

इलेक्शन के तेज चुनाव प्रचार तथा साम्प्रदायिक माहौल के कारण प्रत्येक जुलूस व

मीटिंग में पुलिस की भारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। हर मीटिंग के बाद डर रहता था कि अलीगढ़ शहर में कहीं दंगा न भड़क जाय। अलीगढ़ सदैव दंगों के लिये संवेदनशील रहता है। वहां कभी भी पथराव हो सकता है, कभी भी उपद्रवियों द्वारा मकान और दुकानें फूँकी जा सकती हैं, छुरेबाजी की संगीन वारदातें हो सकती हैं और एक इलाके में इस प्रकार की कोई घटना घट जाने पर उसकी सूचना आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है, अतः दंगा हो जाने पर कर्फ्यू लगाने व फायरिंग करने, से वचने के लिये मैंने पहले से ही सूचीवद्ध वदमाशों की गिरफ्तारी करा दी थी।

इलेक्शन के दिन सुवह से ही वोटरों की भीड़ जमा होना शुरू हो गयी थी। मर्द व औरतें दोनों ही वोट देने को आतुर थे। चौकी रसलगंज में पुलिस कन्ट्रोल रूम के वायरलेस सेट से शहर के हर भाग की इलेक्शन की स्थिति मुझे ज्ञात हो रही थी। इलेक्शन के दिन जिलाधिकारी उषापति भट्ट मेरे साथ हर पोलिंग स्टेशन पर जा-जा कर वहां की व्यवस्था चेक कर रहे थे। अतिरिक्त फोर्स की मांग पर आवश्यकतानुसार उसे बढ़वा भी देते थे। उस दिन हम लोग बराबर शहर में चक्कर लगाते रहे थे और कन्ट्रोल रूम से हर पोलिंग बूथ की स्थिति की जानकारी लेते रहे थे। आवश्यकतानुसार तनाव की जगह पहुंच जाते थे। उस दिन इलेक्शन की समाप्ति के वाद भी मैं तथा जिलाधिकारी कलक्टरी कचहरी में पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्सों को ठीक जमा कराने हेतु देर रात तक वहां वैठे रहे थे और हम अपने-अपने निवास स्थानों पर तब गये जव सभी पोलिंग बूथों के बैलेट बॉक्स वहां जमा कर दिये गये थे।

पोलिंग के दिन एक छोटी सी घटना घटी। शहर के एक पोलिंग वूथ पर हिन्दू लड़कों ने एक अल्पसंख्यक को लाइन से खींचकर उस पर आरोप लगाया था कि वह जाली वोट डाल रहा था। उस पर वहां तनाव हो गया था और मामूली मारपीट हो गयी थी। वहां ड्यूटी पर तैनात सब- इन्सपेक्टर ने शान्ति व्यवस्था भंग न हो जाने की दृष्टि से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और थाना वन्नादेवी में बन्द कर दिया था जिससे मामला शान्त हो गया था। कलेक्टरी कचहरी से अपने-अपने निवास स्थानों पर प्रस्थान करने के पूर्व मैने व जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों को अगले दिन पूर्ण सतर्क रहकर काम करने के लिए निर्देश रसलगंज कन्ट्रोल रूम में दिये थे। यद्यपि अगले दिन इलेक्शन नहीं था। केवल फोर्स की वापसी तथा तीसरे दिन वाले चुनाव के स्थानों के लिये रवानगी ही होनी थी। अतः डी०एस०पी० हरी सिंह को यह सब कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं थी। इलेक्शन पम्पलेट में छपे निर्देशों के अतिरिक्त उन्हे केवल एक आदेश दिया था कि वह पहले दिन के इलेक्शन के बाद कोतवाली व शहर के अन्य थानों व चौकियों से ड्यूटी पर

आये सब-इन्सपेक्टरों की ड्यूटी समाप्त कर उसी रात उन्हें अपनी नियुक्ति के स्थानों पर शहर में लौटा देंगे जिससे वे नार्मल पेट्रोलिंग व शान्ति व्यवस्था के कार्य में अगले दिन ही लग जायें । श्री हरी सिंह शिथिलता के कारण इसमें चूक गये थे । वह शहर के सब-इन्सपेक्टरों को थानों पर उसी रात्रि वापस नहीं पहुंचा पाये थे । उनकी अयोग्यता का परिणाम अलीगढ़ शहर में अगले दिन दंगा हो जाने का एक कारण सम्भवतः था ।

अगले दिन कहीं इलेक्शन नहीं था । प्रातः ९ बजे इन्सपेक्टर एल.आई.यू. तिवारी जी ने मुझे फोन से बताया था कि शहर में जनसंघ के लोग एक जुलूस निकाल रहे है । जुलूस बनाना या निकालना दोनों ही धारा-१४४ सी०आर०पी०सी० के विरुद्ध कार्य था । अतः मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि वह सी०ओ० सिटी तथा इन्सपेक्टर कोतवाली से जनसंघ के जिम्मेदार लोगों से बात करने को कहें और जुलूस का कारण ज्ञात करके उसे तुरन्त समाप्त कराने की व्यवस्था करें । इन्सपेक्टर एल०आई०यू० के अनुसार सी०ओ० सिटी वहां मौजूद नहीं थे परन्तु इन्सपेक्टर कोतवाली सरदार जगजीत सिंह उनसे वार्ता कर रहे है । जुलूस के नेता जुलूस रोकने को तैयार नहीं थे । उनका कहना था कि पिछले दिन के चुनाव में एक मुसलमान द्वारा फर्जी नाम से वोट डालने से रोकने के लिये पुलिस ने दो हिन्दू विद्यार्थियों को गालियां दी थी और मारा-पीटा था और उन्हें गलत बन्द कर दिया था । अतः उन लड़कों को तुरन्त रिहा किया जाय और दोषी पुलिस वालों को तुरन्त ससपेण्ड किया जाय अन्यथा जुलूस अवश्य निकाला जायेगा । मैंने उक्त सूचना टेलीफोन से जिलाधिकारी को दी और तुरन्त वर्दी पहनकर उनके बंगले पर पहुंच गया था । इसके पहले मैंने आदेश दे दिये थे कि ए०डी०एम० सिटी माथुर और सी०ओ० सिटी हरपाल सिंह पुलिस लाइन से एक कम्पनी पी०ए०सी० लेकर तुरन्त मौके पर पहुच कर आवश्यक कार्यवाही करें । वे दोनों पुलिस लाईन पी०ए०सी० लेने गये । कहते है "विनाश काले विपरीत बुद्धि" । वहां ए०डी०एम० माथुर को पुलिस लाईन में एक नई हरी चमकती हुई वैन दिखाई पड़ गयी जो मलेरिया डिपार्टमेन्ट से इलेक्शन के लिये जमा करायी गयी थी । अपनी चिर-परिचित गाड़ियां छोड़कर ए.डी.एम. तथा सी.ओ. सिटी उसी हरी वैन में बैठकर पी.ए.सी. लेकर सिटी पहुंचे थे । जुलूस के काफी लोग ए.डी.एम तथा सी.ओ. सिटी की नई हरी गाड़ी को नहीं पहचान सके थे । अतः सबने उस हरी गाड़ी को पब्लिक की गाड़ी समझा और विनोद हेतु उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया । पथराव के कारण दोनों अधिकारी अपने दायित्त्व को निभाने में एकदम बेकार हो गये थे । जब पत्थर की चोट से वैन के शीशे टूट गये तब दोनों अधिकारी पहले तो अपनी सीटो के नीचे छिपने की कोशिश करते रहे और बाद में गाड़ी से उतरकार अपनी जान बचाने हेतु भागकर पास के सिनेमा गृह मे घुस गये थे । वहां से ए.डी.एम. ने

जिलाधिकारी को फोन करके स्थिति के गड़बड़ हो जाने से अवगत कराया था । मै व जिलाधिकारी पुलिस लाईन से केवल एक बची हुई एन्टी-रायट प्लाटून अपने साथ लेकर तुरन्त मौके पर पहुंच गये थे । वहां उपस्थित लोग हमारी गाड़ियों को पहचानते थे । अतः उन्होंने हमारी गाड़ियों पर कोई पथराव नहीं किया । पर मुझे व जिलाधिकारी को गाड़ियों से उतरते ही १०-१२ नेताओं ने घेर लिया था ।

मैंने तुरन्त ही उनके नेता से पूछा कि यह जानते हुये कि शहर में कर्फ्यू लगा है यह जुलूस निकालने की वात कैसे सोची गयी । उन्होंने चुनाव के मध्य पकड़े गये दोनों हिन्दू लड़कों को तुरन्त छोड़ने तथा अपराधी पुलिसकर्मियों को हथकड़ी लगाने व सस्पेन्ड करने की वात कही । मेरा स्पष्ट उत्तर था कि अगर पुलिस से कोई शिकायत थी या लड़कों को छुड़ाने की कोई बात थी तो वह मुझसे या जिलाधिकारी से की जा सकती थी । जुलूस बनाने का तो कोई औचित्य नहीं था । मैंने उनसे कहा कि वह पहले जुलूस को तितर-बितर करा दें इसके वाद वार्ता करके आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी । पुलिस ने यदि गलती की है तो उसे भी हम सख्त सजा देंगे परन्तु उन्होंने हमारी वात नहीं मानी । मैंने उन्हें पुन· समझाने का प्रयास किया कि उनका जुलूस अवैधानिक है । अगर तितर-बितर नहीं करेगें तो हमें बाध्य होकर उसे हटाना होगा । हो सकता है कि वल का प्रयोग करना पड़ जाय । मुझे अपनी वात पर दृढ़ देखकर नेताओं ने तुरन्त मुझे छोड़ जिलाधिकारी से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया था । वहुत सी पुरानी वातों की दुहाई देकर उन्हें सन्तुष्ट करके दोनों लड़कों को हिरासत से छोड़ने पर बल दिया था । जिलाधिकारी से अगले दिन चुनाव में शान्ति भंग न होने की जिम्मेदारी नेतागण लेने को तैयार हो गये और दोनो लड़कों को तुरन्त छोड़ने पर बल देते रहे । उन्होंने जिलाधिकारी को यह भी विश्वास कराया कि लड़कों को छोड़ दिये जाने पर वे दोनों लड़कों को अलीगढ़ से वाहर भिजवा देंगे और इस वात को वे लिखित रूप में भी देने को तैयार थे ।

उपापति जी ने उन लोगों से लिखा लेने के वाद लड़कों को छोड़ देने पर किसी आपत्ति होने के वारे में मुझसे पूछा था और तव मैंने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया था कि इस प्रकार लिखकर देने की कोई कानूनी वाध्यता नहीं होती है और न ही उसे एनफोर्स किया जा सकता है । मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जिलाधिकारी होने के नाते वह जो उचित समझें निर्णय ले सकते हैं । मैं उनके निर्णय से पीछे नहीं हटूँगा । मेरी गम्भीरता देखकर उन्होंने थाना वन्नादेवी जाकर स्वयं लड़कों से वात करने का निर्णय लिया । यद्यपि मैं जुलूस को एटा-देहली रोड पर खड़ा छोड़कर थाने पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे वरावर शंका बनी हुई थी कि कहीं भीड़ उपद्रव न कर दे परन्तु जिलाधिकारी नहीं माने और मुझे भी अपने साथ थाना वन्नादेवी ले

गये। बन्नादेवी जाने के पहले मैंने वहां उपस्थित डी०एस०पी० विनोद पाण्डेय (वे कान्सटेबिल से प्रोन्नत होकर डिप्टी एस०पी० बने थे) तथा डी०एस०पी० फतेह सिंह को यह आदेश दिये थे कि एक कम्पनी पी०ए०सी० एवं एन्टीराइट स्क्वाड को छोड़कर बाकी सारी पी०ए०सी० और आर्मड तथा घुड़सवार पुलिस को शहर के अन्दर जाने वाले सभी रास्तों पर लगाकर उन्हें सील कर दें और जुलूस के लोगों को किसी भी कीमत पर शहर के अन्दर नहीं घुंसने देंगे।

जुलूस के नेता भी हम लोगों के पीछे-पीछे थाना बन्नादेवी पहुंच गये थे। उस समय जुलूस की भीड़ शान्त एवं नियंत्रित थी तथा वे सब लड़कों के छूट जाने के बाद घर जाने के लिये उत्सुक थे। थाना बन्नादेवी पहुंच कर हम लोगों ने वहां नियुक्त थानाध्यक्ष कुलश्रेष्ठ से दोनों बंदी लड़कों के विरुद्ध लिखे गये अपराध से सम्बन्धित अभिलेखों को मांगकर देखा। तत्पश्चात दोनों लड़कों को हवालात से निकलवाकर जिलाधिकारी ने उनसे वार्ता की। लड़कों ने पुलिस को शिकायत की और बताया कि एक मुसलमान फर्जी नाम से वोट डाल रहा था। जब उसे उन लोगों ने पकड़ा तब वहां पर उपस्थित दरोगा ने उसे तो छोड़ दिया और हम लोगों को गाली दी। मारा और पकड़कर थाने में बंद कर दिया। जिलाधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें जमानत मुचलिका पर छोड़ने का आदेश दिया। जब यह कार्यवाही सम्पन्न की जा रही थी जुलूस की भीड़ धीरे-धीरे उग्र होती जा रही थी। जुलूस काफी बड़ा था। उसका अगला भाग रसलगंज चौकी से पूरे महात्मा गांधी रोड को पार करता हुआ एटा के रेलवे क्रासिंग के पास तक था। इसी बीच वहां एक रेलगाड़ी निकली। जैसे ही रेल का फाटक खुला और एटा की एक रोडवेज बस जुलूस के अन्तिम सिरे तक पहुंची ही थी कि वहां की भीड़ व्यग्र हो उठी और उसने बस पर पथराव कर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। पी०ए०सी० की टुकड़ी क्रोधित भीड़ को नियंत्रित करने तथा बस में लगी आग को बुझाने लगी परन्तु क्रोधित भीड़ उन पर भी पिल पड़ी और पथराव कर बैठी। तब अपनी व अपने असलहों के सुरक्षार्थ उन्होंने भी लाठी चार्ज कर दो राउण्ड फायरिंग की। भीड़ के एक विद्यार्थी के गोली लग जाने से उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। इस पर भीड़ अनियंत्रित होकर शहर की ओर भागने लगी। डी०एस०पी० फतेह सिंह ने तो अपने तरफ से किसी रास्ते से भी उन्हे शहर के अन्दर नहीं जाने दिया परन्तु जहां डी०एस०पी० विनोद पाण्डेय खड़े थे, भीड़ उनके थोड़े ही फासले के एक अन्य रास्ते से भागती हुई शहर के अन्दर दाखिल हो गयी। शहर में दंगा भड़क उठा। मकानें, दुकानें फुंकने लगीं। वहां की छतों तथा मस्जिदों आदि से पथराव व फायरिंग होने लगी थी।

उसी समय एक अम्बेसडर कार पर सवार कई लोग थाना बन्नादेवी पर आये और

उन्होंने नेताओं से कहा कि "आप क्या समझौता कर रहे है । डी०एम०/एस०पी० से । दोनों अधिकारी विश्वास करने योग्य ही नहीं है । यहां ये लोग आप लोगों को लड़कों से बात करने के बहाने हटा लाये है और वहां पी०ए०सी० को जुलूस पर फायरिंग कर देने के आदेश भी दे आये है । पी०ए०सी० ने फायरिंग करके एक लड़के को जान से मार दिया है ।" उक्त सूचना पर सारे नेता दोनों लड़कों को साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुये । भीड़ भाग कर सर्राफा बाजार, सब्जी मण्डी, सुभाष चौक, रिफ्यूजी कपड़ा मार्किट होते हुये कोतवाली के पास पहुंच गयी थी । मुसलमानों की भी एक बड़ी भीड़ भाले, बल्लम, मशालें लेकर पत्थर कोट की तरफ से शहर को निकल पड़ी थी और दोनों फिरकों के दंगाईयों ने एक दूसरे को मारना,पीटना, चाकू बल्लम आदि चलाना तथा बन्दूक से फायरिंग करना शुरू कर दिया था । क्रुद्ध भीड़ ने मशाल से व चीथड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलते हुये आग के गोले फेंक कर शहर के कई स्थानों पर आगजनी व हंगामा शुरू कर दिया था । थानों और चौकियों में थोड़ी-थोड़ी ही फोर्स थी जो यदा कदा बन्दूक चलाते रहे । डी०एस०पी० श्री हरि सिंह मेरे आदेश के अनुसार चुनाव में लगे शहर के थानों और चौकियों पर १० बजे दिन तक सब-इन्सपेक्टरों की वापसी नहीं करा सके थे । अतः जो फिक्स्ड पिकेट राइट ड्रिल के इन्सस्ट्रक्शन के अनुसार मैने शहर में लगाये थे, वे ही भीड़ को ललकार ललकार कर व लाठी चलाकर भगाते रहे पर इतने वड़े क्षेत्र में आगजनी, भगदड़ एवं मारपीट को वे नियंत्रण नहीं कर सके ।

वन्नादेवी थाना पर पी०ए०सी० की फायरिंग की सूचना पर मै व जिलाधिकारी सीधे अपने गार्डो के साथ शहर की ओर भागे । शहर के अन्दर कुत्ता कवर तथा पत्थर चटी के पास वाजार में दंगाईयों ने दुकानों के सामान, जलते हुवे शामियाने, टैण्ट आदि से सड़कों को पाटकर उसे आवागमन के लायक नहीं रखा था । अतः मुझे व कलेक्टर को फोर्स के साथ शहर में अपनी-अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही घुसना पड़ा था । अलीगढ़ के बाजार भी वड़े विचित्र हैं । नीचे दुकाने तथा ऊपर रिहायसी मकान बने है । दोनों साम्प्रदायों की मिली-जुली आबादी है । अपने-अपने घरों से लोग चीथड़े के गोले बनाकर मिट्टी के तेल से भिगोकर उसमें आग लगा लगा कर अपने विरोधी सम्प्रदायों के मकानों व दुकानों में फैक कर आगजनी कर रहे थे । हम दोनों स्टील हैलमेट पहनकर पथराव, आग के गोलों व बन्दूकों की गोलियों के बीच से गुजर रहे थे । मेरे साथ आम्र्ड गार्ड एवं एन्टीराईट स्क्वाड भी साथ साथ वढ़ रहे थे । कुत्ता कवर से आगे दंगाईयों के समूह दुकानों की लूटपाट में लगे थे और चाकूवाजी हो रही थी । मैने डी०एम० से आदेश लेकर सामने के दंगाईयों को चेतावनी देने का निर्देश दिया । चेतावनी का प्रभाव न देखकर मैने टियर गैस फायरिंग करने का आदेश

दिया और टीयर गैस फायरिंग होते ही कुछ भीड़ गलियों में भागी परन्तु थोड़ी ही देर में वह फिर एकत्रित होकर हुल्लड़ करने लगी। टीयर स्मोक शैल्स को उन्होंने गीले तौलियों से पकड़कर अपने हाथों मे लेकर उल्टे हम लोगों पर फेंकने लगे। घटना स्थल वेकावू होते देख मैंने जिलाधिकारी की सहमति से फायरिंग स्क्वाड को तीन राउण्ड गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फायरिंग से भीड़ तितर-बितर हो गयी और शान्ति हो गयी पर अभी भी घरों की छतों व मस्जिद की बगल से पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी। शहर का वह भाग हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों के निवासियों का मिला-जुला भाग था। अतः दोनों की सम्प्रदायों के निवासियों द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप नीचे गलियों के कुछ दंगाई घायल हो भाग रहे थे। कोई चारा न पाकर उसे रोकने के लिए मैंने पुलिस को उनके मकानों अथवा जहां से गोलिया आ रही हों वहीं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। पुलिस फायरिंग से घायल होकर एक आदमी छत के ऊपर से नीचे गिरा जिसे तुरन्त उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मैंने मौके की पुलिस को दंगाईयों के घरों की तलाशियां लेकर बन्दूकें, मिसाइल आदि कब्जे में लेने और शान्ति भंग करने वालों को गिरफ्तार कर लेने के आदेश दे दिये थे। चूंकि शहर के कई स्थानों से दंगे की सूचना वायरलैस सैट पर मुझे मिल रही थी, अतः हर जगह पुलिस व मजिस्ट्रेटों को वल का प्रयोग और गिरफ्तारी करने के आदेश हम लोगों ने कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित करा दिये थे। मैं व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एन्टीराईट स्क्वाड के साथ सीधे सब्जी मण्डी व सर्राफा बाजार पहुंचे थे जहां दंगा भयंकर रूप ले चुका था। वारनिंग देने के बाद वहां भी फायरिंग कराकर ही दंगे को हम रोक पाये थे। दंगाईयों की एक गोली से डी०एम० भी बाल-बाल बच गये थे। वहां से हम लोग कोतवाली की तरफ गये थे जहां उपद्रव अपनी चरम सीमा पर था। ऊपर कोट की एक बड़ी भीड़ भाले और बन्दूकों से लैस आगे बढ़ती जा रही थी। रिफ्यूजी कपड़ा मार्केट में आग लगी हुई थी और दोनों सम्प्रदायों में भीषण लाठियां, तलवार व वल्लम चल रहे थे। वीच-वीच में चाकूवाजी हो जाती थी। उसी समय एक घर से छिपकर मेरे ऊपर गोली चला दी गयी थी परन्तु निशाना ठीक न होने के कारण मैं उससे बच निकला था। बाद में सुनने में आया था कि जिसने मुझ पर गोली चलायी थी वह एक वड़ा फिरकापरस्त था जो मछली के व्यवसाय से संबद्ध था। मैंने वहां भी वार्निंग देने के बाद कसकर गोलियां चलवाई और लाठीचार्ज कराया था और दंगाईयों के घरों की सघन तलाशियां लेकर उनकी गिरफ्तारियां भी करायी थी।

पूर्ण प्रयास के पश्चात करीव डेढ़ घंटे के अन्दर ही इतने विस्तृत एवं भयंकर दंगे को रोकने में मैंने व जिलाधिकारी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। चार-पांच स्थलों पर तो मुझे भी

अपनी रिवाल्वर निकालने की नौवत आ पड़ी थी। कुछ अन्य स्थानों पर पुलिस व मजिस्ट्रेटों ने जबरदस्त गोलियां चलवा कर ही शान्ति स्थापित की थी। पुलिस ठसाठस भरी गलियों-कूचों से डन्डे प्रहार करके भीड़ को तितर-बितर कर रही थी। रायट स्क्वाड के जवान बराबर मुझे व कलैक्टर उपापति को अपनी बेंत की ढालों से सुरक्षा प्रदान करते रहे थे। साढ़े बारह वजे कन्ट्रोल रूम के माध्यम से लगभग सभी उपद्रव ग्रस्त इलाकों में स्थिति नियंत्रण में आ जाने की सूचना मुझे मिल चुकी थी। शहर में अशान्ति की सूचना पर जिलाधिकारी ने तुरन्त ही १० बजे के आस-पास कर्फ्यू लगाकर उसकी सूचना जीपों में लगे लाउड स्पीकरों से पुलिस अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों द्वारा पूरे शहर में करा दी थी। अब सम्बन्धित थानों में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही केवल अपनी-अपनी रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) लिखाने पहुंच रहे थे।

कोतवाली पहुंच कर मैंने एन०एस० सक्सेना आई०जी० को तथा जिलाधिकारी ने गृह सचिव श्री अशोक कुमार मुस्तफी को पूरी सूचना टेलीफोन से लखनऊ दे दी थी। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इतने अच्छे सुरक्षा प्रबंध करने पर दंगा कैसे हो गया? इसी बीच कन्ट्रोल रूम के मैसेज पर डी०एस०पी० फतेह सिंह व विनोद चन्द्र पाण्डेय वहां आ गये जिन्हें मैंने जिलाधिकारी के साथ थाना बन्नादेवी में गिरफ्तार लड़कों के रिहाई के मामले को देखने जाने के पहले जुलूस के पास इस निर्देश के साथ छोड़ा था कि मौके पर फोर्स बहुत है और जब तक मै लौटकर नहीं आ जाता वे जुलूस को शहर की तरफ हर्गिज नहीं जाने देगें तथा वहां से हटेंगे भी नहीं और शहर के सभी रास्तों को फोर्स से सील कर देंगे। उक्त अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जुलूस को नियंत्रण में रखा था पर जब एटा से आती हुई बस में पीछे की तरफ से आग लगा दी गई और लम्बे समय तक खड़े रहने और परेशान हो जाने के कारण पी०ए०सी० की चेतावनी के बाद भीड़ जब काबू में नहीं आयी तब पी०ए०सी० को फायरिंग करनी पड़ी। पी०ए०सी० की गोली लगने के कारण जैसे ही लड़का मरा जुलूस उग्र हो गया और भीड़ अपना संतुलन खो बैठी और शहर के अन्दर भागना शुरू कर दिया। मेरे प्रश्न के उत्तर में फतेह सिंह ने बताया कि उन्होने अपने सामने की तीनों गलियों पर पूरी फोर्स को लगाकर भीड़ को शहर के अन्दर घुसने से रोक दिया था। डी०एस०पी० पाण्डेय जहां खड़े थे ठीक उसके ५ कदम आगे वाली गली से लड़के शहर के अन्दर घुसे तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया जिस पर पाण्डेय जी ने बताया था कि वह अपने स्थान से ही बराबर भीड़ को ललकारते रहे और शहर के अन्दर न जाने की चिल्ला-चिल्लाकर हिदायतें देते रहे थे। मैं हैरान था कि पाण्डेय ने केवल ५ कदम बढ़कर स्वयं उन्हें रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं की थी जो मुझे व जिलाधिकारी को जनता के कुछ आदमियों व कुछ

पुलिस के फोर्स के लोगों ने बताई थी । मुझे पाण्डेय जी की इस गम्भीर ड्यूटी के उल्लंघन एवं मूर्खता करने पर क्रोध भी आ गया था परन्तु मै उन पर बरस पड़ने से पूर्व उनसे यह जानना चाहता था कि क्या वह यह बताने का कष्ट करेगें कि जब उनके पास वाली गली से ही जुलूस तोड़कर लड़के शहर के अन्दर भाग रहे थे तो वह अपने स्थान से बढ़कर लड़कों को शहर के अन्दर घुसने से राकेने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर सके । दुर्घटना के लिए मैने अपने दुर्भाग्य और आई०जी० के वर्ताव पर अवश्य दुख प्रकट किया था । यदि आई०जी० उत्तर प्रदेश मेरे सुझाव पर सी०ओ० सिटी बुलाका सिंह को कुछ दिनों का एक्सटेन्शन दिलाने अथवा इन्सपेक्टर बी०एन० शांडिल्य को कुछ दिनों तक कोतवाली अलीगढ़ में ही प्रोन्नत करके तैनात रखने का प्रस्ताव मान लेते तो यह दंगा नहीं होता । मै अपने डी०आई०जी० को भी कुछ नहीं कह सका जिन्होंने जानबूझकर एक अयोग्य इन्सपेक्टर को अलीगढ़ कोतवाली का इंचार्ज नियुक्त कर दिया था और मुझे आई०जी० सक्सेना का एजेन्ट एवं मुखबिर मानकर मेरे द्वारा आठ कम्पनी पी०ए०सी० के सही डिमाण्ड के विपरीत केवल दो कम्पनी प्लाटून पी०ए०सी० चुनाव ड्यूटी के लिए जानबूझकर परेशान करने हेतु दी थी और उसमें अलीगढ़ में कई सालों से नियुक्त दो कम्पनी पी०ए०सी० भी शामिल कर दी थी । फिर यदि पाण्डेय जी अपने स्थान पर से जरा बढ़कर शहर में घुसने से लड़कों को रोक लेते तो सम्भव था कि दंगे की स्थिति पैदा ही नहीं होती क्योंकि मुसलिम दंगाई भी ऊपर कोट की तरफ शहर में उपद्रव नहीं करते । पाण्डेय जी का जवाब था कि मै चलते समय उनसे यह कह गया था कि "देखो पाण्डेय अपनी जगह से हट मत जाना" इसीलिये उन्होंने अपना स्थान बदलना मेरे आदेशों की अवहेलना करना मान लिया था । उनका उत्तर कोई बनावटी नहीं बल्कि एकदम वास्तविक था । वास्तव में पाण्डेय जी उस नस्ल के पुलिस अधिकारी थे जो झूठ बोलना नहीं जानते थे । वह कान्स्टेबिल के पद से पदोन्नति पाकर डी०एस०पी० बने थे । उनकी समझ में दंगों के सभी पहलुओं का आना तो वैसे भी सम्भव नहीं था । वास्तव में उन्होंने मेरे आदेशों को पूर्णतया शाब्दिक अर्थ में ले लिया था और अपने स्थान से वह हटे ही नहीं । वहीं जमे रहे और वहीं से ड्यूटी करते रहे । उनके निपट मूर्खता के कारण उन पर कोई भी दोषारोपण करना मैने उचित नहीं समझा था बल्कि उसे अपने भाग्य का दोष मान लिया था जिसके कारण इतनी अच्छी शान्ति व्यवस्था के इन्तजाम ध्वस्त हो गये थे ।

बाद में जब इस दंगे की न्यायिक चली जांच आयोग के समक्ष प्रशासन का जो एफिडेविट मेरे व जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था उसमें दंगे की सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ही ले रखी थी । मैने डी०एस०पी०, पाण्डेय की गलती के बारे में आई०जी०

साहव तथा डी०आई०जी० के विरुद्ध एक शव्द भी नहीं लिखा था। मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास था कि जव मैने कोई गलती ही नहीं की है, सुरक्षा की व्यवस्था में जानबूझकर कोई कमी नहीं की है तो चाहे न्यायिक जांच हो या ट्रायल, मुझे दोषी ठहराना सही नहीं होगा। सरला जी भी पूर्णतया मेरे साथ थी। उन्होंने तो मुझे यहां तक निडर रहने को कहा कि जैसे मेने इतने सालों पुलिस की नौकरी पूर्ण ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से विताई है, जांच में सत्य वात कहना ही उचित होगा चाहे कुछ हो जाय नुकसान होता है तो सहेंगे।

दंगे के वाद जितने और दिन मै अलीगढ़ में एस०पी० रहा शहर के कन्ट्रोल रूम से ही सारी कार्यवाही करता था। एक वार जो दंगा हो चुका है उसका जवाव तो न्यायिक जांच में दे ही लेंगे पर यदि दुवारा मेरे रहते दंगा भड़क गया तो निश्चित रूप से उसे मेरी अकर्मण्यता मानी जायेगी और उसकी सजा से न वच पाऊँगा। अतः अगले तीन दिन तक मै अपने घर ही नहीं गया। वरावर कन्ट्रोल रूम कोतवाली में, शहर गस्त में, कर्फ्यू के एन्फोर्समेन्ट में तथा गिरफ्तारियों में जिलाधिकारी के यहां मीटिंग में ही लगा रहा। शासन ने डी०आई०जी० आगरा तथा मण्डल कमिश्नर भारद्वाज जी को अलीगढ़ पहुंच कर मुझे तथा जिलाधिकारी को पूर्ण सहयोग एवं दिशा-निर्देश देने का आदेश दिया था। अतः हर दो तीन घंटे वाद मुझे व जिलाधिकारी को डी०आई०जी० व कमिशनर को पूरी स्थिति से अवगत कराना पड़ता था और मिलना भी होता था। आई०जी० ने अपनी ओर से डी०आई०जी० सी०आई०डी० शिव स्वरूप जी के नेतृत्व में इन्सपेक्टरों की एक टीम अलीगढ़ भेज दी थी जो वहां की स्थिति पर नजर रखते थे तथा दंगे के संगीन एवं सनसनीखेज मामलों की तफ्तीश पूरी करने में मदद कर रहे थे।

दंगे के वाद तीन दिन तक मेरा घर से सम्पर्क ही कटा रहा। उस अवधि में मैंने केवल अपने वंगले की सुरक्षा के मजवूत करने हेतु गार्ड को डवल करा दिया था। सरला जी काफी अस्वस्थ चल रही थी। उनकी गर्भावस्था का समय पूरा हो चला था। यद्यपि वाहर से वे "ब्रेव फ्रंट" वनाये हुये थी। दंगे के दूसरे ही दिन उन्हें आपात स्थिति में अलीगढ़ के डफरिन अस्पताल में ले जाया गया था जिसकी जानकारी सरला जी ने स्वयं मुझे नहीं होने दी थी। डा० गुप्ता उनकी खराव तवियत देखकर घबरा गयी थी क्योंकि सरला जी की नब्ज वहुत धीमी चल रही थी और वे अचेतन सी हो गयी थी। कुछ आवश्यक मेडिकल उपचार करने के वाद नब्ज स्थिर होते ही डाक्टर ने सरला जी की फोर्सविल डिलीवरी करा दी थी। इस प्रकार ५ मार्च, १९७१ को सरला जी ने हमारी प्रिय वेटी अनुपम को जन्म दिया था। मै स्वयं इससे अनभिज्ञ था। ६ मार्च को शहर की स्थिति काफी सामान्य हो चली थी। जिलाधिकारी ने ३ मार्च तथा ५ मार्च के इलेक्शन की तिथियों को काफी आगे वढ़ाकर निश्चित कर दिया

था। जब मै घर गया और वहां सरला जी व प्रिय बेटियों रश्मि, छवि एवं माधवी को न पाकर घबरा गया था। पूछने पर मेरे स्टैनो बाबू व बंगले के अर्दली कल्लू ने बताया कि मैम साहब अस्पताल में है। तब मै सीधा भागकर वहां गया और सरला जी को अनुपम के साथ देखकर मै दंगे की सारी बातें मानो भूल गया। मुझे दुख हुआ कि मै सरला जी की उस गम्भीर अवस्था में उनके लिये कुछ नही कर सका था। डाक्टर श्रीमती गुप्ता ने ही मुझे अनुपम के जन्म की पूरी कहानी के साथ सरला जी द्वारा बहुत कष्ट झेलने की बात बताई थी। मैंने सरला जी को पूर्ण स्नेह एवं आदर देते हुये उनसे पुनः शहर में जाकर दंगे से उपजी अन्य समस्याओं से निपटने हेतु आज्ञा मांगी जो उन्होंने पूर्ण आत्म विश्वास के साथ दे दी थी और मै तुरन्त ही वहां से चल दिया था। शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण मैं सरला जी के लिये अस्पताल में कुछ विशेष व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था। अतः अगले दिन लेडी डाक्टर श्रीमती गुप्ता की राय पर मैंने उन्हें घर वापस पहुंचाने का पूरा प्रबन्ध कर दिया था। सरला जी घर पहुंच कर अपनी सारी व्यथा भूलकर घर के इन्तजामों में जुट गयी थी क्योंकि शहर में कर्फ्यू होने के कारण मैंने अपने घर पर ही एडिशनल आई०जी० कमरूल हसन व कमिश्नर भारद्वाज जी के खाने-पीने एवं नाश्ता की व्यवस्था कर रखी थी। यही प्रबन्ध जिलाधिकारी ने भी आई०जी० व कमिश्नर के लिये अपने घर पर कर रखा था। डी०आई०जी० के लिए उनकी इच्छानुसार नगर के डाक बंगले में थानाध्यक्ष कैन्ट श्री भटनागर ने पूरी व्यवस्था की थी।

दंगे के दिन करीब ३ बजे शाम तक मुझे व जिलाधिकारी को दंगे में मरे कुल व्यक्तियों की संख्या मालूम हो गयी थी जो १२ थी। मृतकों में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं की संख्या के कुछ ज्यादा थी। इन मामलों व अन्य सैकड़ों मामलों की तफ्तीश करने के लिए सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टरों की बड़ी कमी से उलझन महसूस हो रही थी। दंगे की शाम को मै व जिलाधिकारी शहर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हर सूचना पर मै चौकन्ना रह कर कानूनी कार्यवाही हेतु आर्डर करता रहता था। मुझे सूचना मिली थी कि हाथरस से अलीगढ़ आने वाली पैसेन्जर ट्रेन में भीषण खून-खराबे की सम्भावना है। मैंने तुरन्त इन्सपेक्टर हाथरस श्री प्रधान से फोन से बात की। उन्होंने बताया कि ट्रेन हाथरस से शान्ति से पहले ही चल चुकी है अतः वह अफवाह है। स्टेशन पर पुलिस पूर्णतया सतर्क थी। दंगा नियंत्रण हेतु मैंने अलीगढ़ के स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट को भी फोन पर उनसे ट्रेन को बिना किसी बीच के स्टेशन पर रोके हुये सीधे अलीगढ़ लाने को कहा ताकि बीच के स्टेशनों पर कोई गड़बड़ी की सम्भावना ही न रह जाय। स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट ने मुझे एक घंटे बाद बताया कि ट्रेन ठीक से अलीगढ़ पहुंच गयी थी।

गस्त के दौरान शहर में मुझे व जिलाधिकारी को एक स्थान पर जहां सुबह दंगा हो चुका था एडवोकेट व उनके कुछ साथी एकत्रित मिले जो कर्फ्यू का उल्लंघन था । अतः मैंने तुरन्त उन्हें शान्ति भंग होने के अन्देशे के अन्तर्गत गिरफ्तार कराकर पी०ए०सी० के एक ट्रक में बैठ जाने को कहा । उनका बेहूदा सवाल करने एवं ट्रक में बैठने से मना करने पर मैंने उन्हें जबरदस्ती ट्रक में भरवा कर जेल भिजवा दिया था । अनावश्यक दंगे हो जाने के कारण उस समय मेरा व्यवहार अति कठोर हो गया था । एडवोकेट जेल जाते समय मुझे बचकर रहने की चेतावनी दे गये थे । पुलिस ऑफिसर अपने कर्तव्य के पालन में बदमाशों अथवा दंगाइयों द्वारा यदि मार दिये जायें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, यह मुझे पता था । मेरा बर्ताव एडवोकेट के साथ असभ्यता का था पर इसका कारण मेरा अन्दर का आक्रोश था कि यदि उन्होंने जुलूस निकालने की नादानी न की होती तो शायद दंगे की नौवत ही न आती ।

शहर में गस्त के दौरान ही वायरलेस सेट पर कन्ट्रोल रूम कोतवाली ने मुझे मैसेज दिया था कि रैज डी०आई०जी० आगरा का आगमन अलीगढ़ में हो चुका है और वे सीधे ही मेरे लोकेशन पर पहुंच रहे है । अतः मैं व जिलाधिकारी वहीं पर रुके रहे और हम लोग आगे अन्य स्थानों पर नहीं जा सके । ५-६ मिनट में डी०आई०जी० वहां पहुंच गये थे । डी०एस०पी० हरि सिंह जीप से उन्हें एस्कॉर्ट कार से लाये थे । पहले उनका गनमैन और फिर डी०आई०जी० साहब कार से वाहर आये । वहुत तनाव में कुछ घटनायें ऐसी घट जाती है जो सवको हंसने के लिये विवश कर देती हैं और बिना किसी प्रयास के तनाव समाप्त हो जाता है । डी०आई०जी० को देखकर ही मुझे उनके पहनावे पर मन ही मन वड़ी हंसी आयी और मेरा तनाव अपने आप समाप्त हो गया । डी०आई०जी० बहुत लम्बे व दुवले पतले शरीर के थे । उन्होंने खाकी पतली मुहरी की ऊँची-ऊँची पतलून पहन रखी थी । वर्दी की खाकी कमीज के ऊपर बुंदकीदार गर्म सिविलियन कोट पहन रखा था जिसकी लम्बाई कम और चौड़ाई ज्यादा थी । वे कोट का एक बटन वन्द किये हुये थे । कोट के ऊपर से एक पेटी के साथ लाल चमड़े के छोटे से होल्सटर में छोटी साईज की पिस्तौल लटकाये हुये थे । सिर पर घुड़सवारी का ऊँचा खाकी सोला हैट लगा रखा था । वह एकदम अजीब से लग रहे थे । मैंने अपनी हंसी दबाकर उनका जोरदार अभिवादन किया । मौके पर ही डी०आई०जी० ने तुरन्त जिलाधिकारी से दंगे के वारे में विशेषकर पुलिस व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना प्रारम्भ किया । मै समझ गया था कि वह डी०एम० के विरुद्ध तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं । अतः सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने की ही चेष्टा करेगें । मै शान्त खड़ा उनकी वातें ध्यान से सुनता रहा । जिलाधिकारी ने पुलिस प्रबन्ध के विरुद्ध कुछ

भी नहीं कहा बल्कि मेरे द्वारा घटनास्थल पर की गयी कार्यवाही का पूरा समर्थन किया। तब डी०आई०जी० ने मुझसे कहा कि शासन ने अलीगढ़ साम्प्रदायिक दंगे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिये है। मैंने प्रत्युत्तर में कहा कि सुना तो मैंने भी है। तत्पश्चात डी०आई०जी० ने मुझसे पूछा कि जो प्रीवेन्टिव गिरफ्तारी के आदेश चुनाव के पहले उन्होंने दिये थे क्या उसमे के सारे बदमाश पकड़वा लिये थे अथवा नहीं? मुझे फिर भी अन्दर ही अन्दर हंसी आयी कि उन्हें अगर कोई चिन्ता थी तो केवल इस बात की कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी न आ जाय। उन्हें मेरे फंस जाने पर कोई परेशानी नहीं थी। मैंने सूक्ष्म में उत्तर दिया था कि गिरफ्तारियों की सूचना मै पहले ही वायरलैस सैट द्वारा आपके कार्यालय को भेज चुका हूँ। डी०आई०जी० ने मुझसे अगले दिन तक दंगे के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी थी। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अगले दो दिनों तक किसी भी प्रकार के दंगे/झगड़े न होने की स्थिति कायम हो जाने के पश्चात ही मै कोई रिपोर्ट लिख सकूँगा। प्रतिदिन की घटनाओं का एक "सिटरप" वायरलैस मैसेज उनको तथा आई०जी० को व शासन को रोज भेजा जाता है जिस पर मेरे व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होते है।

अगले दिन डी०आई०जी० ने मुझे केनाल इन्सपेक्शन हाउस मे बुलाया और अलीगढ़ में दंगों के बाद की गयी पुलिस व्यवस्था की जानकारी चाही। मैंने उन्हें वता दिया कि शहर को ९ सेक्टरों में बांट दिया गया था। प्रत्येक सेक्टर का इन्चार्ज एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को बनाया है। फिक्सड पिकेटों के स्थान भी उन्हें गिना दिये थे। हर सेक्टर में उपलब्ध फोर्स को ३ शिफ्ट में लगाने की बात भी बता दी थी। थानों पर रिपोर्ट लिखने व गिरफ्तारी के लिये टीमों की व्यवस्था से भी उन्हें अवगत करा दिया था। आई०जी० प्रदेश द्वारा जो अन्य जिलों से सिविल पुलिस के जिन ३२ इन्सपेक्टरों को तफ्तीश निपटाने में मदद के लिए भेजे थे उनमें से २८ आ गये थे और उन्हे ही थानों पर उक्त कार्य हेतु लगा दिया गया था।

मैंने डी०आई०जी० साहब से दूधपुर इन्सपेक्शन हाउस में जाकर थोड़ा विश्राम कर लेने और चाय आदि पीकर थोड़ा फ्रेश हो कर आराम करने को कहा था और स्वयं रात्रि को पूरे शहर का गश्त करके पूर्ण स्थिति से उन्हें इन्सपैक्शन हाउस आकर अवगत करा देने का आश्वासन दिया था। डी०आई०जी० ने चलते-चलते डी०एम० से अपने साथ इन्सपेक्शन हाउस पर चलने को कहा था परन्तु डी०एम० ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि वह स्वयं एस०पी० के साथ रात्रि में शहर में गश्त में जाना चाहेंगे। डी०आई०जी० को उनकी वात शायद अच्छी नहीं लगी होगी। किन्तु मै उपापति जी की प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि कैसे हैं तुम्हारे डी०आई०जी०, लगता है वह तुम्हारे विरुद्ध ही रिपोर्ट करने

के मूड में हैं । मैंने श्री उषापति जी को उत्तर दिया था कि जब न्यायिक जांच का आदेश हो ही गया है तब सारी स्थिति तो मुझे ही स्पष्ट करनी होगी । हम दोनों शहर के अन्य दंगाग्रस्त इलाकों की गश्त करने निकल गये थे और हर जगह की कार्यवाही चुस्त दुरुस्त पायी थी । दंगा पूर्ण नियंत्रण में था । करीब ११.३० बजे रात जब हम शहर में थे तब कन्ट्रोल रूम ने बताया कि आगरा मण्डल के कमिश्नर श्री राम पाल भारद्वाज जी डी०एम० के बंगले पर पहुंचे हैं और वे एस०पी० व डी०एम० से बात करना चाहते है । अतः हम दोनों गश्त के बाद उनसे मिले थे । कमिश्नर साहब ने हम लोगों को शाबासी दी थी कि इतना बड़ा दंगा हम लोगों ने शीघ्राति शीघ्र नियंत्रित कर लिया था । कमिश्नर से मिलने डी०आई०जी० भी आ गये थे । शायद कमिश्नर द्वारा तारीफ करना उन्हें अच्छा प्रतीत नहीं हुआ था । इसी बीच चाय आ गयी । चाय पीते समय कमिश्नर साहब ने केवल एक ही बात कही थी कि जो हुआ सो हुआ पर अब आगे किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरी आशा है कि अब आगे कुछ नहीं होगा । डी०एम० ने उस रात को अपने बंगले पर ही सबके खाने का प्रबन्ध कर रखा था । डी०आई०जी० ने खाना नहीं खाया । वह इन्सपेक्शन हाउस में खाना खा चुके थे । अतः वह वहीं से चले गये थे । मै उनको इन्सपेक्शन हाउस तक छोड़ने गया था । अतः उस रात्रि मै भूखा ही सो गया था ।

दूसरे दिन मै सीधा डी०आई०जी० के पास इन्सपेक्शन हाउस गया और उन्हें शहर में पूर्ण शान्ति होने की सूचना दी तब उन्होंने व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुये कहा कि अब उन्हें क्या बता रहे है अब तो जो कुछ बताना हो जांच आयोग के सामने ही बताईयेगा । उनसे आगे के मार्ग दर्शन की अपेक्षा की थी परन्तु उनकी बातों को व्यंग्यात्मक पाकर मैंने शहर गश्त के लिए जाने की विदा मांगी थी । चलते वक्त मैंने उनसे इतना अवश्य कहा था कि प्रशासन की ओर से कमीशन के समक्ष जो लिखित एफीडेविट मै दाखिल करूँगा उसमें दंगे की सारी जिम्मेदारी अपने कन्धे पर ही लूँगा । मैं किसी भी वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूँगा पर अगर मै यह करना चाहूँ तो मेरे पास सामग्री बहुत है जिस पर डी०आई०जी० घबरा जरूर गये थे । उन्होंने तुरन्त मुझसे इच्छा व्यक्त की कि वह भी मेरे साथ पूरे शहर में घूमकर स्थिति को देखना चाहेगें परन्तु उसकी सूचना किसी अन्य को न दी जाये । उनसे प्रश्न किये जा सकते थे कि वह स्वयं शहर की स्थिति देखने क्यों नहीं गये । इस कारण वह शहर में एक बार जाना चाहते थे जिसे मैं समझ गया था । दूसरी बात यह थी कि यदि मेरे प्रबन्ध में उन्हें कमियां मिल गयी तो वह आई०जी० को बताना चाहेगें कि एस०पी० की व्यवस्था में बहुत कमियां थी जिसे उन्होंने ठीक कर दी है, इत्यादि-इत्यादि । मैंने डी०आई०जी० से कहा कि अच्छा होगा यदि वह रात्रि में गश्त चैक करें जिसे वह मान गये थे । रात्रि को

डी०आई०जी० वर्दी पहनकर जब बाहर आये मैंने अपनी तथा डी०आई०जी० की गाड़ियों के ड्राइवरों से कहा कि वे अपना-अपना वायरलेस सेट बन्द रखेगें ताकि चैकिंग अचानक की जा सके । डी०आई०जी० उस निर्देश से बहुत खुश हुये थे । मैंने डी०आई०जी० साहब को वे सारे स्थान जहां दंगे हुये थे तथा वे सारे स्थान जो अति संवेदनशील थे और जहां चुनाव सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था हेतु गस्त तथा फिक्स आर्म्ड गार्ड लगायी गयी थी, दिखाये। ज्यादातर जगह उन्हें फोर्स चुस्त दुरुस्त मिली । उन्होंने थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी की और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से सवालात भी किये । उत्तर सही मिलने पर वह कोई हंगामा नहीं कर सके थे । मै उन्हें थाना बन्नादेवी, थाना कैन्ट व थाना कोतवाली भी ले गया था। वह उक्त थानों पर केवल १०-१५ मिनट ही रुके थे । थानों में लोग आकर एफ०आई०आर० लिखा रहे थे । बाहर जिलों से आये इन्सपेक्टर नामजद दंगाइयों, नामी गुण्डों आदि की गिरफ्तारियों में संलग्न थे । हथियारों की बरामदगी के लिए घर-घर तलाशियां ली जा रही थीं । जब डी०आई०जी० थाना कोतवाली में थे उसी समय जिलाधिकारी उपापति भट्ट भी वहां आ गये थे । कमिश्नर साहब ने शहर में आना जरूरी नहीं समझा था क्योंकि वह बराबर मेरे व जिलाधिकारी की इस बात से संतुष्ट थे कि इन दोंनो ने इतना बड़े साम्प्रदायिक दंगे पर डेढ़ दो घंटे में ही काबू पा लिया था । वह केवल पकड़-धकड़ व गिरफ्तारी करने का सख्ती से पालन कराने पर जोर देते रहे । दंगे के बाद पुलिस एवं मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी जो हम लोगों द्वारा लगायी गयी थी, उस आदेश को उन्होंने मांगा था तथा गिरफ्तारी की संख्या का ब्यौरा रोज देखते थे । मै उस रात भी शहर की व्यवस्था के लिए कोतवाली कन्ट्रोल रूम में ही रुका रहा ।

प्रदेश आई०जी० के आदेश पर अगले दिन ही श्री शिव स्वरूप (सी०आई०डी०, प्रमुख) उत्तर प्रदेश अलीगढ़ आ गये थे । उनके साथ पुलिस अधीक्षक पारसनाथ मिश्रा जी कुछ डी०एस०पी० एवं इन्सपेक्टरों की टीम भी आई थी । उन्होंने भी दंगा ग्रस्त इलाके में घुसकर स्थिति का आंकलन किया था । शिव स्वरूप जी एक बड़े सुलझे हुये अधिकारी थे। उन्होने मुझसे अपना कार्य करते रहने को कहा था । अतः मै दंगे से सम्बन्धित अपने कार्यो में लगा रहा । वायरलेस सेट पर सूचना मिली थी कि शिव स्वरूप जी डिस्ट्रिक बोर्ड के डाक बंगले पर मुझसे व डी०एम० से बात करना चाहेगें । अतः हम लोग डाक बंगले पर जाकर उनसे मिले थे । शहर की स्थिति के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी थी । उन्होंने हम लोगों से दंगे के सम्बन्ध में काफी सारी बातें की और जो जानकारी चाही वह हम लोगों ने उन्हें दी थी । शिव स्वरूप जी से किसी ऐसी बात का संकेत नहीं मिला था कि सुरक्षा व्यवस्था के प्रबन्धों में किसी कमी के कारण दंगा हुआ था । वे कमिश्नर भारद्वाज जी के इस निर्णय से

सहमत थे कि डेढ़-दो घंटे में ही इतने बड़े दंगे पर काबू पा लिया गया था।

लखनऊ से आयी हुई अतिरिक्त फोर्स को मैने आवश्यकतानुसार अलीगढ़ शहर, हाथरस नगर तथा सासनी थानों के इलाकों में तनाव की सम्भावना को रोकने हेतु लगा दिया था। शहर में कर्फ्यू लगे दो दिन हो चुके थे। गम्भीर तनाव के रहते अभी उसमें ढील देना सम्भव नहीं हुआ था। दंगे के तीसरे दिन पहली बार कर्फ्यू में २ घंटे की ढील दी गयी थी। ११ बजे दिन को शहर में लोग भारी संख्या में उसी बीच खाने-पीने की चीजें लेने निकल पड़े थे। सुनसान जगहों पर इक्का-दुक्का छुरेबाजी की घटनाओं का प्रयास हुआ था जो तुरन्त पुलिस द्वारा नियंत्रण कर लिया गया था। अगले दिन से सुबह व मध्यान्तर दोनों समय कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी। कुछ गिरफ्तारियां जरूर करनी पड़ी थी। एडीशनल आई०जी०, कमिश्नर, डी०आई०जी० सी०आई०डी० बराबर मेरा और डी०एम० का साहस बढ़ाते रहते थे। डी०आई०जी० रेंज जरूर कभी-कभी अधिकारियों व मुझसे बेमतलब के प्रश्न कर देते थे। यद्यपि मैं और डी०एम० प्रतिदिन सुबह शाम उनको ज्वाइन्ट "सिटरप" भेजकर सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराते रहते थे। लखनऊ भी सूचना भेजते रहते थे। शासन द्वारा न्यायिक जांच के आदेश हो जाने के कारण सम्पूर्ण दंगे से सम्बन्धित रिपोर्ट देना अब सही नहीं था। कमीशन के सामने प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करना ही था। कमिश्नर ने भी मेरी बात का समर्थन करते हुये डी०आई०जी० से कहा कि अब किसी रिपोर्ट को न भेजा जाय।

दो दिन बाद एक घटना ने मुझे बहुत दुखी और क्रोधित कर दिया था। मै उस दिन अस्पताल से सीधे अपने निवास गया। अन्दर घुसने के पहले अपने गोपनीय कार्यालय में जाकर मैने स्टैनो बाबू से पूछा था कि लखनऊ से आई०जी० या गृह सचिव का कोई फोन या वायरलैस तो नहीं आया था। मैने देखा कि पीछे गेट पर एक जीप में डी०एस०पी० हरि सिंह कुछ फाइलें लाद रहे थे। पूछने पर कि वह गोपनीय कार्यालय की फाइलें बिना मेरी इजाजत के कहां ले जा रहे है तो उन्होंने बताया कि डी०आई०जी० ने उन्हें आदेश दिया था कि वह मेरे स्टेनोग्राफर से मिल कर चुनाव व दंगे से सम्बन्धित जो भी पत्राचार मैने लखनऊ से किया था उन अभिलेखों को वे लाकर उन्हें दें। मैने स्टैनो बाबू को बुलाया। पूछने पर उन्होंने बताया कि डी०एस०पी० ने उनसे डांटकर कहा था कि उन्हें सब कागज तुरन्त दिये जायें। मैने डी०एस०पी० हरि सिंह से पूछा कि वह इतने सीनियर है फिर भी क्या उन्हें यह नहीं मालूम है कि बिना मेरे आदेश के गोपनीय कार्यालय का कोई भी कागज बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। डी०आई०जी० का मेरे गोपनीय कार्यालय पर कोई अधिकार नहीं हैं जब तक मै जिले का एस०पी० हूँ। मै डी०एस०पी० को गोपनीय फाईलों की चोरी का

आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ । मेरे क्रोधित हो जाने से हरी सिंह भयभीत होकर क्षमा याचना मांगने लगे थे । मैंने उन्हें क्षमा तो कर दिया परन्तु सारी पत्रावलियां तथा अभिलेखों को लिखा-पढ़ी कराके व उनके हस्ताक्षर कराकर स्टैनो बाबू को वापस कराई थीं। डी०आई०जी० ने हरी सिंह से कुछ कहा भी था या नहीं, मुझे नहीं मालूम पर उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की । हो सकता है हरी सिंह अपनी तरफ से डी०आई०जी० साहब को खुस करने के लिये यह सब कर रहे थे ।

साम्प्रदायिक दंगो के सन्दर्भ में जन आक्रोश से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी का शासन द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरण करना एक परम्परा बन गयी थी, अतः हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होना था । मेरे व डी०एम० के स्थानान्तरण की चर्चायें जनपद में चलने लगी थीं । फोन पर अलीगढ़ की पूरी स्थिति बताने के बाद मैने आई०जी० प्रदेश को बता दिया था कि मेरे व जिलाधिकारी के ट्रांसफर की चर्चायें सुनाई पड़ रही हैं । अतः मैने उनसे निवेदन किया था कि चूँकि दंगे के विषय में न्यायिक जांच का आदेश हो चुका है, अतः यदि कोई सुलझा हुआ पुलिस अधीक्षक मेरे स्थान पर नियुक्त कर दिया जायेगा तो मुझे जांच में कुछ मदद मिल जायेगी । दारूवाला मुझसे एक बैच सीनियर आई०पी०एस० अधिकारी थे । उस समय वह पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ थे । वह एक व्यवहार कुशल, मृदु भाषी एवं बहुत ही योग्य पुलिस अधिकारी थे । श्री एन०एस०सक्सेना प्रायः हर काम में कोई न कोई युक्ति लगाकर पुलिस विभाग को कुछ और फायदा हो जाने की ही वात हमेशा सोचते रहते थे । अतः उन्होंने अपने प्रस्ताव को एक नये ढंग से शासन को प्रस्तुत किया । उन्होंने गृह सचिव अशोक कुमार मुस्तफी को फोन किया कि वह अलीगढ़ के लिये एक बहुत अच्छे अधिकारी को पोस्ट करने का प्रस्ताव देगें यदि शासन अलीगढ़ में पुलिस अधीक्षक के पद को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद में उच्चीकृत कर दे । जब गृह सचिव ने उस अधिकारी का नाम पूछा तो उन्होंने दारूवाला का नाम बता दिया । गृह सचिव दारूवाला के नाम से तुरन्त सहमत तो हो गये पर अलीगढ़ के एस०पी० पद को एस०एस०पी० का पद बनाने को तुरन्त तैयार नहीं थे । आई०जी० इस बात पर अड़े रहे कि वह दारूवाला के नाम का प्रस्ताव इसी शर्त पर शासन में भेजेगें, जब अलीगढ़ को एस०एस०पी० स्तर का जनपद बना दिया जाय । गृह सचिव भी अपनी जिद पर अड़ गये थे कि पहले वे दारूवाला को अलीगढ़ का एस०पी० बनाकर भेजेगें और बाद में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया जायेगा । अतः आई०जी० ने शासन को दारूवाला के नाम के स्थान पर के०डी० शर्मा का नाम प्रस्तावित कर दिया । शासन ने उसे स्वीकार कर लिया । श्री के०डी० शर्मा प्रदेश पुलिस से प्रोन्नत हुये आई०पी०एस० अधिकारी थे जो एक बार पहले अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक

रह चुके थे।

के०डी० शर्मा के अलीगढ़ पहुंचने के एक दिन पहले से ही प्रदेश के गृहमंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा दंगाग्रस्त इलाके का दौरा करने अलीगढ़ आये हुये थे। हम लोग उन्हें शहर के सभी दंगा प्रभावित स्थानों पर ले गये थे। वह सम्पूर्ण घटना से अवगत हो गये थे। एक स्थान पर उन्होंने एक जले हुये मकान के अन्दर का दरवाजा बड़ी गहराई से देखा और हम लोगों से पूछा कि क्या उक्त दरवाजे पर बम फेंका गया है? मैंने तकनीकी ज्ञान का सहारा लेकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि बम चलने की स्थिति में दीवालों तथा छतों पर भी स्पिलिन्टर के निशान बन जाते है जो वहां नहीं थे, फिर वहां बारूद आदि की गन्ध भी किसी ने नहीं बतायी थी। गृहमंत्री जी संतुष्ट नहीं हुये थे, अतः उन्होंने उस दरवाजे को विधि-विज्ञान प्रयोगशाला आगरा को भेजकर रिपोर्ट मांगने के लिए मुझे आदेश दिये थे। इन्सपेक्शन हाउस में जाकर मुझसे व डी०एम० से बातों के मध्य कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये थे। उन्होने जनता के दोनों सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत भी की थी। बाद में पत्रकारों से भी उन्होंने पूछ-ताछ की थी। पत्रकारों के प्रश्न पर कि क्या शासन जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण का निर्णय ले रही है। उन्होने उत्तर दिया था बहुत से मामले नैतिक होते है। पत्रकारों द्वारा के०डी० शर्मा पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की सूचना उनके लिए नई थी। वह किसी अन्य एस०पी० को वहां तैनात करने को सोचे हुये थे। तभी मेरे स्टैनो बाबू ने मुझे फोन पर बताया कि के०डी० शर्मा की नियुक्ति का आदेश आ चुका है और वह कल ही ट्रेन से आ रहे है। यह सुनकर कि के०डी० शर्मा को अलीगढ़ नियुक्त किया गया है मंत्री बड़े खफा हुये और उन्होंने तुरन्त गृह सचिव मुस्तफी जी को कहा कि के०डी०शर्मा को वहां चार्ज नहीं लेने दें। अतः के०डी० शर्मा अलीगढ़ में आ जाने के बाद मुझसे चार्ज लेने नहीं आये। वह मेरे घर पर मेरे ही साथ ठहरे थे।

शर्मा जी की विजिट से दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टी०एन० सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रभान गुप्त व चरण सिंह जी अलीगढ़ आये थे और उनकी बातों से नहीं लगता था कि हमारा स्थानान्तरण होगा। सत्य तो यह था कि जब मुख्यमंत्री जी लोग अलीगढ़ आये थे तब अकेले कमरे में श्री सी०बी० गुप्ता ने करीब आधा घण्टे तक पहले जिलाधिकारी से फिर मुझसे अलग-अलग बातचीत की थी। दंगा नियंत्रण से सन्तुष्ट दिखते हुये उन्होंने हम दोनों को एक ही निर्देश दिया था। उनका कहना था कि यूनिस सलीम भारत में साम्प्रदायिक दंगे कराने के लिए बदनाम है। और में अलीगढ़ का दंगा भी उन्हीं के कारण हुआ है। अतः एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहले उनके आदमियों को गिरफ्तार कर बन्द कर दिया जाय। और हिन्दुओं को बाद में। तत्पश्चात उसी दिन तीनों विशिष्ट व्यक्ति लखनऊ वापस लौट गये

थे । बाद में मैंने व जिलाधिकारी ने निर्णय लिया था कि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है अतः उसी से स्पष्ट हो सकेगा कि दंगा किस ने कराया था । अतः हम दोनों ने हिन्दू व मुसलमानों का भेदभाव करे बगैर साक्ष्य के आधार पर दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार कराया था जिससे यह लांछन न लग सके कि हम किसी एक सम्प्रदाय के पक्षधर है। स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद दोनों ओर के लोगों की गिरफ्तारी से प्रदेश शासन हमसे असंतुष्ट हो गया था । पर अपनी आत्मा की आवाज पर हम लोगों ने आगे भी गिरफ्तारियों को यथावत चलने दिया ।

मुख्यमत्री ने तुरन्त कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई । उसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मुसद्दी लाल, गृह सचिव अशोक कुमार मुस्तफी, आई०जी० निगमेन्द्र सेन सक्सेना उपस्थित थे । इसी मीटिंग में मुझे व जिलाधिकारी को अलीगढ़ से तुरन्त स्थानान्तरण कर देने की बात उठाई गयी । आई०जी० ने कहा कि शासन ने पहले ही इस मामले में जांच आयोग बैठा दिया है, अतः अभी स्थानान्तरण न किया जाय । यदि जांच आयोग उक्त अधिकारियों को दोषी पाता है तब उन्हें निलम्बित भी किया जाय । शायद श्री सी०बी० गुप्ता द्वारा हम लोगों को दिये गये मौखिक आदेशों की जानकारी उन्हें नहीं थी । अतः उनके तर्क पर विशेष ध्यान न देकर यह निर्णय लिया गया कि दोनों अधिकारियों को अलीगढ़ से तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जाय । इस कारण के०डी०शर्मा को एस०पी० के पद पर मेरी जगह नियुक्त किया गया था और श्री जुनेजा को कलेक्टर अलीगढ़ । श्री वीरेन्द्र वर्मा गृहमंत्री ने अलीगढ़ के दौरे के बाद लखनऊ जाकर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि अलीगढ़ की तैनाती में उनकी राय नहीं ली गयी थी । के०डी० शर्मा को जब अलीगढ़ के एस०पी० का चार्ज गृहमंत्री ने नही लेने दिया था तो शाम को लखनऊ से यह फोन आया कि डी०आई०जी०, आगरा रेंज अपने चार्ज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ का भी चार्ज ग्रहण कर लें और मुझे पदभार से मुक्त कर दिया जाय । इस प्रकार उसी शाम मैंने अपना पदभार डी०आई०जी०, आगरा रेंज को सौप दिया था ।

उक्त आदेश से डी०आई०जी० बड़े परेशान थे । विशेषकर उन्हें ही अब अलीगढ़ के दंगे से सम्बन्धित कार्यवाही करनी थी । डी०आई०जी० द्वारा मेरा कार्यभार लिये हुये एक दो दिन ही पूरे हुये थे कि उनके विरुद्ध लखनऊ में शिकायतों का दौर प्रारम्भ हो गया था पर गृहमंत्री जी ने शीघ्र ही वहां बलवीर सिंह बेदी को एस०पी० अलीगढ़ के पद पर मुजफ्फरपुर से स्थानान्तरित करा दिया था । वेदी ने डी०आई०जी० से ही चार्ज ग्रहण किया था । गृह सचिव मुस्तफी जी मुझसे पहले से ही रूष्ट थे । वह आगरा में मुख्य नगर अधिकारी नियुक्त थे और मै एस०एस०पी०आगरा था । कमिश्नर आगरा मण्डल श्री श्रीपत और

मुस्तफी जी में गहरे मतभेद थे । मैं श्रीपत जी को वहुत मानता था जो मुस्तफी जी को अच्छा नहीं लगता था । अतः वह मेरे कभी भी समर्थक नहीं रहे थे । कैविनेट की दूसरी मीटिंग में, कैबिनेट की प्रथम मीटिंग में अलीगढ़ से मुझे तथा डी०एम० को तुरन्त स्थानान्तरण के निर्णय हो चुकने के बाद आदेश के अब तक पालन में विलम्ब के कारण मुख्य सचिव तथा गृह सचिव के विरुद्ध कार्यवाई किये जाने की बात उठा दी गयी जिससे हंगामा हो गया । गृहमंत्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने खड़े होकर जब कहा कि अलीगढ़ के दंगाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद उनकी राय थी कि इस दंगे में पुलिस अधीक्षक की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वह प्रारम्भ से ही बराबर स्थिति से निपटने पर जोर देते रहे थे । दंगे का मुख्य कारण उनकी राय में जिलाधिकारी उपापति भट्ट की कमजोरी व गलत निर्णय था । अतः वर्मा जी की राय थी कि वहां के डी०एम० को न केवल स्थानान्तरण किया जाय वल्कि निलम्वित भी किया जाय । एक आई०ए०एस० अधिकारी के विरुद्ध वातावरण विगड़ता देखकर मुख्य सचिव व गृह सचिव यह कहते हुये कि एस०पी० तथा डी०एम० दोनों को ही निलम्वित कर दिया जाय, तुरन्त मीटिंग से वाहर निकल गये । मुझे आई०जी० ने स्वयं यह सारी वातें बताई थी और वताया था कि गृह मंत्री जी केवल डी०एम० का निलम्बन चाहते थे पर आपको भी जवरदस्ती उसी में शामिल करा दिया । ८ मार्च को मुझे तथा डी०एम० को फोन पर सूचित किया गया था कि हम लोग अगले दिन सचिवालय में मुख्य सचिव के सामने उपस्थित हों । मै तो कार्यमुक्त हो चुका था इसलिए उसी दिन शाम को ट्रेन से लखनऊ चल पड़ा था । जिलाधिकारी अपनी कार से लखनऊ पहुंचे थे । अगले दिन सचिवालय में मेरी मुलाकात उपापति जी से हुई थी । उस समय तक हम लोगों को यह नहीं मालूम था कि हमारे दोनों के निलम्बन के आदेश पारित होने वाले थे । जव सुबह १०.३० बजे हम दोनों मुख्य सचिव के कक्ष में पहुंचे, इसी वीच गृह सचिव श्री अशोक मुस्तफी वहां आ गये थे । मुख्य सचिव ने "सॉरी" कहा और वताया कि आप दोनों को शासन द्वारा निलम्वित कर दिया गया है । अतः निलम्बन आदेश की एक प्रति प्राप्त कर लें तथा दूसरी प्रति पर अपने हस्ताक्षर करके उन्हें वापस कर दें । हम लोग निलम्बन के आदेश लेकर उनके कक्ष से बाहर निकल आये । सचिवालय के वरामदे में हम लोग केवल इतना कह कर कि चलिये, इसे भी देखा जायेगा, कहते हुये एक दूसरे से हाथ मिलाकर सचिवालय के वाहर आ गये । मै पुलिस मैस सप्रू मार्ग में ठहरा हुआ था और एस०एस०पी० लखनऊ श्री दयाशंकर भटनागर से लखनऊ पुलिस की कार लेकर सचिवालय गया था । अतः शीघ्र ही मैस में वापस आ गया । मै अपने भाग्य को कोस रहा था कि जिस धैर्य एवं साहस के साथ भंयकर साम्प्रदायिक विस्फोट का मुकाबला कर हम उसे डेढ़ घंटे में ही पूर्णतः नियंत्रण में कर लेने के लिए जहां मुझे बहादुरी का सम्मान

मिलना चाहिये था वहां नियत चक्र ने मुझे निलम्बन प्रदान किया था। पांव तले जमीन तो जरूर खिसक गयी थी पर अब तो न्यायिक जांच में आगे आने वाली विडम्बनाओं के बारे में ही सोचना था। निलम्वन के आदेश का एक कष्टप्रद भाग यह भी था कि आदेश में मेरे ऊपर यह बाध्यता लगायी गयी थी कि निलम्वन काल में मुझे अपने गृह जनपद झांसी में ही रहना होगा। झांसी मे रहकर न्यायिक जांच में अपने पक्ष के प्रस्तुतीकरण की तैयारी करना कठिन था। मुझे अलीगढ़ से तुरन्त सरला जी व प्रिय आभा (रश्मि), छवि, सोनी (माधवी) तथा नवजात वेटी अनुपम को झासी ले जाकर रखना और उनके स्कूल आदि का वहां प्रवन्ध करना बड़ा दुःखदायी दिखाई दे रहा था। यद्यपि हमारा पैतृक मकान ८७ लक्ष्मणगंज, नरिया झांसी मे था जिसे पिता (स्वर्गीय) नारायण दयाल जी व माता (स्वर्गीय) गिरजा देवी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढग से बनाया था। मै इन्हीं सब परिस्थितियों पर विचार कर रहा था और वड़ी उलझन में था। उसी समय मेरे कुछ वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी, जिनमें लखनऊ के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दयाशंकर भटनागर तथा श्री वासुदेव पन्जानी थे, मैस में आये और मुझे सान्त्वना देते रहे। उनका सभी का कहना था कि अलीगढ़ के दंगे में मेरा कोई दोष नहीं था। अतः मुझे घबराना नहीं चाहिए। उनकी सान्त्वना से क्षणिक शान्ति तो अवश्य मिली थी पर वह स्थायी नहीं थी। दिन भर इसी तरह का मिलने-जुलने और सहानुभूति दिखाने का क्रम चालू रहा। शासन के आदेशों से काफी लोग दुखी थे। उस समय मेरी गणना कुशल पुलिस अधिकारी की थी। निलम्बन का आदेश वड़ा कष्टदायक था फिर भी मै संवदेनाओं और सहानुभूतियों की वालू की दीवारों पर खड़ा नहीं होना चाहता था। मुझे न्यायिक जांच मे अपने को निर्दोष सिद्ध करना होगा।

मैंने टेलीफोन पर ही सरला जी को सारी वातें वता दी थी। निलम्वन काल में झांसी रहना मुझे दुखी किये था। अलीगढ़ भी नहीं जा सकता था। अतः लखनऊ में ही दो तीन दिन रुक कर आदेश के इस भाग को बदलवाने में प्रयासरत रहा। मुझे सरला जी के टेलीफोन के वे शब्द कभी नहीं भूलते जब उन्होंने धैर्य वंधाते हुये मुझसे कहा था कि "आप बिल्कुल घबराये नहीं जो भी होगा हिम्मत से निपटा जायेगा, यदि नौकरी भी चली जायेगी तो भी गम नही होगा। नमक रोटी खाकर जी लेगें परन्तु आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है"।

उसी दिन सरला जी का एक पत्र भी मुझे मिला था जिसमें उन्होंने होली पर उनसे दूर होने पर अपनी हृदय की व्यथा बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त की थी, जिसकी कुछ पंक्तियां मै नीचे उद्धरण के रूप में दे रहा हूं। "तेरे बिना होली फीकी रही, क्षण-क्षण पर तेरी मधुर शक्ल बेचैन किये दे रही है। सचमुच तुम्हारी अनुपस्थिति बहुत बुरी लगती है। मै तो तुझे स्वप्न में भी नहीं भूल सकती। दुनिया के किसी कोने में रहो पर तेरी याद दिल में बनी रहती

है। माता-पिता का ममत्व अवश्य मिला पर तेरा प्यार पति का सुखद हाथ ही नहीं है, वह तो-

जीव बिन देह, नदी बिन वारी।
वैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी॥

अर्थात सभी प्रियजन हों पर पति के बिना जीवन अधूरा है इसी से माता-पिता कन्या को घर नहीं बैठाते उसे उसके घर भेजते हैं। जहां जीवन साथी के साथ वह जीवन बिताये। अर्थात हर हालत में पति का स्थान नारी के लिए सर्वोच्च परमात्मा के समान है। इसी कारण मैं बराबर प्रतीक्षा करती रहती हूं कि तुम लखनऊ से कब आ पाओगे और इन्हीं प्रतीक्षा की लपटों में झुलस रही हूं। मेरे कारण भी तुम्हें अपने को अलीगढ़ की जांच की चिन्ता छोड़ सच्चाई के पक्ष के प्रति अडिग विश्वास रखना होगा। मनुष्य के जीवन में उच्च चरित्र सबसे बड़ी चीज है। चरित्रवान के सामने सब कुछ झुक जाता है और इसी प्रकार न्यायिक जांच के न्यायाधीश महोदय भी झुक जायेंगे। सुख-दुख में तटस्थ रहना ही महान पुरुषों का काम है। जांच के आदेश से निराश होना तेरे लिये शोभा नहीं देता। अब तक शान से रहे हैं और मेहनत, ईमानदारी से काम किया है, भगवान ने चाहा तो वैसे आगे भी होगा और न्यायिक जांच में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी''। इस पत्र ने मुझे एक बड़ी आन्तरिक शक्ति दी थी।

अगले दिन होली का त्यौहार था। सारे सरकारी कार्यालय बन्द थे। अतः मैं कहीं नहीं जा सका और पुलिस मैस में ही पड़ा रहा। जब सब लोग होली के रंग व गुलाल व सोंधी गुझिया का आनन्द ले रहे थे, मैं अकेले कमरे में पड़ा-पड़ा न जाने क्या-क्या सोचे जा रहा था। इस मौके पर अलीगढ़ न जाने की पाबन्दी मुझे बुरी तरह खल रही थी। बच्चों व सरला जी को कितना बुरा लग रहा होगा, सोच-सोच कर मैं परेशान था। करीब ५ बजे शाम लखनऊ के एस०एस०पी० डी०एस० भटनागर मेरे पास मैस में आये और मुझसे मेरे सामान सहित अपने बंगले में चलने के लिए आग्रह किया था। श्रीमती भटनागर के अधिक आग्रह पर मैंने कपड़े बदले और भटनागर साहब के साथ उनके बंगले पर आ गया था। उसी रात भटनागर साहब मुझे बटलर पैलेस कालोनी में होली मिलने के लिये वासुदेव पन्जानी एवं श्रीमती विमला पन्जानी के घर लाये। उन्होंने बहुत सी चीजें खाने को रखी पर मैं मुश्किल से एक गुजिया ही खा सका था। बाद में श्रीमती पन्जानी के बहुत आग्रह पर मैंने किसी तरह एक दही बड़ा भी खाया। उस समय मेरे लिये जो सान्त्वना भरे शब्द वरिष्ठों द्वारा कहे जा रहे थे उनसे मुझे शक्ति मिलती थी पर वह सब क्षणिक थी। इसके बाद हम लोग श्री आर०एन० माथुर के घर गये थे। वहां से थोड़ी देर बाद हम लोग भटनागर जी के बंगले

वापस आ गये थे। मेरे रहने के लिए एक अलग कमरा तैयार कर दिया गया था। मै उनके उस स्नेह को कभी नहीं भूल सकूँगा। रात्रि को सबने खाना खाया जिसमें मेरे अलावा भटनागर जी के कुछ निजी मित्र भी सम्मिलित हुये थे। रात्रि भोज के बाद मै जब कमरे में गया तो बहुत देर तक नींद नहीं आयी थी। सरला जी और बच्चे याद आते रहे। न्यायिक जांच में किन-किन झंझटों में फंसना पड़ेगा सोचते-सोचते मै कब सो गया था मुझे मालूम नहीं पड़ा। होली की छुट्टियों के बाद कार्यालय खुले तब मै आई०जी० के कार्यालय, १.तिलक मार्ग, लखनऊ गया। ए०टू०आई०जी० श्री आर०पी० जोशी ने मुझे आई०जी०, एन०एस० सक्सेना साहब से शीघ्र मिलवा दिया। आई०जी० के कक्ष में उनका अभिवादन कर मै कुर्सी पर बैठ गया था। बातचीत के मध्य उन्होंने मेरे निलम्बन पर दुख प्रकट किया था और कैबिनेट मीटिंग के इस निर्णय से सम्बन्धित पूरे ड्रामे के बारे में भी बतलाया जो पहले बयान कर चुका हूँ। मैने निलम्बन आदेश में झांसी में रहने के बजाय उसे लखनऊ करा देने का निवेदन किया और १५ दिन अलीगढ़ रहने की इजाजत शासन से दिला देने को कहा क्योंकि मुझे अपना सामान व अपने परिवार को लखनऊ लाने का प्रबन्ध करना था और साथ ही साथ न्यायिक जांच के सम्बन्ध में अपना लिखित शपथ पत्र भी तैयार करना था। एक प्रार्थना पत्र भी इस सम्बन्ध का मैने उनके समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने मेरे सामने ही गृह सचिव को अपनी संस्तुति के साथ भेज दिया था।

बातचीत में मैने उन्हें वताया था कि अलीगढ़ के दंगे की पृष्ठभूमि राजनैतिक थी और उसमें केन्द्र तथा प्रदेश में सरकारो के विरोधी दलों की होने के कारण ही सब कुछ हुआ था। मेरा कहना था के दंगा आयोजित करने के लिए कही से रुपया अलीगढ़ आया था, की सूचना मुझे बदा मे मिल गई थी मुझे यह सूचना भी थी के यदि मै उसे खोल दूँगा तो सम्भव है कि साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा मेरी हत्या कर दी जाय। मैने उनसे केवल इतना ही कहा था यदि वे मेरे द्वारा चुनाव सम्बन्धी खुफिया रिपोर्ट को देखेगें तो चुनाव की हार-जीत के कारण साम्प्रदायिक दंगे का होना स्पष्ट हो जायेगा। मेरी बातों को आई०जी० धैर्यपूर्वक सुनते रहे और उन्होंने चुनाव के मतदान के दोनों दिनों के परिणाम का अध्ययन वारीकी से किया था। चुनाव के वाद जव उसका परिणाम आ गया था तो मै आई०जी० से पुनः मिला था। उनका बर्ताव मेरे प्रति काफी सहानुभूति का दिखाई पड़ा था क्योंकि मतगणना के नतीजे को देखकर वे मेरे विचारों से सहमत थे कि दंगा शुद्ध राजनैतिक कारणों से अचानक कराया गया था। शासन ने मेरे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निलम्बन काल में मुझे लखनऊ में ठहरने का आदेश पारित कर दिया था और अलीगढ़ जाकर परिवार को लखनऊ लाने की आज्ञा भी प्रदान कर दी थी। अलीगढ जाते समय मेरे नेत्र सजल थे। श्री भटनागर व श्रीमती

भटनागर ने मुझे सान्त्वना देते हुये विदा किया था और विश्वास दिलाया था कि मै अपने को कभी अकेला न समझूं । वे सब भी मेरे साथ है ।

एस०एस०पी० लखनऊ ने उसी दिन शाम को मेरे हाथरस पहुंचने की सूचना अलीगढ़ भेज दी थी । हाथरस में पुलिस की गाड़ी आ गयी थी । अलीगढ़ पहुंचने पर सरला जी ने अपने को सम्भालते हुये बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया और कहा कि "आप तो एक वहादुर पुलिस अधिकारी है परेशान होने की बात नहीं, सब ठीक हो जायेगा, जो हो गया उसे भूल जाईये । आगे भी सव ठीक ही होगा । यह सब तो पुलिस सर्विस के माने हुये हैजारर्ड्स है । आप की जान बच गयी वस मुझे व बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए-- । मैंने सरला जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया । हम लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ कर चाय पी रहे थे । सरला जी बराबर मेरी आन्तरिक भावनाओं को जानने का प्रयास कर रही थी । वच्चे भी बिना अधिक समझे बूझे सकपकाये से नजर आ रहे थे । घर का वातावरण ही वदल गया था । रात्रि-भोज के उपरान्त मैंने सरला जी को लखनऊ की सारी बातें विस्तार से बताई थी और अपने निलम्वन से सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां भी दिखाई थी । सरला जी द्रवित हो रही थी । उनके सजल नेत्रों ने मेरा वक्ष गीला कर दिया था । उनकी दृढ़ता एवं विश्वास ने मेरे दुखी हृदय के अन्तरतम में पहुंचकर मेरे कष्ट को हर लिया था और मै अचेतन से मानो चेतन में आ गया था तथा अशक्त से सशक्त हो गया था । आज भी जब मै सरला जी की साहसिक राय एवं सान्त्वना भरे वाक्यों की याद करता हूं तो मुझे बड़ी शान्ति मिलती है ।

अलीगढ़ की स्थिति वैसे तो नियंत्रण में थी पर वहां के द्वितीय भाग के निर्वाचन काउण्टरमाइंड हो जाने से देहात में निर्वाचन अभी होने थे । जनपद का चार्ज अभी भी डी०आई०जी० के पास ही था क्योंकि नये पुलिस अधीक्षक तैनात नहीं हो सके थे । श्री के०डी० शर्मा जी को गृह मंत्री ने चार्ज लेने से रोक दिया था । दारूवाला जी को गृह सचिव ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वनाने पर सहमत नहीं हुये थे । बाद में वलवीर सिंह बेदी को अलीगढ़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था । जिलाधिकारी जुनेजा जी अलीगढ़ का चार्ज संभाल लिये थे । वदली हुई तिथियों पर शेप चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया था ।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश द्वारा इलाहावाद हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज न्यायमूर्ति डी०एस० माथुर (आई०सी०एस०) जो वन मैन कमीशन नियुक्त हुये थे, अलीगढ़ आ गये थे । उन्होंने जिलाधिकारी अलीगढ़ को सूचित कर दिया था कि प्रशासन अपने पक्ष का शपथ पत्र (एफीडेविट) कमीशन के समक्ष तत्कालीन जिलाधिकारी उपापति भट्ट तथा पुलिस अधीक्षक वाई०एन० सक्सेना द्वारा दाखिल कराये । आयोग के उक्त आदेश की प्रति के वाद मैने तथा श्री उपापति भट्ट जी ने प्रशासन द्वारा दाखिल किये जाने वाले शपथ पत्र

तैयार कराने तथा उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अलीगढ़ के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री धवन की सेवाएं नियमानुसार हमें प्रदान कराने के लिये शासन से अनुरोध किया जो शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था ।

शासन से जब तक श्री धवन को एडवोकेट की नियुक्ति का आदेश प्राप्त हुआ था उस बीच हम लोगों ने अलीगढ़ पहुंच कर वहां के मजिस्ट्रेटो एवं पुलिस अधिकारियों से उनके द्वारा दंगे में की गयी कार्यवाहियों से सम्बन्धित रिपोर्ट मांग ली थी और यह तय कर लिया था कि पुलिस एवं मजिस्ट्रेसी का एक ही मिलाजुला शपथ पत्र आयोग के समक्ष दाखिल किया जायेगा । सभी इसके लिये सहमत हो गये थे । हम लोगों ने यह आवश्यक समझा था कि जब तक सरकारी पक्ष का शपथ पत्र आयोग के सामने प्रस्तुत न कर दिया जाय तब तक मुझे व उषापति जी को अलीगढ़ में ही रहना उचित होगा । उक्त सूचना से हम लोगो ने अपने-अपने विभागाध्यक्षों को अवगत करा दिया था । क्योंकि हम दोनों केवल ९ दिन बाद ही बहाल हो गये थे । मै सी०आई०डी० में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था । यह एक सुखद आशचर्य था हम दोनों के लिये ।

इसी दौरान मैंने सरकारी बंगले का आधा भाग नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक को सपरिवार रहने के लिए खाली कर दिया था और आधे भाग में हमारे बच्चे रह रहे थे । नये जिलाधिकारी अकेले ही आये थे । अतः वह श्री उषापति जी के साथ ही डी०एम० के बंगले पर रहते थे । हम दोनो के प्रयोग के लिए एक-एक कार की सुविधा भी वहां के अधिकारियों ने प्रदान कर दी थी । एडवोकेट श्री धवन से मिलकर शपथ पत्र तैयार कराने के सम्बन्ध में कई बार वार्ता करनी पड़ती थी और उनके द्वारा मांगे गये अभिलेखों तथा स्पष्टीकरण देकर दंगे के पूरे प्रकरण तथा उसके विभिनन पहलुओं से उन्हें अवगत करा दिया गया था । विभिन्न आदेशों, निर्णयों, थानों, पुलिस लाईन एवं वायरलैस के रिकार्ड एकत्रित करने के पश्चात लगभग २० दिनो में एडवोकेट धवन द्वारा हमारा शपथ पत्र तैयार कर दिया गया था जिसे हम लोगों ने प्रशासन की ओर से आयोग के सचिव को प्रेषित कर दिया था । हम लोग केवल ९ दिन बाद ही कैसे बहाल हो गये थे यह भी बड़ी दिलचस्प बात है । मैने व डी०एम० ने आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारियों के निलम्बन से सम्बन्धित सर्विस रूल्स के सन्दर्भ में शासन से पत्र लिखकर तुरन्त पूछा था कि क्या शासन ने हमारे निलम्बन करने के पहले कोई प्रारम्भिक जांच करा ली थी अथवा नहीं? पुराने सर्विस रूल्स के अन्तर्गत उक्त सेवाओं के अधिकारियों के निलम्बन का अधिकार केवल भारत सरकार को था । कैडर कन्ट्रोलिंग एथारिटी होने के नाते बाद में प्रदेश सरकार को यह अधिकार इस संशोधन के साथ दिये गये थे कि बशर्ते निलम्बन करने के पहले संदेह निवारण एवं स्वयं की संतुष्टि कर ली

गई हो । साथ ही शासन के ग्रह मन्त्रालय के संज्ञान में जब यह बात आई कि निलम्बन के पहले कोई प्रारम्भिक जांच नहीं कराई गई थी जो आल इन्डिया सर्विस रूल्स की अवहेलना है, अतः टी०एन० सिंह की पदच्युत सरकार ने मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को कार्यभार देने के पहले हम दोनों को सेवा में बहाली आदेश पारित कर दिये थे ।

उसी बीच अलीगढ़ का एक प्रबुद्ध मुस्लिम ग्रुप नवाब साहब छतारी की अध्यक्षता में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला था और उन्हें मेरे तथा जिलाधिकारी के निलम्बन की कार्यवाही को उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी भूल बताया था । उसके साथ-साथ ही उन्होंने मुझे व डी०एम० को निष्पक्ष, कुशल, ईमानदार एवं सद्भावना वाला अधिकारी बताया था जो दोनों ही सम्प्रदायों के प्रति समभाव रखने वाले है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नवाब छतारी की बातें बड़े आदर एवं स्नेह से सुनी थी । प्रधानमंत्री जी ने उनके आने के लिए तथा अधिकारियों के पक्ष में बोलने के लिए उनकी प्रशंसा की थी । प्रधानमंत्री जी को ठीक इसी प्रकार की एक रिपोर्ट इन्टेजीजेन्स ब्यूरो से भी प्राप्त हो चुकी थी । उपरोक्त आख्या इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डी०के० अग्रवाल द्वारा प्रेषित की गयी थी । श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उस समय उक्त मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थता प्रकट की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी विरोधी पार्टी कांग्रेस "ओ" की सरकार का शासन था जिसके श्री टी०एन० सिंह मुख्यमंत्री थे । पर उन्होंने यह आश्वासन नवाब साहब को अवश्य दिया था कि यदि उनकी पार्टी कांग्रेस "आई" उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले गयी तो वे इस सम्बन्ध में अविलम्ब उचित कार्यवाही करेंगी । उक्त बातें स्वयं नवाब छतारी ने मुझे व भट्ट जी को बतायीं थीं । यह नवाब साहब का बड़प्पन था कि वह मेरी तथा भट्ट जी की निष्पक्षता से स्वयं ही प्रभावित होकर हम लोगों के हित के लिये प्रधानमंत्री जी के पास गये थे । जब हम दोनों के निलम्बन आदेश शासन द्वारा रद्द कर दिये गये थे तब हम लोगों ने नवाब साहब को हार्दिक धन्यवाद दिया था ।

इसी प्रकार की एक आश्चर्यजनक घटना और घटी थी । मेरे एक मित्र काशी नरेश मथुरा जनपद में रोडवेज विभाग में आर०टी०ओ० थे । वह मेरे व सरला जी के कुशल एवं कर्तव्य- परायणतापूर्ण आचरण एवं शास्त्र सम्मत विचारों में पूर्ण आस्था के कारण बहुत आकर्षित रहते थे । वह हम लोगों के संग साथ के लिए सदैव ही लालायित रहते थे । मथुरा में हम लोग कई बार सपत्नीक देवरहा बाबा के आश्रम पर भी जाते रहते थे और वहां के पवित्र वातावरण एवं बाबा के दर्शन का सानन्द लाभ लेने के लिये सदैव इच्छुक रहते थे । मैं मथुरा से अलीगढ़ स्थानान्तरण पर चला गया था पर मिश्र जी बहुत दिनों मथुरा में ही रहे थे । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डाक्टर हरवंश लाल शर्मा, जो

हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान थे, भी बाबा के अनन्य भक्त थे, उनसे भी मेरे परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गये थे। प्रोफेसर हरवंश लाल जी प्रायः मुझसे तथा सरला जी से मिलने तथा साहित्यिक वार्ता एवं मनोविनोद के लिये हमारे घर आ जाते थे। इसी प्रकार हम लोग भी उनके निवास पर उनसे मिलने जाया करते थे। डाक्टर हरवंश लाल जी ने हिन्दी साहित्य के कोश को कई खण्डों में लिखा है। उन्होने देवरहा बाबा पर भी एक बहुत ही विद्वतापूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसके कारण हम लोग उनके प्रति बहुत समर्पित थे। प्रोफेसर हरवंश लाल जी व काशी नरेश मिश्र हमारे निलम्बन से बहुत दुखी थे। काशी नरेश ही देवरहा बाबा के आश्रम मथुरा गये और मेरे निलम्बन पर बहुत बड़ा दुख बाबा के सम्मुख प्रकट किया। तब बाबा ने उनसे कहा था "काशी नरेश बच्चा! तुम चिन्ता मत करो। योगेन्द्र भगत का सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जायेगा। उसकी कौनऊ गलती नहीं है"। काशी नरेश जी अगले दिन अलीगढ़ आये और मुझसे तथा सरला जी से उसी दिन बाबा का दर्शन करने का आग्रह किया। हम लोग उनके साथ उसी शाम दर्शनार्थ बाबा के आश्रम वृन्दावन प्रस्थान कर गये थे और रात्रि में वहां पहुंच गये थे। बाबा के शिष्य ब्रह्मचारी जी से काशी नरेश ने हम लोगों के वहां पहुंचने की सूचना बाबा जी को भिजवायी। बाबा तुरन्त मंच पर आये और अपने प्रिय वचन में बोले "बच्चा जोगेन्द्र, देवी सरला माई चले आओ। काशी नरेश को कहा बच्चा तू भी चला आ"। हम लोग बाबा के निकट जाकर नतमस्तक हुये। बाबा ने बारी-बारी से मेरे,सरला जी के व काशी नरेश के सिर पर अपना पैर रखा और वहीं रेती पर बैठ जाने को कहा। "बोलो बच्चा कहो "ॐ कृष्णाय बासुदेवाय, हरयेः परमात्मने।, प्रणत क्लेश नाःशाय, गोविन्दाय नमो नम." हम लोग बाबा के बचन को दुहराते रहे थे। तब बाबा ने पुनः कहां "बच्चा जोगेन्द्र तुम कौनऊ फिकर मत करो। गवर्नमेन्ट तुझे जल्दी ही बहाल कर देगी"। मैने कहा कि बाबा यह कैसे होगा? इतनी जल्दी सरकार बहाली नहीं करती है। पर बाबा दृढ़ थे। उन्होंने कहा "बच्चा तू फिकर मत कर यही टी०एन० सिंह गवर्नमेन्ट तुझे जाते-जाते बहाल कर जायेगी। मैने कहा बाबा यह कैसे होगा? सारा दंगा तो चुनाव के मध्य राजनैतिक कारणों से प्रभावी हस्तियों द्वारा नियोजित किया गया था। बाबा ने पूछा "बच्चा तोहे यह सब कैसे मालूम हुआ"। मैने बाबा को बताया की मुझे उन लोगों से बाद में पता चला था जिसके सामने ही अचानक रातों-रात दंगा करा देने की योजना बनाकर अगले दिन दंगा कराने के लिए अलीगढ़ के ग्रुपों के पास बहुत रुपया भेजा गया था और उस रुपये के द्वारा दंगे कराने के माहिर लोगों को बुलाकर उसी रात बांट दिया गया था। यह तो इत्तफाक था कि जहां यह सब हो रहा था वहां मेरे शुभचिन्तक उपस्थित थे। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मै इन लोगों का नाम किसी को भी नहीं बता सकता था और न ही आयोग के

समझ ही अपनी रिपोर्ट में उनके नाम लिख सकता था। क्योंकि डर था कि साक्ष्य हेतु उन व्यक्तियों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत भी करना पड़ता और मुझे डर था कि कहीं उसके साक्ष्य के पहले या बाद में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा उनको ही समाप्त कर दिया जाय। बाबा ने कहा "बच्चा तुम डरो नहीं। इलैक्शन हार जाने के कारण यह सरकार गिर जायेगी पर गिरने के पहले यही सरकार तुम्हें बहाल करेगी"। परन्तु मेरा प्रशासनिक अनुभव यही बता रहा था कि एक बार आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारी के निलम्बन हो जाने पर बहाल होने में कम से कम २-३ वर्ष तो लग ही जाते हैं। परन्तु चलते समय जब बाबा जी ने अपनी उक्त बातें पुनः दोहराई तो मेरी निराशा में कमी आयी और आशा की एक नई किरण सामने दिखाई पड़ने लगी थी। रात में ही हम लोग अलीगढ़ वापस आ गये थे।

दैवयोग, या बाबा का आशीर्वाद कि आगे की घटनाएं मेरे तथा भट्ट जी के पक्ष में मोड़ लेने लगी थी। निर्वाचन में इन्दिरा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से विजयी हुई और कांग्रेस "ओ" की श्री टी०एन० सिंह की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी द्वारा श्री कमलापति त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गयी थी। पर ज्योतिष एवं शुभ मुहूर्त के आधार पर अपनी सरकार गठित करने के लिए त्रिपाठी जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी से दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा था और तब तक श्री टी०एन० सिंह की कार्यवाहक सरकार प्रदेश में कार्यरत रही थी। तभी मेरे और श्री उपापति जी द्वारा शासन को दिये गये प्रतिवेदन पर गृह विभाग के एक वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी ने ६ पृष्ठ का लम्बा विधिक नोट लगा कर हमारे निलम्बन को उचित नहीं ठहराया था, क्योंकि निलम्बन के पूर्व शासन द्वारा प्रारम्भिक जांच नहीं कराना भारी विधिक अनियमितता थी। अतः जैसे ही उक्त नोट गृह सचिव के पास पहुंचा वह घबड़ा गये थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव में हार चुकी थी और एक दो दिन की केवल मेहमान थी। गृह सचिव श्री मुस्तफी तुरन्त उस नोट को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री टी०एन० सिंह जी के पास गये और उनसे वार्ता करके भविष्य की जवाब-देही से बचने के लिए हम दोनों अधिकारियों के बहाली के आदेश प्राप्त कर लिये। श्री टी०एन० सिंह जी पहले तो सहमत नहीं हो रहे थे परन्तु गृह सचिव के समझाने पर कि सम्बन्धित दोनों अधिकारी वरिष्ठ एवं अनुभवी हैं। और न्यायिक आयोग के सामने उपस्थित होकर वे शासन पर तरह-तरह के आरोप लगायेगें। जिसके कारण मुख्यमंत्री जी को भी आयोग के सामने उपस्थित होकर उनके आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। जांच आयोग के अध्यक्ष श्री डी०एस०माथुर आई०सी०एस० दृढ़ एवं सख्त जजों में गिने जाते थे। गलती पाने पर वह किसी को छोड़ने वालों में नहीं थे। निन्दा का आदेश पारित कर देने में उन्हें कोई संकोच नहीं

होता; चाहे वह प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों न हो । उक्त तर्क सुनकर मुख्यमंत्री टी०एन० सिंह जी ने पत्रावली पर मुझे व जिलाधिकारी को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया था । यह जानकारी मुझे बाद में सचिवालय जाने पर हुई थी ।

हम दोनो इस तैयारी में थे कि नई सरकार बन जाने पर नये मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत होकर उनसे निलम्बन आदेश पर विचार करने का अनुनय विनय करेंगें, पर नई सरकार के गठन के एक दिन पहले ही हम दोनों के बहाल होने के आदेश अलीगढ़ पहुंच गये थे। अतः हम दोनों आश्चर्य चकित थे कि क्या कारण हुआ कि ९ दिन के ही अन्दर शासन ने हमारे निलम्बन आदेश रद्द कर दिये थे । भट्ट जी ने उस आदेश के बारे में क्या सोचा होगा मैं नहीं जानता, परन्तु मुझे तो वह पूज्य देवरहा बाबा की देववाणी का स्पष्ट चमत्कार लगा था । अलीगढ़ के सरकारी प्रशासन में इस सूचना से खुशी की लहर फैल गयी थी । अगले दिन समाचार पत्रों ने उस विषस पर संपादकीय तक लिखे थे । टेलीफोन तथा टेलीग्रामो के माध्यम से मुझे भी बधाईयां मिल रही थी । सरला जी उक्त सुखद समाचार से अति प्रसन्न थीं । हम दोनों तुरन्त ही देवरहा बाबा जी के फोटो के सामने नतमस्तक हुये । तत्पश्चात मैंने सरला जी को प्यार से अपने हृदय से लगाकर उनके धैर्य एवं शक्ति की प्रशंसा करते हुये उनके आंशुओं को पोछ डाला । प्रिय बच्चों को भी मैंने खूब प्यार किया था । उस समय हमारे पास भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे कम थे, अतः हमने थोड़ा ही प्रसाद चढ़ाकर सबको बांट दिया था ।

उस समय की कठिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का परम स्नेह एवं अभूतपूर्व सहानुभूति मुझे अविचलित बने रहने में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी । अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे की घटना के दो दिन बाद ही श्री राधेश्याम शर्मा डी०आई०जी० एन्टी-डकैती ऑपरेशन आगरा जो मेरे पुलिस विभाग के गुरु एवं हितैषी थे, अलीगढ पधारे थे । उन्होने मुझे चिन्ता रहित होकर दृढ़ता से जांच का सामना करने पर जोर दिया । सरला जी को भी पूर्ण धैर्य से बच्चों के साथ रहने के लिए ढांढस दिये थे । मुझे करीब २०,०० रुपये चुपके से जबर्दस्ती दे गये थे । मेरे बहुत मना करने पर भी वह नहीं माने थे । उनकी उक्त आर्थिक सहायता के कारण अलीगढ़ से लखनऊ सी०आई०डी० की नियुक्ति पर जाते समय मुझे बड़ी सहायता मिली थी । श्री जे०एन० चतुर्वेदी, श्री जे०एम० जैन, श्री के०पी० अग्रवाल डी०आई०जी० गण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता हेतु निःसंकोच कहने के लिए आश्वासन मिला था । श्री के०पी० अग्रवाल ने तो आयोग के समक्ष जांच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील को मेरी सहायता के लिए अपने खर्चे पर भेजने का आश्वासन भी दे दिया था । सभी लोग भली-भांति

जानते थे कि अलीगढ़ के दंगों का आधार राजनैतिक था। श्री आर०सी० गोपाल डी०आई०जी०, पी०ए०सी० ने मेरे अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे के परिप्रेक्ष्य में निलम्बित हो जाने तथा आयोग द्वारा जांच में उलझ जाने पर कुछ वरिष्ठ साथियों से बात करते हुये बड़े विश्वास से कहा था कि वाई०एन० सक्सेना का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह पुलिस कार्य में बहुत निपुण है और उनके द्वारा की गयी व्यवस्था और लिखा-पढ़ी में कोई त्रुटि जांच आयोग निकाल नहीं पायेगा। उनकी उक्त धारणा को सुनकर मुझे बड़ा संतोष और आत्मबल मिला था। श्री शिव स्वरूप डी०आई०जी०, सी०आई०डी० को अलीगढ़ के दंगे के कारणों का पता लगाने हेतु अलग से शासन द्वारा भेजा गया था। बाद में वे आगरा रेंज के डी०आई०जी० नियुक्त हो गये थे। शिव स्वरूप जी ने दंगे के पहले तथा उसके दौरान नियंत्रण की जो कार्यवाही मेरे द्वारा की गयी थी, उसका भली-भांति पता लगाया था। आई०जी० व गृह सचिव उत्तर प्रदेश को अलीगढ़ के दंगे के सम्बन्ध में मेरे व डी०एम० द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में इस बात का जोरदार खण्डन किया था कि अलीगढ़ के दंगे का कारण प्रशासन में संवेदनाशीलता की कमी थी या अधिकारियों का दोष था। इस बात की चर्चा उन्होंने सी०आई०डी० मुख्यालय पर अपने पुराने साथी सर्वश्री पारसनाथ मिश्र, मानस बिहारी मुखर्जी व आर०एन० माथुर आदि पुलिस अधीक्षकों से की थी। श्री शिव स्वरूप जी ने यह भी कह डाला था कि एक भीषण दंगे को वाई०एन० सक्सेना के अतिशीघ्रता से नियंत्रित करने के लिये तो बहादुरी का पदक मिल सकता था। शिव स्वरूप जी के उक्त विचारों से मुझे एक नया जोश आ गया था। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने तथा डी०एम० के सामूहिक विवेक एवं समझदारी का प्रयोग करके आयोग के सामने अपना सही पक्ष दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करूं।

मेरी दृष्टि में श्री शिव स्वरूप जी भारतवर्ष के जाने-माने आई०पी०एस० अधिकारियों में एक थे। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर बाद में उस समय भी मिला था जब मैं भारत सरकार के सी०आर०पी०एफ० में प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) के पद पर दिल्ली में नियुक्त था और वह मेरे डायरेक्टर जनरल थे। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के "ब्लू स्टार ऑपरेशन" से पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्हें पंजाब का पुलिस कमाण्डर बनाया था। पुलिस पैरामिलेट्री फोर्स के कमाण्डर से पांच चरण की समस्त कार्य योजना, जो उन्होंने बनाई थी उसमें मुझे अद्वितीय बुद्धिमता के दर्शन मिले थे। अपनी योग्यता, क्षमता एवं असाधारण प्रतिभा के फलस्वरूप ही शिव स्वरूप जी को पंजाब के गवर्नर श्री अर्जुन सिंह जी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था और बाद में वह स्वयं पंजाब के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुये थे।

सेवा में पुनः बहाल होने का आदेश पाकर सशक्त मनोबल के साथ मैंने सी०आई०डी०

लखनऊ मे एस०पी० का पदभार ग्रहण किया था । चार्ज लेने के दिन ही मैं आई०जी० मुख्यालय लखनऊ गया था । ए०टू०आई०जी० आर०पी० जोशी जी ने मेरा स्वागत किया था और मेरी बहाली पर प्रसन्नता व्यक्त की थी । उन्होंने मुझे नये कार्य का दायित्व सभालने और साथ-साथ जांच आयोग के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे । जब-जब मै आई०जी० श्री एन०एस०सक्सेना जी से मिला वह बड़ी सावधानी के साथ मुझसे बातें करते थे । शायद इसलिए कि उन्हें भी डर था कि मै अपने बचाव में अलीगढ़ से उन्हें लिखे गये उन पत्रों का भी जिक्र न कर दूँ जो कोतवाली के इन्सपेक्टर साण्डिल्य के सी०ओ० सिटी बनकर तैनात करने तथा पुराने सी०ओ० सिटी बुलाका सिंह जी को चुनाव के समय तक दो माह का शासन से एक्सटैन्शन दिलवाने की संस्तुति से सम्बन्धित था और जिस पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था । डी०आई०जी० को भी यही डर था कि मै जांच आयोग के समक्ष कहीं यह न कह दूँ कि चुनाव के लिए मैंने जो आठ कम्पनी पी०ए०सी० फोर्स मांगी थी, जिसके स्थान पर उन्होंने केवल दो प्लाटून ही दी थीं । पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ।

सी०आई०डी० के एस०पी० के चार्ज में सर्वश्री बासुदेव पन्जानी, आर०एन० माथुर, पारसनाथ मिश्रा एवं मानस बिहारी मुखर्जी जैसे विख्यात पुलिस अधीक्षकों ने मुझे सी०आई०डी० के कामों में ढील ही नहीं प्रदान कर दी थी बल्कि मेरे विरुद्ध चल रही आयोग की जांच में भी अच्छी राय दी थीं । इसी समय अचानक मुझे एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ गया जिसके कारण मै व सरला जी एक लम्बे समय तक अपने जीवन के सबसे कष्टप्रद एवं तनावपूर्ण कठिनाइयों से गुजरा । उस समय यदि सरला जी जैसी सुहृदय एवं धैर्यशाली पत्नी मेरे साथ न होती तो सम्भव था कि उस घबराहट की दशा में मै नौकरी से त्याग पत्र दे देता । अचानक सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत हो गयी थी । नये मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी ने आते ही व्यापक प्रशासनिक फेरबदल कर दिये थे । एन०एस० सक्सेना, आई०जी० प्रदेश के पदभार से हटा दिये गये थे, उनके स्थान पर श्री इस्लाम अहमद ने प्रदेश के नये आई०जी० का पदभार संभाला था । सी०आई०डी० के श्री लाल सिंह वर्मा डी०आई०जी० इंचार्ज नियुक्त किये गये थे । श्री इस्लाम आजादी के पूर्व के आई०पी० सेवा के अधिकारी थे । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल के एकलौते पुत्र थे पर उनकी पुलिस कार्यशैली काफी मनमौजी थी । अपने आदेश को पत्थर की लकीर मानते थे । जिससे नाराज हो जाते थे उसकी बात सुनने को कतई तैयार न होना उनकी आदत बन गयी थी । इस्लाम साहब अपने पूर्वाधिकारी श्री एन०एस०सक्सेना की रीति-नीति विरोधी थे । मुझे इस्लाम अहमद साहब के अधीनस्थ रहकर कार्य करने का अभी तक अवसर नहीं मिला था । अतः मै नहीं जानता था कि उनकी मेरे प्रति क्या धारणा थी, अतः उनके पास

जाकर अलीगढ़ के दंगे के सम्बन्ध में बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई।

उसी दौरान जांच आयोग के सचिव का एक नोटिस मुझे प्राप्त हुआ था कि मै आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना मौखिक बयान दर्ज कराऊँ। वहां जाने से पहले मै डायरेक्टर विजिलेन्स श्री राधेश्याम शर्मा जी के निवास पर सरला जी को साथ लेकर मिलने गया। हम दोनों को चिन्तित देखकर श्री शर्मा एवं श्रीमती शर्मा ने मुझे हौसला दिया था कि जांच आयोग के सम्बन्ध में मुझे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ही मुझे राय दी थी कि अलीगढ़ जाने के पूर्व मै आई०जी० इस्लाम अहमद से जरूर मिल लूं और उनका भी आर्शीवाद ले लूं। अतः अगले दिन मैं आई०जी० कार्यालय गया और ए०टू०आई०जी० के०एन० दारूवाला के माध्यम से आई०जी० से मिला था। मैंने आई०जी० के समक्ष अलीगढ़ के दंगे के सम्बन्ध में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने की बात उन्हें बताई और उनके आदेश चाहे। श्री इस्लाम अहमद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आयोग के सामने मैं जो कुछ कहूँ वह सब सच-सच कहूँ। ईश्वर मदद करेगा और वह भी मेरी पूरी मदद करेगें। उनके द्वारा दिये गये आश्वासनों से मेरे अन्दर एक नई जागृति पैदा हुई थी। मै उनको अभिवादन करके कक्ष से बाहर आ गया। दारूवाला जी से मैंने पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ बी०एस०बेदी को फोन पर कहला दिया था कि मुझे अथवा आयोग को जिन अभिलेखों की आवश्यकता पड़े उन्हें उपलब्ध कराने का वह उचित व्यवस्था कर देगें। वहां से मै सीधा अपने निवास स्थान गया जहां सरला जी बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। हम लोग सी-६, दिलकुशा कालोनी, लखनऊ के एक छोटे से सरकारी मकान में रहते थे। सरला जी आई०जी० इस्लाम अहमद साहब के विचारों को जानकर प्रसन्न हुई थी। उन्होंने मेरे कपड़े, बिस्तर आदि को क्रमशः शूटकेस व बिस्तर-बन्द में रखकर मेरे अलीगढ़ जाने की विधिवत तैयारी कर दी थी।

अलीगढ़ के डाक बंगले में ही आयोग का कार्यालय स्थापित हो जाने के कारण मेरे रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह बेदी ने अपने साथ ही बंगले पर की दी थी। एक सरकारी गाड़ी गार्ड के साथ भी मुझे दे दी थी। उमापति जी जिलाधिकारी एस०एन०पंडित के निवास पर ही ठहरे हुये थे। हम दोनों प्रतिदिन आयोग के समक्ष प्रशासन का शपथ-पत्र आदि तैयार करने हेतु मिलते रहते थे और कन्ट्रोल रूम से सूचना प्रसारित करके पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेटों को भी बुलाकर उनसे इस विषय पर मन्त्रणा कर लिया करते थे। अवकाश के क्षणों में संध्या समय हम दोनों अलीगढ़ के दोनों ही सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी मिल लिया करते थे। उनमें से निम्नलिखित लोग प्रमुख थेः

१. श्री नवाब साहब छतारी।

२. टाइगर लॉक फैक्टरी के मालिक सुरेन्द्र कुमार जी ।

३. गगन वनस्पति घी कम्पनी के मालिक श्री के०एन० अग्रवाल ।

सभी लोग हमारी चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था, दंगे के समय की तत्परता से की गयी निष्पक्ष तथा सुदृढ़ कार्यवाहियों की प्रशंसा कर रहे थे । मुझे प्रशासनिक अधिकारियों एवं कुछ मित्रों ने यह बता दिया था कि एक वकील मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने दंगे के दौरान उनकी स्वयं पिटाई करके जेल भेज दिया था । तभी से वह मेरे जानी दुश्मन बन गये थे और कुछ लोगो से कह चुके थे कि वह मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगें । जिलाधिकारी से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी ।

मुझे धमकियों की परवाह नहीं थी परन्तु आभास था कि आयोग की जांच के मध्य वह मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाने का पूरा प्रयास करेगें । अलीगढ़ विश्वविद्यालय के तत्कालीन राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हकी साहब से मेरे अच्छे सम्बन्ध थे । सरला जी उनके अधीन पी०एच०डी० करना चाहती थी । प्रोफेसर हकी का हमारे बंगले पर आना जाना भी था । इसी कारण से जनसंघ के लोग मुझसे अल्पसंख्यकों के प्रति हमदर्दी रखने की बात सोचते थे और नाराज रहते थे । जब मेरा आयोग के समक्ष बयान शुरू हुआ तो भारतवर्ष के प्रसिद्ध मुस्लिम वकीलों को मुझसे क्रास एक्जामिनेशन हेतु बुलाया गया था । अलीगढ़ के बड़े वकील फजलुल रहमान आदि ने बड़ी लम्बी कानूनी जिरह की थी और मुझे सात दिन तक गवाही देनी पड़ी थी । हिन्दुओं द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के विद्वान वकील गर्ग साहब को बुलाकर आयोग के समक्ष मुझसे कड़ी जिरह की थी । इस प्रकार दोनों सम्प्रदाय के वकील मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे । वकील की नाराजगी काफी हद तक सही नहीं थी, क्योंकि साम्प्रदायिक दंगे के बाद उनका शहर में घूमना फिरना दंगे को पुनः भड़का सकता था, अन्यथा मेरा उनसे कोई बैर तो था नहीं । मेरी कार्यवाही केवल प्रशासनिक थी तथा शान्ति व्यवस्था के हित की थी । मैरिस रोड के एक रईस जो मुझे जानते थे तथा उस वकील के घनिष्ठ मित्र थे, से मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि वह मेरी मुलाकात वकील साहब से करा दें तो मै सारी स्थिति स्पष्ट कर दूँगा । इसके बाद भी यदि वह बैर मानना चाहें या मुझे मरवाना चाहें उनकी इच्छा है । प्रशासनिक कार्य में बलिदान हो जाना "सर्विस हैजर्ड" लोक सेवक को झेलना पड़ता है । मैंने अपने मित्र से पूछा था कि क्या मै अपनी सुरक्षा का कुछ प्रवन्ध करके मिलूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था । एक दिन रात को मैरिस रोड स्थित निवास पर मेरी व वकील साहब की मुलाकात हुई । वे क्रोध से भरे हुये थे । जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो वे आवेग में थे । धीरे-धीरे मैंने अपनी ओर की स्थिति स्पष्ट कर दी । मैंने स्पष्ट किया था कि जहां तक उनकी गिरफ्तारी का विषय था, दंगे के मध्य जिन-जिन व्यक्तियों पर

अशान्ति फैलाने की तनिक भी सम्भावना थी उन्हें धारा-१४४ सी०आर०पी०सी० एवं कर्फ्यू का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार करना मेरी ड्यूटी थी और शहर के दंगाग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू के बावजूद उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना सुरक्षा और कानूनी दृष्टिकोण से गलत नहीं बल्कि नितांत आवश्यक था। ऐसे समय में पुलिस को आक्रामक होना पड़ता है। किसी पुरानी रंजिश के कारण उनकी गिरफ्तारी करने या आक्रामक होने की कोई बात मेरे मन में नहीं थी। अलीगढ़ में मेरे सेवाकाल में दंगा हो जाने के कारण मेरा तो कैरियर ही खतरे में पड़ गया था। अतः उस परिस्थिति में मेरे द्वारा ऐसा करना स्वाभाविक था। वे मेरे तर्कों को सुनकर शांत दिखे। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुये कहा था कि अब उनके मन में मेरे विरुद्ध कोई बात नहीं है। इसी बीच चाय आ गयी। हम लोगों ने साथ-साथ चाय पी और घर आकर मैंने आराम की सांस ली। मैंने सरला जी को फोन पर सारी बातें बताकर उन्हें निश्चिन्त रहने को कहा था।

मेरी तथा वकील साहब की असम्भावित मुलाकात ने एक हड़कम्प पैदा कर दिया था जिसकी पूरे अलीगढ़ शहर में रातों-रात चर्चा होने लगी थी। मुस्लिम सम्प्रदाय में तरह-तरह की अफवाहों तथा अटकलों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, परन्तु मेरे व जिलाधिकारी के निष्पक्ष कार्यों की आम चर्चा से उस पर थोड़ा विराम लगने लगा था। मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग बहुत उद्वेलित थे। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। मैंने कभी किसी सम्प्रदाय को ज्यादा समर्थन देने की बात सोची भी नहीं थी। केवल सही तथ्यों को दृढ़ता से जांच आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए शुरू से ही मै कृतसंकल्पित था। अगर मुझे निष्पक्ष नहीं रहना था तो समस्या ही क्या थी। क्यों मै निलम्बन झेलता?

स्वार्थी एवं धार्मिक उन्माद से ग्रसित लोगों द्वारा मेरे विपक्ष में तरह-तरह की अफवाहें बढ़ा-चढ़ाकर इस्लाम साहब आई०जी० पुलिस तथा शासन के शीर्षस्थ स्तर लखनऊ तक पहुंचा दी गयी थीं। प्रदेश के आई०जी० इस्लाम अहमद तो एकदम बौखला गये थे। बिना किसी सत्यापन के गृह सचिव मुस्तफी को भड़का कर और मुझे विश्वासघाती बताकर शासन स्तर पर भी हर प्रकार से मेरा विरोध करने और बाधा डालने के लिए उन्हें सहमत कर लिया था। मैं लखनऊ जाकर अपनी स्थिति गृह सचिव एवं आई०जी० से स्पष्ट करना चाहता था परन्तु यह सोच कर नहीं गया कि श्री इस्लाम अहमद की सीधी अधीनस्थता में मैंने कभी कार्य नहीं किया था और वह मेरे स्वभाव से पूर्णतया अपरिचित थे। मुस्तफी साहब तो मुझसे आगरा की नियुक्ति काल से ही अप्रसन्न थे। अतः मैंने उन लोगों से मिलने का अपना विचार असहाय समझ कर बदल दिया था और सोचा था कि ईश्वर व देवरहा बाबा ही मेरे भाग्य विधाता बने रहेंगे। उनकी दया से ही सब कुछ होना था। अलीगढ़ में अफवाहों के आधार

पर छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़े-बड़े साम्प्रदायिक दंगे भंयकर रूप में हो चुके थे। मुझ पर जानलेवा हमला भी हो सकता था। इसलिए मैने बहुत सतर्क रहना शुरू कर दिया था।

भट्टजी से मुलाकात होने पर ज्ञात हुआ था कि शासन के एक आदेश से हमारी प्रतीरक्षा के लिए नियुक्त अलीगढ़ के वकील श्री धवन को हटाकर लखनऊ के वकील श्री जगत नारायण श्रीवास्तव को उक्त कार्य हेतु नियुक्त किया गया है और श्री धवन उनके अधीन जांच सम्बन्धित कार्य करेगें। श्री धवन शासन के उक्त आदेश से अपमानित हुये थे और उन्होंने अपना योगदान न कर पाने के लिये शासन को एक पत्र भी लिख डाला था। मैने व भट्ट जी ने श्री धवन से अनुरोध किया था कि वह हम लोगों के लिये कृपा करके जो भी स्थिति हो बने रहें तथा त्याग पत्र न दें। धवन जी ने ही हम लोगों का शंपथ पत्र बनाया था। हम लोगों का उन पर अटल विश्वास था।

जगत नारायण जी को शासन ने बिना हम लोगों को अवगत कराये स्वयं नियुक्त किया था, अतः हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक उनकी नियक्ति कैसे हो गयी है। हमें इतना जरूर मालूम था कि गृह सचिव श्री इस्लाम व जगत नारायण जी के साथ शाम गुजारने में साथ रहने वाले थे। धवन जी बड़े प्रतिष्ठित एवं बुजुर्ग वकील थे। उनकी अद्‌भुत अधिवचन (वकालत) सम्बन्धी प्रतिभा विख्यात थी, क्योंकि वह अपने पेशे में पूर्ण समर्पित थे। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और आयोग के समक्ष प्रशासन की प्रतिरक्षा हेतु जगत नारायण जी के अधीन भी कार्य करना स्वीकार कर लिया था। निश्चित तिथि को जब आयोग के समक्ष प्रशासनिक पक्ष की साक्ष्य प्रारम्भ हुई तो आयोग ने तय किया था कि पहले जिलाधिकारी उषापति भट्ट का साक्ष्य व जिरह होगी तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक अर्थात मेरी और इसी प्रकार वरिष्ठता क्रम में पुलिस तथा मजिस्ट्रेसी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की साक्ष्य ली जायेगी, जिसकी सूची श्री धवन ने आयोग को उपलब्ध करा दी थी। वकील श्री जगत नारायण श्रीवास्तव उसी दिन प्रातः ट्रेन से अलीगढ़ आ गये थे। उनके आगमन आदि की सूचना आई०जी० कार्यालय लखनऊ ने पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ वेदी को देकर उनके स्वागतार्थ गाड़ी, ठहरने और खाने-पीने आदि की अच्छी व्यवस्था करने को कह दिया था। पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ने मुझे अथवा उषापति भट्ट जी को उक्त विषयक सूचना नहीं दी थी। आयोग के समक्ष आने से पूर्व जगत नारायण जी भी हम दोनों से नहीं मिले थे। जैसे ही आयोग के अध्यक्ष विद्वान न्यायाधीश डी०एस०माथुर ने अपना आसन ग्रहण किया, जगत नारायण जी ने अपनी नियुक्ति के शासन के आदेश की एक प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत करके प्रशासन की ओर से पहले तर्क प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगी। आयोग ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। उन्हें पुलिस तथा प्रशासन के लोगों के पक्ष में तर्क

प्रस्तुत करना था। आयोग के अध्यक्ष ने उनसे पूछा था कि पुलिस तथा प्रशासन की ओर से शपथ पत्र तो वकील धवन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब जगत नारायण जी ने उत्तर दिया था कि श्री धवन भी वहां उपस्थित रहेगें और वह उन्हें इस जांच के सम्बन्ध में हर प्रकार की सहायता देगें। उसके बाद श्री जगत नारायण जी ने आयोग को सम्बोधित करते हुये कहा था "योर ऑनर, उत्तर प्रदेश शासन ने गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त यह पाया है कि इस दंगे के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी उपापति भट्ट एवं पुलिस अधीक्षक वाई०एन० सक्सेना जिनके शपथ पत्र को वकील धवन की सहायता से प्रस्तुत किया है उसके सम्पूर्ण विवरण का अनुमोदन शासन द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक पक्ष का शपथ पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद शासन को भेजा गया था। आयोग को अपने नाटकीय वक्तव्य एवं न्यायालय को अपनी भंगिमाओं से एक कुशल शिल्पी की भांति प्रभावित करते हुये वे हमारे शपथ पत्रों में दिये गये कई बिन्दुओं के विरुद्ध जोरदार शब्दों में बोलने लगे थे और दंगे के मध्य पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये अभूतपूर्व कार्यों पर सवालिया निशान लगाने लगे थे। वहां पर उपस्थित भारी भीड़ तथा भारत के कोने-कोने से हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा बुलाये गये प्रसिद्ध अधिवक्तागण जगत नारायण के विचारों से सन्नाटे में आ गये थे। आयोग भी उनके तर्कों को सुनकर सुन्न रह गया था। मेरी तथा उपापति भट्ट जी की दशा ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं।

जगत नारायण जी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को गहराई से समझते हुये मैने उपापति जी से मंत्रणा करके आयोग के सामने खड़े होकर निवेदन किया था कि "योर ऑनर", लखनऊ से पधारे विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका ध्येय पुलिस तथा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को समर्थन करने का नहीं है वल्कि विरोध करने का है। अतः मेरा आग्रह है कि माननीय न्यायाधीश उनके प्रस्तुतीकरण को उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष तो माना जाय पर मेरा व जिलाधिकारी तथा स्थानीय प्रशासन का न माना जाय। साथ ही साथ मुझे तथा जिलाधिकारी को अपना-अपना तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पक्ष स्वयं प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय। जिलाधिकारी भट्ट ने मेरे उक्त निवेदन से पूर्ण सहानुभूति प्रकट की। आयोग ने उक्त निवेदन के लिए हमसे लिखित प्रार्थना पत्र मांगा जिसे मैने तथा जिलाधिकारी ने तुरन्त लिखकर प्रस्तुत कर दिया था। तत्पश्चात आयोग ने हमारा निवेदन स्वीकार करके हमारे पक्ष में आदेश पारित कर दिया था। जगत नारायण जी ने उक्त आदेश को अस्वीकार करने के लिए आयोग के समक्ष एक लम्वा तर्क भी प्रस्तुत किया परन्तु आयोग ने उसे न मानकार निरस्त कर दिया था। अव मै व जिलाधिकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हो गये थे। जगत नारायण जी के वयान में दंगे के समय हमारी

व्यवस्था की कमियों के विरुद्ध जो भी प्रश्न उठाये थे, हम लोग उसका पूर्ण उत्तर खड़े होकर अभिलेखों सहित आयोग के अध्यक्ष को देते रहे ।

जिलाधिकारी ने अपने बयान में प्रशासन की ओर से प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र का पूर्ण समर्थन किया था । उनका बयान लगातार ५ दिनों तक होता रहा था क्योंकि अन्य पक्षों के बड़े-बड़े अधिवक्तागण जो क्रमशः सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एवं अहमदाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुलाये गये थे, वे बराबर तरह-तरह की जिरह करते थे । उसी मध्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन से आयोग के समक्ष मेरे व जिलाधिकारी के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए वकील श्री धवन को पुनः अनुमति प्रदान करने का आदेश मांगा था । साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि यदि ऐसा सम्भव न हो तो शासन मुझे तथा जिलाधिकारी के अलग से बचाव हेतु निजी व्यय पर किसी अन्य प्रतिष्ठित वकील की सेवा लेने के लिए अधिकृत कर दे । इस पर उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश पारित किया कि एस०पी० तथा डी०एम० किसी अन्य वकील की सेवाएं अपने व्यय पर इस शर्त के साथ लें कि यदि आयोग से उन्हें सम्मानित विमुक्त नहीं मिलती है तो शासन नये वकील पर व्यय की गयी धनराशि को स्वीकृत नहीं करेगा । मैने तथा जिलाधिकारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं से जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जिरह करने के लिये सम्पर्क किया था । अधिकतर अधिवक्ताओ ने उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध जाने और बोलने से मना कर दिया था पर एक द्वितीय श्रेणी के अधिवक्ता जरूर तैयार थे । उन्होंने हर पेशी पर ११०० रुपये तथा कार से इलाहाबाद से अलीगढ़ तक आने-जाने का व्यय मांगा था । चूँकि पूरा पुलिस फोर्स तथा मजिस्ट्रेसी के सभी लोग मेरे व उमापति जी के मन से पक्षधर थे और सभी ने चन्दा इकट्ठा करके एक अच्छे अधिवक्ता की सहायता लेने पर बल दिया था । मेरी राय यह भी थी कि पहले मै तथा जिलाधिकारी स्वयं पुलिस एवं प्रशासन का बचाव पक्ष प्रस्तुत करेगें और आवश्यकता पड़ने पर केवल अन्तिम भाग में किसी बड़े अधिवक्ता की मदद ले ली जायेगी । मेरी राय से सभी सहमत हो गये थे । जिलाधिकारी भट्ट जी का बयान समाप्त हो जाने के पश्चात आयोग ने मुझे बयान देने हेतु बुलाया था । मेरा बयान सात दिनों तक होता रहा था । बात-बात पर हिन्दू व मुस्लिम पक्ष के वकील मुझसे तरह-तरह की जिरह (प्रश्न) करते थे । जगत नारायण जी भी तरह-तरह से हम लोगों की टांग घसीटते थे और मेरे बहुत से उत्तरों पर अभिलेखीय साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने को कहते थे । बहुत से प्रश्न साम्प्रदायिकता पर आधारित थे, जिन पर मुझे सतर्कता व होशियारी से उत्तर देना पड़ता था । मेरा बयान प्रायः प्रशासन द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र पर ही आधारित था जिसका अभिप्राय प्रशासन की पूर्व सूचना, उसकी समीक्षा तथा चुनाव शान्तिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न

कराने की समुचित व्यवस्था करने, साथ ही साथ दंगे के नियंत्रित करने में मुझे तथा जिलाधिकारी को क्या-क्या कानूनी कार्यवाहियां करनी पड़ी थी, से संबंधित था। अधिवक्ताओं के प्रश्नों की झड़ियां मुझे बार-बार साम्प्रदायिक तत्वों की कार्यवाहियों पर धकेलने की कोशिश करती थी। उदाहरण के लिए हिन्दुओं के पक्ष के एक बड़े वकील ने मुझसे प्रश्न किया था कि "कप्तान साहब आप यह तो मानेगें कि यह दंगा मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों ने ही भड़काया था"। उक्त प्रश्न के उत्तर में मैने कहा कि "मैने तथा जिलाधिकारी ने तो ऐसी कोई बात अपने शपथ पत्र में नहीं कही है"। उनका दूसरा प्रश्न बड़ा पेचिदा था।" आप तो अलीगढ़ के बहुत दिनों से एस०पी० है। आपके समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पिछले वर्ष कन्वोकेशन हुआ था और अलीगढ़ विश्वविद्यालय हिन्दू-मुस्लिम दंगे की फसाद की जड़ है"। मेरा उत्तर था कि "कन्वोकेशन तो अवश्य हुआ था। मै तो नहीं कह सकता कि यह विश्वविद्यालय साम्प्रदायिकता की जड़ हैं"। उनका अगला प्रश्न था कि "जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का "कनवोकेशान एड्रेस" प्रारम्भ हुआ था तब उसकी शुरुआत जनगणमन "राष्ट्रगीत" से हुई थी या एक उर्दू के तराने से की गयी थी?" मेरा सीधा उत्तर था कि "इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मै उस कनवोकेशन में कुछ देर से पहुंचा था"। उनका चौथा प्रश्न यह था कि "जब कन्वोकेशन समाप्त हुआ तब राष्ट्रीय गीत गाया गया था या उसे उर्दू के तराने से समाप्त किया गया था"? इस पर मेरा सहज उत्तर था कि मै तो कान्वोकेशन समाप्त होने के पहले ही वहां से चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या गाया गया था"। मेरे उक्त उत्तर पर वहां उपस्थित भीड़ के प्रायः सभी लोग खिल-खिलाकर पुलिस की तुरत बुद्धि पर हंस पड़े थे।

अलीगढ़ शहर में अब्दुल करीम चौराहा साम्प्रदायिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील था। वहां पर हिन्दू तथा मुसलमानों की आबादी मिली-जुली है। वहां पर दुकानों की भी यही स्थिति है। मैने वहां पर एन्टी रॉयट स्कीम के अनुसार पहले से ही एक आम्र्ड गार्ड नियुक्त कर दिया था। उस गार्ड की उपस्थिति में उक्त चौराहे पर आगजनी, छुरेबाजी तथा आस-पास के मन्दिर-मस्जिदों से गोलियां चलने की घटनायें हुई थी परन्तु उस गार्ड ने दंगा नियंत्रण के निए कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की थी? मुझसे यह भी प्रश्न किया गया था कि अकर्मण्यता करने के लिए मैंने उस आम्र्ड गार्ड का निलम्बन क्यों नहीं किया? मैंने अपने उत्तर में उस गार्ड का बचाव देते हुये कहा था कि उस गार्ड की ड्यूटी केवल चौराहे पर ही नहीं बल्कि गस्त करने वाली थी। अतः चौराहे के नीचे की तरफ जब यह गार्ड गस्त कर रहा था तब दंगाईयों ने ऊपरी तरफ से आगजनी व छुरेबाजी की घटनायें कर दी थीं और उक्त गार्ड जब ऊपर चौराहे की तरफ आया तब नीचे की तरफ के दंगाइयों ने घटनायें कर दी थी। यदि मैं

चाहता तो इस गार्ड पर दंगे की सारी जिम्मेदारी डालकर अपने को किसी भी जिम्मेदारी से बचा लेता पर मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा । अतः अब्दुल करीम चौराहे पर दंगा नियंत्रण हेतु जो गोली मैने व जिलाधिकारी ने तत्परता से चलवायी थी उस पर ज्यादा बल दिया । मेरे बयान के बाद ए०डी०एम० सिटी माथुर व सम्बन्धित अन्य न्यायाधीशों तथा पुलिस अधिकारियों के बयान आयोग के समक्ष हुये थे ।

हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी के अखबारों ने मेरे व जिलाधिकारी के बयान को हर रोज ही पूरी-पूरी सुर्खियों में अपनी-अपनी तरह से छापा था । सबसे संतुलित रिपोंटिंग अंग्रेजी अखबारों की थी । परन्तु अचानक अलीगढ़ में एक हवा चल पड़ी थी कि मेरे बयानों से मुस्लिम पक्ष को नुकसान हुआ है । दरअसल उसमें कोई वास्तविकता या सच्चाई नहीं थी। कुछ मुसलमान उसको लेकर मेरी शिकायत करने लखनऊ के आई०जी० के यहां चले गये थे तथा वे गृह सचिव से भी मिले । जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। शासन तो पहले से ही मेरे विरुद्ध चल रहा है । अब स्थिति और भी बिगड़ जानी थी, अतः मैं तुरन्त सही स्थिति की जानकारी देने लखनऊ चला आया था ।

लखनऊ पहुंचकर सर्वप्रथम मै अपने सी०आई०डी० कार्यालय गया और अपने लम्बित कार्यो को पूरा किया । लगभग ४.३० बजे शाम को मै आई०जी० इस्लाम अहमद से मिलने उनके कार्यालय गया । मेरे आगमन की सूचना ए०टू०आई०जी० दारूवाला ने तुरन्त इण्टरकॉम से आई०जी० को दे दी थी । १० मिनट तक मेरे लिए आई०जी० का कोई संदेश नहीं आया । दारूवाला ने धीरे से मुझे बताया कि "बॉस तुमसे बहुत नाराज है तुमने आयोग में एक सम्प्रदाय के विरुद्ध बयान दिया है" । मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी अलीगढ़ में यही सुना है, तभी मै शीघ्रातिशीघ्र स्थिति की सही जानकारी आई०जी० को देने आया हूँ। पर फिर भी दारूवाला मुझे बहुत परेशान दिखायी पड़े थे । कुछ देर बाद आई०जी० ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया था । उनके सामने पहुंचकर मैंने औपचारिक अभिवादन किया । आई०जी० का चेहरा गुस्से से लाल था । उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं कहा । मै मौन खड़ा रहा और उनके आदेश की प्रतीक्षा करता रहा । आई०जी० इस्लाम साहब ने मुझे बैठने को न कहकर क्रोधित स्वर में डांटना शुरू कर दिया था । कहने लगे थे कि आप अपने को समझते क्या है? आपने अलीगढ़ में आयोग के सामने अपना बयान बदला है । आपने वहां गलत बातें बोली है । अलीगढ़ जांच आयोग के समक्ष जाने के पहले मुझसे मिलकर क्यों नहीं गये थे? मै उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देता क्योंकि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, फिर वह उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते मेरे जैसे सैकड़ों अधिकारियों के भाग्यविधाता भी थे ।

जैसा कि में ऊपर कह चुका हूं, अलीगढ़ जाने से पूर्व मै उनसे मिला था और उनका आर्शीवाद भी लेकर आया था । अतः मै हैरान था कि वार-वार वह अलीगढ़ जाने के पूर्व न मिलकर जाने की वात क्यों कह रहे हैं ? क्या वह उसे बिल्कुल भूल गये हैं? वह तो अपनी तीव्र गति, सतर्कता एवं अविस्मणीय स्मरण शक्ति के लिये एक विख्यात पुलिस अधिकारी माने जाते है । क्या वह एक्तरफा शिकायतों से इतने नाराज है कि जानवूझ कर मेरे न मिल कर जाने की वात उछाल रहे है । अतः वहुत साहस बटोरकर मैंने उनसे कहा कि अलीगढ़ जाने से पहले मैं उनसे मिलकर ही गया था । वह क्रोध में थे । अतः उन्होंने कहा कि आप झूठ वोलते हैं, आप बिल्कुल मिलने नहीं आये । मैने पुनः निवेदन किया कि मै उनसे मिलकर ही अलीगढ़ गया था और उनके द्वारा दिये गये आशीर्वाद के वचन कि "ईश्वर आपकी मदद करेगा और मै भी आपकी पूरी मदद करूँगा, यदि आयोग के सामने केवल सत्य वोलोगे" का स्मरण भी कराना चाहा । फिर आई०जी० ने तेज आवाज में कहा कि "मिस्टर सक्सेना यू विल सी दैट यू विल बी इन सूप, वैरी सून" । इस्लाम साहव की वातों से मुझे वड़ा आघात लगा । मैं सोचने लगा कि नौकरी करने का अर्थ यह नहीं कि अधीनस्थ अधिकारी परतंत्रता की वेड़ी में जकड़ा हुआ सब वर्दाश्त करे । मेरी आत्मा उनके दुर्व्यवहार के सम्मुख आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी । मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि आगे जो कुछ मेरे व मेरे परिवार के भाग्य में होगा, देखा जायेगा परन्तु मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा । मुझे उसी समय सरला जी के शव्दों की स्मृति हो आयी थी कि "आप पूर्ण साहस के साथ तथा दृढ़तापूर्वक अपना सही कार्य करें और किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है" । नियमानुसार आई०जी० साहव को एक वार फिर अभिवादन करके विना कुछ वोले मैं उनके कमरे से वाहर निकल आया । दारूवाला जी के पास एक मिनट रुककर उनसे केवल इतना कहकर कि "यार तुम्हारा वॉस अपने को ना जाने क्या समझता है । पर खुदा तो नहीं है । मुझसे कह रहा था कि वहुत जल्द मेरा हैड सूप में होगा । अरे किसी को क्या पता कि किसका हैड सूप में होगा"? दारूवाला जी ने मुझे शान्त रहने का कहा । यह वात मैने दारूवाला के सिवाय किसी अन्य अधिकारी से नहीं कही थी । केवल सरला जी तथा अपने परम हितैपी डायरेक्टर विजिलेन्स राधेश्याम शर्मा जी को वताई थी । परन्तु धीरे-धीरे यह वात सभी को मालूम पड़ गयी थी । जो लोग आई०जी० के स्वभाव से परिचित थे उनका यही सोचना था कि वह मेरा भविष्य नष्ट कर देगें क्योंकि गृह सचिव भी पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में थे । न जाने क्यों मुझे इस्लाम साहव की धमकी से ज्यादा डर नहीं लगा । शायद सरला जी के आश्वासनों के कारण अथवा देवरहा वावा की कृपा के कारण यह विश्वास था कि चिल्ला लेने के वाद आई०जी० साहव का गुस्सा शान्त हो

जायेगा ।

अलीगढ़ में जांच आयोग के समक्ष प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के बयान जारी थे । हिन्दू एवं मुस्लिम पक्ष के वकील उनसे तरह-तरह की जिरह कर रहे थे । वकील जगत बहादुर मेरे व डी०एम० द्वारा प्रेषित शपथ पत्र पर छिद्रान्वेसी करने में लगे हुये थे ।

मैने व उपापति जी ने यह तय किया था कि हम अलीगढ़ तभी जायेगें जब प्रशासन के विपरीत पक्षों के बयान आयोग के समक्ष लिये जाने शुरू होगें, तब हम दोनों वहां उपस्थित होकर जिरह भी करेगें, क्योंकि एडवोकेट धवन को शासन ने बोलने को मना कर दिया था। इस्लाम साहब ने एक दिन डी०आई०जी० सी०आई०डी० लाल सिंह वर्मा को बुलाकर मेरी गतिविधियों के बारे में जानकारी की कि मै अलीगढ़ दंगे के जांच के सम्वन्ध में क्या कर रहा हूं । लाल सिंह जी उत्तर प्रदेश कैडर के १९४८ बैच के सबसे वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारी थे । उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लोगों के बयान हो जाने के बाद जब अन्य पक्षों के बयान शुरू होगें तब वह अलीगढ़ के कुछ प्रमुख गवाहों से जिरह करने जायेगें । आई०जी० आपे से बाहर होकर उनसे बिगड़ते हुये कहने लगे थे कि आप कुछ नहीं समझते लाल सिंह । मै आपको आदेश देता हूॅ कि अब आप वाई०एन० सक्सेना को अलीगढ़ बिल्कुल नहीं जाने देंगे'' । वर्मा जी ने मुझे लिखकर भेजा कि अब मैं अलीगढ़ नहीं जाऊॅगा। मै उनकी असमर्थता समझता था । अतः मै लाल सिंह जी से मिला और कहा कि यदि यह लिखित आदेश आपका न होकर आई०जी० का होता तो मै उसके विरुद्ध हाईकोर्ट जाये बगैर नहीं मानता ।

मै रात भर सोचता रहा कि मुझे अलीगढ़ पहुंचना आवश्यक होगा अन्यथा मेरा पक्ष आयोग के समक्ष ठीक से नहीं प्रस्तुत हो सकेगा । ऐसे ही अवसरों पर आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० के अधिकारियों की कार्य पद्धति एवं सिद्धान्तों में अन्तर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है क्योंकि जिलाधिकारी पर गृह सचिव अथवा मुख्य सचिव ने इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था । उषापति भट्ट उस समय वाराणसी में नगर महापालिका के अध्यक्ष नियुक्त थे । अतः वे यथासमय अलीगढ़ पहुंच गये थे । मैने आयोग के सचिव के समक्ष उक्त परिस्थितियों को बताते हुये एक पिटीशन द्वारा निवेदन किया था कि आयोग के अध्यक्ष यदि मुझे आदेश दें तो समय-समय पर आयोग के समक्ष मै उपस्थित हो सकूंगा अन्यथा पुलिस विभाग द्वारा मुझे अलीगढ़ जाने की मनाही के आदेश मिले हैं । मेरे इस निवेदन को विधिसम्मत पाकर आयोग ने मुझे अलीगढ़ पहुंचकर आयोग की कार्यवाही के समय वहां उपस्थित रहने के लिये आदेश पारित कर दिया तथा उसकी प्रतिलिपि शासन को सूचनार्थ भेज दी थी । इस प्रकार मै बिना किसी रोक-टोक के अलीगढ़ आता- जाता रहा ।

अलीगढ़ में मै अपनी समस्याओं के लिये उषापति, वहां के जिलाधिकारी पंडिता जी तथा अपने समय के पुलिस अधिकारियों से मिलकर राय लेता था। पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह वेदी की मै सहायता कम लेता था। क्योंकि पुलिस अधीक्षक बेदी प्रत्येक शाम को मेरी गतिविधियों के विषय में टेलीफोन से आई०जी० को सूचना देते रहते थे और आई०जी० से प्राप्त निर्देशों को अक्षरशः पालन करते थे। इस्लाम साहब के मशविरे से एक दिन अचानक पुलिस अधीक्षक बेदी अपने पुलिस ऑफिस के रिकार्ड रूम का निरीक्षण करने पहुंच गये थे। स्टेशनरी इन्चार्ज डी०एस०पी० श्री फतेह सिंह को वहां बुलाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट में बेदी ने अंकित किया था कि रिकार्ड रूम में रखी गयी दो जनरल डायरियों का मिलान सही नहीं पाया गया है। अधीनस्थ अधिकारियों को डांट कर पूछना शुरू किया कि दो जनरल डायरियां क्या वाई०एन० सक्सेना ने रिकार्ड रूम से मंगाई थी? किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। तत्पश्चात उन्होंने सारी बातें फोन करके आई०जी० को बता दी। शोर मचा दिया गया कि दंगा से सम्बन्धित थाना कोतवाली एवं थाना बन्नादेवी की जनरल डायरियां वदल दी गयी हैं। अलीगढ़ कोतवाली तथा थाना वन्नादेवी के अभिलेखों में हेरा-फेरी तथा जालसाजी आदि किये जाने के लिए एक अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी। अपराध की घटना के लिए मुझे उत्तरदायी बना देने की योजना थी। वेदी ने इस सम्वन्ध में रैंज के डी०आई०जी० शिव स्वरूप जी से उस सम्बन्ध में उनका मत चाहा। अतः उसी रात बेदी आगरा दौड़ गये थे। सुनने में आया था कि श्री शिव स्वरूप जी उनकी राय से सहमत नहीं हुये थे। आई०जी० ने तुरन्त उस प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना सी०आई०डी० को सौंप दी थी। सी०आई०डी० के डी०एस०पी० हर गोविन्द शुक्ला को उक्त केस का विवेचनाधिकारी बनाया गया था और उनकी सहायता के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया था।

मेरे अलीगढ़ में उपस्थित रहने के मध्य ही डी०एस०पी० हरगोविन्द शुक्ला ने अपनी टीम के साथ अलीगढ़ पहुंचकर जनरल डायरियों के सम्वन्ध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का बयान लेना शुरू कर दिया। गवाहों को धमकियां भी दी गयी कि इस अपराध में वे मेरा योगदान सिद्ध करें अन्यथा सभी अभियुक्त बनेगें। शुक्ला ने कार्यालयों व थानों पर उन जनरल डायरियों के सम्वन्ध में छापे मारने शुरू करके एक प्रकार का आतंक फैला दिया था। मैने उस विषय में बेदी से कोई वात करना उचित नहीं समझा था, यद्यपि मुझे झूठी कार्यवाही और षड़यंत्र पर बहुत परेशान होना स्वाभाविक था। उन दिनों मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। एक दिन स्वप्न में मुझे डी०एस०पी० सी०आई०डी० तथा इस्लाम साहब, आई०जी० भंयकर रूप में हंसते दिखाई पड़े थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों व मानसिक

उद्वेलन के बीच मेरे लिए सबसे तसल्ली की बात यह थी कि वहां के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण सहयोगी जिलाधिकारी एवं मजिस्ट्रेसी पूर्ण रूप से मेरा सहयोग कर रहे थे। यद्यपि मुझे डर था कि जब उत्तर प्रदेश के पुलिस आई०जी० मेरे विरुद्ध हैं तब स्थानीय अधिकारी व कर्मचारीगण मेरा साथ कैसे देगें। पर वे लोग जब मुझे मिलने आते थे, तब मेरे प्रति हो रहे अन्याय के कारण आक्रोश से भरे होते थे तथा मुझे हर प्रकार के सान्त्वना एव समर्थन देते थे। मुझे उसमें देवरहा बाबा का ही कोई चमत्कार दिख रहा था, क्योंकि प्राय. ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग साथ छोड़कर अपने को बचाने की चेष्टा में लग जाते है। अब मुझे लगा कि मै एक बार लखनऊ जाकर वहां के वातावरण को देखूं कि वहां मेरी क्या स्थिति है। साथ ही साथ सरला जी तथा बच्चों से मिलकर अपना तनाव कम करुं। अतः मै भट्ट जी व अन्य साथियों को बताकर लखनऊ चला गाया।

लखनऊ पहुंचकर सबसे पहले मैंने सरला जी को सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। उन्हें मालूम था कि वातावरण बराबर मेरे खिलाफ बनाया जा रहा था और मुझे इस्लाम साहब की अप्रसन्नता का निदान निकालना था। मै मानसिक रूप से शान्त था। विशेषतः इसलिये कि जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं था और मुझे झूठा फंसाया जा रहा था तो मै उसमें कर ही क्या सकता था। आसमानी आपदा की तरह इस स्थिति से निपटना था। इन सब आपदाओं का सामना करने के लिए सरला जी ने भी अपना धैर्य नहीं खोया था। उन्होंने उस कठिन समय की परीक्षा में भी अपने को तो शान्त रखा ही था और मुझे भी धैर्य बंधाया था। उनका मत था कि जो भी होगा देखा जायेगा। यदि ईश्वर ही विरोधी हो जायेगा, तो होनी को अनहोनी नही बनाया जा सकेगा। भविष्य की चिन्ता छोड़कर वर्तमान मे जो उचित हो वही करना चाहिए। मुझे उनके दृढ़ आत्मविश्वास से बहुत सान्त्वना मिली थी। बहुत दिनों बाद ठीक से अखबार पढ़ने को मिला था। नहा-धोकर पूजा-अर्चना करने और सुबह का नाश्ता सरला जी व बच्चों के साथ करने का अवसर भी बहुत समय के बाद मिला था। बहुत अच्छा लगा था उस दिन।

तत्पश्चात सी०आई०डी० ऑफिस में जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिला। बातचीत हुई। कुछ आवश्यक पत्रावलियों का मैंने निस्तारण भी किया था। अपने साथियों एवं वरिष्ठों से वार्ता करने में मैंने आभास किया था किसी ने भी स्वयं अपनी ओर से अलीगढ़ की जांच के सम्बन्ध में मुझसे कुछ नहीं पूछा था और जो कुछ मैंने उन्हें बताया उसे भी उन्होंने केवल सुन भर लिया था। मैं समझ गया था कि वे लोग इस्लाम साहब की जग-जाहिर नाराजगी के कारण उस मामले से अपने को दूर रखना चाहते थे। मैंने बहुत सोचने के बाद शाम को निश्चय किया कि मेरा आई०जी० के पास जाना बिल्कुल सार्थक नहीं होगा। अतः

आप कार्यवाही करेगें ही, मै तो केवल सी०आई०डी० से विजिलेन्स में स्थानान्तरण की बात कह रहा हूं। फिर जब सी०आई०डी० द्वारा उसके खिलाफ जांच की जा रही हो तो, तब तो उसका सी०आई०डी० मे नियुक्त रहना नियमानुसार भी उचित नहीं है"। उस विषय को दूसरी तरह से टालने के लिये आई०जी० ने कहा कि राधेश्याम उससे तो गृह सचिव अशोक मुस्तफी भी बहुत नाराज है और वे इस प्रस्ताव पर कभी सहमत नहीं होगें"। फिर भी जब शर्मा जी ने अपना आग्रह वापस नहीं लिया तब आई०जी० ने मजबूर होकर फोन पर गृह सचिव से मेरे स्थानान्तरण के विषय मे राधेश्याम जी की संस्तुति पर घोर विरोध प्रकट करने के पश्चात भी मना लिया था। श्री शर्मा जी की बात को गृह सचिव भी नहीं टाल पाये क्योंकि शर्मा जी उस समय के सबसे दंबग एवं सशक्त शासकीय अधिकारी माने जाते थे। वे मुख्यमंत्री कमलापति जी के सबसे प्रिय एवं विश्वासपात्र अधिकारी थे। बाद में उसी रात्रि, शर्मा जी मेरे निवास पर आये और मुझे आदेश की एक प्रति देकर अगले दिन ही सी०आई०डी० का चार्ज देकर विजिलेन्स विभाग में चार्ज लेने को कहा। उन्होंने डी०आई०जी० सी०आई०डी० को भी मेरे स्थानान्तरण के लिए फोन कर दिया था। मैं तथा सरला जी शर्मा जी के प्रति उनकी कृपा के लिए बहुत आभारी थे। अगले दिन पूर्वान्ह में मैंने सी०आई०डी० का चार्ज छोड़ा तथा अपरान्ह में सतर्कता विभाग में एस०पी० का चार्ज ग्रहण कर लिया। घर पर सरला जी बड़ी व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे मुस्कुराता देख वे समझ गयी थी कि सारा कार्य बिना विघ्न के हो गया है। मैने उन्हें दिन भर की सारी गाथा सुनाकर चिन्ता-मुक्त कर दिया। हम दोनों का मानसिक तनाव भी कम हो गया था। सध्या के समय हम दोनों ने हजरतगंज जाकर हनुमान जी के दर्शन किये और वहां से शर्मा जी के निवास पर गये। श्रीमती शर्मा जी अत्यन्त सीधी और सुमधुर स्वरों से बात करने वाली महिला थी। उन्होंने हंसते हुये सरला की पीठ को थप थपाया तथा आशीर्वाद दिया था और फिर हम दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाकर वह अन्दर चली गयी थी। राधेश्याम जी ने हम दोनों को अपने बैडरूम में ही बुलवा लिया था। हम दोनों ने शर्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। शर्मा जी ने हम लोगों का धैर्य बंधाते हुये कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने किया था वह केवल व्यक्तिगत स्नेह के कारण तथा व्यवसायिक योग्यता के आधार पर किया था और हम लोगों को रात्रि का भोजन भी अपने साथ कराया था। तत्पश्चात हम दोनों शर्मा जी एवं श्रीमती शर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने निवास स्थान पर लौटे थे।

अगले दिन मै विजिलेन्स विभाग के कार्यालय में गया जहां मुझे एस०पी० बरेली एवं हिल रैंज का चार्ज दिया गया था। मैने अपना नियमित ढंग से कार्य करना शुरू किया जो प्रायः सी०आई०डी० की ही तरह था। जहां सी०आई०डी० में गम्भीर अपराध सम्बन्धी

जांचें होती है वहां विजिलेन्स में भ्ष्टाचार, अनियमितताओं व कदाचार से सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांचें होती है। रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकड़ने के लिए छापा दोनों विभागों में मारना पड़ता है।

मुझे अलीगढ़ गये हुये बहुत दिन हो गये थे। एक दिन डायरेक्टर विजिलेन्स ने मुझसे पूछा कि अलीगढ़ के मामले में क्या हो रहा है। मैंने साधारण भाव से उत्तर दे दिया कि बहुत दिन से मुझे उस विषय की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने मुझसे गम्भीर होकर कहा कि इतने विकट मामले को इतने साधारण ढंग से क्यों ले रहे हो। तुरन्त अलीगढ़ चले जाओ और जितना आवश्यक समय लगे वहीं रहो और उसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर पूर्ण कराओ। उनकी उदारता के लिए मै उनका अपार आभारी था। मै १५ दिनों के लिए अलीगढ़ प्रस्थान कर गया था। अलीगढ़ में मेरी मुलाकात उपापति जी व अन्य कई अधिकारियों से हुई जिनसे मुझे ज्ञात हुआ कि आयोग के समक्ष वहां के प्रसिद्ध वकील श्री फजलुल रहमान ने साक्षियों को प्रस्तुत किया था और उनसे मेरे विरुद्ध बयान दिलवाने का प्रयास किया गया था कि एस०पी० ने दंगे के समय मुसलमानों के विरुद्ध ही कार्यवाही की थी तथा थाने के अभिलेखों को बदनियति से बदलवा दिया था। परन्तु उपापति द्वारा जिरह करने पर उनमे से अधिकतर बयान सन्हेदास्पद हो गये थे। मैंने उसी शाम वकील फजुलल रहमान से मिला था। उनसे एक घंटे तक वार्ता की थी जो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रही थी। मैंने उनसे कहा था कि वह अलीगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पिछले ८ महीने तक वे मुझसे मीटिंग एवं मंचों पर मुलाकात करते रहे है तथा हमेशा ही मेरे प्रशंसक थे। मैंने उनसे कहा था कि मै अपेक्षा करूंगा कि आयोग के समक्ष वह साथियों से मेरे विरुद्ध वही प्रश्न पूछें जिसके लिए वह स्वयं सही समझें। नियंत्रण पाने के लिए मैंने जिलाधिकारी के साथ रहकर अपने जीवन की परवाह न करके निष्पक्ष, दृढ एवं पारदर्शी प्रशासनिक कार्यवाहियां की थी। बिना किसी जाति एवं धर्म का कोई भेदभाव के कारण ही इतना बड़ा दंगा कुछ ही घंटों में नियत्रण में आ गया था। वार्ता के मध्य रहमान साहब ने मेरी किसी बात का विरोध नहीं किया। हर पेशेवर वकील के कुछ प्रश्नों को साक्षियों के मुकदमे के हित में पूछना पड़ता है जिसके लिए वकील को नियुक्त किया जाता है। फजुलल रहमान मुझे कोई आश्वासन नहीं दे सके थे। दोनों सम्प्रदायों के मुख्य साक्षियों की साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात मै सी०ओ० सिटी अलीगढ़, हरपाल सिंह को प्रशासन अथवा पुलिस के विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत की जाय उसे नोट करें तथा मुझे सूचित करने के निर्देश देकर लखनऊ लौट आया था। लखनऊ पहुंचकर मैंने पूरी स्थिति से अपने डायरेक्टर विजिलेन्स को अवगत करा दिया था। उन्हें यह भी बता दिया था कि अब जब सफाई देने के लिये आयोग मुझे अलीगढ़ बुलायेगा तभी मै अलीगढ़ जाऊंगा।

एक दिन शर्मा जी ने मेरे विरुद्ध हो रही सी०आई०डी० जांच की प्रगति जानना चाही थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि सी०आई०डी० के अधिकारियों का रवैया अच्छा नहीं है। वे पुलिस के गवाहो पर मेरे विरुद्ध गलत बयान देने के लिए दबाव डाल रहे है, परन्तु अभी तक वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि सभी मेरे पक्ष में ही बयान दे रहे है। सब कुछ सुन लेने के पश्चात शर्मा जी ने मुझे राय दी थी कि मै आयोग से निवेदन करूं कि सी०आई०डी० मेरे विरुद्ध उसी दंगे से सम्बन्धित अभिलेखों के विषय मे जांच कर रही है और गवाहो से मेरे विरुद्ध बयान दिलवाने का प्रयास कर रही है, अतः यदि उचित हो तो आयोग सी०आई०डी० की जांच को भी अपने द्वारा की गयी जांच में सम्मिलित कर ले, ताकि आयोग द्वारा की जा रही जांच कहीं से प्रभावित न हो सके। उनकी अमूल्य राय ने रामबाण की तरह कार्य किया था। मैंने आयोग के समक्ष इस बिन्दु पर ध्यान देने की आवश्यकता की प्रार्थना करवा दी थी। भगवान की कृपा से आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने उक्त विषय पर तुरंत संज्ञान ले लिया था और सी०आई०डी० द्वारा की गयी समस्त कार्यवाई से सम्बधित अभिलेखों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश पारित कर दिया। सरला जी ने भी मुझे धैर्य व साहस की अनुभूति कराते हुए निम्न प्रिय शब्द कहे थे, "आगे धैर्य से बढ़े चलो सी०आई०डी० की जांच हो या आयोग की जांच। अतीत की तरफ मत निहारो और न ही आने वाले कल की चिन्ता से हिम्मत हारो। भविष्य किसी ने नही देखा है। वह सुनहरा ही होगा"। मुझे अपने अन्दर से एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ।

आयोग द्वारा सी०आई०डी० के अभिलेखों के अध्ययन के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश के आई०जी० को आदेश देकर उस विषय की बहुत सी अतिरिक्त सूचनायें एकत्र करके आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। सम्भवतः आयोग यह जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली जनरल डायरी तथा केस डायरी केवल गर्वमेन्ट प्रेस से ही छपवाई जाती है अथवा निजी प्रेसों से भी छपवाई जाती है। घटना के समय प्रयोग की जाने वाली जनरल डायरियों की संख्या कितनी थी। सारे प्रदेश के लिए छपवाई गयी जनरल डायरी व केस डायरी के नमूने, उनकी संख्या तथा छपवाई के लिए आदेश तथा बिल आदि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। गवर्नमेन्ट प्रेस से भी आयोग ने आवश्यक सूचनायें मांग ली थी। प्रस्तुत की गयी सूचनाओं के आधार पर आयोग ने डायरियों की बड़ी गहराई से छानबीन की थी। डायरियों के छपाई के नमूने, लाइनों की दूरी, शब्दों मे एकरूपता आदि का अध्ययन करके आयोग ने यही निष्कर्ष निकाला था कि डायरियों की छपाई में कोई अनुरूपता एवं मानकीकरण नही था, अतः यह कहना सम्भव नहीं होगा कि डायरियां बदल दी गयी थी। इस प्रकार आयोग के समक्ष वह बिन्दु विचारणीय नहीं रहा पर सी०आई०डी०

फिर भी अगले ६ वर्षो तक हर सम्भव प्रयास करती रही कि डायरियों के वदले जाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उसे मिल जाय तो मेरे विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके । इस प्रकार सी०आई०डी० ने मुझे पूरे ७ सालों तक अपनी तलवार की नोंक पर टांगे रखा था ।

कदाचित आयोग ने अलीगढ़ दंगे की जांच रिपोर्ट में मुझे निर्दोष पाया था और मेरे द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रशंसा की थी । आयोग के समक्ष मैंने व डी०एम० ने जो वहस की थी उसके लिये मैं व डी०एम० भट्ट जी रात में छिपते-छिपाते वकील धवन के निवास स्थान पर पहुंचे थे । क्योंकि उत्तर प्रदेश ने धवन को हमारी ओर से पैरवी करने पर रोक लगा दी थी । यदि वह स्वतंत्र होते तो हमारी ओर से सफाई के गवाहों को आयोग के समक्ष कैसे प्रस्तुत करते और किस तरह से हमारे पक्ष की सफाई प्रस्तुत करते, वह हमें चुपके से वता देते थे । उसका प्रयोग मै व डी०एम० आयोग के समक्ष तर्क करके लाभ उठाते थे । यह तो मेरा व भट्ट जी का दुर्भाग्य था कि शासन ने गलत कारणों से नाराज होकर हमें असहाय छोड़ दिया था और सरकारी रक्षात्मक सुविधा देकर उसका प्रत्याहरण कर लिया था । धवन जी शासन के आदेशों की अवहेलना करके हम लोगों का वरावर साथ देते रहे थे क्योंकि वे एक कर्मठ और विद्वान वकील थे । पेशेवर होकर सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते थे । धवन जी ने ही हमें साक्षियों के वयान, जो आयोग के समक्ष हुये थे, को अध्ययन कर वताया था कि प्रशासन के शपथ पत्र पर केवल तीन विन्दुओं पर ही विपक्ष द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। अतः उन तीन विन्दुओं पर मुझे व डी०एम० को अपनी जिरह में अपने गवाहों के वयानों तथा अन्य गवाहों द्वारा हमारे पक्ष में दिये गये वयानों के अंशों को लेकर विरोध में दिये गये वयानों पर जोरदार खण्डन प्रस्तुत करना होगा ताकि यह सिद्ध हो सके कि उन विन्दुओं पर प्रशासन की ओर से कभी कोई त्रुटि नहीं की गयी थी । विपक्ष के उच्चकोटि के वकीलों ने प्रशासन के शपथ पत्र को मनगढ़ंत एवं कपोलकल्पित होना सिद्ध करने का हरसम्भव प्रयास किया । क्या तारीफ की जाय धवन साहव कि उन्होंने हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया था उसके कारण अन्त में जीत हमारी ही हुई । धवन जी ने तो हम लोगों के लाख कहने पर हमसे कभी एक पैसा भी फीस के रूप में स्वीकार नहीं किया । हम लोगों को अपने खिलाफ महाभियोग की विभिपिका में प्रचण्ड वाद-विवाद एवं तर्क प्रस्तुत कर अपने को निर्दोप सावित करने की संजीवनी वूटी श्री धवन से ही उपलव्ध हुई थी ।

आयोग के समक्ष मेरे द्वारा सफाई की जिरह जो खचाखच भरे हाल में की गयी थी वह तार्किक थी पर सरल शव्दों में प्रस्तुत की गयी थी । मैने कहा था कि "योर ऑनर, मेरा पक्ष वही है जो प्रशासन ने अपने शपथ पत्र में आपके समक्ष लिखित दाखिल किया है । मै अपने पक्ष को वहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहूँगा । चुनाव के पहले अलीगढ़ में शान्ति व्यवस्था का

जो वातावरण चल रहा था उसको संज्ञान में लेते हुये जो सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध पुलिस व प्रशासन द्वारा किये गये थे वे सब एक पुस्तक के रूप में छपा दिये गये थे। उसकी प्रति मैं आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। उक्त के अतिरिक्त मुझसे पहले अलीगढ़ में नियुक्त रहे पुलिस अधीक्षकों के समय की पिछले १० वर्षों में जो चुनाव हुये थे के प्रबन्धों की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा दावा है कि लोक चुनाव के अवसर पर यदि मेरे द्वारा किये गये प्रबन्धो में कहीं भी कमी पाई जाय तो उसे मुझे बताया जाय। मै अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। मेरा निश्चित मत है कि मेरे द्वारा किये गये सभी प्रबन्ध हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये सक्षम एवं प्रत्येक दशा में परिपूर्ण थे। साथ ही पिछले चुनावों के लिए किये गये प्रबन्धों की तुलना में बहुत अधिक व्यापक थे। मैने आगे कहा था कि अलीगढ़ शहर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से इतना अधिक संवेदनशील है कि यदि यहां आर्मी भी लगा दी जाय तब भी दंगा हो जाने की सम्भावना को शत-प्रतिशत रोका नहीं जा सकता है। शहर में निषेधाज्ञा लागू होते हुये जुलूस बना लेना सरासर विधि विरुद्ध था। उसे नियंत्रित करने में जितना बल प्रयोग करना आवश्यक था उतना हमारे द्वारा किया गया था। समझौते की कार्यवाही भी जिलाधिकारी ने पूरी की थी। जुलूस को नियंत्रण में रखने के लिए पूर्ण प्रबन्ध भी थे। अचानक पी०ए०सी० द्वारा फायरिंग हो जाना ही दंगे का मुख्य कारण था जिसके लिए मै व जिलाधिकारी दोषी नहीं थे।

मेरा तीसरा बिन्दु यह था कि दुर्घटनावश जब जुलूस नियंत्रण के बाहर हो गया और शहर में कई जगह दंगे भड़क गये थे तो मैने व जिलाधिकारी ने बिना अपनी जान की परवाह किये जिस तेजी एवं साहस से कम से कम समय में केवल डेढ़-दो घंटों में ही सारे शहर में फैले भीषण दंगों पर नियंत्रण पा लिया था अन्यथा यह दंगा कई दिनों तक चलता रहता और सैकड़ों की संख्या में लोग जान से मारे जाते तथा व्यापक स्तर पर आगजनी एवं लूटपाट की घटनायें होती। मैने व जिलाधिकारी ने यहां पर आगजनी, लूटपाट तथा स्टैबिंग को फायरिंग कराकर रोका था।

उपरोक्त तीनों तर्को को आयोग के समक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में मुझे पूरे तीन दिन लगे थे क्योंकि बीच–बीच में कई पार्टियों के अधिवक्ताओं द्वारा अथवा स्वतंत्र गवाह द्वारा तरह-तरह के प्रश्नों की बौछारें मुझ पर होती रहती थी जिनके उत्तर भी मै देता रहता था। अगले पूरे दिन दोनो साम्प्रदायों के विद्वान अधिवक्तागणों ने उन्हीं ३-४ बिन्दुओं पर मुझसे खास जिरह की थी जिनके लिए हमें वकील धवन ने पहले से तैयार कर दिया था। यह सच था कि यदि धवन ने पहले से हमें उन तीन बिन्दुओं पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं कर दिया होता तो सम्भव था कि हम उन विसंगतियों का सूझबूझ एवं पूर्ण विवेकपूर्ण

उत्तर न देने से परेशानी में पड़ जाते। पहले से पूर्ण तैयार होने के कारण मै बड़े शान्त भाव से विपक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर सदृष्टान्त देता गया और साथ ही साथ प्रत्युत्तर में उनके ऊपर भी करारा प्रहार करता रहा। मेरे साथ श्री भट्ट जी लगातार उपस्थित रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर आयोग से आज्ञा लेकर अत्यावश्यक तथ्यों की पूर्ति करते रहते थे। अन्त में आयोग के न्यायामूर्ति ने भी मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर मैं आसानी से धवन साहब की ब्रीफिंग के कारण दे सका था।

एक दिन जनसंघ के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था और मुसलमानों पर घोर लांछन लगाये थे कि इस दंगे की शुरुआत उन्होंने की थी। दूसरे दिन मुसलिम सम्प्रदाय के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था और जनसंघ पर गम्भीर आरोप लगाये थे कि हिन्दुओं द्वारा दंगा नियोजित ढंग से किया गया था। दोनों पक्षों ने मेरे, जिलाधिकारी और प्रशासन पर अविवेकीय तरीके से अंधाधुंध कार्यवाही करने एवं असावधानी के परम्परावादी आक्षेप बड़े ही नाटकीय एवं उत्तेजनात्मक शैली में प्रस्तुत किये थे। यद्यपि उनके उत्तर अपनी सफाई के बयानों में मेरे द्वारा दे दिये गये थे। दंगों से समवन्धित पुलिस कार्यवाही कितनी ही चुस्त-दुरुस्त, निष्पक्ष क्यों न हो परन्तु जब किसी का घर जल जाता है, किसी के प्रियजन दंगे के कारण अनायास मृत्यु को प्राप्त हो जाते है या किसी की सम्पत्ति को आकरण लूट लिया जाता है तब उसके मन में क्षोभ एवं क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वह केवल एक मानव है, फरिस्ता या देवदूत नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वह पुलिस को अकारण कोसता है या अपशब्द कहता है तो उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसके मन में उपजे हुये घोर क्षोभ एवं क्रोध को अन्ततः कहीं तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने भी उस पर ज्यादा लम्बी-चौड़ी जिरह नहीं की थी। आयोग के समक्ष ओजस्वी वाणी में पूरे ३ दिन तक लगातार स्वच्छन्द रूप से विस्तारपूर्वक सफाई प्रस्तुत करने और सभी काल्पनिक एवं निराधार आरोपों को सशक्त तथ्यों से खंडित करने के लिये अलीगढ़ में सबने मेरी सराहना की थी। अखबारों ने भी मेरी प्रशंसा की थी। मेरे मित्र जिलाधिकारी उपापति व विद्वान वकील धवन ने भी उक्त कार्य हेतु मेरी प्रशंसा की थी। लखनऊ पहुंच कर मैंने अपने द्वारा अलीगढ़ में किये गये कार्यो के विषय में सरला जी तथा डायरेक्टर विजिलेन्स राधेश्याम जी को पूर्णतया अवगत कराया था। शर्मा जी को बराबर अलीगढ़ से उनके अधीनस्थों द्वारा सूचित किया जा रहा था। वह मेरे प्रयास से प्रसन्न थे।

आयोग के कार्यो से छुटकारा पाकर मै सी०आई०डी० कार्यालय में डी०आई०जी०, सी०आई०डी० महेश चन्द्र दीक्षित तथा एस०पी० (प्रथम) आर०एन० माथुर के पास अपने विरुद्ध जांच की प्रगति जानने की गरज से जाता था। हर बार यही जानकारी दी जाती थी

कि जांच अभी हो रही है। मुझे मालूम था कि सी०आई०डी० की जांच में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। आई०जी० कार्यालय जाना मैंने बन्द कर रखा था, क्योंकि इस्लाम अहमद आई०जी० का कार्यालय शीघ्र ही पूरा होने वाला था और भारत सरकार ने उनके पुनर्नियुक्ति की संस्तुति का केस रद्द कर दिया था। उनकी पुनर्नियुक्ति हो जाना मेरे लिए मौत के समान होता क्योंकि अलीगढ़ के दंगे की आयोग की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली थी। यदि उसमें किसी भी बिन्दु पर मेरे विरुद्ध आक्षेप लगता तो वह मेरे सर को गर्म सूप में अवश्य डाल देते क्योंकि उन्होंने मुझे उसकी स्पष्ट चेतावनी दी थी।

इसी बीच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धात्री शरण माथुर ने अलीगढ़ के दंगे की जांच आख्या उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दी थी। कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट में आयोग ने मेरे द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुये मुझे क्लीन चिट दे दी थी, परन्तु जब तक उसकी अधिकृत सूचना नही प्राप्त हुई तब तक मुझे चिन्तित रहना स्वाभाविक था। इस्लाम अहमद आई०जी० का सेवानिवृत्त हो जाना और ए०के० दास द्वारा आई०जी० का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि के समान प्रतीत हो रही थी। तुरन्त मैंने देवरहा बाबा जी का भी ध्यान किया उनकी कृपा मुझे हर स्तर पर अनुभव हो रही थी। सरला जी ने कहा था कि "जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई" । सत्य की सदैव विजय होती है। मुझे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि वैसे आई०जी० इस्लाम साहब बड़े ही मातहत परस्त अधिकारी थे, यह केवल मेरा दुर्भाग्य था कि वे गलतफहमी से मेरे से नाराज हो गये थे।

अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे से सम्बन्धित जांच आयोग की आख्या शासन द्वारा विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शितापूर्वक विश्लेषण और विचार के पश्चात प्रकाशित नहीं करायी गयी। उसे जानबूझकर जब्त कर दिया गया था। इस प्रकार मेरे अलीगढ़ दंगा आयोग की जांच सदैव के लिए शासकीय पत्रावलियों के नीचे दफन हो गयी। मेरे विरुद्ध अलीगढ़ के दंगे से सम्बन्धित सी०आई०डी० की जांच भी पूरे ६ साल बाद फाईनल रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। इसी बीच विजिलेन्स से ए०आई०जी० के पद पर आई० जी० मुख्यालय और वहां से मुझे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर की महत्वपूर्ण तैनाती दी गयी थी। वहां २ साल रहने के बाद मुझे प्रोन्नति देकर डी०आई०जी० फैजाबाद परिक्षेत्र के पद पर भेजा गया था। इस प्रकार मुझे सत्य एवं कर्तव्यनिष्ठा की जीत एवं असत्य की हार देखने को मिली। पर अपने अनुभव के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्श्जेम उपससे व ि्लवक ंदक ल्वअमतदउमदज हतपदक सवूसल इनज बमतजंपदसलश्श अर्थात सरकारी कर्मचारी को देखने में तो सरकार साधारण सी वस्तु लगती है पर कभी यदि सरकार की निगाह किसी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध टेड़ी हो जाती है तो फिर वह इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है कि सरकारी कर्मचारी का तो बिल्कुल भर्ता बन

जाता है और कभी-कभी सांस भी नहीं ले पाता है।

अलीगढ़ के दंगे की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि शासन एवं प्रशासन में मेरी छवि ऊंची हुई थी। कानपुर के एस०एस०पी० की नियुक्ति भी इस बात का सबूत थी कि शासन व पुलिस विभाग दोनों ने ही मुझे इस वरिष्ठ चार्ज पर भेजा था। और २ वर्ष तक वहा रहने के बाद मुझे प्रोन्नत देकर सीधे ही रेंज का डी०आई०जी० फैजाबाद में नियुक्त किया गया था।

आमतौर पर एस०पी० के पद से प्रमोशन पर तुरन्त रेंज का चार्ज देने की परम्परा उन दिनों नहीं थी। जब मै डी०आई०जी० फैजावाद रेंज का पदभार लेने कानपुर पुलिस से विदाई ले कर जा रहा था तब वहां पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कानपुर की जनता द्वारा आयोजित मेरी विदाई का कार्यक्रम समाचार पत्रों का एक वड़ा विषय वन गया था। मेरे निवास स्थान से गंगाघाट तक भीड़ इतनी अधिक हो गयी थी कि पुल पर ढाई घंटे तक ट्रेफिक जाम की स्थिति पैदा हो गयी थी जिसे पाईनियर समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय लेख में मेरी प्रशंसा व्यक्त करके छाप दिया था, क्योंकि पायनियर के तत्कालीन संपादक एस०एन० घोस स्वयं उस जाम में फंसे हुये थे। श्री घोष ने लिखा था कि मैंने किसी भी पुलिस अधिकारी की इतनी भव्य विदाई अभी तक नहीं देखी थी जो प्रसन्नता की वात है यद्यपि उन्हें ढ़ाई घंटे जाम में फंसे रहने से अत्यन्त कष्ट हुआ था। उसे देखकर में अलीगढ़ के मानसिक कष्ट भूलने लगा था।

ईश्वर की असीम कृपा और सरला जी के विद्वता के परिणामस्वरूप हमारी सबसे बड़ी सुपुत्री रश्मि आई०आर०एस० १९८४ बैच की अधिकारी है और वर्तमान में दिल्ली में ज्वाइन्ट कमीशनर इन्फोसमैन्ट के पद पर कार्यरत है और उसके पति इण्डियन नेवी में अधिकारी है। मेरी दूसरी सुपुत्री डाक्टर छवि अपने डाक्टर पति के साथ मलेशिया में कार्यरत है। मेरी तीसरी सुपुत्री माधवी अपने पति नरेश जी के साथ सहारा इण्डिया परिवार में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और मेरे साथ अपने पति और प्रिय पुत्री पूर्णिमा के साथ रहती है सब मिलकर मुझे सदैव प्रसन्न रखने का हर सम्भव प्रयास करती रहती है। मेरी सबसे छोटी पुत्री अनुपम आई०पी०एस० अधिकारी है। उसका विवाह अजय सिंह आई०पी०एस० के साथ हुआ है। दोनों विहार कैडर में पुलिस अधीक्षकों के पद पर कार्यरत है। मेरी वेटी अनुपम का जन्म अलीगढ़ के उपरोक्त वर्णित साम्प्रदायिक दंगे के समय हुआ था। अपनी माँ के जीवन काल में ही वह आई०पी०एस० सेवा में आ गयी थी तथा सरला जी ने ही स्वयं उसका विवाह भी तय कर दिया था परन्तु शादी उनके स्वर्गवास के पश्चात हुई थी। अतंतः मै यही कहूंगा कि 'यह जीवन भी क्या जीवन है यह दुनियां भी क्या दुनियां है''।

❖❖❖

कानपुर का श्याम सुन्दर बालेचा हत्याकाण्ड

यह आपराधिक घटना पुरानी होने के साथ बड़ी विचित्र एवं रोमांचकारी भी है, इससे यह भी जानकारी सम्भव हो सकेगी कि पुलिस किस प्रकार जघन्य कत्ल आदि की घटनाओं की जटिल गुत्थी को सुलझाने के लिए किन-किन कठिन मार्गो से गुजरती है । इससे उसे अपने अनुभव तथा प्रगाढ़-धैर्य का परिचय देकर ही अपराधियों को कानून की परिधि में लाना होता है । इस घटना से कुछ मिलती-जुलती एक कहानी मुझे बचपन में मेरे पूज्य पिता जी ने सन् १९५० में सुनायी थी । उस समय मैं गवर्नमेन्ट कालेज, झांसी में मैट्रिक का विद्यार्थी था । मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि मै आगे चलकर एक पुलिस अधिकरी बनूँगा और वह कहानी भविष्य के लिए अति लाभदायक सिद्ध होगी ।

पिताजी द्वारा सुनायी गयी कहानी के अनुसार एक चोर ने चोरी करके लाये हुये जेवरात अपने घर के कमरे में जमीन खोदकर गाड़ दिये थे और गड्ढे को बन्द करके पुलिस के डर से उसे ऊपर से लीप-पोत कर बराबर कर दिया था । जब पुलिस ने चोर के घर की तलाशी ली तो कमरे को ताजा लिपा-पुता देखकर पुलिस को शक हुआ । उस स्थान को पुलिस ने खुदवाया, जहां चोरी किये गये सारे जेवरात मिल गये थे । इससे अपराधी को पकड़ने और उसे सजा दिलाने में पुलिस को पूर्ण सफलता मिली थी ।

सन् १९७६ में मैं कानपुर का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक था । उस समय तक मै पुलिस विभाग का एक अनुभवी एवं ज्येष्ठ अधिकारी बन चुका था । एक दिन मै अपने सिविल लाइन्स स्थित बंगले के गोपनीय कार्यालय में बैठा, जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहा था । तभी लगभग ७० वर्षीय एक वृद्ध सज्जन अपने युवा पुत्र के साथ मुझसे मिलने आये । वह बहुत दु:खी एवं परेशान दिखाई पड़ रहे थे । मैंने उनसे कुर्सी पर बैठने का

अनुरोध किया, परन्तु वह नहीं बैठे और रोते हुए मुझे बताया कि उसका २६वर्षीय बी.एस. सी. पास छोटा लड़का श्याम सुन्दर वालेचा पिछले ५-६ दिनों से घर से गायब हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उनके लड़के के साथ धोखाधड़ी करके उसकी हत्या करवा दी है। मैंने वृद्ध व्यक्ति को सान्त्वना देते हुए धैर्य के साथ सारी बातें बताने के लिए कहा। तत्पश्चात वह बैठ गये थे, परन्तु उनका रोना बन्द नहीं हुआ। मैंने पानी मंगाकर उन्हें पिलाया फिर उन्होंने शान्तिपूर्वक बात-चीत की। उस वृद्ध ने बताया कि अपने पुत्र के गायब हो जाने की सूचना उसने थाना कोतवाली में अंकित करा दी थी। मैंने वालेचा जी को समझा-बुझाकर विदा करते हुए दो दिन बाद पुनः आने को कहा और उनसे अनुरोध किया कि वह यह भी पता लगायें कि उनके पुत्र श्याम सुन्दर को अन्तिम बार कानपुर में कहां और किसके साथ देखा गया था। यदि वह किसी सवारी से अपने किसी मित्र के साथ देखा गया हो तो, वह सवारी क्या थी और उसका कौन मित्र उसके साथ था। मैंने अविलम्ब टेलीफोन पर सुरेन्द्र पाल शर्मा, इन्सपेक्टर, कोतवाली से सम्पर्क किया और उनसे पूछा कि "वालेचा" वाले मामले में उनके स्तर से क्या कार्यवाही हुई है। उन्होंने इस मामले को बहुत साधारण ढंग से लेते हुए उत्तर दिया कि कानपुर में इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती रहती है और कालेजों में पढ़ने वाले लड़के प्रायः अपने घरों से रुपया लेकर फिल्मों में काम करने बम्बई भाग जाते है। जब उन्हें वहां कोई सफलता नहीं मिलती, तो वह १५-२० दिन के बाद अपने घर लौट आते है, इसलिए उन्होंने उक्त मामले में अभी कोई संज्ञेय रिपोर्ट नहीं लिखी। वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर उसकी जांच करवा रहे हैं, परन्तु अभी तक वालेचा साहब के लड़के का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सुराग मिलने के पश्चात ही इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही सम्भव हो पायेगी। मैंने इन्सपेक्टर, कोतवाली को उसी समय आदेश दिया कि वह उस गुमशुदगी के मामले को "किडनैपिंग /एबडक्शन" के अपराध की श्रेणी में लेते हुए पुलिस की एक टीम बनाकर वालेचा साहब के गायब हुये लड़के का पूरा पता लगाने का प्रयास करें कि वह कहां है। इन्सपेक्टर कोतवाली सम्भवतः मेरे इस आदेश से कुछ दुःखी अवश्य हुए होंगें क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और उन पर एक तफ्तीश का बोझ लाद दिया था। यहां तक कि हिदायत भी दे दी थी कि उक्त मामले की प्रगति से मुझे लगातार अवगत कराते रहेंगे। यहां यह उल्लखनीय है कि थाना कोतवाली कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना माना जाता है। अपराध, यातायात, फैक्ट्रियों, मिल मालिकों तथा उनमें नियुक्त मजदूरों की समस्याओं, व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र एवं साम्प्रदायिक सम्वेदनशीलता की दृष्टि से उक्त थाने पर बहुत तेजतर्रार एवं सुयोग्य इन्सपेक्टर को ही नियुक्त किया जाता है। इन्सपेक्टर सुरेन्द्र पाल शर्मा प्रदेश पुलिस के बहुत दबंग और अति

कार्यकुशल अधिकारी माने जाते थे। उनकी योग्यता पर मुझे कभी कोई शक नहीं था, परन्तु इस मामले मे मैंने उन्हें कुछ शिथिल पाया जो शायद उनके पूर्वाग्रह के कारण थी।

दो दिन के पश्चात बालेचा जी पुनः मेरे पास आये, तव भी मैने उन्हें दु.खी व रोते हुए पाया। वह बार-बार यही कहते थे कि उनके लड़के की हत्या कर दी गयी होगी। मैंने तुरन्त इन्सपेक्टर कोतवाली को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। बालेचा जी तथा इन्सपेक्टर कोतवाली से बातचीत के पश्चात मेरे मस्तिष्क में जो कहानी बनी, उसके अनुसार श्याम सुन्दर नवयुवक होने के साथ-साथ बहुत सुन्दर भी था और उसे हीरो बनने का बहुत शौक था। वह हमेशा बहुत फैशनेवुल कपड़े पहना करता था और अपने बाल संवारने पर बहुत अधिक ध्यान देता था। जब उसके पिताजी उसके व्यय को पूरा न कर सके, तब उसने बी.एस.सी. पास करने के पश्चात अपनी पढ़ाई बन्द कर दी थी और अपना खर्च चलाने हेतु कानपुर के एक सिनेमाघर में गेटकीपर की नौकरी कर ली थी। उसके अन्य साथियो (गेटकीपर) को जब यह पता चला कि श्याम सुन्दर फिल्म लाइन मे जाने के लिए दीवाना है तो उसके एक साथी ने उसे बताया था कि वह मजीद नामक एक व्यक्ति को जानता है जो प्रायः बम्बई में रहता है। वह दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकारों से अपना सम्पर्क बताता है। मजीद कानपुर में ही शीशामऊ के पास रहता है और यदि वह चाहे तो उससे मिलकर फिल्म लाइन में जाने के लिए सहायता ले सकता है।

कानपुर कोतवाली की पुलिस को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि श्याम सुन्दर अब इस दुनिया में नही था। वह बात केवल उसके वृद्ध पिता के आत्मा का आभास थी कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गयी होगी। दूसरी ओर, इन्सपेक्टर कोतवाली इस बात से आश्वस्त थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। श्याम सुन्दर के पिता बालेचा जी व इन्सपेक्टर कोतवाली,कानपुर से लगातार सम्पर्क के दौरान मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्याम सुन्दर को अन्तिम बार शाम को एक रिक्शे पर सवार शीशामऊ थाने के पास से गुजरते हुये और एक गली के पास उतरते हुए देखा गया था, जहां मजीद का निवास था। इसलिए मैंने अपने अनुभव के अनुसार मजीद के घर का पता लगाकर वहां तुरन्त तलाशी कराने का विचार किया। इन्सपेक्टर कोतवाली यद्यपि मेरे विचारों से कुछ अधिक सन्तुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे थे, परन्तु मेरे निर्णय और आदेशों का उन्हें पालन तो करना ही था। अतः अविलम्ब अपनी पुलिस टीम को साथ लेकर मजीद के घर पहुंच गये थे और मजीद की वृद्ध मां की उपस्थिति में नियमानुसार उसके घर की खाना-तलाशी लेकर वहां की सभी संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण सूक्ष्म रूप से किया था। मजीद की बूढ़ी माँ एवं पड़ोस के लोगों से बातचीत के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया था कि मजीद एक दिन पहले अपनी पत्नी और लड़के के साथ बम्बई चला गया

था और अपना मकान अपनी ८० वर्षीय वृद्ध माँ को सौंप गया था। इन्सपेक्टर कोतवाली को मजीद के आंगन की जमीन कुछ खुदी प्रतीत हुई थी, जो जल्द ही लीप-पोत कर बराबर कर दी गई थी। यह कार्य उसकी वृद्ध मां के लिए संभव नहीं था।

इन्सपेक्टर कोतवाली ने मुझे उक्त तथ्यों की सूचना टेलीफोन से दी थी और जब मैंने उनसे यह सुना कि मजीद के आंगन में खुदी हुई जमीन लीप-पोत कर शीघ्र ही बराबर की गयी है, तब मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी द्वारा बताई गयी सन् १९५० की कहानी याद आयी। मैंने अविलम्ब इन्सपेक्टर कोतवाली को आदेश दिया कि मजीद के आंगन की खुदाई प्रारम्भ करा दें और देखें कि वहां नई-नई लिपाई-पुताई क्यों की गयी थी। मेरे आदेश पर इन्सपेक्टर कोतवाली ने चार-पांच मजदूर बुलाकर तथा पुलिस की मदद से मजीद के आंगन की खुदाई प्रारम्भ करा दी। यह कार्य लगातार रात्रि में १०-११ बजे तक चलता रहा था, परन्तु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। देर रात बीत जाने के कारण खुदाई बन्द करा दी गयी थी और उसे दूसरे दिन पुनः प्रारम्भ करने की सूचना इन्सपेक्टर कोतवाली ने मुझे टेलीफोन पर दी थी। मेरे आदेशानुसार मजीद के मकान पर पुलिस का गार्ड लगा दिया गया था और असकी माँ के अतिरिक्त उसके घर में अन्य किसी व्यक्ति को अन्दर जाने से रोक दिया गया था।

दूसरे दिन सुबह पुनः इन्सपेक्टर कोतवाली ने मजीद के आंगन की खुदाई प्रारम्भ कराई जो सांय ४-५ बजे तक लगातार चलती रही। कोई सफलता न मिलने के कारण खुदाई का कार्य पुनः बन्द कर दिया गया। तीसरे दिन मैं स्वयं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (नगर) ओ.पी. अग्निहोत्री के साथ मजीद के घर गया और देखा कि उसके आंगन की खुदाई लगभग ४-५ फिट की गहराई तक करने के पश्चात भी वहां कुछ नहीं मिला था और पुलिस के लोग निराश हो रहे थे। आंगन को देखने से पता चलता था कि उसमें पहले एक हैण्डपम्प गड़ा हुआ था और मजीद की माँ के बताने के अनुसार वह कुछ दिन पहले मजीद द्वारा उखाड़ दिया गया था। जिस स्थान पर हैण्डपम्प गड़ा हुआ था, वह स्थान कुछ चौड़ा और साफ-साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अपने पिताजी द्वारा बतायी गयी कहानी निरन्तर प्रेरणा दे रही थी कि मजीद के आंगन में हैण्डपम्प के स्थान पर और अधिक गहरी खुदाई की जाय। सम्भव है कि उससे विवेचना हेतु कुछ नये स्रोत मिल जांय। मैंने इन्सपेक्टर कोतवाली को फिर निर्देश दिया कि वह हैण्ड पम्प के स्थान पर मजीद के आंगन की खुदाई का काम जारी रखें। इन्सपेक्टर कोतवाली के चेहरे पर मेरे आदेश के पश्चात परेशानी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आदेश के पालन में उनकी एकमात्र उलझन थी अलाभदायक परिणाम की आशंका बहरहाल मेरे आदेश पर उन्होंने खुदाई एक बार फिर शुरू करा दी।

दूसरे दिन जब मैं अपने बंगले पर शासकीय कार्य में व्यस्त था, तभी मुझे एक पत्र

मिला, जिसे पढ़कर मै स्तब्ध रह गया । वह पत्र हिन्दी के टूटे-फूटे शब्दों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया था । पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने मजीद के आंगन की खुदाई कराने के निर्णय की सराहना की थी और अनुरोध किया था कि खुदाई का काम जारी रखा जाये। सफलता अवश्य मिलेगी । मैंने तुरन्त इन्सपेक्टर कोतवाली से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया, परन्तु ज्ञात हुआ कि.वह शीशामऊ गये हुये हैं, जहां मजीद के मकान पर खुदाई का काम चल रहा है । उसी दिन शाम को इन्सपेक्टर कोतवाली ने मुझे फोन पर वताया कि खुदाई का काम जमीन के अन्दर आठ फिट की गहराई तक पहुंच गया है और उसके अन्दर से मिट्टी तथा मिट्टी में मिली राख के अलावा और कुछ नहीं मिला । उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि अब खुदाई का काम बन्द करा दिया जाय क्योंकि इसका परिणाम लाभदायक नहीं दिखाई दे रहा है । साथ ही साथ खुदाई पर वेकार रुपये खर्च हो रहे है और अन्य शासकीय कार्य व महत्वपूर्ण विवेचनायें भी नहीं हो पा रही हैं । संकोचवश मैंने भी उनकी इच्छा के अनुसार मजीद के आंगन की खुदाई वन्द करवाने के निर्देश दे दिये, परन्तु मेरी इच्छा तब भी खुदाई का काम जारी रखने की थी । मै सोच रहा था कि यदि खुदाई का काम जारी रखा जाता है और उससे कोई सफलता नहीं मिलती, तब इन्सपेक्टर कोतवाली तथा उनका स्टाफ मेरे निर्णय पर हंसेगें और कहेंगे कि उनसे एक अर्थहीन कार्य कराया जा रहा था, जिसका परिणाम शून्य निकला । यह सब सोचते हुए भी हमने इन्सपेक्टर कोतवाली को यह आदेश दिया कि मजीद के घर पर पुलिस का पहरा मेरे अगले आदेश तक जारी रखा जायेगा ।

एक दिन पश्चात अपने कार्यालय में मुझे पहले जैसा ही एक पीला लिफाफा डाक में और प्राप्त हुआ, जिस पर टूटी-फूटी हिन्दी के अक्षरों में मेरा पता लिख हुआ था । मै समझ गया कि यह पत्र भी उसी गुमनाम व्यक्ति ने लिखा होगा, जिसका पत्र दो दिन पहले मिला था । मैंने शीघ्रता से उसे खोला और पढ़ा । उस अज्ञात व्यक्ति ने पुनः मुझे सम्बोधित करते हुये अपनी टूटी-फूटी भाषा में लिखा था कि "मजीद के आंगन में खुदाई अभी और कराई जाये, कत्ल की हुई लाश जरूर मिलेगी" । पत्र को पढ़ने के पश्चात मै सोचने लगा कि क्या इस प्रकार के गुमनाम पत्र लिखने वाला व्यक्ति सही बात लिख रहा है या मेरी तथा मेरी पुलिस की खिल्ली उड़ा रहा है । इन पत्रों ने मुझे असमन्जस में डाल रखा था । मैंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, नगर कानपुर, ओ.पी. अग्निहोत्री (अव स्वर्गीय) को अपने वंगले पर बुलाकर उनसे पूरा विचार-विमर्श किया और उन्हें दोनों पत्र भी दिखाये । मैंने अपनी इच्छा से भी उन्हें अवगत कराया कि मजीद के आंगन में अभी और खुदाई कराये जाने की आवश्यकता है । मुझे यह बात इन्सपेक्टर कोतवाली से, जो बहुत ही अनुभवी तथा तफ्तीश

के माहिर अधिकारी माने जाते थे, करने में कुछ संकोच हो रहा था क्योंकि वह मजीद के आंगन में लगातार खुदाई कराते हुए परेशान हो चुके थे और उन्हें सफलता की कोई आशा नहीं थी। ओ.पी. अग्निहोत्री बहुत अनुभवी एवं सुलझे हुए कर्मठ पुलिस अधिकारी थे। वह मेरी राय से पूर्ण सहमत थे और उनका कहना था कि शासकीय कार्य या किसी गम्भीर अपराध की विवेचना में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। वह तुरन्त इन्सपेक्टर कोतवाली को साथ लेकर मजीद के आंगन में पुनः खुदाई प्रारम्भ करवा दें। उन्होंने मेरी इच्छानुसार उक्त कार्य को जब तक किये जाने के आदेश दिये, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊँ।

सायं लगभग ४ बजे दोपहर के भोजन एवं विश्राम के पश्चात में अपने बंगले पर शासकीय कार्य के सम्पादन में व्यस्त था। उसी समय इन्सपेक्टर कोतवाली ने मुझे फोन पर प्रसन्नता एवं भावविभोर होते हुए बताया कि आंगन में हैण्ड पम्प के स्थान पर दस फिट की गहराई तक खुदाई करने के पश्चात काले बालों वाले एक आदमी का सिर एवं गर्दन दिखाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्याम सुन्दर की ही "डेड बॉडी" है। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं मजीद के घर पर अविलम्ब पहुंच जाऊं। पुलिस अधीक्षक ओ.पी. अग्निहोत्री वहां पहले से उपस्थित थे।

इस सफलता पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस समय मैंने अपने पिताजी को एक बार फिर याद किया, जिनकी प्रेरणा से मै इस मामले में सफलता के नजदीक था। शहर के अन्दर जाने पर कानपुर की सड़कों पर सवारियों तथा पैदल चलने वालों की अपार भीड़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक समय नष्ट होता है। मजीद के मकान पर पहुंचने के लिए जरीब की चौकी के पास होते हुए शीशामऊ थाने से घूमकर जाना पड़ता था, जहां कपड़ा मिलों के ठेलों व गाड़ियों का जाम लगा रहता है। परन्तु मै सबको पार करता हुआ तत्काल वहां पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचने से पूर्व पुलिस द्वारा श्याम सुन्दर बालेचा की लाश खोदकर बाहर निकाल ली गयी थी। देखने पर मृतक की लाश बिल्कुल ताजा लग रही थी। इसका कारण यह रहा होगा कि जमीन के अन्दर इतनी गहराई में दबी होने के कारण वहां की स्थिति वातानुकूलित रही होगी और लाश सड़ने से बच गयी। श्याम सुन्दर की लाश से यह भी स्पष्ट था कि वह एक बहुत हृष्ट-पुष्ट, गोरा-चिट्टा, घुंघराले काले बालों वाला खूबसूरत युवक था। उसके वृद्ध पिता तथा भाई-बहन लाश देखकर दहाड़ मार-मार कर रोने-चिल्लाने लगे थे। पुलिस ने श्याम सुन्दर के घर वालों को सान्तवना देते हुए कहा जो भगवान के यहां से लिखा होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तत्पश्चात नियमानुसार उसकी लाश का पंचायतनामा भरकर लाश को कपड़े में सील कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया और श्याम सुन्दर की गुमशुदगी की सूचना को हत्या के अपराध में बदलकर विवचना

प्रारम्भ कर दी गयी ।

मैंने कानपुर कोतवाली के कुछ सब इन्सपेक्टरों की टीम बनाकर उसे मजीद की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु बम्बई भेज दिया । टीम ने बम्बई पहुंचकर मजीद के निवास का पता तो लगा लिया, परन्तु ज्ञात हुआ कि वह दो दिन पहले अपनी पत्नी तथा लड़के के साथ बम्बई से अहमदाबाद चला गया था । जब इसकी सूचना मुझे टेलीफोन पर बम्बई से दी गयी, तब मैंने टीम को वहीं से अहमदाबाद जाकर मजीद को गिरफ्तार करने के आदेश दिये । पुलिस टीम बम्बई से अहमदाबाद प्रस्थान कर गयी, जहां उसने मसीद का पता लगाकर उसे तथा उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया । इन्ट्रोगेशन में मजीद एवं उसके लड़के ने श्याम सुन्दर के कत्ल का इकबाल करते हुए जघन्य अपराध की पूरी कहानी बता दी । उसने अपनी पत्नी को निर्दोष बताया क्योंकि घटना के समय वह अपने घर से एक रिश्तेदार के यहां विवाह में सम्मिलित होने के लिए गयी हुई थी । मजीद की पत्नी पुलिस टीम के सामने रोती-गिड़गिड़ाती रही कि वह अकेली कहां जायेगी । अतः उसको भी पति एवं पुत्र के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, परन्तु पुलिस टीम ने उसकी इच्छानुसार ऐसा करने से मना कर दिया। अहमदाबाद गयी हुई पुलिस टीम श्याम सुन्दर के कत्ल की विवेचना में हो रही प्रगति से मुझे लगातार अवगत कराती रही थी और मैं उसे उचित निर्देश देता रहा था । पुलिस टीम ने अहमदाबाद मे मजीद एवं उसके पुत्र को नियमानुसार न्यायालय में उपस्थित किया और उन्हें "पुलिस कस्टडी" में रखने के लिए रिमाण्ड प्राप्त किया । बाद में वह उन्हें अहमदाबाद से कानपुर लायी ।

मजीद और उसके पुत्र के कानपुर आने पर मैंने बड़ी उत्सुकता से श्यामसुन्दर की जघन्य हत्या के विषय में उससे बातचीत की । उन दोनों ने मुझे सारी बातें सच-सच बता दीं। मजीद का कहना था कि श्याम सुन्दर उसे कानपुर में एक सिनेमा-घर के पास, जहां वह नौकरी करता था, एक दुकान पर मिला था और वह एक्टर बनने के लिए आतुर था । यद्यपि वह किसी सिनेमा-कलाकार से परिचित नहीं था, परन्तु कानपुर में वह सबको यही बताया करता था कि वह बम्बई में दिलीप कुमार आदि बड़े कलाकारों से भलीभांति परिचित है और उनसे सिनेमा से सम्बन्धित कार्य कराने के लिए सक्षम है । उसने श्याम सुन्दर से दो दिन बाद बम्बई चलने के बारे में बताया था और कहा था कि यदि श्याम सुन्दर उसके साथ बम्बई चलना चाहता हो तो चले । वहां वह उसे दिलीप कुमार आदि कलाकारों से मिला देगा। श्याम सुन्दर बम्बई जाने के लिए तैयार हो गया । तब मजीद ने उससे कहा कि उसे २५-३० हजार रुपये अपने साथ लेकर वहां चलना होगा । उसने श्याम सुन्दर को अपने घर का पता बताया और दो दिन के पश्चात रात को अपने घर बुलाया । वहीं से सुबह बम्बई जाने का

कार्यक्रम था। श्याम सुन्दर निश्चित समय पर एक अटैची में कुछ कपड़े और रुपये लेकर मजीद के घर एक रिक्शे पर सवार होकर आ गया। मजीद ने उससे रुपया लाने के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह किसी तरह से व्यवस्था करके छब्बीस हजार रुपये घर से बिना किसी को बताये लाया है। मजीद तथा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने कुछ दिन पूर्व अपने मकान के अन्दर आंगन में लगे हैण्ड पम्प को उखाड़कर बेचा था और उससे अपने घर का खाने-पीने का खर्च चला रहा था। उसकी ८० वर्षीय वृद्ध माँ उसके पास ही एक पड़ोसी के मकान में रहा करती थी। उसके साथ मजीद की पहली पत्नी से पैदा हुआ एक लड़का भी रहा करता था, जिसके साथ मजीद का व्यवहार अच्छा नहीं था। मजीद का बम्बई का भी धंधा ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। अतः श्याम सुन्दर द्वारा लाये गये रुपयों पर उसकी नियत खराब हो गयी। मजीद और उसके दूसरे लड़के ने मन्त्रणा करके यह निश्चित किया कि श्याम सुन्दर को जान से मारकर रुपये हड़प लिये जाएं। उसकी लाश को हैण्ड पम्प उखाड़ने से बने १५-२० फिट गहरे गड्डे में डालकर उसे ढक दिया जाय और अविलम्ब परिवार सहित बम्बई कूच कर दिया जाय। षड़यंत्र को अग्रिम रूप देने के लिए मजीद ने श्याम सुन्दर से कहा कि उसे एक विशेष कार्य से एक दिन और कानपुर में रुकना होगा तत्पश्चात वह श्याम सुन्दर के साथ बम्बई चलेगा। श्याम सुन्दर चूंकि रुपये लेकर बम्बई जाने के लिए मजीद के पास आया था, इसलिए पुनः वह अपने घर नहीं जाना चाहता था, इसकी जानकारी मजीद को भी थी। अतः उसने इसका भी फायदा उठाया और श्याम सुन्दर को रात में अपने ही घर पर सो जाने के लिए कह दिया। श्याम सुन्दर उसके घर पर ही एक कमरे में चारपाई पर सो गया था क्योंकि इतना अधिक रुपया लेकर रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। साथ ही साथ श्याम सुन्दर के पास मजीद के घर ठहरने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। मजीद की पत्नी शाम को पड़ोस में एक रिश्तेदार के यहां विवाह में सम्मिलित होने के लिए चली गयी थी। श्याम सुन्दर के सो जाने के बाद मजीद अपने लड़के को साथ लेकर घर से बाहर चला गया था और जब दोनों घर वापस आये, तब श्याम सुन्दर गहरी नींद में सोया हुआ था। दोनों ने पहले श्याम सुन्दर की अटैची खोली, परन्तु उसमें रुपये न पाकर उन्होंने श्याम सुन्दर के बदन को टटोला। श्याम सुन्दर सिल्क का कुर्ता और पैजामा पहने हुआ था, परन्तु मजीद के बताने के अनुसार उसने २६ हजार रुपये अपने लंगोट में बांधकर पैजामा व कुर्ता से छिपा रखे थे। उसके बदन को टटोलने के पश्चात जब मजीद को इसकी जानकारी हो गयी कि रुपया कहां है, तो उसने श्याम सुन्दर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और अपने लड़के से कहा कि वह श्याम सुन्दर को मजबूती से कसकर दबोच कर रखे, जिससे वह

चिल्ला न सके। मजीद ने स्वयं एक उस्तरे से श्याम सुन्दर की गर्दन काट डाली, जिससे बहुत खून बहने के बाद श्याम सुन्दर की मृत्यु हो गयी थी। श्याम सुन्दर के मर जाने के पश्चात मजीद और उसके लड़के ने उसके बदन से कपड़े उतारकार सभी रुपये निकाल लिये थे तथा उसके ही कपड़ों से कमरे में फैले हुये खून को पोछा। उन्होंने खून से लतफत कपड़ों को जलाने का प्रयास भी किया। तत्पश्चात श्याम सुन्दर की लाश को उठाकर हैण्ड पम्प के स्थान पर खुदे हुये गड्ढे में खड़ी स्थिति में डाल दिया था, जो गड्ढे के अन्दर नीचे की ओर खिसक गयी। मजीद और उसके लड़के ने श्याम सुन्दर के जले कपड़ों की राख तथा अधजले कपड़े भी उसी गढ्ढे में डालकर मिट्टी से पाट दिया। आंगन की जमीन को मिट्टी से लीप-पोत कर बराबर भी कर दिया, जिससे किसी को यह पता न चल सके कि यहां पर कोई चीज गड़ी है। यह सारा काण्ड १० बजे से २ बजे तक पूरा हो गया। तत्पश्चात मजीद और उसका लड़का कमरे में जाकर लेट गये। थोड़ी देर बाद मजीद की औरत अपने घर लौटकर आयी। उसने आंगन में गड्ढे को मिट्टी से भरा एवं लीपा-पोता देखकर मजीद से पूछा कि क्या उसने गड्ढे को रात में भरा है? तब मजीद ने उसे श्याम सुन्दर को जान से मार डालने, उसके रुपये ले लेने तथा उसकी लाश को आंगन में हैण्ड पम्प के गड्ढे में बन्द करने की बात बताई।

मजीद की पत्नी ने इस जघन्य हत्याकाण्ड को सुनकर कहा कि भविष्य के लिए इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वह दुःखी थी और उसे इसका आभास हो गया था कि उसका पति तथा लड़का दोनों पुलिस द्वारा पकड़े जायेंगे, न्यायालय में उन पर मुकदमा चलेगा और दोनों को श्याम सुन्दर के कत्ल के लिए दण्ड का भागी होना पड़ेगा। यहां यह कहना उचित होगा कि प्रायः भारतीय नारियां, चाहे वह किसी जाति अथवा धर्म की हों, अपने पतियों व पुत्रों को कभी भी अपराध करने की सलाह नहीं देती है। वह सदैव उन्हें बुरे कामों से रोकने का प्रयास करती है, परन्तु जब उनके पतियों व पुत्रों से कोई अपराध हो जाता है तो वे हार मानकर अपनी इच्छा के विरुद्ध उनका साथ देने लगती है। इसका कारण भारतीय संस्कृति में निहित है, जहां पत्नियां अपने पतियों को ईश्वर का स्वरूप मानती है। वे अपने पतियों के सुख में ही नहीं बल्कि दुःख में भी उनका साथ देती हैं। दुख के समय पत्नियां अपनी अन्तरआत्माओं में उत्पन्न हुये सही विकल्पों को भी त्याग देती हैं। यद्यपि यह धारणा पाश्चात्य नारियों पर लागू नहीं होती है। उसका एकमात्र कारण केवल यही है कि उनकी संस्कृति भिन्न होती है। मजीद की स्त्री भी भारतीय नारियों में से एक थी। वह अपना कानपुर का पुराना मकान छोड़कर बम्बई नहीं जाना चाहती थी, परन्तु अपने पति व लड़के के मोह में उसे भी तुरन्त उनके साथ बम्बई जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, वह अपने पति और लड़के की गिरफ्तारी के पश्चात श्याम सुन्दर के कत्ल में भागीदार न होने के बाद भी उनके साथ गिरफ्तार होकर

जेल जाने के लिए पुलिस अधिकारियों के सामने रोती और गिड़गिड़ाती रही थी ।

श्याम सुन्दर के जघन्य हत्याकाण्ड के खुलने से पूर्व मुझे जो दो पत्र किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गये थे, उनकी जानकारी भी मेरे लिए जिज्ञासा का कारण बनी हुई थी । उन पत्रों के पढ़ने से ऐसा प्रतीत हुआ था कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति को श्याम सुन्दर की हत्या एवं उसकी लाश मजीद के आंगन में गड़े होने की जानकारी थी और वह उसका प्रत्यक्षदर्शी था । अतः मैंने अपनी जिज्ञासा के अनुसार मजीद के घर वालों तथा मोहल्ले वालों से भी वार्तालाप किया था, जिसके दौरान यह ज्ञात हुआ कि मजीद की पहली पत्नी से एक लड़का था, जिसे उसने अपने घर से निकाल दिया था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ मजीद के मकान में लगे हुये दूसरे मकान में रहा करता था । उस लड़के ने रात के समय श्याम सुन्दर की लाश को आंगन मे हैण्ड पम्प के गड्ढे में डालते हुये देखा था । मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने स्वीकार किया कि मेरे पास पहुँचे दो पत्र उसी ने भेजे थे क्योंकि उसे पता चल गया था कि मै स्वयं व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर श्याम सुन्दर की लाश की तलाश के लिए ही मजीद के आंगन की खुदाई करा रहा हूँ । खुदाई के समय मै मजीद के घर भी गया था और मेरे ही आदेश से लगातार पुलिस का पहरा लगा हुआ था तथा बाहर के किसी व्यक्ति को मजीद के घर में जाने में रोक लगा दी गयी थी । उसने यह भी बताया कि उसका बाप मजीद दूसरी शादी करने के पश्चात उससे नाराज रहा करता था तथा उसे गालियां देकर सदैव अपमानित किया करता था । इसलिए उसने अपने बाप और सौतेले भाई के कु-कृत्यों के विषय में मुझे सूचना दी ।

इस अपराध के खुलासे से अपराध विशेषज्ञों की यह धारणा फिर सही साबित हुई कि "ब्लड सीक्स" यानी खून बोलता है । वास्तविक अभियुक्तों को सही ढंग से ढूंढने में पुलिस अधिकारियों को अपनी शिक्षा-दीक्षा, अपने विवेक, दूरदर्शिता, लगन और अपार धैर्य का परिचय देना पड़ता है, तभी उनकी कर्मठता का परिणाम सफलता के रूप में सम्भव हो पाता है । किसी अपराध की विवेचना में पुलिस-जांचकर्ता के बुनियादी प्रशिक्षण और उसके अनुभव का बहुत महत्व होता है । उदाहरण के लिए इस जघन्य अपराध की खोज के पीछे मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा बताई गयी एक पुरानी कहानी मेरे लिए प्रेरणास्रोत बनकर मार्गदर्शन कर रही थी और जब तक सम्बन्धित गम्भीर अपराध का रहस्य नहीं खुल गया, तब तक मै सारी परिस्थितियों का धैर्यतापूर्वक अपने अनुभव के आधार पर सामना करता रहा । यदि मै अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की निराशा को लेकर संकोच में पड़ा रहता तो शायद श्याम सुन्दर की लाश हमेशा-हमेशा के लिए मजीद के आंगन के हैण्ड पम्प के गड्ढे में एक कब्र की तरह पड़ी रहकर मिट्टी में मिल जाती और वृद्ध बालेचा एवं उनके परिवार के लोगों

के साथ-साथ कानपुर वासियों को यह कहने का अवसर मिल जाता कि पुलिस श्याम सुन्दर का पता लगाने में असमर्थ रही । पुलिस अधिकारी को किसी अपराध की तफ्तीश एवं छानबीन के दौरान खुले दिमाग से नियमानुसार निर्भीकता, ईमानदारी एवं धैर्य से उसको एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए । साधारण ढंग से की गयी तफ्तीश से पुलिस अधिकारी गुमराह होकर कभी-कभी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते है, जिससे बड़ी भूल और अनर्थ होने की सम्भावना रहती है । साथ ही साथ निरपराध लोगों के साथ भी अन्याय हो जाता है।

१३

शमीमा बानो रहस्यमय हत्याकांड

कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यवसायिक केन्द्र है, जिसके कारण उसकी जनसंख्या प्रदेश के अन्य शहरों से अधिक है। व्यवसायिक केन्द्र होने के कारण कानपुर की जनसंख्या अन्य जनपदों से अधिक तो है ही, साथ ही साथ अपने व्यापार के सम्बन्ध में लाखों लोगों का वहां प्रतिदिन आना-जाना लगा रहता है। इसलिए वहां पर विभिन्न आपराधिक घटनाओं की संख्या भी ज्यादा होना स्वाभाविक है। जनवरी, १९७६ में मैं कानपुर के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त था। प्रदेश सरकार गहन छानबीन के बाद कानुपर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय ले चुकी थी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली ब्रिटिश शासनकाल में उस समय के मैट्रोपालिटन शहरों जैसे- बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में लागू थी। मैट्रोपालिटन शहरों में पुलिस कमिश्नर को पुलिस के अधिकारों के अतिरिक्त मैजिस्टीरियल के अधिकार भी प्राप्त होते है। मैट्रोपालिटन प्रणाली में यह आवश्यक होता है कि सम्पूर्ण जनपद केवल एक शहर हो तथा उसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो। ऐसे जनपदों में देहात के गांव सम्मिलित नहीं किये जाते हैं।

लागू की जाने वाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली का श्रीगणेश प्रारम्भ से ही सुदृढ़ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में हो सके। मैंने पुरानी पुलिस व्यवस्था को पुलिस कमिश्नर की रूपरेखा के आधार पर ढालना शुरू कर दिया था और उसके परिप्रेक्ष्य में अपने नीचे नियुक्त पुलिस अधीक्षक, नगर क्षेत्राधिकारियों एवं थानों के इंचार्ज इन्सपेक्टरों को पहला आदेश यह दिया था कि कानपुर शहर के किसी भी थाना क्षेत्र में यदि कोई गम्भीर अपराध या घटना घटे तो पुलिस कन्ट्रोल रूम अविलम्ब उसे अंकित करे तथा अधिकारियों को, वे चाहे जहां भी हों, सूचना दे दे, जिससे वे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंच जायं। मुझे स्वयं भी ऐसे स्थानों पर अविलम्ब पहुंचना होता था। ऐसे घटनास्थलों पर पहुंचने के लिए रात हो या दिन, पहुंचना अनिवार्य था। मेरा आदेश था कि सभी अधीनस्थ अधिकारी जहां और जिस परिस्थिति में हों, अपनी गाड़ियों के वायरलेस सेट खोलकर रखें एवं वॉकी-टाकी सेट भी सदैव अपने साथ रखें। यह बन्दोबस्त रहस्यमय हत्याकाण्डों तथा साम्प्रदायिक तनाव स्थलों पर सफलतापूर्वक परिणाम दे चुका था।

जनवरी, १९७७ में लगभग तीन बजे दिन मै अपने बंगले के कान्फिडेन्सियल ऑफिस में बैठा कार्य कर रहा था। उसी समय मेरे पास स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन, अनवरगंज का फोन आया। स्टेशन मास्टर फोन पर बातचीत के दौरान बहुत घबराये हुए प्रतीत हो रहे थे। उनका कहना था कि स्टेशन के पार्सल घर में एक लकड़ी की पेटी रखी है, जिसमें मथुरा के लिए चप्पलें बुक कराई गयी है। पिछले दो दिनों से पेटी को ट्रेन में लादा नहीं जा सका है। पेटी से गन्दा और अत्याधिक दुर्गन्ध-पूर्ण पानी रिस कर बाहर आ रहा है, जिसके कारण वहां पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी आदि ठहर नहीं पा रहे है। मैंने फोन पर उन्हें उत्तर दिया कि वे पार्सल घर के पास समस्त पार्सल बाबुओं के साथ उपस्थित रहें। मै अपने अन्य पुलिस अधिकारियो के साथ जांच हेतु पार्सल घर शीघ्र पहुंच रहा हूँ। पुलिस कन्ट्रोल रूम ने समस्त सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी। मेरे वहां पहुंचने के साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक नगर अग्निहोत्री जी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थानों के इंचार्ज इन्सपेक्टर भी वहां पहुंच गये। पार्सल घर में रखी पेटी के पास तेज दुर्गन्ध के कारण खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, अतः मैंने स्टेशन मास्टर अनवरगंज से अनुरोध किया कि वे पेटी को बाहर खुले स्थान पर खिंचवा कर ले चलें। उन्हानें अपने आदमियों से लकड़ी की पेटी को खिंचवा कर बाहर खुले स्थान पर रखवाया। मुझे तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को दुर्गन्ध से यह आभास हो गया था कि पेटी के अन्दर किसी की लाश है, जिसके सड़ने के कारण इस प्रकार की दुर्गन्ध आ रही है। मेरे आदेश पर पेटी खोली गयी तो उसके अन्दर एक पुरानी रजाई में

लिपटी और मूज की रस्सी में बंधी एक सोलह-सत्रह वर्ष की बच्ची की लाश दोहरी की हुई मिली। देखने में वह मृतक लड़की सुन्दर और सुडौल थी और अच्छी सलवार व कमीज पहने थी। मासूम लड़की को चिरनिद्रा में सोई हुई अवस्था में देखकर वहां उपस्थित सभी लोग एकबारगी दहल गये।

मैंने तुरन्त पुलिस कन्ट्रोल रूम को इस घटना की जानकारी कराते हुये आदेश दिया कि पिछले तीन दिनों में शहर के थानों में जितनी लड़कियों की गुमशुदगी लिखाई गयी हो, उन लड़कियों, उनके माता-पिता या रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के नाम-पते शीघ्रताशीघ्र बतायें जाएं। लगभग आधे घंटे के अन्दर ही पुलिस कन्ट्रोल रूम ने गुमशुदगी की पांच सूचनाएं हम लागों को दीं। अनवरगंज पार्सल-घर के पास शहर के पुलिस क्षेत्राधिकारियों की गाड़ियां खड़ी थी। उनमें से पांच गाड़ियों को पुलिस कन्ट्रोल रूम से बताये गये गुमशुदगी के पांचों स्थानों पर भेज कर सम्बन्धित लोगों को तुरन्त ले आने के लिए भेजा गया। लगभग आठ बजे शाम तक गुमशुदगी से सम्बन्धित सभी पांचों लोग हम लोगों के पास आ गये। उन्हीं लागों में कानपुर की एक मस्जिद के इमाम, जिनकी दाढ़ी लम्बी और बिल्कुल सफेद थी, सफेद कुर्ता पैजामा पहने भी वहां आये। जैसे ही उन्होंने लड़की की लाश को देखा, चीख मारते हुए 'हाय बानो' - 'हाय बानो' यह क्या हो गया, चिल्लाते हुए मूर्छित होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। वहां पर उपस्थित लोगों ने उन्हें सम्भाला और जब वे उठकर बैठे, तब दुःखी होकर जोर-जोर से रोने लगे।

मैंने इमाम साहब को उठाया, सान्त्वना दी और समझा बुझाकर पूछा कि वह मृतक लड़की कौन है, तो उन्होंने रोते हुए बताया कि उक्त लाश उनकी बेटी शमीमा बानो की है। मैंने पुलिस अधिकारियों को लाश का पंचायतनामा तैयार करने, उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजने तथा अन्य कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया और इमाम साहब को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाना-अनवरगंज ले गया। थाना-अनवरगंज पहुंचने पर मैंने इमाम साहब को समझा-बुझाकर किसी तरह शान्त किया और अनुरोध करके उन्हें ठंडा कोका-कोका पीने के लिए तैयार किया। कोका-कोला पीने के पश्चात वे कुछ नार्मल लगने लगे। इसके पूर्व वे अपनी मासूम बेटी की दुःखद हत्या पर बहुत शोक प्रकट कर चुके थे। बातचीत के मध्य उन्होंने अपनी मस्जिद से सम्बन्धित बहुत से किस्से सुनाये कि उन्होंने वहां चोरी करने वालों को कई बार पकड़ा था और कई चोरियों से सम्बन्धित मामलों का पर्दाफाश किया था। सब कुछ होते हुए भी वे अफसोस जाहिर कर रहे थे कि वे अपनी ही बेटी की दर्दनाक मृत्यु के विषय में कुछ करने में असमर्थ रहे है। मुझे एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते यह

प्रतीत हुआ कि इमाम साहब को अपनी बेटी की दुखद मृत्यु का कष्ट तो है, परन्तु वे एक अच्छे बातूनी व्यक्ति भी हैं । अपनी प्रशंसा करने से उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु की वेदना भी रोक नहीं पा रही थी । मैंने इस अवसर का फायदा उठाया और इमाम साहब की खूब तारीफ की तथा साथ ही साथ यह भी कहा कि वे पुलिस अधिकारियों से भी अधिक होशियार एवं जानकार हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया । मैंने पुनः परिस्थितियों का लाभ लेते हुए इमाम साहब से उनकी बेटी की हत्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना उचित समझा और पूछा कि क्या वे इस दर्दनाक हादसे में किसी व्यक्ति पर शक करते है । उन्होंने स्वयं तो किसी पर शक जाहिर नहीं किया, परन्तु उनकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि उनकी बेटी बहुत सुन्दर-सुडौल होने के साथ-साथ चुलबुली थी । मस्जिद तथा उसके मुहल्ले मे एक-दो बार कुछ लड़कों ने छेड़-छाड़ करने की कोशिश भी की थी । उसी समय इमाम साहब के साथ-साथ उनके मुहल्ले के अन्य कई लोगों से भी बातें की, जिसके परिणामस्वरूप दो लड़को पर मुझे शक होने लगा कि उनमें से कोई इस दुखद काण्ड के लिए जिम्मेदार हो सकता है । पहला शक तो कानपुर के कलेक्टर के मुसलमान ड्राइवर के लडके पर था तथा दूसरा शक एक अन्य मुसलमान लड़के पर था जो इमाम साहब के मुहल्ले में एक किराये के मकान मे रहता था । यह लड़का बी०ए० का छात्र होने के साथ-साथ सुन्दर भी था परन्तु गरीब था और जीवनयापन के लिए बाजार से सस्ते फाउन्टेन पेन थोक में क्रय करके शहर में घूम-घूमकर बेचा करता था ।

इस समय तक पुलिस ने मृतक शमीम बानो का पंचायतनामा तैयार करके उसकी लाश नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु भेज दी थी । मैंने लगभग साढ़े नौ बजे रात इमाम साहब को समझा-बुझाकर सान्त्वना देते हुए एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर के साथ उनके घर भिजवा दिया और थाना अनवरगंज में एकत्रित सभी पुलिस अधिकारियों से इस घटना के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श किया । सभी अधिकारी मेरी बात से सहमत थे और परिस्थितियों को देखते हुए इस जघन्य हत्याकाण्ड के लिए कलेक्टर साहब के ड्राइवर के लड़के तथा फाउन्टेन पेन बेचने वाले लड़के पर शक कर रहे थे । अतः मैंने आदेश दिया कि आज रात में ही उक्त दोनों लड़कों के घरों की खाना- तलाशी की जाये और दोनो को थाना अनवरगंज लाकर उनसे इन्ट्रोगेशन (पूछताछ) की जाय । पुलिस इन्ट्रोगेशन में सम्बन्धित काण्ड में जिन लोगों पर शक होता है, उनसे छानबीन के मध्य विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये जाते है और कभी-कभी सही उत्तर प्राप्त करने हेतु कुछ सख्ती भी करनी पड़ती है । वर्तमान वैज्ञानिक युग में इन्ट्रोगेशन के लिए पुलिस को लाई-डिटेक्टर मशीन का भी प्रयोग करना आवश्यक हो गया है, जिसे

प्रायः सी०बी०आई० तथा सी०आई०डी० के पुलिस अधिकारी प्रयोग में लाते है।

मैंने संदिग्ध व्यक्तियों की खाना-तलाशी लेते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया :

१. मृतक की लाश चारपाई की मूँज की रस्सी से बंधी पायी गयी थी, अतः संदिग्ध व्यक्तियों के मकान में चारपाई पर विशेष ध्यान दिया जाय, जिसमें से मूँज की रस्सी निकाली गयी होगी। वहां पर मूँज की रस्सी के कुछ कटे हुए टुकड़े भी मिलने चाहिए।

२. मृतक की लाश किसी गद्दा या रजाई से निकाली गयी रुई से लपेटी गयी थी, अतः रजाई या गद्दे का खोल तथा पुरानी रुई भी मिलनी चाहिए।

३. मृतक की लाश को लकड़ी की एक बड़ी पेटी में रखकर पेटी मे कीलें ठोंककर उसे बन्द किया गया था, इसलिए वहां पर कील ठोकने के लिए हथौड़ी अथवा अन्य कोई वस्तु (पत्थर आदि) तथा कीलें भी मिलने चाहिये।

४. मृतक की लाश जिस लकड़ी की पेटी में बन्द करके पार्सल करने हेतु पार्सल घर ले जायी गयी थी, उस पर नीली स्याही से ''टू मथुरा,चॉद चप्पल एण्ड कम्पनी'' तथा कानपुर से भेजने वाले का पता उल्टा -पुल्टा लिखा था, इसलिए खाना-तलाशी में नीली स्याही की दावात, ब्रुश या स्याही लगी एक मोटी कलम या लकड़ी मिलनी चाहिए।

५. इसके अतिरिक्त मैंने यह भी हिदायत दी कि लाश की पेटी घटनास्थल से पार्सल करने हेतु अनवरगंज रेलवे स्टेशन के पार्सल घर में किसी सवारी से ले जायी गयी होगी। अतः उस सवारी, रिक्शा या तांगा तथा उसके चालक का भी पता लगा लेना आवश्यक होगा। साथ ही साथ पुलिस अधिकारी को पार्सल घर के उस बाबू से भी पूछताछ करनी होगी, जिसने मृतक की लाश से सम्बन्धित पेटी को कानपुर से मथुरा के लिए बुक किया होगा क्योंकि सम्बन्धित पार्सल क्लर्क याद करके यह बता सकता है कि उक्त पेटी बुक कराने वाले व्यक्ति का हुलिया कैसा था और वह किस प्रकार के कपड़े पहने था।

सम्बन्धित कानूनी कार्यो एवं छान-बीन करते-कराते अनवरगंज थाने पर रात के साढ़े बारह बज गये थे। मैं अपने बंगले पर वापस चला गया था। मेरे अधीनस्थ पुलिस अधिकारी भी संदिग्ध व्यक्तियों की खाना-तलाशी तथा छापा मारने की कार्यवाही के लिए अविलम्ब प्रस्थान कर चुके थे। मै अभी खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर जा भी नहीं पाया था कि मेरे अर्दली ने टेलीफोन का चोंगा पकड़ाते हुए कहा कि कोतवाल साहब आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते है। मैंने उसके हाथ से टेलीफोन ले लिया। कोतवाल साहब ने बताया कि कलेक्टर साहब के मुसलमान ड्राइवर के लड़के के घर की खाना-तलाशी की जा

रही है यद्यपि उसके घर में एक बिना मूँज की रस्सी से बनी चारपाई, एक हथौड़ी और कुछ कीलें मिली है परन्तु अन्य वस्तुएं नहीं मिली है । इन्ट्रोगेशन करने के लिए कलेक्टर साहब का ड्राइवर आपत्ति कर रहा था । मैंने कोतवाल साहब की बातें सुनकर आदेश दिया कि वह टेलीफोन रख दें और पन्द्रह मिनट के पश्चात मुझे पुनः फोन करें । तत्पश्चात मैंने श्री के० के० बक्शी, आई०ए०एस० कलेक्टर कानपुर से बात की और उन्हें उक्त जघन्य अपराध के वृतान्त से अवगत कराते हुए अनुरोध किया कि यदि उन्हें आपत्ति न हो तो उनके ड्राइवर के लड़के को कोतवाली लाकर शमीमा बानों के रहस्यमय कत्ल के विषय में सुचारु रूप से इन्ट्रोगेशन कर लिया जाय । यद्यपि श्री बक्शी कुछ हिचकिचाते से नजर आये, परन्तु जब मैंने उनसे ड्राइवर पर मानसिक दवाब डालने के लिए कहा और उन्हें समझाया कि यदि आज की रात ही में यह अपराध सही-सही वर्क आउट हो जाय तो बहुत ही अच्छा होगा अन्यथा सुबह होते ही इस घटना की झूठी-सच्ची अफवाहें पूरे शहर में फैल जायेंगी जो साम्प्रदायिक दंगों का भी रूप ले सकती है और जिससे निपटने के लिए हम दोनों को भी भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है । मेरी यह युक्ति तत्काल काम कर गयी और बक्शी जी ने मेरा अनुरोध मान लिया । कुछ देर के पश्चात कोतवाल साहब ने मुझे पुनः फोन किया । बातचीत के मध्य मैंने उनसे कहा कि वह ड्राइवर को बता दें कि बड़े कप्तान साहब ने कलेक्टर साहब से बात कर ली है और कलेक्टर साहब ने इजाजत दे दी है । ड्राइवर के लड़के को कोतवाली ले जाकर सम्बन्धित मामले में पूरी छानबीन कर ली जाय । इसके बाद कोतवाल साहब ड्राइवर के लड़के को बुलाकर पूछताछ के लिए कोतवाली ले आये ।

रात्रि के डेढ़ बज गये थे । मैं इस हत्याकाण्ड के विषय को गहराई से सोच रहा था और उसके वर्कआउट होने की आशा में अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन आने की प्रतिक्षा में था । मुझे झपकी भी आने लगी थी, इसी मध्य टेलीफोन की घंटी बज उठी । मैंने टेलीफोन उठाया । पुलिस अधीक्षक ओ०पी० अग्निहोत्री थाना अनवरगंज से मुझसे टेलीफोन पर बात करना चाहते थे । उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सूचना दी कि शमीमा बानो का जटिल एवं रहस्यमय मर्डर केश वर्कआउट हो गया है । फाउन्टेन पेन बेचने वाले लड़के के यहां खाना-तलाशी से एक चारपाई मिली है जो मूँज की रस्सी से बिनी हुई है और उसी में से रस्सी निकाली गयी है, जिसका प्रयोग शमीमा बानो की लाश को बांधने के लिए किया गया है । जिस रजाई से रुई निकालकर मृतक की लाश को उसमें लपेटा गया था, उस रजाई का खोल भी मिल गया है । साथ ही साथ लकड़ी की पेटी को बन्द करने के लिए जिस हथौड़ी का प्रयोग किया गया था, वह हथौड़ी तथा उसके साथ ही कुछ कीलें भी मिली है ।

इसके अतिरिक्त नीली स्याही की दवात तथा प्रयोग में लाया गया व्रुश भी मिल गया है। फाउन्टेन पेन वेचने वाले लड़के ने अपना पूरा जुर्म इकवाल कर लिया है। उसने शमीमा वानो की हत्या क्यों और कैसे की, इस सम्वन्ध में पूरी-पूरी वातें वता दी है। उक्त लड़के को गिरफ्तार करके थाने लाया गया है। मैंने उनके साथ कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अथक परिश्रम एवं इस केस को वर्कआउट करने के लिए वहुत-वहुत वधाइयां एवं शावासी दी और उन्हें हिदायत दी कि वे गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें और यदि आवश्यक समझें तो उसे सुवह सम्वन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर ले लें। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं सुवह आठ वजे स्वयं थाना अनवरगंज पहुंचकर उक्त अभियुक्त से पूछतांछ करना चाहूँगा। तत्पश्चात उसे जेल भेजने या पुलिस रिमाण्ड पर लेने से सम्वन्धित कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि कलेक्टर साहव के ड्राइवर के लड़के को उसके घर वापस भेज दिया जाय क्योंकि वह निर्दोष है। मेरी पत्नी सरला भी मेरी कड़ी मेहनत एवं सफलता की जानकारी से आनन्दित हो उठी। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए प्यार से मेरा सिर चूम लिया जो मेरे लिए एक वड़े पुरस्कार से भी वढ़कर प्रोत्साहन का स्रोत था। वह कानपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका थीं जिन्हें मैं प्यार से शैल कहा करता था। वह एक गम्भीर, मर्यादित और शिष्ट आचरण वाली विदुषी महिला थी। मैं प्रात: थाना-अनवरगंज जल्दी ही पहुंच गया। वहां पर थाने के सामने अपार जनसमूह इक्ठ्टा होकर इस जघन्य एवं हृदय विदारक आपराधिक घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्वेलित हो रहा था। लोग जान गये थे कि इस हत्याकाण्ड की गुत्थी एक ही दिन में पूरी तरह पुलिस के अथक परिश्रम से सुलझ चुकी है और सही अपराधी गिरफ्तार भी हो चुका है। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा, भीड़ मेरी ओर दौड़ पड़ी और मेरी जय-जयकार के नारों से वहां के वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मैं भीड़ के वीच खड़ा मुस्कराता हुआ उनके हार्दिक अभिवादन को स्वीकार करता रहा। उस समय मुझे अपना अनुभव, अपनी तेजी, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिये गये निर्देश, मृतक शमीमा वानो की लाश, इमाम साहव का मूर्छित होना और उन्हें वार-वार सन्त्वाना देना, के०के० वक्शी से उनके ड्राइवर के लड़के के विषय में वातचीत, ओ०पी०अग्निहोत्री (पुलिस अधीक्षक नगर) की प्रसन्नता भरी सूचना के साथ-साथ अपनी पत्नी सरला की भी याद आयी। मैं सव कुछ देखकर गदगद था। के०के० वक्शी, जिलाधिकारी कानपुर भी मेरे साथ थे और वे भी मित्रतापूर्वक मुझे वधाई दे रहे थे।

मैंने फाउन्टेन पेन वेचने वाले लड़के से पूछ-ताछ की तो उसने अपना नाम आरिफ

बताया। उसने शमीमा बानो की हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया था कि वह बी०ए०का छात्र था और इमाम साहब के मस्जिद के पास एक कमरा किराये पर लेकर रहता था। वह अपना खर्च चलाने के लिए सस्ते किस्म के फाउन्टेन पेन खरीदकर बाजार में उन्हें घूम-घूमकर बेचता था। वह कभी-कभी इमाम साहब के पास मस्जिद में भी जाता था। लगातार आने-जाने के कारण इमाम साहब उसे बहुत चाहने लगे थे। मस्जिद में ही कभी-कभी उसकी मुलाकात इमाम साहब की बेटी शमीमा बानो से हो जाया करती थी। शमीमा बानो देखने में बहुत सुन्दर थी, जिसके कारण वह लगातार उसकी ओर आकर्षित होता चला गया था। उस सुन्दर लड़की का यौवन तथा उसकी बल खाती हुई अठखेलियां उसे धीरे-धीरे आशिक मिजाजी की ओर खीचने लगी थी। इमाम साहब की बेटी खूब बोलती-हंसती थी और कभी-कभी अपनी उम्र से अधिक हंसी-मजाक भी किया करती थी। सारी अच्छाइयों के साथ ही साथ शमीमा बानो में एक खराबी भी उसे यह दिखायी देती थी कि वह कलेक्टर साहब के मुसलमान ड्राइवर के लड़के तथा एक-दो और लड़कों से भी इसी तरह की हंसी मजाक एवं इश्क आशिकी की बाते किया करती थी, जो उसे नागवार लगती थी। उसके मना करने पर शमीमा बानो उन लडकों में से किसी का भी साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मुख्य कारण यह था कि वह शमीमा बानो से नाराज और दुःखी रहने लगा था। वह उक्त लड़की को जी-जान से चाहता था और इमाम साहब का प्रिय होने के कारण उसका फायदा भी उठाना चाहता था जिसके कारण इमाम साहब की बेटी का अन्य लड़कों से मिलना-जुलना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बातचीत से ऐसा प्रतीत होता था कि आरिफ और शमीमा बानो के अवैध शारीरिक सम्बन्ध भी हो गये थे क्योंकि आरिफ के अनुसार वह शमीमा बानो के साथ अपने कमरे तथा मस्जिद मे कभी-कभी एकांत मे साथ-साथ भी रहा करता था। आरिफ ने एक दिन उसे एक अन्य लड़के के साथ मस्जिद में देख लिया था, जिसके कारण उसने शमीमा बानो को काफी डांटा-फटकारा भी था। शमीमा बानो एक हफ्ते तक उससे मस्जिद या उसके कमरे में नहीं मिली थी। हत्या के एक दिन पहले शाम के वक्त शमीमा बानो अचानक उसके कमरे में आयी थी और पुरानी बातो को भूल जाने के लिए कहने लगी थी। शमीमा बानो ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा था "आरिफ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आरिफ उसकी बेवफाई से निराश हो चुका था, अतः उसने शमीमा बानो से शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। शमीमा बानो ने क्रोधित होकर आरिफ के गाल पर कसकर एक थप्पड़ मार दिया। आरिफ अपमानित होकर अपना संतुलन खो बैठा क्योंकि वह जानता था कि बानो एक बेवफा तथा बदचलन लड़की थी। उसने गुस्से में आकर शमीमा बानो का

गला पकड़कर दबा दिया। उसने देखा कि शमीमा बानो की गर्दन उसके हाथ में लटक गयी और वह जमीन पर गिर पड़ी। तब वह एकदम घबड़ा गया। उसने शमीमा बानो के शरीर को पकड़कर बहुत हिलाया-डुलाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, परन्तु तब तक वह निर्जीव हो चुकी थी। इसलिए आरिफ के सभी प्रयास विफल रहे। आरिफ भयभीत होकर बुरी तरह कांपने और रोने लगा क्योंकि कुछ क्षणों में ही हंसी-मजाक एवं प्रेम के मध्य वह एक साधारण युवक से अपराधी के रूप में परिवर्तित हो चुका था। उसे पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी, न्यायालय द्वारा सजा, जेल में जिल्लत की जिन्दगी आदि कष्टों का भय परेशान करने लगा था।

आरिफ ने अपने को जघन्य अपराध के लिए अभियुक्त बनकर कटघरे में खड़ा होने से बचाने के लिए एक योजना बनायी जो बड़े-बड़े अपराधियों की बुद्रि के भी परे रही होगी। एक कहावत है कि परिस्थिति और मजबूरियां इंसान को शैतान बना देती हैं। अभियुक्त आरिफ ने अपनी योजना के तहत शमीमा बानो की लाश को लकड़ी की पेटी में जो चाय वगैरह के पैकेटों को ले जाने के लिए बनायी जाती है, चप्पलों के पार्सल के रूप में मथुरा के एक गलत पते पर भेज कर अपने को निर्दोष बना लेने और चैन की सांस लेने की सोची थी। वह तुरन्त शमीमा बानो को अपने कमरे में मरी छोड़कर कमरे में बाहर से ताला लगाकर बाजार चला गया था और अट्ठारह रुपये में एक बिसाती की दुकान से खाली लकड़ी की पेटी और कीलें क्रय करके साइकिल के पीछे बांधकर अपने कमरे पर ले आया था। उसने अकेले में अपने कमरे का ताला खोला तथा लकड़ी की पेटी आदि लेकर लाश के पास गया। उसने अपनी मृत प्रेयसी को चुम्बनों से नवाजा और अपने आंसुओं की भेंट देकर उसकी लाश को अपने हाथों से मोड़ कर चारपाई से निकाली हुई रस्सी से बांध दिया। टांके तोड़कर रजाई की खोल में भरी हुई रुई निकालकर अपनी सुकोमल नाजनीन की लाश को लपेटा। तदोपरान्त चारपाई की मूँज की रस्सी से पुनः उसे लपेटकर बांध दिया। इस तरह उसने लाश को पेटी के अन्दर डालकर लकड़ी के पटरों से बन्द करके ऊपर से कील जड़ दिये थे। पेटी के ऊपर उसने अपने हाथों से स्वयं लिखा था "टू मथुरा, चॉद चप्पल एण्ड कम्पनी, डैमपियर नगर तथा भेजने वाले के नाम के स्थान पर चमनलाल, मकान नं० १५३, मुहल्ला अनवरगंज, कानपुर लिखा था। उसने अपने कमरे की सफाई करके वहां की हर चीज को यथास्थान रखा। फिर बाजार से एक रिक्शा वाले को बुला लाया। वह अपनी महबूबा को, जिसके आगोश में उसने अपने युवा शरीर को डालकर कई बार एक नई हरकत और हरारत का अनुभव किया था, की लाश को आज अपने हाथों से एक पार्सल का रूप देकर

हमेशा-हमेशा के लिए आँखों से ओझल करने के लिए व्यग्र था। लकड़ी की पेटी रिक्शे पर लादकर वह सीधा अनवरगंज रेलवे स्टेशन के पार्सल घर पहुंचा था, जहां उसने माल बाबू से पेटी का वजन कराया और उसे रेलवे के मालखाने में रखवा दिया तथा पैसा देकर रसीद प्राप्त कर ली थी। सब कुछ करने के पश्चात आरिफ निश्चिन्त होकर अपने कमरे में आकर रहने लगा था। वह कभी-कभी इमाम साहब के पास जाता था। शमीमा बानो के गायब होने का अपना दुःख प्रकट कर आता था और उन्हें विश्वास दिलाता था कि इमाम साहब, आप तो अल्लाह के खास बन्दों में से है, आपकी बेटी आपको अवश्य मिल जायेगी।

मैंने अनवरगंज में उपस्थित पत्रकार बन्धुओं को भी, हवालात में बन्द आरिफ से बातें करने की इजाजत दे दी। आरिफ ने शमीमा बानो की मृत्यु के विषय में जो बातें मुझे बतायी थी, वही पत्रकार बन्धुओं को भी बतायीं। प्रेस वाले भी मेरी इतनी तेजी से हत्या के मामले की छानबीन कर लेने पर अचम्भित थे। उन्होंने मुझे हार्दिक बधाई भी दी।

१४

पुलिस के बारे में एक बड़ी भ्रान्ति

हमारे देश की साधारण जनता के मन में एक बड़ी भ्रान्ति है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी अपराधियों की जानकारी रहती है और यदि पुलिस चाहे तो मुख्यतः चोरी, नकबजनी, डकैती तथा राहजनी के आपराधियों को तुरन्त पकड़कर चोरी या लूटी गयी सम्पत्ति को बरामद करके उसके मालिक को अविलम्ब लौटा सकती है। इसका कारण बताना तो बहुत कठिन है परन्तु दूसरे अर्थो में शायद इस भ्रान्ति से उनका आशय यह हो सकता है कि पुलिस तथा अपराधियों की मिलीभगत से अधिकतर इस किस्म की घटनाएं होती हैं। साधारण जनता की यह भ्रान्ति केवल वहीं चरितार्थ हो सकती है, जहां कोई पुलिसकर्मी अपने पद की गरिमा खो चुका होता है या जिनकी नियत या चरित्र पुलिस के महान कर्तव्यों के प्रतिकूल होता है। साधारण जनता की इस तरह की भ्रान्ति प्रायः आधारहीन होती है और दुष्प्रचारमात्र व अज्ञानता की द्योतक है। यही करण है कि प्रायः पुलिस के साहसिक एवं सराहनीय कार्यो को तोड़-मरोड़कर जनता के समक्ष पेश किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को सही काम करने के दौरान भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें अकारण जन आक्रोश का भी शिकार होना पड़ता है। सच तो यह है कि जटिल आपराधिक घटनाओं का सही पता लगाने के लिए पुलिस को न केवल अथक परिश्रम करना पड़ता है बल्कि घटना के पूर्ण रहस्य को खोलने एवं सफलता पाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी विधियों के साथ-साथ शारीरिक परिश्रम, त्याग व कभी-कभी बलिदान का भी सहारा लेना पड़ता है। कानूनी परिधि के चक्रव्यूह में होते हुये भी बाह्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर विवेक से कार्य सम्पादन करने के पश्चात ही सफलता की आशा रहती है और कभी-कभी हर सम्भव प्रयास के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती है।

फिर भी, जनता में यह भ्रान्ति बनी हुई है कि यदि चोरी व डकैती आदि जैसे जटिल अपराधों की छानबीन नहीं होती, अभियुक्तों का पता नहीं चलता, चोरी गये/लूटे गये माल की बरामदगी नहीं हो पाती तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है क्योंकि वह अपराधियों से मिली होती है। यहां मै यह भ्रान्ति मिटाने के लिए मद्रास में हुई चोरी की एक बड़ी घटना का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मै ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर में नियुक्त था। उस समय श्री तिलक राज ओबराय जी कानपुर के मसहूर दर्जी थे। परेड, कानपुर में उनकी दुकानं इण्टरकान्टीनेन्टल टेलर्स के नाम से प्रसिद्व है। वातानुकूलित होने के साथ-साथ यह दुकान बड़ी ही सुन्दर बनायी गयी है। उनकी दुकान पर सिले गये सफारी सूट एवं शर्ट दूसरे टेलर्स की तुलना में वेहतर होते हैं, पर सिलाई दुगुनी थी। उनके द्वारा सिले हुये कपड़े कानपुर में "स्टेट्स सिम्बल" बन चुके थे। ओबराय जी मृदुभाषी, विनोदी, हंसमुख तथा सज्जन पुरुष थे। साथ ही साथ देखने में सुन्दर और सुडौल भी थे। वह मेरे बड़े भाई श्री के०एन० सक्सेना (तत्कालीन आयकर अधिकारी, कानपुर) के विशेष मित्रों में थे। हमारे परिवार से उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध थे और सपरिवार एक दूसरे के घर आना-जाना था। मेरी वर्दी श्री ओबराय जी ही सिला करते थे, जिसे देखकर लोग पूछा करते थे कि इतनी अच्छी वर्दी किसने सिली है। ओबराय जी का नाम बताना भी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक साधन था। ए०के० मित्रा, आई०पी०एस०, जो मेरे अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक (रूरल एरिया), कानपुर नियुक्त थे, वह भी ओबराय जी द्वारा सिले कपड़े पहनने के आदी थे। जब तक ओबराय जी जीवित थे, वह हमेशा उन्हीं के द्वारा सिले कपड़े ही पहनते थे। मेरे तथा मेरे भाई का भी यही हाल था। ओबराय जी की मृत्यु से मुझको तथा मेरी पत्नी सरला को बड़ा दुख पहुंचा था। उम्र में बड़े होते हुये भी वह सरला को सादर भाभी जी कह कर सम्बोधित किया करते थे। मेरे बड़े भाई श्री के०एन० सक्सेना भी एक अच्छे विनोदी व्यक्तित्व के धनी है। जब कभी मै अपने झंझट भरे कामों से ऊब जाता था, तब सरला प्रायः फोन पर अपने जेठ जी को बता देती थी कि आज यह बहुत थके हुये है। तब शाम को ओबराय जी व बड़े भाई के०एन० सक्सेना जी मेरे बंगले पर आ जाते थे और हंसी-मजाक की झड़ी लगाना शुरू कर देते थे। गम्भीर प्रवृत्ति के बावजूद मै भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगता था और मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर से डी०आई०जी, फैजाबाद के पद पर प्रोन्नत होकर जाने के बाद मुझे अपने बड़े भाई से यह ज्ञात हुआ था कि मेरी थकान दूर करने में सरला इस प्रकार की तरकीब काम में लाती थी।

एक दिन मै अपने कार्यालय में काम में व्यस्त था। अचानक ओबराय जी ने मुझे फोन

किया कि वह मुझे एक विशेष सूचना देने आना चाहते है । मैने उन्हें तुरन्त आ जाने के लिए कहा । उनके द्वारा मेरे पास आने के लिए पूछना आश्चर्यजनक था क्योंकि इस प्रकार उन्होंने मुझे पहली बार ही ऑफिस में फोन किया था । मैने सोचा था कि वह अपने किसी मित्र अथवा मेरे किसी अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी के मामले में कोई संस्तुति करना चाहते होंगें । यद्यपि मैं संस्तुतियों के आधार पर कार्य नहीं करता था और अपनी कार्य शैली के अनुसार जब तक संस्तुतिओं पर आधारित कार्यो के लिए परिस्थतियों से संतुष्ट नहीं हो लेता था, कोई ऐसा काम जल्दी में नहीं करता था, जिसके परिणाम से कोई अनिष्ट हो जाय या उसका भय हो । यही कारण था कि मेरे ससुर श्री के०पी० सक्सेना, वरिष्ठ एडवोकेट, मेरे साले प्रोफेसर डा० एस०के० सक्सेना, मेरे भाई श्री के०एन० सक्सेना तथा कानपुर स्थित मेरे अन्य सगे-सम्बन्धी मुझसे किसी की सिफारिश नहीं करते थे । इतना ही नहीं, मेरी पत्नी सरला भी किसी सही कार्य के लिए ही सिफारिश करती थीं । गलत काम के लिए वह किसी की संस्तुति नहीं करती थीं ।

ओबराय जी शीघ्र आ गये थे । मैंने उनका औपचारिक स्वागत करते हुए मजाक में पूछा कि क्या वह किसी चक्कर में फॅस गये हैं । उस समय वह घबराये हुए दिखायी दे रहे थे, परन्तु मुझसे मिलकर उन्हें बड़ी शान्ति मिली थी । उन्होंने मुझे बताया कि एक सप्ताह पहले उनके साथ एक विचित्र घटना घटी थी, जिसे वह मुझे दो-तीन दिन से बताना चाह रहे थे, परन्तु बता नहीं पाये थे क्योंकि वह कुछ संकोच में थे । उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दुकान पर एक हफ्ते पहले चार आदमी आये थे जो बड़े गंवार, देहाती और अनपढ़ लगते थे । वे अपने लिए एक-एक सूट सिलवाना चाहते थे जिसके लिए वे चार सूट के कपड़े उनकी दुकान पर छोड़ गये थे । समयाभाव के कारण उनके सूट सिलने से वह मना करने वाले थे, परन्तु उच्च कोटि के गर्म कपड़े देखकर वह दंग रह गये थे । वे उनकी दुकान पर सूट न सिलाये इसलिए काम को टालने की गर्ज से उन्होंने सिलाई के दाम साधारण से दोगुना बता दिये थे । इस पर उन आदमियों ने कहा था कि वे सिलाई के पैसे नहीं दे सकेंगे, परन्तु सिलाई के पैसों के एवज में चार सूट के वैसे ही पीस और दे देंगे । उन चार सूट के कपड़ों की कीमत दोगुने बताये हुए सिलाई के पैसों से भी कहीं ज्यादा थी । अतः उन्होंने उनके सूट की सिलाई के लिए हॉं करके उनकी नाप ले ली थी । उन्होंने कहा कि वे कल १२ बजे दिन में उनकी दुकान से अपने सिले हुये सूट ले जायेंगें । उन्हें कुछ दाल में काला नजर आ रहा था, क्योंकि जिस वेश-भूषा व रहन-सहन के वे आदमी थे, उनके चलते इतने कीमती कपड़ों के सूट पहनने की उनकी क्षमता नहीं दिखाई पड़ रही थी । इसलिए वह मुझसे यह चाहते थे कि मैं उन चारों आदमियों के बारे में कुछ जानकारी कर लूँ तो अच्छा होगा । वे चारों आदमी होटल

में ठहरे है । वह मुझे सारी बात बताकर अपने को बोझमुक्त अनुभव कर रहे थे । उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार शान्त भाव से मुस्कुराते हुये मेरे साथ चाय पी और फिर चले गये। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपने को इस मामले में अब दूर रखें । आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जायेगी ।

श्री ओबराय जी के जाते ही मैंने कन्ट्रोल रूम को आदेश दिया कि इन्सपेक्टर कोतवाली सुरेन्द्र पाल शर्मा शहर में जहां कहीं भी हों, उन्हें सूचना दी जाय कि वह तुरन्त मेरे कार्यालय में आकर मुझसे मिलें । एस०पी० सिटी ओ०पी० अग्निहोत्री को भी मैंने तुरन्त बुलवा लिया । कोतवाल साहब ने तुरन्त ही सादे कपड़ों में खोजी सिपाहियों को खामोशी के साथ होटल में जाकर उन लोगों के बारे में पूर्ण जानकारी करने को भेज दिया । सिपाहियों ने एक घन्टे बाद ही कोतवाल को सूचना दी कि होटल के दो कमरों में गन्दे कपड़े पहने देहाती वेश-भूषा मे चार आदमी तथा दो औरतें पांच-छः दिन से ठहरे हुये है । उनके पास लोहे के बक्से तथा कई बड़े-बड़े बिस्तरबंद है । उन पर ठहरने और खाने पीने का बिल कई हजार का हो गया था । आदमी दिन के समय होटल में नहीं रहते हैं परन्तु देर रात खाने के समय आ जाते हैं । तत्पश्चात कोतवाल साहब ने सारी सूचना मुझे आकर दी । मैंने उन्हें आदेश दिया कि वह उनकी तलाशी लें और छानबीन करें कि क्या कारण है और होटल में क्यों ठहरे है ।

मुखबिर की सूचना पर कोतवाल साहब ने अपनी टीम के साथ होटल में ठहरे हुये संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए रोजनामचा लिखकर कोतवाली से प्रस्थान किया । उस समय आधी रात का समय था और होटल में आवा-जाही समाप्त हो गयी थी । शहर में भी शोर-शराबा कम था । कोतवाल साहब ने अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचकर वहां के आने-जाने के रास्तों को अपने नियंत्रण में ले लिया था । तत्पश्चात उन्होंने होटल के मैनेजर से उन दोनों कमरों की तलाशी लेने की इच्छा व्यक्त की जिनमें वे संदिग्ध व्यक्ति ठहरे हुये थे । मैनेजर ने कुछ आपत्ति अवश्य की थी क्योंकि उसे डर था कि होटल के अन्य कमरों में ठहरे हुये व्यक्ति भी जागकर बाहर आ जायेंगें और उसके होटल की बदनामी होगी । परन्तु कोतवाल साहब का छः फुट लम्बा-चौड़ा कद और गोरा रोबदार चेहरा देखकर मैनेजर भी उनके साथ कमरों की तलाशी के लिए कमरों में चला गया, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं कोतवाल साहब उसे भी किसी जुर्म में न फंसा दें । मैनेजर को कोतावाल साहब के साथ जाते देखकर कमरे के बैरे भी उनके साथ हो लिये थे । उस समय सिपाहियों की बन्दूकें कारतूसों से लोडेड थीं तथा सब-इन्सपेक्टर अपने हाथों में रिवाल्वर थामे हुये अति सतर्क थे, जिससे कोई भाग न सके और यदि कोई खतरा सामने आये तो उसका मुकाबला किया जा सके

दोनों कमरों की घंटी बजाकर दरवाजे खुलवाने का प्रयास किया गया, परन्तु जब अन्दर से कोई आवाज नहीं आयी तब बैरों ने बाहर से आवाज लगाना प्रारम्भ किया कि मैनेजर साहब कुछ पूछताछ करने आये है, दरवाजा खोलो। तब दोनों दरवाजे खुले और दो व्यक्ति पुरानी पतलून व फटी हुई बनियान पहने हुये बाहर आये और पुलिस को वहां देखकर सन्न रह गये। चारों तरफ से पुलिस की नाकेबन्दी को देखकर वे कोई अन्य हरकत न करने के लिए विवश हो गये थे। कोतवाल साहब ने दोनों कमरों में ठहरे हुये आदमियों तथा औरतों को एकत्रित करके सिपाहियों से उनकी घेराबन्दी करा दी और सब इन्सपेक्टर को निर्देश दिया कि दोनों कमरों तथा उनमें रखे हुये उनके सामनों की कानूनी ढंग से तलाशी ली जाय। तदुपरान्त वह स्वयं कमरे के अन्दर गये। तब भी वहां पलंग पर चादर ओढ़े एक औरत लेटी हुई मिली और जब उन्होंने उससे उठने को कहा, तब वह किसी ऐसी भाषा में बोली जो उनके समझ में नहीं आयी। फिर भी, उनको अन्दाज लग गया था कि वे सब हबूड़े जाति के है, जो किसी जमाने में कानपुर आकर वहीं बस गये थे। तभी एक बैरे ने कोतवाल साहब से धीरे से कमरे के बाहर निकलने के लिए कहा क्योंकि वह औरत अर्धनग्न दशा में चादर ओढ़ कर सोई थी। इस सूचना पर कोतवाल साहब अपने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ शिष्टता के नाते कमरे से बाहर निकल आये। थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री लहंगा तथा रंगीन धागों से बंधा हुआ चोलीदार ब्लाउज पहनकर बाहर आ गयी थी और उसे भी उसके साथियों के साथ पुलिस के घेरे में ले लिया गया था।

पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके लोहे के तीन बक्सों तथा बिस्तरबंदों को सभ्रान्त व्यक्तियों, होटल के मैनेजर तथा स्वयं उनके मालिकों के सामने खोलवाया, तो उनमें बिन्नी आदि मिलों के बने हुये बहुत से सूट तथा कमीज के थान व नयी चादरें बरामद हुई। होटल के अन्य कमरों में ठहरे हुये व्यक्ति भी आवाज सुन-सुनकर वहां एकत्र हो गये थे और वे सभी बरामद हुये कपड़ों को देखकर आश्चर्य-चकित थे। मैनेजर साहब का तो माथा ही चकरा गया था। कोतवाल साहब ने उनसे पूछा कि पसीना क्यों आ रहा है? कुछ मिनट पहले तो वह कह रहे थे कि उनके होटल में कोई गलत आदमी ठहरता ही नहीं है, तो इतना संदिग्ध माल लिये हुये ये व्यक्ति वहां कैसे ठहरे हुये थे। क्या उन्हें भी उन लोगों ने दो-चार सूट के कपड़े दिये थे। इस सम्बन्ध में उनके घर की भी तलाशी ली जा सकती है। परेशान-हाल मैनेजर कोई उत्तर नहीं दे सके थे। बरामद हुआ माल पुलिस ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया था।

कोतवाल साहब द्वारा वायरलेस पर दी गयी सूचना पाकर मै तथा एस०पी०, सिटी, ओ०पी० अग्निहोत्री भी होटल पर पहुंच गये थे। बरामद हुये कपड़ों तथा उनसे सम्बन्धित

औरतों व मर्दों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा था कि सारा कपड़ा चोरी का था, जिसे वे कहीं से चुराकर लाये थे। होटल में उन संदिग्ध आदमियों तथा औरतों से वातचीत करने पर कुछ ठीक पता नहीं चल सका था, अतः पुलिस द्वारा उन्हें कोतवाली लाया गया जहां औरतों को एक किनारे कर, केवल आदमियों से सख्ती के साथ पूछताछ की गयी थी। तव उन लोगों ने बरामद हुये कपड़ों को मद्रास से चुराना स्वीकार किया था। वे सभी कानपुर के निवासी और हाबूड़ा जाति के थे और इस प्रकार की चोरियाँ करने के अभ्यस्त थे। वे सभी कानपुर से मद्रास रेल से गये थे। वहां भी वे एक अच्छे होटल में ठहर गये थे, क्योंकि होटल में ठहर जाने पर वे पुलिस की चेकिंग से बच जाते थे। चोरी करने की नियत से उन्होंने शाम को मद्रास शहर के कई वाजारों को घूम कर देखा था और कपड़ों के एक बड़े शोरूम को अपना निशाना वनाया था। वे लोग दूसरे दिन वाजार जाकर लोहे के बक्से तथा विस्तरबन्द खरीद कर होटल में लाये थे। शाम को वे सब मरीना वीच गये और समुद्र की लहरों का खूब नजारा लिया था और टैक्सी से होटल लौट आये थे। रात में खाना खाकर कुछ देर आराम करके वे अपने खाली बक्सों व विस्तरबन्दों को लेकर बाजार चले गये थे। रात के कारण वाजार वन्द और सुनसान हो गया था। केवल सड़कों पर लाइटें जल रही थीं, जिससे कुछ रोशनी भी थी। वे लोग अपने बक्सों को पहले से देखी गयी कपड़ों की दुकान के सामने लगाकर विस्तरबन्दों की तकिया बनाकर वहीं चुपचाप लेट गये थे। मध्य रात्रि को पुलिस के सिपाही गश्त में आये थे। उन लोगों को वहां लेटा हुआ देखकर 'गरीब तथा वाहरी' कहते हुये चले गये थे। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक जीप आई थी, जिसमें कोई ऑफिसर था। वह भी उन पर टार्च की रोशनी डालता चला गया था। तब वे निश्चिंत हो गये थे कि अव पुलिस वहां नहीं आयेगी। उनके पास लोहे का पतला सब्वल था, जिससे उन्होंने बंद दुकान के शटर के एक ताले को तोड़कर शटर को करीब छः इंच.ऊपर उठा दिया। फिर उन्होंने अपने साथ की दोनों अभ्यस्त औरतों को बारी-बारी से दुकान के अन्दर घुसा दिया था। दोनों औरतें लेटकर दुकान के अन्दर घुस गयी थीं। दुवली-पतली औरत तो आसानी से अन्दर घुस गयी थी, परन्तु थोड़ी मोटी होने के कारण अन्दर घुंसते समय दूसरी औरत की पीठ में कुछ चोट आ गयी थी। यही कारण था कि होटल में तलाशी के समय सब लोगों के कमरों से बाहर आ जाने के बाद वह चादर लपेटे लेटी रही थी क्योंकि उसकी पीठ में दवा मली गयी थी और उसके वक्षस्थल खुले रह गये थे।

दुकान के अन्दर जाकर दोनों औरतों ने टार्च की हल्की रोशनी में कपड़ों के थानों, चादरों तथा सूट के कपड़ों को एक-एक करके बाहर निकाल कर बाहर खड़े अपने मर्दो को दिया, जिन्होंने कपड़ों को बक्सों और विस्तरबन्दों में रखकर उन्हें बंद कर लिया था। इस

प्रकार उन लोगों ने उस दुकान से लाखों रुपये मूल्य का सामान चुराया, जिसकी किसी को भी खबर नहीं हो पायी थी । दोनों औरतें उसी रास्ते से बाहर आ गयी थी । बक्सो व बेस्तरबन्दों को लेकर वे एक-दूसरे से अलग हो गये थे और जिसको जो सवारी मिली, उसी से अपना-अपना माल-असबाव लेकर स्टेशन पहुंच गये थे । तत्पश्चात वे रेल से वे कानपुर लौट आये थे और एक ही होटल में जाकर ठहर गये थे । औरतों को सामान के साथ होटल में छोड़कर वे अपने साथ कुछ सूट के कपड़े, चादरें तथा कमीज के थान लेकर बाजार गये और ओबराय जी की दुकान पर अपने लिये नये चार सूट सिलवाने के लिए कपड़े दिये तथा व्यापारियों को कपड़े दिखाकर वाजिब दाम पर खरीदने को कहा था । माल रोड के कपड़ों की दुकान वालों ने यह कपड़ा नहीं खरीदा परन्तु आर्यनगर के एक दुकानदार ने उनसे कपड़ों के दाम तय कर लिये और माल लेकर एक ही दिन बाद बुलाया था । अतः दो-तीन दिन उन्हें इन्तजार करना था । इसी बीच, इनके मन में विचार आया कि यदि वे सूट-बूट पहनकर पी०एन० मार्केट आदि कपड़ों के बाजार में जायें तो सम्भव है कि उन्हे चोरी से लाये कपड़ों की अधिक कीमत मिल जाय । कहावत है कि लालच बुरी बला है । आर्यनगर के व्यापारी को उन्होंने थोड़ा ही कपड़ा बेचा था और उससे प्राप्त पैसों को लेकर वे बाजार से अपने लिये कुछ फैन्सी जूते, रेडीमेड कमीजें, जांघिये तथा बनियान आदि खरीद लाये थे । वे अभी सूटेड-बूटेड होकर चोरी के माल को ऊँचे दाम पर बेचने की योजना बना ही रहे थे कि पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ होटल में पकड़ लिये गये थे ।

कोतवाली कानपुर नगर की पुलिस द्वारा आपराधियों को मद्रास में हुई चोरी के केस की आगे की छानबीन के लिए न्यायालय से अनुरोध करके पुलिस रिमाण्ड पर ले लिया गया था । मैंने पुलिस कमिश्नर, मद्रास को वायरलेस द्वारा सूचित कर दिया था कि वह कपड़ों की चोरी की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को निर्देश दें, कि वह दुकान के मालिक आदि के साथ कोतवाली कानपुर नगर आकर बरामद माल की शिनाख्त करें, जिससे गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सके । दो दिन बाद पुलिस विवेचनाधिकारी, मद्रास के बिन्नीज मिल के बने कपड़ों के सबसे बड़े रिटेल व्यापारी व कुछ अन्य लोगों के साथ कानुपर आकर कोतवाल सुरेन्द्र पाल शर्मा से मिले और कानपुर में कपड़ों की बरामदगी के बारे में पूरी जानकारी ली । मद्रास से कानपुर आई पुलिस और सम्बंधित व्यापारी आदि को

का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कोतवाल साहब से निवेदन किया कि वे उन्हें मुझसे मिला दे, जिससे वे मुझे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकें।

तत्पश्चात कोतवाल साहब ने सारी बातें मुझे फोन पर बताई और निवेदन किया कि मद्रास से आये हुये लोगों से मिलने के लिए मै कुछ समय अवश्य दे दूँ। अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार कर लेने हेतु वे मेरे प्रति बहुत आभारी थे। कोतवाल साहब के अनुसार उनका कहना था कि उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि उनका मद्रास से चोरी गया माल कभी कानपुर से मिल सकेगा। इस केस का वादी लगातार पुलिस कमिश्नर, मद्रास से मिलता रहता था और वहां की पुलिस द्वारा अभियुक्तों तथा चोरी गये माल का पता न लगाने की शिकायत करता था। तामिलनाडु सरकार तथा प्रभावशाली राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से भी उसकी यही शिकायत थी कि मद्रास पुलिस चोरी की घटना के बारे में सब कुछ जानती है कि किस गैंग ने चोरी की है तथा माल कहां गया है। यदि वास्तव में पुलिस चाहे तो एक दिन में ही चोरो को पकड़कर माल बरामद कर सकती है, पर वह ऐसा करेगी नहीं क्योंकि सम्भव है कि वह चोरों से मिली हो। मद्रास वालों की कही हुई बातों को सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा कि हिन्दुस्तान में साधारण जनमानस में पुलिस के प्रति कितनी भ्रान्ति है। बचपन से ही मानव मष्तिष्क में भर दिया जाता है कि पुलिस चोरों, डाकुओं तथा बदमाशों से मिली रहती है और ऐसा कोई मामला नहीं होता, जिसे पुलिस पहले से न जानती हो। हमारे देश के बड़े-बड़े नौकरशाह तथा राजनीतिज्ञ भी ऐसी भ्रान्ति में विश्वास रखते है और प्रायः पुलिस की सूझबूझ, ईमानदारी एवं कठिन परिश्रम से अपराध के रहस्य को सफलतापूर्वक खोलने के कार्य की सराहना करने के स्थान पर उसे कोई विशेष कार्य न समझकर पुलिस के मनोबल पर कुठाराघात करते है। उन्हें भय रहता है कि कहीं पुलिस अपने अच्छे आचरण एवं सफलता के कारण बहुत अधिक जनप्रिय न हो जाय। इससे उनकी लोकप्रियता को धक्का लग जायेगा और वे पुलिस के मुकाबले पिछड़ जायेंगें। उनकी यह छिपी हुई ईर्ष्या पुलिस व जनता के बीच की खाई को कभी भी पटने नहीं देना चाहती है। भारतीय पुलिस का यह दुर्भाग्य है कि उसे जनप्रिय होने में अपने ही नेताओं का समर्थन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वे पुलिस को केवल अपने पक्ष मे करने तथा उसका दुरुपयोग करने में ही विश्वास रखते है। यह भी जन-मानस में पुलिस के प्रति भ्रांति पैदा करने का एक माध्यम है।

मद्रास से आये कपड़े के बड़े व्यवसायी तथा उनके साथी कोतवाल साहब के साथ मुझसे मिलने मेरे निवास स्थान पर आये थे। उन्होंने मद्रास की चोरी की इतनी बड़ी घटना की छानबीन हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें आदर सहित अपने ड्राईंग रूम में बैठाकर वार्तालाप किया और मद्रास की पुलिस के विरुद्ध गलत विचार बना लेने के विषय

में उनकी भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास किया था । मैंने उन्हें समझाया कि मद्रास कानपुर से हजारों किलोमीटर दूर है और कानपुर के चोरों ने मद्रास शहर में जाकर उनकी दुकान से कपड़े चुराकर कानपुर लाकर उन्हें बेचना प्रारम्भ कर दिया था । ऐसी परिस्थिति में मद्रास पुलिस को कैसे जानकारी हो सकती थी कि चोर कानपुर से आकर उनके शहर में चोरी करके चोरी के माल के साथ हजारों किलोमीटर दूर वापस चले गये हैं । मद्रास पुलिस अपने शहर के चोरों-बदमाशों की धर-पकड़ करके चोरी के विषय में पूछताछ एवं छानबीन उनके घरों तथा अड्डे की तलाशी एवं विवेचना से सम्बन्धित वैज्ञानिक तकनीकी तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का प्रयोग अवश्य कर रही होगी । इसके अतिरिक्त जो भी कार्य वहां की पुलिस ने किया होगा, क्या उससे वे मद्रास शहर या उसके आस-पास के स्थानों से चोरी का माल बरामद करने में सफलता प्राप्त कर सकते थे? कदापि नहीं । अतः मद्रास पुलिस के विरुद्ध अनर्गल एवं मिथ्यापूर्ण बातों के प्रचार के परिणामस्वरूप वहां की कर्तव्यपरायण पुलिस का मनोबल गिरेगा और उसके अन्दर गलत कार्य करने की प्रवृत्तियां जागृत होंगी । वे अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए गलत निर्णय के आधार पर कार्य करेंगे जो समाज और देश के लिए अहितकर होगा । साथ ही साथ पुलिस द्वारा अपने बचाव में किये गये कार्यों के फलस्वरूप गलत कार्य की सम्भावनाएं बढ़ जायेंगी । इस दिशा में पुलिस द्वारा सत्य और निष्ठा से किये जाने वाले कार्यों में बाधा उत्पन्न होने का भय भी बना रहेगा । अन्ततः यह परिस्थितियां जनता और पुलिस के बीच की खाई को पाटने में सहायक नहीं हो सकेगी । चोरी की विवेचना अक्सर नाकाम हो जाती है, जैसे इस केश में मद्रास की पुलिस को क्या पता था कि उनके शहर में हजारों किलोमीटर दूर कानपुर के चोरों ने आकर चोरी की थी । देश के कानून के अनुसार वहां के थाने में घटना की प्राथमिकी लिखकर पुलिस ने मद्रास शहर और उससे लगे स्थानों पर कानूनी परिधि में रहकर विवेचना प्रारम्भ कर दी होगी और जटिल घटना की छानबीन कर अभियुक्तों को चोरी किये गये माल सहित पकड़ने के लिए हरसम्भव प्रयास में जीजान से लगी होगी । फिर भी बड़ी चोरी और उसकी छानबीन न होना मद्रास पुलिस की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा था । वहां का प्रशासन, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारीगण, राजनीतिक पार्टियां, व्यापारीगण, जनता तथा मुख्यतः केस के वादी आदि सभी की निगाहें पुलिस की विवेचना पर केन्द्रित होगी । ऐसी परिस्थिति में मद्रास पुलिस की कार्यप्रणाली पर किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए । सब लोग जानते हैं कि पुलिस विभाग कोई अन्तरयामी संस्था नहीं है, जिसे सभी चोरों, नकाबजनों, डाकुओं, राहजनों, बदमाशों तथा अन्य अपराधियों की गतिविधियों की सदैव जानकारी रहती है । यह आम जनता की केवल एक गलत धारणा है ।

आज के वैज्ञानिक युग में भी हमारे देश की पुलिस को प्रायः देश के पुराने कानूनों की परिधि में रहकर काम करना पड़ता है। पुलिस से सम्बन्धित समस्त कार्यों को देश और प्रदेश में प्रचलित कानून की मोटी-मोटी पुस्तकों से निदेशित होना पड़ता है। उसके विपरीत पुलिस कोई कार्य नहीं कर सकती है और यदि वह कोई कार्य लिखित कानून के विरुद्ध करती है तो उसका वह कार्य भी अपराधिक/असावधानी की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को देश के कानून के अनुसार दण्डित किया जाता है। अतः पुलिस पर यह आरोप लगाना कि वह चोर, बदमाशों की प्रत्येक गतिविधियों से अवगत रहती है और उनसे मिली रहती है, बिल्कुल असत्य और मनगढ़न्त है। पुलिस की विवेचना पर ही बड़े-बड़े जघन्य अपराधियों, डाकुओं, चोरों तथा आर्थिक अपराधियों को फांसी, आजीवन कारावास तथा लम्बी अवधि की कठोर सजाएं व लम्बी धनराशियों के जुर्माने न्यायालय द्वारा दिये जाते है, जिनके आधार पर अपराधियो को प्रशासन द्वारा जेलों में बंद रखा जाता है। पुलिस की विवेचना पर ही अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया जाता है। अपराधों पर रोक लगती है। ऐसी दशा में पुलिस के प्रति जनता में भ्रान्ति उत्पन्न होना अस्वाभाविक है। पुलिस तो सही अर्थो मे देश की जनता की सेवक है। अतः देश की जनता को भी यह देखना होगा कि अपने कार्यों के अनुपालन में पुलिस को किन-किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जब उनकी विवेचना के आधार पर अभियुक्तों को न्यायालयों से दण्ड नहीं मिलता और अभियुक्त न्यायालयों से दोषमुक्त कर दिये जाते है, ऐसी दशा में पुलिस के विवेचनाधिकारी को की गयी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार मान कर विभाग द्वारा दण्डित किया जाता है। अतः इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए विवेचना के मध्य सम्बन्धित थाने से लेकर आरोप पत्र न्यायालय पहुंचने के समय तक अनेक स्तरों पर उसका परिवेक्षण किया जाता है।

मद्रास से आये व्यवसायी आदि से लम्बी वार्ता के समय श्री ओ०पी० अग्निहोत्री, एस०पी०, सिटी, श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा, इन्सपेक्टर कोतवाली, प्रेसों के कई प्रतिनिधिगण तथा श्री ओन्दराय जी सहित कई गणमान्य लोग मेरे बंगले पर उपस्थित थे। सब लोगो की उपस्थिति में मद्रास की चोरी के केस के वादी तथा साधारण जनता की पुलिस के प्रति निरर्थक भ्रान्तिओं पर खुलकर चर्चा हुई थी। मेरे तर्को और दृष्टान्तों पर सब लोग मुझसे सहमत हुये थे। मद्रास में हुई चोरी की घटना पुलिस सम्बंधी भ्रान्तियों को दूर करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। दूसरे दिन कानपुर के निकलने वाले समाचारपत्रों के प्रथम पृष्ठ पर यह घटना प्रकाशित हुई थी। इस घटना का पूर्ण विवरण "सत्यकथा" में भी छपा था। मद्रास न्यायालय ने बाद में कानपुर में चोरी के माल के साथ पकड़े गये अभियुक्तों को लम्बी और कठोर

सजाएं भी दी थीं ।

मेरी पत्नी सरला कानपुर के वरिष्ठ वकील श्री के०पी० सक्सेना जी की पुत्री थी और राजनीति की गंभीर अध्येता थीं । वह अपनी वकील पिता के कानूनी कार्यो से भी परिचित थीं। अतः वह प्रायः मुझसे पुलिस के प्रति जनता की भ्रान्तियों को लेकर वहस करती रहती थीं, पर मेरे द्वारा प्रस्तुत सही तर्क पर वह मुझसे सहमत भी हो जाती थीं । मद्रास की चोरी, वहां के वादी की पुलिस के प्रति धारणा, ओबराय जी की सूचना पर चोरी के माल के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर भी मेरी पत्नी से वार्ता हुई थी । वह भी मेरे तर्कों से पूर्ण सहमत थीं और चाहती थी कि पुलिस की भूमिका में इस सकारात्मक पहलू को भी सामने आना चाहिये ।

संजय गाँधी की अद्‌भुत कानपुर यात्रा

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सन् १९७६ में आपात स्थिति का काला कानून लागू करके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक में जाने से वंचित कर दिया था। मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाने के कारण नागरिकों की फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती थी। पुलिस तथा प्रशासन के सर्वशक्तिशाली हो जाने से साधारण जनता हर प्रकार से प्रताड़ित एवं घोर अमानवीय स्थितियों का शिकार हो गयी थी। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की जन साधारण की क्षमता समाप्त कर दी गयी थी। "मीसा" जैसे कठोर कानून ने देश के नागरिकों को मानसिक रूप से भयावह और हताश की स्थिति में डाल दिया था। नागरिकों की यह धारणा बन गयी थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये पुलिस "मीसा" के अन्तर्गत गिरफ्तार कर सकती है, जिसकी कोई सुनवाई तथा जमानत किसी न्यायालय में हो पाना असम्भव था। "मीसा" के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों का जेल में पड़े रह कर सड़ने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं था। दुर्भाग्यवश नागरिकों के लिए देश में आपात स्थिति एक बिल्कुल नयी समस्या बनकर सामने आयी थी। इसके पूर्व आपातस्थिति कुछ अन्य देशों में लागू हुई थी, जिनका वर्णन हमने केवल पुस्तकों में पढ़ा था।

भारतवर्ष में आपात स्थिति लगाने के पीछे हाथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी का भी था। इस देश का यह दुर्भाग्य था कि पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने संजय गांधी के डर से "मीसा" के काले कानून के पालन में जनता के साथ बहुत अधिक ज्यादतियां की थीं। अनिच्छा एवं बलप्रयोग से पुरुषों की नसबन्दी करा दी जाती थी, जिसके कारण बहुत से लोग मृत्यु के शिकार हो गये थे। उनकी

चिकित्सा-व्यवस्था का बहुत घटिया प्रबन्ध किया गया था । अकारण देश के अनेक बड़े नेताओं तथा सरकार के प्रतिकूल दृष्टिकोण वाले व्यापारियों व पूँजीपतियों को ''मीसा'' में गिरफ्तार किया गया था । थानों व जेलों में उनके साथ अमानुषिक बर्ताव हो रहा था और हर प्रकार की समस्याओं के विरुद्ध जुलूसों व धरनों आदि पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। परिणाम यह निकला कि देश में श्रीमती इन्दिरागांधी के स्थान पर उनके पुत्र संजय गांधी का एकमात्र आधिपत्य एवं आतंक छा गया था । स्वयं कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए संजय गांधी जी की चापलूसी करने को उन्हें हृदय सम्राट'' की उपाधि से विभूषित किया करते थे । देखते-देखते यह 'नाम' भारतवर्ष की गलियों और कूचों में छा गया था । जैसे-जैसे नेताओं ने श्री संजय गांधी की स्तुति एवं वन्दना द्वारा देश के कोने-कोने में उनका प्रचार किया, वैसे-वैसे श्री संजय गांधी के स्वयं के स्वर भी उतने ही प्रखर एवं उग्र होते चले गये । परिणामस्वरूप वह बहुत शीघ्र ही देशवासियों के लिए ''डिक्टेटर'' बन गये थे और प्रधानमंत्री की अपेक्षा उनकी राय अथवा आदेश देश के कानून से भी सर्वोपरि हो गया था ।

आपातकाल के इस वातावरण में श्री संजय गांधी कानपुर की यात्रा पर आये थे । उनका आगमन इलाहाबाद होते हुये कानपुर हुआ था । कानपुर के सर्किट हाऊस में उनके रहने की व्यवस्था थी । मैने उनकी सुरक्षा-व्यवस्था वी०वी०आई०पी० के रूप में करायी थी। उस समय मै ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के पद पर नियुक्त था । श्री संजय गांधी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी एवं बहुत से अन्य वड़े एवं युवा कांग्रेसी नेता भी कानपुर आये थे । इलाहावाद सर्किट हाऊस से जब वी.आई.पी. काफिला कानपुर के लिए चला, तो उसके साथ सौ से अधिक सरकारी एवं प्राइवेट कारें थीं । श्री संजय गांधी को स्वयं कार चलाना बहुत प्रिय था और वह तूफानी गति से कार चलाने के अभ्यस्त थे । अतः वह वी.आई.पी. सुरक्षा के निर्धारित नियमों को त्यागकर वी.आई.पी. कार स्वयं चलाकर कानपुर आये थे । यद्यपि उनका यह कार्य अवैध एवं शासनादेशों के प्रतिकूल था, तथापि उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्टेलीजेन्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, आई.पी.एस., श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, आई.पी.एस. तथा श्री जानलोवो (डायरेक्टर, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, भारत सरकार) ने श्री संजय गांधी के डर के कारण कोई आपत्ति नहीं की जिसके फलस्वरूप श्री संजय गांधी अपनी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी और मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के साथ वी.आई.पी. फ्लीट तथा इस्कोर्ट की अन्य कारों को छोड़कर अपनी कार तीव्रगति से चलाकर सबसे पहले कानपुर के सर्किट

हाऊस में पहुंच गये थे। साथ में चलने वाली कारों का काफिला मीलों पीछे छूट गया था, जिसमें श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, आई.पी.एस., अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना तथा श्री जानलोवो, आई.पी.एस., निदेशक, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, भारत सरकार आदि की कारें भी सम्मिलित थीं। वी.आई.पी. फ्लीट के प्रायः सभी ड्राइवर अपनी-अपनी कारों को सौ किलोमीटर से भी अधिक प्रति घंटा की चाल से चलाने में असमर्थ थे। ड्राइवरों की धारणा थी कि इससे उनकी कारें गर्म हो जायेंगी और उनके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की अधिक सम्भावनाएं रहेंगी।

श्री संजय गांधी के कानपुर सर्किट हाउस में आगमन का समय १२.३० बजे दिन का था। सर्किट हाऊस में सम्बन्धित वी.आई.पी. व्यवस्थाएं व सुरक्षा प्रधानमंत्री के स्तर की थीं, जिसका मैने तथा जिलाधिकारी ने कई बार बड़े सूक्ष्म ढंग से निरीक्षण कर लिया था। करीब ११.३० बजे दिन में मै वर्दी पहन कर अपने बंगले से सर्किट हाऊस प्रस्थान करने हेतु अपनी स्टाफ कार में जैसे ही बैठा, तभी मुझे वायरलैस पर सूचना मिली कि श्री संजय गांधी पन्द्रह मिनट में सर्किट हाऊस पहुंच जायेंगे। उक्त सूचना पर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वी.आई.पी. का आगमन निर्धारित समय से आधा घंटा पहले कैसे हो रहा है। इसके पूर्व मैने ऐसी बात कभी सुनी और देखी नहीं थी। मैने अविलम्ब यह सूचना वायरलैस पर जिलाधिकारी को दी थी और उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि यह सूचना उन्हें पहले ही मिल गयी है। जिलाधिकारी ने कहा था कि वह सर्किट हाऊस के लिए अपने बंगले से प्रस्थान कर रहे है। मै भी शीघ्र वहां पहुंच जाऊॅ। अतः ५-६ मिनट में मै तथा जिलाधिकारी वहां पहुंच गये थे। उसके ठीक १५ मिनट के बाद श्री संजय गांधी की वी.आई.पी. कार पार्किंग में आ कर खड़ी हो गयी थी, परन्तु वी.आई.पी. फ्लीट के साथ चलने वाली अन्य गाड़ियां, कारें उनके साथ नहीं थीं। यह सब देखकर हम लोग आश्चर्यचकित थे। मैने तथा जिलाधिकारी ने युवा नेता श्री संजय गांधी, उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी जी की आगवानी की। उन्हें वी.आई.पी. का पूर्ण सम्मान दिया गया था। पी.ए.सी. के एक कम्पनी कमाण्डर के नेतृत्व में उन्होंने पी.ए.सी. के प्लाटून का अभिवादन स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें तथा उनके साथ आये हुये अतिथियों को सर्किट हाऊस के अन्दर लाया गया। श्री संजय गांधी अपने चिरपरिचित कमरे में चले गये थे और मुख्यमंत्री जी बाहर लाऊंज में जाकर श्रीमती मेनका गांधी के पास जाकर खड़े हो गये थे। थोड़ी देर में श्री संजय गांधी कमरे से बाहर आ गये थे। वह जाड़े के मौसम में भी खादी का सफेद कुर्ता व पाजामा तथा कोल्हापुरी चप्पल पहने हुये थे। वह कड़ी सर्दी में भी गर्म कपड़ा, कोट, स्वेटर आदि नहीं पहनते थे। यह उनकी

शारीरिक शक्ति का प्रमाण था ।

श्री संजय गांधी ने मुझसे तथा जिलाधिकारी से कानपुर में निर्धारित कार्यक्रमों के विषय में पूछा । मैंने उन्हें बताया कि उनके आगमन के पश्चात कुछ स्थानीय नेता अपने प्रतिनिधि मण्डलों के साथ मिलने आयेंगे । उसके बाद दोपहर के भोजन एवं विश्राम का समय है । सायं ५.३० बजे उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में एक जनसभा को सम्बोधित करना है । मैंने उन्हें यह भी अवगत करा दिया था कि कदाचित डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप (चेयरमैन, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश) तथा नगर के कुछ अन्य प्रतिष्ठित सज्जन उनसे मिलकर एक बौद्धिक सभा को सम्बोधित करने के लिए समय लेना चाहते है । अभी यह बातें हो ही रही थीं कि उसी मध्य वी.आई.पी. फ्लीट की अन्य कारें व उनमें बैठे अधिकारीगण वहां पहुंच गये । उन सब लोगों का बुरा हाल था । सबके चेहरों पर चिन्ता, व्यग्रता एवं लज्जा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसका कारण केवल यह था कि वे सब वी.आई.पी. फ्लीट के साथ-साथ कानपुर सर्किट हाऊस नहीं पहुंच सके थे । श्री जानलोवो, डायरेक्टर, आई.बी., भारत सरकार एवं श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश, जिन पर वी.आई.पी. की सुरक्षा का पूर्ण भार था, कुछ अधिक अशान्त दिखाई पड़ रहे थे, परन्तु यह अच्छा हुआ कि श्री संजय गांधी ने इन लोगों से विलम्ब से सर्किट हाऊस पहुंचने का कारण पूछा ही नहीं । श्री जानलोवो एवं श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित को हम लोगों ने श्री संजय गांधी के कानपुर-प्रवास के कार्यक्रम का विवरण दिखाया । तदोपरान्त उन्हे सर्किट हाऊस में उनके लिए आरक्षित कमरों में पहुंचा दिया गया । उन्हें चाय पिलाकर हम लोगों ने विश्राम के लिए अनुरोध किया था, जिसे उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार तो कर लिया था, परन्तु उन्हें पल-पल यही चिन्ता उद्वेलित कर रही थी कि यदि वी.आई.पी. कार पुनः श्री संजय गांधी द्वारा चलाई गई तो वी.आई.पी. फ्लीट की व्यवस्था एवं सुरक्षा कठिन ही नहीं, पूर्णतः अव्यवस्थित हो जायेगी । श्री संजय गांधी को वी.आई.पी. नियमों का पालन करने के लिए सलाह देना या कहना एक कठिन समस्या थी, जिसे सुलझाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था । वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें भारतवर्ष का 'भावी प्रधानमंत्री' मानकर उनके प्रिय पात्र बनने की होड़ में एक-दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते थे । मुख्यमंत्री तिवारी जी भी श्री संजय गांधी से बात करने में घबड़ा जाते थे और उस समय यह व्याकुलता उनके चेहरे पर प्रायः मौजूद रहती थी । वह उन्हें केवल 'नारायण दत्त' कहकर सम्बोधित करते थे और मुख्यमंत्री जी दौड़कर उनके पास पहुंचते थे ।

चाय पीने के पश्चात श्री संजय गांधी सर्किट हाऊस के बरामदे में टहल रहे थे । उसी

समय एक प्रतिनिधि मण्डल डा० वीरेन्द्र स्वरूप उर्फ चन्दूबाबू, चैयरमैन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के साथ श्री संजय गांधी से मिलने आया, जिसमें उनके साथ डा० गौरहरि सिंघानिया, प्रसिद्ध उद्योगपति, जे.के. ग्रुप तथा श्री नरेन्द्र मोहन, सम्पादक एवं प्रवन्धक, दैनिक जागरण थे। डा० वीरेन्द्र स्वरूप और अन्य लोग सर्किट हाउस की सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, तभी श्री संजय गांधी वहीं आ गये थे और उन्हें एक वारगी देखकर वे सभी घवरा गये थे। उस समय वहां की स्थिति कुछ विचित्र सी थी। डा० वीरेन्द्र स्वरूप पहली ही सीढ़ी पर चढ़ते हुये ठिठक गये थे। उनका शरीर कुछ भारी होने के कारण उनकी चाल की गति में स्थिरता आ गयी थी। श्री गौरहरि सिंघानियां दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सके थे और पहली सीढ़ी पर ही उनका पैर रुक गया था। श्री नरेन्द्र मोहन जी ही केवल ऊपर की सीढ़ी तक आ पाये थे। डा० वीरेन्द्र स्वरूप जी ने श्री संजय गांधी का अभिवादन करते हुये कहा था कि हम लोग कानपुर स्थित "चैम्वर ऑफ कामर्स" में आपके स्वागत करने के आकांक्षी है और इसी उपलक्ष में एक वौद्धिक गोष्ठी का आयोजन करना चाहते है। आपकी स्वीकृति पाकर हम आभारी होंगे। श्री संजय गांधी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मुझसे तथा जिलाधिकारी से समय निर्धारित करने के लिए कहा था। हम लोगों ने पहले से तैयार कार्यक्रम को यथावत् रखते हुये सायं ४ से ४.३० वजे के मध्य गोष्ठी का सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने तथा प्रतिनिधि मण्डल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

चैम्बर ऑफ कामर्स कानपुर का प्रतिनिधि मण्डल डा० वीरेन्द्र स्वरूप आदि के साथ सर्किट हाउस के वरामदे में पहुंच चुका था, परन्तु श्री संजय गांधी ने किसी को सर्किट हाउस के लाउंज में आने हेतु आमंत्रित नहीं किया था। उसी समय वरामदे ही में डा० वीरेन्द्र स्वरूप ने श्री सजय गांधी को कुछ कागज देते हुये कहा था कि इन पर वे छः प्रश्न अंकित है जो वौद्धिक सम्मेलन में उनसे पूछे जायेगें। सुविधा हेतु इन प्रश्नों के उत्तर भी उनके साथ ही साथ लिख दिये गये है। प्रश्नों के विषय में टिप्पणियां भी लिखी गयी है। श्री संजय गांधी ने यह सुनते ही बरामदे के वाहर कागज फैंकते हुये अप्रसन्न होकर कहा था- "आप लोग बेकार की वातें कर रहे है। मुझे किसी भी पूछे जाने वाले प्रश्न के लिखित उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझसे जहां भी जो प्रश्न पूछे जाते है, मैं उनका उत्तर तुरन्त वहीं दे देता हूँ। अतः जो प्रश्न बौद्धिक सम्मेलन में मुझसे पूछे जायेंगे मैं उनके भी उत्तर वहीं दे दूँगा।" तत्पश्चात प्रतिनिधि मण्डल दुःखी मन से लौट गया था। कार्यक्रम के अनुसार वौद्धिक सम्मेलन के लिए कुल तीस मिनट का समय निर्धारित हुआ था, जिसमें पांच मिनट स्वल्पाहार का भी सम्मिलित था। कार्यक्रम को सफल बनाने तथा श्री संजय गांधी को

प्रसन्न करने के लिए डा० वीरेन्द्र स्वरूप अन्य सम्बन्धित महानुभावों के साथ तैयारी में संलग्न हो गये थे। मैंने भी बौद्धिक सम्मेलन के स्थान चैम्बर ऑफ कामर्स और सर्किट हाउस से वहां पहुंचने के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु तुरन्त टेलीफोन करके पुलिस अधीक्षक, नगर को अपने पास बुला लिया था। समय कम था और श्री संजय गांधी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ना था। ऐसे में मैं अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाया करता था। मैंने पुलिस अधीक्षक नगर के साथ-साथ अपने स्टेनोग्राफर को भी बुला लिया था। पुलिस अधीक्षक, नगर एवं जिलाधिकारी से मंत्रणा करने के पश्चात मैंने अपने स्टेनोग्राफर को सुरक्षा-व्यवस्था से सम्बन्धित आदेश के लिए डिक्टेशन देकर उसे टाइप करने तथा मुझसे हस्ताक्षर कराकर "साइक्लोस्टाइल" मशीन पर आवश्यकतानुसार प्रतिलिपियां तैयार करके सुरक्षा-व्यवस्था में लगाये गये पुलिस अधिकारियों व मजिस्ट्रेटों आदि को उनके नामों से हस्तगत कराने के लिए निर्देश दिये। वी.आई.पी. ड्यूटी हेतु सुरक्षित रखी गयी पी.ए.सी.। इन्टलीजेन्स के पुलिस बल को नये कार्यक्रम हेतु प्रयोग मे लाया गया। नियमानुसार इस कार्यक्रम से सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपियां मैंने श्री जानलोवो, डायरेक्टर, आई.वी., भारत सरकार एवं श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को भी उपलब्ध करा दी थीं। इतने कम समय में की गयी मेरी सुरक्षा-व्यवस्था से वे पूर्ण सन्तुष्ट एवं प्रसन्न थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ठीक समय पर मैंने तथा जिलाधिकारी ने श्री संजय गांधी से दोपहर के भोजन हेतु अनुरोध किया जिसे उन्होंने बड़े सहृदयता से स्वीकार करते हुये कहा था कि श्री नारायण दत्त जी तथा उनके साथ आने वालों को भोजन करा दिया जाय और उन्हें तथा उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी के लिए दो कप गर्म सूप भेज दिये जायें, जो उनके कमरे में पहुंचा दिये गये थे। उनके कथनानुसार भोजन से सम्बन्धित प्रबन्ध भी करा दिये गये थे जिससे वह सन्तुष्ट ही रहे होंगे।

तीन वजे दिन में मैंने सर्किट हाउस पर आये अन्य प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों का साक्षात्कार श्री संजय गांधी से करा दिया था। वह उनसे सर्किट हाउस के लाउंज में मिले थे। उन्होंने सबकी वातें ध्यान से सुनकर संक्षेप में उत्तर दे दिया था। इस समय भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु वर्दीधारी तथा सादे कपड़ों में पुलिस-वल मैंने तैनात कर रखा था। अपनी सुरक्षा-व्यवस्था हेतु नियुक्त किये गये पुलिस बल को देखकर वह वहुत प्रसन्न हुआ करते थे। पुलिस वल की अपने आगे-पीछे नियुक्ति से वह कभी असन्तुष्ट होते नहीं दिखाई पड़ते थे। नये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैंने ३.५५ पर श्री संजय गांधी से "चैम्वर ऑफ कामर्स" में आयोजित वौद्धिक-सम्मेलन में प्रस्थान करने हेतु निवेदन किया और वी.आई.पी.

फ्लीट की कारें यथास्थान लगवा दी थीं। श्री संजय गांधी अपनी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के साथ वी.आई.पी. कार मे बैंठकर कार्यक्रम स्थल पर ठीक ४.०० बजे पहुंच गये। वे कार से उतरकर तीव्र गति से सीढ़िया चढ़ते हुये मंच पर पहुंच गये। राष्ट्रीय गान के सुरीले स्वरों से उनके स्वागत के पश्चात डा० वीरेन्द्र स्वरूप द्वारा बौद्धिक-सम्मेलन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुये कानपुर के गणमान्य एवं अति विशिष्ट महानुभावों में प्रसिद्ध उद्योगपति डा० गौरहरि सिंघानिया, प्रमुख थे। डा० वीरेन्द्र स्वरूप ने अपने संक्षिप्त स्वागत-भाषण में श्री संजय गांधी व श्रीमती मेनका गांधी के प्रति अपने बीच आने के लिए बहुत-बहुत आभार एवं कृतज्ञता प्रकट की और साथ ही साथ भावविभोर होकर उनके नेतृत्व में भारतवर्ष का गौरव सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की कामना भी की थी। तत्पश्चात डा० गौरहरि सिंघानिया जी ने खड़े होकर श्री संजय गांधी से प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया, जिनका उत्तर उन्होंने बड़े स्पष्टवादिता से दिया था। इनका विवरण निम्न है:

प्रश्नः- श्रीमान्, ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि कानपुर की मिलें एक के बाद एक 'बीमार' होती जा रही है। जब आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे, तब इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति होगी?

उत्तरः- सिंघानियां जी, मेरी नीति इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। जो मिल किन्ही विशेष कारणों से 'सिंक' हो गयी है, उन्हें जीवित रखने तथा चलाने में सरकार पूरी मदद देगी, परन्तु जो मिलें अपने मालिकों द्वारा अपने हितों के लिए बीमार बना दी गयी होंगी, उनके मालिकों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठ जायें।

सिंघानियां जी शायद किसी लम्बे उत्तर की आशा में थे और वे इस प्रश्न से सम्बन्धित विवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे, परन्तु श्री संजय गांधी द्वारा बैठ जाने का स्पष्ट आदेश पाकर वे अवाक रह गये थे और स्तब्ध होकर अपने स्थान पर तुरन्त बैठ गये थे।

तत्पश्चात प्रसिद्ध पत्रकार नरेन्द्र मोहन संजय गांधी जी से प्रश्न करने के लिए खड़े हुये।

प्रश्नः- श्रीमान्, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है बल्कि नियंत्रित सी है। अतः मै जानना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर आप इस सन्दर्भ में क्या नीति अपनाएंगे?

उत्तरः- नरेन्द्र मोहन जी, आप किस प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे है? क्या उस स्वतंत्रता की बात कर रहे है जो छोटे अखबार "दो ठर्रे की बोतले" मिलने पर लिखना

चाहते है, या उन बड़े अखबारों की बात कर रहे है जो व्हिस्की के दो 'क्रेट' मिलने के बाद लिखते हैं। प्रेस को कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र मोहन जी भी लम्बे उत्तर की आशा लगाये हुये थे, परन्तु उन्हें श्री संजय गांधी से इतना स्पष्ट, संक्षिप्त तथा नीति विषयक उत्तर पाने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं रही होगी। वह श्री संजय गांधी के स्पष्ट विचारों से पूर्ण अनभिज्ञ रहे होंगें। अतः वह भी बैठ जाने का आदेश पाकर अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गये थे।

इन प्रश्नोत्तर को सुनकर जिन अन्य महानुभावों को श्री संजय गांधी से प्रश्न पूछना था, वे सभी शक्तिहीन से हो गये थे और किसी में यह साहस नहीं दिखाई दे रहा था कि वह खड़ा होकर श्री संजय गांधी का सामना कर सके। अन्ततः कानपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष तथा मेडिकल कालेज कानपुर के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डा० ताराचन्द ने श्री संजय गांधी से अपने-अपने प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने बहुत सूक्ष्म और विवेकपूर्ण ढंग से उत्तर देकर उन्हें भी बैठा दिया था। इस प्रकार बड़ी धूमधाम और तैयारियों से आयोजित *तीस मिनट की अवधि का बौद्धिक सम्मेलन मात्र दस मिनट में ही समाप्त हो गया और श्री* संजय गांधी, श्रीमती मेनका गांधी एवं श्री नारायण दत्त तिवारी के साथ मंच से उठकर चल दिये। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह उनसे स्वल्पाहार के लिए निवेदन करता। सब चुपचाप खड़े हो गये थे और देखते-देखते कुछ क्षणों में वी.आई.पी. फ्लीट फिर सर्किट हाउस पहुंच गया था।

इस बौद्धिक-सम्मेलन की पृष्ठिभूमि की पूर्ण जानकारी आयोजन से पूर्व ही मुझे थी। बौद्धिक सम्मेलन का मुख्य अभिप्राय यह था कि कानपुर नगर के प्रमुख उद्योगपति एवं विशिष्ट लोग देश के भावी प्रधानमंत्री से अपना घनिष्ठ एवं सीधा सम्पर्क बनाने के लिए लालायित थे। अतः जब श्री संजय गांधी के कानपुर आने का कार्यक्रम बना, तब सम्बन्धित लोगों ने, जिनमें डा० वीरेन्द्र स्वरूप, चैयरमैन उत्तर प्रदेश विधान परिषद, डा० गौरहरि सिंघानियां, श्री राम रतन गुप्ता, श्री राजाराम, उद्योगपतिगण श्री नरेन्द्र मोहन, प्रधान सम्पादक, दैनिक जागरण, डा० ताराचन्द, सर्जन मेडिकल कालेज तथा कानपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी के विभागाध्यक्ष आदि प्रमुख थे, चैम्बर ऑफ कामर्स कानपुर के प्रागंण में बौद्धिक-सम्मेलन के नाम से एक सभा करने का निर्णय लेकर श्री संजय गांधी को उसमें आमंत्रित करके अपने हित साधने की योजना तैयार की थी। इसके लिए इन लोगों ने डा० वीरेन्द्र स्वरूप के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें मुझे तथा जिलाधिकारी को भी बुलाया गया था। क्योंकि श्री संजय गांधी के कानपुर आगमन पर उनकी

सुरक्षा, भोजन, जलपान, प्रतिनिधि-मण्डलों से साक्षात्कार, जनसभा तथा मार्ग आदि तय करने की जिम्मेदारी वी.आई.पी. नियमानुसार हम लोगों पर ही थी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया था कि बौद्धिक सम्मेलन में कानपुर के केवल गिने-चुने विशिष्ट लोगों को ही आमंत्रित किया जाय और वे ही श्री संजय गांधी से प्रश्न पूछें। ऐसे लोगों की एक सूची भी तैयार कर ली गयी थी। उनके अतिरिक्त श्री संजय गांधी से प्रश्न करने अथवा बात करने की अनुमति किसी को नही दी गयी थी। कानपुर के विशिष्ट महानुभावों का श्री संजय गांधी से व्यक्तिगत परिचय हो जाने को बहुत महत्त्व दिया गया था। बैठक का आयोजन करने वालों का अनुमान था कि श्री संजय गांधी एक युवा नेता है और राजनीतिक दांव-पेंच से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। सम्मेलन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ऐसा बनाया जाय, जिनका उत्तर देने में उन्हें कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रश्नों के साथ ही साथ उनका उत्तर भी लिखकर उन्हें सम्मेलन में पहुंचने के पूर्व सर्किट हाउस में ही उपलब्ध करा दिया जाय। इस प्रकार श्री संजय गांधी तथा भारतवर्ष के 'भावी प्रधानमंत्री' को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया गया था, परन्तु बौद्धिक सम्मेलन और उसके आयोजको का अभिप्राय प्रतिनिधि मण्डल के तथा श्री संजय गांधी के प्रथम साक्षात्कार मे ही धराशायी हो चुका था और जो कुछ शेष रह गया था, उसे उन्होंने बौद्धिक-सम्मेलन में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देकर पूर्ण रूप से मटियामेट कर दिया था। इस प्रकार श्री संजय गांधी के सम्बंध में कानपुर के अति विशिष्ट और अनुभवी महानुभावों द्वारा किया गया राजनीतिक आकलन गलत सिद्ध हुआ था और उनके बौद्धिक-सम्मेलन का उद्देश्य विफल हो गया था।

श्री संजय गांधी यथासमय सर्किट हाउस से जनसभा को सम्बोधित करने के लिए गणेश शकर विद्यार्थी पार्क चल पड़े। जनसभा स्थल पर उनको देखने और भाषण सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। कानपुर के इतिहास में इतनी भीड़ किसी भी जनसभा में कभी नहीं देखी गयी थी। जनसभा स्थल की "बैरिकेटिंग" तथा नियंत्रण की व्यवस्था मैंने स्वयं अपनी देख-रेख में करायी थी। मुझे यह पहले से आभास था कि श्री संजय गांधी का नाम वर्तमान समय की राजनीति में सर्वोपरि है, अतः उनकी जनसभा में अपार भीड़ आने की आशा थी। इस परिस्थिति को देखते हुये गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क तथा उससे जुड़े सभी मार्गों को जनसभा हेतु घेर लिया गया था, जिसमें लगभग दो लाख तीस हजार जनसमुदाय के बैठने का प्रबन्ध किया गया था। सभास्थल को "गारलैण्ड ऑफ रोड्स" से जोड़ दिया गया था। जनसभा हेतु पहली बार गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क पूर्ण रूप से भर गया था। साथ ही साथ "गारलैण्ड ऑफ रोड्स", जिसमें माल रोड वी.आई.पी. रोड,

[illegible] हाउस रोड आदि सम्मिलित थे, पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। अनुमानतः लगभग तीन लाख दर्शक-जनसमुदाय रहा होगा। भीड़ समुद्र की लहरों की तरह आती-जाती हिलोरें ले रही थी। मै भी मंच पर उपस्थित था। श्री संजय गांधी अपने चारसूत्रीय कार्यक्रम के सन्दर्भ में बोल रहे थे। बीच-बीच में वे जोर देकर दोहराते जाते थे कि "मेरा विश्वास है बातें कम और काम ज्यादा"। मंच पर उपस्थित श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित जी ने भीड़ का जायजा लेते हुये चानलोवो साहब से कहा था कि उनकी जानकारी में इस जनसभा में उपस्थित जनसमुदाय उनकी अन्य जनसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है और लगभग ६-७ लाख होगी। श्री लोवो ने उनका समर्थन किया था। दोनों अधिकारियों ने उपस्थित भीड़ के विषय में मंच पर बैठे मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को बताया था और वह भी उनकी राय से सहमत थे। जनसभा में उपस्थित पत्रकारों की भी यही धारणा थी और अगले दिन के समाचार पत्रों में यही तथ्य मुख्य शीर्षकों से छापा गया था "आज तक की सबसे बड़ी जनसभा, जिसमें ७-८ लाख की भीड़ श्री संजय गांधी के भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुई। यद्यपि मेरे आंकलन से भीड़ तीन लाख के लगभग थी क्योंकि वहां इससे ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी।

इस वी.आई.पी. ड्यूटी के पश्चात बाहर से प्राप्त किया गया पुलिस बल अपने-अपने स्थानों पर वापस जा ही रहा था कि दिल्ली से इन्टेलीजेन्स ब्यूरो का एक फोन मुझे मिला कि श्रीमती मेनका गांधी के कान का एक झुमका कानपुर में कहीं गिर गया है। वह हाथी दांत का बना है और बहुमूल्य भी है। अतः उसे ढूंढकर दिल्ली भेज दिया जाय। उसी दिन रात को प्रदेश इन्टेलीजेन्स विभाग से भी इसी विषय का एक "टॉप प्रायोरिटी" संदेश मुझे मिला। श्री विशंभर नाथ, डी.आई.जी. कानपुर तथा श्री श्रवण टण्डन डी.जी. पुलिस, उत्तर प्रदेश ने भी मुझे इस कार्य हेतु फोन किया था। मैंने सबको सूचित कर दिया था कि श्रीमती मेनका गांधी अपनी यात्रा में जहां-जहां गयी थीं, वहां-वहां व्यापक स्तर पर खोज हो रही है, अतः सम्भावना यही है कि यदि उनका झुमका कानपुर में कहीं गिरा होगा, तो मिल जायेगा। यदि झुमका इलाहाबाद से आते समय कहीं मार्ग में गिरा होगा, तो मिलना कठिन होगा। व्यापक स्तर पर खोज के दौरान मैंने कानपुर शहर एवं इलाहाबाद के रास्ते पर स्थित थानाध्यक्षों को विस्तृत आदेश दिये थे और सबसे ४८ घंटे में सूचना मांगी थी। इन्टेलीजेन्स ब्यूरो दिल्ली, डी०जी० पुलिस तथा अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति-आख्या मांगता रहा

लखनऊ भेज दी थी। साथ ही साथ यह भी लिख दिया था कि अब आगे तलाश करना लाभदायक प्रतीत नही होगा। मुझसे उस विषय में पुनः कुछ नहीं पूछा गया। विस्तृत आख्या से यह फायदा होता है कि प्रायः उसमें प्रत्येक बिन्दु पर लिखी गयी आख्या को सही मान लिया जाता है। यह मेरा अनुभव रहा है। झुमका जैसे छोटे आभूषण का अनिश्चित स्थान पर खो जाना और पुनः मिल जाना असम्भव नहीं तो एक कठिन समस्या जरूर थी।

श्री संजय गांधी की कानपुर-यात्रा के समय एक और आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य मुझे देखने का अवसर मिला था। उनकी यात्रा की प्रत्येक व्यवस्था वी.आई.पी. स्तर पर की गयी थी। यह सब कुछ नियमों के विरुद्ध था और जिसकी जानकारी भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन एवं पुलिस के सर्वोच्च तंत्र को थी। मुख्यमंत्री तिवारी जी परछाई की भांति कथित वी.आई.पी. के साथ-साथ चल रहे थे। जनसमूह बाढ़ की तरह उफान लेता हुआ उनके जनसभास्थल पर पहुंचता था परन्तु प्रशासन से लेकर जनता तक में किसी में यह साहस नहीं था कि देश और प्रदेश की सरकारों से नियमों के विरुद्ध आचरण करने का कारण जानने का प्रयास करते। यह एक निरंकुश वातावरण और परिस्थिति थी। प्राय· लोग यह नही स्पष्ट कर पाये कि यह सब श्री संजय गांधी के व्यक्तित्व के कारण था या उनके आतंक के परिणामस्वरूप होता था। मैंने स्वयं वड़े से बड़े दिग्गज महानुभावों को उनके समक्ष क्षणों में धराशायी होते देखा था। कानपुर की यात्रा के समय मैंने देखा कि श्री जानलोवो आई.पी.एस., डायरेक्टर, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, भारत सरका; अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, उत्तर पद्रेश व वरिष्ठतम् पुलिस अधिकारी जो मुख्यतः श्री संजय गांधी की सुरक्षा हेतु परछाई की तरह उनके साथ-साथ चलने के लिए नियुक्त किये गये थे, उन अधिकारियों से भी उन्होने कोई नजदीक का लगाव नहीं रखा था। इस कारण इन अधिकारियों में भी इतना साहस नहीं था कि वे श्री संजय गांधी से उनके कार्यक्रम आदि के विषय में खुलकर कुछ वार्ता कर लेते। सारा भार मुझ पर ही डाल दिया गया था।

मेरी पत्नी सरला उस समय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्व डी.ए.वी. गर्ल्स डिग्री कालेज की राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता थीं। वह बौद्धिक सम्मेलन में भी उपस्थित थीं तथा श्री संजय गांधी की राजनैतिक दृढ़ता एवं परिपक्वता से बहुत प्रभावित थीं। एक दिन शाम उनके कालेज की प्रिन्सिपल श्रीमती इन्दिरा वर्मा अपने कालेज की कुछ अन्य प्राध्यापिकाओं के साथ हमारे बंगले पर सरला जी से मिलने आई थीं। वे सभी आपसी वार्तालाप में लीन चाय पी रही थी। उसी मध्य अचानक मै किसी मीटिंग से लौटकर घर आया था। मैने पत्नी की सभी·सहेलियों से शिष्टाचार के नाते अभिवादन किया। उसी समय प्रिन्सिपल श्रीमती

वर्मा जी ने मुझसे बैठने का आग्रह करते हुये कहा था कि सुना है कि सक्सेना जी को वीरता का 'पुलिस मेडल' मिलने जा रहा है? मैं उनके प्रश्न को समझ नहीं पाया था और पूछा था कि वहन जी, आप क्या कह रही हैं। कुछ सन्दर्भ तो वताइये? वे सभी खिल-खिलाकर हंस पड़ी थीं। सरला जी ने स्थिति को तुरन्त सम्भालते हुये कहा था। पार्टनर, मैंने ही इन सवको अभी वताया था कि आजकल २-३ दिन से मेरी मुलाकात सक्सेना जी से नहीं हो पा रही है क्योंकि वे जी-जान से भारत के भावी प्रधानमंत्री की पत्नी का कानपुर शहर की सड़कों पर खोया हुआ झुमका ढूंढने में लगे हुये हैं। वहां उपस्थित महिलाओं ने पुनः हंसी का ठहाका लगाया। मैंने कहा कि क्या करें, यदि वीवी का झुमका गिरे तो सम्वन्धित जांच के दौरान उनसे दस सवाल भी कर सकता हूँ कि आप कहां-कहां गई तथा कहां-कहां बैठी परन्तु यही प्रश्न अगर मैं वी.आई.पी. से कर दूँ तो मेरी तो सर्विस से ही छुट्टी हो जायेगी। इस हास-परिहास के वीच मेरी लम्वी थकान जाने कहां गायव हो चुकी थी।

प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कानपुर यात्रा

देश स्वतंत्र होने के पश्चात वर्ष १९७७ में पहली बार कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में हार गयी थी और देश के प्रशासन से सत्ताच्युत हुई थी । देश का प्रशासन जनता दल के हाथ मे चला गया था । मोरारजी देसाई जैसे प्रमुख गांधीवादी नेता कांग्रेस छोड़कर जनता दल में चले गये थे और उन्हें ही सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था । उन्होंने चरण सिंह जी को अपने मंत्रिमण्डल मे देश का गृहमंत्री नियुक्त किया था । उस समय मै कानपुर जनपद का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक था और श्री के०के०बक्शी आई०ए०एस० जिलाधिकारी थे । नयी सरकार के गठन के कुछ ही समय पश्चात प्रधानमंत्री मोरारजी दसाई के कानपुर आगमन का कार्यक्रम उनके सचिवालय से हम लोगों के पास आया था । कानपुर शहर के कुछ स्थानीय कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री जी को गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में एक बड़ी जनसभा को भी सम्बोधित करना था । कानपुर में उनके आगमन से लेकर ठहरने, सुरक्षा, भोजन, नाश्ता आदि का प्रबंन्ध मुझे एवं जिलाधिकारी को ही करना था । यद्यपि प्रधानमंत्री के लिए इन व्यवस्थाओं के समस्त प्रावधान लिखित रूप में है और सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के अनुसार की जाती है, परन्तु उनके क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की थी । कांग्रेस अथवा जनतापार्टी के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तथापि नाश्ता और भोजन की व्यवस्था में भिन्नता अवश्य थी । साथ ही साथ, जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री का कानुपर आगमन था, इसलिए प्रायः सभी दृष्टिकोणों से सतर्कतापूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता थी ।

प्रधानमंत्री जी के नाश्ते और भोजन के लिए उनके कार्यक्रम में लिखा गया था कि वह

सुबह काले रंग की गाय का एक गिलास दूध, दस बादाम, पांच काजू तथा पांच पिश्ता लेंगे। ११.३० बजे दोपहर के भोजन में दो रोटी, दाल, हरी सब्जी तथा मौसम के अनुसार ताजे फल का उल्लेख किया गया था।

प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद के कार्यक्रम के पश्चात ढाई बजे दिन में कानपुर पहुंच रहे थे। उनके कार्यक्रम से यह संकेत मिल रहा था कि वह दोपहर का भोजन इलाहाबाद से करके कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे क्योंकि उनके कार्यक्रम में कानपुर में भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ नहीं लिखा गया था। वैसे भी दिन में ढ़ाई बजे के बाद भोजन करने का कोई उचित समय नहीं था। यद्यपि प्रदेश-प्रशासन प्रधानमंत्री जी के लिए जरूरी व्यवस्था-तैयारियो से पूर्ण आश्वस्त एवं सतर्क था, किन्तु एक नयी राजनैतिक पार्टी के नये प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप से अनभिज्ञ होने के कारण एक अस्थिरता का भी आभास हो रहा था। मैने सुरक्षा के निर्धारित नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री जी के आवागमन से सम्बन्धित मार्गो, सर्किट हाउस तथा जन सभा स्थल पर पुलिस बल नियुक्त कर दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र से अतिरिक्त पुलिस बल भी प्राप्त कर लिया था और उनका पूरा-पूरा उपयोग कर रहा था। श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक उस समय प्रदेश इन्टेलीजेन्स विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, वह भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां देखने कानपुर आये थे। वह अपने साथ कुछ चुनिन्दा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी लाये थे। मैंने जिलाधिकारी तथा श्री विश्वम्भर नाथ पुलिस उप-महानिरीक्षक, कानपुर के साथ सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की गहराई से छानबीन कर ली थी और "रिहर्सल तथा ब्रीफिंग" भी कर ली थी। मेरी व्यवस्था पर सबने संतोष प्रकट किया था।

सुबह ही मैने जिलाधिकारी को फोन किया था कि प्रधानमंत्री जी तथा उनके साथ आने वालों के दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि उनके कार्यक्रम में इसके लिए निर्देश नहीं दिया गया था, परन्तु यदि प्रधानमंत्री जी के साथ आ रहे अन्य मंत्रियों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए भोजन की आवश्यकता हुई तो अच्छा होगा कि उसका भी उचित प्रबन्ध अभी कर लिया जाय, परन्तु जिलाधिकारी ने मुझे स्पष्ट उत्तर दिया कि जब कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था के लिये नहीं लिखा गया है, तब वह उसकी आवश्यकता नहीं समझते। मैंने उनसे पुनः भोजन की व्यवस्था के लिए आग्रह भी किया था, परन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भोजन की व्यवस्था उनको करनी थी। अतः मैने उनसे और अधिक आग्रह नहीं किया।

जैसे ही ढाई बजे दोपहर में प्रधानमंत्री जी सर्किट हाउस पहुंचे, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार उनके कमरे में फल का रस, ताजे फल एवं मेवा भिजवा दिया गया। थोड़ी देर में मैंने प्रधानमंत्री जी के पुत्र कान्ति देसाई को कमरे से बाहर निकलते देखा। वह सीधे मेरे पास आये और पूछा कि क्या भोजन लग गया है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने केवल इतना कहा कि मजिस्ट्रेसी द्वारा भोजन का प्रबन्ध किया गया होगा। मै अभी उनसे बात करके आपको बताता हूँ। श्री कान्ति भाई ने अप्रसन्न होकर कहा कि कहां है जिलाधिकारी? अभी तक भोजन क्यों नहीं लगवाया गया? पास में खड़े जिलाधिकारी के०के० बक्शी ने उनसे कहा कि दिल्ली से आये आदेश में कानपुर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था, अतः भोजन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इस उत्तर पर कान्ति भाई आपे के बाहर हो गये। कमिश्नर (इलाहाबाद मण्डल) श्री भट्टाचार्य के बहुत अनुनय-विनय पर भी कान्ति भाई क्रोध में बराबर अनाप-शनाप बोलते रहे थे। इतने सज्जन व प्रभावशाली जिलाधिकारी को अनेक तरह की खराब बातें सुननी पड़ी थीं। वह मुझे अच्छी नहीं लगी थीं, अतः मैंने हिम्मत करके श्री कान्ति भाई से कहा कि वह मुझे केवल २५ मिनट का समय दें। मै शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह के भोजन की अच्छी व्यवस्था शीघ्र करा दूँगा। तत्पश्चात मैंने डी०एस०पी० व इन्सपेक्टर कोतवाली को थ्री स्टार मेघदूत होटल भेजकर, वहां से जो भी भोजन तैयार हो, बेटरों व क्राकरी सहित २० मिनट में लाने और भुगतान बाद में करने को कह दिया। दूसरे डी०एस०पी० व इन्सपेक्टर को बाजार में उपलब्ध फल खरीद कर धोकर ले आने को भेजा। इस प्रकार मैंने सर्किट हाउस में आधा घण्टे में ही भोजन की पूर्ण व्यवस्था करवा दी। करीब २५-३० विशिष्ट अतिथियों ने भली-भांति अपनी-अपनी स्वेच्छानुसार भोजन किया तथापि दोपहर के भोजन का प्रबन्ध कानपुर में न होने पर श्री कान्ति भाई ने अपनी अप्रसन्नता प्रधानमंत्री जी को बता दी, जिस पर वह भी क्रोधित होकर जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय ले चुके थे, परन्तु श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी से अनुनय विनय करके आदेश पारित नहीं होने दिया, जिसके कारण हम लोग एक वहुत कड़े मानसिक क्लेश से बच गये थे।

प्रधानमंत्री जी के प्रथम कानपुर आगमन पर जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपार समूह का उनके स्वागत में आना स्वाभाविक था। साथ ही साथ वे सब उनसे व्यक्तिगत ढंग से मिलने और बात करने के लिए लालायित भी थे। मैंने सर्किट हाउस पर एकत्र हुये जनसमूह को स्पष्ट बता दिया था कि प्रधानमंत्री जी का सबसे एक साथ मिल पाना सम्भव

नहीं हो सकेगा। यदि वे अपने-अपने एक-दो प्रतिनिधियों का नाम लिखकर दे दें, तो मैं प्रधानमंत्री जी से उनकी आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात मिलाने का प्रयास करूँगा, परन्तु मेरे प्रस्ताव पर वहां उपस्थित जनसमूह ने आपत्ति करते हुये कहा था कि प्रधानमंत्री जी जनता पार्टी के नेता है। अतः उनके तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं आदि के बीच पुलिस अधिकारियों के आने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें इस कार्य के लिए न पुलिस की आवश्यकता है और न प्रतिनिधियों को इस तरह मिलने के लिए भेजना है। वे सब प्रधानमंत्री जी से एक साथ मिलेंगे। मैंने उन्हें बार-बार समझाने का प्रयास किया और बतलाया कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है, जो भारत सरकार के आदेश से मुझे सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी किस राजनीतिक पार्टी के नेता है, इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता है, इसलिए वे लोग सर्किट हाउस के लान पर ही खड़े रहेंगे और बिना अनुमति सर्किट हाउस के अन्दर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। तत्पश्चात उन्हें रोकने के लिए मैंने वहां पर आवश्यकता से अधिक पुलिस बल भी तैनात कर दिया।

इसके पश्चात मैं सर्किट हाउस के अन्दर गया। वह श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग उत्तर प्रदेश, श्री डी०के० भट्टाचार्य, आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, श्री विश्वम्भरनाथ, पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र तथा श्री के०के० बक्शी, जिलाधिकारी, कानपुर आदि उपस्थित थे। मैंने उन्हें बाहर खड़े जनसमूह की स्थिति और उसकी प्रधानमंत्री जी से मिलने की मांग से अवगत करा दिया। उन्हें यह भी बताया कि मैंने नवनिर्वाचित स्थानीय सांसद मनोहर लाल से भी बातचीत की है कि वह कुछ लोगों के नाम बतायें, जिन्हें प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री जी से मिलवाने का प्रयास किया जाय, परन्तु उनकी भी बात भीड़ नहीं सुन रही और अन्दर आकर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहती है। मैंने श्री दीक्षित व श्री भट्टाचार्य आदि से अनुरोध किया कि वे वरिष्ठ अधिकारी हैं। अतः उन्हें प्रधानमंत्री जी को इस स्थिति से अवगत कराकर उनसे आदेश ले लेना चाहिए, जिससे उसके अनुकूल मिलाने की व्यवस्था मैं कर सकूँ। मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बात करने को तैयार नहीं थे। श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित जी ने इतना अवश्य कहा कि उनके साथ जो युवा अधिकारी व कर्मचारी लखनऊ से आये है, उन्हें वह सर्किट हाउस के अन्दर के दरवाजे पर नियुक्त करके 'ह्यूमन चेन' बना देंगें ताकि एक और सुरक्षा रेखा बन जाय और भीड़ को सर्किट हाउस के अन्दर प्रधानमंत्री जी से मिलने से रोका जा सके। मेरे अनुमान से भीड़ को इस स्थिति में अन्दर आ जाने से रोक पाना सम्भव. नहीं था क्योंकि

अपार भीड़ हाल के चुनाव में जनता पार्टी की विजय पर उद्वेलित हो रही थी और जनता-सरकार की दुहाई देकर पुलिस-व्यवस्था की उपेक्षा करते हुए अनियंत्रित हो रही थी।

अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अस्थिर गतिविधियों से असहमत और एक गम्भीर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैने अपने विवेक से कार्य करना उचित समझा और प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली से आये हुये वरिष्ठ अधिकारियों के पास गया। उनसे बात करने के पश्चात मै बिना किसी दुविधा के प्रधानमंत्री जी के कमरे में घुस गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करके उन्हें अपना परिचय दिया। उस समय वह प्रशासनिक पत्रावलियां देख रहे थे। मैंने उन्हें मिलने हेतु बाहर खड़ी अपार भीड़ तथा उसकी मनोभावना से अवगत कराया तथा उनसे यह जानने के लिए निवेदन किया कि क्या वह बाहर प्रतीक्षारत अपार भीड़ से या उसके प्रतिनिधियों से मिलना पसंद करेंगे। साथ ही साथ मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि कानपुर के जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल जी भी भीड़ को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हो रहे है और उचित मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे है।

मै पूर्व प्रधानमंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ कि ८० वर्ष की आयु पार करने के पश्चात भी वह सीधे तन कर खड़े हो गये और मुझसे हाथ मिलाकर अपनी ऊँची आवाज में वार्तालाप किया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अग्रेजों के शासनकाल में कांग्रेस के सत्याग्रह के समय की निर्भीकता, सत्यता एवं स्पष्टवादिता अब भी उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अपार जनसमूह से मिलने के विषय में उन्होंने नपे-तुले शब्दों में स्पष्ट आदेश दिये। उन्होंने कहा कि "आप बाहर जाकर जनसमूह को बता दें कि यदि पांच प्रतिनिधि मुझसे मिलना चाहते है तो मिल सकते हैं अन्यथा सब वापस जा सकते है"। यदि वे अनुशासित होना नहीं जानते , तो मै उनसे इस प्रकार नही मिलना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी का पुनः अभिवादन करके मै उनके कमरे से तुरन्त बाहर आया और प्रतीक्षारत जनसमूह को प्रधानमंत्री जी के निर्णय को सुना दिया। प्रतीक्षारत जनसमूह तथा कानपुर के सांसद मनोहर लाल जी को मैंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वे यदि इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो मै पुलिस बल का प्रयोग करके उन्हें सर्किट हाउस के लॉन से बाहर कर दूँगा। मेरी इस चेतावनी के बाद भी बाहर लान पर खड़ा जनसमूह वहीं उपस्थित रहा। श्री ओ०पी० अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक, नगर की ड्यूटी वहां लगाकर मै सर्किट हाउस के अन्दर चला गया।

यहां यह लिखना मै उचित और आवश्यक समझता हूँ कि कानपुर सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता तथा वहां उपस्थित

जनसमूह उतावला हो रहा था । पुलिस द्वारा अवरोध खड़े करने पर भीड़ अनियंत्रित हो रही थी । वहां उपस्थित सांसद व वरिष्ठ नेतागण भीड़ को समझाने-बुझाने में असमर्थ हो चुके थे । वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपनी अस्थिर गतिविधियों के कारण किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठे थे और किसी में यह साहस नहीं दिखाई दे रहा था कि वह प्रधानमंत्री जी या उनके साथ दिल्ली से आये हुये वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इन गम्भीर परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराकर उनके निराकरण का मार्ग प्रशस्त करता । सुरक्षा का सारा भार मेरे ऊपर था । अतः सभी सम्बन्धित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी अपना-अपना पल्ला झाड़कर मेरे सहारे बैठे थे । यद्यपि मैं घनघोर कठिनाईयों से घिरा हुआ था, किन्तु धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना कर रहा था । मैं वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पर निर्भर न रहकर सदैव अपनी बुद्धिविवेक व अनुभव का सहारा लेकर अनुशासित ढंग से अपने दायित्व, कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का पालन कर रहा था । मुझे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी थी और मैं सदैव उनका पूर्णरूपेण प्रयोग करने में संकोच नहीं करता था । प्रधानमंत्री जी के कानपुर आगमन पर उनसे मिलने के लिए कटिवद्ध जनसमूह किसी क्षण अनियंत्रित हो सकता था । उसे समझाने-बुझाने के सारे प्रयास असफल हो चुके थे । भीड़ को नियंत्रित करने में कोई भी असाधारण घटना घट सकती थी । उनकी सुरक्षा का दायित्व व भार मेरे ऊपर होने के कारण मै उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था । ऐसे में मैं अपनी बुद्धि, विवेक, अनुभव के आधार पर तीव्रगति से सही निर्णय ले रहा था और बिना किसी रोक-टोक एवं हिचकिचाहट के अपने अधिकारों के अन्तर्गत अनुशासित ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्हें गम्भीर परिस्थितियों से अवगत कराकर क्षण भर में उनका आदेश प्राप्त करने और एकत्र जनसमूह को उससे अवगत कराकर अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर रहा था । यदि उसके पश्चात भी भीड़ अनियंत्रित होती तो मै अपने पुलिस-अधिकारों का प्रयोग करने से बिल्कुल न हिचकिचाता और बल प्रयोग करके उस पर नियंत्रण कर लेता । ऐसे अवसरों पर मै वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और उनकी इच्छाओं को प्राथमिकता न देकर त्वरित गति से अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना उचित समझता था । सर्किट हाउस में उपस्थित भीड़ को मैने अन्दर नहीं आने दिया । प्रधानमंत्री जी भी अपनी बात पर अटल रहे, वे किसी से नहीं मिले ।

प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता उदाहरण योग्य थी । उनके अद्भुत व्यक्तित्व एवं गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम होगी । पांच बजे शाम को उन्हें अपने कार्यक्रम के अनुसार गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क, कानपुर में एक जनसभा को

सम्बोधित करना था । मैंने ४.५० पर वी०वी०आई०पी० फ्लीट की गाड़ियो को सर्किट हाउस के पार्किंग में लगवा दिया । उन दिनो कानपुर की कुछ कपड़ा मिलें बंद चल रही थीं, जिसके कारण मिलों में कार्यरत कर्मचारी वेतन न मिल पाने के कारण परेशान रहते थे। उनके परिवारों को भूखा रहना पड़ रहा था । बच्चों की समय से फीस न जमा होने के कारण स्कूलों से उनके नाम कट जाते थे । अतः उनके घरों की महिलाएं प्रधानमंत्री जी को अपनी व्यथाएं बताकर मिलों के चलवाने की प्रार्थना करना चाहती थीं । इस कार्य के लिए लड़कियों और महिलाओं का एक दल सर्किट हाउस के प्रांगण में धरना देकर बैठा था और प्रधानमंत्री जी से मिलने की इजाजत के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर दवाव वना रहा था । जिलाधिकारी मेरे तथा लेबर कमिश्नर, कानपुर द्वारा बहुत समझाने और आश्वासन देने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कटिवद्ध थीं । वे किसी प्रकार सर्किट हाउस के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी । उनका कहना था कि पुलिस विभाग उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं कर सकता है । वे 'जनता के प्रधानमंत्री' से मिलकर अपनी व्यथा सुनाना चाहती हैं । प्रधानमंत्री जी को जनसभा में प्रस्थान करने में केवल पांच मिनट का समय शेप था । विकट परिस्थिति का सामना था । मैंने पुनः प्रधानमंत्री जी से आज्ञा के लिए उनके कमरे में प्रवेश किया और स्थिति से अवगत कराकर निवेदन किया कि यदि वे इन महिलाओं से न मिलना चाहें तो आदेश देने की कृपा करें अन्यथा उन्हें बलपूर्वक पार्किंग से बाहर निकाला जाय क्योंकि वे वी०आई०पी० कार के पास धरने पर बैठी है । उन्होंने मुझे मना किया कि मै उन्हें वहां से हटाऊँ । वह उनसे मिलकर बात करना चाहेंगे । तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी जनसभा में जाने के लिए कमरे से बाहर आये। वह पार्किंग मे महिलाओं के पास आकर रुक गये, महिलाओं ने रो-रोकर उन्हें कपड़ा मिलों के बन्दी के कारण बेरोजगारी और भुखमरी की समस्याओं से अवगत कराया । उन्हें सान्त्वना देते हुये प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि उनमें से कोई गरीब और भूखी नहीं है । सब मूल्यवान सलवार व साड़ियां पहने है । आवेदन-पत्र मांगकर उनकी समस्याओं पर विचार करने का उन्हें आश्वासन अवश्य दिया । फुर्तीस महिलाओं के वीच से निकलकर वह वी०आई०पी० कार में जाकर बैठ गये । धरना देने वाली महिलाएं एकदम अवाक रह गयी थीं और वी०आई०पी० काफिला जनसभा में सम्मिलित होने गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क समयानुसार प्रस्थान कर गया तथा भीड़ भी घर लौट गई ।

एक दबंग धैर्यवान और कठिन परिस्थितियों का सही आंकलन करने वाले श्री मोरारजी दसाई सच्चे गांधीवादी नेता थे । वह चापलूसी से बिल्कुल परे थे तथा दो टूक स्पष्ट

गोण्डा में बैंक मैनेजर की हत्या व लूट

यह घटना सन् १९७८ की है। उस समय मैं फैजाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। जाड़े का मौसम प्रारम्भ हो चुका था। मै अपनी पत्नी सरला के साथ सुबह की चाय पी रहा था, तभी मेरे टेलीफोन अर्दली ने फैजाबाद का दैनिक समाचार पत्र "जनमोर्चा" लाकर दिया, जिसके प्रथम पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में समाचार था- "गोण्डा में बैक मैनेजर की हत्या कर कैश लूटा गया"। घटना एक दिन पुरानी हो चुकी थी, किन्तु बी०आर० गुप्ता, आई०पी०एस०, पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ने इतने गम्भीर काण्ड की सूचना उस समय तक मुझे नही दी थी। पुलिस अधीक्षक की इस लापरवाही के कारण मै क्रोध से तिलमिला उठा और फोन का बटन दबाकर बाहर बैठे अर्दली को आदेश दिया कि वह पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को टेलीफोन मिलाकर तुरन्त बात कराये। मेरे तीव्र स्वर से मेरी पत्नी सरला भांप गयी कि मै क्रोध में हूँ। बी० आर० गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, गोण्डा तथा उनकी पत्नी हमारे अच्छे मिलने वालों में से थे और तीन वर्ष तक राजभवन कालोनी में हमारे पड़ोसी थे। इसलिए मेरी पत्नी ने श्री गुप्ता का पक्ष लेते हुये कहा कि सम्भव है कि वह अपराध के घटना-स्थल पर चले गये हों और वहां की स्थिति की पूर्ण जानकारी करके सूचना देना चाहते होंगें। मैने तेज स्वर से कहा था कि वह स्वयं भी बी०आर० गुप्ता को अच्छी तरह जानती हैं। वह कितने लापरवाह किस्म के आदमी हैं। वह न तो अभी तक घटनास्थल पर गये होंगे और न ही सनसनीखेज घटना पर कोई विशेष ध्यान दिया होगा। अभी टेलीफोन से वात होने पर सब पता चल जायेगा। मुझे पता था कि सरला जी जानकर भी अन्जान वन रही थीं।

ठीक उसी समय गोण्डा से टेलीफोन मिल गया और मैं गुप्ता जी से बात करने लगा।

मेरा पहला प्रश्न यही था कि क्या वह घटना स्थल पर हो आये है? जो मै सोच रहा था, वहीं सत्य निकला। पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ने उत्तर दिया कि वह अभी तक घटनास्थल पर नहीं गये। नहीं जाने का कारण घटना का सम्बन्ध प्रेम-प्रसंग से होना बताया था। मैंने क्रोध में जोर से गुप्ता जी को डाटते हुये कहा था कि आप एक विचित्र पुलिस अधिकारी है। आपके जनपद में एक बैंक मैनेजर की हत्या करके तिजोरी तोड़कर बैंक का खजाना लूटा जा चुका है। इससे बड़ा और आपराधिक काण्ड क्या हो सकता था, जिसके घटना स्थल पर वह अब तक नहीं गये थे। क्या आपको ज्ञात नहीं था कि लखनऊ स्थित उच्च अधिकारी उक्त गम्भीर काण्ड की सूचना पाकर कितने परेशान होंगे। प्रदेश शासन इस घटना का गोण्डा में कानून व्यवस्था समाप्त हो जाने का प्रमाण मानेगा। मैंने उन्हें आदेश दिया कि वह तुरन्त बावर्दी घटना स्थल पर पहुंचने हेतु प्रस्थान करें और अपने जनपद के तीनों क्षेत्रीय अधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षकों) को भी वहां पहुंचने और कैम्प करने का आदेश दें। मैंने उन्हें यह भी आदेश दिया कि २४ घंटों के अन्दर इस काण्ड के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों को गिरफ्तार करायें तथा लूटी गयी बैंक की पूरी धनराशि भी बरामद करायें अन्यथा मैं उनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही करूंगा।

बी०आर० गुप्ता सज्जन पुरुष होने के बावजूद सामान्य योग्यता के पुलिस अधिकारी थे। मेरी क्रोध भरी बातें और आदेश सुनकर बहुत घबरा गये। मैंने उन्हें अपने अनुभवों से अवगत कराते हुये समझाने का प्रयास किया कि अविलम्ब घटना स्थल पर जाकर उस जघन्य अपराध को "छानबीन" करायें। उन्होंने घटना प्रेम-प्रसंग से सम्बन्धित बतायी थी, अतः उसके "छानबीन" होने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए था। उसके तथ्यों की छानबीन में पूर्ण परिश्रम और विवेक से कार्य करना होगा। मैंने पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को यह भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि यदि उन्होंने २४ घंटे के अन्दर इस कत्ल और डकैती का पता लगाकर अभियुक्तों को लूटी गयी सम्पत्ति के साथ गिरफ्तार नहीं करवा लिया तो इस गम्भीर अपराध का पता लगाना सम्भव नहीं हो सकेगा। अभियुक्त बैंक से लूटी गयी धनराशि लेकर बहुत दूर चले जायेंगे।

मुझे सन्देह था कि पुलिस अधीक्षक, गोण्डा इस जघन्य हत्या तथा डकैती के अपराध की आसानी से छानबीन नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैंने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने जनपद में नियुक्त सबसे योग्य सर्किल ऑफिसर, जिसे इस प्रकार के गम्भीर अपराधों की विवेचना का अनुभव हो, को घटना की विवेचना का भार सौप दे और मेरे द्वारा दिये गये आदेशों और सुझावों से अवगत करा दें। उन्होंने मुझे पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित का नाम बताया, जिन्हें मैं भली-भांति जानता था। श्री दीक्षित एक योग्य एवं मंझे हुये पुलिस अधिकारी

थे और निरीक्षक के पदों पर नियुक्त रहकर गम्भीर अपराधों की विवेचना में निपुण हो चुके थे। अब वे निरीक्षक के पद से प्रोन्नत होकर गोण्डा में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त हुये थे। अतः मैंने घटना की विवेचना उन्हें सौंपने का आदेश दे दिया। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि दोपहर बाद मैं स्वयं घटनास्थल पर आऊँगा और आशा करूंगा कि मेरे आने से पूर्व मामले की छानबीन कर ली जाय। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को दण्डित करने में कदाचित मुझे कोई संकोच नहीं होगा। मेरी प्रताड़ना के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, गोण्डा उनके अधिनस्थ पुलिस उपाधीक्षक तथा सम्बंधित थाने की पुलिस अपने कार्य में जी-जान से जुट गयी।

यह घटना स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की एक ग्रामीण शाखा से सम्बन्धित थी, जिसके कारण वहां पहुंचने में कुछ अधिक समय लगा था। मैं २.३० बजे दिन में फैजाबाद से सीधे वहां पहुंचा। मेरे आदेश के अनुसार इस जघन्य अपराध की छानबीन गोण्डा पुलिस द्वारा ४ घंटे में ही कर ली गयी थी। इस सूचना पर मुझे अपार खुशी हुई थी। इस उत्कृष्ट कार्य का श्रेय पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित को मिला, जिनकी कर्मठता, लगन और सूझबूझ के कारण इस जघन्य घटना का सही-सही पता चल सका था। घटनास्थल पर उपस्थित पुलिस तथा अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा हजारों की संख्या में मौजूद जनता ने मेरा पुरजोर स्वागत किया। मुझे गर्व था कि मेरे प्रयास के परिणामस्वरूप इस हृदय विदारक घटना का पता ४ घंटे की निर्धारित अवधि के भीतर ही लगाकर गोण्डा पुलिस ने अभियुक्तों को लूटी गयी सम्पत्ति सहित गिरफ्तार कर लिया था। मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि यदि मै समाचार पत्र में इस घटना के विषय में छपे समाचार को पढ़कर पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को प्रताड़ित न करता, तो यह अपराध प्रेम-प्रसंग की एक कहानी मात्र बनकर बिना छानबीन हुये समाप्त हो जाता और मृतक बैंक मैनेजर के दुराचरण का आश्रय लेकर लोग चुप-चाप बैठ जाते।

पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित ने अपराध की विवेचना का आधार बैंक मैनेजर के प्रेम-प्रसंग की कहानी को बनाया था और उस सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों तथा आस-पास के निवासियों से पूछताछ करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही की थी। स्टैट बैक ऑफ इण्डिया का कार्यालय किराये के दो मंजिला मकान में था, जो गोण्डा शहर से लगभग २६ किलोमीटर की दूरी पर था। मकान के निचले भाग में बैक का कार्यालय था और ऊपरी भाग में ब्रांच मैनेजर श्री पाण्डेय सपरिवार रहते थे। वह लगभग ३० वर्ष के एक नवजवान व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। पाण्डेय जी को एक मनचला एवं भ्रष्ट आचरण का व्यक्ति बताया गया था। बताया जाता है कि सुन्दर न होने के कारण उनको

अपनी पत्नी अधिक भाती नहीं थी, अतः वह मौज-मस्ती के लिए सुरा-सुन्दरी में लिप्त रहा करते थे। उनकी गन्दी आदतों के कारण उनकी पत्नी प्रायः रुष्ट एवं दुःखी रहा करती थी और दोनों के दाम्पत्य जीवन में कटुता आ गयी थी। आर्थिक दृष्टि से भी उनकी हालत जर्जर हो गयी थी। कुपोषण के कारण उनके बच्चे लगातार अस्वस्थ होते जा रहे थे। अपनी दुःखी पत्नी के लगातार समझाने-बुझाने पर भी पाण्डेय जी अपनी कामुक आदतों पर अंकुश लगा पाने मे असमर्थ थे, जिसके परिणामस्वरूप एक दिन उनकी निराश पत्नी अपने बच्चों के साथ भाग्य को कोसती हुई अपने मायके चली गयी। कहा जाता था कि अकेलेपन ने पाण्डेय जी के मन में पत्नी के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना उजागर कर दी और अब वह अकेले रहकर दुराचार एवं स्त्री गमन के पूरी तरह दास बन गये थे और उसी में अपना तन-मन व धन लुटा रहे थे।

ग्रामीण बैंक शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किसानों एवं औद्योगिक इकाईयों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी करते है। ऐसी शासकीय योजनाओं में ऋण प्राप्तकर्ता को प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है, जिसके साथ तहसील, ब्लॉक तथा ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रतिभूति आदि का भी लेखा-जोखा देना पड़ता है। इसके बाद भी बैंक से ऋण प्राप्त कर लेना सरल नहीं होता है। अतः कुछ दबंग लोग ऋण प्राप्तकर्ताओं एवं बैंक के मैनेजर के बीच तालमेल बिठाने के लिए बिचौलियों के रूप में कार्य करते रहते है, जिसके चलते प्रायः कमीशन के रूप में लोन की कुछ प्रतिशत धनराशि बैंक मैनेजर तथा बैंक कर्मचारियों को मिल जाती है। साथ ही साथ बिचौलियों को भी इस अवैध कमाई का लाभ मिलता रहता है और वे दोनों ओर से अपना उल्लू सीधा करते है। इस प्रकार का अवैध धन्धा इस बैंक की शाखा में भी जोरों से होता था। बैंक मैनेजर ने इस कार्य के लिए कुछ लोगों को छूट भी दे रखी थी और उनकी सिफारिश पर ही साधारण जनता को ऋण दिया जाता था क्योंकि सम्बंधित बिचौलिये बैंक मैनेजर के कुकृत्यों की जरूरतें पूरी करते रहते थे। सुरा-सुन्दरी मैनेजर की मुख्य आवश्यकताएं थी। पत्नी तथा बच्चों के चले जाने के पश्चात बैंक मैनेजर यह कुकृत्य अपने ही निवास स्थान पर किया करते थे। हत्या की घटना के एक दिन पहले उन्होंने शाम के समय अपने चार गुर्गो के साथ बैठकर अगले दिन शनिवार की शाम को उनके साथ अपने निवास स्थान पर ही शराब पीने और भोजन करने की योजना बनायी थी, जिसका प्रबन्ध उन्हें स्वयं करना था। उनकी काम पिपासा को पूर्ण करने के लिए औरत का प्रबन्ध उनके गुर्गों को करना था। उनके गुर्गों ने उनकी उनकी इच्छा की पूर्ति का प्रबन्ध करने का आश्वासन दिया था। शनिवार को बैंक मैनेजर ने बैंक का कार्य जल्दी-जल्दी पूरा करके सायं पांच बजे बैंक बन्द करवा दिया था। उन्होंने चपरासी को निर्देश दिया था कि

वह छः आदमियों के खाने के लिए आठ बजे रात तक पूड़ी और सब्जी बनाकर तैयार कर दें तथा बैंक के पीछे वाले कमरे को खोलकर उसमें मेज और कुर्सियां लगा दें। खाने वालों के लिए उसी मेज पर प्लेटें, गिलासें और दो जग पानी रख दें तथा गेट अन्दर से बन्द करवा कर अपने घर चला जाये। चौकीदार उनके निर्देशानुसार सारा काम करके अपने घर चला गया था।

भोजन के लिए निर्धारित कमरे में दो दरवाजे थे। एक बैंक के अन्दर तथा दूसरा बैंक के पीछे बाहर की ओर खुलता था। वहां ऊबड़-खाबड़ जमीन और एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसमें गन्दा पानी जमा होता था। उस ओर दूर तक कोई बस्ती आदि नहीं थी। जाड़े की काली रात कुछ ही देर में बैंक मैनेजर के जीवन की अन्तिम रात हो जायेगी, जिसकी उन्होंने स्वयं मे भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि उनका मन तो केवल सुरा और सुन्दरी में लिप्त था और पीने के पश्चात उनके गुर्गों द्वारा लायी जाने वाली सुन्दरी के साथ रह कर अपनी काम पिपासा शान्त करने की योजना में लगा हुआ था। पुलिस की विवेचना के मध्य अभियुक्तों के बयानों से पता चला था कि जैसे ही उनके गुर्गों ने कमरे के पीछे का दरवाजा खटखटाया, तभी बैंक मैनेजर ने तुरन्त दरवाजा खोल दिया था।

एक-एक करके चारों बिचौलिये अन्दर आ गये थे। बैंक मैनेजर ने सहर्ष स्वागत किया और आतुरता से पूछा था कि सुन्दरी कहां है। तभी चारों ने उन्हें कस कर दबोच लिया था और कहा था कि ऐसी क्या जल्दी है, अभी पेश करते है। पहले अपना काम तो समाप्त कर लें। उनके गुर्गों ने उनसे बैंक चेस्ट की चाबी मांगी। बैंक मैनेजर स्थिति को भांप कर गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि वह चाभी कैसे दें, उनकी तो नौकरी चली जायेगी। उनके गुर्गों में से ही एक ने अपनी जेब से देशी तमन्चा (कट्टा) निकाल कर उनके सीने पर रख दिया था। बैंक मैनेजर रोकर कहने लगे थे कि अगर वे लोग बैंक से रुपया निकाल लेंगे तो वह बेमौत मारे जायेंगें। वह सस्पेन्ड कर दिये जायेंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उनके बीबी-बच्चे भूखों मर जायेंगे। इस तरह वह अपनी जान की भीख मांग रहे थे और बैंक के चेस्ट की चाबी नहीं देना चाहते थे, परन्तु उनके पाले हुए गुर्गों को उन पर दया नहीं आयी और उन्होंने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया था। वे चिल्लाने से बिल्कुल मना करते हुये चाबी देने को कह रहे थे। अन्त में पाण्डेय जी ने लाचार होकर बैंक की चाबी का गुच्छा उन्हें दे दिया था। उनके दो गुर्गे उन्हें दबोचे रहे और दो ने बैंक में जाकर कैश चेस्ट खोलने का प्रयास किया, परन्तु वह उसे खोल नहीं सके क्योंकि नये आदमी के लिए उनको खोलना सम्भव नहीं था। जब वे दोनों कैश चेस्ट नहीं खोल पाये, तब वे बैंक मैनेजर के पास आये और उन्हें चेस्ट खोलने के लिए विवश किया। बैंक मैनेजर को तमन्चे की नोक पर डराकर

चेस्ट के पास घसीटकर ले आये और उनसे चेस्ट खुलवा लिया। चेस्ट से उन लोगों ने १६,००० रुपये निकाल लिये। तत्पश्चात उन्होंने बैंक मैनेजर को वही जमीन पर पटककर उनकी छाती में तमन्चे से दो गोलियां मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, तब चेस्ट रूम खून से सना हुआ पाया गया था। बैंक मैनेजर की लाश उसी खून में लथपथ पड़ी हुई थी।

बैंक मैनेजर की हत्या के पश्चात उनके चारों बिचौलियों ने २४,००० रुपये आपस में बांट लिये थे और अपने-अपने झोलों में भर कर उनको अंगोछे व तौलियों से ढक दिया। फिर कमरे में रखी शराब पी और खाना खाया था। उन लोगों ने बैंक मैनेजर के कार्यालय के पेन स्टैण्ड आदि बैंक के पीछे गड्ढे में फैक दिये थे। घटना के समय पुलिस को कमरे में खाने की जूठी प्लेटें व शराब की खाली बोतलें मिली थीं। इसी प्रकार उनके कार्यालय के पैन आदि पीछे के गन्दे पानी के गड्डे में मिले थे। उक्त बिचौलिये प्रायः बैंक से अवैध धन आदि कमाने के धन्धे में लगे रहते थे। इस घटना के पूर्व कत्ल या लूट आदि का कोई अपराध नहीं किया था। अतः उससे बचने के उपाय भी उन्हें मालूम नहीं थे। वे यह जघन्य अपराध करने के बाद सीधे अपने-अपने घर चले गये थे। उन्होंने अपने-अपने रुपयों के थैलों को अपने घरों में क्रमशः लकड़ियों, कण्डों के ढेर तथा ताख पर रखवा दिया था। एक ने तो खूँटी पर ही अपना झोला टांग दिया था। अनुभवी डी०एस०पी० दीक्षित को शीघ्र ही चारों बिचौलियों के नाम-पते मालूम हो गये थे। उन्होंने पुलिस की चार टुकड़ियां बनाकर एक साथ उनके घरों पर रेड करा दी। चारों अभियुक्त अपने-अपने घरों में मौजूद थे, अतः तुरन्त गिरफ्तार कर लिये गये। उन लोगों ने अपने बयानों में बैंक मैनेजर का कत्ल करके बैंक से १६,००० रुपये उठा ले जाना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर बैंक से लूटे गये रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिये थे।

इस प्रकार एक बहुत सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराध का तुरन्त पर्दाफाश हो गया। यदि पुलिस की कार्यवाही में कुछ घण्टों की भी देर हो जाती, तो सम्भव था कि अभियुक्त अपने-अपने घरों से भाग गये होते और तब न तो बैंक का रुपया ही बरामद हो पाता और न इतनी शीघ्र इस गम्भीर अपराध का पूरा रहस्य खुल पाता। सम्भव था कि अलग-अलग अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ आदि कार्यों को महीनों करने के बाद छोटे-छोटे अंशों को जोड़कर किसी तरह घटनाक्रम की तस्वीर निकल कर पुलिस के सामने आती भी तो वह पूर्णतः सत्य नहीं होती और उसे न्यायालय में सिद्ध करने में भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता। पर इस घटना में पुलिस की त्वरित सक्रियता एवं अनुभव से अभियुक्तों को झूठ बोलने का अवसर ही नहीं मिल सका और उन्हें अपना अपराध पुलिस

के समक्ष स्वीकार कर घटना को सही-सही बताना पड़ा । यद्यपि इस गम्भीर काण्ड के प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुये, तो भी छितराये साक्ष्यों के कारण उसे न्यायालय में सिद्ध करना अधिक कठिन नहीं होता है । आशनाई का मामला मानकर मामले को यदि नजरअन्दाज कर दिया जाता, जैसा कि बी०आर० गुप्ता, पुलिस अधीक्षक का मत था, तो मामले की सही छानबीन करना संभव न होता, इसलिए पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान ही बताया जाता है कि उसे मौका मुआयना बिना समय गवायें करना चाहिये । प्रथम सूचना व मुआयना मौका में ही जल्दी से जल्दी असली सुराग ढूंढ निकालना चाहिए तथा दविश की कार्यवाही भी अविलम्ब करनी चाहिए । अगर इनमें से किसी भी को पुलिस अधिकारी छोड़ देती है, तब मामला जटिल एवं रहस्यमय बन जाने की सम्भावना बढ़ जाती है और कहीं अधिक मेहनत एवं परेशानी के बावजूद भी वह ठीक से हल नहीं हो पाता है ।

पुलिस अधीक्षक, गोण्डा बी०आर० गुप्ता जिन्हें मैने फोन पर सुबह कड़ी फटकार लगायी थी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे और मामले के अविलम्ब सही ढंग से छानबीन होने का श्रेय मुझे ही बार-बार दे रहे थे । गोण्डा के तत्कालीन जिलाधिकारी (स्वर्गीय) हर्ष सनवाल भी घटनास्थल पर गये थे । उन्होंने भी मेरे प्रति बहुत आभार प्रकट किया था । तत्पश्चात उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस अधीक्षक, गोण्डा इस काण्ड से काफी सहमे हुये हैं, अतः वह आपसे अपने निवास पर चलकर खाने का अनुरोध नहीं कर पा रहे है, जबकि उनकी पत्नी ने भोजन का पूरा प्रबन्ध कर रखा है । जिलाधिकारी की बात मेरी समझ में आ गयी थी कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए गुस्सा होना अलग बात है, किन्तु शिष्टाचार उससे अलग है । मैने पुलिस अधीक्षक, गोण्डा के निवास पर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया । भोजन के पश्चात जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विशेषकर डी०एस०पी० दीक्षित जी आदि को बधाई देकर मै अपने मुख्यालय फैजाबाद के लिए चल पड़ा । रात्रि एक बजे जब मै अपने निवास स्थान पर पहुंचा, तब पत्नी सरला जाग रही थीं और प्रसन्न मुद्रा में थी । उन्होंने मुझे वर्दी उतार कर रखने में सहायता की । साथ ही साथ गोण्डा के इस काण्ड में मेरी सफलता पर बहुत-बहुत बधाईयां भी दी थी । जब मैने उनसे पूछा कि उन्हें मेरी सफलता के बारे में कैसे जानकारी हुई तो उन्होंने मुझे सम्पूर्ण घटना का विवरण बता डाला था, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ था । दरअसल, उन्होंने रात में ही पुलिस अधीक्षक, गोण्डा की पत्नी से फोन पर सारी बातें की थीं । उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि श्रीमती गुप्ता के बताने के अनुसार बी०आर० गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मेरी सुबह की फटकार से बहुत डर गये थे । मै सरला के मनोभावों को समझ गया था । वह श्रीमती एवं श्री गुप्ता को लखनऊ वाला स्नेह आगे भी देना चाहती थीं ।

अगले दिन मैने घटना की सम्पूर्ण रिपोर्ट अपने डी०जी०पी० श्री लाल सिंह वर्मा तथा गृह सचिव श्री श्याम सिंह विशेन को भेज दी , जिसमें मैने गोण्डा की पुलिस की प्रशंसा करते हुये डी०एस०पी० दीक्षित एवं एस०पी० बी०आर० गुप्ता की चरित्र पंजियों में शासन की ओर से प्रशंसा-प्रविष्ट देने की संस्तुति की थी । मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि शासन ने उक्त दोनों अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रशंसा की प्रवृष्टियां कर दी थी । सरला जी भी मेरे इस कार्य की जानकारी से बहुत प्रसन्न हुई थी, क्योंकि ऐसे संगीन अपराधों की घटनाओं में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरतने में शासन द्वारा निन्दा प्रविष्ट मिलना तथा उनका खराब जगह तबादला होना निश्चित रहता है । यद्यपि मै भली-भांति जानता था कि यदि मैं समाचार पत्र पढ़कर घटना की विवेचना हेतु त्वरित कार्यवाही न करता तो उसकी ''छानबीन'' होना असम्भव ही था । आशनाई को विवेचना का आधार मानकर उसकी विवेचना लम्बित रखी जाती, विलम्ब होता और अन्ततः सही ढंग से निरीक्षण एवं परिवेक्षण के अभाव में वह समाप्त कर दी जाती । परिणाम यह होता कि जहां गोण्डा पुलिस प्रशंसा की पात्र बनी, वहीं असफलता की स्थिति में उसे अपमानित एवं दण्ड का भागी बनना पड़ता ।

जब थाना धानेपुर जलाया गया

यह घटना वर्ष १९७७-७८ की है, जब मै डी०आई० जी०, फैजाबाद रेन्ज नियुक्त था। यह मेरा डी०आई०जी० का पहला प्रमोशन था। आमतौर पर उन दिनों पहले प्रमोशन पर रेज का चार्ज नहीं दिये जाने की प्रथा सी थी। परन्तु मुझे पहले प्रमोशन पर ही रेन्ज का चार्ज दे दिया गया था, क्योंकि इसके पहले मै दो वर्ष तक उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद कानपुर का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक रह चुका था। अनुभव के कारण डी०आई०जी० रेंज का पद भार ग्रहण करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह कोई बड़ा कार्य या जिम्मेदारी नही थी। कानपुर में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति काल के दौरान सुबह ५ बजे से रात ९ बजे तक लगातार कार्य करने पर भी वहां के कार्य पूरे नहीं हो पाते थे क्योंकि वहां की परिस्थितियां भिन्न थी। डी०आई०जी० के पद पर तो केवल कार्यालय में अधिक से अधिक २-३ घंटे मे पत्रावलियों का निस्तारण करना अथवा संगीन अपराधों की प्रगति पर सख्ती से नियंत्रण रखना तथा जिलों के समय-समय पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त कभी-कभी संगीन अपराधों के घटनास्थलों का निरीक्षण करने जाना, फोर्स के स्पोर्ट्स एवं वेलफेयर के कार्य देखना तथा किसी विशेष शान्ति व्यवस्था के प्रबन्ध को चेक करना तथा उसके लिए अतिरिक्त फोर्स का प्रबन्ध करना था। मै रेन्ज के जनपदों के अपराध नियंत्रण को भी प्राथमिकता देता था, क्योंकि शान्ति-व्यवस्था की जटिल परिस्थितियां कभी-कभी ही उत्पन्न होती थीं। डी०आई०जी० रेन्ज के रूप में शान्ति व्यवस्था की जिस कठिन परिस्थिति का मुझे सामना करना पड़ा था वह थाना धानेपुर, गोण्डा के लॉक अप में एक चोरी की घटना के संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु, जिसके कारण वहां जनता ने नाराज होकर थाने के दरोगा की मोटर साईकिल व थाने में आग लगा दी थी।

जब मुझे फैजाबाद के चर्चित हिन्दी समाचार पत्र 'जनमोर्चा' से यह सूचना मिली तो बहुत दुख हुआ तथा स्थानीय पुलिस की अकर्मण्यता पर क्रोध आया। जब मैंने गोण्डा के पुलिस अधीक्षक वी.आर.गुप्ता से फोन पर बात करनी चाही तो पता चला कि वह घटनास्थल पर जा चुके है। इससे मेरे क्रोध को कुछ शान्ति मिली थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक, गोण्डा प्रायः संगीन अपराधों के घटनास्थल पर नहीं जाते थे। पूर्व में एक बैंक लुट जाने तथा बैंक मैनेजर की हत्या जैसे जघन्य अपराध के मौके पर भी वह तुरन्त नहीं गये थे, जिसके लिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। घटना की अधिक जानकारी के लिए मैंने 'जनमोर्चा' समाचार-पत्र के सम्पादक शीतला सिंह जी से फोन पर जानने का प्रयास किया। शीतला सिंह जी बड़े निर्भीक, विचारशील तथा विद्वान पत्रकार हैं। यद्यपि वह मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति है परन्तु उनके गुणों के आधार पर मैं उन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकार मानता था। शीतला सिंह जी ने मुझे बताया कि मृतक ठाकुरों के गांव का निवासी एक वृद्ध व्यक्ति था। वह अपराधी नहीं था परन्तु पुलिस उस पर गलत दबाव डाल कर चोरी के एक मामले को स्वीकार करवाना चाहती थी, इसलिए उसे मारा-पीटा गया था। जाड़े के मौसम में उसे हवालात में नंगे बदन छोड़ दिया गया था और वह चोट और रात में ठंड के कारण मर गया। पुलिस ने उसकी लाश वहां से गायब करा दी थी। इन कारणों से जनता ने थाने के भवन को घेर लिया था। मृतक की लाश थाने की हवालात में न मिलने तथा दोषी सब-इन्सपेक्टर के थाने से भाग जाने के कारण जनता के क्रोध ने हिंसा का रूप धारण कर लिया था और दरोगाजी की खड़ी मोटर साईकिल तथा थाने में आग लगाकर फूँक दिया था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे तुरन्त घटना स्थल पर जाना है तो क्यों न मैं शीतला सिंह जी को अपने साथ ले लूँ। वह भी ठाकुर थे, सम्भव था कि उनके मेरे साथ जाने से मुझे वहां के ठाकुरों से सत्य-स्थिति की जानकारी मिल जाय। मैंने तुरन्त शीतला सिंह जी से निवेदन किया कि वह मेरे साथ वहां चलें। वह तैयार तो तुरन्त हो गये परन्तु कहने लगे कि वह पत्रकार व सम्पादक भी है। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे वहां समस्त कार्यवाहियां सही ढंग से करनी थी और कुछ छिपाना नहीं था। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि मैं तो उन्हें इसीलिये साथ चलने को आमन्त्रित कर रहा था कि यदि कोई बात अभी तक वहां छिपाई गयी होगी तो वह भी हमारे सामने आ जायेगी। जनता बहुत सी पुलिस की बुराईयां उच्च धिकारियों से नहीं बताती क्योंकि उन्हें बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किये जाने की आशंका बनी रहती है।

१५ मिनट में खाना खाकर अपने बंगले से सीधा थाना धानेपुर जाने से पूर्व मैंने अपने आर्दली को निर्देश दिया कि वह पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं कन्ट्रोल रूम को सूचित कर

दें कि मै सीधे थाना धानेपुर पहुंच रहा हूँ। मेरी पत्नी सरला ने भी शीतला सिंह जी से हो रही फोन वार्ता सुन ली थी। वह कानपुर विश्वविद्यालय में एम०ए० के छात्रों को राजनीति शास्त्र पढ़ा चुकी थीं। प्रेस व पुलिस के सम्बन्ध में उनकी अच्छी जानकारी थी। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शीतला सिंह जी को साथ ले जाकर मै कोई गलती नहीं कर रहा था। थाना धानेपुर के लिए प्रस्थान करते समय सरला जी ने मेरी मंगलमय-यात्रा की कामना की।

मेरी गाड़ी सीधे 'जनमोर्चा' कार्यालय पर रुकी। शीतला सिंह जी तुरन्त आकर बैठ गये। वह सफेद रंग की पैंट और बुशर्ट पहने हुये थे। रास्ते में मैने उन्हें अपनी पत्नी द्वारा मौके पर आपको ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं करने वाली बात बतायी। शीतला सिंह जी से कभी-कभी सरला जी की राजनीति पर गम्भीर चर्चा हो जाया करती थी, क्योंकि दोनों ने ही राजनैतिक पार्टियों एवं सिद्वान्तों का गहन अध्ययन कर रखा था। उन्होंने अपने उत्तर में ''केर व बेर'' का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि केले की पत्तियों का अंग बेर के कांटे से छिल जाता है। आपकी सहृदयता और सरला जी की स्पष्टवादिता के कारण कोई असमंजस की बात नहीं दिखायी पड़ी, इसी कारण साथ चल पड़ा। उन्होंने सरला के बारे में कहा कि वे एक विद्वान महिला है। हम दोनों की बातों-बातों के मध्य ही थाना धानेपुर कब आ पहुंचा, हमें पता ही नहीं लगा।

गाड़ी से उतरकर मैने शीतला सिंह जी का परिचय श्री वी०आर०गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, गोण्डा से कराया। जिलाधिकारी हर्ष वर्धन सानवाल जी भी वहीं थे। थाने की दशा अस्त-व्यस्त हालत में थी। थाने के आंगन में कागजात एवं मोटर साईकिल जली हुई पड़ी थी। थाने के दफ्तर के कुछ रिकार्ड जला दिये गये थे। आग पर काबू पा लेने के कारण थाने की बिल्डिंग का शेष भाग जलने से बच गया था। यद्यपि मै यही कल्पना कर रहा था कि थाना धानेपुर की स्थिति गोरखपुर के थाना चौरी-चौरा काण्ड जैसी होगी। मैंने पुलिस अधीक्षक व वहां के क्षेत्राधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (सी.ओ.) से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करके शीतला सिंह जी से निवेदन किया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रूप से दो घण्टे में अपने परिचितों तथा जनता से घटना के सम्बन्ध में जरूरी जानकारी कर लें। तत्पश्चात हम लोग मिलकर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान कर लेंगे। पुलिस अधीक्षक व सी०ओ० के बताने के अनुसार यह सत्य था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु थाना धानेपुर के लॉकअप में हुई थी, उसका कोई आपराधिक इतिहास उस थाने पर या आसपास के थानों पर नहीं था। उसकी उम्र ५२-५३ वर्ष के लगभग थी। वह बीमार व कमजोर था, इसलिए सर्दी लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसकी मृत्यु के कारण थाने के दरोगा जी घबड़ा गये और उन्होंने

ही मृतक की लाश कहीं गायब करा दी थी । थाने में दरोगा व मृतक की लाश को न पाकर जनता ने क्रोधित होकर उनकी मोटर साईकिल व थाने के कुछ कागजात जला दिये थे । मृतक की लाश तथा दरोगा जी कहां थे, उसकी उन्हें तब तक कोई जानकारी नहीं थी और यही चिन्ता का विषय बना हुआ था, क्योंकि जनता तब लगातार मांग कर रही थी कि लाश को उसे दिया जाय और दरोगा जी को गिरफ्तार किया जाय । घटना की थाने पर कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा सकी थी क्योंकि भय के कारण थाने पर नियुक्त स्टॉफ अपनी जान बचाने के लिए वहां से हट गया था और उसकी तलाश की जा रही थी ।

सारे तथ्यों की जानकारी कर लेने के पश्चात मैंने पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को यह आदेश दिया कि वह घटना के समय थाने पर जो भी कर्मचारी उपस्थित रहा हो, उसको बुलाकर तुरन्त इस घटना की प्रथम सूचना लिखा दे, जिसमें घटना का पूर्ण विवरण और साथ ही साथ थानेदार द्वारा मृतक की लाश लेकर भाग जाने की बात भी आ जाये । जिस टेम्पो पर लाश लादकर ले जायी गयी हो, उसके विषय में भी प्रथम सूचना-पत्र में लिखा जाये । इस प्रकार घटना की प्रथम रिपोर्ट थाने पर लिखी गयी और मामले की तफतीश मैंने सी०ओ० को सौंप दी । इसी बीच, शीतला सिंह जी भी वहां के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं स्वजनों से मिले । घटना के विषय में उन्हें पुलिस से कहीं अच्छी जानकारी थी । उनके अनुसार जनता के कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे । मैंने उन्हें तुरन्त बुला लिया । उन लोगों का कहना था कि मृतक को संदिग्ध चोर मानकर दरोगा ने मारा पीटा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई । तथ्य छिपाने का समर्थन थानेदार को अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों से नहीं मिल पाया, इसी कारण वह लापता थे । प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के डाक्टर ने भी स्पष्ट मना कर दिया था कि वह किसी मृतक व्यक्ति को इन्जेक्शन आदि नहीं लगायेंगे । जनता के जो लोग मुझसे मिले, उन्हें मैंने स्पष्ट बता दिया कि मैं थानेदार के गलत कार्यो तथा उसके द्वारा किये गये अपराध पर किसी प्रकार का पर्दा नहीं डालूंगा, बल्कि इसके लिए उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करके उसे दण्ड दिया जायेगा । जनता के विरुद्ध बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि थानेदार मृतक की लाश कहां ले गये और उसे यथाशीघ्र बरामद करना अति आवश्यक है । सभी लोग मेरी बात से सहमत थे ।

करीब ५ बजे शीतला सिंह जी को सूचना मिली कि जिस टैम्पो से थानेदार मृतक की लाश उठा ले गये थे, वह मिल गया है । टैम्पो ड्राइवर का कहना था कि वह लाश को अयोध्या जाकर शमशान घाट पर छोड़ आया था और थानेदार साहब उसे जलवाने का प्रबन्ध कर रहे थे । उक्त सूचना पर शीतला सिंह जी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सी०ओ० और

थाने के कुछ सिपाहियों को लेकर हम तुरन्त अयोध्या शमशानघाट की ओर चल पड़े। मैंने उक्त सूचना गोण्डा कन्ट्रोल रूम को वायरलेस से देकर इन्सपेक्टर कोतवाली, गोण्डा तथा इन्सपेक्टर अयोध्या को अयोध्या शमशानघाट पर पहुंचने का आदेश दे दिया। वे दोनों पुलिस अधिकारी हम लोगों के अयोध्या पहुंचने पर वहां उपस्थित मिले। मृतक की चिता को आग लगा दी गयी थी और उससे लपटें उठ रही थीं। थानेदार साहब लकड़ी आदि के मूल्य का भुगतान न कर पाने के कारण वहीं रोक लिये गये थे। महापात्र उनसे अपने पैसों की मांग कर रहा था। हम लोगों के वहां पहुचने के तुरन्त बाद थानेदार साहब को हिरासत में ले लिया गया और मृतक की चिता पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। मैंने मृतक के आधे जले शरीर को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजने की व्यवस्था करने के आदेश दिये। लकड़ी आदि के मूल्य का भुगतान भी करवा दिया गया। थाना अयोध्या में थानेदार साहब को लाकर उनसे उक्त घटना के विषय में बातचीत की गयी तो उन्होंने मृतक को मारने-पीटने की बात तो स्वीकार की, परन्तु उसकी मृत्यु का कारण निमोनिया ही बताया। लाश को गायब करने और उसे जलाने की बात उनके दिमाग में क्यों व कैसे आयी, इसके लिए उन्होंने बताया कि उन दिनों उत्तर प्रदेश के कई थानों के लॉकअप में बन्द अपराधियों की जेल भेजे जाने के पूर्व ही मौत हो गयी थी। उनमें से अधिकतर मामलों की जांच सी.आई.डी. को सौंपी गयी थी। इन मामलों में थाने के सम्बन्धित दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे थे। एक अभियुक्त तो थाने में पहुंच भी नहीं पाया था और थाने के बाहर ही उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप थाने में नियुक्त पूरा पुलिस स्टाफ निलम्बित कर दिया गया था और उस मामले की विवेचना सी.आई.डी. द्वारा की जा रही थी। साथ ही साथ उन दिनों शासन व पुलिस विभाग द्वारा भी कड़े आदेश दिये गये थे कि यदि पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जायेगी, तो सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेशों व कार्यवाहियों को देखते हुये उन्हें लगा कि अब तो उन्हें भी जेल में सड़ना पड़ेगा। अतः वह एकदम घबड़ा गये और उन्हें यह धुन सवार हो गयी कि किसी तरह मृतक की लाश गायब करके वह भाग जायें। इसलिए उन्होंने मृतक की लाश थाना धानेपुर से टैम्पो पर लादकर अयोध्या जाकर उसे जला कर समाप्त करने के लिए यह कार्य कर डाला था। थानेदार के कथनानुसार यह उसका दुर्भाग्य था कि उसने मृतक को मारा नहीं था बल्कि सख्ती से पूछताछ अवश्य की थी परन्तु कमजोर होने व निमोनिया हो जाने के कारण वह मर गया था।

ऐसा देखने में आता है कि कभी-कभी पुलिस हिरासत में अभियुक्त की मृत्यु का कारण

उसे ज्यादा मारा जाना नहीं होता वरन दुर्भाग्य भी होता है। अगले दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार में जहां पुलिस की बर्बरता पर प्रहार किया गया था, वहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों की त्वरित कारवाई की प्रशंसा की गयी थी। शीतला सिंह जी की संतुलित कलम की मै हमेशा प्रशंसा करूंगा कि वह यदि मेरे साथ नहीं गये होते, तो किसी भी स्थिति में पुलिस का वेहतर पक्ष तो समाचार-पत्रों में छप ही नहीं सकता था। इस घटना का विवरण और मेरे द्वारा त्वरित सम्बंधित कार्यवाही के विषय में जानकर धर्मपत्नी सरला बहुत संतुष्ट हुई थीं और उन्होने रामायण की यह चौपाई पुनः दोहरायी - *''सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे''* ।

प्रतापगढ़ में नक्सलियों की सामूहिक आत्महत्या

सन् १९७८ में सामूहिक आत्महत्या की एक लोमहर्षक घटना इलाहाबाद की सीमा से लगे हुये जिले प्रतापगढ़ में घटी थी जो सर्वथा विचित्र होने के साथ ही साथ रहस्यपूर्ण भी थी। इस प्रकार की अपराधिक घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पूर्णतः नये ढंग की थी और पुलिस ट्रेनिंग के मध्य कभी मेरे सुनने में नहीं आयी थी । सन् १९५८ में जव मै आई०ए०एस० की तैयारी कर रहा था, तब आनन्द-मार्गियों द्वारा जर्मनी के स्वास्तिक चिन्ह प्रकरण में सामूहिक आत्महत्या करने की बात केवल पढ़ी थी । इसी प्रकार जापान में भी आत्महत्या की एक विशेष पद्धति "हाराकीरी" के नाम से जानी जाती है ।

उस समय मै फैजाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डी०आई०जी०) के पद पर नियुक्त था । इस घटना को समझने के लिए मुझे भी बड़ी माथापच्ची करनी पड़ी थी । एक होनहार युवा संजीव त्रिपाठी प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त थे । प्रातःकाल मै अपने निवास पर रात में अन्य जनपदों/स्थानों से आये हुये वायरलेस पढ़ रहा था और मेरी पत्नी सरला बंगले के अन्दर बागवानी में जुटी हुई थी । अचानक पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त वायरलेस पढ़कर मै बहुत उद्वेलित हो उठा । वायरलेस में उन्होंने लिखा था कि थाना कोतवाली प्रतापगढ़ के दो सिपाही अपनी बन्दूकों के साथ रात्रि गश्त के पश्चात वापस लौटते समय लगभग चार बजे सुबह सड़क किनारे एक पुलिया पर विश्राम करने के लिए रुके थे । उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर किसी धारदार हथियार से प्रहार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उनकी बन्दूकें उठा ले गये थे । पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने इस वीभत्स काण्ड पर दुःख व्यक्त करते हुये लिखा था कि दोनों मृतक सिपाहियों के शवों का पोस्टमार्टम करा कर उन्हे ससम्मान उनके निवास स्थानों पर अन्तिम संस्कार के लिए भेजा जा चुका था । नियमानुसार उनके

परिवारजनों को पुलिस कल्याण कोष से निर्धारित धनराशियां स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति भी कर दी गयी थी। साथ ही साथ उन्होंने दोनों मृतकों के परिवारजनों को पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से प्राप्त सहायतार्थ राशियां दे दिये जाने वाली बात का जिक्र भी किया था। घटना की जांच इन्सपेक्टर कोतवाली, प्रतापगढ़ द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी थी। मेरे अनुमान से पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ इस वीभत्स घटना को एक साधारण हत्या एवं लूट की घटना मानकर विवेचना करा रहे थे, परन्तु मैने इसे एक साधारण घटना नहीं माना था।

मै अपने कमरे से बाहर आकर बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और अपनी पत्नी सरला को बुलाकर उन्हें भी प्रतापगढ़ से प्राप्त वायरलेस-मैसेज से अवगत कराया। घटना के सम्बंध में उनका विचार भी मेरे विचार के अनुकूल ही था। अपराध का स्वरूप बहुत गम्भीर था तथा अपराधी भी बहुत ही निर्मम प्रकृति के लगते थे। मै बहुत आश्चर्यचकित था कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने मुझे इतने गम्भीर अपराध की सूचना टेलीफोन से क्यों नहीं दी थी तथा उसे छोटी और साधारण घटना क्यों मान लिया था। मेरा तथा सरला जी का मत था कि पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इतनी बड़ी अपराधिक घटना को गम्भीरता से लेना चाहिए था। अतः मैंने तुरन्त फोन पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से वार्ता की। वार्ता के मध्य वह मुझे इस अपराध के संदर्भ में बहुत गम्भीर नजर नहीं लग रहे थे और अपनी अब तक की भूमिका से संतुष्ट थे। मैने उनसे प्रश्न किया कि क्या उन्होंने दोनों मृतक सिपाहियों की पोस्टमार्टम आख्याओं का अध्ययन कर लिया था या नहीं, जिस पर उन्होंने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया था-"हॉ सर, रिपोर्ट कल ही आयी है। मै उसका अध्ययन आज करूंगा"। उनके उत्तर पर मै क्रोधित हो उठा था और उन्हें सचेत किया था, क्योंकि वह इस वीभत्स अपराध को गम्भीरता से नहीं ले रहे थे। उनके जनपद में शहर के निकट दो सिपाहियों का कत्ल किया जाना और उनकी बन्दूकें छिन जाना एक बहुत गम्भीर अपराध था और यह हादसा पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। मैने आवेश में उनसे कहा था-'त्रिपाठी जी, इस अपराध से स्पष्ट है कि आपकी पुलिस-व्यवस्था बिल्कुल निम्न स्तर की है। अपराधी इससे और बड़ा अपराध क्या कर सकते हैं। उनको पुलिस का कोई भय नहीं है"। तत्पश्चात मैंने उन्हें आदेश दिया कि वे तुरन्त दोनों मृतक सिपाहियों की पोस्टमार्टम-आख्या मेरे अवलोकनार्थ अविलम्ब भेज दें और इस घटना को खोलने (वर्कआउट करने) हेतु स्वयं हर सम्भव प्रयास करें। सरला ने भी मुझे धैर्य दिलाते हुये कहा था कि घटना गम्भीर है तथा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को तीव्र गति से अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, जिसे उन्होंने नहीं किया। पर उन पर आप द्वारा क्रोधित होना

निरर्थक सिद्ध होगा। मैंने उनके सरल स्वभाव को सहज भाव से लेते हुये कहा कि नये अधिकारियों को कामकाज सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे भी प्रारम्भ में अपने उच्चाधिकारियों से कार्य सीखने में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। मेरी बात को काटते हुये उन्होंने कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को यही बातें सरल ढंग से भी समझा सकता था। उस समय मुझे सरला के सुझाव में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के प्रति दया एवं शालीनता का भाव भी दिखायी दे रहा था। अतः स्नेहवश मैंने उनसे कहा कि "अच्छा भाई, तुम जीती और मै हारा" और उनसे सप्रेम एक कप चाय पिलाने का आग्रह किया था।

मेरे आदेश पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने दोनों मृतक सिपाहियों के पोस्टमार्टम की आख्याएं उसी दिन चार बजे सायं मुझे प्राप्त करा दी थी, जिन्हें पढ़कर मै एक बारगी कांप उठा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि घटना का स्वरूप क्या रहा होगा? पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार एक सिपाही को "हंसिया" के २६ घाव लगे थे। हमारे यहां अपराधी प्रायः चोट पहुंचाने के लिए चाकू से प्रहार करते है। हंसिया की चोटों की जानकारी मेरे लिए प्रथम घटना थी। मै घटना के विषय में गम्भीरता से सोचता रहा था और केवल यही कल्पना कर सका था कि यह अपराध किसी खूंखार गैंग द्वारा किया गया होगा जिन्हें बन्दूकों की आवश्यकता रही होगी। अपराध शहरी अपराधियों द्वारा नहीं अपितु गांवों से जुडे गैंगों के द्वारा किया गया होगा, अन्यथा उन्होंने सिपाहियों की हत्या गोली मारकर की होती। तीसरी बात जो मेरे दिमाग मे गूंज रही थी वह यह थी कि हंसिया तो कम्युनिस्टों का चिन्ह है। क्या यह घटना नक्सलवादियो द्वारा की गई थी? मुझे फैजाबाद परिक्षेत्र के किसी जनपद में इस प्रकार की बात कभी सुनने में नही आई थी। परिक्षेत्र के किसी पुलिस रिकार्ड में भी इस प्रकार मार्क्सवादियों द्वारा की गई हिंसा की बड़ी घटना का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। नक्सलवादियों के आतंक एवं हिंसा के प्रकरण आन्ध्र प्रदेश, बिहार,मध्य प्रदेश एवं बंगाल आदि में तो सुने जाते थे परन्तु उत्तर प्रदेश में, कानपुर व गाजीपुर में ही इनके समर्थकों की मुझे जानकारी थी। शाम को कार्यालय से घर आकर मैंने पूरी स्थिति से सरला को भी अवगत कराया, क्योंकि पुलिस से संबधित इस प्रकार की गंभीर घटनाओं के सही ढंग से खुल जाने पर वे बहुत प्रसन्न हुआ करती थीं। उनका भी यही अनुमान था कि उक्त घटना किसी भयंकर अपराधी गिरोह द्वारा की गई लगती है। मैंने तुरंत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ को फोन मिलाकर उनसे पूछा था कि उनके जनपद में कोई नक्सली गुट तो सक्रिय नहीं है, क्योंकि मृतकों के पोस्टमार्टम आख्याओं में अंकित हसियां की चोटों का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा

था। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि वे साधारण घटना समझकर विवेचना न करायें और अविलम्ब दो अनुभवी पुलिस उपाधीक्षकों (सर्किल आफीसर्स) को उस घटना की छानबीन करने हेतु लगा दें और प्राथमिकता के आधार पर दोनों लूटी गई बन्दूकों को बरामद कराने का प्रयास करें, जिससे पुलिस विभाग चारों ओर जारी निंदा से बच सके। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ तब तक मेरे आदेशों के अनुसार इस विषय में पूर्णरूप से गम्भीर हो चुके थे। उन्होंने मेरे आदेशों का अक्षरतः पालन करते हुये दो पुलिस उपाधीक्षकों को इस घटना का पता लगाने हेतु नियुक्त कर दिया और मुझसे एक पी०ए.सी० कम्पनी भेजने का अनुरोध किया था। मैंने एक कम्पनी पी०ए०सी० तुरन्त भिजवा दी थी। मैंने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को उक्त घटना की प्रगति प्रत्येक छः घंटे पश्चात फोन पर बताने हेतु निर्देश भी दिया।

अगले दिन शाम छः बजे मुझे पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने फोन पर बताया कि घटना में लूटी गई दोनों बन्दूकें एक गुप्तचर के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित द्वारा नदी के किनारे बरामद कर ली गई हैं जिन्हें अभियुक्तों ने नदी के किनारे रेत में गाड़ कर छिपा दिया था। पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित अपने पुलिस दल के साथ गुप्तचर के माध्यम से अपराधियों का पता लगाने इलाहाबाद की सीमा की ओर जा चुके है। उनकी सहायता के लिए दो सब-इन्सपेक्टर व एक प्लाटून पी०ए०सी० साथ में गई है। मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को बधाई दी और कहा कि मै दूसरे दिन दोपहर प्रतापगढ़ पहुंचूंगा घटनास्थल का निरीक्षण करूँगा और साथ ही साथ बन्दूकों की बरामदगी के स्थान को भी देखूंगा। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ संजीव त्रिपाठी ने अनुरोध किया था कि मैं अपने साथ अपनी पत्नी सरला जी को भी लेकर आऊँ और दोपहर का भोजन उनके निवास स्थान पर ही करूं। मैंने सरला से प्रतापगढ़ चलने के लिए कहा परन्तु उन्होंने कहा कि ऐसी घटना के समय उनका वहां जाना उचित नहीं होगा क्योंकि मै एक गम्भीर अपराध के घटनास्थल आदि का निरीक्षण करने जा रहा था। मै जनपद के वार्षिक निरीक्षण पर नहीं जा रहा था। यद्यपि उनका मत पूर्णतः उचित था फिर भी मेरा आशय पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के अनुरोध से उन्हें अवगत कराना भी था। मैंने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को अपने प्रस्थान एवं अकेले आने की सूचना पहले से भेज दी थी। मैं लगभग बारह बजे प्रतापगढ़ पहुंचा। निरीक्षण गृह में पुलिस गार्ड द्वारा दिया गया सम्मान स्वीकार करने के पश्चात वहां उपस्थित जिलाधिकारी भी एवं पुलिस अधिकारियों से घटना के विषय में जानकारी ली और सिपाहियों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की। लूटी गई दोनों बंदूकों को पुलिस द्वारा बरामद कर लेने पर मैंने संतोष प्रकट किया। यदि इस अपराध को मैं इतनी गम्भीरता से नहीं लेता तो बंदूकों की

बरामदगी हो पाना असंभव था जिसके लिए जिलाधिकारी एवं वहां उपस्थित अन्य अधिकारियों ने एक स्वर में मेरे अनुभवों की प्रशंसा की । तत्पश्चात मैंने जिलाधिकारी एवं उनकी पत्नी व सी०एम०ओ० दम्पति के साथ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निवास स्थान पर भोजन किया ।

जैसे ही हम लोग भोजन प्रारंभ करने जा रहे थे, उसी समय पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को कन्ट्रोल रूम से सूचना मिली कि सिपाहियों की हत्या करने वाले अपराधियों के गिरोह का पता चल गया है । जनपद इलाहाबाद की सीमा पर एक गांव में पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित के साथ पी०ए०सी० और अपराधियों के गिरोह के बीच तेज फायरिंग भी हो चुकी है । मैंने श्रीमती त्रिपाठी से तुरंत भोजन परोसने का अनुरोध किया जिससे मैं व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ घटनास्थल पर शीघ्रताशीघ्र पहुंच जायें । मैंने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से आग्रह किया कि वह कन्ट्रोल रूम को सूचित कर दें कि हम लोगों के साथ पुलिस लाइन से सशस्त्र गार्डों से भरे दो ट्रक मुठभेड़ स्थल पर जायेंगी । साथ ही साथ कोई ऐसा भी कान्सटेबल जायेगा जो वहां पहुंचने के लिए सही और छोटा रास्ता बताने में सक्षम हो । १५-२० मिनट में हम लोगों ने भोजन समाप्त करने के पश्चात मुठभेड़ स्थल पर शीघ्र पहुंचने हेतु प्रस्थान कर दिया । मैं प्रसन्न था कि सरला जी मेरे साथ नहीं आई थी, अन्यथा वह मेरे लौटने तक प्रतापगढ़ में ही पड़ी रह जाती । साथ ही साथ मुठभेड़ की स्थिति क्या हो तथा उसमें कितना समय लग जाये उनकी चिंता का विषय बना रहना स्वाभाविक होता । "मुठभेड़" एक ऐसी घटना होती है जिसका न तो कोई पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और न ही इसकी कल्पना की जा सकती है कि उसका परिणाम क्या होगा । पुलिस पक्ष के कितने लोग मौत के शिकार होगे, कितने घायल होंगे तथा अपराधी गिरोह के सदस्यों में से मुठभेड़ के वक्त कितनो को मौत के मुँह मे जाना पड़ेगा । सारी परिस्थितियां अनिश्चित होती है । परिणाम और बहुत से कारणों पर निर्भर करते है, जिनका पूर्व अनुमान करना अथवा आकलन संभव नहीं होता । प्रायः प्रत्येक पक्ष अपनी बचत और दूसरों को अधिक से अधिक क्षति पहुँचाने का प्रयास करता है । मुठभेड़ का स्थान बहुत दूर इलाहाबाद की सीमा पर था । मार्ग में दो घंटे का समय व्यतीत हो चुका था, यद्यपि हमारे साथ रास्ता बताने के लिए आदमी साथ में चल रहा था । हम लोग अपनी गाड़ी मे लगे वायरलेस सेट से बार-बार पूछते हुये सही मार्ग से यात्रा कर रहे थे । आखिरकार, संबंधित गांव से आधा मील पहले एक बड़ा नाला पड़ा जिसे हम लोग पार नहीं कर सके । अतः गाड़ियों को वही छोड़कर पैदल आगे बढने लगे । तभी पुलिस उपाधीक्षक की गाड़ी के ड्राइवर ने आगे बढ़कर हम लोगों को बताया कि "मुठभेड़" मे सा

अपराधी मारे गये है । घटना स्थल पर बड़ी भीड़ जमा हो गयी है जो मुठभेड़ को फर्जी बता रही है । पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित जी वहां एकत्रित भीड़ को समझा रहे है कि मुठभेड़ एकदम सही है, परन्तु कुछ नेता किस्म के लोग किसी कीमत पर उनकी बात नहीं मान रहे है । ड्राइवर की बात सुनकर मैं सतर्क हो गया क्योंकि आगे का कार्य बहुत आसान नहीं दिखाई पड़ रहा था।

तभी मैं पुलिस अधीक्षक के साथ मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गया और पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित ने हमें वहां इकट्ठा हुई भीड़ के समक्ष सारी स्थिति से अवगत कराया । पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित के कथनुसार इस संगीन अपराध की विवेचना तथा इसे वर्क आउट करने का दायित्व पाते ही सुरागरसी के लिए जनता के कुछ अच्छे गुप्तचरों तथा पुलिस कर्मचारियों को सादे कपड़ों में लगा दिया गया था, जिनके द्वारा उन्हें यह सूचना मिली थी कि बन्दूकें अपराधियों द्वारा नदी की रेत में गाड़ दी गयी हैं, अतः वहां जाकर उन्होंने साक्षियों के समक्ष दोनों बन्दूकों को बरामद कर लिया था । अभियुक्तों के विषय में उन्हें बताया गया था कि इलाहाबाद की सीमा पर एक गांव में कुछ लोग रहते है और कभी-कभी वहां अन्य स्थानों से आकर अन्य लोग भी मीटिंग आदि करते हैं । वे नक्सलवादी विचारों से गांव वालों को गुप्त रूप से प्रभावित करते है । दीक्षित ने इस सूचना पर कथित गांव की पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात पी०ए०सी० ले जाकर उस मकान को चारों ओर से घिरवा लिया था । फिर वहीं के कुछ आदमियों को लेकर उन्होंने उस मकान पर जाकर घर के अन्दर उपस्थित लोगों को तुरन्त बाहर निकालकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था । उत्तर में घर के अन्दर के लोगों ने पुलिस की चुनौती स्वीकार करते हुये मकान के छप्पर को थोड़ा ऊपर उठाकर बन्दूकों से फायर करना प्रारम्भ कर दिया था । दोनों ओर से फायरिंग व गाली-गलौज होने लगी थी । घंटे-डेढ़ घंटे की फायरिंग के बाद मकान के अन्दर से फायरिंग बन्द हो गयी थी और कुछ देर तक शान्ति एवं सन्नाटा छाया रहा था । तब पुलिस ने भी फायरिंग बन्द कर दी थी क्योंकि मकान की दीवारों के बाहर से की जा रही फायरिंग का कोई असर अन्दर नहीं हो पा रहा था । यदि मकान के दीवारों में कहीं से कोई खिड़की या छेद होता तो पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग लाभदायक सिद्ध हो सकती थी । इस प्रकार गोलियां अनावश्यक नष्ट हो रही थीं । अतः उन्होंने योजना बनायी कि दो पुलिस कर्मचारी अपनी-अपनी बन्दूकों के बटों को लगाकर मकान का छप्पर ऊपर उठायेंगे और तभी पी.ए.सी. का एक [illegible]र एक हैन्ड ग्रिनेड उसमें फेंकेगा, परन्तु योजना के क्रियान्वयन के पूर्व ही मकान के अन्दर से पांच-सात गोलियां एक साथ चलने की आवाज सुनाई पड़ी । तदोपरान्त मकान के अन्दर

बिल्कुल सन्नाटा छा गया था ।

दीक्षित जी को लगा कि शायद मकान के अन्दर बहुत आदमी एकत्र हों, अतः उन्होंने बहुत अधिक ''कैज्युल्टी'' टालने के उद्देश्य से ग्रेनेड फेंकने की योजना समाप्त करके मकान का दरवाजा तोड़कर अभियुक्तों में से कुछ को मारकर शेष को आत्मसमर्पण करा लेने की योजना बनायी । चारों तरफ से पुलिस द्वारा घिरे होने के कारण उनमें से कोई भी भाग नहीं पायेगा । उनके आदेशानुसार पी.ए.सी. तथा पुलिस के कर्मचारी फायरिंग के लिए तैयार हो गये । पुलिस उपाधीक्षक दीक्षित भी अपनी ४५५ बोर की रिवाल्वर से सीधे प्रहार करने हेतु तैयार खड़े थे । पी.ए.सी के हवलदार व दो सिपाहियों ने दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर दिया था । दरवाजा ज्यादा मजबूत न होने के कारण एक ही धक्के में टूट कर गिर गया । पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी फायरिंग करने को उत्सुक थे, पर वहां अन्दर से किसी प्रकार की आहट न मिलने से सभी अचम्भे में पड़ गये । वे मकान के अन्दर घुसे और जो देखा, उससे सभी आश्चर्यचकित रह गये थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी देखा और सुना नहीं था । कमरे के अन्दर फर्श पर सात आदमी मरे पड़े थे । उनके सिर अन्दर तथा पैर बाहर की ओर थे । सभी के सीनों पर एक-एक गोली की चोटें थी तथा प्रत्येक शव के ऊपर या बगल में एक दुनाली बन्दूक पड़ी थी । कमरे की छत, फर्श तथा दीवारें लाल रंग की थी । यह वीभत्स दृश्य देखकर पुलिस दल भौचक्का रह गया था । दूर-दूर के गावों के निवासी वहां इकट्ठा हो गये थे और वे मुठभेड़ को फर्जी मानकार पुलिस का विरोध कर रहे थे ।

मै पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के साथ जब मकान के अन्दर गया तो वे सभी शव यथास्थान पड़े थे । मैंने तथा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने इस मुठभेड़ के विषय में जनता को सन्तुष्ट करने के लिए पूरी छानबीन की और पुलिस उपाधीक्षक के बताने के अनुसार सत्य पाया था कि लाशें इस प्रकार पड़ी थी जैसे किसी ने मुर्दो से कमल का फूल बना दिया हो । मैने जनता के समक्ष उस मकान की तलाशी भी लिवायी, जिसमें बहुत सी साइक्लोस्टाइल्यड़ नक्सलवादी पुस्तकें,पैम्फलेट व बुलैटिन मिले, जो नक्सलवादियों के प्रणेता चारू मजूमदार से सम्बन्धित थीं । चारू मजुमदार भारत में हिसंक क्रान्ति के समर्थक थे । उनकी एक हस्तलिखित कविता भी मिली । लिटरेचर को पुलिस ने कब्जे में कर लिया । आस-पास के लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि यह नक्सवादियों का एक गुप्त केन्द्र था, जिसमें बड़े-बड़े नेता आते-जाते थे । ऐसा कहा जाता था कि यहां चारू मजूमदार का आना-जाना भी था । ये लोग आस-पास के गरीब किसानों को इकट्ठा करके हिंसक क्रान्ति करने, धनाढ्य लोगों तथा पुलिस कर्मियों की हत्या करके हथियार छीनने की प्रेरणा और

प्रशिक्षण भी देते थे । इसकी कुछ शाखाएं इलाहाबाद के कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी थीं । मध्य प्रदेश के जबलपुर व विहार के जनपद छपरा से भी यहां लोगों का आना-जाना था । चारू मजूमदार की हस्तलिखित कविता में हिंसा की प्रशंसा की गयी थी और कहा गया था कि क्रान्ति एवं शक्ति वन्दूक की नाल से निकलती है । यह कविता इन लोगों का मूल-मंत्र थी । उनकी सभाएं इसी कविता से शुरू होती थीं और इसी से समाप्त होती थीं ।

रात्रि आठ बजे तक मृतक अभियुक्तों की लाशों का पंचायतनामा तैयार कराकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल, इलाहाबाद भिजवा दिया गया । पी.ए.सी. को गांव में तैनात रखा गया । पुलिस को उनके अन्य ठिकानों का पता लगाकर उचित कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश देकर मैं एस.पी., प्रतापगढ़ के साथ प्रतापगढ़ से इलाहाबाद चला गया, जो वहां से करीब ३५ मील था । रात को ग्यारह बजे हम लोग ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद के निवास पर पहुंचे । उस समय श्री अजय राज शर्मा वहां ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त थे । उन्हें मैंने घटना से सम्वन्धित सारी बातें वतायी और उनके कार्यालय से ही घटना के विषय में प्राथमिकता के आधार पर एक वायरलेस मैसेज श्री लाल सिंह वर्मा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा उसकी प्रतिलिपि श्री श्याम सिंह विसेन, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को लखनऊ भेजी । अजय राज ने हम लोगों से भोजन करने के लिए अनुरोध किया यद्यपि वह स्वयं रात्रि का भोजन कर चुके थे । मैंने केवल उनकी चाय स्वीकार की और रात में ही फैजावाद वापस लौटने के अपने कार्यक्रम से उन्हें अवगत करा दिया । मुझे वेचैनी हो रही थी कि कल सुबह ही अखवारों में इस मामले को सुर्खियों में बढ़ा-चढ़ाकर पुलिस की ज्यादती की कथित कहानी छापी जायेगी, जिससे शासन भ्रमित होकर तरह-तरह की कार्यवाही करने की सोच सकता है । अतः मैंने एस.एस.पी. इलाहावाद के कार्यालय से ही उसी समय टेलीफोन से डी.जी. पुलिस, गृह सचिव एवं गृहमंत्री राम सिंह जी को पूरी बात बता दी और वायरलेस मैसेज का सन्दर्भ भी दे दिया । मेरी धारणा सच निकली । अगले दिन अखवारों द्वारा छः वेगुनाहों की हत्या करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया था । इलाहाबाद से भेजा गया मेरा वायरलेस संदेश व फोन की वार्ताएं काम कर गयी थीं, क्योंकि श्री राम नरेश यादव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को सुबह ही इस विषय में मेरे द्वारा प्रेषित तथ्यों से अवगत कराया जा चुका था । यद्यपि घटना आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी, तथापि मैंने घटना-स्थल का निरीक्षण करके तथ्यों को समयानुसार वता दिया था और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे उचित माना था ।

दो दिन बाद ही प्रदेश विधानसभा में इस काण्ड को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया

गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरी सूचना सदन में रखने पर भी हंगामा शान्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इस घटना की सी.आई.डी जांच कराने का आश्वासन देकर सदन को शान्त किया। इलाहाबाद से रात्रि में फैजावाद आकर मैंने बड़ी मात्रा में नक्सलवादी लिटरेचर पढ़ा था, जो मुझे सी आर पी.एफ. के एक सेमीनार में मिला था। अध्ययन के दौरान मुझे नक्सलियों द्वारा पकड़े जाने के पहले सामूहिक रूप से आत्महत्या का एक मामला भी मिल गया था। प्रातः कार्यालय पहुंचकर मैंने इस घटना की एक विस्तृत आख्या तैयार की तथा उपरोक्त दृष्टान्त का अक्षरशः उल्लेख किया। फिर उसे विशेष सन्देशवाहक द्वारा डी०जी० व गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को अति गोपनीय एवं 'अति आवश्यक' लिखकर लखनऊ भिजवा दिया। यद्यपि सदन में मुख्यमंत्री जी द्वारा सी.आई.डी. जांच कराये जाने का आश्वासन दिया जा चुका था, परन्तु गृह सचिव ने सी.आई.डी. के बजाय उस जांच को अभिसूचना विभाग को तीन दिन में रिपोर्ट देने हेतु सौंप दिया था। उसके साथ मेरे द्वारा भेजा गया वायरलेस मैसेज व विस्तृत आख्या भी संलग्न कर दी गयी थी। अभिसूचना विभाग की एक टीम एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में पहुंच गयी थी, परन्तु इसकी जानकारी मुझे या पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को नही थी। अभिसूचना विभाग के अधिकारियों ने घटना की वड़ी गहराई से विस्तृत जांच की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पुलिस उप महानिरीक्षक की आख्या में घटना का अक्षरशः सत्य विवरण दिया गया है। अभिसूचना विभाग ने अपनी आख्या में यह भी लिखा कि घटना विचित्र थी और इसको ठीक से समझ पाने तथा उसकी सही आख्या लिखने के लिये श्री वाई.एन.सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। विधान भवन में जब पुनः यह मामला उठा तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी आख्या के मुख्य अंशों को पढ़कर सदन को बताया, अभिसूचना विभाग की आख्या को भी पूर्णतः सत्य तथा सुयोग्य बताया, परन्तु सदन में खासकर प्रतापगढ़ के विधायकों ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि आख्याएं "झूठ का पुलिन्दा' है। इन्हें जला दिया जाय"। उनकी मांग थी कि पुलिस अधीक्षक व उप अधीक्षक, प्रतापगढ़ को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाय और पुलिस उप-महानिरीक्षक, फैजाबाद को स्थानान्तरित कर दिया जाय, परन्तु मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया। मुझे लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलने को कहा गया। मैंने लखनऊ पहुंच कर मुख्यमंत्री जी को इस सिलसिले में सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, मै तो आपकी बात सही मान रहा हूँ, पर वहां के विधायक मुझ पर स्वयं जांच करने के लिए अत्यधिक दबाव डाल रहे है। मैंने मुख्यमंत्री जी से तुरन्त निवेदन किया कि उनकी बड़ी कृपा

होगी यदि वे विधायकों के साथ स्वयं आकर इस घटना की जांच कर लें। बहुत टालने के बाद भी विधायकों ने मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात मानने से इंकार कर दिया। अन्त में मुख्यमंत्री जी को प्रतापगढ़ के विधायकों के साथ घटनास्थल पर जाना पड़ा। वहां आस-पास के गांवों के लोग भी इकट्ठा हो गये थे, जिनमें मुख्यमंत्री जी के एक पुराने परिचित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महोदय भी थे। वहां उपस्थिति सभी लोगों, विशेषकर प्रधानाचार्य महोदय ने पुलिस के इस कार्य एवं वीरता की प्रशंसा की थी और घटना का कारण गिरफ्तारी देने की जगह सैद्धान्तिक आधार पर आत्महत्या कर लेना बताया था, जिससे पुलिस को वहां से संचालित हिंसक क्रान्ति की पूर्ण योजना का खुलासा न हो सके।

मुझे प्रसन्नता हुई कि शासन ने मुझे फैजाबाद परिक्षेत्र का पुलिस उप-महानिरीक्षक पदवत बनाये रखा। श्री संजीव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को भारत सरकार में आर.ए.डब्ल्यू. में प्रतिनियुक्ति पर जाने का आदेश उत्तर प्रदेश शासन के पास पहले से लम्बित था, अतः उन्हें प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। विधायकों ने समझा कि मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधीक्षक को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की है। जब तक यह विवाद समाप्त नहीं हुआ, मुझे भी लगातार बेचैनी बनी रहती थी कि कहीं शासन के त्रुटिपूर्ण निर्णय से हम लोगों का अहित न हो जाय। इस सारे घटनाक्रम के दौरान मेरी पत्नी सरला लगातार सान्त्वना देती रहती थीं और कहती थीं कि कुछ नहीं होगा। राजनीति शास्त्र की विश्वविद्यालय स्तर की प्राध्यापिका होने के कारण नक्सलवादी आंदोलन के बारे में उनकी जानकारी मुझसे कहीं बेहतर थी और इस कारण उनसे इस काण्ड के समझने में मुझे काफी मदद मिली थी।

२०

डी.आई.जी. की कार पर हमला

सन् १९७७ में, मैं डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.आई.जी.) फैजाबाद रेन्ज नियुक्त था और कुछ समय पूर्व ही ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के पद से प्रोन्नति पाकर फैजाबाद आया था। कानपुर में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रतिदिन १४-१५ घन्टे शासकीय कार्य करने के पश्चात भी कार्य समाप्त नहीं हो पाता था क्योंकि वहां पर क्राइम, शान्ति व्यवस्था, जुलूस, मीटिंग, धरने, हड़ताल, मिलों से सम्बन्धित श्रमिकों की समस्याएं, वी.वी.आई.पी. ड्यूटियां, खेलकूद दौरों आदि की व्यवस्था सम्भालनी पड़ती थी, परन्तु डी.आई.जी. का कार्य स्वयं जिम्मेदारी की अपेक्षा निगरानी का अधिक था, जिसके कारण कार्य का भार कम एवं पूर्व से भिन्न था। अपने को पूर्व की भांति व्यस्त रखने के लिए डी.आई.जी. के निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त मैंने 'रिक्रियेशन' एवं पुलिस विभाग के वेलफेयर से सम्बन्धित कार्यो में विशेष रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया था।

उस समय प्रायः पुलिस अधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों की अपेक्षा प्रदेश के पश्चिमी जनपदों एवं रेन्जों की नियुक्ति में अधिक दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण पूर्वी जनपदों में पुलिस से सम्बन्धित कार्यो की उपेक्षा होती रहती थी। इसे मैं उचित नहीं समझता था। मैंने अपने क्षेत्र के सभी जनपदो में जाकर वहां की पुलिस कार्य प्रणाली, अपराध-नियंत्रण एवं वहां नियुक्त पुलिस फोर्स के मनोबल को आंकने का प्रयास किया। अधिकतर जनपदों में पश्चिम के जनपदों की तुलना में बहुत सी कमियां भी थीं। उदाहरण स्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगलों और उनमें स्थानों की बहुत कमी थी। शासन के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं मंत्रीगण उनमें ठहरते थे, जिससे जनता को पुलिस अधिकारियों से मिलने तथा उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखने में बड़ी

कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था । अतः मैंने विचार किया कि अपने क्षेत्र के सभी जिलों में पुलिस गेस्ट हाउस का निर्माण कराऊं । मैंने जनपद गोण्डा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण पुलिस फोर्स के श्रमदान से कराया था, जो आज एक पूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थान ले चुका है । वहां पुलिस अधिकारियों एवं खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी है ।

जनपदों की पुलिस लाइनों में ''आर्डरली रूम'' का विशेष महत्व है । वैसे तो यह पुलिस लाइन में नियुक्त रिजर्व इन्सपेक्टर (आर.आई.) का कार्यालय होता है, परन्तु सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को जनपद का पुलिस अधीक्षक पुलिस परेड तथा पुलिस लाइन के सम्बन्धित अन्य स्थानों का निरीक्षण करने के पश्चात आर्डरली रूम में बैठकर पुलिस विषयक बहुत से आदेश पारित करता है । साथ ही साथ क्षेत्र के डी.आई.जी. (इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) तथा जोन के आई.जी. (इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) तथा प्रदेश के डी.जी.पी. (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) आदि अधिकारी अपने-अपने निरीक्षण के समय इसी ''आर्डरली रूम' में बैठकर जरूरी आदेश पारित करते है । जनपद फैजाबाद की पुलिस लाइन में स्थित आर्डरली रूम ब्रिटिश काल में उस समय की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया था, जो क्षेत्रफल में बहुत छोटा होने के कारण अब अपनी उपयोगिता खो चुका था। मैंने इस आर्डरली रूम के महत्व और उसकी गरिमा के अनुकूल जीर्णोद्धार कराकर उसे एक नया रूप दिया ।

मैंने जंगीसिंह (तत्कालीन पुलिस अधीक्षक,बाराबंकी) को भी पुलिस गेस्ट हाउस बनाने हेतु राय दी । इसके लिए बाराबंकी शहर में एक पुराने जर्जर पुलिस भवन को गिरवा कर पुलिस वेलफेयर फण्ड से दो कमरों का गेस्ट हाउस बनवाने का प्रस्ताव पारित किया तथा पुलिस अधीक्षक को फैजाबाद परिक्षेत्र के सभी जनपदों बाराबंकी,फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोण्डा तथा बहराइच के पुलिस वेलफेयर फण्ड से चन्दा लेने की राय दी । इसके फलस्वरूप बाराबंकी में शीघ्र ही एक अच्छा गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया और वहां बाहर से आने-जाने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था हो गयी थी । मैंने गेस्ट हाउस की साज-सज्जा का अच्छा प्रबन्ध कराया, जिससे वहां पर मीटिंग करने, जनता से मिलने व उनकी समस्याओं को सुनने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो गयी थी। मेरे एक छोटे से सुझाव व प्रयास से पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले के लिए मुंहताज नहीं होना पड़ता था । इसी प्रकार मैंने बाराबंकी कोतवाली तथा वहां के पुलिस कर्मचारियों के निवास तथा बैरक आदि का निर्माण कराया, जिसके लिए फैजाबाद डिवीजन के कमिश्नर तथा जिलाधिकारीगण मुझे 'बिल्डर प्रिंस'' के नाम से

सम्बोधित करते थे ।

बाराबंकी कोतवाली का भवन बहुत जीर्ण-शीर्ण दशा में शहर के मध्य स्थित था जिसके कारण कार्य संचालन में पुलिस फोर्स को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था । यह समस्या उस समय विशेष दुःखदायी हो जाती थी, जब बड़े-बड़े जुलूस निकलते या दंगा-फसाद हो जाया करता था । मैने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश शासन को बाराबंकी कोतवाली के नये भवन के निर्माण हेतु एक आवश्यक प्रस्ताव भेजा । व्यक्तिगत रुचि लेकर उत्तर प्रदेश शासन से प्रस्ताव स्वीकार कराया तथा वित्त विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से जरूरी धनराशि भी स्वीकृत करायी । तत्पश्चात पुलिस विभाग की ही खुले स्थान पर पड़ी हुई एक जमीन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया । लगातार प्रयास के फलस्वरूप आज बाराबंकी की कोतवाली का भव भवन एवं उसके साथ वहां पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के निवास स्थान आदि पुलिस विभाग के शानमान एवं प्रतिष्ठा के प्रतीक बने हुये हैं ।

बाराबंकी के कोतवाली के नये भवन का उद्घाटन होना था । इसके लिए वहां के पुलिस अधीक्षक ने मुझे ही आमंत्रित किया था । समारोह के दिन बाराबंकी तथा बाहर के प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया गया था । साथ ही साथ रात्रि में एक मुशायरे का भी आयोजन किया गया था । बाराबंकी के माने हुए बुजुर्ग शायर खुमार बाराबंकवी साहब को उक्त मुशायरे की सदारत करनी थी । मैने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया था, तद्नुसार उन्होने सभी व्यवस्थायें पूर्ण कर ली थी । बाराबंकी जाने के एक दिन पूर्व अचानक मेरे पै में भंयकर दर्द शुरू हो गया और बुखार १०५ डिग्री तक पहुंच गया । बाराबंकी कोतवाली के नव-निर्मित भवन के उद्घाटन तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमो में भाग लेने के लिए मै बहुत उत्सुक था, इसीलिए अच्छा हो जाने के लिए लगातार दवा लेता रहा । जब अस्वस्थता के कारण बाराबंकी जा पाना सम्भव नहीं प्रतीत हुआ, तब मैने बहुत दुःखी होकर अपराह्न में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को टेलीफोन से अपनी अस्वस्थता के बारे में बताया और उद्घाटन हेतु न पहुंच सकने के लिए क्षमा मांगी । पुलिस अधीक्षक जंगीसिं मेरी सूचना पर बहुत दुःखी हुये । उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली थी जिसे उन्होंने निरस्त करके केवल इतना ही कहा कि वह उस दिन का कार्यक्रम स्थगित करके मेरे स्वस्थ हो जाने के पश्चात पुनः अन्य कोई तिथि कोतवाली के उद्घाटन हेतु मेरी आज्ञा से निर्धारित करेंगे मेरे स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने १५ दिनों के बाद पुनः उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया ईश्वर के यहां से हर चीज का समय निर्धारित होता है । वही स्थिति यहां भी लागू हुई थी । उक्त उद्घाटन केवल उद्घाटन ही नहीं था वरन् मेरे तथा मेरे परिवार आदि के लिए मृत्यु के मुंह से

सुर्खित निकल आने का एक सुअवसर भी उससे जुड़ा हुआ था ।

मई का महीना था । मै अपनी पत्नी सरला व ज्येष्ठ पुत्री रश्मि जो वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर, इन्कम टैक्स, मुम्बई के पद पर नियुक्त है, के साथ बाराबंकी कोतवाली के नये भवन के उद्घाटन एवं उससे सम्बन्धित अन्य समारोहों में भाग लेने के लिए फैजाबाद से बाराबंकी जाने को तैयार था । रश्मि उस समय सैन्ट मेरीज, कानपुर की इण्टरमीडिएट की छात्रा थी और गर्मियों की छुट्टियों में घर फैजाबाद आई हुई थी । बाराबंकी जाने के एक दिन पूर्व डी.आई.जी., फैजाबाद के प्रयोग के लिए एक गेरूए रंग की नई एम्बेस्डर कार आई थी, जिसकी मैने तथा मेरी पत्नी सरला ने प्रयोग के पूर्व पूजा की थी और ड्राइवर को निर्देश दिया था कि उसी गाड़ी से दूसरे दिन बाराबंकी चलेंगे । दूसरे दिन दोपहर के भोजन एवं विश्राम के पश्चात हम लोग अपराह्न ४ बजे बाराबंकी के लिए रवाना हुये । वहां उद्घाटन समारोह बड़े उत्साह से सम्पन्न हुआ । पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी का प्रबन्ध उच्च स्तरीय था । उद्घाटन के पश्चात वहां उपस्थित सम्भ्रान्त व्यक्तियों के भाषण भी हुये थे, जिसमें कोतवाली के नये भवन के निर्माण के लिए मेरी लगन व मेहनत की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी थी । नये भवन के निर्माण तथा वहां के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए बनाये गये निवास स्थान आदि से पुलिस फोर्स का मनोबल ऊँचा हुआ था । शहर के खुले स्थान पर कोतवाली आ जाने से जनता भी बहुत प्रसन्न थी । रात्रि के भोजन के पश्चात मुशायरा शुरू हुआ । शायरों ने अपने-अपने चुने हुये कलाम पढ़े थे जिसका आनन्द मेरे साथ-साथ वहां पर उपस्थित जिलाधिकारी, जिला जज, सिविल सर्जन एवं उनके परिवार ने लिया था । साहित्यिक अभिरुचि के कारण मेरी पत्नी सरला खुश होकर खुमार साहब से उनकी कुछ मशहूर गजलों तथा नगमों की फरमाइस करती रहीं थीं । खुमार साहब तथा शमशी मीनाई साहब एक से एक बेहतरीन एवं मशहूर गजलें सुना सुनाकर लोगों को आत्मविभोर कर रहे थे । शमशी मीनाई साहब प्रेम सम्बन्धित प्रसंगों में अपनी तेज-तर्रार जबान से जोश एवं ओज भर रहे थे, परन्तु खुमार साहब बहुत अच्छे ढंग से नाजुक प्रेम प्रसंगों को वह उंचाईयां दे रहे थे, जहां वह सांसारिक नहीं रह जाता । उर्दू अदब की लिबास और बेहतर प्रस्तुति का आलम यह था कि वहां उपस्थित श्रोतागण भावविभोर एवं गदगद हो उठे थे । पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी इस कार्यक्रम को जारी रखना चाहते थे तथा मुशायरे की सदारत में मशगूल खुमार साहब भी उनके ही समर्थन में दिखाई पड़ रहे थे, परन्तु रात ११ बजे तक फैजाबाद लौटने का मेरा कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था । अतः मैने सभी से प्रस्थान करने की इजाजत मांगी, जो बड़ी मुश्किल से मिली थी । तत्पश्चात मैं अपनी पत्नी सरला, पुत्री रश्मि, गनर, आर्डरली एवं ड्राइवर के साथ कार से फैजाबाद के लिए चल पड़ा । ड्राइवर,

गनर एवं आर्डरली कार की आगे की सीट पर तथा मै अपने परिवार के साथ कार के पीछे की सीट पर बैठा था।

हमारी कार रात के सन्नाटे में तेजी से भागती चली जा रही थी। हम बाराबंकी र्क सरहद पार कर थाना रूदौली के क्षेत्र में, जहां पर सड़क के दोनों ओर बहुत मोटे-मोटे घ छायेदार वृक्ष लगे थे, आगे बढ़े तो मेरी दृष्टि मील के पत्थर पर गयी, जिस पर फैजाबाद की दूरी ४२ किलोमीटर लिखी हुई थी। मील के पत्थर को पार करते ही मुझे सड़क वे दाहिनी ओर, कार की हेड लाइट की रोशनी में मोटे तने वाले वृक्षों की ओट से नंगे बद दो आदमियों तथा सामने से एक व्यक्ति का आकर मेरी कार पर पत्थर जैसी कोई वस् फेंकते हुए दिखाई पड़े। इसके कारण कार के सामने का शीशा टूटकर चकना चूर हो गय और कार की छत अन्दर से चिथड़ा हो गयी। टूटे हुये शीशों के टुकड़े तथा कण मेरे, मेरं पत्नी सरला व पुत्री रश्मि के सर के बालों तथा कपड़ो में भर गये। कार के अन्दर धुआँ छ गया था, जिसके कारण मै तुरन्त समझ गया था कि कार पर फैकी गयी वस्तु पत्थर नहं बल्कि हैण्ड ग्रेनेड है। कार के सामने की पूरी विंड स्क्रीन टूट जाने के कारण तेज हव उसके अन्दर आने लगी थी, जिससे ड्राइवर के लिए कार चलाना बहुत मुश्किल हो रह था। साथ ही साथ लोहे का एक टुकड़ा ड्राइवर की उंगली में धंस गया था, जिससे ते खून बहा था। मेरा आर्डरली ऑख में शीशा गिर जाने के कारण जोर-जोर से रोने लगा थ और "बार-बार कह रहा था कि डी.आई.जी. साहब, मेरी ऑख बचाइये। नहीं तो ं हमेशा के लिए अन्धा हो जाऊंगा"। ड्राइवर ने गाड़ी की चाल धीमी करते हुए उसे रोकन चाहा परन्तु मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और निर्देश दिया कि वह गाड़ी आगे बढ़ाक सामने की पुलिया को पार करके रोके। मैंने ड्राइवर को अपना रुमाल देकर उससे उंगली व घाव पर कसकर दबाये रखने और गाड़ी को आगे चलाते रहने को कहा। मैंने अप आर्डरली को धीरज बंधाते हुए उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का आश्वासन दिया सरला चुपचाप बैठी मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। मै आश्चर्यचकित सोचता रह कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ। सरला का कहना था कि किसी ने कार पर ब फेंके है क्योंकि कार में भरे हुए धुएं से बारूद की गंध आ रही है। वे मां-बेटी बहुत घबरा हुई दिखाई दे रही थी, अतः मैंने कह दिया कि कार पर पत्थर फैंके गये है। यद्यपि मैंने है लाइट की रोशनी में स्वयं तीन नंगे बदन व्यक्तियों को अपनी कार पर किसी चीज को फेंक देखा था, जिसके लगने से सामने का शीशा टूटकर चकना-चूर हो गया था। मै कार र्क दाहिनी खिड़की की ओर पीछे की सीट पर बैठा था तथा सरला जी कार की बांयी ओर र्क खिड़की की तरफ बैठी थी। रश्मि हम दोनों के बीच में थी। मेरी ओर की खिड़की क

शीशा खुला हुआ था, परन्तु सरला की ओर की खिड़की का शीशा बन्द था, जो इस घटना में टूट गया था। धुएं और बारूद की गन्ध तथा कार की छत फटने आदि को मैंने तुरन्त नोट कर लिया था और मेरा स्पष्ट अनुमान था कि कार पर पत्थर नहीं बल्कि वम फेंके गये हैं। फिर भी मै चुप रहा क्योंकि मै कोई कारण नहीं समझ पा रह था।

सामने की पुलिया पार करके सड़क के मोड़ पर ड्राइवर ने मेरी आज्ञानुसार कार खड़ी कर दी थी। सभी को कार के अन्दर बैठे रहने को कहकर स्वयं टॉर्च तथा अपनी सरकारी रिवाल्वर के साथ मै गाड़ी से बाहर उतरा। मेरा गनर अपनी कारबाइन के साथ मेरे साथ हो लिया था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा एवं अन्धेरा था। हम लोग घटना स्थल से लगभग १००० गज दूर खड़े थे, तभी सड़क की पुलिया जो करीब १० फुट नीचे थी, के पास से २-३ आदमी निकल कर दाहिनी ओर पेड़ों की आड़ में भागते हुये दिखाई पड़े। टार्च की रोशनी में अपनी रिवाल्वर तथा गनर ने अपनी कारवाइन से उन पर फायरिंग की, परन्तु अन्धेरा होने एवं दूर भागते हुए व्यक्तियों पर फायरिंग लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। टॉर्च की रोशनी भी वहुत तेज नहीं थी, जिसके कारण वे आंखों से ओझल हो गये। मैंने तथा मेरे गनर ने घटना स्थल तक जाकर छानबीन की। हम भरी हुई रिवाल्वर तथा कारबाइन के साथ फायरिंग पोजीशन में थे, परन्तु तब तक बदमाश भाग चुके थे। जहां मेरी कार पर बम फेंके गये थे, वहां सड़क पर कुछ शीशे के टुकड़े, कुछ जले हुए तथा दो बिना जले हुए हथगोले पड़े थे। उन्हें मैंने अपने गनर से उठवा लिया। चूंकि मेरी कार अन्धेरे जंगल में खड़ी थी और सरला तथा रश्मि उसमें बैठी थी, इसलिए मै जल्दी ही कार के पास वापस आ गया और वहां से फैजाबाद के लिये तुरन्त रवाना हो गये।

मैंने अपनी कार में लगे वायरलेस सेट से इस घटना की संक्षिप्त सूचना थाना रौनाही, फैजाबाद को दे दी थी और स्टेशन ऑफिसर को निर्देश दिया था कि वह थाने पर उपस्थित मिले। थोड़ी ही देर में हम लोग थाना रौनाही पहुंच गये और वहां के वायरलेस सेट से फैजाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश्वर झा को घटना की जानकारी कराते हुए निर्देश दिया कि वह डाक्टर तनेजा,सी.एम.ओ.,फैजाबाद से तुरन्त सम्पर्क कर लें और अच्छा होगा कि यदि डाक्टर तनेजा अपने अस्पताल के आंख के सर्जन के साथ तुरन्त सिविल अस्पताल, फैजाबाद में पहुंच जायें क्योंकि हम लोग सीधे अस्पताल ही पहुंचेंगे। मैंने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को वायरलेस सेट पर रौनाही थाने से यह भी निर्देश दिया कि वह स्वयं कुछ पुलिस अधिकारियों, इन्सपेक्टर कोतवाली तथा कुछ पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल में मिलें, जिससे उन्हें इस घटना से सम्बन्धित बदमाशों की तलाश और भविष्य के लिए मै उचित निर्देश दे सकूँ।

सिविल अस्पताल, फैजाबाद पहुंचने पर एस.एस.पी. गणेश्वर झा तथा डा० तने सी.एम.ओ. सपत्नीक आंख के सर्जन के साथ मिले। एस.एस.पी. के साथ पुलिस के अ अधिकारी तथा पुलिस फोर्स भी वहां उपस्थित थी। सबसे पहले ऑख के डाक्टर ने आर्डरली राजबहादुर की आंख से शीशे का टुकड़ा बाहर निकाला। ईश्वर की कृपा उसकी ऑख बच गयी थी। तत्पश्चात उसकी तथा ड्राइवर की चोटों पर मरहम-पट्टी । श्रीमती झा एवं श्रीमती तनेजा ने नर्स की मदद से मेरी पत्नी सरला व बेटी रश्मि के बा तथा कपड़ो से ब्रुश के सहारे शीशे के टुकड़े व कणों को बाहर निकाला। चेकअप के दौर मां-बेटी दोनों ही पूरी तरह सकुशल पायी गयीं। मैने स्वयं ही अपने सिर व कपड़ों से शी के टुकड़ों व कणों को निकाला और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर बाहर आया। मु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने शीशे के टुकड़ों तथा हथगोलों किरचों को फूल बना दिया हो, जिसके कारण हथगोलों से किसी प्रकार का शारीरिक क नहीं हुआ। डाक्टर तनेजा दम्पति के अनुरोध पर हम लोग अस्पताल से उनके बंगले गये, जहां उन्होंने हमें चाय पिलायी। ऐसी चाय जो एक दुःखद घटना के पश्चात जीवन के प्रारम्भ का बोध करा रही थी।

मैने एस.एस पी के साथ उपलब्ध पुलिस फोर्स को सम्पूर्ण घटना बताकर निर्दे दिया था कि पुलिस फोर्स उसी समय घटना स्थल पर जाकर इस मामले की पूरी छान करे और पता लगाने का प्रयास करे कि यह कौन सा गैग था। रात ही में वहां के आस-प के गांव में संदिग्ध व्यक्तियों के घरों पर दबिश दी जाय। सम्भव है कि गैग वही व आस-पास के गाव में ही छिपा हो। पुलिस फोर्स मेरे आदेश का पालन करते हुए तु प्रस्थान कर गया थी और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरे साथ ही थे।

मैने अपने निवास स्थान पर जाकर सरला व रश्मि को छोड़ा था तथा अपनी वर्षीय मां से मिलकर उन्हें सान्त्वना दी थी, क्योंकि मेरे बंगले के सिपाहियो ने कन्ट्रोल से पास हो रही सूचना को सुना था और इस घटना से मेरी मां को भी अवगत करा दिया थ बाराबकी से रात में देर से हमारे लौटने का कार्यक्रम सबको मालूम था, अतः बंगले आर्म्ड गार्ड तथा वहां नियुक्त सिपाही आदि चौकन्ने थे तथा जाग रहे थे। मेरी मां, बह प्रिय नातिन व मेरे वापस आने की निरन्तर प्रतीक्षा में थी। मेरी मां को मेरे बंगले के सिपाहि ने मेरी गाड़ी पर रात में पथराव होने की घटना बतायी थी, जिसका मैंने भी समर्थन कि क्योंकि और कुछ अधिक बताने से वह मानसिक रूप से परेशान हो सकती थी। थानाध्य थाना रौनाही ने भी, जहां मै घटना के पश्चात सबसे पहले पहुंचा था, घटना का विवरण जन डायरी में कार पर पथराव की घटना के रूप में ही अंकित कर दिया था।

पुलिस फोर्स के घटना-स्थल पर प्रस्थान करने के पश्चात मैं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से बातें करता रहा और यह आवश्यक समझा कि मुझे भी पुलिस फोर्स के साथ घटना-स्थल पर दुबारा जाना चाहिए था। अतः मै ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उस समय उपलब्ध पुलिस फोर्स के साथ रात करीब २.३० बजे घटना स्थल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एस.एस.पी. से बातें तो कर रहा था, परन्तु मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि मेरी कार पर हमले का कारण क्या हो सकता था। क्या जान-बूझ कर किसी ने ऐसा किया था। क्या रात को बाराबंकी से फैजाबाद लौटने के मेरे कार्यक्रम की जानकारी उन बदमाशों को थी जो मेरे आदेशों से परेशान व भयभीत थे। मैंने उन दिनों बाराबंकी के अफीम तस्करों के उन्मूलन हेतु एक विशेष पुलिस दल (टास्क फोर्स) का गठन किया था, जो बाराबंकी तथा फैजाबाद में ऐसे अपराधियों को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रहा था। इस टास्क फोर्स को अच्छी सफलता भी मिलनी प्रारम्भ हो गयी थी। बाराबंकी के रूदौली और सफदरगंज क्षेत्र इस प्रकार के अपराधियों का गढ़ माना जाता था। उक्त दोनों स्थान बाराबंकी से फैजाबाद आने वाली सड़क के किनारे स्थिति है। मैनें दूसरा अभियान बारांबकी-फैजाबाद मार्ग पर थाना-रौनाही (फैजाबाद) से लेकर थाना-रामसनेही घाट (बाराबंकी) तक के "रोड-होल्ड-अप" से सम्बन्धित अपराधों को रोकने के लिए एक माह तक चलाया था। इसलिए मुझे सन्देह हो रहा था कि मेरी कार पर यह हमला इन दोनों कारणों से हो सकता है। अतः मै सोच रहा था कि मुझे भविष्य में लगातार विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मेरी जिज्ञासा यह भी थी कि क्या रात्रि के अन्धेरे में कार के अन्दर बैठा हुआ कोई वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर बाहर से देखा जा सकता था। अतः जब मैं घटना-स्थल पर पहुंचा, तब सबसे पहला परीक्षण यही करके देखा। मैंने एस.एस.पी. को उनकी गाड़ी में बैठाकर बाराबंकी की ओर से फैजाबाद की ओर जाने के लिए भेजा जहां से बदमाशों ने निकलकर मेरी गाड़ी पर हथगोले फेंके थे, और में उसी स्थान पर खड़ा हो गया। मैने देखा कि इस स्थिाति में बाहर सड़क पर खड़े आदमी को कार के अन्दर बैठे लोग बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते थे। इस परीक्षण का आशय यह सुनिश्चित करना था कि मेरी कार पर हमला सुनियोजित था या आकस्मिक। साथ ही साथ उसका एक लक्ष्य यह भी देखना था कि क्या यह घटना एक "चान्स" थी, जिसमें रोड होल्डप का गैग वहां पर पोजीशन लिये हुये जनता को लूटने के प्रयास में था और वह नहीं जानता था कि जिस गाड़ी पर वह हमला कर रहे थे, वह पुलिस के डी.आई.जी. की गाड़ी है। हम लोगों ने घटना स्थल का हर तकनीकी पहलू अपने-अपने अनुभव के आधार पर छान डाला था। घटना-स्थल पर कुछ प्रयोग किये हुये तथा कुछ जीवित हथगोले, कार के टूटे शीशे आदि मिले थे, परन्तु आस-पास के गांवों

में पता लगाने एवं दबिश देने पर कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ में नहीं आया था। थाना-रौनाही के अन्तर्गत एक पुलिस चौकी की स्थापना रोड-होल्ड-अप से सम्बन्धित अपराधों को रोकने के उद्देश्य से की गयी थी और उनके रुक जाने के बाद वह समाप्त कर दी गयी थी। घटना-स्थल पर पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी जंगीसिंह भी आ गये थे। मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि वह भी इस घटना के विषय में पूरी छानबीन करें और सम्बन्धित गैंग का सही-सही पता लगाने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाकर कार्यवाही करें। यदि कोई लाभदायक सूचना मिले या सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, तो उसे तुरन्त जेल न भेजकर मुझसे मिलाया जाय, जिससे मै इस घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओ की जानकारी लेकर स्वयं को सन्तुष्ट कर सकूं। इस प्रकार की एक पुलिस टीम एस.एस.पी., फैजाबाद ने भी थानाध्यक्ष रोनाही की निगरानी में घटना की छानबीन के लिए बनायी।

एक दिन फैजाबाद के असिस्टेंट एस.पी. कर्मवीर सिंह ने मुझे बताया कि बाराबंकी-फैजाबाद मार्ग पर थाना रामसनेही घाट व रूदौली के बीच इस घटना के पूर्व भी एक-दो ''रोड-होल्ड-अप'' की घटनाओं का असफल प्रयास हुआ था, जिसमें बदमाशों ने यात्रियों को लूटने के लिए सड़क पर ड्रम के अवरोधक खड़े कर दिये थे। मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने बाराबंकी से फैजाबाद जाते हुए सड़क पर लगे हुए ड्रमों को दूर से देख लिया और अपनी मोटर साईकिल को तेजी से, सिर झुकाए किनारे से निकाल ले जाने के कारण लुटने से बच गये थे। उनमें से एक का हैलमेट गिर गया था, जिसे वह वहीं छोड़कर आगे बढ़ गये थे। इसी प्रकार की अन्य घटनाओ को रोकने के लिए थाना-रौनाही व थाना रामसनेही घाट के थानेदारों ने अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस की गश्त तेज कर दी थी, जो लाभदायक सिद्ध हुई थी। पर बहुत समय तक इस प्रकार के रोड-होल्ड-अप की घटनाएं न होने के कारण बाद में पुलिस गश्त बन्द कर दी थी। उक्त घटनाओं की रिपोर्ट किसी ने भी सम्बन्धित थानों में नहीं लिखाई थी, इसलिए वहां के थानेदारों ने ऐसे मामलों को अपने-अपने पुलिस अधीक्षकों को नहीं बताया था। यह सूचनाएं मिलने के पश्चात मैंने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी से पूछताछ की थी और उनसे अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट की थी और कहा था कि यदि उन्होंने घटना के दिन मेरी रात्रि-यात्रा के समय एक स्कार्ट भेज दिया होता, तो बदमाशों से रास्ते में एक अच्छा ''इनकाउन्टर'' (मुठभेड़) हो सकता था, जिसमें सभी बदमाश मारे जाते या मौके पर ही घेर कर गिरफ्तार कर लिये जाते। इसके फलस्वरूप रोड-होल्ड-अप की घटनाओं की रोकथाम पर भविष्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। मेरी इस प्रतिक्रिया पर उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। साथ ही साथ घटना से सम्बन्धित गैंग को अतिशीघ्र तलाश करके गिरफ्तार करने का आश्वसान भी दिया।

वरिष्ठ अधिकारियों की अप्रसन्नता प्रायः अच्छे परिणाम लेकर आती है । मेरी अप्रसन्नता भी लाभदायक परिणाम लेकर सामने आयी । लगभग दस दिनों के बाद पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी कि मेरी कार पर हमला करने वाले छः बदमाशों के सम्पूर्ण गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है जो अपराध स्वीकार भी कर रहा है । उनसे "इन्ट्रोगेशन" स्वयं उन्होंने ने भी किया था, इसलिए वह पूर्ण सन्तुष्ट थे कि सही गैंग ही पकड़ में आया है । इस गैंग द्वारा पूर्व में किये गये अपराधों एवं उन्हें न्यायालय से दिये गये दण्ड का विवरण रूदौली थाने में अंकित था । मैंने जंगीसिंह को निर्देश दिया कि वह गैंग के गिरफ्तार सदस्यों को अविलम्ब गोपनीय ढंग से फैजावाद ले आयें । मै स्वयं घटना के विषय में उनसे पूछताछ करने के पश्चात सन्तुष्ट होना चाहता था और यह जानना चाहता था कि उस गैंग का "प्लान" और उसका आधार क्या था । वह आकस्मिक दुर्घटना थी या उनका इरादा मेरी हत्या करने का था? दो घंटे के अन्तराल में ही वह गैंग फैजाबाद में मेरे कार्यालय आ गया । मैंने उससे देर तक बातचीत करके पूरी जानकारी प्राप्त की । गैंग के सदस्यों का कहना था कि वह गरीबी के कारण रोड-होल्ड-अप के अपराध करते थे । वह बाराबंकी-फैजाबाद मार्ग पर उसी स्थान तथा उसके आसपास के अन्य स्थानों पर अतीत में अनेक ऐसे अपराध कर चुके थे । उस स्थान पर सड़क के ऊंची होने, आगे पुलिया तथा नाले पर दूसरी पुलिया, और सड़क बहुत टेढ़ी-मेढ़ी होने और दोनों ओर मोटे तने वाले छायादार वृक्षों के होने के कारण ऐसे अपराधों के लिए वह एक अच्छा स्थान था । वहां वे आसानी से छिप जाते थे । उनका कहना था कि उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस गाड़ी पर उन्होंने हमला किया था, उसमें डी.आई.जी. साहब अपने परिवार सहित जा रहे थे । वह तो वहां किसी छोटी गाड़ी (लाइट व्हैकिल) को रोककर लूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे । जब गाड़ी की लाइट उन्हें दूर से दिखाई पड़ी थी तभी वह समझ गये थे कि कोई कार आ रही और वह उसे रोककर लूटने के लिए सतर्क हो गये थे । मैंने उनसे प्रश्न किया कि वह यह कैसे सुनिश्चित करते थे कि सड़क पर जाने वाली गाड़ी बड़ी है या छोटी? उन्होंने उत्तर दिया कि जहां वह लोग खड़े होते थे, वहां से आगे सड़क पर ढाल है । जब कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उसकी रोशनी ऊपर की ओर पेड़ों पर जाती है, जिसे वह बस या ट्रक मान लेते थे । जब गाड़ी की रोशनी नीचे सड़क पर ही रह जाती थी, तब वह समझ लेते थे कि वह छोटी गाड़ी है । घटना के समय जब मेरी कार निकली थी, तब वह लोग अपराध के लिए सतर्क हो गये थे । उनमें से दो लोग सड़क के दाहिने किनारे पर पेड़ के पीछे तथा दो लोग सड़क की बांयी ओर एक मोटे पेड़ के पीछे छिपे थे और उनका एक साथी सड़क के दाहिनी ओर खड़ा था । इसके अतिरिक्त उनके दो साथी पुलिया के पार सड़क पर ही छिपे थे । वह सभी

देशी बमों से लैश थे, जिसे वह स्वयं बनाते थे। उन्होंने कार के शीशे पर दो बम मारे थे तथा २-३ हथगोले दाहिनी ओर से कार के ड्राइवर पर भी चलाये थे क्योंकि उन्हें यह पता था कि गाड़ी का ड्राइवर आगे की दाहिनी शीट पर बैठता है और उसकी खिड़की प्रायः खुली रहती है। दाहिनी तरफ से फेंके गये कुछ हथगोले कार के अन्दर गिरे थे और कुछ कार की गति तेज होने के कारण जमीन पर ही गिर गये थे, जो फटे नहीं थे। उनके दो साथी लाठियों के साथ तैयार खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही कार रुकेगी, वह उसके अन्दर बैठे हुये लोगों को बलपूर्वक बाहर खींचकर लाठियों से मारपीट कर उनके पास जो कुछ भी होगा, छीन लेंगे। उनके अनुसार घटना के पश्चात गाड़ी की गति कुछ धीमी हुई थी, पर क्षण भर रुकने के पश्चात ही वह आगे बढ़ गयी थी। गाड़ी के अन्दर से किसी के रोने और जोर-जोर से बोलने की आवाज भी उन्होंने सुनी थी। मैंने उनसे यह भी प्रश्न किया कि जब मेरी गाड़ी पुलिया पार करके सड़क पर आगे रुकी थी और मै गाड़ी के बाहर निकला था उस समय उन लोगो ने मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में गैंग के सदस्यों ने बताया कि ज्यादातर गाड़ी वाले हमला होने के बाद रुकते नहीं है। उस पर बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज सम्भव हो सकता है, अपनी गाड़ी को भगा ले जाने का प्रयास करते है। यह पहला मौका था, जब हमला होने पर गाड़ी रुकी थी। इस कारण हम लोग भांप गये थे कि उक्त गाड़ी निश्चित ही किसी पुलिस या मिलेट्री के अधिकारी की है अन्यथा कोई अन्य यात्री इस प्रकार गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं करता पुलिस और फौज की गाड़ियां इस मार्ग पर प्रायः आया-जाया करती थीं। उनका यह भी कहना था कि जब टॉर्च की रोशनी चमकी, तेज आवाज आयी और कुछ गोलियां दागी गयीं तब वह वहा से अपने को छुपाते हुये भाग खड़े हुये थे। उनका कहना था कि यदि हमले के पश्चात गाड़ी घटनास्थल पर ही रुक गयी होती, जब वह निःसन्देह उस पर चारों ओर से हमला करके हम सभी लागों को मारपीट कर सामान आदि लूटने का प्रयास करते।

गैंग से बात करने के पश्चात मैंने यही परिणाम निकाला कि मेरे मारने या लूटने की यह एक सुनियोजित घटना नहीं बल्कि एक आकस्मिक अपराध था। यदि मैं अपने अनुभव के अनुसार कार को तुरन्त आगे न बढ़वाकर घटनास्थल पर भूल से रुकवा देता, तो हम लोग मारे भी जा सकते थे, क्योंकि यह हमला आम रोड-होल्ड-अप की घटना थी तथा गैंग जघन्य अपराध करने का आदी एवं स्थानीय परिस्थितियों से पूर्ण परिचित था। पुलिस ने विवेचना के पश्चात सभी सम्बन्धित अपराधों में उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाये जाने हेतु चालान कर दिया।

बारांबकी कोतवाली के उद्‌घाटन की तिथि में परिवर्तन होना, रात के समय बाराबंकी

से फैजाबाद बिना स्कार्ट लिये चलना तथा इस भीषण दुर्घटना से बच जाना, यह सब विधि का विधान ही कहा जायेगा । इसके समर्थन में अन्त में मै यहां एक सन्त की भविष्यवाणी का भी उल्लेख करना अति आवश्यक समझता हूँ जो इस घटना के घटित होने के बहुत पूर्व मुझे दी गयी थी । इसके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति में मेरा अटूट विश्वास हो गया कि "लाभहानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ" ।

वर्ष १९६८-६९ में मैं पुलिस अधीक्षक, मथुरा के पद पर नियुक्त था । परम पूज्य देवरहवा बाबा उन दिनों जमुना के किनारे अपने आश्रम पर रह रहे थे । मैं तथा मेरी पत्नी सरला उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम पर गये थे । बाबा जी एक महान ऋषि होने के साथ-साथ अपने भक्तों पर बड़े कृपालु रहा करते थे । उन्होंने हम दोनों को बड़े स्नेह के साथ दर्शन एवं धार्मिक उपदेश दिये थे और चलते समय आशीर्वाद एवं मेवा तथा फलों का प्रसाद भी दिया था । उनके मुखारबिन्दु से निकले आशीष बचन आज भी मेरे मस्तिष्क में गूंजते हैं । सरला को वह 'देवी भगवती' कहते थे और मुझे 'योगेन्द्र बच्चा' कहकर सम्बोधित करते थे । उन्होंने निम्नलिखित मंत्र हम लागों से भी कई बार कहलवाया था-"ओम नमोः भगवते वासुदेवायः, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशायः, गोविन्दायः नमोः नमः ।

बाबा ने वहां उपस्थित जन समुदाय को अपने पास से जरा दूर करके हम लोगों से अकेले में भी कुछ देर तक वार्ता की थी । पहले उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गाँधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत सरकार के उनके आश्रम में पधारने के विषय में बताया था-"इन्दिरा माँ" आयी थी और अपनी समस्या बताकर आशीर्वाद ले गयी थीं । माँ (इन्दिरा) वड़ी भगत है । अभी कुछ दिनों और अच्छा काम करना चाहती है । तत्पश्चात उन्होंने मेरे लिए कहा था "योगेन्द्र वच्चा" तू ऐसे ही सच्चा काम करता चला जा । मेरा सब आशीर्वाद तुम्हारे साथ है । बच्चा कौनऊ नदी के पास बदमाशों से तुम्हारा मुकाबला होगा । तुम्हारी वड़ी बिटिया बड़ी भाग्यवान है । तुम्हारे साथ उसके रहने पर कौनऊ तुम्हार कुछ बिगाड़ नहीं पायेगा ।

उनकी उक्त भविष्यवाणी कुछ समय तक हम लागों को याद रही थी, परन्तु मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल हम लोग उसे वाद में भूल गये थे । यह घटना जब नदी की पुलिया के पास घटी उस समय मेरी बड़ी बेटी रश्मि हमारे साथ कार में बैठी थी । मरण का दृश्य एकदम हमारे आंखों के सामने नाच रहा था । मेरी पत्नी सरला ने उक्त स्थिति के घटने के तुरन्त बाद ही वावा जी की भविष्यवाणी का स्मरण दिलाया था । श्रद्धेय देवरहवा वावा की वर्षों पुरानी भविष्यवणी अक्षरशः चरितार्थ हुई थी, जिसे हम लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से घटते देखा था । इस तथ्य से यह पूर्णतः सिद्ध हो गया था कि वावा एक पहुंचे हुये सन्त थे और वह अपनी दिव्य दृष्टि से हम सवका भविष्य बताने में सक्षम थे । उनकी साधना एवं

यौगिक क्रियाएं अलौकिक, सर्वव्यापक और विश्वविख्यात थीं। इसीलिए वे अपने ज्ञान वैराग्य, त्याग, मृदुभाषी तथा प्रेममय विनोदी स्वभाव के कारण वर्तमान युग के भारतीय सन्तों में सबसे पूज्य एवं मनीषी कहे जाते थे।

२१

सी०आर०पी० का सैन्य विद्रोह

वर्ष १९७९ से १९८५ तक मैं उत्तर प्रदेश के बाहर भारत सरकार में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में प्रतिनियुक्ति पर रहा था। पहले तीन सालों तक डी०आई०जी०, सी०आर०पी०एफ० हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और शेष तीन सालों तक डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) सी०आर०पी०एफ० मुख्यालय, नई दिल्ली में था। हैदराबाद की तैनाती के दौरान मेरा आपरेशनल क्षेत्र मिजोरम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश था तथा प्रशासनिक क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा था। वर्ष १९७९ का अन्त होते-होते सी०आर०पी०एफ० में अचानक विद्रोह हो गया। केरल से शुरू हुआ यह विद्रोह तेजी से मद्रास, हैदराबाद व दिल्ली में भी फैल गया था। ग्रुप सेन्टर पल्लीपुरम, केरल में कम्पनी कमाण्डर स्तर तक का पूरा फोर्स राइफलों सहित विद्रोही बन गया था। दिल्ली ग्रुप सेन्टर पर विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त आर्मी और सी०आर०पी०एफ० के बीच गोलीबारी भी हुई थी। विद्रोह से प्रभावित मेरा ग्रुप केन्द्र हैदराबाद भी सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण असुरक्षित हो चुका था। अतः वहां पर तैनात आर्मी के लेफ्टीनेन्ट जनरल अशोक हाण्डू से मैंने फौज को सतर्क रखने के लिए अनुरोध करके उनसे सुरक्षा हेतु आश्वासन प्राप्त कर लिया था। उस समय आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डा० चेन्ना रेड्डी ने अपने प्रदेश के डी०जी०पी० श्री नारायण राव तथा हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को आदेश देकर सी०आर०पी०एफ० को मदद देने के झंझट में पड़ने से मना कर दिया था। मैंने दिल्ली स्थित सी०आर०पी०एफ० के डायरेक्टर जनरल श्री आर०सी० गोपाल को इस विषय में पूर्ण अवगत करा दिया था। हैदराबाद की स्थिति विद्रोह से खराब रहते हुये भी मेरे अथक परिश्रम से कुछ नियंत्रण में थी। उसी समय मुझे अपने दिल्ली मुख्यालय से आदेश मिला था कि मैं तुरंत हैदराबाद से पल्लीपुरम ग्रुप केन्द्र,

केरल जाकर विद्रोही स्थिति पर नियंत्रण रखने का पूर्ण प्रयास करूँ। कुछ समय पहले स्वयं डायरेक्टर जनरल सी०आर०पी०एफ० नई दिल्ली से अपने डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) सतीश विद्यार्थी के साथ पल्लीपुरम गये थे और विद्रोही फोर्स को निश्चित अवधि के भीतर बैरकों में वापस न जाने और आदेश की अवहेलना करने के कारण १३०० अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया था। बाद में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। उक्त आदेश पाकर मै केरल गया और त्रिवेन्द्रम जाकर वहां के डी०जी० पुलिस श्री नायर से मिलकर उनसे फोर्स लेकर पल्लीपुरम पहुंचना चाहता था, परन्तु उन्होंने किसी प्रकार की मदद देने से मना कर दिया। उस समय वहां साम्यवादी सरकार थी और कम्युनिस्टों के साथ विद्रोही जवानों का सम्पर्क था। अतः मै ५१वीं बटालियन सी०आर०पी०एफ० के कमाण्डेन्ट श्री रामकृष्णनन के साथ ही उनके ऑफिसर्स मैस में ठहर गया और वहां से उन्हें लेकर ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम पहुंचा था। उस समय तक विद्रोह को रोकने के लिए दिल्ली में सी०आर०पी०एफ० तथा फौज के बीच फायरिंग हो चुकी थी और दोनों तरफ से कुछ लोग मारे गये थे। केरल क्षेत्र प्रशासनिक तौर पर डी०आई०जी० सी०आर०पी०एफ० मद्रास के अन्तर्गत आता था, पर डी०जी० ने मुझे हैदराबाद से वहां भेज दिया था। वहां न मेरा क्षेत्र था और न ही मै वहां के फोर्स से परिचित था। वैसे भी मेरी सी०आर०पी०एफ० की प्रतिनियुक्ति एकदम नयी थी। पल्लीपुरम में १३०० विद्रोही कर्मचारियों को सेवामुक्त कर देने के बाद भी वहां स्थिति काबू में नही आयी थी। भारत सरकार के गृहमंत्री श्री चव्हाण ने डी०जी० (सी०आर०पी०एफ०) श्री आर०सी० गोपाल को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाकर उनके स्थान पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राज गोपाल (आई०पी०एस०) को सी०आर०पी०एफ० का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया था। हैदराबाद स्थिति सी०आर०पी०एफ० के आई०जी० के रिक्त पद पर महाराष्ट्र कैडर के आई०पी०एस० अधिकारी श्री टी०जी०एल० अय्यर को पुलिस एवं रिसर्च ब्यूरो नई दिल्ली से प्रोन्नत करके भरा था। जैसे ही उन्होंने हैदराबाद पहुंच कर सी०आर०पी०एफ० के आई०जी० का चार्ज लिया वैसे ही डी०जी० ने उन्हें तुरन्त पल्लीपुरम पहुंचकर कैम्प करने का आदेश दे दिया। अतः वह भी पल्लीपुरम आकर ५१वीं बटालियन के हेड क्वार्टर के ऑफिसर्स मैस में मेरे साथ ही रुके थे। उनके वहां पहुंच जाने से सबसे वड़ा लाभ यह हुआ था कि श्री अय्यर केरल के मूल निवासी होने के कारण वहा के डी०जी०पी० व प्रेस वालों से आसानी से अपनी भाषा में वार्तालाप कर लेते थे, जिससे मुझे भी बड़ी सुगमता हो गयी थी, परन्तु सब कुछ होते हुये भी केरला पुलिस हम लोगों को मद्द देने में कोई रुचि नहीं लेती थी। उन्हें डर था कि कहीं सी०आर०पी०एफ० की विद्रोह की आग भड़क कर केरल पुलिस में भी न फैल जाय। अतः आई०जी० व मै क्रमशः केरल

के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा डी०जी०पी० से मिलकर भी अपनी सुरक्षा तथा पल्लीपुरम के विद्रोह को दबाने के लिए कोई मदद प्राप्त नहीं कर सके थे । मेरी व आई०जी० की मीटिंग इन परेशानियों से निपटने के लिए देर रात तक चलती थी ।

विद्रोही सैनिकों ने बटालियन कैम्पस के बाहर नारियल के जंगलों में बकायदा मोर्चा स्थापित कर ग्रुप सेन्टर को बाहर से चारों ओर से घेर लिया था, जिससे वहां के अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्यगण अपने-अपने घरों के अन्दर ही फंसे थे । उनका बाहर आना-जाना भी सम्भव नहीं हो पा रहा था । उन्हें बाहर से खाने का जो भी सामान हमारे द्वारा भेजा जाता था, उसे भी विद्रोही छीनकर खा लेते थे । यहां तक कि मरीजों के खाने के लिए दूध व खिचड़ी भी अन्दर नहीं पहुंच पा रही थी । जोर जर्वदस्ती करने पर विद्रोही सैनिकों ने आई०जी० अय्यर को तथा मुझको जान से मार डालने की धमकी भी दे दी थी । मजबूर होकर मैंने श्री अय्यर को राय दी थी कि चूंकि वह (वी०पी०आर०एण्ड डी०) दिल्ली में सात साल तक तैनात रहकर आये है तथा महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, अतः भारत सरकार में महाराष्ट्र के ही गृहमंत्री श्री चव्हाण साहब से उनका समीप का परिचय होगा । यदि इस संकट की स्थिति में जब केरल प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो वे सीधे गृहमंत्री चव्हाण साहब को पूरी स्थिति से अवगत करा दें, खासकर वहां "लॉ एण्ड आर्डर" की स्थिति एकदम अनियंत्रित होने की बात भी बता दें तो बेहतर होगा । अय्यर साहब ने उसी शाम गृहसचिव भारत सरकार को फोन पर सम्पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया । इसका परिणाम चमत्कारिक हुआ । गृह सचिव भारत सरकार ने उसी रात्रि केरल प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव से फोन पर वार्ता की और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सी. आर.पी.एफ. के अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था उनका प्रशासन नहीं कर पायेगा तो भारत सरकार इस विषय को गम्भीरता से लेगी । सम्भव हो कि प्रदेश में "लॉ एण्ड आर्डर" समाप्त हो जाने की अवस्था समझकर वहां कार्रवाही करनी पड़ जाय । कहते है कि भारत सरकार के गृह सचिव की मुख्य सचिव केरल को दी गयी चेतावनी ने रामबाण का काम किया । मुख्यमंत्री जी को जब इस प्रकार की जानकारी हुई तब उन्होंने तुरन्त वहां के डी०जी० श्री नायर को मेरी व श्री अय्यर की सुरक्षा के पूर्ण प्रबन्ध करने के आदेश दिये । अगले ही दिन एक पुलिस अधीक्षक, एक इन्सपेक्टर तथा वायरलैस सहित अन्य फोर्स हम लोगों के सुरक्षार्थ तुरन्त नियुक्त कर दी थी । अतिरिक्त डी०जी० (सी.आई.डी. इन्टेलीजेन्स) दोनों ही हम लोगों से मिलने भी आये । अगले दिन मै व आई०जी०, प्रदेश पुलिस फोर्स को लेकर ग्रुप सेन्टर पल्लीपुरम गये और वहां फंसे हुये अधिकारियों से मीटिंग की तथा उन्हें सान्त्वना दी । उनके दुःखी परिवारों को जो विद्रोहियों के अप-शब्दों से तथा अश्लील हरकतों से अत्यन्त

परेशान थे, भी वहां प्रदेश पुलिस बल तैनात हो जाने पर अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सी.आर.पी. के १३०० विद्रोही डी०जी० के आदेशों की अवहेलना करने के कारण नई दिल्ली के सी आर पी. के आई.जी. बलोत्तम वर्मा द्वारा पहले ही सेवाच्युत कर दिये गये थे। श्री अय्यर ने उन सभी १३०० बर्खास्त कर्मचारियों को अपनी-अपनी परेशानी आकर बताने का संदेश भेजवाया था पर उन्होंने हमारा आमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। अतः उसी शाम को हम लोगों ने वहां के प्रमुख अखवारों के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस की। केरल पुलिस अधिकारियों के प्रयास से बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुये थे। प्रारम्भ में तो उन्होंने हम लोगों से बातचीत करने में कठिनाई उत्पन्न की क्योंकि वहां के पत्रकारों का झुकाव मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अच्छा-खासा था और वे विद्रोही कर्मचारियों के समर्थक भी थे, फिर भी उनसे वातचीत का परिणाम हमारे हित में रहा। श्री अय्यर ने मलियाली भाषा में उनसे वातचीत करके उन्हें अच्छी तरह प्रभावित कर दिया था। बाद में तो श्री अय्यर उनसे संस्कृत में भी वार्तालाप करते रहे थे। वार्ता के बीच में व्यंग्य विनोद भी होने लग गया था। इस प्रेस कांफ्रेन्स का विस्तृत समाचार वहां के समाचार पत्रों में छपा और पत्रकारों का दृष्टिकोण हमारे अनुकूल होने के कारण विद्रोहियों के हौसले पस्त हो गये। उनके विचारों में भी शीर्घ्रतापूर्वक परिवर्तन आना शुरू हो गया। तुरन्त ही उन्होंने हमारे पास संदेश भेजा कि वे नारियल के जंगल में नदी के किनारे अगले दिन शाम ४ बजे जमा होगें। आई०जी० व डी०आई०जी० वहां आकर उनसे बात कर सकते है। अतः हम दोनों व केरल के पुलिस अधीक्षक जोसफ, ग्रुप केन्द्र के सेनानायक श्री कक्कड़ वहां यथासमय पहुंच गये थे। विद्रोही कर्मचारियों के वाल एवं दाढ़ी कई दिनों से बढ़ी हुई थी। वे डरावने तथा रौद्र रूप वाले लग रहे थे। शुरू में जब श्री अय्यर ने उनसे बातें करनी प्रारम्भ की, तब उन्होंने शोर मचा कर वार्ता भंग करने का प्रयास किया। परन्तु समझाने-बुझाने पर जब वे कुछ शान्त हुये, तव श्री अय्यर ने उन्हें सम्बोधित करते हुये सभी वस्तुस्थितिं की जानकारी करायी और अनुरोध किया कि यदि वे अपनी गलती लिखित रूप से स्वीकार कर लेगें तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें नौकरी में बहाल कर दिया जायेगा। केवल उन लोगों को बहाल नहीं किया जा सकेगा, जिन्होने हिंसात्मक अपराध किये है, क्योंकि उनकी बहाली के आदेश बिना डी०जी० सी. आर.पी.एफ. के अनुमोदन के जारी नहीं किये जा सकते है। इन प्रतिबंधों व प्रथक्करण पर वे शुरू में तैयार नहीं हुये थे। मैने जब उन्हें समझाया कि १२५० से अधिक कर्मचारी तुरन्त ही बहाल हो जायेंगे, केवल ४०-५० कर्मचारी जिनके विरुद्ध दंगा एवं दुराचरण करने के गम्भीर अपराध हमारे पूर्वाधिकारी भारत सरकार को रिपोर्ट कर चुके है, बाकी बचेगें। उनको भी हम नौकरी में बहाल करने की संस्तुति दिल्ली अवश्य करेगें तथा उनकी बहाली हेतु पूर्ण

प्रयास भी करेंगे । काफी जद्दोजहद के बाद वे हमारी बात मान तो गये पर माफी मांगने के स्थान पर भविष्य में सही आचरण के साथ सेवा करने की अन्डरटेकिंग देने को ही तैयार हुये । हम भी जंगल में उन असंख्य विद्रोहियों के बीच घिरे होने से सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे थे । अतः मैंने आई०जी० से पूछकर घोषणा कर दी कि अगले दिन ९ बजे वे ग्रुप सेन्टर में उपस्थित हो जायें और प्रस्तावित अन्डरटेकिंग पर अपने हस्ताक्षर कर दें । सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त ज्यादातर को नौकरी में बहाल कर दिया जायेगा । वार्तालाप के दौरान उनके नेता, जो विभिन्न प्रान्तों के निवासी थे, के तेवर बड़े तीखे और कर्कश थे, खासकर हरियाणावासियों के ।

योजनानुसार ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम में दो बड़े शामियाने लगाये गये थे । एक में विद्रोही कर्मचारियों को अस्त्र-शस्त्रों के साथ समर्पण करना था, दूसरे में उनसे अन्डरटेकिंग पर हस्ताक्षर कराकर सेवा में पुनः स्थापना के आदेश देने की व्यवस्था की गयी थी । पूर्व संध्या को मैस में अय्यर साहब ने मुझे अचानक बुलाया । वे गम्भीर चिन्तन में थे । मेरा अभिवादन स्वीकार करके उन्होंने मुझे अपने पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया और दो प्रारूप पढ़ने को दिये । एक में तो विद्रोही कर्मचारियों का माफीनामा था और दूसरा सेवा में उनकी बहाली के आदेश से सम्बन्धित था । मैंने उन्हें पढ़कर उचित ठहराते हुये माफीनामा के स्थान पर खेद व्यक्त करने की शब्दावली प्रयोग करने पर जोर दिया । श्री अय्यर अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान थे तथा वे पिछले कई साल से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली में वरिष्ठ पद पर रह चुके थे । वह पुलिस विभाग की चर्चित मासिक पत्रिका इण्डियन पुलिस के सम्पादक रह चुके थे, जो भारत सरकार द्वारा विदेशों में भी भेजी जाती है । श्री अय्यर ने गम्भीर मुद्रा में मुझसे अनुरोध किया कि मैं पुनः बारीकी से उन प्रारूपों का अध्ययन करूँ क्योंकि यदि इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गयी तो स्थिति को संभालना कठिन हो जायेगा । मैंने बहुत ही सहज भाव से विवादास्पद बिन्दुओं का कानूनी पक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वे संतुष्ट हो गये थे ।

ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम में दूसरे दिन सुबह से ही विद्रोही सी०आर०पी०एफ० कर्मचारियों की कतार लगनी शुरू हो गयीं । मै तथा अय्यर साहब वहां यथासमय पहुंच गये थे । मुझे उस समय सरला जी द्वारा सुनाई गयी रामायण की कुछ चौपाईयां याद आयीं थीं, जिनमें तुलसीदास जी ने वानरों की सेना के विरुद्ध मोर्चे पर डटे रावण के सैनिकों का वर्णन करते हुये उन्हें विकराल शरीर वाले विकटानन की संज्ञा दी है । मुझे भी यह विद्रोही सैनिक "रजनीचर" जैसे लग रहे थे । श्री अय्यर व मुझे उनका डरावने ढंग से प्रस्तुत किया गया अभिवादन बिना टोके स्वीकार करना पड़ा । तुरन्त ही मैंने यथा प्रस्तावित कार्यवाही प्रारम्भ

करा दी । यद्यपि कार्य सुचारू रुप से शुरू हो गयी थी परन्तु माहौल बराबर अफरा-तफर्र और अशान्ति का बना हुआ था । गम्भीर अपराध में लिप्त कुछ विद्रोही प्लाटून कमाण्डर व हैड कान्सटेबिल बीच-बीच में लोगों से कागजों पर दस्तखत करने को मना कर रहे थे । जव उन्हें वताया जाता कि उनके आदेश दिल्ली से अनुमति मिलने के वाद ही दिये जायेगें तो वे एकदम भड़क उठते थे । कुछ लोग,जिन्हें वहाली के आदेश मिल चुके थे,उनमें से कुछ उन्हें वापस करने को दौड़ने लगते थे । हंगामे और शोरशराबे के वीच में कभी-कभी काम भी रुक जाता था । सबकी बहाली के आदेश पर वे बराबर हमारे ऊपर दवाव वना रहे थे । माईक पर उनसे बार-बार शान्त रहने की अपील करनी पड़ती थी । अन्त में रात्रि में उन्हें अवगत करा दिया गया कि ४३ जवानों तथा ओहदेदारों को वहाली के आदेश देने में हम हालफिलहाल असमर्थ है । उनके आदेश दिल्ली मुख्यालय द्वारा ही प्राप्त होने के बाद दिये जायेगें, जिसके लिए पूर्ण प्रयास करने का हमने आश्वासन दिया । इस प्रकार कुछ विद्रोहियों ने, जिन्होंने माफीनामों पर दस्तखत कर दिये थे और वहाली के आदेश प्राप्त कर लिये थे, आकर अपने वहाली के आदेश फाड़ने लगे । जिन लोगों ने अन्डरटेकिंग नहीं भरी थी, उन्हें भी बाद मे हम लोगों ने उनके मौखिक आश्वासन दे देने भर पर वहाली के आदेश दे दिये । ४३ अपराधी विद्रोहियों को जो गम्भीर अपराधों में लिप्त पाये गये थे और बहाल नहीं किये गये थे, उन्हें हम लोगों ने दिल्ली में डी०जी० के पास जाने की अनुमति दे दी थी । वे वैसे भी अलग-थलग पड़ गये थे । दरअसल हमारी योजना उन्हें शुरू से ही सेवा से वाहर रखने की थी । ज्यादातर लोग अपना-अपना वहाली का आदेश लेकर बैरकों में उसी रात वापस हो गये थे । हम दोनों भी ५१वीं बटालियन के ऑफिसर्स मैस लौट गये थे । अय्यर साहब ने पूर्ण स्थिति से डी०जी०, सी०आर०पी०एफ० को फोन पर अगवत करा दिया था और निवेदन किया था कि भारत सरकार के गृहमंत्री से अखिल भारतीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय प्रसारण में इसकी घोषणा भी करवा दी जाय कि ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम केरल के सी.आर.पी. विद्रोही सैनिक अपनी-अपनी ड्यूटी पर वापस आ गये हैं और वहां की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है । जो कर्मचारी बहाल नहीं हो सके हैं, उनके मामलों में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा । राष्ट्रीय प्रसारण से उस रात्रि गृहमंत्री श्री चव्हाण का सन्देश सुनकर वे सभी काफी प्रसन्न हुये थे । इस प्रकार मैं व श्री अय्यर आर्मड फोर्स के भंयकर विस्फोट से उत्पन्न प्रतिशोधात्मक एवं हिसंक वातावरण में अपनी जान की परवाह किये बगैर सी०आर०पी०एफ० के विद्रोह को शान्त करने में सफल हुये थे । खेद की बात है कि वीरता का पुलिस पुरस्कार ऐसे जान-जोखिम वाले कार्यो में नही दिये जा सकते है ।

पूरे एक माह पल्लीपुरम, केरल में रहने के बाद जब हम लोग हैदराबाद लौटकर

आये, तब हमारे परिवारों के सभी सदस्य भी, जो बड़े घबराये हुये लग रहे थे, मिलने के बाद प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। वे बार-बार हम लोगों को हवाई अड्डे हैदराबाद पर तिरछी नज़रों से देख रहे थे। इतनी गम्भीर अव्यवस्था में महीने भर करीब-करीब कैद रहने के बाद भी हमारा मनोबल काफी ऊँचा था। अन्त में भारत सरकार के गृह मंत्रालय व डी०जी०, सी०आर०पी०एफ० ने हम दोनों के धैर्य, हिम्मत एवं अनुभवी कदमों की बड़ी सराहना की और हमारी संस्तुति, कि गम्भीर अपराध करने वाले ४३ विद्रोहियों को सेवा में कतई बहाल न किया जाय अन्यथा वहां अनुशासनहीनता का वातावरण हमेशा बना रहेगा, को भी स्वीकृति दे दी। भारत सरकार ने अन्त तक इन ४३ बलवाई विद्रोहियों को सेवा में बहाल नहीं किया। सरकार पर साम्यवादी समर्थकों द्वारा बड़ा दबाव पड़ा कि उन्हें भी सेवा में वापस ले लिया जाय, फिर भी, केन्द्रीय शासन ने हमारी संस्तुति को पूर्ण मान्यता दी थी।

२२

उत्तर-पूर्व भारत में भूमिगत उपद्रवों से आमना-सामना

सी०आर०पी०एफ० हैदराबाद के डी०आई०जी० रेंज होने के नाते मुझे मणीपुर मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश में तैनात सी०आर०पी०एफ० बटालियनों द्वारा भूमिगत तत्वे "इनसरजैन्टस" की गतिविधियो पर नियंत्रण रखने की आपरेशनल जिम्मेदारी मिली थी। उन दिनों वहां की स्थिति बहुत ही उग्र हो गयी थी। कुछ वर्ष पहले मिजोरम के आई०जी० श्री घमण्डी सिंह आर्य (आई०पी०एस० उत्तर प्रदेश) को भूमिगत तत्वों द्वारा कुछ अन्य अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय में ही मार दिया गया था। महामहिम राज्यपाल के काफिले को भी उड़ाने का प्रयास किया गया था। मिजोरम और आइजोल में ही प्रायः भूमिगत विद्रोहियों द्वारा फौज तथा अर्ध-सैनिक बलों पर गोलीबारी भी अक्सर की जाती थी। मणीपुर में राजधानी इम्फाल में, चूड़ाचांद्पुर, करोंग, सेनापति, तामेनलोंग में भी अक्सर सी०आर०पी०एफ० तथा बी०एस०एफ० के अधिकारियों के "कन्वायों" पर 'माइन्स' लगाकर रिमोट कन्ट्रोल से उड़ा देने के प्रयास बराबर होते रहते थे। परिणाम-स्वरूप हादसे भी होते रहते थे। "इनसरजैन्सी" के विरुद्ध हमें बराबर आपरेशन करने पड़ते थे सी०आर०पी०एफ० की २९वी बटालियन इम्फाल में तथा ३०वीं बटालियन इम्फाल करोंग रोड पर निगरानी करती थी ताकि पी०एल०ए० मणीपुर विद्रोही सेन्ट्रल आर्मड फोर्स को एम्बुश न कर पायें। उधर नागालैण्ड के विद्रोही असम बार्डर पर हमला करके आसामियों को मारकर उनकी जमीन एवं जंगलों पर कब्जा कर लेते थे।

मै मिजोरम, मणीपुर, आसाम व अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त अपनी सभी बटालियनें एवं आपरेशनल एरिया का भ्रमण कर चुका था। रोड यात्रा के समय मेरी गाड़ी के आगे सशस्त्र पायलट जीप तथा पीछे लाईट मशीन गन आदि शस्त्रों व गोला बारूद से लैस फोर्स

रूट में चलती थी। सुरक्षा की दृष्टि से तीनों गाड़ियों को आवश्यकतानुसार हरे पेड़ों की टहनियों से आच्छादित करके "कैमापलैज" करके तरकीब से आगे बढ़ना ही उचित रहता था। बटालियन हैडक्वाटर से बराबर वायरलैस से सम्पर्क बनाये रखा जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स तुरन्त बुलाई जा सके। वहां वी०आई०पी० मूवमेन्ट के कार्यक्रम को गुप्त रखना पड़ता था। खतरनाक क्षेत्रों में जहां सड़कें घुमावदार और पहाड़ियों तथा जंगलों से ढकी होती थीं ज्यादातर भूमिगत तत्वों के ठिकाने थे, वहां पर वी०आई०पी० के निकलने के पहले हमें "रोड स्टाकिंग, पैट्रोलिंग, स्काउटिंग" करानी पड़ती थी। पूरा वातावरण असुरक्षा एवं भयपूर्ण रहता था। जब तक मैं नार्थ ईस्ट के इलाकों के आपरेशनल एरिया में रहता था, हैदराबाद में सरला जी व बच्चे बड़े सहमे रहते थे और मेरी वापसी पर बच्चे मुझसे चिपट जाते थे। बेचारी सरला जी दूर से ताकती रहती थीं। कभी-कभी उनके उद्‌गार बहुत ही गम्भीर एवं मार्मिक होते थे और मुझे रोमांचित कर देते थे। आगरा में जब मैं १५ वीं बटालियन पी०ए०सी० का सेनानायक था, तब चम्बल के बीहड़ों में भी बागियों के गिरोहों के साथ हफ्तों तक पीछा करते हुये घर से दूर बिताने पड़ जाते थे, जिससे वे परिचित थीं। अनुभव के आधार पर मेरे उत्तर पूर्व के दौरे पर वह घबराती अवश्य थीं पर धीरज रखती थीं। मैं जब उत्तर पूर्व भारत जाकर आपरेशनल एरिया की स्थिति को सुदृढ़ करके हैदराबाद लौटता था तो सरला जी व बच्चों को विद्रोहियों व सुरक्षा बलों के संघर्ष की कहानियां भी सुनाता था तथा वहां के नैसर्गिक सौन्दर्य की प्रशंसा भी खूब बखान करता था। वहां के हरे भरे वनों एवं सुन्दर पर्वत मालाओं से आच्छादित मनोहारी स्थानों का खूब विस्तार से वर्णन करता था। वहां अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों एवं जवानों के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वहां के विद्रोही पंजाब, कश्मीर एवं नक्सली आतंकियों से किसी हद तक आगे ही थे, पीछे नहीं और बराबर वहां वसूली करते रहना, भारत के सीमा पार के पड़ोसी देशों, बर्मा व बांगला देश में ट्रेनिंग व आधुनिक हथियार प्राप्त कर, सेना व सुरक्षा बलों के लिये हमेशा सिर दर्द रहते थे। वे अपने द्वारा बनाये गये कानूनों का मालिक की भांति पालन करते थे और करवाते थे। उन्हें स्वार्थी राजनेताओं का छिपा हुआ समर्थन भी भरपूर प्राप्त था जिसके कारण वहां की प्रादेशिक तथा केन्द्रीय दोनों प्रकार की एथारिटीज को हमेशा ही परेशानी रहती थी। वहां की समस्याओं का हल अंकगणित के फार्मूले के तहत नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षों से उत्तर पूर्व में चली आ रही अलगाववादी समस्या का अभी तक कोई स्थाई हल नहीं निकल सका है। देश की मुख्य धारा संस्कृति से उन्हें पूरी तरह जोड़ने के प्रयासों को भी समय-समय पर झटका लगता रहता है। ऐतिहासिक व क्रिश्चियन मिशनरियों की गतिविधियों के कारण सम्प्रभु ईसाई गणराज्य बनाने के प्रयास

अन्दरूनी तौर पर अभी भी चलते रहते है ।

मै यहां पर वहां की अर्ध-सैनिक बलों की गतिविधियों व दुष्वारियों को व्यक्त करने के लिये एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ । हमारी २९वीं बटालियन सी०आर०पी०एफ० के सहायक सेनानायक श्री एन०एन० मिश्रा इम्फाल में एक गुप्त सूचना पर काम्बिंक आपरेशन करने गये । उनकी टुकड़ी पर सशस्त्र भूमिगत विद्रोहियों (लिब्रेशन ग्रुप) ने जबरदस्त हमला बोल दिया । मिश्रा जी बाल-बाल बचे, बड़ी चतुराई एवं अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करके उन्होंने विद्रोहियां पर अपनी टुकड़ी से धुआंधार जवाबी गोलीबारी कराकर उन्हें गोला-बारूद सहित आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया । उपरोक्त मुठभेड़ के लिये उन पर विद्रोहियों द्वारा मुकदमा चलाया गया । वहां के न्यायालय ने उसकी कार्यवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर दी थी । मिश्रा जी को न्यायालय में साक्ष्य देते समय जान से मार डालने की धमकियां दी जाने लगी थी । सी०आर०पी०एफ० हैडक्वाटर, दिल्ली को जब उक्त सूचना दी गयी तो श्री राज गोपाल महानिदेशक ने २९वीं बटालियन के सेनानायक श्री बोपाराय को आदेश दिया कि न्यायालय में साक्ष्य के समय सहायक सेना नायक श्री एन०एन० मिश्रा की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाय । मुझे भी उक्त सम्बन्ध में हैदराबाद से मणीपुर जाकर सारी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । विद्रोहियों की ओर से रोजाना धमकियां हम लोगों के खिलाफ आ रही थीं । बहरहाल न्यायालय के जिस कक्ष में साक्ष्य ली जानी थी उस सारे भवन को मैंने तथा सेनानायक बोपाराय ने सुरक्षा की दृष्टि से खूब मजबूत कर दिया था । पुलिस एवं सी०आर०पी०एफ० के जवानों को चप्पे-चप्पे पर लगा दिया था । अचानक हमला होने पर उसे कैसे विफल किया जायेगा उसकी भी योजना बना दी थी । मिश्रा जी को साक्ष्य की तिथि के पहले की रात्रि को ही ऑफिसर्स मैस में सोने के लिए बुला लिया था । वहां पर मै भी ठहरा हुआ था । मैस की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गयी थी ।

उस रात मैस में एक बड़ी विचित्र घटना घटी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है । रात में मैंने मिश्रा जी को जल्दी भोजन कर अपने पास के कमरे में सो जाने के लिए भेज दिया था । उनके कमरे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अन्य सहायक सेनानायक श्री अहलावत को उसी कमरे में सोने के आदेश दिये थे । मैस, सुरक्षा गार्डो से चारों तरफ से घिरा हुआ था । ठीक मध्य रात्रि में मिश्रा जी गहरी नींद में सोये हुये थे और श्री अहलावत अक्यूपन्चर की पुस्तक के अध्ययन में मस्त थे । अचानक अहलावत ने पुस्तक में लिखी हिदायतों के अनुसार बिना कुछ सोचे-समझे बगल में सो रहे मिश्रा जी के दाहिने हाथ की में सुई घुमा दी । मिश्रा जी नुकीले स्पर्श के कारण जाग उठे और चारपाई पर उछलकर खड़े होकर चिल्लाने लगे कि बचाओ उन्हें किसी ने गोली चलाई है । वह चिल्ला-चिल्लाकर सुरक्षा गार्डो को भी पुकारने

लगे। कुछ गार्ड अपनी पोस्ट से भागकर मिश्रा जी के कमरे में पहुंच गये थे। शोर सुनकर मैं भी वहां तुरन्त पहुंच गया था। मेरे हाथ में मेरी तनी हुई रिवाल्वर थी। चारों तरफ के सन्तरी बन्दूकें ताने-गार्ड होशियार, गार्ड होशियार की आवाजें लगा रहे थे। मिश्रा जी अपनी चारपाई पर खड़े थे और श्री अहलावत उन्हें लेटाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने मिश्रा जी को चारपाई से नीचे उतारा। मेरे पूछने पर मिश्रा जी ने पूरे घटनाचक्र का वर्णन किया। बाद में अहलावत ने एक्यूपन्चर की सुई का प्रयोग अनजाने में मिश्रा जी पर कर देने की बात स्वीकारी और माफी मांगी। अच्छा खासा हंगामा हो गया था। मैंने सन्तरियों को उनके स्थानों पर वापस भेजा। श्री अहलावत को उनकी अजीब हरकत के लिये बहुत फटकारा। उनकी नादानी के गम्भीर परिणाम हो सकते थे। सन्तरियों के मध्य हड़बड़ाहट से आपस में क्रास फायरिंग हो सकती थी और गलतफहमी में लोगों की बिना वजह जानें भी जा सकती थी।

अगले दिन मैं मिश्रा जी को अपनी गाड़ी में बैठाकर साक्ष्य हेतु न्यायालय में ले गया था। सुरक्षा के लिए स्कॉर्ट गाड़ियां साथ में थीं। कड़ी सुरक्षा प्रबन्धों के बीच मिश्रा ने न्यायालय में अपना बयान दिया था। तत्पश्चात मैंने खैरियत की सूचना डायरेक्टर जनरल सी.आर.पी.एफ. राजगोपाल जी को तुरंत दे दी थी। मैंने स्वयं भी बड़ी शान्ति का अनुभव किया था। सरला जी को मैंने पूरा दृष्टांत जब फोन पर सुनाया था तो वे भी अहलावत जी की नादानी पर खूब हंसी थी। एक बड़ी चुनौती समाप्त हो जाने पर उस रात्रि को सेनानायक बोपाराय ने २९वीं बटालियन की मैस में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। जिसमें मणीपुर के डी०जी० श्री बजरंग लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मैनन तथा ब्रिगेडियर प्रेम गुप्ता भी सम्मिलत हुये थे। पार्टी जोरों पर चल रही थी। एक बड़े जश्न मनाये जाने का पूर्ण दृश्य था। बैण्ड अच्छी-अच्छी धुनें बजा रहा था। श्री मैनन इतनी अधिक शराब पी गये थे कि वे होश में नहीं थे और बार-बार डी०जी० श्री बजरंग लाल की खुलेआम भर्त्सना कर रहे थे और उन्हें मणीपुर की भूमिगत गतिविधियों को समाप्त नहीं कर पाने का दोषी बताते थे और बोपाराय को बार-बार सम्बोधित करके कहते थे कि क्यों नहीं सक्सेना को व आपको मणीपुर का चार्ज देकर यहां की इन्सरजैन्सी को समाप्त किया जाय। बजरंग लाल, मैनन के व्यवहार से दुखी हो रहे थे। दोनों एक दूसरे से नशे में भिड़ भी जाते थे। तब मै व ब्रिगेडियर गुप्ता बीच-बचाव में लग जाते थे। बड़ी मुश्किल से वहां का वातावरण कुछ देर को ठडा रह पाता था और थोड़ी देर बाद ही फिर भड़क उठता था। अतः मैंने तुरंत खाना लगवा देने के आदेश दे दिये थे और सबको खाने की मेजों पर पकड़-पकड़ कर पहुंचाना शुरू कर दिया था। खाने के तुरंत बाद ही ब्रिगेडियर गुप्ता ने फौरन जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह परेड पर जाना था। मैंनें उन्हें बाहर जाकर विदा किया। श्री मैनन अभी

भी मश्त थे। आई०ए०एस० अधिकारी होने के नाते उन्होंने जोर-जोर से कहना शुरू किया कि वह इस रात्रि भोज में उपस्थित मणीपुर स्टेट के वरिष्ठ अधिकारी है। अतः सबसे पहले उनकी गाड़ी को मैस से विदाई दी जानी चाहिए थी। बिगेडियर गुप्ता को उनसे पहले कैसे जाने दिया गया। वह जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि ब्रिगेडियर उनसे पहले कैसे चला गया, यह तो प्रोटोकाल का ब्रीच है और उनका अपमान हो गया है। मैने उन्हें अभिवादन कर गाड़ी में बैठाया और ड्राईवर को तुरन्त स्टॉर्ट करके ले जाने का इशारा किया। श्री बजरंग लाल जी, मैनन के बाद गये, पर मैनन के बारे में उन्होंने बड़ा भला-बुरा कहा। मैने उन्हें सब भूल जाने को कहा। बजरंग लाल जी के चले जाने के बाद वातावरण शान्त हो गया था। रात्रि २ वजे पार्टी समाप्त हुई थी। उस रात मैने मिश्रा जी को व अहलावत को अलग-अलग कमरों में सोने भेजा था, क्योंकि डर था कि कहीं बीती रात की तरह पुनः एक्यूपन्चर की सुई का प्रयोग कहीं अहलावत जी फिर न कर बैठे और फिर हगांमा खड़ा कर दें।

मणीपुर से हैदराबाद लौटकर मैने वहां की सम्पूर्ण कथायें पूर्व में भी सरला जी को सुनाई थी। वह वहां के रहन-सहन, सामाजिक परिवेश एवं क्रियाकलापों को जानने की वड़ी इच्छुक रहती थी। वे अति संवेदनशील लेखिका भी थी। अतः भूमिगत आतंकवादी स्थितियों की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें वहां आतंकवाद एवं सुन्दर पहाड़ियों के सौन्दर्यपूर्ण जीवन शैली के बारे में (ऑल इंडिया रेडियो) हैदराबाद से एक वार्ता भी प्रसारित की थी। पर्वत की चोटियों पर स्थित हरे वनों के आकर्पक दृश्य नेशनल हाईवे की टेढ़ी-मेढ़ी घुमावदार सुन्दर घूमती हुई सड़कों का वर्णन तथा जगह-जगह पानी के छोटे-छोट जलाशय जो वहां के जनजीवन के समस्त क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं, की सुन्दर कल्पनायें जो उन्होंने अपने रेडियो वार्ता में बयान की थी वे मेरे द्वारा ही उन्हें बतायी गयी थी। किन्हीं-किन्हीं जलाशयों में खिली हुई शिरोय-लिली इतनी सुन्दरता बिखेर देती है कि वहां के लोग उसे "पैराडाइस फ्लावर" की संज्ञा देते है। कहते है कि विश्व में इस प्रजाति की लिली अन्य किसी स्थान पर नही पाई जाती है। वहां से सी०आर०पी० के अधिकारियों के साथ मै भी दो-तीन मणीपुरी भोजों व नृत्यों में सम्मिलित हुआ था। वहां के मूल निवासी जंगल में छोटे मकान बनाकर रहते है। नवयुवक व नवयुवतियां बहुत ही गोरे वर्ण के सुन्दर एवं आकर्षक होते है जो भारतीय एवं मगोलियन सुन्दरता के मिश्रण प्रतीत होते है। लड़कियां हैण्डलूम की चटकीली रंग- बिरंगी स्कर्ट एवं ब्लाउज तथा लड़के जीन्स चढ़ाये रंगीन चैक के साल लपेटे हुये स्वच्छन्दता पूर्वक बाजार में विचरण करते रहते हैं। रात्रि में अपने घरों में चावल से बनी मादक देशी मदिरा का प्रयोग करके अधिक आयु वाले लोग पश्चिमी गीतों की धुनों और ताल पर थिरकते है। आपस में परिणय सम्बन्ध अथवा यौन क्रीड़ायें वहां के जीवन में

स्वाभाविक बात है पर गैर-मणीपुरी निवासी युवकों के साथ यौनाचार एकदम वर्जित है। बाहरी लोगों से प्रेम सम्बन्ध हो जाने की दशा में मणीपुरी कन्याओं से उसे विवाह करना आवश्यक है, अन्यथा उस क्रम में हत्या कर देना उनके लिए साधारण सी बात है। प्रेम हो जाने पर मेरे एक आई०पी०एस० के साथी को तो बकायदा वहां की एक सुकन्या से पूर्ण औपचारिक रूप से विवाह भी करना पड़ा था। वह बहुत ही सफल दम्पत्ति बने। सरला जी ने अपनी रेडियो वार्ता में मणीपुर के धार्मिक रीत-रिवाजों और संस्कृति के बारे में काफी विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने वहां के प्रसिद्ध मन्दिर विष्णुपुर व गोविन्द जी मन्दिर के बारे में बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत किया था। वहां अधिक उम्र की मैती स्त्रियां अन्य भारतीय नारियों की तरह माथे पर चन्दन व तिलक लगाती हैं। मणीपुरी नृत्य तो अधिकांशतः राधाकृष्ण शैली पर आधारित होते हैं। साधारण परिवार की स्त्रियां वहां की मुख्य उपजें साग, सब्जियां, नीबू, नारंगी व अनानास बाजारों में बेचती है। बांस का फर्नीचर, हैण्डलूम के शाल-दुशाले और टसर सिल्क के कपड़े एवं साड़ियां वहां बहुत अच्छी बनती है। बिजली के छोटे-छोटे तापघर डीजल आयल से चलते हैं। प्रौढ़ स्त्रियां धार्मिक है। धूमपान में स्त्रियों की रुचि पुरुषों के समान है। मणीपुर भौगोलिक दृष्टि से नागालैण्ड, म्यांमार (बर्मा), मिजोरम तथा आसाम से जुड़ा है। सन् १९७२ में मणीपुर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। लैफ्टीनेन्ट गवर्नर का दर्जा अब वहां के गर्वनर का है। वहां श्री एल०पी० सिंह बिहार के योग्य आई०सी०एस० अधिकारी लैफ्टीनेन्ट गवर्नर रह चुके है। श्री सिंह भारत सरकार में केन्द्रीय गृह सचिव रहे चुके थे। अपने सेवाकाल में वहां के इन्सरजेन्ट ग्रुप खासकर पीपुल्स लिब्रेरेशन आर्मी (पी०एल०ए०) मणीपुर का कांगली पैक ग्रुप भयंकर अपराध करके फौज तथा अर्धसैनिक बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मेरी किताब का परिवेक्ष बहुत बड़ा न हो जाय, अतः मै वहां के इनसरजेन्सी पर प्रकाश डालने के लिए यहां एक घटना को ही बताना काफी समझता हूं। मणीपुर के पी०एल०ए० ग्रुप ने एक रात वहां के एक विलेज वालंटियर फोर्स की बटालियन हैडक्वाटर पर जहां एक पूरी कम्पनी का गार्ड लगा हुआ था, के कैम्प पर कामयाब हमला करके उसे मिनटों में बर्बाद कर दिया था। वी०वी०एफ० कैम्प में एक साथ ६ सन्तरी पहरा देते थे। कैम्प पर ही क्वार्टर गार्ड बनाया गया था। क्वार्टर गार्ड के पास एक कमरे में कम्पनी के असलहे व ग्रिनेड आदि रखे जाते थे और उसके पास एक बैरक में रिजर्व ड्यूटी पर १२ सिपाही राइफलों सहित विश्राम में रहते थे। वे गार्ड द्वारा वार्ननिंग सिंगनल प्राप्त होते ही क्वार्टर गार्ड व मैगजीन की सुरक्षा हेतु उसे कवर फायर देते थे। कम्पनी के अन्य अधिकारी व कर्मचारी वहीं पर अपने-अपने क्वाटरों में परिवार सहित रहते थे। रात्रि २ बजे जब हल्की वर्षा हो रही थी और चारों ओर अन्धेरा था, पी०एल०ए० विद्रोहियों की एक टुकड़ी ने

अचानक छापा मारकर सभी सन्तरियों को पीछे से आकर पकड़ लिया और उनके होठों को चिपकने वाले टेपों से बन्द कर दिया ताकि वे शोर न कर सकें और तुरन्त पास की बैरक व मैगजीन पर धावा बोल दिया था। बैरक से कोई भी बी०बी०एफ० का सिपाही बाहर नहीं निकल सका क्योंकि बैरक का दरवाजा एक ही था और वहां से ही पी०एल०ए० आतंकवादी उन पर फायरिंग कर रहे थे। मिनटों में उन्होंने सारे के सारे १२ सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और पलक झपकते ही मैगजीन व आरमरी से वहां की सारी राइफलें, कारतूसें, ग्रीनेड आदि अपनी जीपों में लादकर तथा होंठ सिले सन्तरियों की राइफलें छीनकर भाग निकले। इस घटना से चारों तरफ आतंक छा गया था। घटना स्थल पर जाकर और वहां की वीभत्स स्थिति देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गये थे।

वहां की एक और खूँरोजी का जिक्र यहां कर दूं जो सी०आर०पी०एफ० की दिलेरी से जुड़ी है। सी०आर०पी०एफ० की खतरनाक इलाकों में स्थित कुछ पोस्टों पर पीने के पानी की बड़ी किल्लत रहती है। अतः बड़े-बड़े ट्रकों को पानी के टैकरों में तबदील कर लिया गया है, जिनके द्वारा अच्छे स्रोतों से पानी भरकर इन पोस्टों पर पानी पहुंचाया जाता है। उन टैकरों पर सुरक्षा की दृष्टि से एक हैड कान्सटेबिल व चार हथियार बन्द सिपाहियों की ड्यूटी भी लगायी जाती है। ऐसा ही एक टैकर एक जोखिम भरे स्थान की पोस्ट पर पानी देने गया था। वहां पानी पहुंचाने वाली पार्टी को पोस्ट द्वारा चाय नाश्ते का प्रबन्ध किया जाता है। पोस्ट पर उस समय ४-५ मणीपुरी लड़के भी खड़े थे जो अक्सर ही वहां आया जाया करते थे। रोजाना की तरह वे रंगीन चौखाने वाले शाल ओढ़े सी०आर०पी०एफ० के जवानों से बातचीत करते रहे। सी०आर०पी०एफ० की टैकर वाली आर्मड पार्टी जब चाय पीकर टैकर पर जाकर बैठ गयी थी तब उन्हीं मणीपुरी लड़कों ने अचानक टैकर के गार्ड पर अपने शालों में छिपे हुये आधी नाल की शाटगनें निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करके पोस्ट के संतरी सहित सबको मार गिराया। पूरी पोस्ट खून से नहा गयी। आतंकी लड़कों ने मृतकों के असलहे लेकर अपनी पास में खड़ी जीप में रखकर भागना शुरू कर दिया था। किस्मत से ड्राईवर बदुरूद्दीन जो टैकर के नीचे लेटा हुआ नट बोल्ट कस रहा था, छिपा हुआ सब देख रहा था। उसमें गजब की हिम्मत थी। तुरन्त टैकर के नीचे से बाहर आकर अपने सभी साथियों की लाशें देखकर उसने आह तो अवश्य भरी पर अपना साहस नहीं छोड़ा और अपनी राईफल से भागते आतंकियों की जीप पर बहादुरी से फायरिंग जिससे दो उग्रवादी जीप के अन्दर ही धाराशायी हो गये और एक गोली टायर पर लग जाने से जीप भी वहीं खड़ी हो गयी। उग्रवादी अपने-अपने असलहें लेकर जान बचाकर भागने लगे। बदरूद्दीन फायरिंग करता रहा पर अब आतंकी उसके निशाने के बाहर हो गये थे। इस प्रकार बदरूद्दीन की कर्तव्यनिष्ठा, अच्छी ट्रेनिंग एवं अद्भुत वीरता के

फलस्वरूप सी०आर०पी०एफ० भी जवाबी कार्यवाही कर पायी । शिलांग में आये सी०आर०पी०एफ० के आई०जी० श्री दत्ता चौधरी ने भी बदरूद्दीन की बहादुरी की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उसकी असाधारण वीरता के लिए भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा उसे पुलिस पदक से सम्मानित कराया ।

मिजोरम व अरूणाचल प्रदेश के भूमिगत आन्दोलनों के बारे में भी थोड़ा बहुत बयान कर दूं । यद्यपि मिजोरम अब पहले से काफी शान्त है । श्री घमण्डी सिंह आर्य यू०पी० कैडर के आई०पी०एस० वर्ष १९७४-७५ में आई० जी० मिजोरम थे । उनके मुख्यालय एजल में ही उन्हें गोली मारी गयी थी । उस समय वहां भूमिगत आन्दोलन बड़ी तेजी पर था पर अब स्थिति नियंत्रण में है । मै राजधानी "एजल" में अपनी बटालियन की अग्रिम पोस्टों का निरीक्षण करने में काफी सर्तक रहता था । उसी दौरान वहां के आई०जी०, लिड्लि साहब से मैने सचिवालय स्थित उनके मुख्यालय पर उनसे मुलाकात की थी । वहां के स्टेडियम में मैंने स्पोर्ट मीट देखी थी । लैप्टीनेन्ट गवर्नर कोहली जो पूर्व में नेवी के एडमिरल थे, द्वारा उदघाटन किया गया था जहां पर सुरक्षा की भारी व्यवस्था मेरे फोर्स द्वारा की गयी थी । बड़ी शालीनता से भव्य उद्घाटन कार्य सम्पन्न हुआ था जिसके लिये मुझे माननीय कोहली जी ने एवं लिड्लि साहब ने पर्याप्त धन्यवाद दिया था । मिजोरम की मनोहरी पहाड़ियां म्यानमर, त्रिपुरा, असम एवं मणीपुर से घिरी है । वहां अभी भी कोई हवाई अड्डा नहीं था । वायुदूत सेवा को चालू करने के लिये एक हवाई पट्टी बनाने की योजना जरूर उस समय बनायी जा रही थी । हरियाली से ढकी पर्वत श्रृखलायें तथा मनोरम घाटियां दूर-दूर तक मनोहारी छटा बिखेरती है । वहां चारों तरफ नारगी, नीबू, अन्नानास तथा पपीतों से लदे पेड़ व टोपियोका की फसलें दूर-दूर तक देखाई देती है । चावल की खेती दूर से ऐसे लगती है मानो पृथ्वी ने धानी चुनर पहन रखी हो । वहां को अदरक बिना रेशे की होती है । मिजोरम में उद्योगधंधे न होने के कारण गरीबी अधिक है । अतः मिजोरम से सिलचर मुख्य मार्ग पर फौजी गाड़ियों, बी०एस०एफ० व सी०आर०पी०एफ० पर घात लगाकर हमले की वारदाते हो जाना बड़ी बात नहीं थी । स्टेट रीआरगेनाइजेशन एक्ट १९७१ के द्वारा मिजोरम असम से कटकर अलग प्रदेश बना था जिसमें बर्मा व चीन बार्डर के लुसई पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल थे । वहां का भूमिगत आन्दोलन मिजो नेशनल फ्रंट ने बड़े पैमाने पर चलाया था जिसके प्रमुख नेताओं में लाल डेंगा भी थे । मिजो विद्रोहियों की फुर्ती के सामने सेना व सुरक्षा बलों को भी सामना करने में कठिनाई होती थी । मिजोरम के दौरे पर मेरा संगीन वारदात से सामना नहीं हुआ था ।

अरुणाचल प्रदेश के दौरे तो और भी आनन्दकारी थे । अरुणाचल प्रदेश में उग्रता काफी कम है । प्रदेश की राजधानी ईटानगर सुन्दर-सुन्दर पहाड़ियों से घिरी हुई है । यहां भाग्य से प्रकृति

के साथ मनुष्य ने कम से कम खिलवाड़ किया है। ईटानगर में उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी श्री के०पी० श्रीवास्तव आई०जी० रहे थे। मै उनसे मिलने पुलिस मुख्यालय गया। वहां जाकर पता चला कि वे सेवानिवृत्त होकर इलाहाबाद चले गये है। उस समय ए०आई०जी० प्रकाश सिंह ही आई०जी० का कार्यभार देख रहे थे। वहां की समस्याओं की जानकारी मैंने उनसे व सी०आर०पी०एफ० के कमांडेन्ट शर्मा जी से प्राप्त की थी। वहां चीन का इन्टरनेशनल बार्डर होने के कारण भारत सरकार द्वारा इनरलाइन रेग्युलेशन लगाया गया था। अतः वहां आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता होती है ताकि वहां अन्य स्थानों से ट्राइवल्स या चीनी घुसपैठ न कर सकें। मै दौरा करते हुये तवांग क्षेत्र में पहुंच गया था जहां भारत व चीन की फौजों के बीच वर्ष १९६२ में घमासान युद्ध हुआ था। वहां हिमाच्छादित वर्फीली सर्दी थी। वहां ऊँचाई पर एक विशेष प्रकार का 'आप्सू' जाति का झब्बे बालों वाले छोटी नस्ल के कुत्ते पाये जाते है। भूरे रंग के कुत्तों की एक जोड़ी मैने भी वहां से ली थी जो कई वर्षो तक हमारे पास रहे थे, जिन्हें हमारी रश्मि व माधवी शैरी/ब्राउनी के नामों से पुकारती थी। बड़ा खूबसूरत प्यारा जोड़ा था। सरला जी भी बड़े स्नेह से शैरी व ब्राउनी की सेवा करती थीं।

ईटानगर में मै वहां के मुख्यमंत्री अपांग साहब से मिला था, वे बड़े ही सज्जन लगे थे। उस समय वे नवयुवक भी थे। बहुत देर तक मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वहां के पुलिस रिफार्म के बारे में बातचीत की थी और बहुत सी मेरी बातें उन्हें पसन्द आयी थी। वे के०पी० श्रीवास्तव (आई०जी०) के प्रशंसक थे। लगता है कि वे मेरे सुझावों से इतने प्रभावित हो गये थे कि उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में समुचित जलपान कराया था। कार्यालय से बाहर निकल कर उन्होंने मुझे कार तक विदाई दी। अरुणाचल प्रदेश खासकर ईटानगर मुझे बहुत ही प्रिय लगा था। अरुणाचल प्रदेश में प्रचण्ड वेग से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम दरांग है, उसे सारो ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहते है। हाफलांग के पास इस नदी में मुझे एक बड़े भारी पेड़ का पूरा तना नदी किनारे पड़ा मिला था जिसमें तमाम बड़े-बड़े पत्थर फंसे हुये थे। मैं फासिल वाटनी का रिसर्च स्कालर रह चुका था अतः मैने सी०आर०पी०एफ० के जवानों की मदद से उस तने को बटालियन मुख्यालय तक मंगवा लिया था और उसके सारे फंसे पत्थर के टुकड़े बढ़ई से निकलवा दिये थे जिससे वह एक अति सुन्दर जालीदार आडम्बर पूर्ण संग्रहालय योग्य तना दिखने लगा था। लम्बाई ६ फुट से अधिक एवं चौड़ाई करीब २ फीट से ज्यादा थी, पर वजन केवल कुछ ही किलो का था। उसकी नैसर्गिक एवं सहज सुन्दरता से मुग्ध होकर मैं किसी तरह उसे वायुयान द्वारा हैदराबाद ले आया था। आज भी वह मेरे गोल कमरे मे रखा है। सरला जी द्वारा एक छोटा सैन्डीलियर उसके अन्दर लटका दिया गया था, जो आज भी मौजूद हैं और गोल कमरे में चारों ओर अपने जालीनुमा छिद्रों से प्रकाश डालता है और परछाइयां बनाता है, जिसके

दराज सभी के आकर्षण का केन्द्र बना रहता है और मुझे सरला जी की याद हमेशा दिलाता है और हमेशा दिलाता रहेगा और साथ ही मेरे उत्तर पूर्व में बिताये गये संघर्षपूर्ण एवं सुखद व दुखद दोनों ही प्रकार के क्षणों का सदैव मुझे एहसास कराता रहेगा। वह एक निर्जीव पेड़ का जालीनुमा तना है, पर बीते दिनों को याद करने का एक सशक्त अद्भुत शो-पीस है।

२३

नागालैण्ड में पोस्टिंग के दौरान असम छात्र आन्दोलन

मणीपुर, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश के भूमिगत आन्दोलनों व बार्डर समस्याओं से तो मै पूर्ण संघर्षरत रह चुका था। सी०आर०पी०एफ० के नागालैण्ड के डी०आई०जी० श्री राजसिंह के सेवानिवृत्त हो जाने से मुख्यालय दिल्ली ने मुझे नागालैण्ड के डी०आई०जी० का भी अतिरिक्त भार सम्भालने के आदेश थमा दिये। यह आदेश मुझे हैदराबाद में संध्या समय प्राप्त हुये थे जब मै वहां टेनिस खेल रहा था। असमय इस प्रकार के आदेश आ जाने से मै दु:खी था। पर ड्यूटी मेरे लिए हमेशा ही सब काम व आराम से आगे रहती थी। अतः मैंने शीघ्र घर जाकर सरला जी को अगले दिन ही १५ दिन के लिए नागालैण्ड जाने की तैयारी करने को कहा। वे बड़ी पेरशान थी कि कभी मणीपुर में रहे कभी मिजोरम में, अब नागालैण्ड भी जाओ।

नागालैण्ड बहुत सालों से उग्रता की चपेट में था। वर्ष १९६१ में नागा पहाड़ियों में तियोनसांग इलाका जबर्दस्त भूमिगत विध्वसंक आन्दोलन एवं विद्रोह का केन्द्र रहा था। भारतीय सेना के बहुत से जवान चपल नागा विद्रोहियों द्वारा वहां मारे गये थे। नागा विद्रोही फौजी सैनिकों व अधिकारियों को घात लगाकर कई बार जबरदस्त खून खराबा कर चुके थे। नागाओं में अंगामी, जिलियांग, रंगमास, कूकी व विशेषकर सीमा भयानक और तेज हमला करने के लिए माने जाते थे। मैं लम्बी यात्रा करके नागालैण्ड की राजधानी कोहिमा पहुंचा तो वहां शाम हो चुकी थी। हल्की वर्षा भी हो रही थी। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ कोहिमा ठंडा तो था पर अति सुन्दर एवं सुसज्जित लग रहा था। बाजार में खूब चहल-पहल थी। तमाम नव युवक व नवयुवतियां रंग-बिरंगी पोशाकें पहने झुण्डों में, हाथ में हाथ डाले मस्ती से घूम रहे थे। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार कई के हाथों में गिटार था। वे गाने-बजाने

के साथ-साथ रंगरेली में डूबे रहते थे। वहां पहुंचने पर डी०आई०जी०, सी०आर०पी० के स्टॉफ ऑफिसर बिष्ट जी एवं वायरलैस अधिकारी सोनी जी मुझे सीधे ही डी०आई०जी० निवास पर ले आये थे। अभी शाम का समय हुआ ही था पर घोर अन्धेरा हो चुका था और चारों तरफ दूर तक सन्नाटा था। बिष्ट जी ने चाय आदि का अच्छा प्रवन्ध किया था और उसी रात सोनी जी ने अपने एक मित्र जो नागालैण्ड के मंत्री थे, के घर पर मेरा रात्रि भोज तय करा दिया था। इच्छा न होते हुये भी मुझे वहां जाना पड़ा था। मंत्री जी बड़े ही वेतकल्लुफ व डांस तथा संगीत प्रेमी थे और बहु-पत्नी प्रथा के अनुयायी थे। उन्होंने तुरन्त ही अपनी पत्नियों से मुझे मिलाया और वहां के चावल को सड़ाकर बनी विशेष प्रकार की मदिरा पीने को दी। बहुत मना करने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे थोड़ा बहुत पिया था। मंत्री जी तब तक काफी पी चुके थे और जोर-जोर से म्यूजिक वजाकर अपनी पत्नियों एवं वच्चों के साथ नाचने-गाने लगे थे। हमारे सोनी जी भी उनके साथ नाच रहे थे। रात काफी बीत जाने पर मंत्री जी ने खाना लगाने को कहा। इस बीच उन्होंने मुझे वहां के बहु-विवाह सम्वन्धी रीति-रिवाजों के बारे में वताया। दहेज में मिथुन-गायों की संख्या पर वहां के अमीरी का आंकलन का सिद्धान्त वताया। खाने में कई प्रकार के मांसाहारी भोज परोसे गये थे। उन्होंने मेरे "ऑनर" में वहां की सबसे वेहतरीन डिस कुत्ते का मीट एवं विल्ली की अंतड़ियों में पका चावल भी तैयार कराया था। उसे मेरे द्वारा न खाना मंत्री जी के लिए अपमानजनक होता। अतः मैं खाने वैठ तो गया पर बिल्ली की डिस से मेरा जी मिचलाने लगा था। चूंकि मंत्री जी शराव के नशे में धुत थे तथा बातें करने व खाने में कसकर जुटे हुये थे। मै उनकी ऑख वचाकर जो प्रिय सामान मेरी प्लेट में परोस दिया गया था, उसे मैंने धीरे-धीरे डोंगों में वापस डालकर किसी तरह पापड़, चटनी व जैम ब्रेड खाकर अपना पेट भरा। मुझे सरला जी खासकर याद आ रही थी जो अपने पारिवारिक रीति-रिवाजों से शुद्ध सात्विक भोजन लेने वाली थी, पर मेरे कारण मांसाहारी भोजन भी कभी-कभी कर लेती थी। मैं वहां से जल्दी भागना चाह रहा था पर अपनी रस्म के मुताबिक मंत्री जी ने मुझे नागालैण्ड की एक काली लाल धारी वाली ऊॅनी शाल तथा एक विशेष प्रकार से बना वल्लम भेंट स्वरूप प्रदान किया। यह दोनों चीजें मैंने लाकर सरला जी को दे दिये थे। वल्लम अभी भी मेरे ड्राइंग रूम में रखा है और शाल भी किसी बेटी के पास है।

रात्रि विश्राम के बाद मैंने अगले दिन ही डी०आई०जी०, नागालैण्ड के कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार विधिवत ग्रहण किया था। कोहिमा पहुंचने की सूचना दिल्ली मुख्यालय तथा आई०जी०, हैदराबाद को वायरलैस पर पहले ही दे दी थी। फोन पर सरला जी को अपनी सकुशलता के विषय में बता दिया था। अगले दिन मैं नागालैण्ड के आई०जी० शिव

स्वरूप से मिला जो उत्तर प्रदेश कैडर के ही आई०पी०एस० अधिकारी थे तथा मेरे यू०पी० सी०आई०डी० में बॉस रह चुके थे। दिन का भोजन मैंने उनके तथा उनकी पत्नी के साथ ही किया था। श्री शिव स्वरूप जी बाद में मेरे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नई दिल्ली के डी०जी० भी रहे थे और मै उनका (स्टॉफ आफिसर) डिप्टी डायरेक्टर स्टेब्लिसमेन्ट था। पंजाब में सेना द्वारा किये गये "ब्ल्यू स्टॉर ऑपरेशन" के पहले शिव स्वरूप जी को ही प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने पंजाब का ऑपरेशनल कमाण्डर नियुक्त किया था। उनके निर्देशन में ही केन्द्रीय सुरक्षा बल व सीमा सुरक्षा बल दोनों कार्य करते थे। खासकर स्वर्ण मन्दिर में आतंकवादियों द्वारा बनाये गये गढ़ को तोड़ने के लिये। बाद में उनसे जिम्मेदारी हटाकर प्रधानमंत्री ने स्वर्ण मन्दिर में ब्ल्यू स्टॉर ऑपरेशन सेना द्वारा कराया था। ब्ल्यू स्टॉर ऑपरेशन के बाद जब अर्जुन सिंह जी पंजाब के गवर्नर नियुक्त हुये थे तब उन्होंने श्री शिव स्वरूप को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। श्री शिव स्वरूप जी बाद में स्वयं ही पंजाब के गवर्नर बनाये गये थे। वह अत्यन्त ही सरल हृदय, हास्य-विनोद में निपुण बड़े ही कर्तव्यपरायण अधिकारी है। पुलिस के कार्य में वे अद्वितीय क्षमता वाले अधिकारी माने जाते थे। पंजाब के उपद्रव एव अशान्ति की समस्या हल करने की जो उनकी योजना थी वह केवल उन्होंने मुझे ही बतायी थी वह बड़ी जबरदस्त थी। मेरा अनुमान है कि यदि ब्ल्यू स्टॉर ऑपरेशन न होता तो वह योजना अवश्य कामयाब होती। आज भी सेवा-निवृत्त होकर वे शालीनता के साथ रहते है, सिगार पीते है तथा ब्रिज खेलते है। श्रीमती शिव स्वरूप का अब इस संसार में न होने से जरूर उनको बड़ा मानसिक आघात लगा है।

मैंने नागालैण्ड का व्यापक भ्रमण किया था। खासकर जहां आतंकवादी गतिविधियां अधिक उग्र थी और वहां केन्द्रीय सुरक्षा बल की कम्पनियां तथा प्लाटूनों को खासकर लगाया गया था। सबसे ऊंचा, ठंडा व आतंक का पर्यायवाची स्थान मौकोकचौग भी मै गया था जो आओं, बोखा लोथास नागाओं का गढ़ माना जाता है। वहां एक स्थान पर धंसती सतहों का क्षेत्र यानि "सिंकिंग जोन" भी है। यहां फोर्स की गाड़ियों के काफिलों को बड़ी होशियारी से संभाल कर ले जाना पड़ता है। यहां स्थित बटालियन की देख-रेख सेनानायक सरदार सुख चरन सिंह करते थे।

नागालैण्ड में मनोरम पहाड़ियों के अतिरिक्त झूम तथा जीने बनाकर धान की खेती करने की प्रथा है। मैंने वहां की एक सीमेन्ट फैक्टरी को भी देखा था। नागालैण्ड में विजली की कमी नहीं है। सड़कें भी अच्छी है। औद्योगिक विकास सम्भव है पर अशान्ति एवं असुरक्षा के कारण हो नहीं सका है। वहां कीड़ा या पंछी आसानी से उड़ता नहीं दिखाई देता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने हेतु छोटे-छोटे बच्चे उन्हें तुरन्त ही पकड़ कर घर में पक रही

दाल, सब्जी में डाल देते हैं ।

नागालैण्ड, मणीपुर, अरूणाचल प्रदेश व मिजोरम में नियुक्त फौज व पुलिस के अधिकारियों, केन्द्रीय बलों व सिविल सर्विसेज के अधिकारियों, राजनेताओं तथा आम नागरिकों, व्यापारियों, कृषकों एवं उद्योगपतियों के साथ वार्तालाप होने से वहां की कुछ बड़ी राजनैतिक सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक मामलों की मुझे जानकारी हुई । मेरा मानना है कि हमारे देश के सुदूर पूर्वोत्तर सीमाओं की ज्यादातर समस्यायें मानवीय एवं आर्थिक है । पर विदेशी शक्तियों द्वारा देश की एकता को कमजोर करने हेतु विषवमन कर उन्हें विषम बना दिया गया है । विदेशी मिशनरियों ने वहां मैनलैण्ड से आवागमन की कठिनाईयों का फायदा उठाकर वहां की (ट्राईबल) आदिवासी संस्कृति को गैर-भारतीय दर्शाकर देश के मुख्य धारा से विमुख कर दिया है । आजादी के ५० वर्ष बाद भी मिशनरियों द्वारा सामाजिक विघटन की समस्यायें आज भी बनी हुई हैं, जो देश की अखण्डता के लिये खतरा है । वहां आज भी हथियारों से लैस आदिवासी छापामार निरीह व्यक्तियों को गोलियों से भून डालते है और उन्हें अपहृत भी कर लेते हैं । वहां के साप्ताहिक बाजारों में अनियंत्रित आदिवासी छापामार धावा बोलकर अन्धाधुन्ध गोलियां चला जाते हैं । वहां हर बार पैरामिलेट्री बल तथा फौज अक्सर रेड अलर्ट घोषित करते है और आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने के लिये सीमा की चौकसी बढ़ा देते हैं । हमारी सबसे बड़ी यह भूल रही है कि इन समस्याओं को हमने इसे केवल पुलिस/मिलेट्री की लॉ एण्ड आर्डर की समस्या मानकर ठीक करने के प्रयास किये । सम्पूर्ण समस्या का हल शान्ति व्यवस्था की स्थिति को ठीक कर देना मात्र ही समझा । परिणाम हुआ कि जैसे-जैसे इस मर्ज का इलाज हुआ वह ठीक न होकर नासूर बन गया और हम ब्रिटिश हुकूमत की घिनौनी चालों को नहीं काट सके । अंग्रेज कूटनीतिज्ञों ने पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी जीवन में कभी आपसी एकता पैदा नहीं होने दी । सैंकड़ों आदिवासी भाषाओं, बोलियों व रीति-रिवाजों द्वारा एक दूसरे को परस्पर विरोधी बना दिया था । फिर उनको भारतीय मूल का निवासी न होने का पाठ भी उनके मन में रचा-बसा दिया था ।

मैंने जब वहां के जीवन को नजदीक से देखा, परखा, उनके नृत्यों-उत्सवों एवं रीति-रिवाजों को गहराई से देखा तो उनमें भारतीय संस्कृति की साफ झलक दिखाई पड़ी । वहां के मन्दिरों, देवी-देवताओं का श्रृंगार, तिलक, अर्चना, पूजा-पाठ सभी पद्धतियों में भारतीयता टपकती मिली । वहां का खान-पान, वेश-भूषा तथा बोलियों में भिन्नता होते हुये भी अनेकता में एकता की भारतीय छवि दृष्टिगोचर हुई । जैसे आज भी हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार के गांवों में बूढ़ी औरतें बीड़ी अथवा छोटी-छोटी हुक्कियां पीती दिखाई पड़ती है, ऐसे ही वहां की बूढ़ी औरतें भी देशी सिगार अथवा बीड़ी पीती मिलती है । यह

अलग बात है कि कहीं-कहीं पर वहां सिगार के जलते हुये भाग को मुंह के अन्दर ले जाकर धूम्रपान किया जाता है। मणीपुर नृत्य में लहंगे के स्थान पर चोली-घाघरा व एक प्रकार के विशिष्ट स्कर्ट का चलन किसी परिवर्तन को इंगित नहीं करता। नृत्य की भाव भंगिमायें भी राधा-कृष्ण के पारम्परिक नृत्यों पर आधारित हैं। बहुत से किस्से जो महाभारत व पुराणों से सम्वन्धित है, उनकी चर्चा इन इलाकों में भी मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी भगवान श्रीकृष्ण की विवाहिता पत्नी रूक्मणी जी थीं। मणीपुर की राजकुमारी चित्रांगदा पाण्डव पुत्र धनुंधारी अर्जुन से प्रणय सूत्र में बंधित थी। नागा पुत्री हिडम्वा का गदाधारी पाण्डु पुत्र भीम की जीवन संगिनी होने की बात अभी भी यहां प्रचलित है। उक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में आसाम, नागालैण्ड व मणीपुर के सम्वन्ध हस्तिनापुर एवं कुरुक्षेत्र से अभिन्न थे। वहां के मूल निवासी भारतीय थे और वीरता में किसी से भी पीछे नहीं थे। वे भारतीय बहादुरों का वीरोचित सम्मान भी करते थे। तभी कृष्ण व पाण्डव पुत्रों के साथ यहां की कन्याओं के वैवाहिक जीवन व्यतीत करने हेतु अपने आप को प्रणय वन्धन में वांधना स्वीकारा था। मणीपुर में तो कुल आवादी का ५५वां भाग हिन्दू मैतियों का है जहां राधा-कृष्ण के लोक नृत्यों की परम्परा आज भी जीवित है। मिशनरियों ने नागा एवं कूकी आदिवासी लोगों को हिन्दू संस्कृति से विरक्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण यहां ईसाई परम्पराओं का प्रचार एवं प्रसार हुआ। धर्म परिवर्तन भी उनके द्वारा जोरों पर किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीयकरण द्वारा जो व्यापक सुधार होने चाहिये थे वे नहीं हो सके। भ्रष्ट नेताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों के कारण वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा कमजोर व अप्रिय स्थिति में रही। वे न तो सामाजिक दृष्टि से एकीकरण का भाव उत्पन्न कर सके न ही लोगों की जान-माल की ही सुरक्षा दे सके और न ही वहां के जन-जीवन को शान्त एवं समृद्ध बना सके। नेतागण शासन से मिले हुये थे। उनके एजेन्ट है जानकर उन्होंने अपने लोगों को गद्दारों का दर्जा देकर मौत की नींद सुला दिया। भारत सरकार की मिजोरम, नागालैण्ड एवं मणीपुर में एकीकरण की योजनायें बुरी तरह विफल हो गयीं। रेल मार्गो अथवा हवाई मार्गों के न वन सकने के कारण वहां का प्रशासन और भी अपंगु हो गया। सेवाओं में भ्रष्टाचार के आधार पर गलत भर्ती, रिश्वत के वल पर स्थानान्तरण/स्मगलिंग आदि की गलत परम्पराओं से वहां का विकास ही अवरुद्ध हो गया। भ्रष्ट अधिकारियों एवं भ्रष्ट नेताओं की साठ-गांठ से पुलिस फोर्स में उग्रवादियों की घुसपैठ हो जाने से वहां पुलिस का मनोबल तो गिरा ही, साथ ही वहां की पुलिस अविवेकी, अनुशासनहीन एव असावधान वन गयी और इस प्रकार वहां उग्रवाद सब पर हावी हो गया।

इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं हैदराबाद से मणीपुर के

ऑपरेशनल एरिया के दौरे पर था । उन्हीं दिनों नागालैण्ड से वहां सी०आर०पी० के प्रशासनिक डी०आई०जी० हरीसिंह भी आये हुये थे । श्री हरी सिंह सी०आर०पी० में राजस्थान से प्रतिनियुक्ति पर डी०एस०पी० होकर आये थे । कई वर्षो तक सी०आर०पी० में पूर्वोत्तर में रहकर वे डी०आई०जी० के पद तक प्रोन्नत हो गये थे । मै मणीपुर के मैस में अपने अधिकारियों से वहां की ऑपरेशनल स्थिति पर मीटिंग कर रहा था । हरी सिंह जो वही ठहरे थे, तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आये और मुझसे कहा "सक्सेना साहब आइये आपको मणीपुर के एक खास मंत्री जी से मिलवा लायें" । मैने उन मंत्री जी से मिलने का समय पहले ही मांग रखा था । अतः समय मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था । उत्तर प्रदेश के आई०पी०एस० कैडर का अधिकारी होने के नाते मै प्रोटोकाल का अनुसरण करने का आदी था । हरी सिंह ने कहा अरे आइये तो मेरे साथ । मेरे उन मंत्री जी से नजदीक के सम्बन्ध है । अतः किसी प्रोटोकाल की आवश्यकता नहीं है । हम लोग मत्री निवास पर पहुंच गये । वहां सन्तरी ने सलाम किया । पर्सनल स्टॉफ ने श्री हरी सिंह जी को बताया कि मंत्री जी अस्वस्थ है । अतः शयन कक्ष में विश्राम कर रहे है । किसी से भी नहीं मिलने के लिये कहा है । पर हरी सिंह जी उन सबको हटाकर मुझे अपने साथ सीधे मंत्री के शयन कक्ष में ले गये थे । मंत्री जी ने मुझे व हरी सिंह को अपने पास पड़ी कुर्सी पर बैठा लिया । लेटे-लेटे ही बताया कि थकान व बदन दर्द होने के कारण उन्होंने विश्राम करने का मन बनाया था । हरी सिंह ने मेरा परिचय दिया फिर वे मंत्री जी से घुलमिल कर बातें करने लगे । तुरन्त मंत्री जी ने पानी, सोडा व गिलास लाने के आदेश दिये ।

मुझे बड़ा संकोच हो रहा था । किसी मंत्री के शयन कक्ष में जाकर बैठने का यह मेरा पहला अवसर था । हरी सिंह जी ने तुरन्त तीन पैग बनाये । पहला पैग मंत्री जी को पेश किया और दूसरा मुझे । मैने बहुतेरा कहा कि मै तो केवल कभी-कभार ही लेता हूँ, अतः मुझे तो माफ ही कर दें । इस पर हरी सिंह ने कहा कि माफी तो आपको मंत्री जी ही दे सकेगें । तब तक मंत्री जी ने कहा- 'भाई सक्सेना जी यह तो आपके सम्मान में ही पी जा रही है' । अब मस्त होकर मंत्री जी व हरी सिंह वहां की स्टेट पॉलिटिक्स तथा विपक्षी राजनीति के विषय में बतियाने लगे । फिर हम लोगों को बड़े आदर से भोजन के लिए भी आमंत्रित किया । हरी सिंह ने कहा कि मंत्री जी, आज तो हम आपको खाने के लिए अपनी मैस में ले जायेगें । सक्सेना साहब के लिए आज मैस में लखनऊ की बिरयानी पकवाई गयी है । ऐसा लगा कि मंत्री जी उठकर चल देंगे, पर शायद मेरी वजह से कुछ संकोच कर बैठे । बाद में हरी सिंह ने बताया था कि उनके कहने पर मंत्री जी कई बार मैस में बेतकुल्लफी से आये थे । मै हरी सिंह जी के व्यक्तिगत सम्पर्क से प्रभावित हुआ ।

मणिपुर में मुख्यमंत्री श्री दोरेन्द्र सिंह के काल में वर्ष १९७९ से १९८१ तक भूमिगत तत्वों द्वारा उग्रवादी घटनायें काफी वढ़ गयी थी। थानों, जेलों व सेना तथा केन्द्रीय सुरक्षा वलों पर हमले होना कोई खास वात न थी। मौरंग थाने पर उग्रवादियों द्वारा किया गया हमला अति क्रूर था, जिसमें पीपुल्स लिवरेशन आर्मी (पी०एल०ए०) तथा पीपुल्स रिव्योल्यूशनरी पार्टी कांगलीपैक ने खुलकर हिस्सा लिया था। इन भूमिगत तत्वों में पढ़े-लिखे नवयुवक सबसे अधिक सक्रिय थे। पी०एल०ए० को अच्छा जांवाज नेतृत्व 'विसेश्वर' के रूप में मिल गया था जो उस समय की 'मैती' गवर्नमेन्ट का घोर विरोधी था। शासन को अपनी स्थिति सुदृढ़ रखने हेतु "डिस्टर्व्ड एरिया एक्ट" के अन्तर्गत पी०एल०ए०/पी०आ०ई०/पी०ए०के० को वैन करने की दिशा में सोचना पड़ गया था। वहां के उग्रवादी मुख्यमंत्री पर हमला करने को तैयार रहते थे। सेना पर घात लगाकर तो वे हमला करते ही रहते थे। वे सैनिक काफि पर सड़क के दोनों ओर से स्वचालित असलहों से गोली-वारी करके हताहत फौजी सैनिव की राईफल, कारवाईन तथा लाइट मशीनगन भी छीन ले जाते थे। अतः पूर्वोत्तर के दौरों प मुझे भी मणीपुर के इलाके विशेषकर उखरूल व सेनापति में वहुत सतर्क रहना पड़ता थ क्योंकि वहां मंत्री भी विद्रोहियों व भूमिगत तत्वों से मिली भगत रखते थे। इस प्रकार के एक मं का मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ।

चूड़ा चांदपुर उन दिनों शान्त था जो वाद में उपद्रव का केन्द्र वन गया था। यह वटालियन का ऑफिसर्स मैस ऊँची पहाड़ी पर था। मैं चूड़ा चांदपुर की केन्द्रीय सुरक्षा व की मैस में रात विताने अक्सर जाया करता था। मनोरम पहाड़ी पर वसा यह एक वड़ा सुन्द स्थान था। वहां के सेनानायक मोहन लाल गुलेरिया व उनकी पत्नी खासकर उस मैस को वड़ साफ सुथरा व सजा कर रखते थे। वहां के युवा एस०पी० माथुर थे। उनकी पत्नी इलाहावा की निवासी थी। यह दम्पति मेरा वहुत वड़ा सम्मान करते थे और खुलकर ऑपरेशनल रा लेते थे। इस एकान्त और निर्जन स्थान में मुझे वहुत शान्ति मिलती थी।

मिजोरम में सवसे कठिन स्थिति वर्ष १९७४ में थी। फौजो द्वारा चीनी समर्थन भयंकर राजद्रोह हो गया था। वहां के विद्रोही गुरिल्ला हमले कर भारतीय जवानों को भा संख्या में मारने मे सफल हुये थे। फौजियों के कैम्प में घुसकर सिर कलम कर देने व क्ष भर में अंग भंग कर देना उनकी प्रिय युद्धकला थी। वर्मा के जंगलों में उन्हें छिपने व ट्रेनि की पूरी-पूरी सहायता मिलती थी। एक समय वहां लाल डैंगा का वर्चस्व था। वे लंदन के ईसाईयों की मदद से मिजोरम के विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और विशेषकर गैर-मिजो नागरिकों को वहां से खदेड़ने में खुली दिलचस्पी ले रहे थे। वह भारत के साथ स्वतंत्र राष् के सम्वन्धों के पोषक थे। मिजो उग्रवादियों का चीनियों से अति घनिष्ठ सम्पर्क था। भार

सरकार परेशानी में थी, क्योंकि चीनियों के साथ-साथ लाल डैगा पाकिस्तान से भी अच्छे सम्बन्ध बनाये हुये थे। इसी कारण मिजो नेशनल फ्रंट के साथ तालमेल बैठाने पर भारत सरकार बराबर कोशिश में लगी रहती थी और भारी संख्या में फौजी उपस्थिति द्वारा शान्ति बनाये रखने में विश्वास रखती थी।

मिजोरम जाने का मुझे अधिक अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि मणीपुर की आतंकवादी गतिविधियों के कारण मुझे ज्यादा समय वहां ही रहना पड़ता था। वैसे भी मिजोरम में भूमिगत तत्वों का सबसे अधिक जोर वर्ष १९७५ में रहा था। श्री घमण्डी सिंह आर्य, आई०जी० मिजोरम व उनके अधीनस्थ डी०आई०जी० व एस०पी०, आई०जी० कार्यालय में मीटिंग करते समय ही गोलियों से भून दिये गये थे। नागालैण्ड में रहने तथा विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का मुझे केवल कुछ दिनों का समय ही मिला था। वहां डी०आई०जी० का चार्ज लेने पर सी०आर०पी०एफ० की केवल एक बटालियन थी, उसे विशेषकर सचिवालय तथा वी०आई०पी० बंगलों की सुरक्षा में लगाया गया था। सी०आर०पी० पर वहां शासन को अधिक भरोसा था। सेनानायक शर्मा जी अच्छे सुयोग्य सी०आर०पी० अधिकारी थे। अतः उनके कार्यों की ज्यादा निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ब्रिगेडियर साइलो भी प्रभावी मुख्यमंत्री थे। उस समय भारत सरकार द्वारा नागालैण्ड में पानी की तरह पैसा उपलब्ध कराने के कारण वहां उग्रवाद को कम करने में काफी मदद मिली थी। वहां के अधिकतर राजनेता, बड़े अधिकारी व ठेकेदार भारत सरकार के अनुदानों को खाकर पैसे वाले बन गये थे, अतः वे उग्रवादी गतिविधियों को इस कारण जीवित रखना चाहते थे जिससे उन्हें भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा धन बटोरने का अवसर मिले। बहुत से राजनेता व अधिकारी अपने गुप्त सम्बन्ध भूमिगत तत्वों से बनाये रखते थे ताकि भारत सरकार को बराबर चुनौती मिलती रहे। भारत सरकार के प्रयास से वहां सड़को के निर्माण व सीमेन्ट, प्लाईउड व सुगर मिल आदि लगाये जाने से लोगों के जीवन की सुख-सुविधाएं बढ़ गयी थीं। वहां शराब भी खूब बढ़ गयी थी। अब नागा जीवन में शराब, गाना व नाच आदि खूब जोरों पर था। साथ ही साथ वहां के निवासियों को हर प्रकार के करों से मुक्त रखकर उनके जन-जीवन को सुखमय बना दिया था। उनके जीवन में खुशहाली के साथ-साथ वहां के नवयुवक व नवयुवतियों में उन्मुक्त प्रेममय जीवन जीने की उत्कृस्ट अभिलाषा भी बढ़ गयी थी।

मैं अभी नागालैण्ड के ऑपरेशन एरिया का पूरा दौरा नहीं कर पाया था कि उसी बीच गवर्नर के सचिव श्री गुरूंग से मुलाकात करते समय मुझे श्री श्रवण टण्डन, डायरेक्टर जनरल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस व सीमा सुरक्षा बल का एक वायरलेस प्राप्त हुआ था। टण्डन साहब उस समय दोनों ही केन्द्रीय बलों का चार्ज देख रहे थे। आदेश था कि मैं अविलम्ब

गोवाहाटी, आसाम पहुंच कर दिसपुर में गवर्नर श्री एल०पी०सिंह को रिपोर्ट करूँ। मैंने अपने स्टॉफ ऑफिसर बिष्ट से एयरलाइन्स के टिकट का प्रबन्ध करने को कहा परन्तु उसी बीच दिल्ली मुख्यालय ने फोन कर मुझे वहां से तुरन्त रोड द्वारा प्रस्थान करने का आदेश दिया रोड से जाते हुये बीच-बीच में अपने लोकेशन की सूचना भी दिल्ली को देते रहने के लिए कहा गया। अगले दिन भोर में ही मैंने अपना सारा सामान एम्बेसडर गाड़ी में लदवाकर एक गनर व एक वायरलैस सिपाही को साथ लेकर दिसपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। मेरे साथ एल०एम०जी० माउण्टेड जीप सुरक्षा गार्ड चल रही थी। करीब ४०० मील का सफर आतंकवादी इलाके के बीच तय करना था। रोड बहुत अच्छी और रास्ता मनोरम था। चारों तरफ पहाड़ एवं हरी-भरी हरियाली थी परन्तु पूरा रास्ता आतंकियों के खतरनाक ठिकानों से गुजरता था। कहीं भी किसी भी मोड़ पर भूमिगत तत्वों द्वारा घात लगाकर हमला हो सकता था। उग्रवादी कार्यवाही करने में आज भी नागाओं का कोई मुकाबला नही कर सकता। गजब की फुर्ती है उनमें। वे पंजाब के आतंकवादियों के मुकाबले ज्यादा खूंखार व निर्दयी थे दीमापुर पहुंच कर मैं बहुत थक गया था। अतः वहां पर एयरपोर्ट पर तैनात सी०आर०पी० की बटालियन के कैम्प में जाकर विश्राम किया। आते समय एक पहाड़ी घुमावदार रास्ते पर अचानक रॉकेट से हमारी गाड़ियों पर हमला किया गया था, पर अन्धेरा होने के कारण कोई क्षति नहीं हुई थी और गाड़ियों को इस घुमावदार स्थान से तेज रफ्तार से पार करना पड़ा था बाद में पता चला था कि उस स्थान पर उग्रवादी घात लगाकर हमला करते हैं। वहां कभी-कभी गाडियो को नष्ट करने हेतु बारूदी सुरंग बिछा देने की घटनायें भी घटी है।

अगले दिन मै गुवाहाटी पहुंचा और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के ग्रुप केन्द्र में रुका। वहां ऑफिसर्स मैस का एक सूट मेरे लिए रिजर्व कर दिया गया था। उस समय वहां सेनानायक ग्रुप केन्द्र एम०पी० सिंह तथा डी०आई०जी० आर०पी० दुबे नियुक्त थे। श्री आर०पी० दुबे को दिल का दौरा पड़ जाने के कारण इलाज हेतु दिल्ली भेज दिया गया था। मुझे उनका कार्यभार देखने के लिए वहां भेजा गया था। तत्कालीन गवर्नर श्री एल०पी०सिंह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस एवं प्रशासन आसाम के विद्यार्थी आन्दोलन को नियंत्रित करने में लगे हुये थे। यह आन्दोलन वहां के विद्यार्थियों तथा हिन्दुओं द्वारा चलाया जा रहा था। वे वर्ष १९८० के विधान सभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। वे सही मायने में वोट देने का अधिकार केवल आसाम के मूल निवासियों को दिलवाना चाहते थे ताकि बंगलादेश के मुसलमान शरणार्थी, जो वहां कई वर्षो से बस गये थे, वोट न दे सकें। वे १९६५ की इलैक्टोरल रोल को केवल मान्यता देने के लिए आन्दोलन चला रहे थे धीरे-धीरे यह शान्तिप्रिय आन्दोलन भूमिगत विध्वसंक एवं हिंसक तत्वों द्वारा उकसाया जा रहा

था। वहां का विद्यार्थी गणपरिषद तथा जन-मानस दिल्ली की कांग्रेस सरकार के बिल्कुल विरुद्ध थे। जिनकी नाइंसाफी के कारण मुसलिम शरणार्थियों को चपले से वोट करने का अधिकार मिल गया था। आन्दोलन की गतिविधियों से तेजी से दिल्ली की कांग्रेसी सरकार की परेशानी बढ़ रही थी। गवर्नर एल०पी० सिंह प्रत्येक शाम को दिसपुर सचिवालय में ५ बजे एक मीटिंग अपने उच्च अधिकारियों के साथ करते थे जिसमें (१) गृह सचिव, (२) डी०जी० पुलिस आसाम, श्री पी०सी०दास (३) आर्मी के लैफ्टीनेन्ट जनरल श्री भण्डारी, (४) बी०एस०एफ० के आई०जी०, शर्मा जी, (५) सी०आर०पी०एफ० के डी०आई०जी० के रूप में मैं उपस्थित होता था। आसाम प्रदेश के सी०आई०डी० व इन्टैलिजेन्स के एडीशनल आई०जी० भी इस मीटिंग में सम्मिलित होते थे। प्रायः मुख्य सचिव भी इस मीटिंग में आते थे।

आसाम पहुंचकर मैंने गवर्नर के सचिव से सम्पर्क किया तो उन्होंने मुझे सचिवालय की ५ बजे शाम की मीटिंग में सम्मिलित होने को कहा। गवर्नर महोदय ने मेरा परिचय सभी अधिकारियों से कराया था। आसाम के डी०जी० श्री पी०सी० दास पहले सी०आर०पी०एफ० में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके थे। वे मेरे वहां पहुंच जाने से बड़े प्रसन्न हुये थे क्योंकि श्री दुबे डी०आई०जी० की अनुपस्थिति से सी०आर०पी० के ऑपरेशनल कन्ट्रोल में कठिनाई हो रही थी। बाद में श्री दास ने मेरा परिचय वहां के गृह सचिव, आर्मी जनरल भण्डारी व आई०जी० सीमा सुरक्षा बल शर्मा जी से अच्छी तरह से करा दिया था। गवर्नर साहब ने मुझे नागालैण्ड से वहां भेज देने के लिए डी०जी० श्रवण टण्डन की सराहना की। मीटिंग में गवर्नर पिछले २४ घन्टों में घटी अपराधिक घटनाओं एव शान्ति व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं का विवरण देखते थे और शान्ति व्यवस्था की स्थिति का आकलन करते थे।

बांगला देश से आये हुये मुस्लिम घुसपैठियों को आसाम से बाहर निकालने, चाय बागानों की चाय असम के बाहर न जाने देने व वहां की प्लाईवुड तथा पेट्रोल आसाम के बाहर न निकल पाने पर ही सारा आन्दोलन आधारित था। वहां के विद्यार्थी नेता प्रफुल्ल कुमार महन्ता, भृगु कुमार फूकन आदि के आदेशों से चाय तथा प्लाईवुड से लदे ट्रक आसाम के बाहर नहीं जा पाते थे। ऑयल की रिफाइनरीज से तेल बाहर नहीं जाने देने के लिए उन्होंने नारंगी ऑयल कम्पलेक्स के क्षेत्र को स्त्रियों, युवा छात्राओं द्वारा चारो तरफ से घेर रखा था। हजारों की तादाद में विद्यार्थियों (लड़के-लडकियां) ने वहां काम्पलेक्स को घेर कर तेल के आवागमन का मार्ग एकदम अवरुद्ध कर दिया था, ऐसा लगता था मानो ऑयल प्लान्ट से वे चिपक से गये हों। गवर्नर एल०पी० सिंह द्वारा जनरल भण्डारी को ज्वाइन्ट कमाण्डर बनाकर आर्मी, बी०एस० एफ० व सी०आर०पी०एफ० को नारंगी ऑयल काम्पलेक्स के

क्षेत्र का चार्ज दे रखा था। नारंगी ऑयल कम्पलेक्स को आसामियों के घिराव से मुक्त कराने का कार्य सी०आर०पी० तथा आसाम पुलिस को दिया गया था। आसामी पुलिस यद्यपि हम लोगो के साथ काम करती थी परन्तु अन्दर से वे आसामी आन्दोलनकारियों के साथ थे। वहां हाईकोर्ट भी पुलिस, सेना व अर्धसैनिक बलों की कार्यवाही पर अनावश्यक टिप्पणी करती रहती थी तथा छोटे-छोटे मामलों में भी सजा सुनाने को तत्पर रहती थी। शासन की योजना भी बल प्रयोग या फायरिंग के विरुद्ध थी। गवर्नर सिंह भी जन-भावना को ठेस पहुंचाने के पक्षधर नही थे। इसी कारण असम के लोग उनको पितातुल्य मानते और आदर देते थे। वहां का एकमात्र अंग्रेजी अखबार असम ट्रिब्यून आन्दोलन का पुरजोर समर्थक था। सारी परिस्थितियों के अध्ययन से मै स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा कि आन्दोलन बाहर से नहीं बल्कि वहां की जमीन से जुड़ा हुआ था और जन-मानस का समर्थन उसका आधार था। केवल असम ट्रिब्यून में एक छोटी सी खबर छपना कि अगले दिन ३ बजे दिन में हाईकोर्ट मैदान में जन-सभा होगी, आन्दोलनकारियों के लिए काफी हुआ करती थी। ठीक समय हाईकोर्ट का मैदान ठसाठस स्त्रियों, पुरुषो एवं लड़कियों से भर जाता था। ऐसा लगता था कि मानो कोई जन सैलाब आ गया हो। स्त्रियां व लड़कियां अच्छे परिधानों से सुसज्जित होकर मीटिंग में पूर्ण उत्साह से जाती थी। उनका जोश देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जन-जन में आन्दोलन की सकारता के प्रति विश्वास है। धीरे-धीरे आन्दोलन असम के मूल निवासियों के मरने-जीने का प्रश्न बन गया था।

नारंगी ऑयल काम्पलेक्स की शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी प्रबन्ध जो जनरल भण्डारी ने हम लोगो को दिया था, उससे मै सन्तुष्ट नहीं था। उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व बल को आसाम पुलिस के साथ-साथ नारंगी ऑयल काम्पलेक्स के चारों तरफ बाहर (पैरामीटर) लगा कर पेट्रोलिंग करने तथा किसी भी व्यक्ति को काम्पलेक्स के अन्दर न घुसने देने का आदेश दिया था तथा उपस्थित लोगों को वहा से हटाने का निर्देश दिया था। आर्मी को एडमिनिस्ट्रेटिव काम्पलेक्स व अधिकारियों की सुरक्षा में लगा दिया था। काम्पलेक्स के प्लान्ट की सुरक्षा के लिए बार्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगाया था। मैने जनरल भण्डारी से कहा था कि उन्होंने पैरामीटर पर हमारे फोर्स को आसाम पुलिस के साथ लगा दिया है। कई जगहों पर बाउन्ड्री वाल टूटी हुई है और गांव की स्त्रियां व बच्चे वहां बड़ी तादाद में जमा रहते है। काम्पलेक्स में अन्दर घुसने से रोकने में यदि आसाम पुलिस ने ढिलाई की और भीड़ को अन्दर घुसने दिया तो सी०आर०पी०एफ० को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ सकता है, अन्यथा आसाम पुलिस सारी जिम्मेदारी हमारी फोर्स पर डाल देगी। जाहिर था कि आसाम पुलिस अपने को निष्पक्ष नही रख पायेगी। अतः मेरा सुझाव था कि पैरामीटर के चारों तरफ

जहां वाउन्ड्री वाल टूटी है वहां पर मजवूत वल्लियों से बेरीकेड़िंग करा दिया जाय और कंटेदार तारों का अवरोध खड़ा कर दिया जाय और अन्दर की तरफ पुलिस व सी०आर०पी०एफ० के डंडा फोर्स लगाकर उसे मानव श्रृंखला वनाकर और सुरक्षित कर लिया जाय। उन विन्दुओं पर जहां देहात की सड़कों से सीधी भीड़ काम्पलैक्स के अन्दर प्रवेश कर सकती थी, दीवार टूटी होने के कारण वहां कंटीलेदार तार का घेरा डालकर भीड़ के आवागमन को रोकने के मेरे प्रस्ताव से जनरल भण्डारी शुरू में सहमत नहीं थे। शाम की मीटिंग में उन्होंने मेरे उक्त सुझाव पर गवर्नर साहव के सामने कहा था कि इससे लोगों का घायल हो जाना सम्भव होगा। गवर्नर मेरा सुझाव भी सुनना चाहते थे। मेरा तर्क था कि यदि भीड़ को रोकने की व्यवस्था कंटीले तार के प्रयोग से अच्छी तरह हो सकती है और वल के प्रयोग से वचा जा सकता है, तो किसी को छोटी-मोटी चोट लगने की परवाह हमें नहीं करनी चाहिये। गवर्नर एल०पी० सिंह एवं डीजिगनेट गवर्नर सरीन दोनों ने ही मेरे सुझाव का अनुमोदन कर दिया। भण्डारी जी ने भी उसे अच्छी भावना से लिया था।

अन्दर-अन्दर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी आसाम के आन्दोलन को दवाने हेतु श्री एल०पी० सिंह को वदलकर तेज तर्रार आई.सी.एस. सरीन को वहां का गवर्नर वनाना चाहती थी। सरीन साहव रिटायरमेन्ट के वाद हिमालय इन्स्टीटि्यूट ऑफ माउन्टेनियरिंग के डायरेक्टर रहे थे तथा एक चुश्त-दुरुस्त अधिकारी थे। उनकी आवाज भी कड़क थी। वह जव भी गवर्नर एल०पी०सिंह के साथ मीटिंग में 'अन्डर स्टडी' वैठते थे तो अपनी राय अलग से वड़े रोवदार लहजे में रखते थे। डी०जी० आसाम व गृह सचिव से अपराध नियत्रण की कमीवेशी के लिए वे जवाव भी मांगा करते थे। शुरू में सरीन मुझे भी काफी प्रभावशाली नजर आये। तेजी से कार्य करते हुये उन्होंने आसाम के विद्यार्थी आन्दोलन को वदनाम करने मे काफी सफलता प्राप्त की थी। श्री सरीन प्रदेश में एक सप्ताह में जो भी हत्यायें होती थीं उनकी सूची अखवारों में छपवाते थे और असम के आन्दोलन को शान्तिमय न होकर हिसंक होने का प्रचार करते थे ताकि शासन द्वारा शक्ति का प्रयोग करके उसे दवाया जा सके। विद्यार्थियों द्वारा चाय तथा प्लाईवुड आदि की लदे हुवे ट्रक आसाम में ही रोक लेने को लूट-पाट व उपद्रव की घटना वताकर उसे समाचार पत्रों में छपवा देते थे। वे प्रेस कान्फ्रेन्स में भी इसी प्रकार की वातों का प्रचार-प्रसार करते थे। मुझे सरीन साहव की तरकीव कारगर लग रही थी। उन्होंने आन्दोलन की छवि को नष्ट करने में काफी कामयावी प्राप्त की थी। दुर्भाग्यवश एक पत्रकार सम्मेलन में जिसमें हम सव व गवर्नर एल०पी० सिंह भी उपस्थित थे, सरीन साहव ने वड़े कड़े शव्दों में आन्दोलन की भतर्त्सना की। जव पत्रकारों ने असम के आन्दोलन को शान्ति प्रिय जन-आन्दोलन होने की तथा जन-मानस से उसे जुड़ा हुआ वताया जिसके कारण

ही वहां के विद्यार्थी, प्रबुद्ध वर्ग, स्त्रियां, पुरुष व बच्चे सभी आन्दोलन की प्रत्येक मीटिंग में जोश में भरकर निष्ठाभाव से वहां पहुंचते है और केन्द्रीय शासन के विरोध में अपने खून से लिखे पोस्टर लेकर आते हैं तो उसे सरीन साहब ने सर्वथा गलत बताया। पत्रकारों का कहना था कि वहां के व्यापारियों, राजनयिकों, डाक्टरों, वकीलों व जजों के विरोध केन्द्रीय प्रशासन तथा नेहरू परिवार से केवल इस बात पर आधारित था कि आसामियों के साथ उनका व्यवहार कभी निष्पक्ष नहीं रहा है। आसामियों को अपने प्रदेश में ही परदेशी बन जाने में कांग्रेस की ही शह थी। दरअसल में आसाम की स्थिति बड़ी विचित्र हो गयी थी। खेती का कार्य बिहारियों व नेपालियों के हाथ में था। व्यापार पर मारवाड़ियों तथा पंजाबियों का कब्जा था। सरकारी नौकरियों में अग्रेजों के समय से बंगालियों का अधिपत्य चला आ रहा था। आसामियों के पास तो केवल राजनीति का धन्धा ही बचा था। उसे भी उनसे दिल्ली ने जबरन छीन लिया था। उनका कहना था कि दिल्ली ने चालाकी से अप्रवासी बंगलादेशी मुसलमानों की आसाम में घुसपैठ कराकर जानबूझकर बसा दिया। देश के विभाजन के समय आसाम से सिलहट कट जाने के बाद अल्पसंख्यक केवल २० प्रतिशत थे, परन्तु वे अव कई गुने हो गये है। बांगलादेशी मुसलमान जो शरणार्थी होकर आये थे वे सरकार से सारी सुविधा पाकर यहां के निवासी बन गये थे, जिस कारण वहां के हिन्दू मुसलिम आबादी में बहुत बड़ा जन-सांख्यिकीय उलटफेर हो गया था। फलतः आसाम की चुनाव प्रक्रिया भारतीय संविधान तथा नागरिक एक्ट के विपरीत हो गयी है। परिणामस्वरूप हिन्दू आसामियों के वोट इलैक्शन में मुस्लिम आसामियों के वोटों से कम कारगर रह गये। मुस्लिम वोट पर चुनाव जीतना ज्यादा आसान है। वर्ष १९५२ में मुस्लिम आबादी ३६.५ लाख की थी जो वर्ष १९७० में ५७ लाख हो गयी तथा १९७८ में ८५ लाख को पार कर गयी। वहां विधान सभा में १९५२ में केवल ६ मुसलमान एम०एल०ए० थे, परन्तु वर्ष १९८१ में वह बढ़कर २८ हो गये। उनका आन्दोलन था कि यदि वहां की वोटर लिस्ट को ठीक नहीं किया गया तो सारे मुसलमान या उनके द्वारा समर्थित कांग्रेसी ही एसेम्बली के मेम्बर बन जायेंगे और परिणाम यह होगा कि आसामी हिन्दुओं का वहां की एसेम्बली व प्रदेश शासन में अपना वर्चस्व ही समाप्त हो जायेगा। इस तरह वे अपने ही प्रदेश में अजनबी बन जायेंगे और इन सबके पीछे कांग्रेस का स्वार्थ था। उनका कहना था कि इन्दिरा शासन में केन्द्र के आसामी मंत्री श्री फकरूद्दीन अली अहमद ने आसाम के मुख्यमंत्री चालिहा पर दबाव डालकर वहां बांगलादेश के घुसपैठी मुसलमानों का नाम निर्वाचन सूचियों से काटने नहीं दिया था।

इस प्रेस सम्मेलन में गवर्नर एल०पी० सिंह तो चुप रहे परन्तु श्री सरीन चुप नही रह सके और खुले शब्दों में आसाम के आन्दोलन की जोरदार खिलाफत कर बैठे। सरीन ने वहां

के आन्दोलन को जन-आन्दोलन मानने से इन्कार कर दिया। उनका तर्क था कि आसामी लड़कियां तथा स्त्रियां केवल आनन्द हेतु आन्दोलन की मीटिंगों में सज-धजकर आती हैं और स्वच्छन्द होकर घूमती हैं। चाय व प्लाईवुड से लदे ट्रकों को रोकर कर पैसे की वसूली की जाती है जो अपराध है। इस प्रकार देश का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। मै स्वयं श्री सरीन के उक्त वक्तव्य को सुनकर दंग रह गया था और सोच रहा था कि कहीं उनके द्वारा कही गई बातों को अन्यथा अर्थ न ले लिया जाय। मेरा अनुमान सही था। अगले दिन से ही आसाम ट्रिब्यून एवं अन्य अखबारों में श्री सरीन के विरुद्ध तरह-तरह के अशोभनीय समाचार छपने लगे थे। उन्हें अनादर भरे विश्लेषणों से सम्बोधित किया जाने लगा था। लड़कियों एवं स्त्रियों के प्रति उनके द्वारा प्रयोग किये गये अनादर के भाव को भी खूब उछाला गया था। अखबारों ने श्री सरीन को वहां से तुरन्त हटाने की मांग की। इस प्रतिकूल आंधी को इन्दिरा जी भी नहीं रोक पायी। लाचार होकर इन्दिरा गांधी जी को श्री सरीन को आसाम के गवर्नर डेजिगनेट पद से वापस बुलाना पड़ा था। श्री एल०पी० सिंह श्री सरीन की वापसी से एक वर्ष तक और आसाम के गवर्नर बने रहे।

मुझे आसाम में एक महीना पूरा हो गया था। हैदराबाद जाने की इच्छा बड़ी बलवती थी, पर असम आन्दोलन पूरे शवाब पर होने के कारण जाना सम्भव नहीं हो रहा था। पर भाग्य से गुवाहाटी ग्रुप केन्द्र के सेनानायक प्रोन्नत होकर गोवाहाटी के डी०आई०जी० नियुक्त हो गये थे, अतः मुझे वहां की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। हैदराबाद लौटने के पहले मैने पूर्वोत्तर में अपने ऑपरेशनल क्षेत्र में असम के बार्डर पर स्थित अपनी एक अन्य बटालियन का दौरा कर डालना उचित समझा। यह बटालियन लोहित क्षेत्र में थी। उस बटालियन की एक जांच भी मुझे करनी थी जो मैने पूरी कर डाली। सेनानायक श्री एस०पी० सिंह ने दौरे के दौरान बताया था कि लोहित नदी व ब्रहमपुत्र नदी का जहां संगम हुआ है वहां का स्थान बड़ा ही पवित्र माना गया है। हिन्दू मतावलम्वियों के अनुसार इस स्थान पर नहाने से हर प्रकार के पापों से आदमी मुक्त हो जाता है। वहां के लोग उसे प्रयाग के संगम जैसी मान्यता देते है। अतः मैने वहां भी जाना स्वीकार कर लिया था। वहां के अधिकारी मुझे उस पवित्र स्थान पर कई जीप गाड़ियों से एस्कॉर्ट करके ले गये थे क्योंकि ज्यादातर रास्ता हरे-भरे जंगलों एवं पहाड़ों के बीच से तथा नदी के किनारे होते हुये जाता था पर वह ऑपरेशनल क्षेत्र में था। पूरा रास्ता चित को प्रसन्न एवं शान्त करने वाला था। लोहित नदी पर स्थित इस स्थान के मैने दर्शन तो किये पर वहां स्नान नहीं किया। केवल जल से हाथ मुंह अवश्य धो लिये थे। गहरा नीला शीतल जल था। एक पुस्तैनी पण्डित जी ने वहां मुझसे सविधिवत पूजा-पाठ करायी थी। पूजा करने के बाद मैने पण्डित जी से पूछा था कि वह आसाम के निवासी तो नहीं लग रहे हैं? पण्डित जी ने अपने

को बिहार का होना बतलाया था। वहां की गद्दी उनकी पुस्तैनी होना भी बताया था। मैंने उनसे पूछा था कि उस स्थान का इतना अधिक महत्व क्यों है? पण्डित जी ने एक धार्मिक मायथोलौजी के प्रकरण से उसका सम्बन्ध बताया था। पंडित जी के अनुसार प्राचीन काल में परशुराम जी के पिता का आश्रम लोहित नदी के तट पर था जो एक बहुत बड़े धर्मात्मा ज्ञानी ऋषि थे। उनके आदेशानुसार नित्य सुबह उनकी पूजा के लिये उनकी पत्नी नदी के तट पर से ताजे फूल चुनकर लाया करती थीं। एक दिन जब ऋषि पत्नी नदी तट पर फूल चुनने गयी तो उन्हें एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा था। लोहित नदी के जल में स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी तथा आपस में किल्लोल कर रही थी। ऋषि पत्नी उस दृष्य को देखकर अचम्भित हो गयी और सोचने लगी कि वे स्त्रियां कितनी निल्लर्ज है। उसके पश्चात वे स्त्रियां एक साथ ही अदृष्य हो गयी। ऋषि पत्नी को उक्त दृश्य को देखने के कारण फूल चुनकर लाने में विलम्ब हो गया। अतः ऋषि समय से फूल न लाने के कारण कुपित हो गये। जब उनकी पत्नी विलम्ब से फूल लेकर पहुंची तो ऋषि ने उससे देरी होने का कारण पूछा। अति भोली ऋषि पत्नी ने अपने पति को नदी के जल में स्नान करती लज्जाहीन नारियों की बात निःसंकोच बता दी। क्रोधित होकर ऋषि ने अपनी पत्नी को मृत्यु दण्ड देने का निश्चय किया। ऋषि ने अपने बड़े पुत्र अर्थात परशुराम जी के बड़े भाई को बुलाया और उन्हें सम्पूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराते हुये उन्हें अपनी मां का सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। अतः ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को वही आदेश दिया। परशुराम ने शास्त्रानुसार पिता की आज्ञा मानकर एक गंडासा से प्रहार करके अपनी मां के शरीर को शीश विहीन कर दिया। कहते है कि वह गंडासा परशुराम के हाथ में चिपक गया और पूरी शक्ति लगाने के बाद भी अलग नहीं हुआ। परशुराम जी ने अपने ऋषि पिता की आज्ञा का पालन किया था, अतः उन्हें कैसे यह श्राप मिला? उनके पिता ने ध्यानमग्न होकर बताया कि उससे मुक्ति हेतु परशुराम को चार कोश जंगल से उत्तर की तरफ जाना होगा। वहां पहाड़ी मार्ग आ जाने पर दाहिने मुड़कर दो कोस रास्ता पार करने पर उन्हें एक नदी की तेज धार बहती हुई मिलेगी। उसके आगे दक्षिण तरफ जाने पर नदी के दोनों ओर बड़े-बड़े दो पहाड़ मिलेगें। हाथों से दोनों पहाड़ों को ठोकने पर जिस पहाड़ से संगीत की लहरी निकलती सुनाई पड़े उस पर्वतशिला को गड़ासे से चोट मारने पर वह टूट जायेगा और उसमें से एक जलधारा प्रवाहित हो उठेगी जो कालान्तर में ब्रहमपुत्र नदी के नाम से जानी जायेगी क्योंकि उसमें ब्रह्माजी का एक अघोषित पुत्र ''ब्रह्म पुत्र'' छिपा हुआ है। इस तरह जिस स्थान पर लोहित व ब्रह्म पुत्र नदियों का संगम बनेगा वहां परशुराम द्वारा स्नान व पूजा-पाठ करने के पश्चात हाथ से गड़ासा छूट जायेगा। परशुराम जी के उक्त क्रिया के बाद से उस स्थान की मान्यता पापनाशक हो गयी। पुजारी जी द्वारा बताया गया किस्सा तो मुझे मनगढ़न्त लगा

फिर भी कुछ रुपये भेंट देकर मैं वहां से वापस बटालियन आया था।

अगले दिन मैं हवाई जहाज से कलकत्ता आया परन्तु वहां एक विचित्र संकट सामने आया। हवाई जहाज को कलकत्ता के दमदम एयरपोर्ट पर ले जाने के लिये हुगली नदी के एक विशेष कोण पर डाइव लगाकर उतारना पड़ता था। पायलट कुछ कम अनुभवी होने के कारण बार-बार हुगली नदी पर चक्कर लगा रहा था और ठीक कोण न बना पाने के कारण वापस हो जाता था। पायलट द्वारा इस प्रकार के पांच ट्रायल लेने के परिणामस्वरूप सारे यात्री बुरी तरह परेशान हो उठे थे और सांस रोके हुये बैठे थे। कुछ स्त्रियां घबराकर रोने-चीखने भी लगी थी। सभी यात्रियों ने भगवान को धन्यवाद दिया जब पायलट साहब ने छटी बार में जहाज को सही कोण पर ले जाकर सही स्थान पर उतार दिया था।

पूरे दो महीने बाद हैदराबाद आकर मैं सरला जी व बच्चों से मिल सका था। सरला जी ने भावुक होकर कहा था कि विरह ही प्रेम परखने की कसौटी होती है। साथ ही साथ उन्होंने महादेवी वर्मा की निम्न पंक्तियां कहीं थीं:- 'विरह प्रेम की जागृत गति है, और सुषप्ति मिलन है'। उनका कहना था कि यह मिलन केवल हंसी मात्र का रूप नहीं है, आध्यात्मिक मिलन का सुखद क्षण है। विश्राम के क्षणों में मैंने उन्हें नार्थ ईस्ट की समस्याओं के विषय में पूर्ण अगवत कराया था और जब ब्रह्मपुत्र नदी के उद्‌गम की कथा सुनाई थी तो उन्होंने उसे मनगढ़न्त कहानियों की संज्ञा दे डाली थी, क्योंकि उन्हें हिन्दू धर्मग्रन्थों का बहुत व्यापक ज्ञान था। आज यह सब लिखते समय सरला जी इस संसार में नहीं है पर मुझे उनकी याद जोरों से आ रही है। वह बड़ी ही सौंदर्य प्रेमी थी तथा धर्माचार्यो से सम्पर्क कर खूब आनन्दित होती थीं। मुझे गर्व है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराने वाली महिला नहीं थी। वह पुलिस सेवा से बहुत प्रभावित थी। इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया करती थी कि जब किसी शत्रु देश से प्रत्यक्ष युद्ध होता है तब तो सारा देश सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु सामने आ जाता है और उनकी प्रशंसा व गुणगान करता है पर उग्रवाद से लड़ने में पुलिस व अर्धसैनिक बलों के लोग जो बराबर अपने जीवन को कुर्बान करते रहते हैं, राष्ट्र कभी भी इस बलिदान के प्रति नतमस्तक नहीं होता।

सरला जी के प्रेरणा से ही हमारी सबसे छोटी बेटी अनुपम भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी है पर मेरा दुर्भाग्य है कि वह अपनी बेटी को आई०पी०एस० की वर्दी पहने नहीं देख पाई, क्योंकि जब अनुपम अपनी ट्रेनिंग के लिये पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रही थी तभी सरला जी अचानक ''पैंक्रियाटाईटिस'' जैसी भयंकर रोग से ग्रसित हो गयी थी। अनुपम ने उनको अंतिम बार हैदराबाद से आकर दिनांक ०५.०५.१९९६ को देखा जब वह के०जी०आई०, लखनऊ में आई०सी०यू० वार्ड में जीवन व मृत्यु से गम्भीर रूप से संघर्ष कर

रही थी, और दो मिनट उनसे बात कर सकी थी। इसके बाद ही डाक्टरों ने उन्हें बेहोश कर दिया था और दिनांक १६.०५.१९९६ को उनका देहावासन हो गया था। अनुपम को त्रिपुरा कैडर एलाट हुआ था। त्रिपुरा में ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी। अनुपम जब-जब छुट्टी में लखनऊ आती थी और त्रिपुरा के हालत मुझे बताती थी तो मुझे अनुमान होता था कि स्थिति तो अब हमारे समय से भी ज्यादा खराब हो गयी है। एक हमले में त्रिपुरा के एन०एल०एफ०टी० के छापामारों ने एक ही परिवार के ७ आदिवासी ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। बाद में अनुपम को अर्ध सैनिक बलों के साथ इन आतंकवादियों की धर-पकड़ के लिये अभियान चलाना पड़ा था। पर जंगलों तथा घाटियों की खाक छानने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। एक अन्य स्थान पर जब आतंकवादियों ने सुरक्षा पिकेट को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका था तो वह बाल-बाल बच गयी। यद्यपि ग्रेनेड गिर कर फट गया था जिसके कारण ४ नागरिक तथा बी०एस०एफ० का एक कर्मी गम्भीर रूप से घायल हो गया था।

बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अजय सिंह विवाहोपरान्त अनुपम के साथ बी०एस०एफ० की ट्रेनिंग हेतु ३ माह तक जम्मू कश्मीर में रहे थे। वहां पर आतंकवाद का जो दृश्य उन्होंने देखा था उसे मुझे बताया था। मुझे यही लगा कि आज के नये भारतीय सेवा के अधिकारियों को और भी अधिक भयंकर परिस्थितियों में काम करना होगा। आज के आतंकवादी ए०के० ४७ राईफलें, एल०एम०जी० स्नाईपर राईफलें, स्टेनगन एन्टी पर्सनल माइन्स, एण्टी टैंक माईन्स, चाइनीज हैण्डग्रेनेड व एक्सप्लोसिव बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे है क्योंकि उक्त सभी हथियार उन्हें आसानी से सी०आई०ए० अथवा पैट्रो डालर की मदद से सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराये जा रहे है। मै सोचता हूं कि यदि सरला जी आज हमारे साथ होती और अनुपम व अजय से उन्हें उक्त भयानक हथियारों की जानकारी मिलती तो हो सकता है कि वे भी घबरा उठती। मैंने स्वयं भी कभी ८०० मीटर मारक क्षमता वाली स्नाईपर राईफल, १००० मीटर मारक क्षमता वाली आर०पी०डी० मशीनगन, यू०के० निर्मित १५०० मीटर मारक क्षमता वाली ब्रेन मशीन गन, ३००० मीटर वाले चीन निर्मित रॉकेट लांचर, अल जलील हल्की मोटर व चलता फिरता सेतु वाले हमलों का सामना नहीं किया था जो अब के अधिकारियों व जवानों को करना पड़ रहा है।

२४

फिर दिल्ली पुलिस वापस नहीं जा सकी

वर्ष १९८७ में मैं पुलिस महानिरीक्षक (आई०जी०पी०) गोरखपुर जोन नियुक्त था। उस समय गोरखपुर जोन में वाराणसी रेंज के जनपद मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया तथा गोरखपुर रेंज के जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं आजमगढ़ सम्मिलित थे। उस समय तक जनपद मऊ, भदोही, सोनभद्र, श्रावस्ती तथा पडरौना का सृजन नहीं हुआ था। मेरा अधिकतर समय वाराणसी के हिन्दू विश्वविद्यालय की शान्ति-व्यवस्था में बीत रहा था, जहां छात्रगण प्रायः आपस में हिंसा और गोलाबारी द्वारा अशान्ति फैलाये रहते थे। इतना ही नहीं, वे अपने चांसलर जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व महाराजा कर्ण सिंह के विश्वविद्यालय आगमन पर भी "साइमन कमीशन-गो बैक" के नारे लगाते थे, जो कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतवासी लगाया करते थे। मुझे गोरखपुर में भी दो-तीन माफिया गिरोहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आजमगढ़ का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मऊ भी साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील था, अतः मुझे वाराणसी रेंज के समस्याग्रस्त जनपद मिर्जापुर जाने का अवसर कम ही मिल पाता था। वहां मुझे एक बार वार्षिक निरीक्षण के लिए जाना पड़ा था और उसी समय मैंने वहां सपरिवार प्रसिद्ध विन्ध्याचल देवी के दर्शन किये थे। गंगा जी के तट पर बिड़ला विश्रामालय में ही हम सब रुके थे। जापानी वास्तुशिल्प पर आधारित इस विश्रामालय की रमणीयता देखकर हम लोग भावविभोर हो गये थे। यह विश्रामालय सुन्दर बागों, तेज बहती गंगा जी के तट और शुद्ध वातावरण आदि के बीच बहुत ही मनमोहक था। विदूषी पत्नी सरला जी उसकी प्रशंसा करते थकती नहीं थी। दूसरी बार मैंने मिर्जापुर

का भ्रमण दो महीने के पश्चात हिन्डालको, चुर्क एवं डाला सीमेन्ट फैक्ट्रियों और आनपारा विद्युत सयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था देखने हेतु दौरा किया था । तापग्रह से सम्बन्धित श्रम समस्याओं की जानकारी के लिए इस भ्रमण में मेरे साथ डी०आई०जी० वाराणसी रेंज रमेश चन्द्र दीक्षित भी थे। हम दोनों अधिकारियों के परिवार भी हमारे साथ यात्रा में थे। मेरे साथ पत्नी सरला के अतिरिक्त पुत्री अनुपम भी थी जो अब आई०पी०एस० होकर अपने पति अजय कुमार सिंह, आई०पी०एस० के साथ बिहार राज्य पुलिस प्रशासन की सेवा में नियुक्त है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमाओं पर स्थित मिर्जापुर का यह भाग अब सोनभद्र जनपद है और अपनी सुन्दरता एवं रमणीयता के लिए एक मिसाल है ।

थाना सोनभद्र का निरीक्षण करने के बाद हम दूसरे दिन प्रातः ही मिर्जापुर लौट आये थे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में ठहरे हुए थे। सुबह दस बजे मुझे वहां के विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मेलन में बोलना था, जिसका प्रबन्ध मिर्जापुर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भट्ट जी ने किया था । सम्मलेन के आधे घंटे पहले ही एक बड़ी गम्भीर एवं दर्दनाक घटना की सूचना मिली । पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर ने बताया कि शहर के पास के ही एक गांव में दिल्ली पुलिस के एक दरोगा, एक सिपाही व दो सर्राफ़ एक अम्बेसडर कार से आये थे जिन्हें गांव वालों ने कल शाम को जान से मार डाला और कार को आग लगा कर जला दिया है। गांव वालों ने ड्राईवर को भी घायल कर दिया था, परन्तु वह किसी तरह वहां से भाग निकला और रात भर एक सुनसान जगह पर छिपा रहा था। सुबह वह पुलिस को सूचना देने जा रहा था, तभी रास्ते में गश्त में जा रहे एक दरोगा जी कुछ सिपाहियों के साथ उसे मिले थे। पुलिस पार्टी ने ड्राइवर को फटे कपड़े एवं परेशान हालत में देखकर यह समझा कि शायद वह कोई बदमाश भाग रहा था, तब पुलिस पार्टी ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके कारण वह थोड़ी दूर जाकर थक कर गिर गया था। तब पुलिस ने उसे दबोच लिया था और उससे पूछताछ की थी। उसने रोते हुये बताया था कि वह ड्राईवर है और देहली से एम्बेसडर कार में पुलिस के एक दरोगा जी और दो ज्वैलरों को यहां के एक गांव में लेकर आया था, जहां गांव वालों ने सबको मार डाला और गाड़ी में भी आग लगा दी है। दरोगा जी उसे इन्सपेक्टर कोतवाली, मिर्जापुर के पास ले गये और उसकी रिपार्ट दर्ज करायी । सम्मेलन निरस्त करके हम डी०आई०जी० व एस०पी० के साथ घटनास्थल की ओर तुरन्त प्रस्थान कर गये । घटनास्थल एक बहुत बड़े गांव में था, जहां अधिकतर खाते-पीते ठाकुर, पुराने जमींदार एवं दंबग किस्म के लोग रहते थे । वे घटनास्थल पर उपस्थित थे और हम लोगों के पहुंचने पर भी किसी प्रकार से भयभीत नहीं

थे। घटनास्थल की गम्भीर स्थिति को समझते हुये मैंने डी०आई०जी० व एस०पी० को कोई गिरफ्तारी न करने और उनकी बातों को सुनकर सोच-समझकर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। गांव वालों का कहना था कि ये सब डकैत थे और उनके गांव में डाका डालने आये थे, अतः गांव वालों ने इन्हें घेरकर मार डाला था। हम लोगों ने उनकी बातें मान लेने का नाटक किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अब जो हो गया सो हो गया, वे मृतकों की लाशों का पंचायतनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने में पुलिस की मदद करें तथा जली हुई कार के अवशेषों से सम्बन्धित कार्यवाही भी करने दें। गांव वालों को हम लोगों ने अपने विश्वास में लेकर कहा था कि उन्होंने बहादुरी का काम किया है। घटना के मध्य गांव के जिन-जिन लोगों को चोटें आई थीं, उनको तुरन्त डाक्टरी इलाज हेतु पुलिस की गाड़ियों में बैठाकर शहर के सिविल अस्पताल में भेज दिया जाय। बिना किसी भय के जिन सोलह गांव वालों को चोटें आयी थीं, वह पुलिस की गाड़ियों में हमारी इच्छा के अनुकूल बैठ गये थे। वहां से पुलिस को गुप्त निर्देश दिया गया कि गांव के जिन लोगों को चोटें लगी थीं, उनकी आमद कोतवाली के रोजनामचा आम में की जाय और चोटों का मुआयना कराके उन्हें छोड़ा न जाय बल्कि हवालात में बन्द कर दिया जाय क्योंकि वे मारपीट में भाग लेने के अपराधी थे। विवेचना के मध्य अग्रिम कानूनी कार्यवाही होती रहेगी। मेरे आदेशानुसार मिर्जापुर से पी०ए०सी० घटनास्थल पर आ गयी थी, जिससे वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शान्ति व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

मिर्जापुर लौटकर हम लोगों ने उस ड्राईवर से पूरी पूछताछ की। उसने बताया कि दिल्ली में एक बूढ़े सन्यासी जी का छोटा सा आश्रम था। सन्यासी जी बड़े भक्त एवं सज्जन पुरुष थे। बहुत से गरीब एवं दुखियारे लोग उनके आश्रम में आश्रय पाते थे। मिर्जापुर के इस गांव का रामू नामक एक लड़का दिल्ली नौकरी की तलाश में गया था। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह भी उस आश्रम में रहकर नौकरी ढूंढने लगा। इसी आश्रम में उसी के गांव का एक और लड़का रहता था। वह दिल्ली में ही कहीं मैनेजमेन्ट की कोई ट्रेनिंग ले रहा था। कुछ दिनों बाद सन्यासी जी अपने एक परिचित ज्वैलर, जिससे वह आश्रम के सहायतार्थ धन भी लेते थे, के पास इस लड़के को लेकर गये थे और उसकी प्रशंसा करते हुए उसे उनके घर में नौकर नियुक्त करा दिया था। सेठ जी उस लड़के से घरेलू काम कराते थे। धीरे-धीरे सेठ जी उस लडके के सीधे स्वभाव, काम व लगन से प्रसन्न हो गये और उसे अपनी रसोईघर का काम सौंप दिया था। ५-६ महीने में ही वह लड़का घर में सबका चहेता बन गया था। घर की स्त्रियां भी उसके भोजन, सफाई रखने तथा व्यवस्था आदि से अत्यन्त

प्रसन्न थीं। इसी बीच, रामू को यह जानकारी हो गयी थी कि सेठ जी तिजोरियों की चाबियां सोते समय कहां रखते है। एक रात जब सेठ जी के घर के सब लोग सो गये तो रामू की नियत खराब हो गयी। वह सेठ जी के कमरे से तिजोरियों की चाबियां निकाल कर तिजोरी से लाखों रुपये व जेवर निकाल कर घर के सारे दरवाजों को बाहर से कुण्डी लगाकर चम्पत हो गया था। सेठ जी और उनके परिवार के लोग जब सोकर उठे और रामू को आवाज देकर चाय मांगी, तो कोई नहीं आया। तब सब लोग नाराज होकर अपने-अपने कमरों से निकल कर बाहर आने का प्रयास करने लगे। उन्होंने टेलीफोन करके अपने पड़ोसियों को बुलाकर बाहर से लगी कमरों की कुण्डियों को खुलवाया। तलाश करने पर भी रामू नहीं मिला। कमरे में तिजोरी खुली पड़ी थी और उसमें से अधिकतर हीरे-जवाहरात के बने लाखों रुपये के आभूषण गायब थे। सेठ जी और उनके परिवार के लोग आश्चर्यचकित होकर अपना सिर धुन रहे थे। सेठजी ने आश्रम से सन्यासी जी को बुलवाया क्योंकि उन्होंने ही रामू को उनके घर पर नौकर रखवाया था। रामू के विषय में सन्यासी जी कुछ नहीं बता सके कि वह कहां का निवासी था और उसका पता क्या है। सन्यासी जी का कहना था कि एक अन्य लड़का जो उनके आश्रम में रहता और पढ़ता था, उससे रामू प्रायः बातें किया करता था। इससे उन्हें पता था कि वह कोतवाली क्षेत्र मिर्जापुर का निवासी है। सेठ जी ने घटना की सूचना दिल्ली-पुलिस को दी थी और वहां के थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। ज्वैलरी का पूरा मूल्य तथा संख्या आयकर के डर से नहीं लिखायी गयी थी। सेठ जी ने दिल्ली पुलिस को बड़े पुरस्कार का आश्वासन देकर उससे मदद मांगी थी। थाने से तुरन्त दो सिपाही मिर्जापुर भेज दिये गये थे। दूसरे लड़के से भी सेठ जी की भेंट हो गयी थी उसने बताया था कि रामू उसके पास दो दिन पहले आया था और वह कल से बनारस में है रामू का पता लगाकर पुलिस-पार्टी दिल्ली लौट गयी और सेठ जी को रामू के निवास स्थान आदि के विषय में बता दिया था। सेठ जी ने दिल्ली पुलिस से मिलकर एक सशस्त्र सब-इन्सपेक्टर व एक सिपाही को साथ लेकर स्वयं कार से मिर्जापुर जाकर रामू के पास से ज्वैलरी बरामद करने की योजना बनायी। जब सेठजी अपनी योजना के अनुसार मिर्जापुर चलने ही वाले थे, तभी उनके एक बड़े पुराने मित्र उनसे मिलने आ गये। सेठजी का मिर्जापुर जाने का कार्यक्रम जानकर उन्होंने भी उनके साथ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु मिर्जापुर चलने की इच्छा व्यक्त की। सेठजी ने अपने मित्र के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सेठजी, उनका पुत्र एवं मित्र तथा दो पुलिस वाले कुल पांच व्यक्ति कार से रवाना हुये और मिर्जापुर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। सुबह होते ही वे लोग अपनी

गतिविधियों को देखकर हम लोगों को उन पर शक हुआ। अतः मै और एस०पी० मिर्जापुर अपनी-अपनी कारों से उनका पीछा करने लगे। डी०आई०जी० वाराणसी की कार में सरला जी आदि चल रही थीं। उन्हें सीधे वाराणसी के सर्किट हाउस में पहुंचने के लिए कह दिया गया। मोटर साईकिल पर सवार व्यक्तियों का पीछा करने की यह हम लोगों की पहली घटना थी। देखते-देखते उनकी मोटर साईकिल भागने की गति १०० किमी प्रति घन्टा पार कर गयी। मेरा ड्राईवर पुराना था, अतः मैंने बराबर पीछा करने को कहा, जिससे वे हमारी पकड़ में आ जायें। सड़क पर चलने वाले अन्य यात्रियों ने हम लोगों को उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करते देखा था। हमारे ड्राइवरों को गाड़ियों को वहुत तेज भगाने में परेशानी हो रही थी क्योंकि १०० किमी प्रति घंटे की गति पर अम्वेसडर कारों के इंजन गर्म हो गये थे, जिसके फलस्वरूप वह 'बवलिंग' करने लगी थी और भय था कि वह गर्म होकर एक दम रुक न जायं और संदिग्ध व्यक्ति हमारी पकड़ से बाहर हो जायं। इसी उधेड़बुन में हम लोग उन दो संदिग्धों का पीछा कर रहे थे। हमारे सामने बिल्कुल सिनेमा की शूटिंग का सादृश्य था, परन्तु अन्तर यह था कि सिनेमा की घटना काल्पनिक होती है और पुलिस की आंखों मे अपराधी धूल झोंककर भाग जाते दिखते हैं, किन्तु हमारा उक्त दृश्य काल्पनिक नहीं था। अचानक उनकी मोटर साईकिल रुक गयी थी और वे दोनों सवार लुढ़क कर जमीन पर गिर गये थे। हम लोगों ने अपनी-अपनी गाड़ियां रोककर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को धर दबोचा। पर असल में उनकी मोटर साईकिल में पेट्रोल समाप्त हो गया था, इसलिए वह अचानक रुक गयी थीं।

दोनों व्यक्तियों को हम लोग अपने साथ पुलिस लाइन, वाराणसी ले गये। वहां उनसे पूछताछ की गयी थी। इण्टरोगेशन में पता चला कि वे रामू के दोस्त को जानते थे और उससे मिले भी थे। यद्यपि उनका मिर्जापुर के वीभत्स काण्ड, जिसमें सेठजी तथा दिल्ली के पुलिस सब-इन्सपेक्टर आदि मारे गये थे, से कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी, उन्हें इतना अवश्य मालूम था कि दिल्ली की चोरी के जेवरात वाराणसी के किसी बड़े होटल में बेचे गये थे। पुलिस लाइन वाराणसी में उस समय एस०एस०पी०, डी०पी० सिन्हा मौजूद थे, अतः उन्होंने अपने कुछ चुने हुये अधिकारियों व कर्मचारियों से तुरन्त दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर कुछ बड़े होटलों में दबिश डलवा दी। एक होटल से सोने के एक विक्रेता को चोरी के गहने खरीदने के जुर्म में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके पास से काफी ज्वेलरी भी बरामद कर ली गयी। होटल के दो वेटरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने यह सौदा कराया था और इसके लिये उन्होंने सोने के आभूषण कमीशन में लिये थे।

इन दोनों घटनाओं में पुलिस को सफलता मिलने का कारण था अविलम्ब वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा योजनाबद्ध होकर एक टीम की भावना से किया गया कार्य, जिससे जेवरात बरामद हो सके थे। किसी अपराधिक घटना के सही "वर्क आउट" होने का यही सर्वोत्तम तरीका होता है। पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये असम्भव कार्यवाही भी करनी पड़ती है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जान खतरनाक स्थिति में डालनी पड़ जाती है। इससे बचने के लिए कार्य करने में बड़े चतुराई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इस मामले में चतुराई से ही गांव के लोगों को विश्वास में लेकर घटना में सम्मिलित और जिम्मेदार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सका था। यदि चतुराई और विवेक से घटनास्थल पर कार्य न किया गया होता और तुरन्त गिरफ्तारी शुरू कर दी गयी होती, तो एक और भंयकर हादसा हो जाने की पूर्ण सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव के लोग मृतकों को डाकू बताकर जान से मारना स्वीकार कर चुके थे। पुलिस को उनकी बात असत्य मानकर गिरफ्तारी करनी थी, जिसके लिए वे कदापि तैयार नहीं थे। पुलिस को सदैव नियमानुसार एवं विधि की परिधि में रहकर कार्यवाही करनी चाहिये। किसी भी स्थिति में दिल्ली-पुलिस को लालचवश इस प्रकार मिर्जापुर नहीं आना चाहिये था और यदि आयी भी थी, तो उसको सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर से मिलकर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए थी। दण्ड संहिता में भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया है, अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर पुलिस को कानून का संरक्षण नहीं मिल सकता। इसी कारण पुलिस अधिकारी को विशेषतः अपने क्षेत्र के बाहर गिरफ्तारी अथवा तलाशी लेने आदि के सम्बन्ध में जाने और वहां कार्यवाही करने के पूर्व स्थानीय पुलिस की सहायता लेना अनिवार्य है। पुलिस को एक टीम की भांति काम करना चाहिए, तभी किसी बड़ी अपराधिक घटना में सफलता प्राप्त करना सम्भव हो सकता है। इस घटना की वैधानिक कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद मैं दूसरे दिन पत्नी सरला के साथ गोरखपुर आ गया था। चलने से पहले सुबह का नाश्ता हम लोगों ने श्री सिन्हा, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी एवं उनकी पत्नी श्रीमती राज सिन्हा के साथ उनके बंगले पर किया था। श्रीमती राज सिन्हा ने हम लोगों से बहुत आग्रह किया था कि हम लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करके दिन का भोजन उनके साथ करें और तब गोरखपुर जायें, पर सरला जी इससे सहमत नहीं हुई। यदि मुझे कहीं सरकारी कार्य हो, तो वह अवश्य रुक जाती थीं और ऐसे समय वह बड़ी से बड़ी असुविधा का सामना करने को तैयार रहती थीं, पर भोजन या भ्रमण के लिए कार्यक्रमों में फेरबदल उन्हें पसंद नहीं था।

इस वाराणसी यात्रा में मेरी प्यारी बेटी अनुपम भी हमारे साथ गयी थी। अब वह एक आई०पी०एस० पुलिस अधिकारी बन चुकी है। कुछ समय पूर्व जब वह नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद से अपना प्रशिक्षण समाप्त करके लौटी, तो अपनी स्वर्गवासी मां (निधन १६ मई १९९६) के साथ बिताये बहुत से अनुभवों को याद करके रो पड़ी थी और मुझसे लिपटकर दिल्ली, मिर्जापुर व वाराणसी की इन घटनाओं को भी याद किया था। ऐसी यादें, जो न सिर्फ व्यक्तिगत या पुलिस गतिविधियों का हिस्सा है बल्कि कानून की हिफाजत से जुड़े लोगों को आज भी गंभीर परिस्थितियों में रास्ता दिखाने में सक्षम है।

२५

मेरी पेरिस यात्रा

मै वर्ष १९७९ से १९८२ तक सी.आर.पी.एफ. में डी.आई.जी. के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैदराबाद में तथा १९८२ से १९८५ तक नई दिल्ली के डायरेक्ट्रेट में डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहा था। हैदराबाद की नियुक्ति के मध्य मुझे उत्तर पूर्व तथा आसाम में भी भूमिगत नागाओं एवं विद्यार्थी आंदोलनों का सामना करने जाना पड़ा था जिसका अनुभव मैं लिख चुका हूं। उक्त प्रतिनियुक्ति के समय मुझे सी.आर.पी.एफ. के डायरेक्टर जनरल सर्वश्री आर.सी. गोपाल, राजगोपाल, शिवपुरी जी, एस. दत्ता चौधरी, शिव स्वरूप, श्रवन टण्डन, ओ.पी. भूटानी, शिवराज बहादुर एवं जूली एफ. रिबेरो के साथ अति निकट से कार्य करने का अवसर मिला था। डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) का कार्य मुख्यतः डी. जी. से सम्बिंधित रहता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे सराहनीय कार्य की उक्त सभी अधिकारियों ने प्रशंसा की थी और वर्ष १९८० में मेरे द्वारा प्रदेश पुलिस तथा सी.आर.पी.एफ. में हैदराबाद, मिजोरम, मणीपुर, अरुणाचल, नागालैण्ड तथा आसाम में की गयी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान कराया गया था। यद्यपि मुझे पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करके उत्तर प्रदेश पुलिस में वापस आना था परन्तु केन्द्रीय शासन ने विशेष आग्रह पर मेरी प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा बढ़ा दी थी। मेरे अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सी.आर.पी.एफ. के अधिकारियों का कैडर रिव्यू होकर शासन द्वारा कई सौ नये पदों का सृजन हो सका था जिसके लिए सी.आर.पी.एफ. का सम्पूर्ण फोर्स मेरे प्रति कृतज्ञ था और चाहता था कि मै वहीं बना रहूं। यहां यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि सी. आर.पी.एफ. के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आये हुए आई.पी.एस. अधिकारियों से भीतर-भीतर संतुष्ट नहीं रहते थे, परन्तु उनमें भी मै अपवाद बन गया था। इसकी वस्तुस्थिति डायरेक्टर

जनरल श्री शिवराज बहादुर के १६ जुलाई १९८३ के पत्र से स्पष्ट हो जाती है ।

१७ अगस्त १९८३ की रात्रि में देहली के इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में प्रूडेन्शियल क्रिकेट ट्राफी की विश्व विजेता भारतीय टीम को सम्मानित करने हेतु लता मंगेशकर नाईट का आयोजन किया गया था । प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी द्वारा उसका प्रबंध दिल्ली के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर श्री जगमोहन जी को सौपा था । देहली पुलिस ने इस आयोजन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था क्योंकि एक दिन पहले उन्हें लाल किले पर १५ अगस्त के झण्डा रोहण की विशाल जिम्मेदारी का भार संभालना था । नई दिल्ली सी.आर.पी.एफ. रेंज के तत्कालीन डी.आई.जी. श्री दादाभाई जो आई.जी. के प्रोन्नत्ति का व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह भी उक्त भार लेने से मना कर बैठे थे । उन दिनों दिल्ली में पंजाब के आतंकवादियों की विध्वंसक घटनायें जोरों पर थीं । यद्यपि डी. डी. (ई) होने के कारण उक्त प्रबंध के भार का कोई सम्बंध मुझसे नहीं था फिर भी डी.जी. शिव स्वरूप तथा आई.जी. श्री खंडेलवाल ने मुझे स्टेडियम के प्रबंध का पूरा भार सौप दिया था । कुछ सहायता दिल्ली पुलिस एवं बी.एस.एफ. से ले लिया था । मेरे द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री जी ने लता मंगेशकर जी व दिलीप कुमार जी की सेवाओं का प्रयोग करके भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव व उनकी टीम के सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत व सम्मान किया था । पूरे समारोह में शानदार सुरक्षा व्यवस्था की सराहना माननीय लेफ्टीनेंट गवर्नर देहली श्री जगमोहन जी व डी.जी. सी.आर.पी.एफ. श्री शिव स्वरूप जी से की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने प्रसन्न होकर एक प्रशंसा पत्र २६.०८.१९८३ को मुझे लिखा था । वर्ष १९८५ के लोकसभा/विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक अशान्ति के कारण सारे प्रदेशों से सी.आर.पी.एफ. की आवश्यकता से अधिक मांग आ गई थी, जिसे पूरा करने में गृह मंत्रालय भारत सरकार असमर्थ रही थी । मेरे सुझाव पर सी.आर.पी.एफ. की पन्द्रह ऑक्जीलरी बटालियन तुरंत भर्ती करके उनके अधिकारियों और जवानों को वर्दी तथा ट्रेनिंग देकर आम चुनावों की ड्यूटी देने के लिए तैयार कर दिया गया था, जिसके लिए मुझे रात-दिन काम करना पड़ा था । चुनाव के बाद जब ऑक्जीलरी फोर्स को समाप्त किया जा रहा था तब डी.जी. सी.आर.पी.एफ. की आज्ञा से मैंने भाग दौड़ कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय से १५ में से १२ बटालियनों को नियमित करा देने का आदेश प्राप्त कर लिया था । उक्त सराहनीय कार्य में मेरे मित्र श्री वी.के. जैन आई.पी.एस ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, गृह विभाग, भारत सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति दिलवाने में मेरी विशेष सहायता की थी । इसके लिए क्रमशः डी.जी. सी.आर.पी.एफ. श्री शिव स्वरूप तथा डी.जी. श्री ओ.पी. भूटानी ने मुझे प्रशंसा पत्र लिखे थे ।

वर्ष १९८५ में मेरे बैच के आई०पी०एस० अधिकारी आई०जी० के रैक में प्रोन्नत पाने लगे थे । वर्ष १९५९ के आई०पी०एस० बैच के आल इण्डिया सीनिआरिटी में मेरा

द्वितीय स्थान था। सी.आर.पी.एफ. में उस समय आई.जी. का कोई पद खाली नहीं था। अतः गृह मंत्रालय ने मेरे अच्छे रिकार्ड को देखकर मुझे आई.जी. इन्डसट्रियल इन्टेलीजेन्स के रिक्त पद पर प्रोन्नत करने का प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ इन्डस्ट्रीज को भेज दिया था। भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी किसी दक्षिण भारतीय अधिकारी को उक्त स्थान पर आई.जी. बनाना चाहते थे क्योंकि उसके पूर्व श्री नारायण दत्त तिवारी तत्कालीन उद्योग मंत्री भारत सरकार ने श्री महेश चन्द्र शर्मा आई.पी.एस. उत्तर प्रदेश को उक्त पद पर कई वर्षो तक नियुक्त कर रखा था। उस समय उद्योग मंत्रालय में श्री सूरत दास आई.ए.एस. सेक्रेटरी तथा श्री विजेन्द्र सहाय ज्वाइन्ट सेक्रेटरी नियुक्त थे और दोनों उत्तर प्रदेश कैडर के थे इसलिए उन लोगों ने मेरी फाईल पर प्रबल संन्तुष्टि कर दी थी इसलिए उद्योग मंत्री जी ने आपत्ति नहीं की थी। मंत्री जी मेरी नियुक्ति शीघ्र हो जाने के इच्छुक थे क्योंकि उस समय वहां डी०आई०जी० श्रीमती किरन बेदी आई.पी.एस. नियुक्त थी और वह अपनी कार्यशैली ढंग की ही चलाती थीं, जो मंत्री जी के अनुकूल नहीं थी। मेरी फाईल उद्योग मंत्री जी के स्तर से अनुमोदित होकर ए.सी.सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन हेतु भेज दी गयी थी जिसकी सूचना मुझे श्रीमती किरन बेदी ने टेलीफोन से देकर बधाई भी दी थी। तब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और श्री राजीव गांधी जी भारत के नये प्रधानमंत्री बने थे। अतः मेरी फाईल जब ए.सी.सी. अनुमोदन के लिये पुनः प्रस्तुत हुई तब आई०ए०एस० स्तर के इस्टैब्लिसमेन्ट ऑफिसर ने उस पर एक नोट लिख दिया कि श्री वाई०एन० सक्सेना यू.पी. कैडर के अधिकारी है तथा सी.आर.पी. में पांच वर्ष का प्रत्यावेदन पूरा करने के बाद एक वर्ष के "एक्सटेन्डेड टेन्योर" में कार्यरत है। कार्मिक के सिद्धान्तानुसार किसी अधिकारी को "एक्सटेन्डेड पीरियड ऑफ टैन्योर" में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। उक्त नोट को देखकर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने मेरी फाईल पर लिखा था कि प्रोन्नति सम्भव नहीं है, अधिकारी को प्रदेश कैडर में प्रमोशन लेना चाहिए। अतः जब गृह मंत्रालय ने मुझे इसकी सूचना दी तो मैने डी.जी. सी.आर.पी.एफ. श्री जूली एफ. रिबैरो से अपने को उत्तर प्रदेश वापस भेजने का अनुरोध किया। उसके पूर्व मेरी उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. श्री जयेन्द्र नाथ चतुर्वेदी से इस सम्बन्ध में फोन पर वार्ता हो चुकी थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह मुझे वहां अच्छी पोस्टिंग देंगे और शीघ्र मेरा प्रमोशन भी करा देगें। मुझे गृह मंत्रा... व सी.आर.पी. ने उत्तर प्रदेश प्रत्यावर्तन के आदेश देने में देर नहीं की थी। जिस दिन सी.आर.पी.एफ. ऑफिसर्स मैस दिल्ली में मेरा विदाई समारोह हो रहा था, डी.जी., सी.आर.पी. श्री रिबैरो भी उसमें उपस्थित थे। यद्यपि मैने उनके साथ केवल ११ दिन ही कार्य किया था परन्तु विदाई के भाषण में वे काफी देर तक मेरे कार्यो की प्रशंसा करते रहे जो मेरे लिये

एक सुखद आश्चर्य था। उनकी नेतृत्व क्षमता तथा बड़प्पन की सब लोग प्रशंसा कर रहे थे कि इतने कम समय में उन्हें मेरे बारे में इतनी अधिक जानकारी कैसे हो गयी थीं।

मैंने व सरला जी ने लखनऊ लौट आने की तैयारी शुरू कर दी थी। सामान बांधना व बच्चों के लखनऊ जाने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी रश्मि सक्सेना जब जे०एन०यू० दिल्ली में एम०ए० प्रथम वर्ष की छात्रा थी तभी वह वर्ष १९८४ में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रथम बार ही पास हो गयी थी और उस समय लाल बहादुर शास्त्री एकाडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी में इनकमटैक्स सर्विस की ट्रेनिंग ले रही थी। दूसरी पुत्री छवि ने वर्ष १९८५ में इण्टर पास करके लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में एम.बी.बी.एस. में प्रवेश ले लिया था और हॉस्टल में चली गयी थी। केवल मुझे, सरला जी, अनुपम एवं माधवी को लखनऊ आना था। दिन में दोपहर के समय सी.आर.पी. के डी०जी० श्री रिबैरो ने मुझे फोन करके पूछा था कि यदि मै देहली में और रुकने का इच्छुक होऊॅ तो वह गृहमंत्री जी तथा प्रधानमंत्री जी के पास जाकर उनसे बात करके सी.आर.पी. में ही एक आई०जी० की अतिरिक्त पोस्ट बनवाने की कोशिश करेंगे। मैने उस विषय पर सरला जी से सलाह लेने के पश्चात उन्हें उत्तर देने के लिए समय मांगा था। सरला जी निर्णय लेने में बहुत पक्की थी। उनका विचार लखनऊ लौटने का बन चुका था। अतः वह उत्तर प्रदेश वापस आना चाहती थी। मेरा अपना भी विचार उनके विचारों से मेल करता था। अतः मै तुरन्त नार्थ ब्लाक पहुंच कर श्री रिबैरो से मिला और अपने उत्तर प्रदेश वापस जाने के निर्णय से अवगत कराकर कृपापूर्वक सोचने के लिए धन्यवाद भी दिया।

लखनऊ के वातावरण में लौटकर पुनः अपनापन महसूस किया। अगले दिन ही आई०जी० कार्मिक श्री वी० पन्जानी एवं श्री जे०एन० चतुर्वेदी डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश से मिला और उन्होंने गृह सचिव से बात करके मुझे डी०आई०जी० (एडमि.) के पद पर नियुक्ति के लिए आदेश पारित करा दिया। मै डी०जी० कार्यालय, १-तिलक मार्ग, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में बैठने लगा। श्री चतुर्वेदी डी०जी०पी० ने श्री पन्जानी जी को निर्देश दिया था कि मैंने सी.आर.पी.एफ में डी०डी० (ई०) के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति काल के मध्य जो अनुभव प्राप्त किये है उनका पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया जाय। नव नियुक्ति पर मेरा समय अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। श्री पन्जानी दुनिया के किसी भी विषय पर बड़ी विद्वतापूर्ण वार्तालाप करने के अति प्रेमी थे। श्री जे०एन० चतुर्वेदी हर विषय पर गहन अध्ययन तथा विश्लेषण करने के पक्षधर थे। अतः जब भी मै किसी फाईल को लेकर श्री चतुर्वेदी अथवा श्री पन्जानी के पास जाता था, प्रायः उस विषय पर आधा घंटा वार्ता होना

तो निश्चित ही रहता था । इन दो शीर्षस्थ विद्वानों की संगति में मुझे बड़ा आनन्द आता था । अचानक श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री ने श्री जे०एन० चतुर्वेदी जी की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन (उत्तर प्रदेश) इलाहाबाद के चेयरमैन के पद पर कर दी थी जो पुलिस विभाग के लिये बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि उसके पहले आई०ए०एस० के मुख्य सचिव पद के अधिकारी ही अधिकतर उक्त पद पर नियुक्त होते थे । इस प्रकार रातोंरात डी०जी० तथा एक आई०जी० के पद रिक्त हो गये थे । उसी ट्रांसफर चेन में श्री डी०के० अग्रवाल डी०जी० पुलिस तथा मै आई०जी० रूल्स एवं मैनुअल, रिसर्च एण्ड प्लानिंग नियुक्त किये गये थे । उक्त पद पर मैं केवल १९ दिन ही कार्यरत रहा था, उसके पश्चात मुझे आई०जी० गोरखपुर जोन के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया था । उस समय श्री वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । स्थानान्तरण पर गोरखपुर जाने से पूर्व डी०जी० ने मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने का निर्देश दिया था । अतः उनसे पहली मुलाकात मेरी बड़े विचित्र ढंग से हुई थी । वर्ष १९७६ में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर की नियुक्ति के मध्य एक जनसभा में भाषण देने जाते समय मैने युवा कांग्रेस नेता संजय गांधी के मंच पर जाने से श्री वीर बहादुर सिंह को रोक दिया था जिसके कारण वह अप्रसन्न भी हुये थे । मुझे उस समय यह पता नहीं था कि वे उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे । गोरखपुर जाने के पूर्व जब मै उनसे मिलने गया तब उन्होंने मुझे नितान्त आत्मविश्वास में लेकर कहा था कि "सक्सेना जी मुझे मालूम है कि आप नागालैण्ड, मिजोरम तथा मणीपुर आदि तथा चम्बल क्षेत्र में क्रमशः उग्रवाद एवं दस्यु समस्याओं से बहादुरी के साथ अच्छी तरह से निपटे है । मैने आपको इसीलिए गोरखपुर का आई०जी० बनाया है और चाहता हूं कि गोरखपुर जो माफिया गिरोहों के सन्दर्भ में शिकागो का पर्याय माना जाता है, में आप माफियावाद खत्म करें । दोनों कुख्यात माफिया गैगों को सख्ती से दबा दें । शासन से आपको पूरा समर्थन दिया जायेगा । मैने अपनी क्षमतानुसार उनकी इच्छा पूर्ति करने का आश्वासन दिया था । मैंने गोरखपुर पहुंचकर वहां के पुलिस अभिलेखों का अध्ययन करके, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर वहां की समस्याओं का पूर्ण अध्ययन करके कार्य प्रारम्भ कर दिया था ।

मेरे पूर्व श्री हरी मोहन जी आई०जी० गोरखपुर नियुक्त थे और बाद में वह प्रदेश के डी०जी०पी० भी नियुक्त हुये थे । उनका प्रशासन भी अच्छा था । उन्होंने गोरखपुर के पुलिस फोर्स में से ४०० ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची बनाई थी जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी और जो माफिया गैगों से सम्बन्धित थे । अतः मैने प्रदेश के डी०जी०पी० व मुख्यमंत्री जी से मिलकर सर्वप्रथम उक्त ४०० अधिकारियों व कर्मचारियों को गोरखपुर क्षेत्र से बहुत दूर स्थानान्तरित कराने का आग्रह करके उनका स्थानान्तरण कराया था जिससे पुलिस

में खलबली मच गयी थी। बहुत प्रयास के पश्चात भी उनमें से एक भी स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं हुआ था जिसके फलस्वरूप पुलिस फोर्स ही कांप गया था। मेरा दूसरा बड़ा आदेश वहां की पुलिस को यह था कि जब भी शहर में कोई गम्भीर अपराधिक घटना घटे, जिसमें किसी माफिया गिरोह का सम्बन्ध हो, उस पर प्रभावी ढंग से अविलम्ब उनके घरों की तलाशी लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जाय और अपराध में प्रयोग किये गये असलहों की वरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जाय। मेरा उक्त आदेश माफिया सरगनाओं के पास भी पहुंच गया था और मै प्रसन्न था कि उसे उन लोगों ने गीदड़ भपकी की तरह नहीं लिया था। अपने वाराणसी की प्रेस कांफ्रेंस में भी मैंने यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी अवस्था में अपराध में सम्मिलित माफिया को बक्शा नहीं जायेगा। यदि वे अपराध नहीं करते है तो उनको जबरदस्ती तंग भी नहीं किया जायेगा। तत्कालीन एस०पी० सिटी श्री एस०एन०सिंह जो अब डी०आई०जी० हैं, तेज एवं निर्भीक पुलिस अधिकारी सिद्ध हुये थे। वह मेरे आदेश का पालन दृढ़ता एवं सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा के भाव से करने में बराबर संलग्न रहते थे जिसके परिणामस्वरूप गोरखपुर में माफिया गिरोहों की गतिविधियों में बहुत कमी आ गयी थी। उक्त के अतिरिक्त अपराधों पर नियंत्रण पाने हेतु मैंने दो अन्य बड़े कदम उठाये थे जिसमें मुख्यमंत्री जी का मुझे पूर्ण समर्थन मिल गया था और जिसके कारण गोरखपुर जोन मेरे दो साल के कार्यकाल में माफिया अपराधों एवं गतिविधियों से मुक्त हो गया था। उन दिनों गोरखपुर में अजीब प्रथा थी। जीपें वहां टैक्सी के स्थान पर चलती थी जो किसी न किसी माफिया गिरोहों से सम्बन्धित रहती थी। उन पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं था। उन पर माफिया ठेकेदार सवारियों से मनमाना किराया लेकर बे-हिसाब सवारियों को लाद लेते थे और अपने ३-४ गनमैन भी उसमें भर देते थे जो अपनी बन्दूकों की नालों को बाहर दिखाते चलते थे। दूर से यह दृश्य ऐसा लगाता था मानो चम्बल घाटी में गिरोहों का पीछा करते हुये पुलिस की जीपें भाग रही हों। इस पर अंकुश रखने के लिए मैंने आर्म्स एक्ट के एक प्रावधान का सहारा लेकर जिलाधिकारी से ३ महीने तक सड़कों पर व सवारियों में लाइसेन्सी हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगवा दिया था। श्री दिनेश राय जिलाधिकारी गोरखपुर ने मेरे अनुरोध पर अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया था। यद्यपि उनका तर्क यह था कि ३ महीने बाद पुनः पुरानी स्थिति आ जायेगी तब मैने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक दिन के अंतराल के बाद जिलाधिकारी पुनः ३ महीने की अवधि बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे सुझाव से सहमत थे। अतः प्रावधान मेरे २ साल के कार्यकाल में बराबर लागू रखा गया था। इसी प्रकार मेरे सुझाव पर मुख्यमंत्री जी ने डिवीजनल कमिश्नर श्री ए०पी० वर्मा तथा मुख्य नगर अधिकारी गोरखपुर श्री दिलीप

कोटिया को आदेश दिये थे कि बस स्टैण्ड तथा टैक्सी स्टैण्ड का ठेका देना बन्द कर दिया जाये क्योंकि माफियों द्वारा ऐसे ठेके ले लिये जाते थे । यद्यपि उससे नगर निगम की आय को आर्थिक क्षति पहुंची थी परन्तु ऐसा करने से माफिया गैगों की आतंकी गतिविधियां समाप्त हो गयी थी । मुख्यमंत्री जी मेरे उक्त कार्यों से बहुत प्रभावित एवं संतुष्ट हुये थे । गोरखपुर में अशान्ति के स्थान पर शान्ति का वातावरण फैल गया था जिसके परिणामस्वरूप वहां का शहरी विकास एवं सुन्दरीकरण का कार्य उच्च कोटि के स्तर पर पहुंच गया था । देखते-देखते वहां के मुख्य बाजार गोलघर का नक्शा ही बदल गया था । सारे एक मंजिले भवन दो मंजिलों या कई मंजिलों में परिवर्तित हो गये थे । सड़कें चौड़ी करके बड़े शहरों की भांति ट्रैफिक लाइट एवं सिगनल लगा दिये गये थे । रामगढ़ ताल के आधे हिस्से से पानी साईफन से निकालकर एक विशाल भू-खण्ड निकाला गया था जहां मुख्यमंत्री जी ने बौद्ध बिहार पर्यटन केन्द्र तथा एक सर्किट हाउस बनवाने की योजना स्वीकृत कर दी थी । तद्नुसार उन पर कार्य प्रारम्भ हो गया था । हमने अपनी बड़ी पुत्री रश्मि (आई०आर०एस०) का विवाह वर्ष १९८६ में गोरखपुर से ही किया था ।

वर्ष १९८८ में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आई०जी० गोरखपुर के जोन से स्थानान्तरित करके डी०जी०पी० मुख्यालय लखनऊ में अति महत्वपूर्ण पद आई०जी० कार्मिक के पद पर नियुक्त कर दिया था । उस समय श्री आर०एन० गुप्ता डी०जी०पी० के पद पर नियुक्त थे । पूर्ण ईमानदार होने के साथ-साथ वह इन्सपेक्टरों व सब-इन्सपेक्टरों के ट्रांसफर के मामलों में बहुत ही कठोर एवं दृढ़ थे । यहां तक कि वह उक्त विषय पर तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित की संस्तुति को भी नहीं मानते थे । एक बार तो ऐसी स्थिति आ गयी थी कि उक्त विषय को लेकर डी०जी०पी० व गृहमंत्री के मध्य विवाद खड़ा हो गया था । डी०जी०पी० से अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार गृहमंत्री स्वयं लेना चाहते थे । उस बिन्दु पर कुछ परेशान होकर डी०जी०पी० श्री गुप्ता जी के निर्देशानुसार मैने मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया था और उनसे डी०जी०पी० को निश्चिंत रहने का आश्वासन प्राप्त किया था । तत्पश्चात उन्होंने गृहमंत्री जी को ऐसे विवादों में पड़ने से मना किया था, उसका परिणाम यह हुआ था कि गृहमंत्री जी मुझसे अप्रसन्न हो गये थे ।

कुछ समय बाद मुख्यमंत्री जी को भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री बनाकर दिल्ली भेज दिया गया था और श्री नारायण दत्त तिवारी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिये गये थे । दुर्भाग्यवश श्री वीर बहादुर सिंह जी का फ्रांस के दौरे के मध्य अचानक देहान्त हो गया । इस कारण से तथा मेरे उत्तराधिकारी (आई०जी०) सी०एल० वासन गोरखपुर की माफिया

कार्यवाही की ढिलाई से पुनः पहले जैसी स्थिति हो गयी और विकास कार्य ठप्प हो गया। यह मेरा सौभाग्य था कि श्री वीर बहादुर सिंह जी की सहायता और निर्देशन के कारण मेरा गोरखपुर का दो वर्ष का अपराध एवं भयमुक्त कार्यकाल आज जनमानस के मस्तिष्क में छाया है। मेरे स्थानान्तरण के अवसर पर वहां के मेयर तथा जनमानस द्वारा नगर महापालिका के ऐतिहासिक हाल में मेरा नागरिक अभिनन्दन व विदाई समारोह पुलिस के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है।

मुख्यमंत्री बीर बहादुर सिंह जी के भारत सरकार नई दिल्ली में चले जाने के बाद श्री गोपीनाथ दीक्षित ने अपनी अप्रसन्नता के कारण मुझे आई०जी० कार्मिक के पद से आई०जी० ट्रेनिंग के पद पर स्थानान्तरित करा दिया और मेरे स्थान पर केन्द्र की प्रतिनियुक्ति से लौटे श्री एस०वी०एम० त्रिपाठी को आई०जी० कार्मिक नियुक्त किया।

जब मैं प्रदेश का आई०जी०, ट्रेनिंग था तब केन्द्र सरकार ने मुझे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इण्टरपोल हेडक्वार्टर द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय पुलिस कांफ्रेंस पेरिस (फ्रांस) भेजा था। उसके पूर्व विदेश में आयोजित इण्टरपोल के कांफ्रेंस में श्री आर०एन० गुप्ता तत्कालीन डी०जी०पी० उ०प्र० स्वयं भाग ले चुके थे। उक्त कांफ्रेंस में सम्मलित होने के लिये भारत सरकार द्वारा अधिकारी चुना जाता है। परन्तु यात्रा का सारा व्यय प्रदेश सरकार को उठाना पड़ता है। इण्टरपोल की कांफ्रेंस में जाने हेतु मेरा नाम श्री आर०एन० गुप्ता डी०जी०पी० ने उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली को वर्ष १९८८ में भेज दिया था। भारत सरकार ने मेरा नाम स्वीकृत कर दिया। मेरे मित्र श्री संत कुमार त्रिपाठी उन दिनों उत्तर प्रदेश के गृह सचिव थे। मैने फ्रांस जाने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन मुझे पता लगा कि गृह सचिव त्रिपाठी ने उक्त प्रकरण पर अकारण ही टिप्पणी कर दी थी कि प्रदेश में आर्थिक संकट होने के कारण प्रदेश सरकार मेरी यात्रा का व्यय करने में असमर्थ है और उसे मुख्य सचिव के पास भेज दिया था। जब मुझे उसकी जानकारी हुई तब मै तुरन्त तत्कालीन मुख्य सचिव श्री शिरोमणि शर्मा जी से मिला और उनसे आग्रह किया कि इण्टरपोल की उक्त विश्व स्तर की कांफ्रेंस में देश व प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार एवं "आतंकवाद" जैसे प्रमुख विषयों पर नई बातों और अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने हेतु केवल २८,००० रुपये व्यय न कर पाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मुख्य सचिव ने गृह सचिव की संस्तुति को बड़े सफाई से टालते हुये सम्बन्धित पत्रावली मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हेतु भेज दी थी और लिख दिया था कि समयाभाव के कारण भारत सरकार दूसरे प्रदेश के अधिकारी को इतनी शीघ्र भेजने की स्थिति में नहीं होगी, अतः श्री वाई०एन० सक्सेना को ही जाने दिया जाय। मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री मेहरोत्रा जी ने

अविलम्ब उक्त विपयक पत्रावली मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करके मेरे फ्रांस जाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली और उससे सम्बन्धित आदेश बनाकर उसकी एक प्रतिलिपि मुझे दे दी थी। मैंने तुरन्त उस आदेश के आधार पर सेल्फ ड्राइन अधिकारी की हैसियत से ट्रेजरी से २८,००० रुपये निकालकर अपने स्टॉफ ऑफिसर व सरला जी को लेकर देहली प्रस्थान कर गया, वहां मुझे उस विश्व सम्मेलन में भाग लेने हेतु गृहमंत्री भारत सरकार का अधिकृत आदेश लेना था। फ्रांस के लिए प्रस्थान करने में केवल २ दिन शेष थे। शनिवार को दिल्ली का सचिवालय बन्द रहने के कारण केवल एक दिन में ही गृह मंत्रालय से आदेश, फौरन एक्सचेन्ज, एयरटिकट तथा पासपोर्ट पर फ्रांस का वीसा प्राप्त कर लेना बड़ा कठिन दिखाई पड़ा था। श्री वी०के० जैन गृह मंत्रालय में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी पुलिस थे। उन्होंने तथा उनके अत्यन्त गतिमान पी०ए० श्री खुल्लर ने मेरी अति विशेष सहायता की अन्यथा उस दशा में मेरा इण्टरपोल की कांफ्रेंस में सम्मिलित होने की सम्भावना नहीं थी। श्री खुल्लर जी ने ३-४ पृष्ठ का लम्बा आर्डर जिसकी प्रति इण्टरपोल हैडक्वार्टर फ्रांस को भी फैक्स द्वारा जानी थी तीव्र गति से जान लगाकर टाईप की थी। श्री जैन ने फ्रांस एम्बैसी के अधिकारी को फोन करके तुरन्त वीसा प्राप्त करके मुझे भेज दिया था। वहां का कार्यालय केवल दिन मे एक बजे तक ही खुला रहता था। अतः जब मै फ्रेंच एम्बैसी पहुंचा तब वहां अधिकारी जाने के लिए उठ चुका था परन्तु मेरे आग्रह व श्री जैन के सन्दर्भ के कारण उसने मेरा कार्य तुरन्त कर दिया और मुझे फ्रांस (पेरिस) का वीसा दे दिया था। जब मै वहां से लौटकर श्री जैन के पास नार्थ ब्लॉक पहुंचा तब तक श्री खुल्लर ने आदेश टाइप कर दिया था और श्री जैन ने सम्बन्धित पत्रावली पर गृह सचिव जी तथा गृहमंत्री जी के अनुमोदान प्राप्त कर मुझे आदेश की कापी दे दी थी। उक्त आदेश की प्रतिलिपि तथा फ्रांस के दूतावास की प्रतिलिपि के साथ–साथ मुझे पेरिस (फ्रांस) के होटल में ठहरने तथा ट्रांसपोर्ट एवं रिसैप्शन व्यवस्था आदि की भी आवश्यकता थी। अतः उस समस्या को भी मेरे घनिष्ठ एवं प्रिय मित्र भारत सरकार के सशक्त ज्वाईन्ट सेक्रेटरी श्री वी०के० जैन ने प्रभावी कार्यवाही करके मुझे निश्चिंत कर दिया था। उन्होंने तुरन्त उस विपय में श्री प्रभात कुमार, आई०ए०एस० जो उस समय पेरिस में भारतीय दूतावास में मिनिस्टर नियुक्त थे, को फोन किया था परन्तु पता चला था कि वह कार्यालय में नहीं है। उस समय उनका भारत सरकार में प्रत्यावर्तन के आदेश भी हो चुके थे। तब श्री जैन ने यू० के० में भारत के दूतावास के अधिकारी श्री आर० ला० जोशी को फोन किया था और उन्हें मेरे पेरिस कांफ्रेंस में भाग लेने के विपय में अवगत कराकर फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास में फोन करके होटल में मेरे ठहरने की व्यवस्था व एयरपोर्ट पर एम्बैसी की कार भेजने का प्रबन्ध कर दिया। इतना सब हो जाने के बाद मै सरला जी के साथ

भागकर एयर इण्डिया ऑफिस कनॉट प्लेस टिकट खरीदने ५ बजे शाम पहुंचा था। वहां का कार्यालय बन्द होने वाला था। अतः काउण्टर पर मुझे मना कर दिया गया कि अब टिकट नहीं मिल सकेगा। मैने भागकर एयर इण्डिया के मैनेजर से टिकट दिलाने का अनुरोध किया क्योंकि वह भी कार्यालय से अपने घर जा रहे थे जिससे मै रिजर्व बैक जाकर अधिकृत फारेन एक्सचेन्ज प्राप्त करके अपने साथ ले जा सकूं। एयर इण्डिया के मैनेजर की कृपा से मुझे टिकट के साथ-साथ इकानामी क्लास में ओ० के० स्टेट्स मिल गया था। वहां से मै सरला जी के साथ अशोका होटल जाकर रिजर्व बैक काउण्टर से डालर एक्सचेन्स आदि भी प्राप्त करने में सफल हो गया था। दिन भर का थका मादा सरला जी को साथ लिये हुये रात में मै सी.आर.पी.एफ. दिल्ली के रवीन्द्र रंगशाला में पहुंचा था। वहां चाय पीने तथा भोजन करने के पश्चात हम दोनों विश्राम हेतु चले गये थे। मैं बहुत दुःखी था क्योंकि मैं पैसों के कारण सरला जी को अपने साथ पेरिस नहीं ले जा रहा था। अतः मैने सरला जी कहा था कि तुम्हें पेरिस ले जाने की बड़ी इच्छा थी, परन्तु मजबूरी के कारण तुम्हें नहीं ले जा पा रहा हूं। सदैव की भांति उन्होंने मुझे समझाते हुये कहा था "जब मै अपना सारा अस्तित्व आपको समर्पित कर चुकी हूं, तब क्या मुझे नही मालूम कि आप मुझे अपने साथ पेरिस क्यों नहीं ले जा रहे है। आपका पेरिस जाना मेरे लिए गौरव एवं प्रसिद्धि का उज्जवल उपहार है। पर विदेश में निर्मोही मत हो जाना, मेरे लिये तो यदि आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकी तो जन्म ही निष्फल हो जायेगा। आप शान से प्रसन्नचित होकर फ्रांस का भ्रमण करों, मै विरह के क्षण रोकर नहीं हंस कर काटूंगी क्योंकि आपको कुछ दिनों बाद ही तो वापस आ जाना है।

अगले दिन प्रातः उठकर स्नान ध्यान एवं जलपान के बाद ही मैंने अपने फ्रांस जाने से सम्बन्धित सामान को सम्भाल कर रखना प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पहले इस सम्बन्ध का भारत सरकार का आदेश (सं०VI-14015/88-G.P. A.-II गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स डेट १० दिसम्बर, १९८८, नई दिल्ली), जिसका विषय था डेपुटेशन ऑफ श्री वाई०एन० सक्सेना, आई०पी०एस० (यू०पी० १९५९) इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ट्रेनिंग) उत्तर प्रदेश लखनऊ टू पार्टीसिपेट इन द ८ आई. सी.पी.ओ. इण्टरपोल सिम्पोजियम ऑफ हैड्स ऑफ पुलिस कालेजेज बीइंग हेल्ड एट सेन्ट क्लाउड पेरिस फ्रांस १२ टू १४ दिसम्बर, १९८८। यह श्री बी०के० जैन, एडीशनल सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित था तथा उसकी प्रतिलिपि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफैयर्स, नई दिल्ली को इस आशय के साथ भेजी गयी थी कि इण्डियन मिशन पेरिस द्वारा होटल में ठहरने की उचित व्यवस्था करायें। इसके अतिरिक्त एम्बैसी ऑफ इण्डिया, पेरिस

को पृष्ठांकित की गयी प्रतिलिपि भेजी गयी थी जो मेरे डिगाल एयरपोर्ट फ्रांस में ११.१२. १९८८ को एयर इण्डिया की उड़ान संख्या १३५ पर स्वागत से सम्बंधित थी।

मै सरला जी के साथ यथा समय इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली पहुंच गया था। मैने सरला जी का हाथ चूमते हुये विदाई ली थी। जैसा कि मै पहले कह चुका हूं कि पेरिस में मेरे ठहरने की जो भी सूचना व व्यवस्था की गयी थी वह श्री आर०पी० जोशी जी द्वारा की गयी थी जो उस समय यू०के० एम्बैली में वरिष्ठ अधिकारी थे। मुझे भय तो मन मे लग रहा था कि यदि जोशी जी द्वारा पक्का प्रबन्ध नहीं किया गया होगा तो इतने बड़े भव्य नगर में जहां लोग अंग्रेजी बोलने में गुरेज करते हों, मै कैसे सारा प्रबन्ध कर सकूंगा। जब मेरा वायुयान पेरिस की धरती पर उतरा तो उस समय एकदम अन्धेरा हो चला था पर डिगाल एयरपोर्ट पर झमाझम रोशनी बिखरी हुई थी मानो दिन हो। मै अपना हैड वैगेज जिसमें एक गर्म ओवर कोट भी था, लेकर प्लेन से उतरकर सीधे कन्वेयर वेल्ट पर आया जो तुरन्त चलने लगी। कन्वेयर वेल्ट की यात्रा बन्द ऊँची-ऊँची दीवारों के अन्दर देर तक चलती रही थी जिससे अजीब सा महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट बड़ा विशालकाय था। जब मै अपना सूटकेश प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था तब बराबर मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई थी कि यदि कोई रिसीव करने नहीं आया तब इस अनजाने शहर में कहां-कहां भटकना पड़ेगा, जिसमें मै किसी से परिचित नहीं हूं। परन्तु जब मै ट्राली पर अपना सामान लिये हुये बाहर आया तब एक्जिट द्वार पर एक बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में अपना नाम वाई०एन० सक्सेना लिखा हुआ पढ़ने में बहुत अच्छा लगा और मै समझ गया कि अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। पेरिस की चकाचौध दूर से ही गजब की लग रही थी। नेम प्लेट लिये हुये व्यक्ति से ज्ञात हुआ कि वह इण्डियन एम्बैसी के श्री मुरगम हैं तथा कार लेकर मुझे रिसीव करने आये है। मैने अपना परिचय देकर बड़ी गर्म जोशी से मुरगम को धन्यवाद दिया और सामान गाड़ी पर रखवाकर बैठ गया। एयरपोर्ट से गाड़ी सीधे चौड़ी रोड पर तेज गति से भाग रही थी। चौड़ी-चौड़ी ६ लेन वाली सड़के दौड़ती सी नजर आ रही थी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैला हुआ था। एक से एक अच्छी कारें सुचारु रूप से क्रमबद्ध होकर चल रही थी। इक्का-दुक्का मोटर साईकिल या बस दिखाई पड़ जाती थी। अन्य प्रकार की कोई सवारी सड़क पर नहीं थी। सड़क के किनारे फुटपाथ पर पैदल तेज गति से पुरुष, स्त्री तथा बच्चे चलते दिखाई देते थे। स्थान-स्थान पर पुलिस के सारजेन्ट बाकी-टाकी सेट लिये नियुक्त थे। कार के ड्राईवर ने बताया था कि सारा ट्रैफिक कन्टोलरूम से इलेक्ट्रानिक डिवायस से कन्ट्रोल होता है और अपराध की घटना घटते ही पुलिस वहां तेज वाहनों से पहुंचकर कानूनी कार्यवाही करती है। सारजैन्ट नीली वर्दी में बड़े हैण्डसम व स्मार्ट लग रहे थे। कार का ड्राईवर मुझे

लेकर होटल कानकोर्डे सेंट लाजारे पेरिस में आकर रुका था । होटल कानकोर्डे सेंट लजारे बड़ा शानदार था । बाजार के मुख्य मार्ग पर ही उसकी सीढ़ियां व दरवाजा तथा सामने रिसैप्शन था । रिसैप्शन पर बात-चीत के बाद श्री मुरगम मुझे तीसरे मंजिल के कमरे में लिफ्ट से ले गये थे । मेरा लगेज फ्रेंच वेटर अच्छे ढंग से ऊपर लाये थे । रिसेपसनिस्ट लेडी ने मुझे दिशा-निर्देश देकर होटल के बारे में अच्छी तरह बताया था । वह अधिकतर फ्रेंच भाषा में तथा मै अंग्रेंजी में बोलता था । मै उसकी मतलब भर की बातें समझ गया था कि होटल से बाहर जाते समय कमरे की चाबी काउण्टर पर छोड़ कर जाना होगा जिससे कमरे की सफाई आदि समय से हो सके । उस समय मुझे नई दिल्ली की एक पुरानी घटना याद आ गयी थी । वर्ष १९७३ में मै एस०पी० विजिलेन्स नियुक्त था । एक जांच के सम्बन्ध में श्री भगवत नारायण शर्मा एस०पी० के साथ दिल्ली गया था । हम लोग यू०पी० निवास चाणक्यपुरी में एक ही कमरे में ठहरे थे । हम लोगों को सुबह जल्दी जांच पर जाना था । कमरे में लगे सारे पाईप खोल डाले थे परन्तु पानी नहीं आया । अतः हम लोग पहले से रखे हुये पानी का प्रयोग करके कमरा बन्द करके बाहर निकल गये थे । शाम ३ बजे वापस आये तब वहां कोहराम मचा हुआ था । हमारे पूरे कमरे में पानी भर गया था और वह कमरे के बाहर बरामदे में भी बह रहा था क्योंकि हम लोग सारे नल खुले छोड़ गये थे । कमरे की चाबी हम लोगों के पास थी । पानी बाथरूम से होता हुआ बरामदे में पहुंच गया था । कमरे की कारपेट पानी में डूबे रहने के कारण नष्ट होकर बदबू कर रही थी । अपनी गलती पर हम लोग बड़े शर्मिन्दा हुये थे । दिल्ली की उस घटना को याद करते हुये मै होटल के कमरे में घुसा था । बहुत अच्छा कमरा था जिसमें डबल बैड पर बिछी लिनेन, एकदम सफेद काटन की होते हुये भी मखमल से अधिक मुलायम लग रही थी । कमरे में २४ घंटे चलने वाला टी.वी. लगा था । कमरे में जूस आदि, खाने-पीने के सामान लगे थे । सोफे पर बैठकर मेरी इच्छा श्री मुरगम जी के साथ एक-एक गिलास जूस का पीने की थी । अतः मैने एक गिलास जूस स्वयं के लिए लिया और एक श्री मुरगम जी को दिया । मै सोफे में पूरे भारतीय अन्दाज से बैठा था परन्तु बैठते ही सोफे में धंस गया था । सोफे की अपहाल्सटरी मुझे चारों तरफ से समेटे हुये थी । वहां सोफे बहुत मुलायम मैटीरियल से बनाये जाते है । अतः उनमें बैठने का अन्दाज ही अलग होता है । मुझे अगले दिन दिनांक १२.१२.८८ को प्रातः ९ बजे आई०सी०पी०ओ० इण्टरपोल की कांफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिये इण्टरपोल के सचिवालय भवन के रिसैप्शन पर पहुंचकर अपना आगमन रिपोर्ट करना था । ९.३० बजे पर २६ सेन्ट क्लाउड में कान्फ्रेन्स शुरू होनी थी । वहां पहुंचने के लिए मुझे सेन्ट लाजारे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी जो बर्सेलीस होती हुई सेन्ट क्लाउड स्टेशन पहुंच जाती थी जहां से जनरल

सक्रेटेरियेट, एसकैलेटर पर चढ़कर व जीने से होकर ५ मिनट में पहुंच जाते है। पर पहले दिन मैने ट्रेन से जाना ठीक नहीं समझा था। यद्यपि वहां हर १० मिनट पर ट्रेन आती-जाती थी। स्टेशन पर सम्बन्धित स्टेशनों के लिए मशीन में सही पाइन्ट प्रेस करके, सिक्का डालने पर टिकट निकल आता था परन्तु यदि भूल से गलत ट्रेन चुन ली तो फिर सही स्टेशन पर पहुंचना वड़ा कठिन होता है। अतः मैंने होटल से टैक्सी मांगी थी। जैसे ही मै होटल से बाहर निकला एक बड़ी कार मेरे लिये खड़ी थी। मैने ड्राईवर को बताया कि मुझे इण्टरपोल सक्रेटेरियेट ले चलो। उसने मेरा अभिवादन किया और थोड़ी देर में ही मुझे सेन्ट क्लाउड पहुंचा दिया था। ड्राईवर ने मुझे उतारकर अपनी सफेद वर्दी के सूट से नोट बुक निकाल कर रसीद वनाई, पेमेन्ट लिया और अभिवादन करके चला गया। मैने रिसेप्शन पर पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी तब इण्टरपोल के स्टॉफ ने मुझे कान्फ्रेंस डेलीगेट का फोटो वाला पॉकेट कार्ड तथा लिटरेचर देकर सक्रेटेरियेट में जाने का इशारा किया। रास्ते में मुझे श्रीलंका तथा बांगला देश के प्रतिनिधि मिल गये थे जिनसे मेरा तुरन्त परिचय हो गया था। सब अलग-अलग होटलों में ठहरे थे।

होटल कानकोर्डे वहां का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक होटल था जो कानकोर्डे स्क्वायर में बना था। दिसम्बर में वहां काफी सर्दी का अनुमान लगाकर मै सूट व ओवरकोट पहनकर पहुंचा था। सर्दी बहुत अधिक नहीं थी। कान्फ्रेंस हाल में घुसने के पहले हैट उतार कर टांग दिये थे। वाहर ही चाय और काफी की मशीन लगी थी। अतः अपने-अपने पैसे डालकर सब लोग ठंड मे चाय/काफी का आनन्द ले रहे थे। ठीक ९.२५ बजे कान्फ्रेंस हाल में अपने-अपने देश के नाम से अंकित सीट पर प्रतिनिधि बैठ गये थे। मै इण्डिया की सीट पर वैठ गया था। मेरे पास बेलजियम की एक महिला अधिकारी बैठी थी। उससे औपचारिक वार्ता हुई। ठीक समय पर सेक्रेटरी जनरल इण्टरपोल ने हाल में प्रवेश किया था। वह फ्रांसीसी थे। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया था। सभी की मेजों पर माईक लगे थे। सबका स्वागत करने के पश्चात उन्होंने कान्फ्रेंस का एजेन्डा तय किया था। पहला बिन्दु विश्व के देशों की पुलिस ट्रेनिंग में समानता तथा असमानता पर विचार-विमर्श था। दूसरा विन्दु आतंकवाद की समस्या और उसका स्वरूप तथा उससे निपटने के उपायों पर चर्चा तथा अन्तिम विन्दु पुलिस की समस्याओं के प्रति आपसी जानकारी लेना-देना था। सेक्रेटरी जनरल के कथनानुसार प्रतिनिधियों को स्वयं अपने में से एक वर्किंग प्रेसीडेन्ट चुनना था, जिसकी अध्यक्षता में उक्त बिन्दुओं पर चर्चा चलनी थी तथा उक्त बिन्दुओं पर एक विस्तृत आख्या इण्टरपोल हैडक्वार्टर को प्रस्तुत करनी थी। तदोपरान्त उसकी संस्तुतियों को यूनाईटेड नेशन्स की सभा में सेक्रेटरी जनरल इण्टरपोल के माध्यम से प्रस्तुत करना था।

कान्फ्रेंस के मध्य ब्रेक के बाद सेक्रेटरी जनरल चले गये थे। समस्या यह थी कि किस आधार पर वर्किंग प्रेसीडेन्ट चुना जायेगा। वह एक गूढ़ विषय था। फ्रांस का प्रतिनिधि अपने देश में हो रही सभा के आधार पर वह पद ग्रहण करना चाहता था। यू०के० का अंग्रेज प्रतिनिधि इस कारण अपना प्रभुत्व जमा रहा था कि अधिकतर देशों में बिट्रिश पैट्रन पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के कारण सभा का प्रतिनिधित्व के लिये प्रेसीडेन्ट चुने जाने का दावा प्रस्तुत किया था। देर तक इसी विषय पर तर्क-वितर्क होता रहा था। अंत में माल्टा के सबसे वृद्ध पुलिस प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि उसका देश सबसे छोटा है, अतः प्रेसीडेन्ट बनने का अवसर उसे दिया जाय, जिसे सब देशों से आये प्रतिनिधियों ने अन्तोगत्वा स्वीकार करके सभा के संचालन का भार उसे सौप दिया था। उस विश्व सभा की कार्यवाही क्रमशः १२ व १३ दिसम्बर, १९८८ को दोनों सेशन में चली थी जिसमें खूब चर्चायें, तर्क-वितर्क सामने रखे गये थे। भारतीय पुलिस की ट्रेनिंग एवं आतंकवाद पर मैंने गहराई से प्रकाश डाला था। उक्त चर्चाओं में तीन विन्दु विशेषकर पसन्द किये गये थे। पहली बिट्रेन के अधिकारियों ने बलवा (राएट) कन्ट्रोल पर ट्रेनिंग की जो फिल्म दिखाई थी वह बड़ी सजीव थी। उसमें अस्थाई शहर,बाजार आदि का निर्माण कर आगजनी, पथराव व फायरिंग का दृश्य था जिसमें पुलिस को प्रशिक्षण लेते दिखाया गया था। दूसरा चीन के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को पुलिस विषय की डिग्री कोर्स पढ़ाया जाना था जिससे पुलिस सेवा में आने के लिये वरीयता मिलती थी जिस कारण पुलिस अभ्यर्थी को ट्रेनिग में कालेज की सैद्धान्तिक पढ़ाई कम करनी पड़ती है तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण अधिक बढ़ा दिया जाता था। तीसरी इटली पुलिस द्वारा प्रस्तुत ट्रेररिस्ट अटैक के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही की ट्रेनिंग देखने योग्य थी। जब मैनें भारत में इलाहाबाद के कुम्भ मेले में कई करोड़ भीड़ गगां-यमुना तथा सरस्वती नदियों के संगम पर जमा होने व धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ पर्वो पर स्नान करने तथा सम्राट अकबर द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व इलाहाबाद के किले में लगे एक ही वट वृक्ष का दर्शन करना बताया था तो वे हक्के-बक्के हो गये थे। करोड़ों की संख्या में एकत्र होने वाली मानव भीड़ का अनुमान लगाना तो दूर था, उसकी वे कल्पना भी नही कर सकते थे। तीसरे दिन जब सभी की चर्चाओं की रिपोर्ट बनी थी तब मैने भारतीय पक्ष से यह भी जुड़वा दिया था कि यूनाईटेड नेशन्स को अब इण्टरपोल आतंकवाद पर जरूरत से ज्यादा धन एवं ध्यान देना होगा अन्यथा यह समस्या शीघ्र ही विश्व स्तर पर विकराल रूप धारण करके बसुदैव कुटम्बकम की परम्परा का भक्षण कर लेगी और पूरा विश्व समुदाय बे-लगाम होकर आतंकवाद के शिकंजे में जकड़ जायेगा। मै प्रसन्न था कि मेरी प्रमुख संस्तुतियों को कांफ्रेंस की रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया था।

फ्रांस में पुलिस वाहन ज्यादातर थानों में अथवा हैड क्वार्टर में रिजर्व में रहती है तथा जो भी गाड़ी बाहर किसी कार्य को जाती है उस पर कन्ट्रोल रूम में सूचना व समय का रिकार्ड कम्प्यूटर में अंकित हो जाता है । यही कारण था कि इण्टरपोल ने जिन गाड़ियों का प्रबन्ध हम लोगों के लिये किया था, प्रतिनिधियों को पहले से ग्रुप बनाकर घूमने जाने हेतु बताना पड़ता था । पहले दिन शाम जब मेरी गाड़ी भारतीय दूतावास में प्रवेश कर रही थी तब गेट पर पूछताछ में कुछ अधिक समय लग गया था । तभी वहां नियुक्त एक सार्जेन्ट ने मुझे बताया था कि रोड़ पर रुकना नहीं चाहिये क्योंकि ट्रैफिक की गति रुकने पर वहां जाम की समस्या पैदा हो सकती है । वहां के घरों में प्रायः गैराज न होने के कारण रोड की पहली लेन से सटी किनारे की जमीन को गैरेज के रूप में कार के मालिकों को प्रशासन द्वारा किराये पर आवंटित कर दिया जाता है । पेरिस में भारतीय दूतावास का भवन भव्य एवं सुन्दर है । वहां पहुंचकर मै भी प्रभात कुमार जी से मिला था, जो यू० पी० कैडर के आई०ए०एस० अधिकारी थे और भारतीय दूतावास में मन्त्री नियुक्त थे । मै उनसे पहले से परिचित था । उन्होंने मेरा स्वागत करके बढ़िया काफी तथा वहां की अच्छी सिगरेट दी थी और कानपुर तथा उत्तर प्रदेश की भूली-विसरी बातों को याद किया था । उन्होने मुझे पेरिस के बारे में बहुत जानकारी करायी थी । उनके भारत वापसी के स्थानान्तरण आदेश हो चुके थे और अपना कार्यभार वापस सौंपने में व्यस्त थे । घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करने की भी स्थिति नहीं थी । उन्होनें घूमने-फिरने के विषय में कुछ प्रमुख स्थानों को विशेषकर देखने को मुझे टिप्स दिये थे और मैट्रो ट्रेन को ज्यादा प्रयोग करने की राय दी थी । दूतावास से कार न मिलने पर मैट्रो ट्रेन की जगह सिटी बस द्वारा रोड से पेरिस शहर घूमने को अधिक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला बताया था । मुझे विशेषकर आईफिल टावर, म्युजियम, नाट्रेडॉम, कनकार्ड महल आपेरा में शाम को शो तथा रात्रि १० बजे से १२ बजे तक का लीडो (रात्रि) शो देखने को सावधान कर दिया था । लीडो शो का उन दिनों टिकट आदि ३५० फ्रेंक था जिसमें मद्यपान व खाना शामिल था । यह शो पेरिस बाई नाईट के नाम से विश्व विख्यात था, जहां नव यौवनायें अपनी नग्नता एवं शृंगारिक भाव-भंगिमाओं से पुरुष वर्ग के साथ-साथ नारियों को भी लुभाने में सक्षम होती हैं । मैंने लीडो को छोड़कर सभी स्थानों का अच्छी तरह भ्रमण किया था । मन में विचार आया था कि अगली बार पेरिस आकर सरला जी के साथ लीडो देखूंगा, परन्तु वह मौका पुनः नहीं आ सका क्योंकि सरला जी इस नश्वर जगत से बहुत दूर चली गई है और मेरा भी मन उनकी कमी से इस गम की दुनियां में ज्यादा नहीं लगता है ।

पेरिस का भ्रमण मैंने भारतीय दूतावास के अटैची एडमिन श्री किशनलाल जी, कौंसिलर श्री ज्योति सिन्हा एवं हैड आफ दी चांसरी श्री स्वामीनाथन आई०ए०एस० की

सहायता से खूब किया था। भारतीय दूतावास का नम्बर ४५२०३९३० मुझे अभी तक याद है। मैने श्री के०एन० दारूवाला जो उस समय भारत सरकार की ओर से "रा" में विट्रिश दूतावास से लंदन में नियुक्त थे, से भी फोन पर वार्ता की थी क्योंकि मैं पेरिस से लंदन की यात्रा भी करना और वहां से भारत लौटना चाहता था। वह मेरे लिये सब प्रबन्ध कर देने के लिये तैयार थे परन्तु लंदन तथा पेरिस में "क्रिसमस" के समय सभी एयरवेज की उड़ाने एक माह पहले ही बुक हो जाती है। अतः भारत लौटने के लिये फ्लाइट की प्रतीक्षा में मुझे कितना समय लग जाता निश्चित नहीं था। इसलिये मै वहां की यात्रा न करके पेरिस से ही सीधे भारत लौट आया था। पेरिस में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के (आगरा निवासी) अधिकारी श्री पी०वी०शर्मा जी से मिलने तथा रात्रि भोज पर उनके घर गया था। वह श्री चिन्तामणि जी की पत्नी श्रीमती नीलमणि जी के भाई थे। नीलमणि जी सरला जी की अच्छी सहेली थी। श्री पी०वी०शर्मा पेरिस में ईफिल टावर के पास रहते थे जो कनकोर्डे होटल से काफी दूर था। वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गये थे परन्तु वापस मै टैक्सी से आया था, जो बहुत मंहगी पड़ी थी। उनके घर का भोजन बहुत अच्छा लगा था। उनके घर से सामने चमकता हुआ ईफिल टावर निराली शान वाला लगता था और सोन नदी में प्रतिविम्बित सारे स्थान बहुत आर्कपक लग रहे थे। फ्रांस में मद्यपान का आम रिवाज है। अतः शर्मा जी ने मुझे अच्छी फ्रेंच वाईन तथा सीडर पिलाई थी। शर्मा जी की पत्नी और दोनों बच्चियां मुझसे इण्डिया के बारे में तरह-तरह की बातें पूछ रही थी। बच्चियों को प्रसन्न एवं विस्मित करने हेतु मैने उन्हें कुछ अपने भारतीय जादूगर मदन कुण्डू के एक दो ट्रिकें दिखाई थी तब वे सब बड़े प्यार से बार-बार और ट्रिक्स दिखाने के लिये आग्रह करने लगे थे। मेरा लिमिटेड स्टॉक खत्म हो चुका था। अतः मैने उन्हें ज्योतिष की तरफ मोड़ा और हाथ देखकर एक दो भविष्यवाणियां कर डाली थी जो मुझे मोटे-मोटे तौर पर आती थी। तब तो उन सबने मुझे ज्योतिषाचार्य मानकर तरह-तरह के प्रश्न पूछने शुरू किये थे जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था पर कुछ न कुछ उत्तर देकर मै उन्हें आन्दोलित करता रहा था। श्रीमती शर्मा ने मेज पर भोजन लगा दिया था। अतः मै खाने में जुट गया और किसी तरह ज्योतिष के और अधिक चक्कर से बच गया था। रात्रि भोजन के बाद शर्मा जी दम्पत्ति व दोनों बच्चियों ने बड़ी आत्मीयता से मुझे विदाई दी थी। मैने उन्हें भारत आगमन के समय अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था। एक दिन मै पेरिस में जो फैशन का कैपिटल कहा जाता है, घूमने व कुछ खरीदने की इच्छा से वहां के प्रसिद्ध डिपार्टमेन्ट स्टोर "लफायट" में गया था। यहां फैशन शो होते है तथा बहुभाषी होस्टैस होती हैं और सैल्फ हैल्प तरीके की शापिंग होती है। काउण्टर पर कोई सामान देने वाला नही होता है। सामान स्वयं चुनना पड़ता है।

मुख्य द्वार पर केवल आर्मड पुलिस रहती है। बिल कम्प्यूटर पर बनता है। सामान की निगरानी भी क्लोज सर्किट के माध्यम से कम्पयूटरीकृत है। वहां शाप लिप्टिंग एक बड़ा गम्भीर अपराध माना जाता है। मैने शिल्क का एक स्कार्फ, एक रिस्टवाच तथा आइफिल टावर का एक बोन चाइना की प्लेट पर सुनहला बना चित्र सोबनिर के रूप में खरीदा था। वहां फ्रेंच परफ्यूम का बहुत बड़ा बाजार था, जहां मैंने भारतीय सिने अभिनेत्री जीनत अमान के नाम से प्रसिद्ध सेन्ट "पायजन" खरीदा था। वहां पर बिकने वाले सामान बड़े कीमती थे। मै लिओन मेकं गया था। वह गोल्ड चेन जैक्स तथा पोरसिलीन का बहुत बड़ा मार्केट है। वहां मै कुछ भी नहीं खरीद सका क्योंकि सामान बहुत मंहगे थे। वहां लाईफशो कई जगह होते है।

पेरिस में EROTIQUES THEATRES बहुत है जहां पेरिस की नाईट-लाईफ देखने को मिलती है, जैसे LOLIT A CLUB तथा RUE PIG ALLE में फ्रेंच लवर-शो होते हैं। यहां के जीवन में म्यूजिक हाल्स भी महत्वपूर्ण है जहां ब्ल लिभ्वेम्‌ै स्व्व्छ चलते है जिसमें विश्व की सबसे मोहक संगीत की धुनें बजाई जाती है तथा सुन्दरियां कामोत्तेजक नृत्य करती है। पेरिस में क्रिसमिस के समय सम्पूर्ण बाजार बिजली की सजावट से अति सुन्दर लगते है। वहां मैंने देखा और सुना कि बिजली शायद ही कभी फेल होती हो। वहां की पारिवारिक जीवन शैली बड़ी फैशन प्रिय तथा महंगी है और काम चलाऊ गृहस्थ जीवन संस्कृति से विमुख होती दिखाई देती है। चालीस प्रतिशत नव युवतियां अविवाहित रहना पसन्द करती है परन्तु कौमार्य को सुरक्षित रखना कतई जरूरी नहीं मानती है। उसके तीन कारण जो मुझे बताये गये थे वे इस प्रकार हैं - पहला, वहां स्त्री-पुरुष दोनों ही धन उर्पाजन करते है। दूसरा, कार्यालय तथा फैक्टरी में कठोर समय की पाबन्दी। तीसरा, वहां मकान, स्कूल व नौकर की व्यवस्था बहुत मंहगी है। अतः परिणामस्वरूप विवाहित आनन्द अति कठिन होता है क्योंकि बच्चा पैदा हो जाने पर स्त्रियों को सुबह पांच बजे उठकर स्वयं को ऑफिस के लिये तथा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है और बच्चों को क्रैच स्कूल में छोड़ना पड़ता है। तत्पश्चात उसे भाग कर मैट्रो रेल पकड़कर ऑफिस ठीक समय पर पहुंचना पड़ता है। अतः भागते हुये रास्ते में सैंडविच आदि जो भी मिल जाता है उसी को खाकर संतोष करना पड़ता है। एक तरह से विवाहित जीवन अधिक यांत्रिक है। इस प्रकार से नव युवतियां व अधेड स्त्रियां स्वच्छंदता से भोग विलासी जीवन व्यतीत करना पसंद करती हैं। अविवाहित महिलायें सुबह आराम से उठकर ऑफिस जाती है और सान्ध्या समय कार्यालय समाप्त हो जाने पर ग्रुपों में निकलती है और अपने-अपने क्षेत्र के बाजारों के होटलों में घुस कर सीडर व अन्य मदिराओं से अपनी पहली थकान दूर करती हैं तब संगीत लहरी के सम्मोहन में नाचती थिरकती अपने-अपने प्रेमियों को दुलारती पुचकारती है और उनके सुखद बाहों में आबद्ध होकर डांस करती है तथा यथा स्थान

प्रेम विह्वल होकर प्रेम बिहार में रत हो जाती है और इस प्रकार अपनी काम वासना की पूर्ति के लिये वे दाम्पत्य प्रेम, ममता, वात्सल्य आदि को द्वितीय स्थान देती है। मुझे यह भी देखने को मिला था कि रेलवे स्टेशन पर गोरी चिट्टी फ्रेंच महिलायें भागकर वहां खड़े भुजंग अफ्रिकी युवकों से अपनी काम वासना की पूर्ति हेतु लिपट जाती हैं यद्यपि गौर वर्ण की महिला एवं श्याम वर्ण के पुरुष के साथ भोग-विलास वहां के कानून के विरुद्ध है, अतः पुलिस को देखते ही भाग जाते है।

मै फ्रान्स के जीवन को अति भौतिक, उच्चवर्गीय, फैशनेविल, मधुर भाषी तथा आडम्बरपूर्ण मानता हूं, परन्तु उनकी कार्य प्रणाली अनुशासित है। कभी गाड़ियां लेट नहीं होती है। हड़ताल नहीं होती है। बिजली फेल नहीं होती है। सड़क पर कोई भीख नहीं मांगता है। (केवल कभी-कभी वे चलती ट्रेनों में गिटार बजाकर तथा संगीत गाकर पैसा इक्ट्ठा करते हैं।) सड़क पर कभी गन्दगी नहीं दिखाई देना वहां की स्वच्छता का प्रतीक है। सफाई कर्मी रात्रि २ बजे सड़कों की गन्दगी मशीनों से मिनटों में साफ कर देते है। पेरिस से लौटने पर इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट पर मेरी बेटी छवि जो उस समय लेडी हार्डिग्ज मेडिकल कालेज की छात्रा थी, लेने आयी थी। उस रात्रि मै सी०आर०पी०एफ० मैस रवीन्द्र रंग शाला नई दिल्ली में रुका था। अगले दिन सुबह मैने गृहमंत्रालय जाकर श्री वी०के० जैन एडीशनल सेक्रेटरी होम तथा उनके पी०ए० श्री खुल्लर से मिलकर आभार प्रदर्शित किया था। उसी दिन में देहली से लखनऊ ट्रेन से रवाना हो गया था। लखनऊ स्टेशन पर सरला जी ने, बच्चों अनू (अनुपम), सोनी (माधवी) ने हंसते मुस्कुराते हुये मेरा स्वागत किया था। फ्रांस की जलवायु में कुछ दिनों स्वांस लेने के पश्चात मुझे यह पारिवारिक मिलन अत्यन्त सुखद एवं सुहावना लगा था। विश्राम के समय मैने उन्हें पेरिस में रहने के तरीके तथा सामाजिक रीति-रिवाजों आदि से अवगत कराया था।

अगले दिन मै डी०जी० पुलिस श्री राजनाथ गुप्ता से मिला और वहां की कान्फ्रेन्स का सम्पूर्ण विवरण उन्हें दिया था। इससे पहली इण्टरपोल की विश्व स्तरीय पुलिस कान्फ्रेन्स में स्वयं श्री गुप्ता जी भाग ले चुके थे। वे प्रणय के मेरे द्वारा बताये गये दृश्यों पर जोर का अट्टाहस करते रहे क्योंकि स्वयं उसे वे मुझसे पहले देख चुके थे। मैने शासन के आदेश के अनुसार कान्फ्रेन्स सम्बन्धी पूरी रिपोर्ट लिख कर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत कर दी थी जिसकी एक प्रति उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को, एक गृहमंत्रालय, भारत सरकार को तथा एक प्रति डायरेक्टर सी०बी०आई० नई दिल्ली को भेज दी थी। भारतवर्ष के लिये सी०वाई०आई० के डायरेक्टर इण्टरपोल की "नोडल एथारिटी" नियुक्त किये गये है।

वर्ष १९८८ में उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में आतंकवाद का आगमन हो तो चुका था पर केवल इक्का-दुक्का घटनायें ही घटी थी, जिसे वहां के पुलिस अधीक्षक श्री वृजलाल ने

२६

पुलिस महानिदेशक के लिए रस्साकसी

पेरिस से लौटकर मै आई०जी० ट्रेनिंग के पद पर अभी कुछ ही दिन रह पाया था कि मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पुलिस विभाग में भारी फेर-बदल कर डाला। इसमें सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन मेरा था। श्री आर० के० सक्सेना उस समय सी०आई०डी० के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे जो मुझसे आई०पी०एस० सम्वर्ग में कई वर्ष ज्येष्ठ थे। उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करके मुझे वहां का प्रमुख नियुक्त किया गया था। शासन ने वहां के महानिदेशक के पद को दो रैक डाउन ग्रेड करके मुझे वहां का प्रमुख आई०जी के पद पर बनाया था। मैं आश्चर्यचकित था कि यह सब कैसे और किसकी कृपा से हुआ क्योंकि मैं कभी अपनी नियुक्ति के विषय में प्रयास नहीं करता था। मै अन्त तक नहीं जान सका कि यह नियुक्ति किसकी कृपा से हुई थी। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक रहने के बाद वर्ष १९७१ में केवल कुछ महीनों के लिए मै सी०आई०डी० में नियुक्त रहा था। प्रदेश सी०आई०डी० का मुखिया होना हमेशा से पुलिस अधिकारियों के लिए गर्व की बात रही है, अतः मैंने इस भारी भरकम जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ ज्यादा ही लगन, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण एवं उलझी हुई सी०आई०डी० जांचों की एक अलग से सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करने पर जोर दिया और विशेष रूप से ऐसी जांचों को अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखा।

सारी व्यवस्था ठीक चल रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गयी और ५ दिसम्बर, १९८९ को मुलायम सिंह यादव जी ने प्रदेश के नये मुख्यमंत्री का भार ग्रहण किया। मुझे अन्देशा था कि नये शासनकाल में मुझे सी०आई०डी० के प्रमुख पद से हटाया जा सकता है क्योंकि मुझसे वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारी सी०आई०डी० के मुखिया न

बनाये जाने के कारण दुःखी थे। इस प्रकरण में व्यथित अधिकारियों द्वारा हरसम्भव प्रयास भी किया गया, परन्तु मुख्यमंत्री जी ने वहां से मेरा स्थानान्तरण नहीं किया। कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव नृपेन्द्र मिश्रा से फोन कराकर मुझे मिलने के लिए बुलाया। मेरा मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत परिचय नहीं था उन्होंने मुझसे सी०आई०डी० की कार्यप्रणाली के बारे में पूछताछ की। मैने उन्हें विस्तारपूर्वक वहां की कार्यप्रणाली बतायी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह भी बताया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मत था कि सी०आई०डी० प्रमुख के लिए मेरी वरिष्ठता काफी नहीं है। इस पद का स्तर नीचा करके मुझे पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रमुख बना दिया गया है। यह केवल पक्षपातपूर्ण ही नहीं है, नियम विरूद्ध भी है कि एक कनिष्ठ अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करे। मैने शान्त भाव से उत्तर दिया कि यह विषय तो शासन के निर्णय का होता है। आप चाहें तो अवश्य मुझे हटा दें, पर मेरी तैनाती वहां केवल मैरिट के आधार पर ही की गयी है। मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनकर सन्तुष्ट थे। अन्य प्रान्तों से भी वह इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अतः उन्होंने मुझसे बिना विचलित हुये पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से कार्य करते रहने को कहा। मैंने उन्हें सही कार्य करने और कराने का आश्वासन दिया और निश्चिन्त होकर लौट आया था। मै अपना कार्य पूर्व की भांति निष्ठा एवं लगन से करता रहा। प्रायः मुख्यमंत्री जी मुझे निजी परामर्श के लिए अकेले में भी बुला लेते थे, जिससे मैं आश्वस्त हो गया था कि वह मेरे कार्य से संतुष्ट थे। जिन विषयों पर उन्होंने मुझसे राय ली थी वह सी०आई०डी० के न होकर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित थे और जिनका दायित्व सीधे डी०जी०पुलिस, आई०जी० इन्टेलीजेन्स, प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्य सचिव का था। यह वह हंगामी दौर था, जब २५ दिसम्बर, १९९० को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी सोमनाथ मन्दिर, गुजरात से रथ यात्रा द्वारा भारत-भ्रमण करते हुये रामजन्म भूमि अयोध्या पहुंचने के लिए कृतसंकल्प थे, परन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें अयोध्या में किसी कीमत पर न पहुंचने की चुनौती दे रखी थी। शासन एवं भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से तैयारियां पूरे जोर-शोर पर चल रही थीं। प्रदेश में श्री आर०पी० माथुर, डी०जी०पी० तथा श्री राज भार्गव मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। उस समय श्री माथुर के बजाय मुख्य सचिव एवं आई०जी० इन्टेलीजेन्स श्री राम आसरे मुख्यमंत्री पर अधिक हावी थे और कड़ी कार्यवाही करके आडवानी जी की यात्रा को बल प्रयोग तथा गिरफ्तारी करके रोक देने के पक्षधर थे। डी०जी०पी० श्री माथुर बीमार थे और उनकी राय का कोई मूल्य नहीं था।

इस प्रकरण पर मंत्रणा हेतु अचानक एक मध्य रात्रि को मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने आवास ५ विक्रमादित्य मार्ग पर बुलाया। उस समय मैं उनके आवास के पास २, न्यू डिप्टी

मिनिस्टर रेजीडेन्स, विक्रमादित्य मार्ग पर ही रहता था। मुख्यमंत्री जी ने एकदम अकेले में मुझसे आडवानी जी की रथ यात्रा को विफल करने हेतु मेरी राय मांगी। मैं उनकी बातों को सुनकर स्तब्ध हो गया था, क्योंकि वह मेरे विभाग का नहीं बल्कि विशुद्ध शान्ति-व्यवस्था का विषय था। उन्होंने मुझसे स्पष्ट और खुलकर राय देने का अनुरोध किया। मेरी व्यक्तिगत राय अन्य उच्चाधिकारियों से भिन्न थी। मै श्री आडवानी की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं था क्योंकि उनकी रथ यात्रा को पूरे भारत के भ्रमण के बाद अयोध्या पहुंचना था। इससे लाखों नर-नारियों व युवकों का भावनात्मक रूप से जुड़ जाना स्वाभाविक था। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करके वहां की परिस्थितियों को हिंसक बना देना उनके लिये बड़ा आसान था। साथ ही शासन की कोई भी कार्यवाही दण्डात्मक एवं प्रतिशोधात्मक समझी जायेगी, यह मेरा अनुमान था। एक बार स्थिति बिगड़ जाने पर उस पर नियंत्रण पाना भी प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी समस्या होगी। अतः मेरी राय थी कि बिना किसी विघ्न-बाधा के आडवानी जी के रथ को फैजाबाद तक आने दिया जाये और उसे अयोध्या तक पहुंचने की भी आज्ञा दे दी जाय। इस पर मुख्यमंत्री जी चौंके और कहा कि आप क्या राय दे रहे है? मैने कहा कि बस मुझे पांच मिनट और अपना पूरा प्लान कह लेने की इजाजत दें। मुख्यमंत्री जी फिर से ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनने लगे। मैने सुझाव दिया कि फैजाबाद से अयोध्या के पांच किलोमीटर मार्ग से जब आडवानी जी अपना रथ ले जायें, तब इस मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु एक सुदृढ़ मानव-दीवार बना दी जाय। इस मानव-दीवार में पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं की कतारें, उसके पीछे महिला होमगार्ड, उसके पीछे समाजवादी पार्टी की महिला सदस्यों और उसके पीछे होम गार्डस लगाये जायें। उनके पीछे सिविल पुलिस व आमर्ड फोर्स तथा अन्त में पैरामिलेट्री फोर्स को तैनात कर दिया जाय। इस प्रकार सम्पूर्ण मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाय और आडवानी जी को उन्हें रौंद कर अपना रथ अयोध्या तक ले जाने की चुनौती दे दी जाए। यदि उनकी रथ यात्रा इस व्यवस्था को तोड़कर अयोध्या जाती है और उसके परिणामस्वरूप ड्यूटी पर नियुक्त कोई पुलिस कर्मी चोट खाकर घायल होता है और गड़बड़ी मचती है तो शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु लाठीचार्ज या उनकी गिरफ्तारी अथवा अन्य बल का प्रयोग करना वैधानिक माना जायेगा। यदि बाधा के कारण आडवानी जी का रथ अयोध्या तक नहीं पहुंच सकेगा तो उनकी चुनौती गलत साबित हो जायेगी। मुख्यमंत्री जी मेरी योजना से संतुष्ट प्रतीत हुये । उन्होंने अपनी लाल डायरी में भी मेरे सुझाव को अंकित किया। मै प्रसन्न था कि मुख्यमंत्री जी मेरे सुझाव से प्रभावित थे। फिर भी मेरा यह सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि आडवानी जी को बिहार में ही वहां के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवा लिया था, परन्तु मै मुख्यमंत्री जी का

विश्वासपात्र अधिकारी वनने में जरूर सफल हो गया था। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की शांति व्यवस्था के गम्भीर मामलों को सुलझाने में मुख्य सचिव तथा डी०जी०पी० की राय के अतिरिक्त मेरी राय भी अलग से प्राप्त करने लगे थे। ६ दिसम्बर, १९९२ को रामजन्म भूमि वावरी मस्जिद विवाद की जो विध्वंसक घटना घटी थी, उसके कई माह पहले से अयोध्या का धार्मिक वातावरण दिनों-दिन गर्माता जा रहा था। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल व उपाध्यक्ष व सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्रीश चन्द्र दीक्षित अपने तीखें तेवरों के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। रामजन्म भूमि वावरी मस्जिद के मुख्य द्वार मे प्रशासन द्वारा वर्षो पहले लगाया गया ताला भी उन्होंने न्यायालय में चुनौती देकर खुलवा लिया था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी भी स्वभाव से अति दृढ़ होने के कारण प्रदेश की शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित चुनौती के सामने झुकने वाले नहीं थे। उनके प्रमुख सलाहकार मुख्य सचिव राज भार्गव जी तथा अभिसूचना तंत्र के मुख्य राम आसरे भी न झुकने की ही सलाह देते थे। राम जन्म भूमि पर किसी भी अशान्ति के प्रयास को उन्होंने चुनौती देते हुये कहा था कि "उस दिन अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा"। हिन्दू-मुस्लिम तनाव को रेखांकित करने वाली उक्त तारीख के पूर्व से ही समाजवादी पार्टी, अन्य दलों व अल्पसंख्यकों तथा संघ-परिवार में ऐसा वातावरण वना जैसे हर आदमी ने तलवार खींच ली हो। भड़काऊ वयानवाजी, अखवारवाजी और अफवाहों के सिलसिले जोरों पर शुरू हो गये थे। ६ दिसम्बर, १९९२ को अमन चैन बिगाड़ने वाली घोषणाओं ने अयोध्या को पुलिस छावनी में परिवर्तित कर दिया था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे पुनः परामर्श के लिए बुलाया। मेरी स्थिति वड़ी नाजुक थी। अयोध्या के माहौल को देखते हुये लग रहा था कि खून-खरावा होकर ही रहेगा। हिन्दू संगठनों की सरगर्मी चरम पर थी। अशोक सिंघल ने गांव-गांव में राम नाम की ईंटों का पूजन-अर्चन कराकर वातावरण को आक्रोशमय कर दिया था। शिवसेना ने अपने अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा हिन्दुओं में उग्रता पैदा कर दी थी। उधर मुसलमानों के पक्षधर सर्व श्री शहाबुद्दीन, नजमुल हसन गनी व असद अहमद आदि भी जोर-शोर से बयानबाजी कर रहे थे और वावरी मस्जिद के पक्ष में गठित कमेटियां मुसलमानों को भड़काने में लगी हुई थीं।

मैंने स्थिति का अध्ययन करके मुख्यमंत्री जी को अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने का सुझाव दिया क्योंकि उन दिनों प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आर०पी० माथुर दिल की बीमारी के कारण मेडिकल कालेज में उपचार कराने के बाद आराम कर रहे थे और घर पर ही प्रशासनिक पत्रावलियां देखा करते थे। यह मुख्यमंत्री जी का वड़प्पन ही था कि उन्होंने इस दशा में भी उन्हें उनके पद पर बनाये रखा और गृह सचिव

आदि को उनके घर जाकर मीटिंग व निर्णय लेने का प्रबन्ध कर दिया था। मुख्यमंत्री जी बीमार माथुर जी को हटाकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। फिर भी, उस समय अयोध्या में एक अच्छे ए०डी०जी० द्वारा वहां की व्यवस्था का संचालन कराना आवश्यक समझकर उन्होंने मुझसे किसी उपयुक्त अधिकारी का नाम जानने की इच्छा व्यक्त की। मैने श्री वी०के० जैन का नाम बताया, जो एक वरिष्ठ एवं अनुभवी आई०पी०एस० अधिकारी थे। वह भारत सरकार से सात साल तक क्रमशः ज्वाइन्ट सेक्रेटरी तथा एडीशनल सेक्रेटरी (होम) के महत्वपूर्ण पदों पर रह कर वापस लौटे थे। मुख्यमंत्री ने मेरे सुझाव का अनुमोदन नहीं किया और संकेत दिया कि वह देहली से लौटने के बाद उनसे मिले नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे अयोध्या भेजने की अपनी इच्छा से अवगत कराया । मै सहमत तो था, परन्तु फिर भी मैने वहां वी०के० जैन की तैनाती पर जोर दिया क्योंकि जैन साहब ए०डी०जी० रैक के थे और मै आई०जी० ही था। श्री वे०के० जैन मेरे घनिष्ठ मित्र होने के साथ-साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरे साथी एवं सेवा में वरिष्ठ थे तथा देहली से लौटकर महत्वहीन पद पर होने से अति दु:खी थे। मुख्यमंत्री जी, ने इस बार मेरी बातों को मानकर श्री जैन को तुरन्त वहां बुलाने का निर्देश दिया। मैने उन्हें बताया था कि श्री जैने मेरे साथ आये हुये हैं और मेरी कार में बाहर ही बैठे है। उन्होंने अपने पी०ए० को आदेश दिया कि वह बाहर से जैन साहब को उनके पास ले आयें। श्री वी०के० जैन ने आकर मुख्यमंत्री जी का सादर अभिवादन किया और वार्तालाप प्रारम्भ हो गयी। जब बातें श्री जैन के अनुकूल होने लगी, तब मै मुख्यमंत्री जी से आज्ञा प्राप्त कर बाहर चला आया ताकि उन्हें श्री जैन को पूर्ण रूप से समझ लेने का अवसर मिल सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अन्दर बुलवा लिया और वताया कि श्री जैन को अयोध्या में नियुक्त किया जा रहा है। वह वहां की सम्पूर्ण शान्ति व्यवस्था का परिवेक्षण करेगें। श्री माथुर डी०जी०पी० को भी सूचित कर दिया जायेगा कि श्री जैन को जो भी फोर्स व पैसे आदि की आवश्यकता हो, उन्हें तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय और यदि सम्भव न हो तो शासन को बता दिया जाये, जिससे उसका तुरन्त प्रबन्ध हो जाय। मुख्यमंत्री जी ने श्री जैन को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी समय उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। उस रात्रि करीब २ बजे मै श्री जैन के साथ मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान से वापस लौटा। श्री जैन इसके लिए मेरे बड़े कृतज्ञ थे, यद्यपि मित्रता एवं पारिवारिक सम्बन्ध के कारण इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ भी मैने किया, वह अपना कर्तव्य समझकर किया था। आई०पी०एस० की सेवा में श्री जैन मुझसे एक वर्ष सीनियर थे, परन्तु विद्यार्थी-जीवन में हम दोनों ने वर्ष १९५४ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० (बायोलाजी) की परीक्षा साथ-साथ उत्तीर्ण की थी। तदोपरान्त श्री जैन ने लॉ का कोर्स शुरू

कर लिया था और मैं एम०एस०सी० करके लखनऊ बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट ऑफ पेलियोवाटनी में भारत सरकार द्वारा पी०एच०डी० हेतु सीनियर रिसर्च स्कॉलर नियुक्त हो गया था। आई०पी०एस० सेवा में श्री जैन मुझसे एक साल वरिष्ठ थे, पर पुरानी मित्रता को हमेशा अक्षुण्य वनाये रहे और आवश्यकता पड़ने पर मेरी मदद करते थे। यह मेरे लिये पहला अवसर था, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र के कुछ काम आ सका था क्योंकि फैजाबाद की नियुक्ति से उनके प्रदेश का डी०जी०पी० बनने का मार्ग निश्चित हो गया था।

९० के दशक के प्रारम्भ में पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री आर०पी० जोशी भी वहुत समय तक आई०बी० में प्रतिनियुक्ति पर रहकर वापस आये थे। वह आई०बी० में देश के पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर के हिंसक उग्रवाद की समस्याओं से भी निपट चुके थे। अतः उन्होंने प्रदेश के अपने सेवाकाल में रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद की सीमा को सुदृढ़ कटीले तारों की बाड़ से घिरवा कर अभेद्य कर दिया था। प्रायः इस प्रकार के तार की बाड़ व्यवस्था पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में भारत-पाकिस्तान की सीमा पर आर्मी द्वारा की गयी है जो फ्लड लाईट से प्रकाशित भी रहती है। ऐसी व्यवस्था की जानकारी उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारियों को नहीं थी। श्री जैन ने मेरी राय से इस तार की बाड़ के अतिरिक्त उस स्थान को लोहे की मजबूत छड़ों से भी घिरवा दिया। चारों ओर पुलिस तथा पैरा मिलेट्री फोर्स की छावनी वनाकर कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सारी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर दिया गया। सम्पूर्ण विवादित क्षेत्र में फ्लड लाईट की रोशनी रहती थी। उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व फोर्स के आई०जी० श्री सतीश चौबे तथा बी०एस०एफ० के आई०जी० श्री आर०के० पंडित को अयोध्या में अपनी-अपनी फोर्स के साथ रखा गया था। फिर भी, ६ दिसम्बर, १९९२ को सारी सुरक्षा होते हुये भी न जाने कैसे विश्व हिन्दू परिषद के अशोक सिंघल व श्रीश चन्द्र दीक्षित अपने अनगिनत कट्टर समर्थकों तथा बजरंग दल की मिली-भगत से विवादित रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद में घुस गये थे जबकि प्रशासन उन्हें वहां नहीं घुसने देना चाहता था। जब वहां की व्यवस्था अनियंत्रित हो गई तो स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अंततोगत्वा श्री जैन को प्रदेश के मुख्य सचिव के दवाव में आकर गोली चलवानी पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गये और चारों तरफ कुहराम मच गया। पूरा राष्ट्र सन्न था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन संकटग्रस्त हो गया था। मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की कुर्सी डावांडोल थी, परन्तु कांग्रेस के समर्थन से २० नवम्बर, १९९० को सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान विपक्ष के पराजित होने से उनकी सरकार वच गयी, जो शासन में स्थिरता के दृष्टिकोण से एक अद्वितीय सफलता थी। मुख्यमंत्री जी ने वी०के०जैन की कर्तव्यपरायणता की सराहना की और साथ ही श्री आर०पी०

माथुर को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का चैयरमैन घोषित कर श्री जैन को प्रदेश का नया डी०जी०पी० नियुक्त कर दिया ।

फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा २३ जून १९९१ को समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने के कारण प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गयी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गयी । श्री कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार उत्तर प्रदेश के शासन की बागडोर संभाली । प्रदेश के आकाश में केसरिया झंडा फहराने के साथ-साथ जय श्री राम का नारा भी गूँजने लगा । अधिक से अधिक जनता को दिखाने के लिए शपथ समारोह प्रथम बार राजभवन में न करके के०डी० सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में किया गया । मंत्रियों द्वारा गोपनीयता की शपथ सामूहिक रूप में हिन्दी में ली गयी । नये मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव राज भार्गव व गृह सचिव आदित्य रस्तोगी के स्थान पर श्री वी०के० सक्सेना को मुख्य सचिव और श्री प्रभात कुमार को गृह सचिव नियुक्त किया । श्री वी०के० जैन को डी०जी०पी० के पद से तुरन्त नहीं हटाया गया यद्यपि जैन की नियुक्तकाल में अयोध्या में फायरिंग हुई थी, अतः भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें प्रदेश के डी०जी०पी० के पद पर बनाये रखना किसी भी दृष्टि से सम्भव नहीं था । इस कारण श्री कल्याण सिंह जी ने नये डी०जी०पी० की तलाश शुरू कर दी थी । यद्यपि श्री वी०के० जैन से भी वरिष्ठ आई०पी०एस० अधिकारी श्री एस०के० मुखर्जी व श्री शंशाक शेखर मिश्र प्रदेश में थे, फिर भी, उन्हें डी०जी०पी० नहीं बनाकर अन्यत्र नियुक्त कर दिया गया था । इस बार फिर उन दोनों को डी०जी०पी० बनाने का प्रकरण पुनः विचार क्षेत्र के बाहर रखा गया था । अब इस वरिष्ठतम पद के लिए मेरा नाम चला था तथा मुझसे वरिष्ठ श्री ए०पी० मिश्रा एवं श्री जैकव जैकसन आई०पी०एस० भी अपना अपना जोर लगाए हुए थे । श्री मिश्र के साथ पूरी ब्राह्मण लौबी लामबन्द थी और मुझे डी०जी०पी० न बनाने का हर सम्भव प्रयास कर रही थी । मेरी ओर से कोई राजनैतिक दल समर्थन नहीं कर रहा था परन्तु मुझे अपनी मेहनत, लगन, निष्पक्षता एवं उत्कृष्ठ कर्तव्य परायणता के कारण सदैव प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रमशः सर्वश्री सी०वी० गुप्ता जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, चरण सिंह जी, वीर बहादुर सिंह जी, तथा मुलायम सिंह जी आदि का संरक्षण मिलता रहा था ।

जब ए०पी० मिश्र की तुलना में मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार हो रहा था और मुझे श्री मुलायम सिंह का 'प्रिय-पात्र एवं गुप्त सलाहकार' बताकर डी०जी०पी० न वनाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा था, तब मजबूर होकर मुझे स्वयं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से अलग से साक्षात्कार के लिए समय लेना पड़ा । समय निर्धारित हो चुका था, परन्तु जिस दिन

सचिवालय में मुख्यमंत्री जी से मिलना था, उस दिन मुख्यमंत्री जी से देर रात तक वातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वह कैविनेट मीटिंग में व्यस्त थे। अतः मैंने रात्रि में ११ वजे एक नोट लिखकर उनके सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र आई०ए०एस० को भेजकर निवेदन किया कि मै मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति पर उनसे मिलने हेतु उपस्थित हुआ हूँ और यदि मेरा मिलना सम्भव न हो सके, तो मैं किसी अन्य दिन उपस्थित हो जाऊँगा। श्री नृपेन्द्र मिश्र ने उसी समय मेरे नोट को मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करके मुझे तुरन्त उनसे मिलाया। उस समय उनके पास उनके वरिष्ठ मंत्री श्री लालजी टंडन एवं श्री राजेन्द्र गुप्त आदि वैठे हुये वातें कर रहे थे। मैंने सभी को अभिवादन करके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वैठकर वार्ता प्रारम्भ की। मै मुख्यमंत्री जी से वार्ता अकेले में करना चाहता था, अतः मैंने निःसंकोच अनुरोध किया कि मैं उनसे एकान्त में वार्तालाप करना चाहता हूँ। मेरी वात सुनकर सर्वश्री नृपेन्द्र मिश्र, लालजी टंडन व राजेन्द्र गुप्त वहां से उठकर वाहर चले गये। मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना परिचय देते हुये वताया कि मैं वर्ष १९५९ वैच का आई०पी०एस० अधिकारी हूँ और वर्तमान में सी०आई०डी० का विभागाध्यक्ष, एडीशनल डी०जी० हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हंसते हुये कहा कि वह मुझे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मै उनके जनपद अलीगढ़ में वर्ष १९७०-७१ में एस०पी० नियुक्त रह चुका था। उनके कथनानुसार मेरी ईमानदारी और सज्जनता के विषय में सवको पता था। मैंने उनके इस वड़प्पन के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि मै उनसे पिछले २० साल से नहीं मिला था, फिर भी, उन्होंने मुझे याद रखा था। औपचारिक वातें शीघ्र समाप्त करके मैंने अपना एक "ब्रीफ वायोडाटा" मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि श्री वी०के० जैन डी०जी०पी० की प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की वात चल रही है। अतः मै चाहूँगा कि प्रदेश के डी०जी०पी० पद के लिए मेरे नाम पर भी विचार कर लिया जाय। मुख्यमंत्री जी ने मेरा वॉयोडाटा पढ़कर उसे अपने ब्रीफकेश में रख लिया और गम्भीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी से मिलकर मै लौट आया था, परन्तु मुख्यमंत्री जी से मेरे इस प्रकार अकेले में मिलने पर सम्भवतः नृपेन्द्र मिश्र जी को आपत्ति थी। मेरे स्थान पर श्री ए०पी० मिश्र को डी०जी०पी० पद पर नियुक्त कराने के शायद वह भी पक्षधर थे। मेरी सूचना के अनुसार श्री अटल विहारी वाजपेयी जी को डी०जी०पी० पद पर मेरी नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं थी। अफवाहों तथा अखवारवाजी का वाजार वहुत गरम था, अतः मैंने निश्चय किया कि क्यों न एक वार पुनः मुख्यमंत्री जी से मिलकर स्थिति स्पष्ट की जाय। इसलिए दूसरी वार मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ा। वह मुझसे औपचारिक वातचीत के वीच प्रदेश की शान्ति-व्यवस्था एवं अपराध सम्वन्धी स्थितियों की जानकारी लेने का प्रयास करते रहे। मैंने उन्हें व्यापक ढंग से सम्पूर्ण स्थितियों

से अवगत कराया। वह मेरी बातचीत से संतुष्ट थे। मुख्यमंत्री जी ने अंत में मुझसे दो प्रश्न किये। उनका पहला प्रश्न प्रदेश के आई०पी०एस० कैडर में मुझसे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों के विषय में था। मैने उन्हें सर्वश्री एस०के० मुखर्जी, शंशाक शेखर मिश्र, आर०के० सक्सेना, ए०पी० मिश्रा तथा जैकब जैकशन के नाम बता दिये थे। मुख्यमंत्री जी ने पुनः पूछा कि और कोई तो नहीं है, तब मैने उन्हें नकारात्मक उत्तर दिया। उस समय मुझे यह याद नहीं आया कि मेरे ही बैच के श्री प्रकाश सिंह मुझसे वरिष्ठता की सूची में ऊपर थे, कारण यह था कि उस समय वह प्रतिनियुक्ति पर डी०जी०पी०, आसाम नियुक्त थे। मुख्यमंत्री जी का दूसरा प्रश्न था कि मै श्री एन०एस० सक्सेना और श्री चरण सिंह जी से सम्बन्धित था और वह यह जानना चाहते थे कि क्या वे दोनों महानुभाव मुझे बहुत मानते थे। मेरा उत्तर था कि मै उस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं बता सकता। जहां तक मै इस प्रकरण को समझ रहा हॅं, वह उस समय का था जब श्री चरण सिंह जी केन्द्र में गृहमंत्री थे और किन्हीं कारणों से उन्होंने मेरठ रेन्ज के डी०आई०जी० प्रकाश सिंह का स्थानान्तरण कराकर उनके स्थान पर फैजाबाद रेंज में मुझे वहां नियुक्ति के आदेश पारित कराये थे।

कुछ दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात जब मेरे डी०जी० पुलिस (उत्तर प्रदेश) नियुक्त के आदेश नहीं हुये, तब मैने इसका कारण जानने का प्रयास किया। मेरे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मुझे मुलायम सिंह यादव जी तथा चरण सिंह जी का विश्वास पात्र बताकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रदेश शासन पर यह दबाव डलवाया जा रहा है कि मुझे प्रदेश का पुलिस-प्रमुख कदापि न नियुक्त किया जाय। मेरे विरुद्ध सक्रिय लॉबी को जब यह विश्वास हो गया कि ए०पी०मिश्रा को मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह किसी भी कीमत पर डी०जी०पी० नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं हैं, तब उनके स्थान पर सर्वश्री शशांक शेखर अथवा श्री विलास मणि त्रिपाठी के नामों पर जोर दिया जाने लगा। उसी रस्सा-कस्सी के मध्य कहा जाता है कि सर्वश्री रज्जू भैया तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों में श्री वी०पी०सिंह तथा श्री चन्द्रशेखर ने श्री प्रकाश सिंह की पैरवी शुरू कर दी। श्री प्रकाश सिंह उस समय आसाम में कुछ परेशानी में थे। आसाम के मुख्यमंत्री श्री सैकिया ने उन पर कुछ गम्भीर आरोप लगा दिये थे और उन्हें अपने प्रदेश से तुरन्त हटाना चाहते थे क्योंकि वहां चार रूसी इन्जीनियरों को बोडो आतंकवादियों ने अगवा करने के बाद उनकी हत्या करके लाशों को गायब कर दिया था। प्रकाश सिंह ने अपने बचाव में आसाम सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रशासन उग्रवादियों की हिसंक घटनाओं पर नियंत्रण पाने में उन्हें पूर्ण समर्थन नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रकाश सिंह का नुकसान होना लगभग तय था क्योंकि यह ऐसा विषय था, जिससे भारत सरकार तथा सोवियत यूनियन के सम्बन्ध कटु हो जाने की पूर्ण सम्भावना थी।

सब कुछ विपरीत होते हुये भी प्रकाश सिंह की राजनैतिक सशक्त लॉबी ने कमाल कर दिखाया और उन्हें आसाम से वापस बुलाकर उत्तर प्रदेश का डी०जी०पी० नियुक्त करवा दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था भूतपूर्व डी०जी०पी० श्री आर०पी० माथुर के कार्यकाल से बिगड़ चुकी थी और उसका बुरी तरह राजनीतिकरण हो चुका था। उसको ठीक रास्ते पर लाने की मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गयीं। उस समय पत्नी सरला जी की दो बातें मुझे धैर्य दिलाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई थीं। उनका कहना था कि प्रथम तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि श्री प्रकाश सिंह मुझसे बैच में वरिष्ठ थे। दूसरा उनकी तुलना में मेरे पास राजनैतिक समर्थन नहीं था। मैने सरला जी की बात को शिरोधार्य करके प्रिमैच्योर रिटायरमेन्ट नहीं लिया अपितु अपना सी०आई०डी० का कार्य समर्पित होकर करना जारी रखा। इस बीच मेरी समझ में यह भी आ चुका था कि श्री कल्याण सिंह ने मुझसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम तथा श्री चरण सिंह से मेरे सम्बन्धों के विषय में क्यों पूछताछ की थी? इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री का मुझ पर अत्यधिक विश्वास भी अब मेरे लिए अभिशाप बन गया था। यह केवल नियति का चक्र था। इसके लिए कर ही क्या सकता था। मेरे पास कोई राजनैतिक लॉबी नहीं थी जो इस बात का खण्डन करती कि मुलायम सिंह जी मुझे अच्छे कार्य के लिए मानते थे ना कि किसी अन्य कारण से। कुछ मेरे अच्छे मित्रों ने मुझसे कहा भी कि मुझे एक बार फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से मिलकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। पर मेरे जमीर ने ऐसा करने को मना कर दिया। आखिर स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक पिता की शिक्षा-दीक्षा भी तो यही थी कि ''सिर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं''।

मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारियों को श्री मुलायम सिंह का विश्वासपात्र समझा गया था, श्री कल्याण सिंह ने धीरे-धीरे उनका स्थानान्तरण महत्वपूर्ण पदों से दूर करना शुरू कर दिया। मुझे भी सी०आई०डी० के प्रमुख पद से हटाने के संकेत मिलने लगे थे। मुझे मुख्यमंत्री के सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्र का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा पिछले दो वर्षो की सी०आई०डी० जांचों की संख्या तथा उनसे सम्बन्धित प्रगति का विवरण जिलेवार मांगा गया था। उस समय सी०आई०डी० में मेरे कार्यकाल की अवधि दो वर्ष हुई थी। अतः मैं उनके पत्र का आशय समझ गया था। उक्त स्टेटमेन्ट का आशय मेरे कार्यो की समीक्षा के साथ-साथ यह देखना भी था कि मैने किन-किन मामलों में श्री मुलायम सिंह जी के आदेश पर तथाकथित गलत विवेचना करायी थी। मैने उनके पत्र को डी०आई०जी० (सी०आई०डी०) सुरेश पाल सिंह के पास स्टेटमेन्ट बनवाने के लिए भेज दिया और उनकी आख्या प्राप्त करके शासन को भेज दी थी। मैं हैरान था कि

मेरा स्थानान्तरण सी०आई०डी० से तुरन्त क्यों नही हुआ? कुछ दिन के वाद पुनः मुझे श्री नृपेन्द्र जी का एक और पत्र मिला, जिसमें उन्होंने पुनः वही सूचना मांगी थी जो मै उन्हें पहले भेज चुका था। इस वार सूचनाओं के लिए नये कॉलम शासन द्वारा तैयार किये गये थे। मैने उसे भी श्री सुरेश पाल सिंह को देकर वांछित स्टेटमेन्ट तैयार करवाकर शासन को भेज दिया। तब तक श्री सुरेश पाल सिंह डी०जी० श्री प्रकाश सिंह व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के वहुत विश्वासपात्र हो चुके थे। मैंने उनसे कभी नही पूछा कि मुख्यमंत्री अथवा डी०जी०पी० उनसे मेरे वारे में क्या जानकारी लेते थे। कुछ दिनों वाद श्री सुरेश पाल सिंह को आई०जी० (मेरठ जोन) नियुक्त कर दिया गया, जहां एक रोड दुर्घटना में उनकी मत्यु हो गयी। वह वहुत सुयोग्य पुलिस अधिकारी थे, जिनके निधन से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत ही होनहार अधिकारी खो दिया। धीरे-धीरे मेरे स्थानान्तरण की अफवाहें एवं अटकलवाजियां समाप्त हो गयी। मै अपना कार्य निर्भीकता एवं पूर्ण स्वतंत्रता से कर रहा था। श्री प्रकाश सिंह को मुझसे एक ही परेशानी थी कि मै उनसे किसी भी मामले में दवता नहीं था और जांच रिपोर्ट प्रायः सीधे गृह सचिव श्री प्रभात कुमार को सम्बोधित कर प्रतिलिपि डी०जी०पुलिस को सूचनार्थ भेज दिया करता था।

उस समय उत्तर प्रदेश की तराई और उसके आप-पास के जनपदों खीरी, पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर आदि में आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज थीं और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ सहित हिमांचल प्रदेश व राजस्थान में भी सक्रिय थीं। इनमें पंजाव के प्रमुख गैंग सतनाम सिंह छीना (बी.टी.एफ.), सावम सिंह जाबन्दा (बी.एस.टी.एफ.के.) भिण्डरवाला सैफर्न टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, मेहताब सिंह (के०सी०एफ०), खालिस्तान कमाण्डो फोर्स आदि का प्रमुख हाथ था, जिनके घनिष्ठ सम्बन्ध पंजाब के उग्रवादी नेताओं क्रमशः परमजीत सिंह पंजावर (के०सी०एफ०), दलजीत सिंह बिट्टा (सोहन सिंह कमेटी), गुरवचन सिंह मनोचहल, सुखदेव सिंह बब्बर (वब्बर खालसा इन्टरनेशनल), तथा वासन सिंह जफरवाल (के०सी०एफ०) आदि से थे। जफरवाल का सम्बन्ध पाकिस्तान से भी था। कहा जाता था कि पंजाव के उग्रवादी ग्रुपों के नेता दुनिया के अनेक माफिया ग्रुपों से ट्रेनिंग और हथियारों की प्राप्ति हेतु निकट सम्पर्क बनाये हुये थे। जिनमे इटैलियन तथा फ्रैन्च माफिया ग्रुप, फ्रांसीसी लेशन ग्रुप, इतरायली हिआडल ग्रुप तथा श्रीलंकाई उग्रवादी लिट्टे (लिवरेशन टाइगर्स ऑफ टमिल इलम) आदि भी थे। ब्रुसेल्स आर्म्स फैक्टरी से भी उन्होंने असलहा पाने का रास्ता बना रखा था।

श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होने प्रदेश को आतंकवाद की चपेट से वचाने के लिए आर-पार की लड़ाई का अभियान छेड़ा था। जिला पीलीभीत में २९

ग्रामीणों की नृशंस हत्याएं उस क्षेत्र में आतंक एवं भय फैला देने के लिए की गयी थीं, जिससे कोई भी व्यक्ति आतंकवादियों के विषय में पुलिस को किसी प्रकार की भी सूचना देने का साहस न कर सके। अक्टूबर, १९९१ में आतंकवादियों ने रुद्रपुर में अत्यंत खतरनाक बमों से ५५ लोगों को उस समय मृत्यु की गोद में सुला दिया था, जब वे रामलीला का आनन्द ले रहे थे। उसी समय लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी बम विस्फोट की दो घटनाएं घटी थीं, जिसमें भाग्यवश जान-माल का अधिक नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी आतंक और भय चारों ओर व्याप्त हो चुका था, जिसका सामना करने के लिए एक दिन मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मण्डलायुक्त, जोन के आई०जी० तथा रेंज के डी०आई०जी० के साथ प्रदेश सी०आई०डी० इन्टेलीजेन्स, ट्रेनिंग तथा पी०ए०सी० के एडीशनल डी०जी० भी बुलाये गये थे। मुख्य सचिव, गृह सचिव व डी०जी० इसके प्रमुख वक्ता थे। मुख्य सचिव, गृह सचिव व डी०जी० द्वारा एक एजेन्डा भी तैयार किया गया था। यह मीटिंग सचिवालय में सुबह १० बजे से रात्रि ९ बजे तक चली थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी व गृहमंत्री शाही जी पूरे समय तक इस मीटिंग में उपस्थित रहे थे। डी०जी०पी० ने तराई की स्थिति पर प्रकाश डालकर अपनी कठिनाईयों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया था। आतंकवाद पर आई०जी० (बरेली जोन) श्री जे०के०पी० सिंह तथा आई०जी० (बरेली जोन) श्री आर०सी० दीक्षित ने भी अपने-अपने विचार जोर-शोर से व्यक्त किये थे। नैनीताल व पीलीभीत के जिलाधिकारियों ने भी उग्रवाद की समस्या पर जोरदार भाषण दिया। मध्यान्तर के बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुये विचार व्यक्त करने को कहा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो अधिकारीगण आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको तथा इन्टेलीजेन्स के चीफ का बोलना ही उचित होगा। सी०आई०डी० ने उस सन्दर्भ में उस समय तक कोई व्यापक कार्य नहीं किया था, अतः उस विषय पर कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा था। पर शायद मुख्यमंत्री जी का विचार रहा होगा कि मैं श्री प्रकाश सिंह से मतभेद तथा डी०जी०पी० न बनाये जाने के कारण से जानबूझकर मैंने मौन धारण कर रखा है। उनके पुनः आग्रह को स्वीकार करके मैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए तैयार हुआ था। सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी व डी०जी० प्रकाश सिंह को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में आतंकवाद फैलने की चुनौती स्वीकार की क्योंकि अब तक आतंकवाद को केवल पंजाब की समस्या कह कर टाला जाता रहा था, जबकि प्रदेश के पूर्व डी०जी०पी० श्री राजनाथ गुप्ता के कार्यकाल वर्ष १९८८ में ही आतंकवादियों ने जनपद पीलीभीत की एक ट्रेजरी को बम से उड़ा दिया था। आतंकवाद

के विषय पर वर्ष १९८८ में ''इण्टरपोल'' द्वारा पेरिस (फ्रांस) में एक विश्व सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे भारत का प्रतिनिधि बनकर जाने के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया था। इस इन्टरपोल की मीटिंग में ''आतंकवाद'' पर वाद-विवाद एवं उससे छुटकारा पाने के लिए उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण हेतु इस विषय को भी शामिल करने का सुझाव आया था। अतः उसी के परिपेक्ष्य में मैने प्रदेश के तत्कालीन डी०जी०पी० श्री हरि मोहन जी तथा डी०जी० इन्टेलीजेन्स श्री आर० पी० जोशी से तराई के आतंकवादियों से निपटने के लिए एक ट्रेनिंग योजना स्वीकृति कराई थी। उक्त योजना को प्रारम्भ करने के लिये डी०जी०पी० ने अपने बजट से दो लाख रुपये भी स्वीकृत कर दिये थे। आर्म ट्रेनिंग सेन्टर (ए.टी.सी.) सीतापुर में एक नदी के किनारे जंगल में मैने प्रशिक्षण कैम्प खोला था। ट्रेनिंग के लिए कच्ची झोपड़ियां बनवा कर गांवनुमा झाले बनावाये थे जहां आतंकवाद से निपटने की विधियों को पुलिस के लोगों को सिखाया जाता था। इसमें खास बात यह थी कि आतंकवादियों द्वारा की गई कुछ डरावनी घटनाओं का 'सिमुलेशन' करके उसमें पुलिस द्वारा की गलतियॉ न दोहराने पर जोर दिया जाता था। जब मैने इस प्रशिक्षण का प्रदर्शन श्री हरि मोहन एवं श्री जोशी को सीतापुर ले जाकर दिखाया, तब वे आश्चर्यचकित हो गये थे और उस योजना की भूरि-भूरि सराहना भी की थी। उस प्रशिक्षण योजना को सफल बनाने हेतु डी०आई०जी० (एडमिनेशट्रेशन) त्रिनाथ मिश्र तथा श्री अवध नाराण सिंह डी०आई०जी० ने मेरी बहुत मद्द की थी। मेर प्रदेश के आई० जी० प्रशिक्षण के पद से आई०जी०, सी०आई०डी० के पद पर मेरा स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात श्री जी०एन० सिन्हा ने आई०जी० प्रशिक्षण का भार ग्रहण किया। उन्होंने इस ट्रेनिंग स्कूल की गतिविधियां फिजूल करार देकर समाप्त करा दीं और उसके स्थान पर ट्रेनिंग डायरेक्ट्रेट की मदद् से एक पुस्तक ''साइन्टिफिक एड्स टू इन्वेस्टीगेशन'' लिखानी शुरु कर दी। यह ट्रेनिंग स्कूल मैने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद से सामना करने के लिए पैरिस कान्फ्रेंस से लौटकर प्रारम्भ कराया था क्योंकि मेरे अनुमान से यू०पी० में घटनाओं को छिपाने से हानि होने की सम्भावनाएं अधिक थीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक न एक दिन तो उनका सामना करना अनिवार्य था। अतः मीटिंग में मैने यही परामर्श दिया था कि तुरन्त ही सीतापुर में इस ट्रेनिंग कैम्प को फिर से चालू कर दिया जाय और प्रदेश के आतंकवाद से प्रभावित २२ जिलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसमें प्रशिक्षित किया जाय। विशेषकर स्वचालित अस्त्र-शस्त्रों के सरल उपयोग की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाय। मुख्यमंत्री जी मेरी बातें सुनकर बड़े प्रभावित हुये और पूछा था कि इतना अच्छा स्कूल क्यों बन्द कर दिया गया? उन्होंने तुरन्त श्री प्रकाश सिंह को निर्देश दिया कि आई०जी० ट्रेनिंग पुनः इस प्रशिक्षण को अविलम्ब प्रारम्भ करायें।

मुख्यमंत्री जी ने मेरे भाषण पर मेरी बेहद प्रशंसा की। सम्भव था कि श्री प्रकाश सिंह जी को मेरी प्रशंसा कुछ अच्छी न लगी हो, पर मेरा विचार उनकी कार्य प्रणाली पर प्रहार करने का नहीं था बल्कि शासन द्वारा आतंकवाद से सक्षमता से निपटने के लिए एक सुझाव मात्र था। तदोपरान्त इस विषय से सम्बंधित डी०जी०पी० द्वारा बनाई गयी सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री जी ने अविलम्ब स्वीकृत कर दिया, जिसमें आतंकवाद से प्रभावित जिलों में नियुक्त पुलिस फोर्स को ए०के० ४७ राईफलों की आपूर्ति, पर्यटक नगरों से विस्फोट आदि करने वाले आतंकवादियों के शरणदाताओं की सूची तैयार करके उन्हें टाडा तथा एन०एस०ए०के० अंतर्गत गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने, सड़कों के किनारे १०० फीट तक ईख की खेती को वर्जित कराना तथा पुलिस विभाग में टास्क फोर्स के गठन को शासन ने सहर्ष स्वीकार किया था। ट्रेनिंग स्कूल का संचालन सीतापुर में श्री वी०के० चौधरी आई०जी० (प्रशिक्षण) द्वारा पुनः शुरू किया गया। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में खुंखार आतंकवादी एवं खालिस्तान समर्थक अपराधी पुलिस की मुठभेड़ में मारे या गिरफ्तार किये जाने लगे और डी०जी० प्रकाश सिंह आतंकवाद के विरुद्ध सुनियोजित कार्यवाही करने के लिए काफी चर्चित हुए। ऐसा स्पष्ट होने लगा था कि सी०आई०डी० से मुझे स्थानान्तरित करने का विचार छोड़ दिया गया था। सम्भवतः उच्चाधिकारियों को और विश्वास हो गया था कि मैं अपना कार्य निपुणता एवं बिना किसी लालच के करने का आदी हूं।

अचानाक एक घटना ने मेरे व मुख्यमंत्री जी के मध्य फिर नाटकीय मोड़ पैदा कर दिया और उनके व मेरे बीच अविश्वास एवं तनाव का वातावरण बन गया। वर्ष १९९१ के वार्षिक पुलिस सप्ताह के मध्य आई०पी०एस० एसोसिएशन की मीटिंग में उसके अध्यक्ष श्री ए०के० मुखर्जी अचानक अनुपस्थित हो गये। मुख्यमंत्री जी के आगमन में केवल आधा घंटा शेष रह गया था। वहां उपस्थित आई०पी०एस० अधिकारियों ने मुझसे निवेदन किया कि मैं अध्यक्ष के रूप में सभा का संचालन करूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। उस मीटिंग में आई०पी०एस० अधिकारी बड़े आक्रोश में थे क्योंकि उनकी पुलिस-कमिश्नर की मांग पर कई वर्षों से शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जा रहा था। शायद यही कारण रहा हो कि श्री मुखर्जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता न करने का निर्णय लिया होगा। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर सभा की कार्यवाही का औपचारिक संचालन मैने संभाला। स्वागत-भाषण के मध्य आई०पी०एस० एसोसिएशन के निर्णय एवं मांगों से मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। मुख्यमंत्री जी ने अन्य पुलिस अधिकारियों को भी अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। कुछ वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। मुख्य विन्दु जनपद कानपुर व लखनऊ में पुलिस-कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाना

था। सबके तर्क-वितर्क सुन लेने के बाद मुख्यमंत्री जी ने सभा को सम्बोधित किया। श्री कल्याण सिंह पूरे भारत में सशक्त एवं ओजस्वी भाषण देने के लिए विख्यात थे, जिसमें तालियों की गड़गड़हाट होना स्वाभाविक था, परन्तु उस दिन वह सतर्क होकर बोल रहे थे। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उन्होंने केवल एक उच्चस्तरीय कमेटी गठन करने की घोषणा की और उसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा डी०जी० पुलिस को सदस्य बनाकर उनकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आई०पी०एस० अधिकारी सन्तुष्ट नहीं थे और कमेटी बनाकर एक बार पुनः इस विषय को टाल देने का खूबसूरत ढंग मान रहे थे। सभा का समापन करते समय मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते समय प्रस्तावित कमेटी की रिपोर्ट आने की समय-सीमा निश्चत कर देंने की बात उठाई क्योंकि मेरा मानना था कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए विख्यात थे कि वह जिस बात के लिए आश्वासन देते थे, उसे करते भी थे। फिर भी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा बार-बार घोषणा कर देने के बाद भी कानपुर में पुलिस-कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हो सकी थी, अतः मैंने पूर्व के मुख्यमंत्रियों के आश्वासनों की भर्त्सना चार पंक्तियों की कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना समीचीन समझाः-

''नन्हें फूलों के बदन, घाम से झुलस जाते है,
फूल बरसात के शबनम को तरस जाते है।
रोज उठता हो जहां, झूम के बादल, लेकिन
जाने क्यों गांव के बाहर ही बरस जाते है''।।

यह पंक्तियां सुनकर आई०पी०एस० अधिकारियों की तालियों की गड़गड़ाहट से सभा कक्ष गूंज उठा, जिससे मुख्यमंत्री जी तमतमा गये।

मीटिंग समाप्ति के बाद बाहर बने पण्डाल में चाय पीने की व्यवस्था थी। अतः हम सब वहां पहुंच गये थे। जिस स्थान पर मुख्यमंत्री जी चाय पी रहे थे, उनके पास गृहमंत्री शाही जी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डी०जी० पुलिस तथा पी०ए०सी० के एडीशनल डी०जी० श्री बलवीर सिंह बेदी उपस्थित थे। मैंने भी अपनी प्लेट संभाली और देखा कि मुख्यमंत्री जी से बेदी साहब कुछ काना-फूँसी कर रहे थे। तभी मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री जी मुझे बुला रहे है। जैसे ही मै उनके पास पहुंचा, उन्होंने क्रोधित मुद्रा में मुझसे कहा ''वाह सक्सेना जी! आप तो भाषण बड़े जोरों से, किसी ट्रेड यूनियन नेता की तरह दे रहे थे। आपने तो मेरी बात को ही काट दिया कि मेरे आश्वासन में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और इसके बाद आप शेरो-शायरी कहकर वाह-वाही लूटने लगे''। मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट किया कि मेरी नियत उनकी बात काटने या वाह-वाही लूटने की नहीं थी बल्कि मेरी जिज्ञासा केवल

इतनी ही जानने की थी कि उनके द्वारा दिया गया आश्वासन पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। उसके अतिरिक्त अन्य कोई बात मेरे मन में नहीं थी। उनकी शान के खिलाफ कुछ बोलना तो दूर, मैंने कभी सपने में भी सोचा तक नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी का पारा चढ़ा ही रहा। मै उन्हें सही बात बता चुका था, अतः उनसे क्षमा मांगने का कोई औचित्य नहीं था। उसी रात्रि राजभवन में आई०पी०एस० अधिकारियों को रात्रि भोज के लिए महामहिम राज्यपाल ने आमंत्रित कर रखा था। पूर्व की भांति इस भोज में मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा कुछ वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारीगण भी सपत्नीक आमंत्रित थे। मै भी अपनी पत्नी सरला जी के साथ यथासमय राजभवन पहुंच गया। मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात राज्यपाल महोदय ने सबको भोजन ग्रहण करने को कहा। प्रोटोकाल के अनुसार कुछ वी०आई०पी० अतिथियों के लिए टेबुल पर बैठकर खाने का प्रबन्ध था। शेष लोगों को ''बूफे डिनर'' करना था। बैठकर भोजन करने वालों में क्रमशः गवर्नर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डी०जी० पुलिस तथा वरिष्ठतम् सेवानिवृत्त डी०जी०पी० सपत्नीक निमंत्रित थे और ऐसे लोगों की नाम की तख्ती भी टेबिल पर लगा दी गयी थी। मै ''प्रोटोकाल'' में नहीं आता था। अतः मैंने अपनी पत्नी के साथ अन्य अधिकारियों के बीच खड़े होकर भोजन करना शुरू कर दिया। इसी बीच, गृहमंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेरे पास आकर कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे व मेरी पत्नी को कुर्सी पर बैठकर खाने के लिए टेबिल पर आमंत्रित किया है। मैंने शाही जी से अनुरोध किया कि ऐसा करना प्रोटोकाल के नियमों के विरुद्ध होगा। अतः मेरी ओर से मुख्यमंत्री जी से क्षमा मांग ली जाय। श्री शाही जी ने मुख्यमंत्री जी को क्या बताया, मुझे नहीं मालूम, परन्तु वह पुनः मेरे पास आये और मुझे एक किनारे ले जाकर बताया कि मुख्यमंत्री जी चाहते है कि आज जो बात हुई थी, उसे मैं भूल जाऊॅ क्योंकि उन्होंने उसे भुला दिया है। यद्यपि मुझे श्री शाही जी की बातें संतोषजनक नहीं लगी फिर भी, मै मुख्यमंत्री जी का आदेश मान कर पत्नी सहित टेबिल पर बैठकर भोजन करने चला गया था। तदोपरान्त मुख्यमंत्री जी से केवल औपचारिक भेंट, अभिवादन और वार्तालाप होती थी। यद्यपि मेरा मार्ग स्वयं मेरे लिए हितकर नहीं था, परन्तु अकारण मेरे लिये झुकना भी सम्भव नहीं था।

कुछ दिनों बाद प्रकाश सिंह व मुख्यमंत्री जी के बीच मतभेद पैदा हो गये थे, जिसके परिणामस्वरूप श्री प्रकाश सिंह को डी०जी०पी० पद से हटाने का प्रयास प्रारम्भ हो गया। प्रकाश सिंह भी झुकना पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार मतभेद की खाई बढ़ने लगी थी। प्रकाश सिंह की लॉबी इतनी सशक्त थी कि दो महीने तक मुख्यमंत्री जी उन्हें हटाने की हिम्मत ही नहीं कर सके। ऐसे में स्थिति फिर बन रही थी कि प्रकाश सिंह हटेंगे और मै प्रदेश में नया डी०जी०पी० नियुक्त किया जाऊँगा। इस विषय पर खबरें तथा तरह-तरह की

अफवाहें फैलने लगी थी। मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश सिंह को हटाने का मन तो बना लिया था, परन्तु उन्हें जब बताया गया कि प्रकाश सिंह की लॉबी मुख्यमंत्री जी को भी अपदस्थ कर देगी। अतः प्रकाश सिंह को हटाकर उनके स्थान पर ऐसे अधिकारी को डी०जी०पी० बनाने की आवश्यकता थी, जिसके पास प्रकाश सिंह की काट करने की भी 'ताकत' हो। इस आधार पर मेरा केस फिर कमजोर हो गया और एक और नये डी०जी०पी० की तलाश प्रारम्भ हो गयी। मुझे भी आभास हो चला था कि ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रदेश का डी०जी०पी० बनने का अवसर फिर नहीं मिल सकेगा। अचानक एक दिन श्री विलासमणि त्रिपाठी को प्रदेश का नया डी०जी०पी० बना दिया गया और प्रकाश सिंह को डी०जी० (होमगार्डस) नियुक्त कर दिया गया। प्रकाश सिंह ने होमगार्डस का कार्यभार ग्रहण करने की बजाय छुट्टी पर जाना बेहतर समझा। मुख्यमंत्री जी को दी गयी सलाह सत्य सिद्ध हुई। प्रकाश सिंह की ठाकुर लॉबी को त्रिपाठी जी की ब्राहम्ण लाबी ने "काउन्टरवैलेन्स" कर दिया था। त्रिपाठी जी सज्जन अधिकारी थे, पर फील्ड कार्यों पर उनकी पकड़ प्रकाश सिंह के समर्थकों की थी, जिसके फलस्वरूप फील्ड के पुलिस कन्ट्रोल पर अभी भी त्रिपाठी जी पूर्ण नियन्त्रण नहीं कर पाये थे।

इसी बीच, एक बार फिर रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद से अयोध्या का माहौल दिन पर दिन गर्माने लगा था। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल तथा राम मन्दिर आन्दोलन के तीखे तेवर के लिए प्रसिद्ध बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार ने शिव सेना के समर्थन व धर्माचार्यों की मदद से आन्दोलन को उग्र बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अयोध्या का वातावरण अफवाहों व आशंकाओं के बीच लगातार भयावह हो रहा था। मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट में अपने गृह सचिव प्रभात कुमार से शपथ-पत्र दाखिल कराकर शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने का आश्वासन दिया था और यथास्थिति रखने की बात पर बल दिया था। उधर बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए संघर्परत मुस्लिम समुदाय साम्प्रदायिक तनाव को नया रंग दे रहा था और ऐसा आभास होने लगा था कि ६ दिसम्बर, १९९२ रामजन्म भूमि--बाबरी मस्जिद के भाग्य का निर्णायक दिन सिद्ध होगा। आडवाणी जी, उमा भारती व साध्वी ऋतुम्भरा आदि ने हिन्दू कट्टरपंथियों को अपने जोशीले भाषणों द्वारा निडर व साहसी बना दिया था, जिसके फलस्वरूप वे अनियंत्रित एवं निरंकुश हो गये थे। पलक मारते ही पुलिस की सारी व्यवस्था को धता बताकर सरियों, फावड़े तथा कुदालों आदि से सुसज्जित कट्टरपंथी मस्जिद को धराशाई कर देने में सफल हो गये थे। इसे भारतीय जन-मानस में धर्मनिरपेक्ष भावना का पतन अथवा विकृत मानसिकता ही कहा जायेगा। गिरी हुई मस्जिद की ईटों आदि को लेकर भाग जाना कायरता का

परिचायक ही माना जायेगा और ऐसे कृत्य को वीरता की श्रेणी में रखा जाना अनुचित होगा। राष्ट्रपति ने भी इसे अपराध एवं कानून व्यवस्था के भंग होने का सूचक मानकर ६ दिसम्बर, १९९२ को ही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को भंग करके गवर्नर श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी को राज्य की बागडोर सौंप दी थी। श्री विलास मणि त्रिपाठी को डी०जी० पुलिस के कार्यभार से तुरन्त हटा दिया गया। जनपद फैजाबाद के एस०पी० तथा डी०एम० को भी निलम्बित कर दिया गया। काश, उस समय प्रदेश के डी०जी०पी० पद पर मै कार्यरत होता, तो चाहे कल्याण सिंह ही क्यों न उपस्थित होते इस प्रकार धर्मान्ध होकर मस्जिद गिराने या गिरवाने में लोहे के चने जरूर चबवा देता। कम से कम पुलिस अपने को इतनी असहाय एवं अकर्मण्य कभी न पाती। मुझे संतोष था कि मै इस कलंक से बच गया था। अतः मै माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी था कि उन्होंने मुझे जानबूझकर ऐसी गलत जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। अब तक मेरा डी० जी० प्रदेश बनने का भूत भी उतर गया था। वैसे भी मेरे सेवानिवृत्त होने में अब केवल कुछ महीने ही शेष रह गये थे। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह अन्दर मन ही मन यह अवश्य जानते थे कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। अतः उन्होंने अपने कार्यकाल में ही प्रदेश के मुख्य सचिव श्री वी०के० सक्सेना को एक फाईल पर आदेश दिया कि वाई०एन० सक्सेना, डी०जी० पुलिस को सेवानिवृत्त होने पर चार वर्षो के लिए उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के माननीय सदस्य हेतु पैनल पर लाया जाय। उन्होंने मेरी सत्यनिष्ठा एवं कार्यक्षमता का पूरा सम्मान किया था। यह अपने में एक अद्भुत आदेश था, जिसमें उनकी रुखाई के स्थान पर मेरे प्रति कृपा एवं विश्वास की स्पष्ट झलक थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने किसी क्षतिपूर्ति के कारण ऐसा आदेश पारित किया था क्योंकि सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही किसी अधिकारी के नाम की संस्तुति किसी आयोग के सदस्य के लिए कर दी जाय, प्रायः ऐसा नहीं होता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात ही किसी अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाने की बात सोची समझी जाती है। ऐसी नियुक्तियां शासकीय सेवा प्रावधानों के अधीन न होकर केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री के विवेकाधीन होती हैं और जिसे वह उचित समझे पारितोषिक स्वरूप ऐसा पद प्रदान कर सकते है, खासकर जिनका सेवाकाल उत्कृष्ट कोटि का होता है। जब मुख्य सचिव वी०के०सक्सेना ने मुझे यह जानकारी दी तो मैं मुख्यमंत्री की मजबूरियों को सही रूप में समझ पाया था। कल्याण सिंह जी की सरकार बाबरी मस्जिद ढहा दिये जाने के कारण समाप्त हो गयी थी। अतः उनका आदेश राष्ट्रपति शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री का आदेश मानकर स्वतः समाप्त

स्थानान्तरण होकर जाने लगे, तो केवल एक दिन पूर्व उन्होंने मेरे नाम पर अपनी अनुमति दी थी। पर इसी बीच नये गवर्नर मोतीलाल बोरा जी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने से मेरे नाम का पुनः अनुमोदन कराने की आवश्यकता पड़ गयी थी। आखिरकार यह स्वीकृति मिली और सेवानिवृत्ति के लगभग छः माह बाद ६ जुलाई १९९३ को मैंने सदस्य, उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग, लखनऊ का कार्यभार ग्रहण किया।

चयन आयोग से सहारा परिवार तक

मैं ३१ जनवरी, १९९३ को डी०जी० के पद से सेवानिवृत्त हुआ और ७ जुलाई १९९३ को मैंने उत्तर प्रदेश चयन आयोग के सदस्य का पदभार ग्रहण किया। श्री ए०के० विश्वास चयन आयोग के अध्यक्ष थे। मैं व मेरा परिवार उस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से अति प्रसन्न था। यह कार्य पुलिस की आपाधापी का न होकर सुखद एवं प्रतिष्ठित एकेडमिक कार्य था जो अपेक्षाकृत सत्यनिष्ठा से अधिक जुड़ा था। मैं सोच रहा था कि इस कार्यकाल में अतिरिक्त समय निकाल कर पुलिस के संस्मरणों को पुस्तक के रूप में लिख डालूंगा। मैंने लिखना प्रारम्भ भी कर दिया था । मैंने सरला जी के इच्छानुसार सरकारी आडम्बर को तिलांजलि दे दी थी और विक्रमादित्य मार्ग नं० २, न्यू डिप्टी मिनिस्टर कालोनी का मकान छोड़कर अपने मकान एम०जी०-३१ सेक्टर-सी, शैल विहार, अलीगंज, लखनऊ में आ गया था। यद्यपि मैं आयोग की सेवा शर्तों के अनुसार विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी भवन में चार वर्षो तक और रह सकता था। आयोग मे रहकर दो वर्ष हमने बड़ी शान्ति से बिताये। अपने स्वयं के निवास स्थान और पड़ोसियों की मैत्रीपूर्ण भावना भी हम लोगों को बहुत सुन्दर लगी क्योंकि वह आडम्बरों से दूर की दुनिया थी। सरला जी ने भी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण में खूब आनन्द लिया। उन्होंने स्त्रियों के एक समुदाय को भजन-कीर्तन और पूजन में रत कर दिया था। कालोनी के उजड़े पड़े हुये वातवरण को महिला समिति बनाकर उसे नये सिरे से जागरूक बना दिया था। पर मेरा आयोग का तीसरा वर्ष कठिनाई से बीता। जनवरी, १९९५ में मुझे हाई ब्लडप्रेसर के कारण देहली-गाजियाबाद की एक यात्रा में अचानक "अनजाइना पेन" हुआ। एक माह के उपचार के बाद भी मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सका था। ६ मार्च १९९५, को संजयगांधी स्नातकोत्तर अस्पताल,लखनऊ में मुझे अपनी

एनजियोग्राफी करानी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि मेरी दो रक्त नलियां पूर्ण अवरुद्ध हो गयी है। उसके उपचार हेतु मुझे बाई-पास सर्जरी करा लेना ही श्रेयस्कर था। मै तथा सरला जी परेशान तो अवश्य थे, पर यह सोचकर अपना धैर्य नहीं छोड़ा कि ईश्वर जो भी करेगा वह ठीक ही करेगा। दिनांक १३ मार्च १९९५ को पी.जी.आई., लखनऊ में डाक्टर टी०एस० महन्त द्वारा मेरी बाई-पास सर्जरी की गई थी। १५ दिन अस्पताल में रहकर मै घर वापस आ गया और दो माह बाद १५ मई १९९५ में यथावत आयोग का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। पत्नी सरला जी के अथक प्रयास एवं सेवा से छः माह में ही मै पूर्ण स्वस्थ हो गया था परन्तु आने वाले एक और हादसे से मै एकदम वेखबर था। १ मई, १९९६ को सरला जी अचानक उदर पीड़ा से अस्वस्थ हो गयी। उस समय मेरी वेटी छवि तथा दामाद सुबोध जो मलेशिया में डाक्टर है, अवकाश पर भारत आये हुये थे और मेरे ही पास रुके थे! डाक्टर होने के नाते उन्हे यह समझने में देर नहीं लगी कि मां किसी साधारण रोग से ग्रसित न होकर गम्भीर बीमारी की शिकार है। अतः उन्हें अविलम्ब डाक्टर वी०के० पुरी से हार्ट सम्बन्धी बीमारियों के लिए चेक कराया गया। अल्ट्रासाउण्ड कराने पर एक्यूट प्रैकिया टाईटिस की संभावना प्रतीत होते ही उन्हें उसी दिन विवेकानन्द पालीक्लिनिक के आई०सी०यू० में भर्ती करा दिया, जहां पूरे जोर-शोर से उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डा० राजन सक्सेना, गैस्ट्रो सर्जन ने भी उनका बड़ी गम्भीरता से उपचार किया। कोई लाभ न देखकर उन्हें दो दिन बाद पी०जी०आई० के आई०सी०यू० में रखा गया, जहां हर प्रकार की मशीनों की सहायता से उन्हें दस दिन तक और जीवित रखा जा सका था। उपचार के सारे प्रयास विफल सिद्ध हुये थे। १६ मई, १९९६ की प्रातः वह हम सबसे विदा लेकर सदैव के लिए इस नश्वर संसार छोड़कर स्वर्गलोक प्रस्थान कर गयी और मुझे "अशरण शरण शान्ति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम" का पाठ करने की सीख दे गयी।

जनवरी १९९७ में अपना कार्यकाल पूरा कर मै आयोग से भी सेवानिवृत्त हो गया। पत्नी की मृत्यु के कारण मै अकेला था। बेटी माधवी (सोनी) ने बिना मुझसे पूछे "राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र के मुख्यालय, नोएडा से अपना स्थानान्तरण लखनऊ करा लिया और दामाद नरेश ने दिल्ली की नौकरी छोड़कर "स्वतंत्र भारत" समाचार पत्र लखनऊ में डिप्टी मैनेजर का पद भार ग्रहण कर लिया। अब नरेश सहारा इण्डिया में मैनेजर के पद पर लखनऊ में ही नियुक्त हैं। बेटी दामाद तथा नन्हीं नातिन पूर्णिमा के साथ रहने से काफी हद तक अकेलेपन व पत्नी विछोह की तमाम परेशानियो से मै बच गया। वैसे अभी भी अक्सर लगता है किं मेरा जीवन एक बुझी हुई शमा की तरह हैं। अचानक एक दिन सहारा इण्डिया

परिवार के प्रमुख माननीय सुब्रत राय सहाराश्री की नजर मेरी बेटी माधवी पर पड़ गयी और उन्होंने मेरी कुशलक्षेम के विषय में उससे पूछा। मेरी बेटी ने उन्हें बताया कि मै पुलिस विभाग तथा सेवा आयोग दोनों से ही सेवानिवृत्त होकर घर पर ही हूं, और माँ की आकस्मिक मृत्य हो जाने से बड़ा दुःखी रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलवा भेजा। मै सहाराश्री से पूर्व परिचित था। सहारा इण्डिया ने मेरे निवास स्थान को काफी पहले गेस्ट हाउस के लिए किराये पर ले रखा था। मैं उनके निवास स्थान सहारा इण्डिया हाउस, न्यू हैदराबाद, लखनऊ में एक-दो उत्सवों में उनसे मिला था। उन्होंने मेरी पत्नी की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया और आमंत्रित किया कि मै सहारा इण्डिया परिवार में सम्मिलित होकर अपने अनुभवों का सदुपयोग करूँ। अतः निश्चित तिथि को सहारा इण्डिया टावर के पेन्ट हाउस में सहाराश्री से मिलने गया। सहाराश्री ने मेरा परिचय श्री ओ०पी० श्रीवास्तव, निदेशक कार्यकर्ता से कराया। दोनों महानुभावों की इच्छा थी कि मै सहारा इण्डिया परिवार में आ जाऊँ। मुझे चीफ जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। मैंने सहाराश्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही सहारा इण्डिया परिवार से जुड़ने के लिए उनके समक्ष तीन शर्ते रखीं। प्रथम, मै कोई पद न लेकर परामर्शदाता के रूप में कार्य करना चाहूंगा। द्वितीय, यदि मैं सहारा इण्डिया परिवार की सेवा में अपने को अयोग्य पाऊंगा, तो स्वतः स्वेच्छा से सेवा से अलग हो जाना चाहूंगा। तृतीय, मैं वेतन के रूप में केवल "ऑनरेरियम" ही स्वीकार करूंगा। माननीय सहाराश्री तथा ओ०पी० साहब ने मेरी शर्तो को मानकर मुझे सहारा इण्डिया के विधि-विभाग में प्रमुख सलाहकार के पद पर ८ अप्रैल, १९९७ को पदासीन कर दिया और सहारा इण्डिया भवन के चतुर्थ तल पर मेरे बैठने के लिए कमरा बनवा दिया। साथ ही साथ मेरी सुविधा के लिए एक मारुती स्टीम कार व ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी। मैंने अपना कार्य माननीय ओ०पी० श्रीवास्तव के अनुभवी निर्देशन से प्रारम्भ कर दिया। मुझे अपने काम मे आनन्द आने लगा। श्री मणि बहादुर सिंह, जो अपने जमाने के मशहूर एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी थे और जिन्हें तीन बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया था, पहले से ही सहारा इण्डिया परिवार के विधि-विभाग में कार्यरत थे, उनके पूर्ण सहयोग से लीगल सेल के क्रिमिनल लॉ सम्बन्धी कार्यो के दौरान मेरा पुराना उत्साह लौटने लगा। शनैः शनैः मैं सहारा श्री की अद्भुत कार्यशैली, मनोबल बढ़ाने की उनकी विस्मयकारी प्रतिभा तथा छः लाख लोगों के परिवार को संचालित करने की क्षमता तथा ओ०पी० श्रीवास्तव साहब की अभूतपूर्व परिश्रम क्षमता, विलक्षण बुद्धि, कर्तव्य परायणता एवं कार्य पर गहरी पकड़ से भी बहुत ही प्रभावित हुआ। सहारा इण्डिया परिवार के अभिभावक माननीय सहाराश्री मेरे लिए कौतूहल एवं अध्ययन के विषय भी रहे। सहारा

इण्डिया का उच्चकोटि का अनुशासन उन्हीं की देन है। परिवार की काली पैन्ट, सफेद कमीज व टाई की वेशभूषा, "गुड सहारा" का अभिवादन सभी में मुझे सहाराश्री का प्रतिविम्ब दिखने लगा। दरअसल, उनकी विशिष्ट कार्यशैली व अद्भुत नेतृत्व शक्ति से प्रभावित होकर ही मैंने एक स्थान पर सहारा इण्डिया परिवार की २० वर्षीय यात्रा के दौरान अपने भाषण में कहा था कि उन्हें समझने के लिए एक रिसर्च टीम द्वारा उनकी सोच पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

सहाराश्री ने २८ सितम्बर, १९९८ को एक और क्रान्तिकारी कदम उठाया और सहारा इण्डिया परिवार की विभिन्न यूनिटों की सम्पूर्ण गतिविधियों को "कर्तव्य काउंसिल" के अधीन कर दिया, जो उनकी सभी के साथ न्यायप्रियता का एक जीता-जागता उदाहरण है। कर्तव्य काउंसिल अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, इसके लिए देश के प्रसिद्ध और अपने-अपने क्षेत्र के चर्चित १३ हस्तियों को इसका 'काउंसिल डायरेक्टर" नियुक्त किया गया। कांउसिल डायरेक्टर्स का नाम वर्णमाला के क्रम में निम्नलिखित हैः

१. श्री अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेता एवं पूर्व संसद सदस्य।
२. श्री अमिताभ बनर्जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
३. श्री अमिताभ घोष, पूर्व डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
४. श्री बृजेन्द्र सहाय, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
५. ले० कर्नल डी० थापा (परमवीर चक्र), पूर्व वरिष्ठ सेनाअधिकारी।
६. श्री कपिल देव, पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम।
७. श्री के०एस० भटनागर, पूर्व सचिव, कानून, न्याय व कम्पनी विभाग, भारत सरकार एवं चेयरमैन कम्पनी लॉ बोर्ड।
८. श्री लियाकत खान, एक्चुयरी।
९. श्री प्रभाशंकर मिश्र, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, आन्ध्र प्रदेश एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय।
१०. श्री राज बब्बर, फिल्म अभिनेता एवं राज्य सभा सदस्य।
११. श्री रूसी मोदी, पूर्व प्रबन्धक निदेशक, टाटा स्टील एवं पूर्व चेयरमैन एयर इण्डिया व इंडियन एयरलाइन्स।
१२. श्री टी०एन० शेषन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त।
१३. श्री वाई०एन० सक्सेना, पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन।

सहाराश्री द्वारा मुझे भी "काउसिंल डायरेक्टर" बनाकर देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में रखने के फैसले के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अन्त में यही कहूंगा कि ईश्वर ने हर प्रकार से सदैव ही मुझे सब कुछ दिया। विशेपकर सेवा के सन्दर्भ में तो

मुझे कभी खाली ही नहीं रहना पड़ा। पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने मुझे चयन आयोग उत्तर प्रदेश का सदस्य बना दिया था और फिर वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद सहाराश्री ने मुझे "काउंसिल डायरेक्टर" के महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया। मेरी चारों पुत्रियां ईश्वर की कृपा से बहुत सुखमय जीवन बिता रही हैं। सबसे बड़ी बेटी रश्मि (आई०आर०एस०) है तथा वर्तमान में ज्वाईन्ट कमिश्नर के पद पर देहली में कार्यरत है। उसके पति अरविंद साहनी इण्डियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारी है। दूसरी बेटी छवि,मलेशिया में डाक्टर है तथा उसके पति सुबोध भी वहीं प्रसिद्ध हड्डी सर्जन हैं। तीसरी बेटी माधवी राष्ट्रीय सहारा लखनऊ में सेवारत है और उसके पति नरेश सहारा इण्डिया में ही मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी अनुपम बिहार कैडर की आई०पी०एस० है। उसके पति अजय सिंह भी बिहार कैडर के आई०पी०एस० अधिकारी हैं। दोनों ही वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के पदों पर नियुक्त है। मै अपनी सभी बेटियों, दामादों व नाती-नातियों के अतिशय प्यार, देखभाल व सेवा के लिए बहुत कृतघ्न हूं, जिसके कारण मेरा बुढ़ापा तथा एकाकी जीवन दारुण दुःखों से बच सका। इतना ही कृतज्ञ मै सहाराश्री सुब्रत राय जी व ओ०पी० श्रीवास्तव साहब का भी हमेशा रहूंगा, जिन्होंने मुझे जीवन के इस दौर में भी हिम्मत न हारने व सदैव संघर्षरत रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मेरा मान-सम्मान व मनोबल बढ़ाया। पत्नी स्वर्गीय सरला जी की प्रेरणा,भाईयों-बेटियों के सतत आग्रह एवं सहारा इण्डिया परिवार के प्रेरणाप्रद वातावरण के कारण ही यह पुस्तक प्रकाश में आ सकी। इसकी प्रस्तुति के दौरान मेरी हर सम्भव कोशिश रही कि विषय वस्तु तथ्यपूर्ण और सारगर्भित रहे। अपने प्रयास में मैं कितना सफल रहा, यह फैसला आप पर ही छोड़ता हूँ।